छत्तीसगढ़ शासन

आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष 2021-22

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़,

इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22

छत्तीसगढ़ शासन

आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष 2021-22

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़,
इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर

प्राक्कथन

"छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, 2021–22" नामक प्रकाशन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, द्वारा तैयार किया गया है। जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, सामाजार्थिक स्थिति, उसे प्रभावित करने वाले आधारभूत घटकों एवं राज्य शासन की वर्तमान नीतियों के संदर्भ में प्रगति की विवेचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, 2021–22 प्रकाशन को परिमार्जन एवं नवीनता प्रदान करने में श्री गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सचिव, योजना आर्थिक एवं सॉख्यिकी विभाग के निर्देशन में संचालनालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों जिन्होंने इस प्रकाशन को अंतिम रूप देने में अपना योगदान दिया है, प्रशंसा के पात्र हैं।

संबंधित विभागाध्यक्षों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों द्वारा अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसके लिये हम उनके आभारी हैं।

नवा रायपुर, अटल नगर, जिला – रायपुर

दिनांक – मार्च 2022

संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर

विषय

स.क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	आर्थिक स्थिति – एक समीक्षा	1 - 8
2	जनसंख्या	9 - 28
3	राज्यीय आय	29 - 44
4	मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली	45 - 62
5	लोक वित्त	63 - 72
6	संस्थागत वित्त एवं विनियोजन	73 - 92
7	कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	93 - 140
8	वानिकी	141 - 156
9	खनिज	157 - 172
10	उद्योग	173 - 212
11	विद्युत एवं आधारभूत संरचना	213 - 234
12	ग्रामीण विकास एवं रोजगार	235 - 256
13	नगरीय विकास	257 - 276
14	शिक्षा	277 - 300
15	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	301 - 336
16	सामाजिक सेवाएं	337 - 364

आर्थिक स्थिति एक समीक्षा

01

आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा

अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन :

1 भारत

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में क्रमशः -7.3 एवं 9.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। भारत वैश्विक परिदृश्य में सबसे ज्यादा युवा कार्यशील जनसंख्या वाले देश के रूप में उभर रहा है। साथ ही, हमारे देश में शहरीकरण में वृद्धि हुई है। ग्रामीण विकास, विकेन्द्रीकरण, महिला सशक्तिकरण, शहरीकरण, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास एवं विस्तार, उन्नत संचार एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास, अंतरिक्ष प्रोद्यौगिकी में विकास, तथा 65 प्रतिशत युवा जनसंख्या आदि वे सकारात्मक बिन्दु हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं।

2 छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ भारत में एक विशिष्ट स्थान रखता है जो कि वन बाहुल्य, विपुल खनिज संपदा से संपन्न एवं कम जनघनत्व वाला प्रदेश है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ 2.55 करोड़ जनसंख्या के साथ देश का सोलहवां बड़ा राज्य है। जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.11 प्रतिशत है। राज्य में सकल लिंगानुपात 991 (ग्रामीण क्षेत्र में 1001, शहरी क्षेत्र में 956) है, जो भारत संघ में 5th स्थान को इंगित करता है। राज्य की साक्षरता दर 70.3% है, राज्य में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2001 में 77 प्रति हजार थी, जो घटकर 2019 की स्थिति में 40 हो चुकी है। इसी प्रकार जन्म दर, मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर में कमी हुई है, जो प्रदेश में सुधरते स्वास्थ्य व्यवस्था को दर्शाता है।

मातृ मृत्यु दर 2001–03 में 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर भारत में 301 तथा राज्य में 379 थी। जो घटकर भारत व छत्तीसगढ़ में क्रमशः 113 व 159 (SRS Report 2016–18) हो गयी। SDG में 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। विगत वर्षों में प्रदेश में गर्भवती माताओं का प्रसव अस्पतालों में कराने के प्रति विश्वास बढ़ा है। शासकीय अस्पतालों में NFHS–4 वर्ष 2015–16 में 55.9 प्रतिशत प्रसव होता था जो NFHS–5 वर्ष 2019–21 में बढ़कर 70.0 प्रतिशत हो गया है। NFHS–4 वर्ष 2015–16 में संस्थागत प्रसव 70.2 प्रतिशत प्रसव होता था जो NFHS–5 वर्ष 2019–21 में बढ़कर 85.7 प्रतिशत हो गया है।

छत्तीसगढ़ में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के कारण राज्य स्थापित होने से अब तक शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2001 में प्रति एक हजार जीवित जन्म

पर 77 थी, जो वर्ष 2019 की स्थिति में घटकर 40 हो गई है (SRS 2001,2018)। SDG में 2030 तक शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य 15 रखा गया है।

3.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद –

किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद–स्थिर भाव पर (GSDP) वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21एवं 2021–22 में वृद्धि क्रमशः 5.00, 10.00, 1.77, 2.57, 12.13, 3.01, 11.28, 3.34, –1.37 एवं 11.54 तथा औसत वृद्धि 5.92 प्रतिशत वर्ज की गई। वर्ष 2021–22 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 16.73 प्रतिशत एवं उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 50.61प्रतिशत अनुमानित है। इसी अवधि में सेवा क्षेत्र की भागीदारी 32.66 प्रतिशत रहने की संभावना है। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है :–

छत्तीसगढ़ राज्य का उद्योग समूहवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर

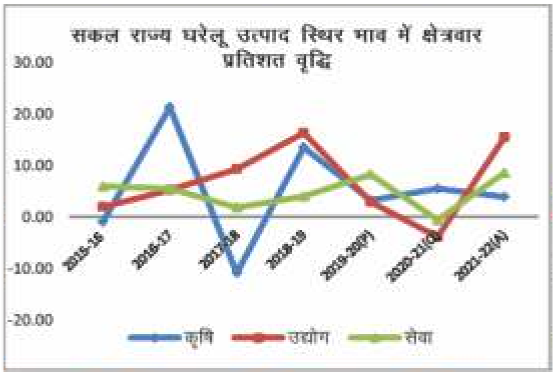

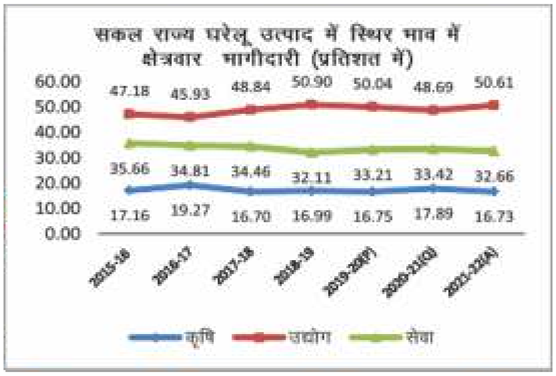

3.1.1 कृषि:– इस क्षेत्र में वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 ,2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में वृद्धि (स्थिर भाव पर) क्रमशः 21.28, –10.90, 13.49 3.21, 5.48 एवं 3.88 अनुमानित है। वर्ष 2012–13 से 2021–22 तक औसत वृद्धि 5.09 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2016–17 में अच्छी फसल होने के कारण वृद्धिदर 21.28 प्रतिशत रही। वर्ष 2017–18 में प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के कमी के कारण कृषि क्षेत्र में –10.90 प्रतिशत कमी रही। वर्ष 2011–12 में जहाँ सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10 प्रतिशत थी, वहीं निरंतर किंतु धीमी गति से घटते हुए वर्ष 2021–22 में 16.73 प्रतिशत पर आ गई है।

3.1.2. उद्योग:– इस क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति एवं निर्माण क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 ,2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि (स्थिर भाव पर) क्रमशः 5.19, 9.31, 16.29, 2.89, –3.89 एवं 15.44 अनुमानित है। वर्ष 2012–13 से 2021–22 तक

औसत वृद्धि 6.56 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2011–12 में जहाँ सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 47.27 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2021–22 में 50.61 प्रतिशत सम्भावित है।

3.1.3 सेवा क्षेत्र:– छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, स्थावर संपदा एवं अन्य सेवाओं की सर्वाधिक भागीदारी है। वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 में (स्थिर भाव पर) क्रमशः 5.48,1.79, 3.96, 8.24,–0.61 तथा 8.54 के वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2012–13 से 2021–22 तक औसत वृद्धि 5.04 प्रतिशत परिलक्षित हो रही है। वर्ष 2011–12 में जहाँ सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 34.63 प्रतिशत थी, यह वर्ष 2021–22 में 32.66 होना अनुमानित है।

4. वर्ष 2021–22 में धान (सामान्य) एवं धान (ग्रेड–ए) के समर्थन मूल्य कमशः 1,940 एवं 1,960 रू. प्रति क्विंटल भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया। खरीफ वर्ष 2020–21 में 20.53 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 92.02 लाख टन धान की खरीदी की गई थी। किसानों को 17,240.59 करोड़ रूपये धान का समर्थन मूल्य भुगतान किया गया है। इस वर्ष किसानों से 2,916.85 टन मक्का की खरीदी की गई तथा 539.61 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। नवंबर 2021 की स्थिति में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें क्रमशः 1,535 तथा 11,709 संचालित हैं। वर्तमान में कुल 68.92 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं।

5.1 वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 16.07 प्रतिशत बढ़कर राशि रू. 79,325.42 करोड़ अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल कर राजस्व में 17.11 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 61.05 प्रतिशत अनुमानित है। गैर–कर राजस्व में प्रमुख योगदान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों का है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में गैर–कर राजस्व रू. 30,900.00 करोड़ अनुमानित है, जिसमें केन्द्रीय सरकार से रू. 21,650.00 करोड़ प्राप्त होना अनुमानित है। वर्ष 2021–22 में राजस्व प्राप्ति रू. 79,325.42 करोड़ एवं राजस्व व्यय रू. 83,027.55 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार राजस्व घाटा रू. –3,702.13 करोड़ दर्शाता है।

5.2.1 वर्ष 2020-21 में वैट (प्रान्तीय) कर संग्रहण से सितंबर 2020 तक 1,472.25 करोड़ रू प्राप्त हुआ, तथा 31 मार्च 2021 की स्थिति में 4,203.50 करोड़ रू. प्राप्त हुआ। वर्ष 2021–22 में माह सितंबर 2021 तक 2,244.10 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

5.2.2 वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय विक्रय कर संग्रहण से सितंबर 2020 तक 5.91 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, तथा 31 मार्च 2021 की स्थिति में 31.82 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हुई। साथ ही वर्ष 2021–22 में माह सितंबर 2021 तक 6.79 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

5.2.3 वर्ष 2020-21 में प्रवेश कर संग्रहण से सितंबर 2020 तक 11.07 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है, तथा 31 मार्च 2021 की स्थिति में 79.26 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हुई है। साथ ही वर्ष 2021–22 में माह सितंबर 2021 तक 15.07 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

5.2.4 वर्ष 2020–21 में स्थानीय कर संग्रहण से सितंबर 2020 तक 0.05 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ है, तथा 31 मार्च 2021 की स्थिति में 0.14 करोड़ रू. की राजस्व प्राप्ति हुई है। साथ ही वर्ष 2021–22 में माह सितंबर 2021 तक 0.10 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

5.2.5 वर्ष 2020–21 में SGST संग्रहण से माह सितंबर 2020 तक 2,256.82 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, तथा ISGST संग्रहण से 779.05 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य को 1,876.56 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

5.2.6 वर्ष 2020–21 में SGST संग्रहण से 31 मार्च 2021 तक 5,444.13 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ, तथा ISGST संग्रहण से 2,621.09 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हुआ। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य को 3,212.15 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

5.2.7 वर्ष 2021–22 में SGST संग्रहण से माह सितंबर 2021 तक 3,161.99 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका हैं, तथा ISGST संग्रहण से 1176.67 करोड़ रू. का राजस्व प्राप्त हो चुका है। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य को 633.82 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

6.1 छत्तीसगढ़ राज्य की बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। राज्य में जून 2021 की स्थिति में शाखाओं की संख्या 3,136 एवं एटीएम की संख्या 3,320 है। जिनमें कुल जमा 1,92,324.30 करोड़ रूपये है। प्राथमिकता क्षेत्र में आबंटित ऋण में जून 2020 की तुलना में जून 2021 में 6.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

7. वर्ष 2021–22 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में राज्य की मंडियों में 18,13,299 टन अनाज की आवक हुई है, जो कि इसी अवधि में गत वर्ष की तुलना में 1,95,223 टन कम है। वर्ष 2020–21 में 2,955 हेक्टेयर में आम पौध रोपण कार्य किया गया। वर्ष 2021–22 में 2,576.00 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं माह नवंबर 2021 तक 2,526.5 हेक्टेयर क्षेत्र में आम पौध रोपण कार्य किया गया है। राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियाँ एवं 118 उप–मंडियाँ कार्यरत हैं।

7.1 वर्तमान में 08 वृहद, 37 मध्यम, 2,477 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 30 नलकूप योजना एवं 806 एनीकट/स्टॉपडेम निर्मित हैं। जबकि 04 वृहद, 01 मध्यम एवं 333 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 01 नलकूप योजना एवं 161 एनीकट/स्टॉपडेम निर्माणाधीन हैं।

7.2 राज्य में वर्ष 2021–22 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु 22 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 248 हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र, 341 पशु चिकित्सालय, 829 पशु औषधालय, 10 मुख्य ग्राम खण्ड, 99 मुख्य ग्राम खण्ड ईकाई कार्यरत हैं। राज्य में कुल जल क्षेत्र का 94.38% जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है।

7.3 गोधन न्याय योजना के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कुल 21,647 पशुपालकों से 13,40,415.43 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है, वर्तमान में कुल 2,53,945.88 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, 21,076.47 क्विंटल गोकाष्ठ, 1,49,369.59 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट तैयार किया जा चुका है तथा इनके विकय से कुल राशि रू. 10,10,74,781.30 प्राप्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से कुल 39,507.20 क्विंटल कण्डे एवं दीया बनाकर राशि रू. 51,06,512.00 की आय अर्जित की गई है।

8.1 31 मार्च 2021 की स्थिति में कोयले का उत्पादन 1,57,477 हजार टन, लौह अयस्क का 37,707 हजार टन, चूना पत्थर का 35,577 हजार टन, बाक्साइट का 720 हजार टन, तथा टिन का 13,673 कि. ग्राम उत्पादन हुआ है।

8.2 विगत वर्ष 2020–21 में मुख्य खनिज से 4,676.08 करोड़ आय हुई, जहां गौण खनिज से उसी अवधि में 260.95 करोड़ आय हुई है। राज्य की खनिज राजस्व आय मूलतः कोयला एवं लौह अयस्क से ही प्राप्त होती है। राज्य में वर्ष 2019–20 में खनिजों से कुल राजस्व आय 6,195.73 करोड़ थी। वर्ष 2020–21 में 5,517.01 करोड़ राजस्व आय प्राप्त हुई।

9.1 राज्य में सुनियोजित विकास के लिये वर्तमान में "औद्योगिक नीति 2019–24" अपनायी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 19,265 करघों पर लगभग 57,795 बुनकर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न हैं।

10.1 राज्य शासन के अधीन विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 18,857.681 मिलियन यूनिट (तापीय 18389.35 जलीय 462.532 एवं अन्य सह–उत्पादन 5.811 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन किया गया। अक्टूबर 2021 की स्थिति में कुल स्थापित क्षमता 2,984.70 मेगावाट है। इसमें 2,840 मेगावाट ताप विद्युत, 138.7 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य (सह–उत्पा.) की स्थापित क्षमता है। वर्ष 2020–21 में वितरण हानि का प्रतिशत 16.84 रहा।

10.2 घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत योजनांतर्गत वर्श 2020–21 में अगस्त 2021 तक राज्य के लगभग 40.22 लाख उपभोक्ताओं को रू. 405.89 करोड़ की छूट योजना के अंतर्गत दी जा चुकी है।

11. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वर्ष 2021—22 में सितंबर तक कुल उपलब्ध राशि रु. 2,679.20 करोड़ के विरुद्ध राशि रु. 2,270.06 करोड़ व्यय कर 737.82 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। वर्ष 2021—22 में सितंबर तक 100 दिवस रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या 32,405 है।

12. वर्ष 2021—22 में सितंबर 2021 की स्थिति में राज्य के 19,676 ग्रामों के 74,982 बसाहटों में **3,04,303** हैंडपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में **4,334** नलजल प्रदाय योजनाएं एवं 2,342 स्थल जलप्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021—22 में सितंबर, 2021 की स्थिति में कुल 65,500 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

13. वर्ष 2020—21 माह सितंबर 20 तक 1,26,064 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तथा वर्षान्त (31 मार्च 21) तक 4,09,296 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। वर्ष 2021—22 में माह अगस्त 21 तक 1,17,360 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

जनसंख्या

02

जनसंख्या

मुख्य बिन्दु

- 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले क्रमशः मुंगेली (27.76%) एवं सुकमा (83.47) है। इसी प्रकार न्यूनतम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले क्रमशः सुकमा (1.10%) एवं रायपुर (4.30%) है।
- छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2001–2011) प्रतिशत में कुल जनसंख्या में सर्वाधिक बलौदाबाजार (49.87%) एवं न्यूनतम सुकमा (8.16%), जबकि छत्तीसगढ़ का (22.61%) है।
- जनगणना 2011 के अनुसार छतीसगढ़ में कुल लिंगानुपात में सर्वाधिक कोंडागांव (1033) एवं न्यूनतम रायपुर (963), अनुसूचित जाति में सर्वाधिक राजनांदगांव (1038) एवं न्यूनतम सुकमा (932), अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक दक्षिण बस्तर दंतेवाडा (1067) एवं न्यूनतम रायपुर (974), छः वर्ष से नीचे शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक दक्षिण बस्तर दंतेवाडा (1012) एवं न्यूनतम रायगढ़ (947) है।
- जनगणना 2011 के अनुसार छतीसगढ़ में प्रतिशत में सर्वाधिक शहरीकरण दुर्ग (64.15) एवं न्यूनतम बलरामपुर (4.75) है
- जनगणना 2011 के अनुसार छतीसगढ़ में कुल साक्षरता दर में सर्वाधिक दुर्ग (82.86%) एवं न्यूनतम सुकमा (34.81%), अनुसूचित जाति में सर्वाधिक बालोद (79.61%) एवं न्यूनतम सरगुजा (56.07%), अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक बालोद (77.73%) एवं न्यूनतम सुकमा (28.55%) है।

जनसंख्या

जिला / राज्य	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति जनसंख्या			अनुसूचित जनजाति जनसंख्या		
	1991	2001	2011	1991	2001	2011	1991	2001	2011
बालोद	644177	749440	826165	54330	61410	68431	204223	233485	259043
बलौदाबाजार	884388	870967	1305343	189194	180178	305018	123892	109674	167450
बलरामपुर	479873	598855	730491	21697	26654	32732	313040	371747	458949
बस्तर	608502	706656	834375	61270	14374	14759	379766	438482	520779
बेमेतरा	529945	557850	795759	90439	92651	144022	25872	26807	37185
बीजापुर	196464	234637	255230	9816	9672	10122	160823	189815	204189
बिलासपुर	1246209	1490921	1961922	207968	241897	358222	298838	342449	425688
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	218674	242954	283479	10094	20869	10220	153696	141237	201458
धमतरी	587679	706591	799781	40307	49394	58581	160175	185515	207633
दुर्ग	1223124	1503146	1721948	161147	205450	245587	68076	88509	101188
गरियाबंद	429621	509662	597653	42169	48537	60558	159370	187042	215986
जांजगीर–चाम्पा	1110200	1317431	1619707	248273	296199	397908	135641	153069	187196
जशपुर	656352	743160	851669	47012	36400	48844	429092	469953	530378
कबीरधाम	509894	584552	822526	70592	74351	119798	103895	121957	167043
कोंडागांव	405127	491411	578824	17982	20452	23204	284414	345290	411001
कोरबा	825891	1011823	1206640	82481	100960	124679	356222	419889	493559
कोरिया	513273	586327	658917	41242	48205	54776	222503	260040	304280
महासमुन्द	791343	860257	1032754	100368	104391	139581	222364	232485	279896
मुंगेली	449157	507434	701707	115508	127191	194770	48642	54655	72781
नारायणपुर	97100	119217	139820	3821	4054	4979	74680	91784	108161
रायगढ़	1065939	1265529	1493984	148901	179744	224942	392385	447703	505609
रायपुर	1215250	1636301	2160876	191591	259008	358674	48393	68557	93010
राजनांदगांव	1089047	1283224	1537133	109820	127424	156623	293071	341688	405194
सुकमा	198107	231285	250159	5270	3622	2776	168022	194945	208797
सूरजपुर	525997	660280	789043	27490	34940	42830	243145	299186	359672
सरगुजा	576002	712959	840352	26228	33243	40090	341032	405736	482007
उत्तर बस्तर कांकेर	547140	650934	748941	24828	27663	31543	308323	365031	414770
छत्तीसगढ़	17624475	20833803	25545198	2149638	2418722	3274269	5719595	6616596	7822902

स्रोत– जनगणना 2011

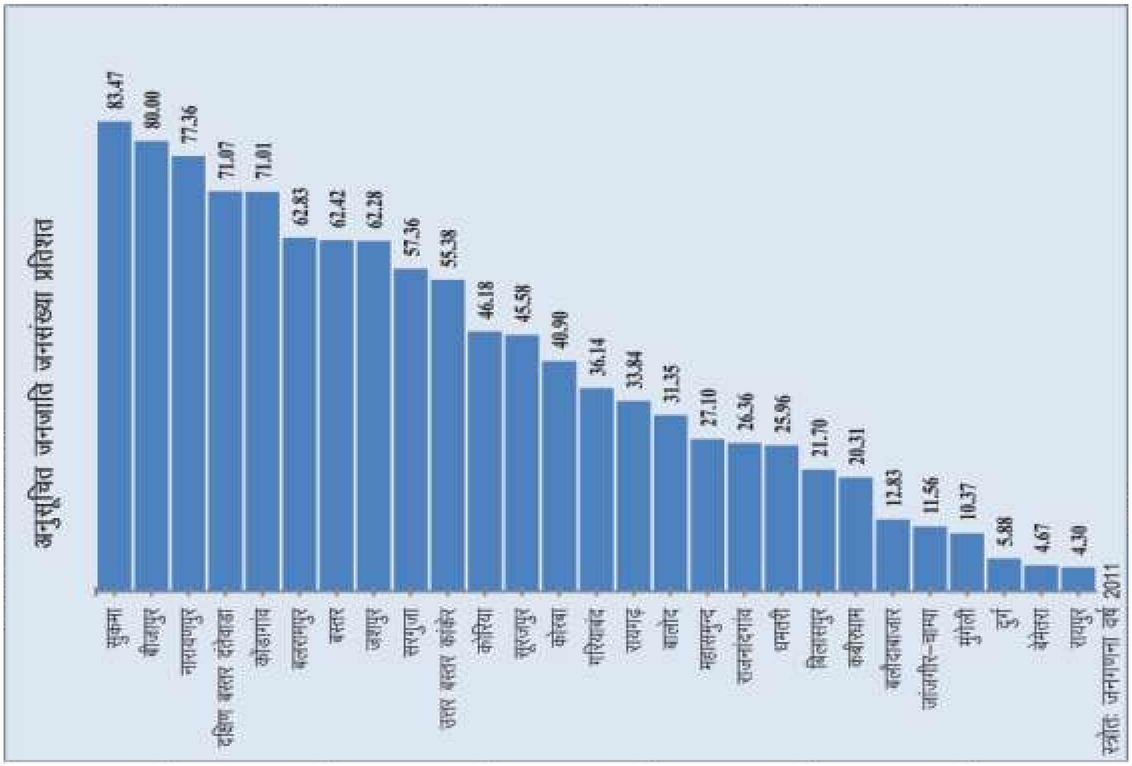
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत
सुकमा 83.47
बीजापुर 80.00
नारायणपुर 77.36
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 71.07
कोंडागांव 71.01
बलरामपुर 62.83
बस्तर 62.42
जशपुर 62.28
सरगुजा 57.36
उत्तर बस्तर कांकेर 55.38
कोरिया 46.18
सूरजपुर 45.58
कोरबा 40.90
गरियाबंद 36.14
रायगढ़ 33.84
बालोद 31.35
महासमुन्द 27.10
राजनांदगांव 26.36
धमतरी 25.96
बिलासपुर 21.70
कबीरधाम 20.31
बलौदाबाजार 12.83
जांजगीर–चाम्पा 11.56
मुंगेली 10.37
दुर्ग 5.88
बेमेतरा 4.67
रायपुर 4.30
स्रोत: जनगणना वर्ष 2011

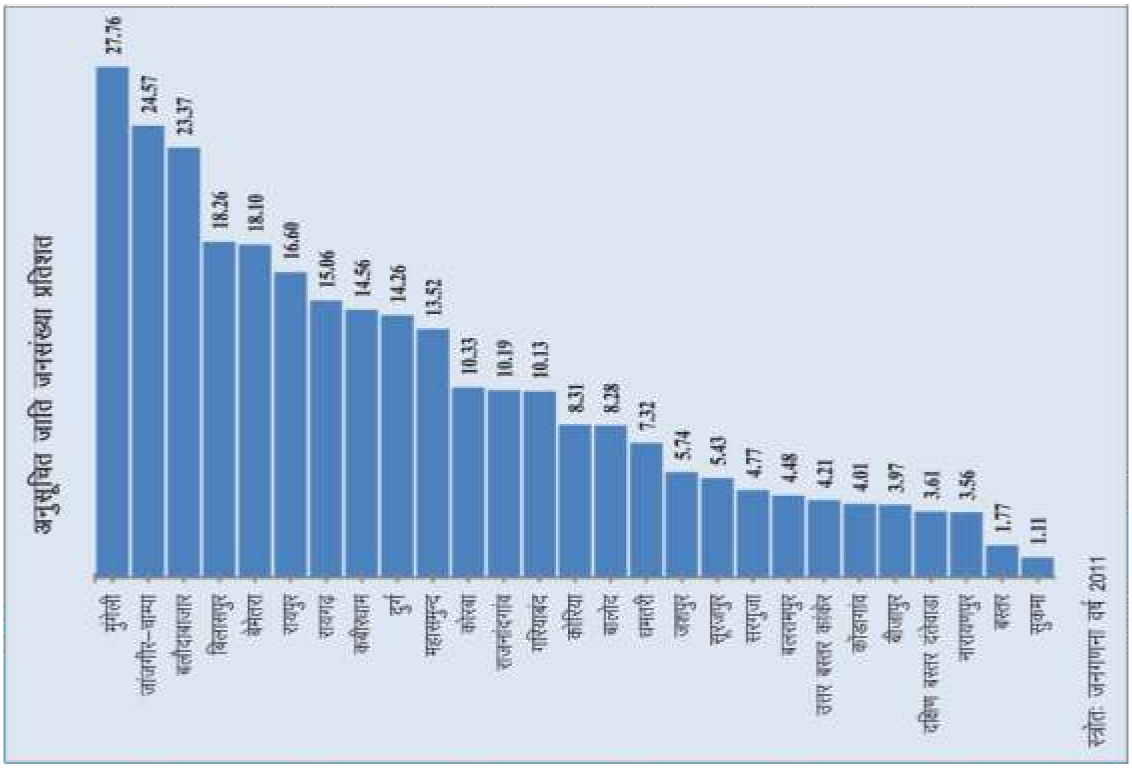
अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत
मुंगेली 27.76
जांजगीर–चाम्पा 24.57
बलौदाबाजार 23.37
बिलासपुर 18.26
बेमेतरा 18.10
रायपुर 16.60
रायगढ़ 15.06
कबीरधाम 14.56
दुर्ग 14.26
महासमुन्द 13.52
कोरबा 10.33
राजनांदगांव 10.19
गरियाबंद 10.13
कोरिया 8.31
बालोद 8.28
धमतरी 7.32
जशपुर 5.74
सूरजपुर 5.43
सरगुजा 4.77
बलरामपुर 4.48
उत्तर बस्तर कांकेर 4.21
कोंडागांव 4.01
बीजापुर 3.97
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 3.61
नारायणपुर 3.56
बस्तर 1.77
सुकमा 1.11
स्रोत: जनगणना वर्ष 2011

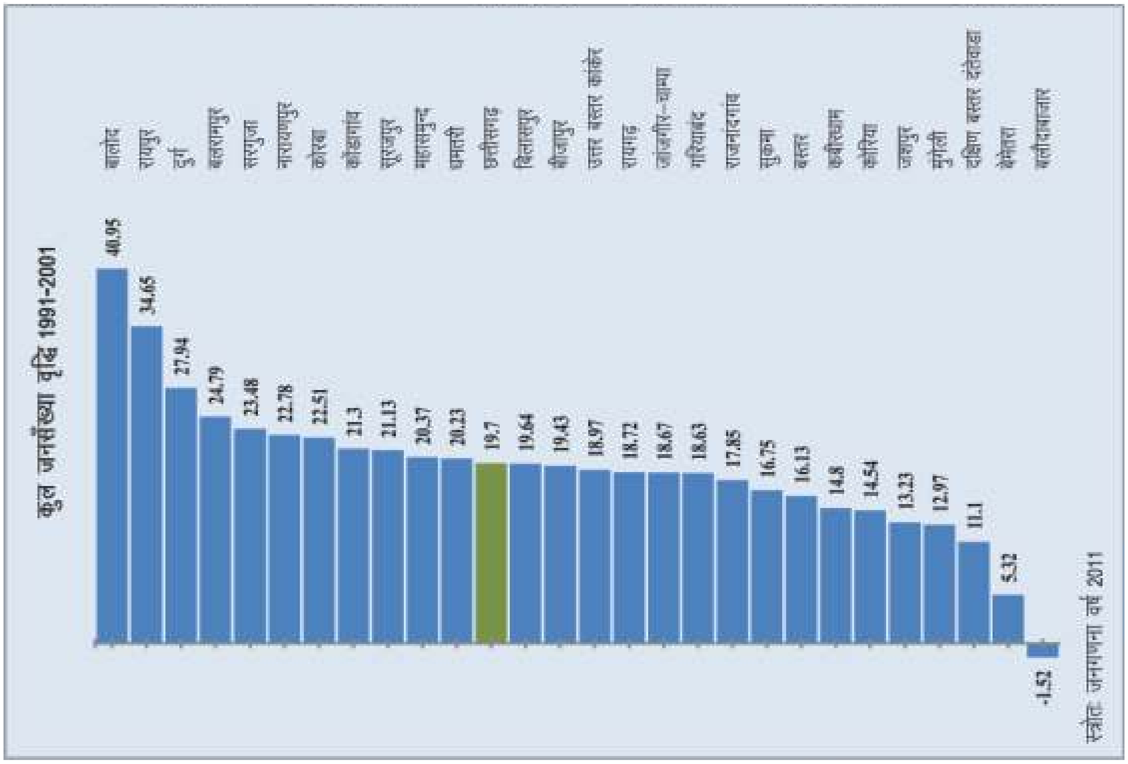

स्रोत: जनगणना वर्ष 2011

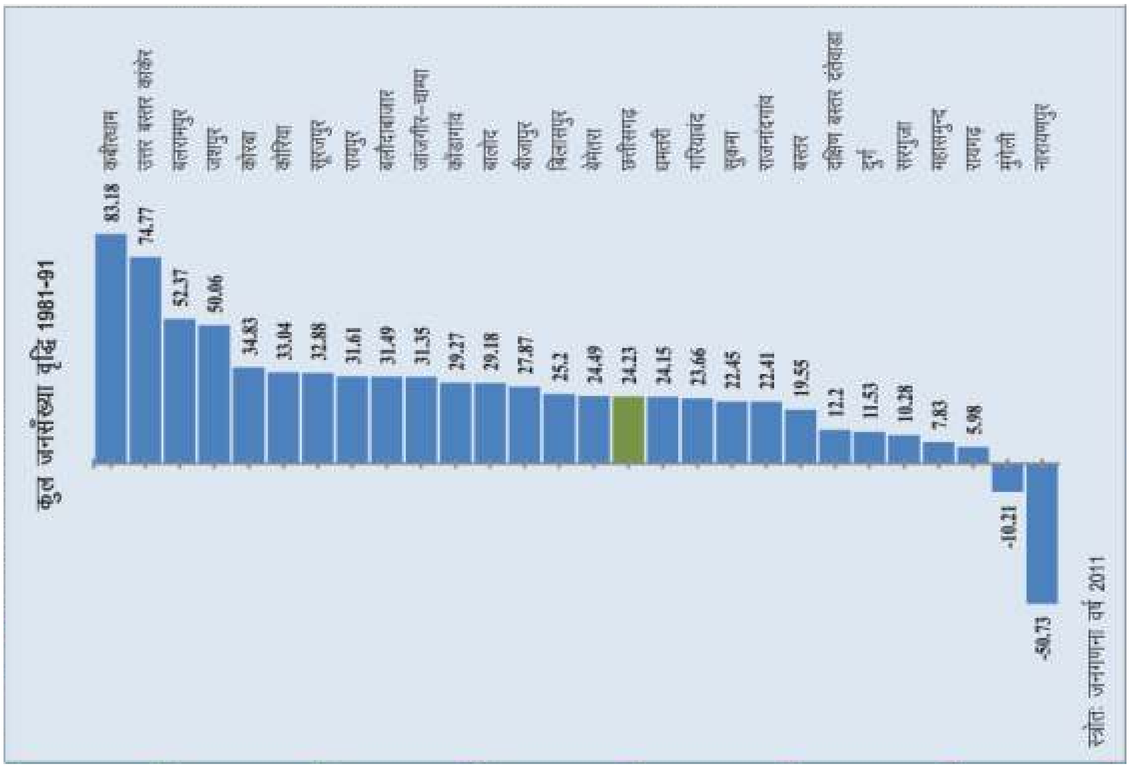

स्रोत: जनगणना वर्ष 2011

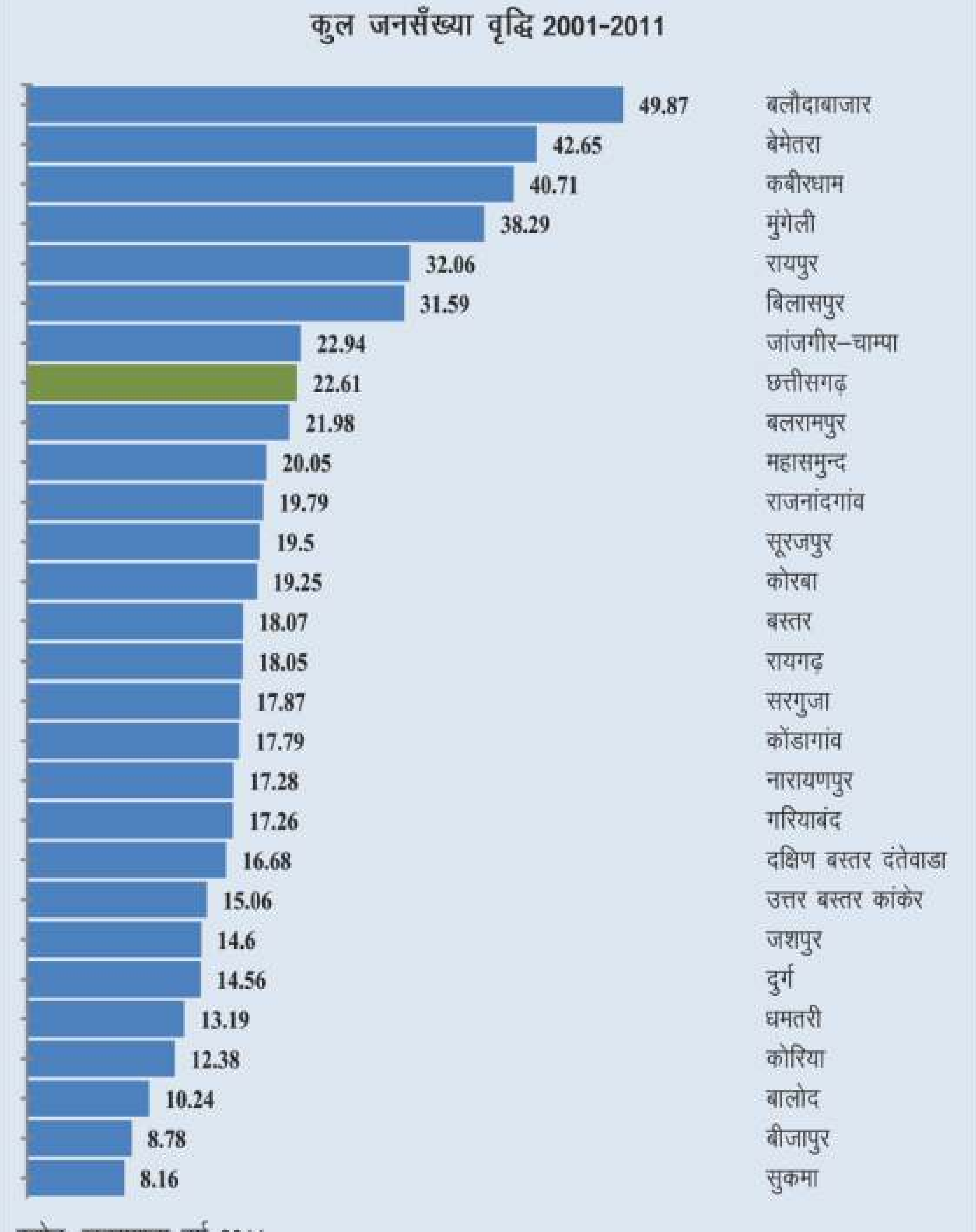

स्त्रोत: जनगणना वर्ष 2011

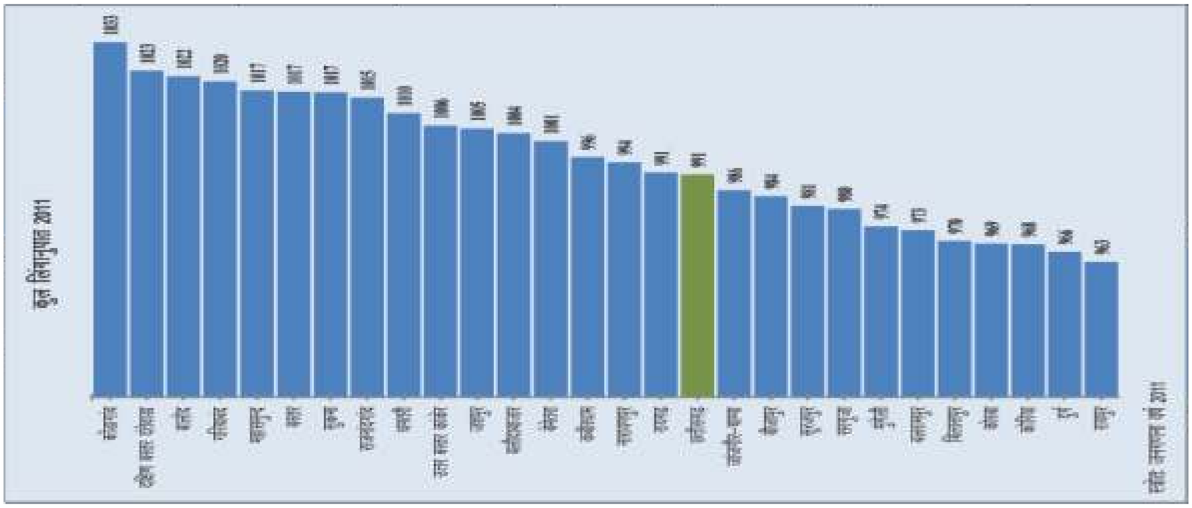
कुल लिंगानुपात 2011
स्रोत: जनगणना वर्ष 2011

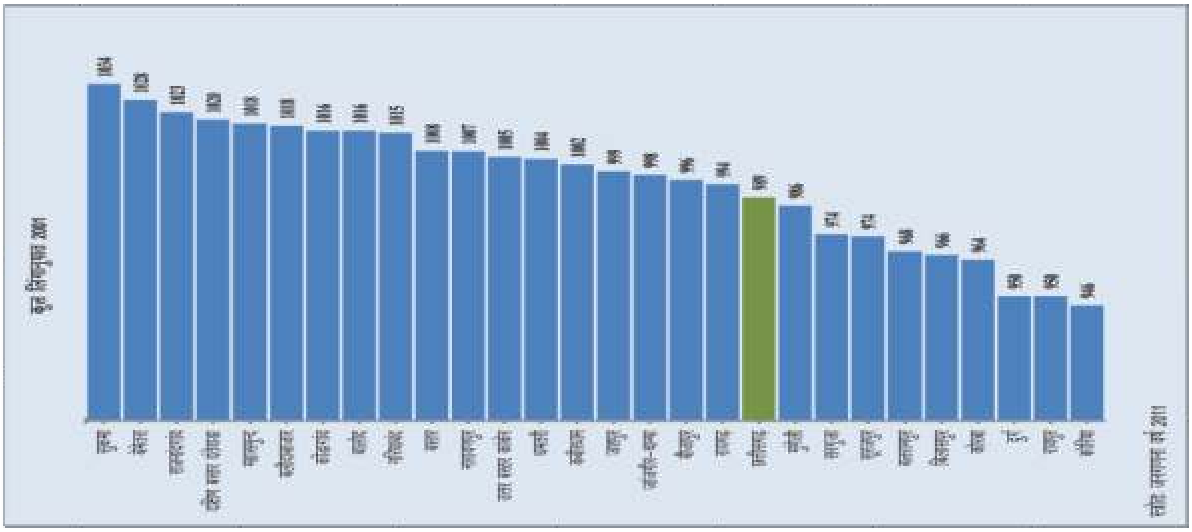
कुल लिंगानुपात 2001
स्रोत: जनगणना वर्ष 2011

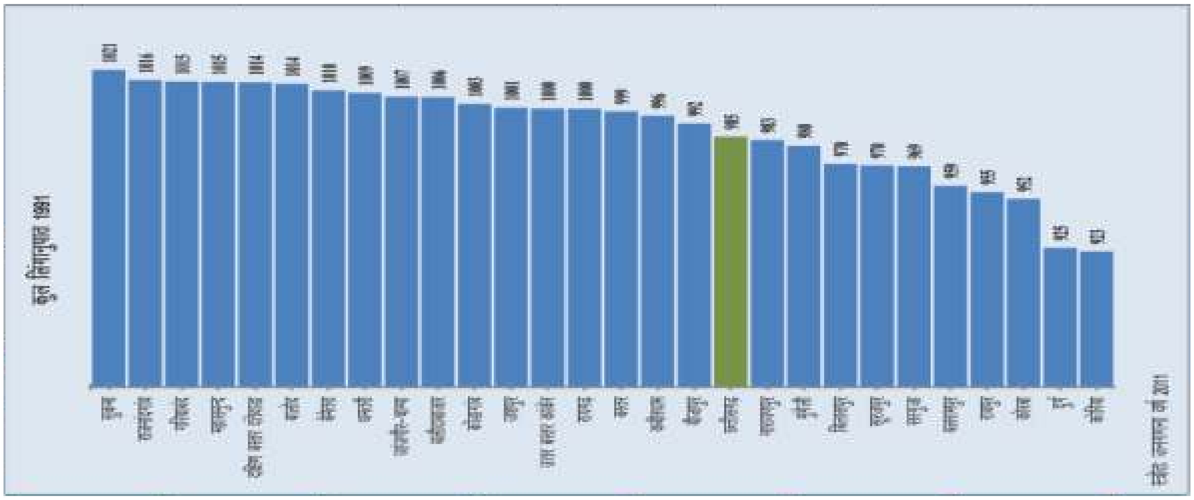
कुल लिंगानुपात 1991
स्रोत: जनगणना वर्ष 2011

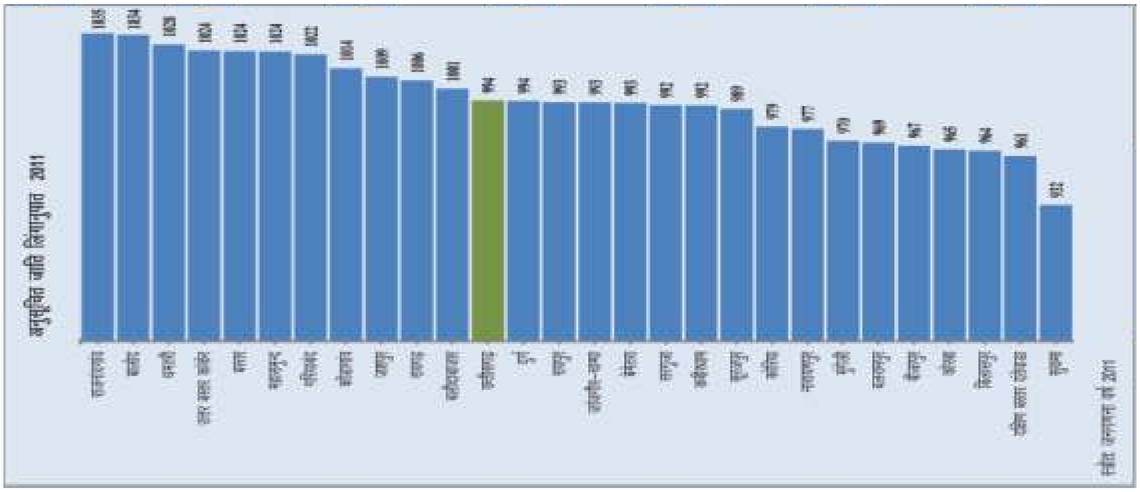
अनुसूचित जाति लिंगानुपात 2011
स्रोत: जनगणना वर्ष 2011

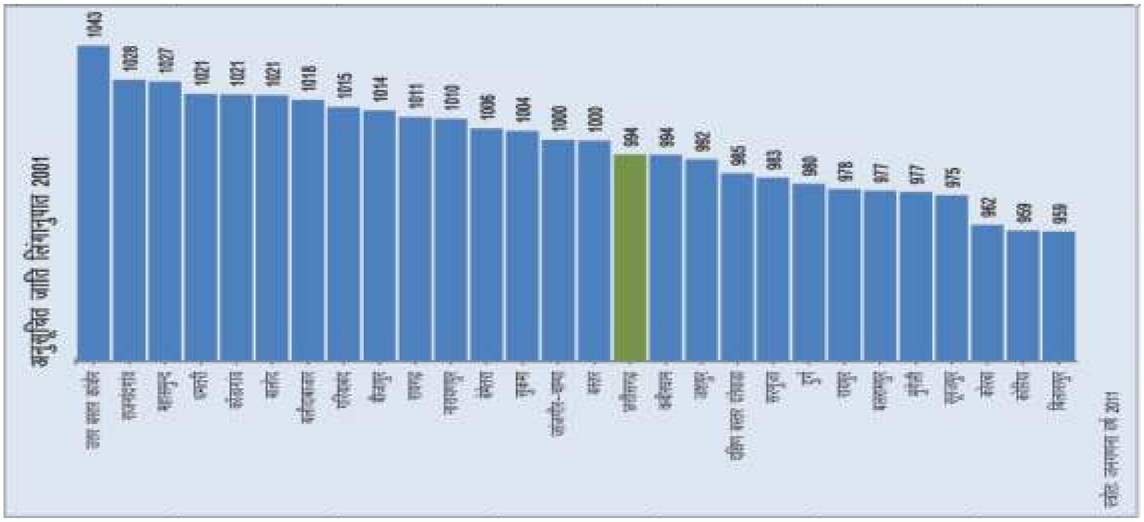
अनुसूचित जाति लिंगानुपात 2001
स्रोत: जनगणना वर्ष 2011

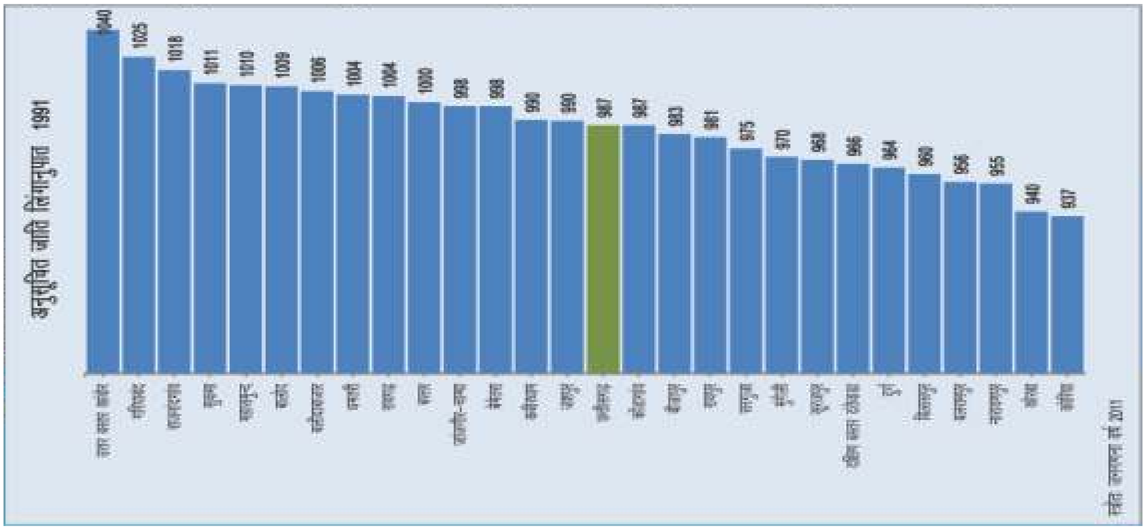
अनुसूचित जाति लिंगानुपात 1991
स्रोत: जनगणना वर्ष 2011

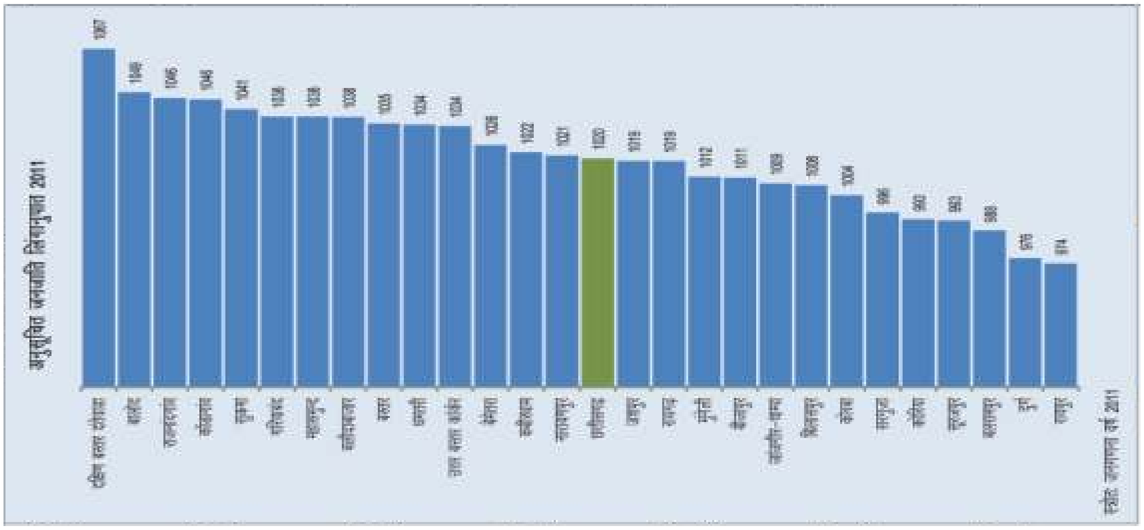
अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 2011
स्रोत: जनगणना वर्ष 2011

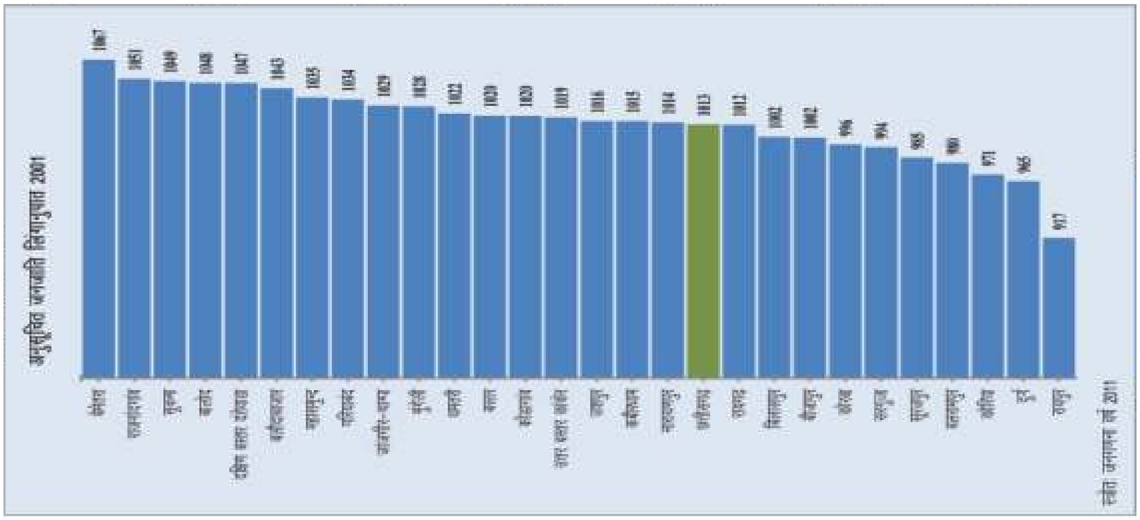
अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 2001
स्रोत: जनगणना वर्ष 2011

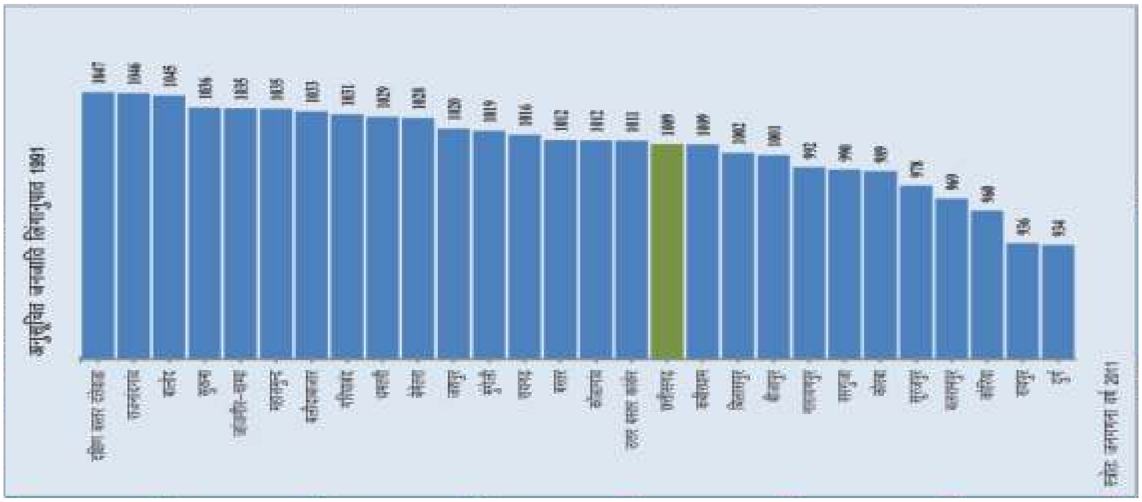
अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 1991
स्रोत: जनगणना वर्ष 2011

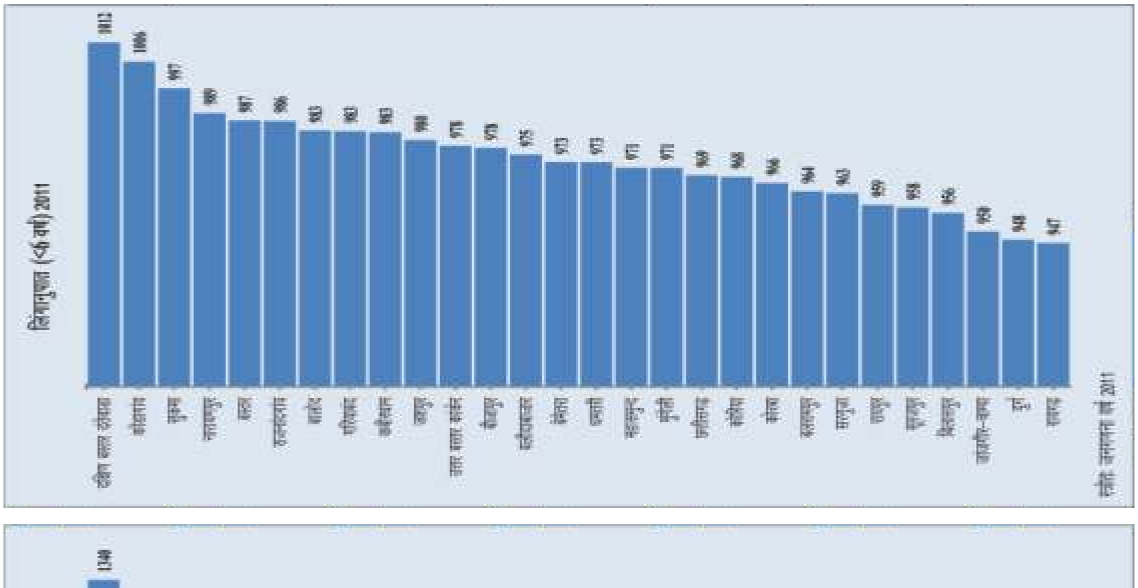
लिंगानुपात (<6 वर्ष) 2011
स्रोतः जनगणना वर्ष 2011

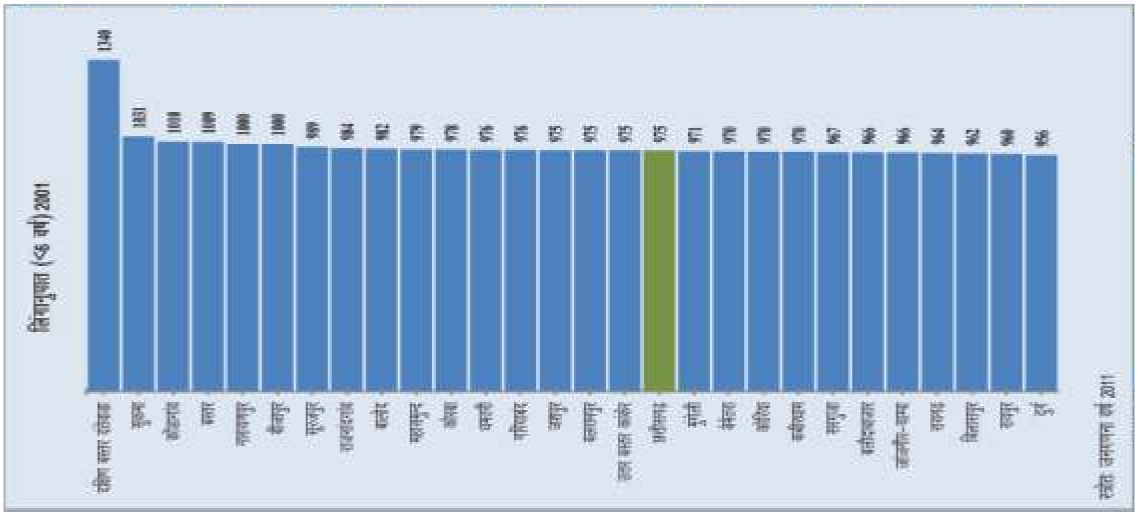
लिंगानुपात (<6 वर्ष) 2001
स्रोतः जनगणना वर्ष 2011

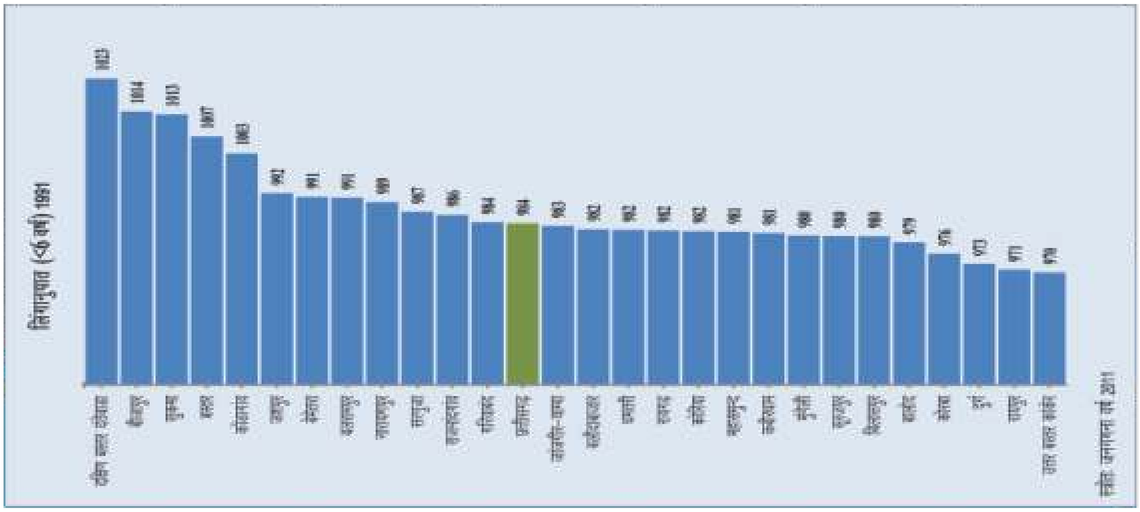
लिंगानुपात (<6 वर्ष) 1991
स्रोतः जनगणना वर्ष 2011

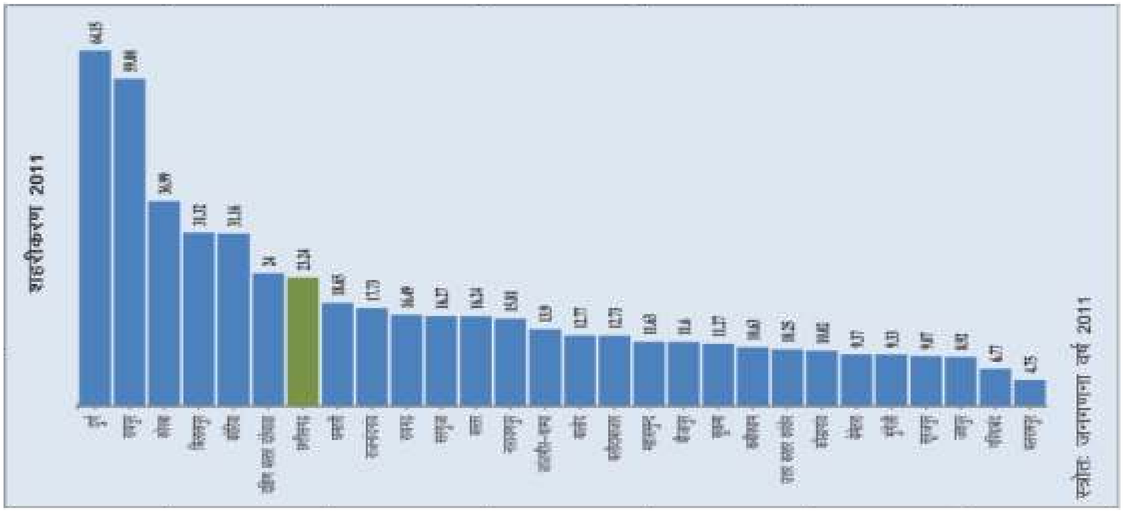
शहरीकरण 2011
स्त्रोत: जनगणना वर्ष 2011

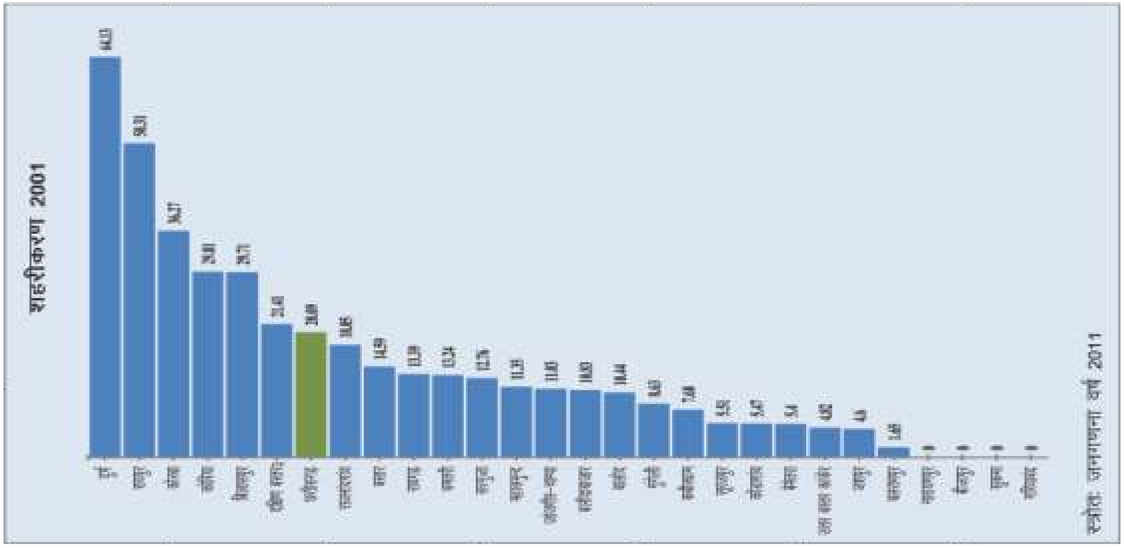
शहरीकरण 2001
स्त्रोत: जनगणना वर्ष 2011

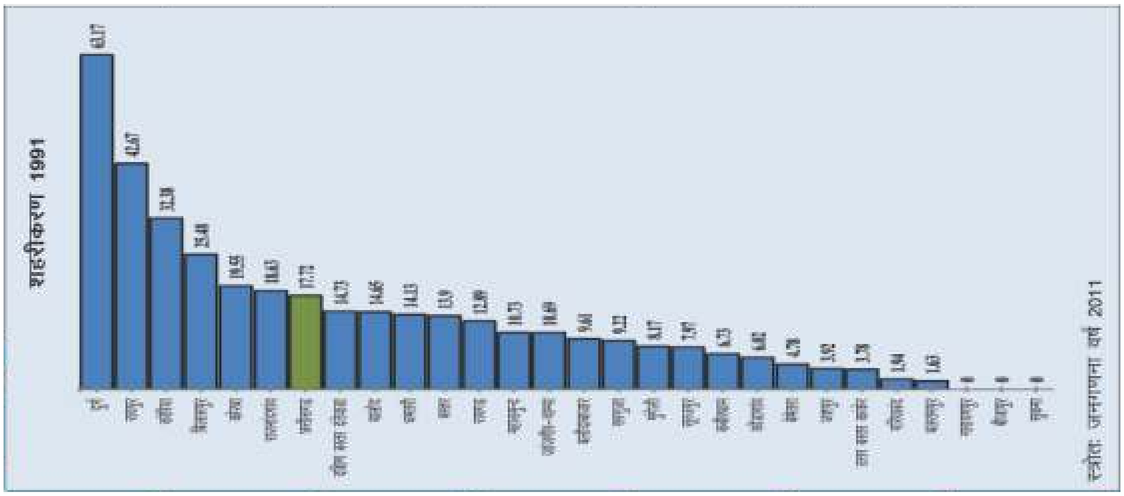
शहरीकरण 1991
स्त्रोत: जनगणना वर्ष 2011

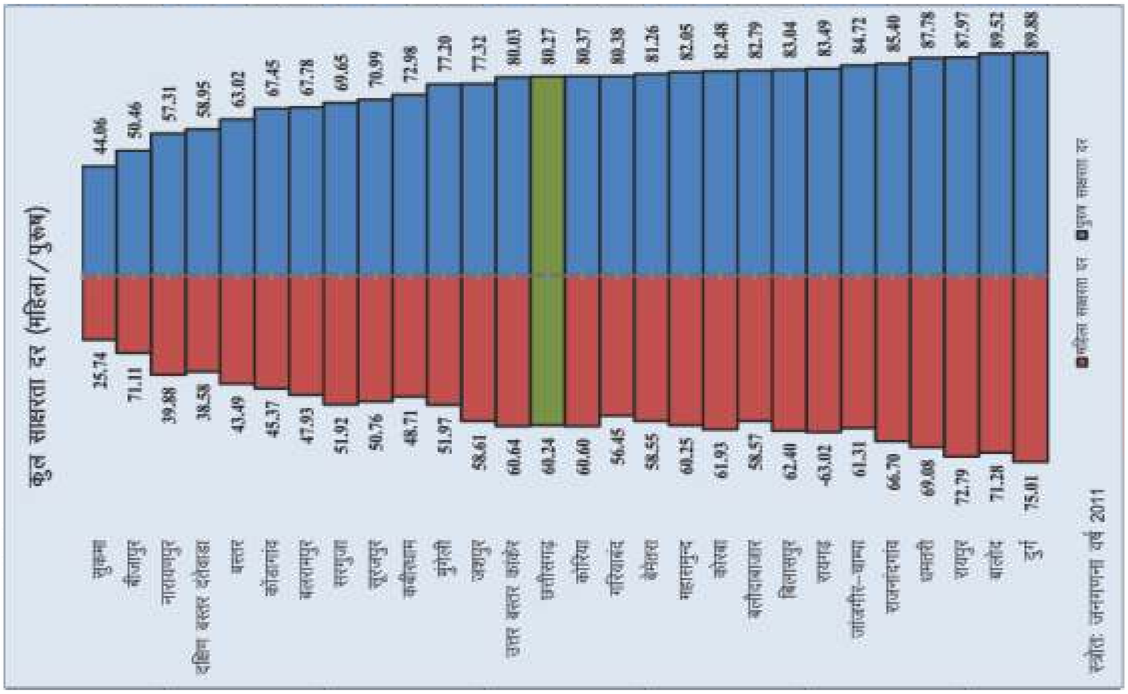
कुल साक्षरता दर (महिला/पुरूष)
महिला साक्षरता दर
पुरूष साक्षरता दर
स्रोतः जनगणना वर्ष 2011

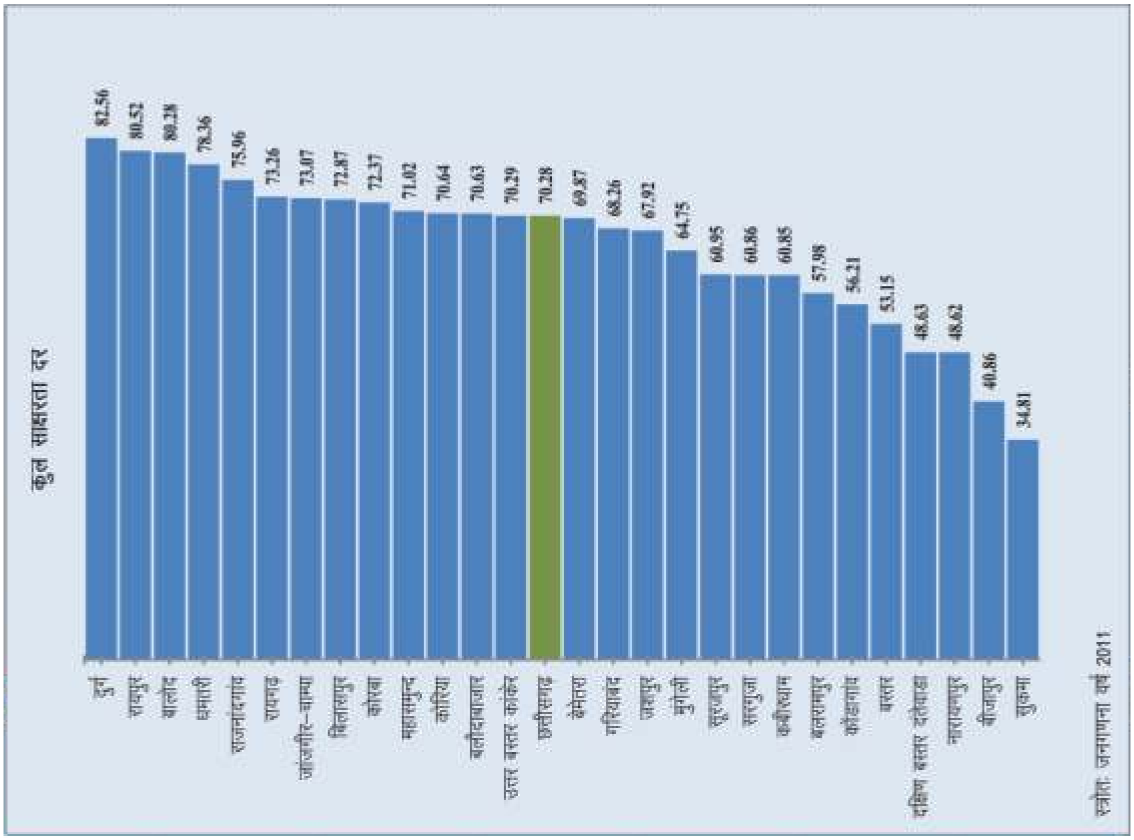
कुल साक्षरता दर
स्रोतः जनगणना वर्ष 2011

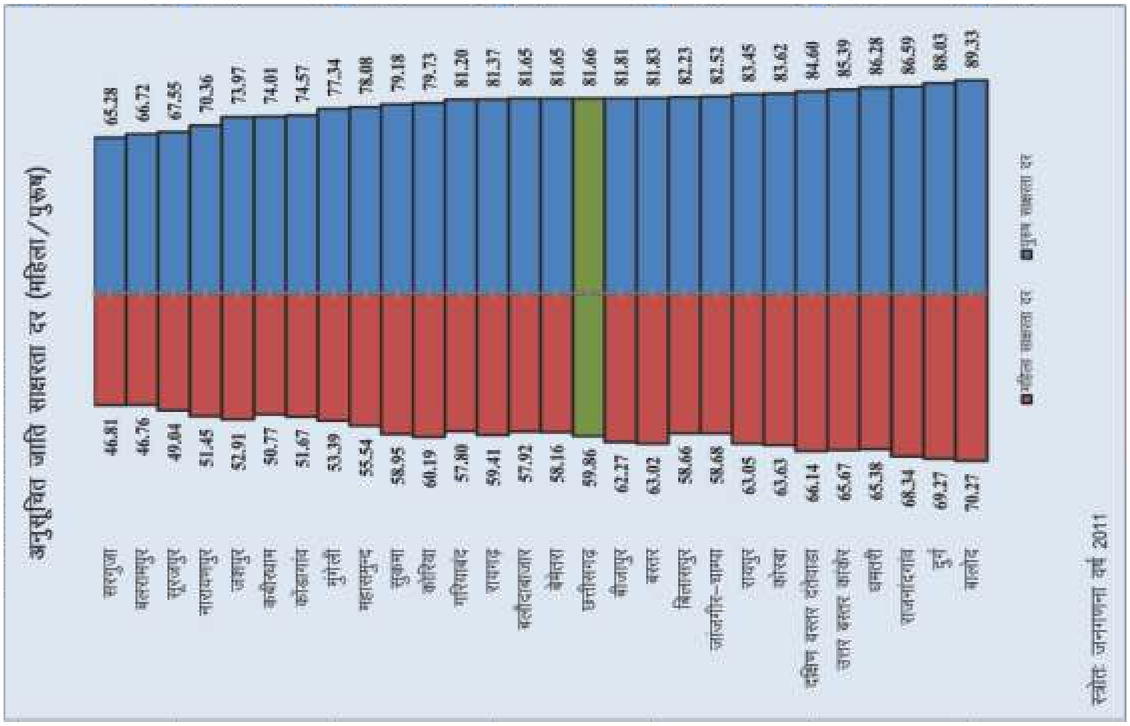
अनुसूचित जाति साक्षरता दर (महिला/पुरुष)
सरगुजा 46.81 65.28
बलरामपुर 46.76 66.72
सूरजपुर 49.04 67.55
नारायणपुर 51.45 70.36
जशपुर 52.91 73.97
कबीरधाम 50.77 74.01
कोंडागांव 51.67 74.57
मुंगेली 53.39 77.34
महासमुंद 55.54 78.08
सुकमा 58.95 79.18
कोरिया 60.19 79.73
गरियाबंद 57.80 81.20
रायगढ़ 59.41 81.37
बलौदाबाजार 57.92 81.65
बेमेतरा 58.16 81.65
छत्तीसगढ़ 59.86 81.66
बीजापुर 62.27 81.81
बस्तर 63.02 81.83
बिलासपुर 58.66 82.23
जांजगीर–चाम्पा 58.68 82.52
रायपुर 63.05 83.45
कोरबा 63.63 83.62
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 66.14 84.60
उत्तर बस्तर कांकेर 65.67 85.39
धमतरी 65.38 86.28
राजनांदगांव 68.34 86.59
दुर्ग 69.27 88.03
बालोद 70.27 89.33
महिला साक्षरता दर
पुरुष साक्षरता दर
स्रोत: जनगणना वर्ष 2011

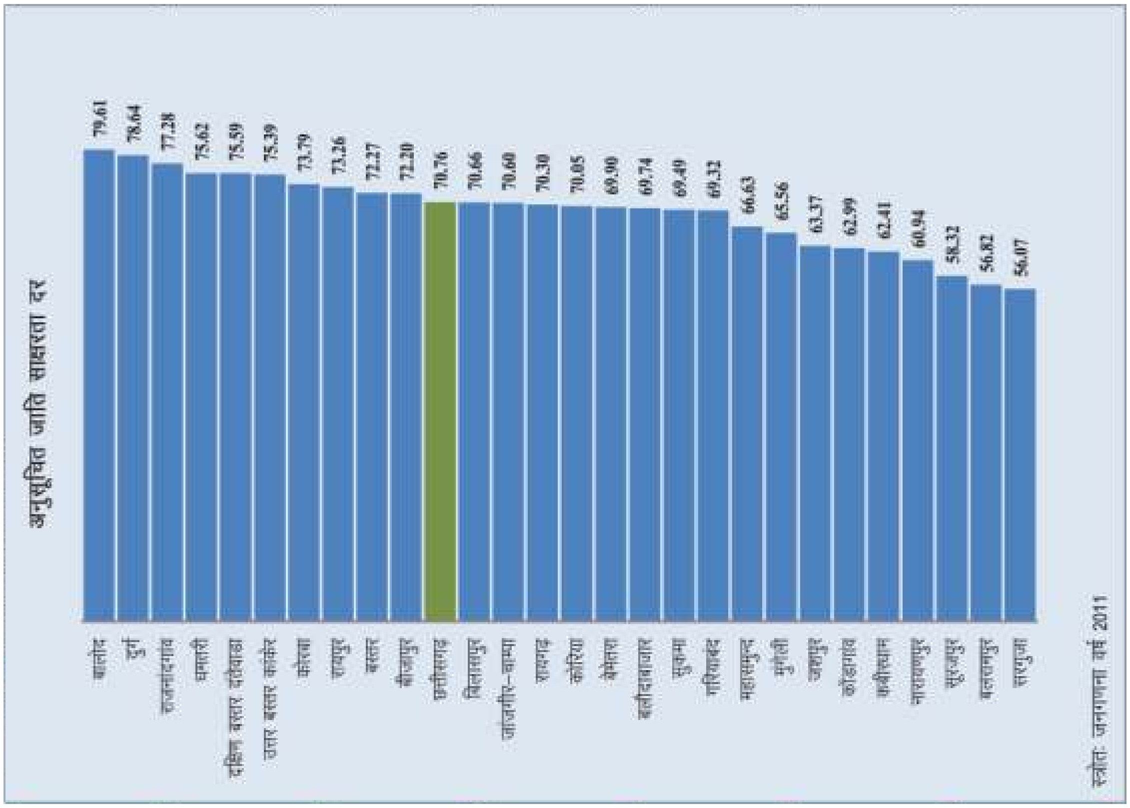
अनुसूचित जाति साक्षरता दर
बालोद 79.61
दुर्ग 78.64
राजनांदगांव 77.28
धमतरी 75.62
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 75.59
उत्तर बस्तर कांकेर 75.39
कोरबा 73.79
रायपुर 73.26
बस्तर 72.27
बीजापुर 72.20
छत्तीसगढ़ 70.76
बिलासपुर 70.66
जांजगीर–चाम्पा 70.60
रायगढ़ 70.30
कोरिया 70.05
बेमेतरा 69.90
बलौदाबाजार 69.74
सुकमा 69.49
गरियाबंद 69.32
महासमुंद 66.63
मुंगेली 65.56
जशपुर 63.37
कोंडागांव 62.99
कबीरधाम 62.41
नारायणपुर 60.94
सूरजपुर 58.32
बलरामपुर 56.82
सरगुजा 56.07
स्रोत: जनगणना वर्ष 2011

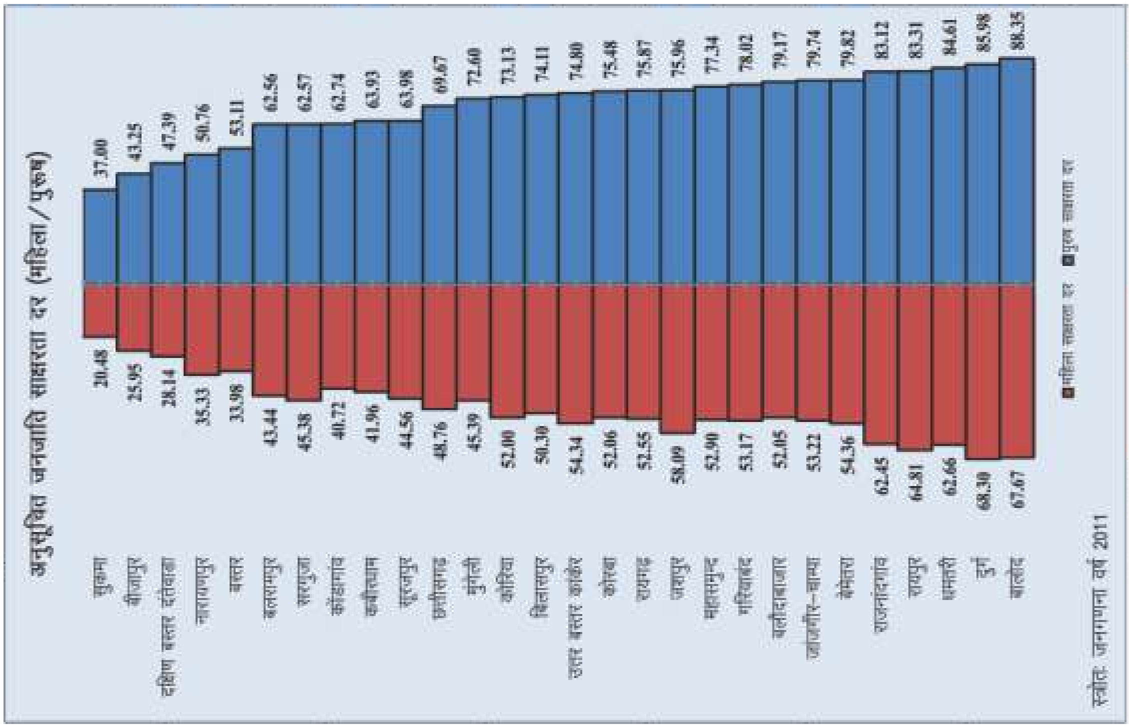
अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर (महिला/पुरुष)
महिला साक्षरता दर
पुरुष साक्षरता दर
स्त्रोत: जनगणना वर्ष 2011

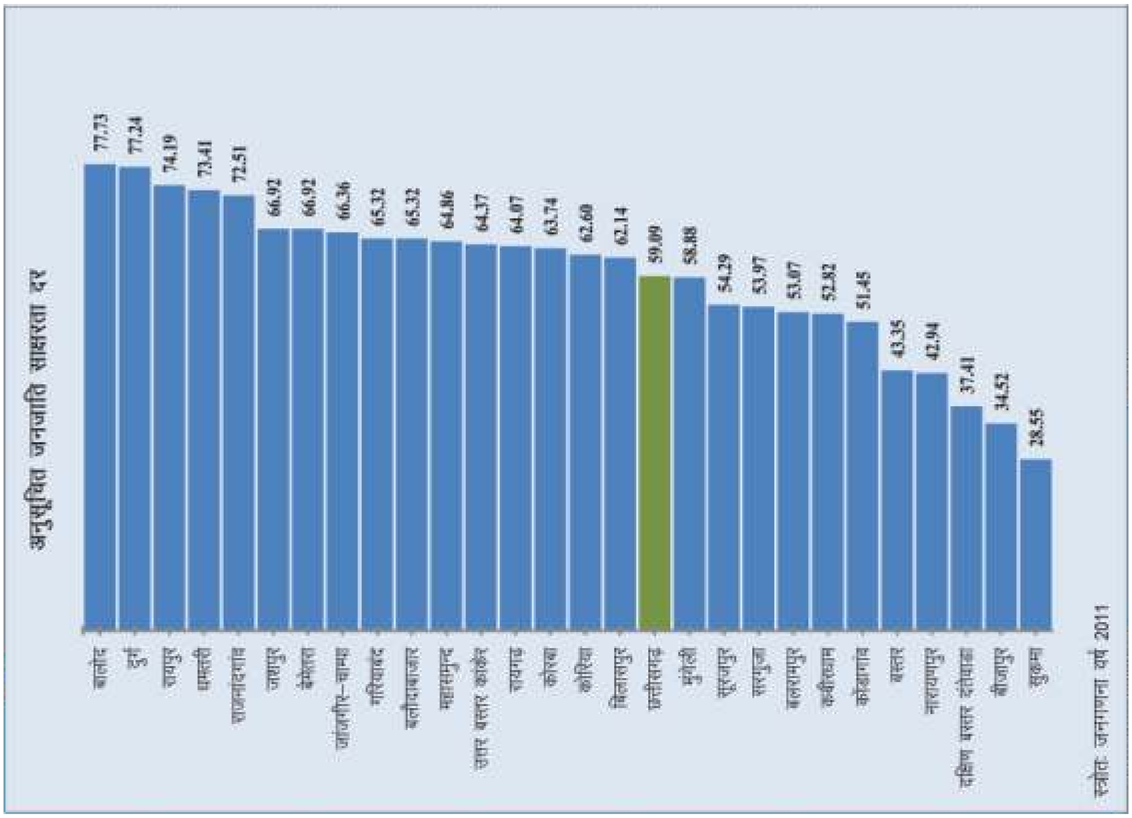
अनुसूचित जनजाति साक्षरता दर
स्त्रोत: जनगणना वर्ष 2011

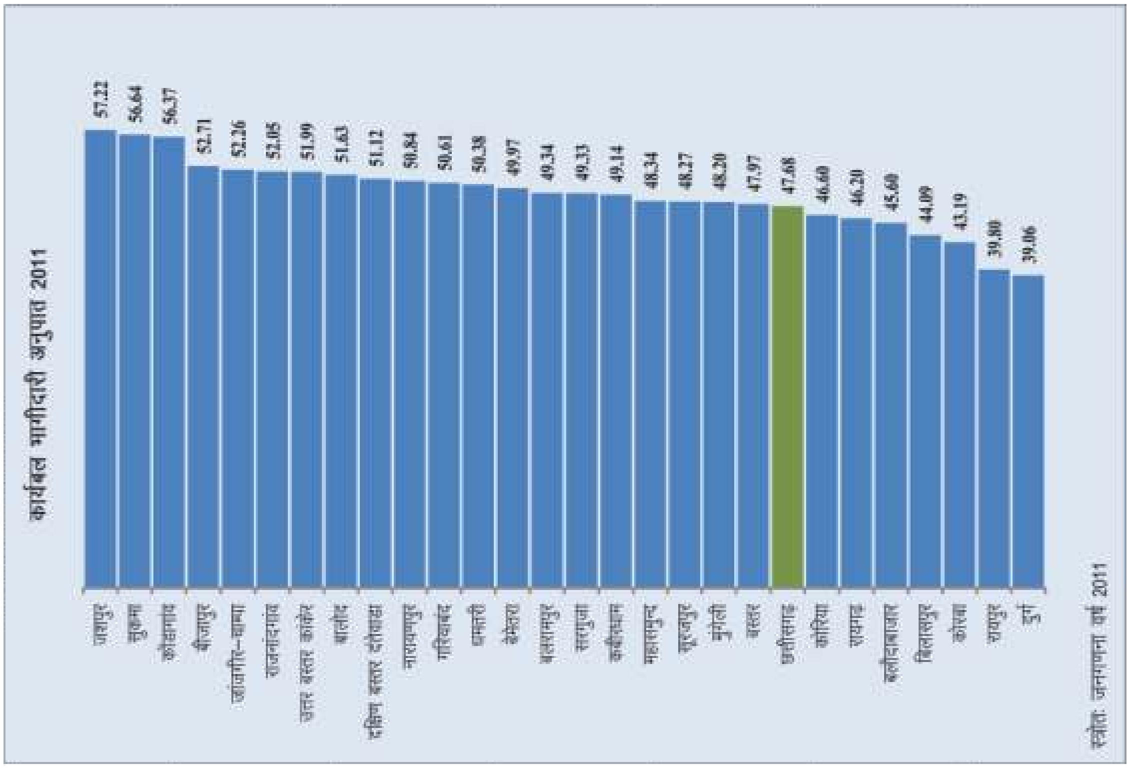
कार्यबल भागीदारी अनुपात 2011
जशपुर 57.22
सुकमा 56.64
कोंडागांव 56.37
बीजापुर 52.71
जांजगीर–चाम्पा 52.26
राजनांदगांव 52.05
उत्तर बस्तर कांकेर 51.99
बालोद 51.63
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 51.12
नारायणपुर 50.84
गरियाबंद 50.61
धमतरी 50.38
बेमेतरा 49.97
बलरामपुर 49.34
सरगुजा 49.33
कबीरधाम 49.14
महासमुंद 48.34
सूरजपुर 48.27
मुंगेली 48.20
बस्तर 47.97
छत्तीसगढ़ 47.68
कोरिया 46.60
रायगढ़ 46.20
बलौदाबाजार 45.60
बिलासपुर 44.09
कोरबा 43.19
रायपुर 39.80
दुर्ग 39.06
स्रोतः जनगणना वर्ष 2011

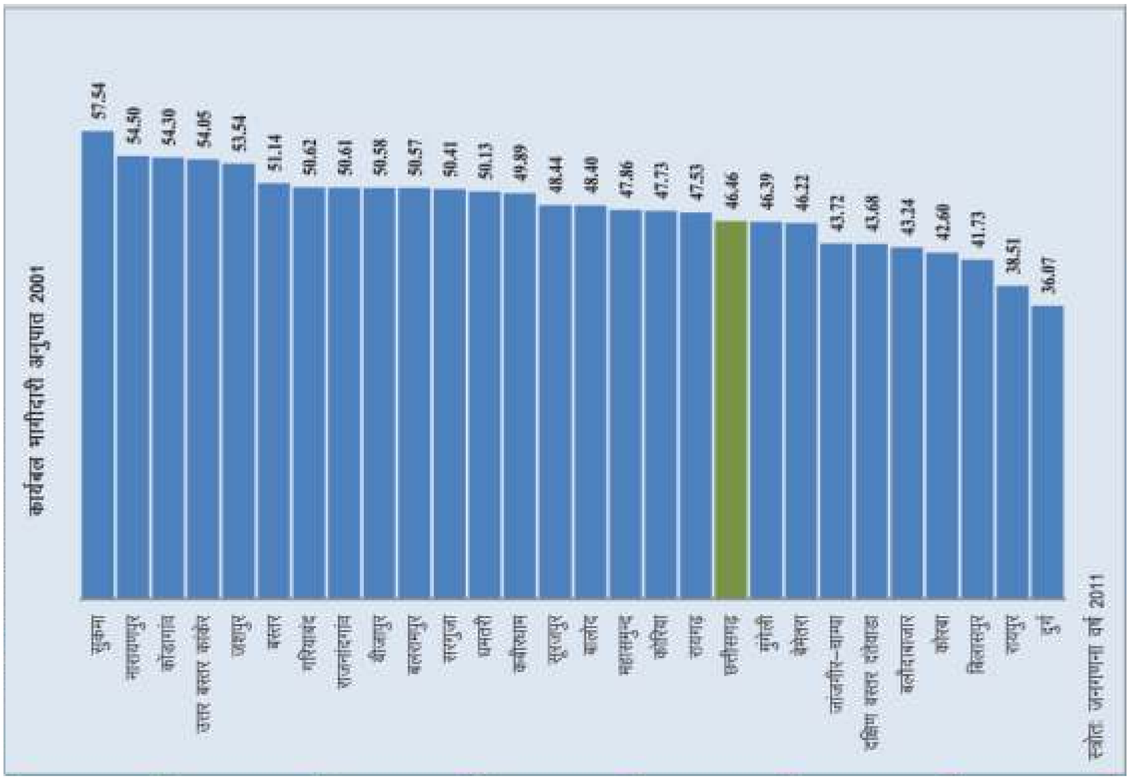
कार्यबल भागीदारी अनुपात 2001
सुकमा 57.54
नारायणपुर 54.50
कोंडागांव 54.30
उत्तर बस्तर कांकेर 54.05
जशपुर 53.54
बस्तर 51.14
गरियाबंद 50.62
राजनांदगांव 50.61
बीजापुर 50.58
बलरामपुर 50.57
सरगुजा 50.41
धमतरी 50.13
कबीरधाम 49.89
सूरजपुर 48.44
बालोद 48.40
महासमुंद 47.86
कोरिया 47.73
रायगढ़ 47.53
छत्तीसगढ़ 46.46
मुंगेली 46.39
बेमेतरा 46.22
जांजगीर–चाम्पा 43.72
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 43.68
बलौदाबाजार 43.24
कोरबा 42.60
बिलासपुर 41.73
रायपुर 38.51
दुर्ग 36.07
स्रोतः जनगणना वर्ष 2011

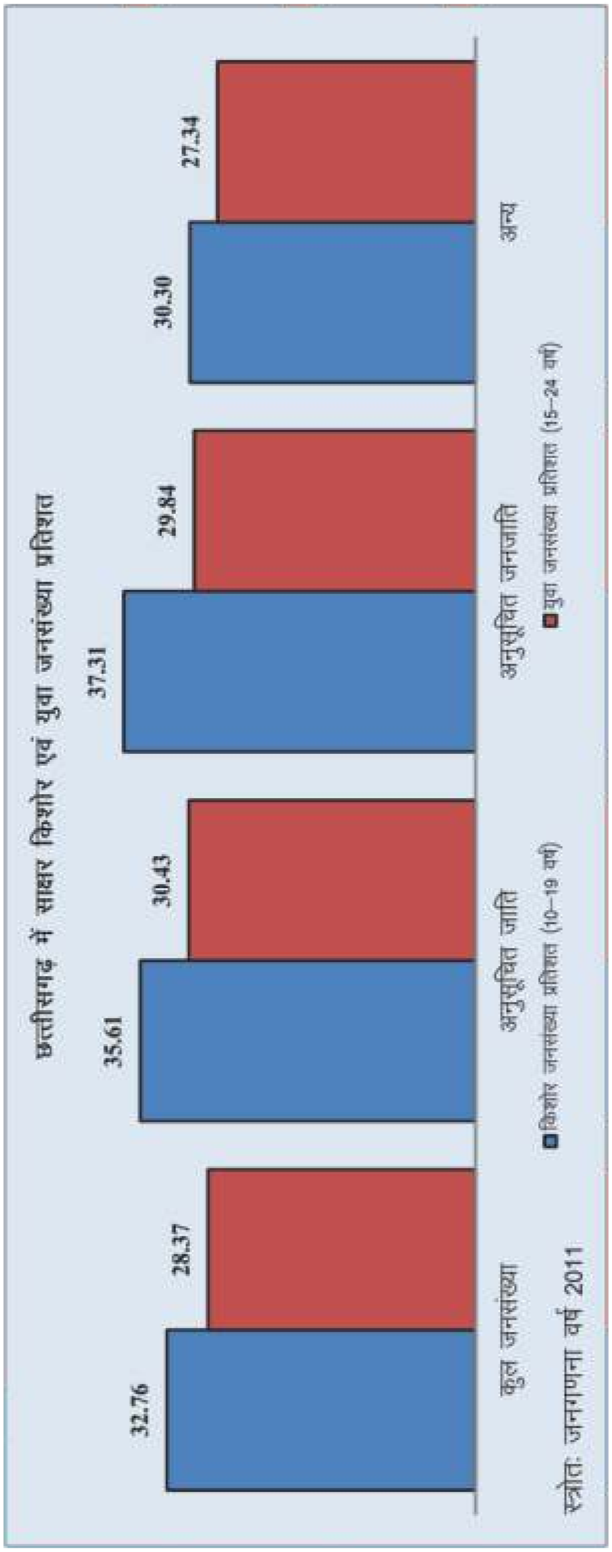
छत्तीसगढ़ में साक्षर किशोर एवं युवा जनसंख्या प्रतिशत
32.76
28.37
35.61
30.43
37.31
29.84
30.30
27.34
कुल जनसंख्या
अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति
अन्य
किशोर जनसंख्या प्रतिशत (10–19 वर्ष)
युवा जनसंख्या प्रतिशत (15–24 वर्ष)
स्रोतः जनगणना वर्ष 2011

युवा एवं किशोर जनसंख्या												
कुल												
आयु समूह	कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य जनसंख्या		
	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10-14	11.29	11.39	11.19	12.00	12.09	11.92	11.70	11.89	11.52	10.90	10.96	10.84
15-19	10.18	10.28	10.07	10.80	11.03	10.57	9.97	10.01	9.92	10.15	10.26	10.04
20-24	9.35	9.30	9.41	9.57	9.58	9.55	9.02	8.84	9.19	9.49	9.48	9.50
किशोर जनसँख्या (10–19)	21.47	21.67	21.26	22.81	23.12	22.49	21.67	21.90	21.44	21.05	21.22	20.89
युवा जनसँख्या (15–24)	19.53	19.58	19.48	20.37	20.62	20.12	18.99	18.85	19.12	19.64	19.73	19.54
ग्रामीण												
10-14	11.68	11.79	11.56	12.30	12.39	12.20	11.69	11.89	11.49	11.51	11.56	11.46
15-19	10.19	10.30	10.08	10.73	11.00	10.47	9.83	9.88	9.78	10.32	10.43	10.20
20-24	9.05	9.03	9.06	9.21	9.30	9.13	8.88	8.70	9.05	9.13	9.21	9.05
किशोर जनसँख्या (10–19)	21.87	22.09	21.64	23.03	23.39	22.67	21.52	21.78	21.27	21.83	21.99	21.66
युवा जनसँख्या (15–24)	19.24	19.34	19.14	19.95	20.30	19.60	18.71	18.58	18.83	19.44	19.64	19.25
शहरी												
10-14	10.01	10.08	9.93	11.04	11.09	10.98	11.89	11.86	11.91	9.60	9.70	9.49
15-19	10.14	10.22	10.05	11.02	11.15	10.89	11.64	11.58	11.69	9.79	9.89	9.69
20-24	10.37	10.15	10.59	10.73	10.52	10.94	10.74	10.53	10.94	10.26	10.05	10.49
किशोर जनसँख्या (10–19)	20.15	20.30	19.99	22.06	22.24	21.88	23.52	23.44	23.60	19.39	19.59	19.18
युवा जनसँख्या (15–24)	20.50	20.37	20.64	21.75	21.67	21.83	22.37	22.11	22.63	20.06	19.94	20.18

स्त्रोतः जनगणना वर्ष 2011

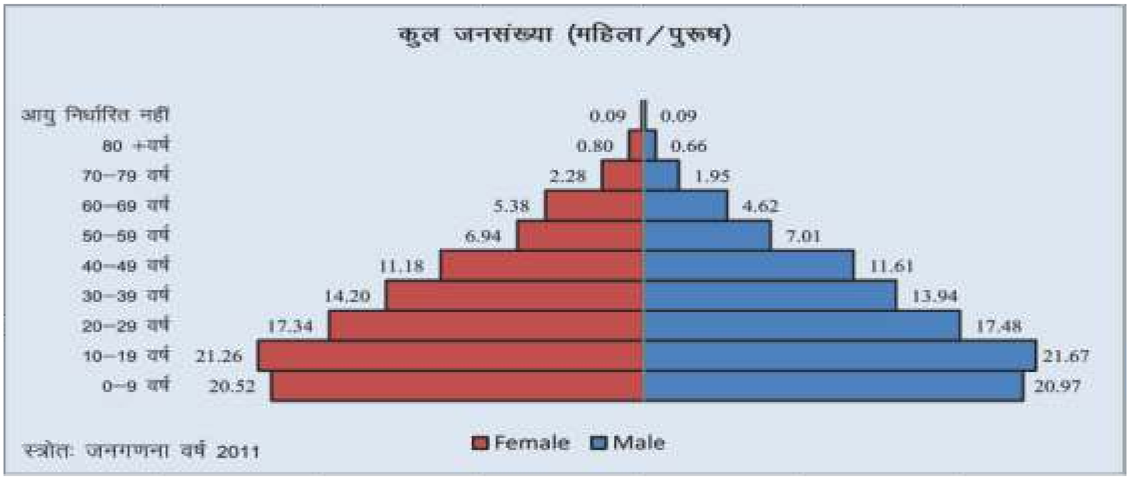
कुल जनसंख्या (महिला/पुरूष)
आयु निर्धारित नही
80 +वर्ष
70-79 वर्ष
60-69 वर्ष
50-59 वर्ष
40-49 वर्ष
30-39 वर्ष
20-29 वर्ष
10-19 वर्ष
0-9 वर्ष
0.09
0.80
2.28
5.38
6.94
11.18
14.20
17.34
21.26
20.52
0.09
0.66
1.95
4.62
7.01
11.61
13.94
17.48
21.67
20.97
Female
Male
स्त्रोत: जनगणना वर्ष 2011

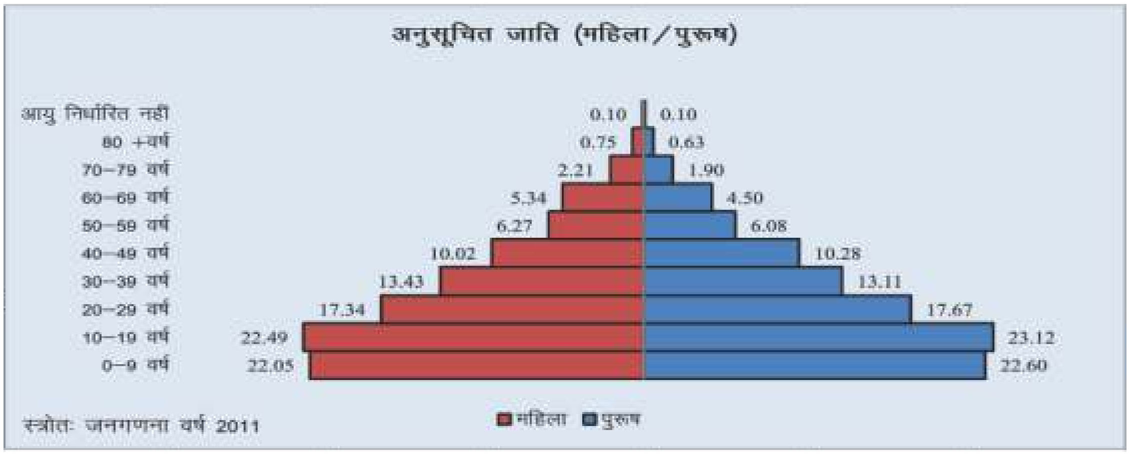
अनुसूचित जाति (महिला/पुरूष)
आयु निर्धारित नही
80 +वर्ष
70-79 वर्ष
60-69 वर्ष
50-59 वर्ष
40-49 वर्ष
30-39 वर्ष
20-29 वर्ष
10-19 वर्ष
0-9 वर्ष
0.10
0.75
2.21
5.34
6.27
10.02
13.43
17.34
22.49
22.05
0.10
0.63
1.90
4.50
6.08
10.28
13.11
17.67
23.12
22.60
महिला
पुरूष
स्त्रोत: जनगणना वर्ष 2011

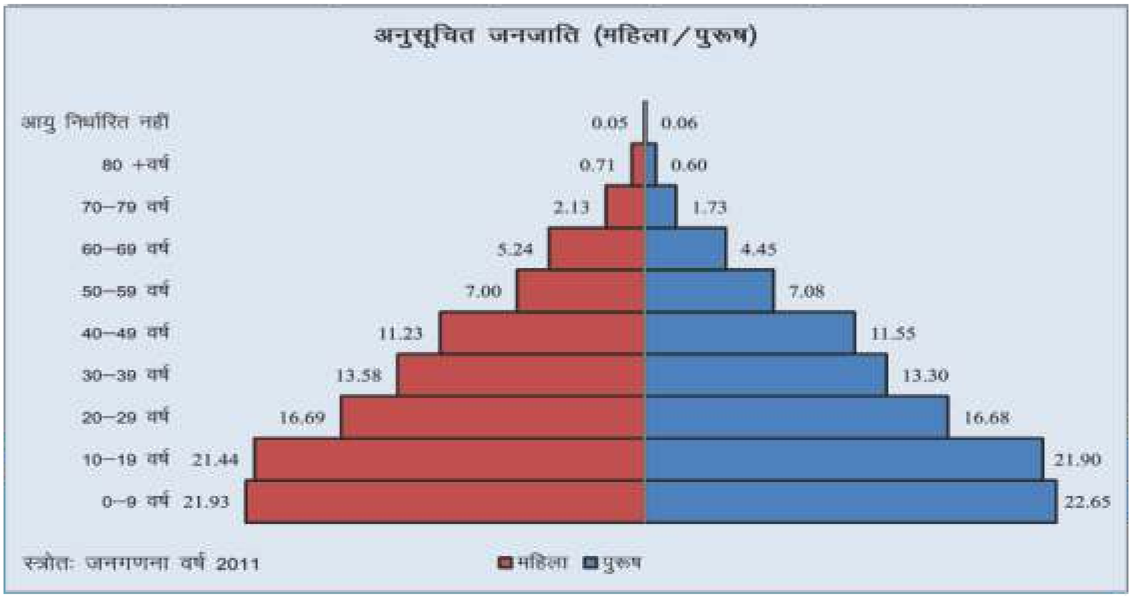
अनुसूचित जनजाति (महिला/पुरूष)
आयु निर्धारित नही
80 +वर्ष
70-79 वर्ष
60-69 वर्ष
50-59 वर्ष
40-49 वर्ष
30-39 वर्ष
20-29 वर्ष
10-19 वर्ष
0-9 वर्ष
0.05
0.71
2.13
5.24
7.00
11.23
13.58
16.69
21.44
21.93
0.06
0.60
1.73
4.45
7.08
11.55
13.30
16.68
21.90
22.65
महिला
पुरूष
स्त्रोत: जनगणना वर्ष 2011

राज्यीय आय

03

राज्यीय आय

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2021–22 के प्रचलित भावों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में 4,00,06,080 लाख रू. अनुमानित है जो कि वर्ष 2020–21 से 13.60 प्रतिशत अधिक है।

- वर्ष 2021–22 के स्थिर भाव (2011–12) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर 2,78,49,636 लाख रू. अनुमानित है जो कि वर्ष 2020–21 से 11.54 प्रतिशत अधिक है।

- राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 के लिए स्थिर भाव (2011–12) पर कृषि 3.88, उद्योग 15.44, सेवा 8.54 प्रतिशत अनुमानित है।

- वर्ष 2021–22 में अखिल भारत के सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर स्थिर भाव (2011–12) में 9.2 प्रतिशत वृद्धि जिसमें कृषि क्षेत्र का 3.89, उद्योग क्षेत्र में 11.83 एवं सेवा क्षेत्र में 8.24 प्रतिशत वृद्धि (आधार मूल्यों पर) अनुमानित।

- पिछले 5 वर्षों की भांति उद्योग क्षेत्र का योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव (2011–12) वर्ष 2021–22 में सर्वाधिक 50.61 प्रतिशत होना अनुमानित।

- वर्ष 2020–21 की तुलना में 2021–22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव (2011–12) में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रेलवे (29.14) प्रक्षेत्र एवं न्यूनतम स्टोरेज (1.33) प्रक्षेत्र में संभावित है।

- प्रति व्यक्ति आय (निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर) छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021–22 के अग्रिम अनुमान अनुसार 1,18,401 रू. वहीं अखिल भारत के लिए यह 1,50,326 रू. अनुमानित।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान वर्ष 2021–22 के लिए आधार वर्ष (2011–12) एवं प्रचलित भावों पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार अनुमानित किये गये है। यह अनुमान तालिका कमांक 3.1 से 3.14 में दर्शाये गये है।

राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बेंचमार्क सूचकांक दृष्टिकोण के आधार पर तैयार किये जाते है। क्षेत्रवार अनुमान तैयार करने के लिए सूचकांको से बाह्यगणन के आधार पर किया जाता है। जैसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 8–9 माह के थोक मूल्य सूचकांक, कृषि फसलों के प्रथम अग्रिम अनुमान, पशुधन के उत्पादन लक्ष्य, वानिकी विभाग के लक्ष्य, सूचीबद्ध कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन की प्रवृत्ति, राज्य सरकार के बजट लेखा, बिक्रीकर/जीएसटी, बैंक के अग्रिम एवं केडिट लेखा, रेल्वे तथा वायु यातायात आगम निर्गत यात्री संख्या, स्टाम्प शुल्क, पंजीकृत वाहनों की संख्या की जानकारी आदि।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान (2021–22), स्थिर भाव (2011–12) पर

3.1 अग्रिम अनुमान – वर्ष 2021–22 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान उपलब्ध प्रवृत्तियों एवं सूचकाँकों पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2021–22 का अग्रिम अनुमान बाजार भाव में स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011–12) पर रु. 2,78,49,636 लाख अनुमानित है जो की गत वर्ष 2020–21से 11.54 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। क्षेत्रवार अनुमान तालिका 3.1 में दिये गये हैं।

तालिका 3.1 छत्तीसगढ : क्षेत्रवार अनुमान : स्थिर भाव (2011–12) (लाख रु.में)

समूह	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
कृषि, वानिकी, पशुधन और मछली उद्योग	3750127	3341450	3792163	3913808	4128268	4288244
उद्योग (खनन, उत्खनन सहित)	8940226	9772387	11364441	11692713	11237860	12973041
सेवाएँ	6775483	6896577	7169797	7760487	7713146	8371857
सकल राज्य घेरलू उत्पाद मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	19465836	20010414	22326401	23367008	23079274	25633142
उत्पाद शुल्क (जोड़)–.सब्सिडी	1904642	2003155	2170335	1948184	1889046	2216494
सकल राज्य घेरलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	21370478	22013569	24496736	25315192	24968320	27849636

छत्तीसगढ़ : क्षेत्रवार अनुमान : स्थिर भाव (2011–12) (लाख रु.में)

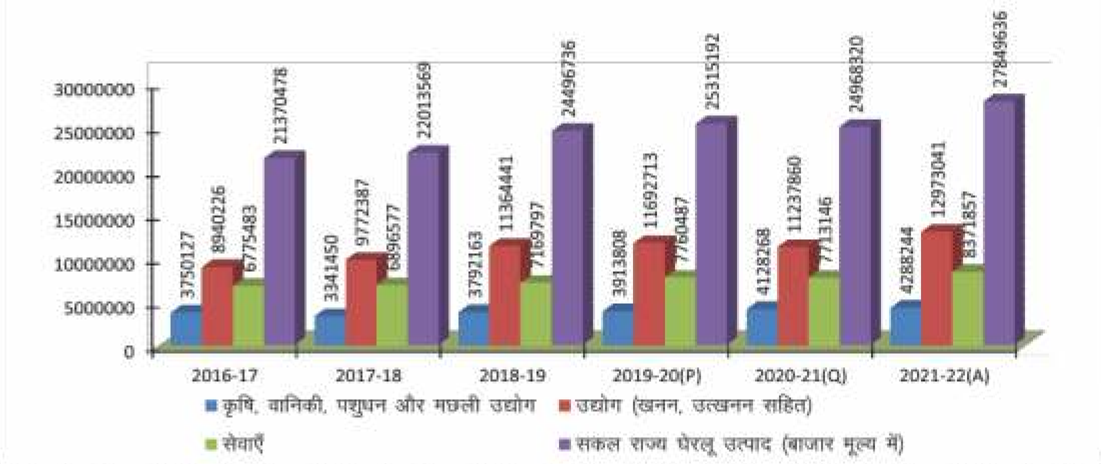

तालिका 3.2 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव (वर्ष 2011–12) पर क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर					
उद्योग समूह	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
कृषि, वानिकी, पशुधन और मछली उद्योग	-10.90	13.49	3.21	5.48	3.88
उद्योग (खनन, उत्खनन सहित)	9.31	16.29	2.89	-3.89	15.44
सेवाएँ	1.79	3.96	8.24	-0.61	8.54
सकल राज्य घरेलू उत्पाद मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	2.80	11.57	4.66	-1.23	11.07
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	3.01	11.28	3.34	-1.37	11.54

छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव (वर्ष 2011–12) पर क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर

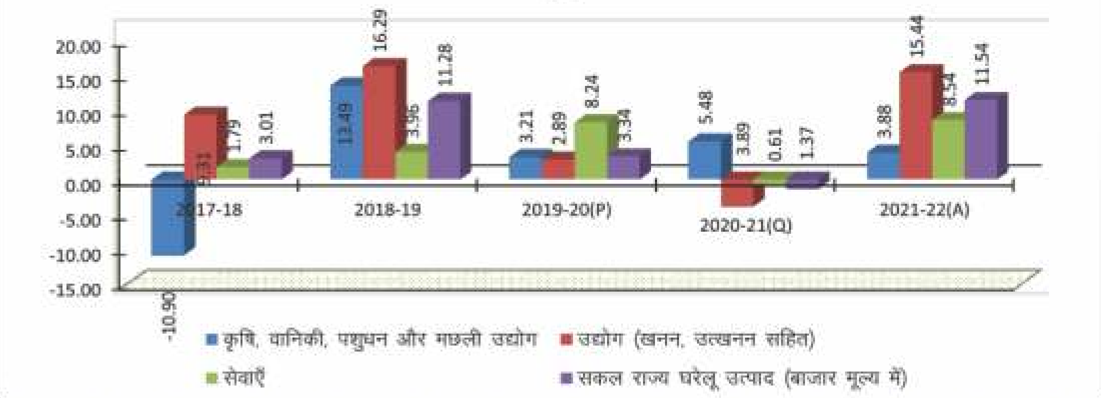

तालिका 3.3 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा–स्थिर भावों (वर्ष 2011–12) पर						
उद्योग समूह	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
कृषि, वानिकी, पशुधन और मछली उद्योग	19.27	16.70	16.99	16.75	17.89	16.73
उद्योग	45.93	48.84	50.90	50.04	48.69	50.61
सेवाएँ	34.81	34.46	32.11	33.21	33.42	32.66

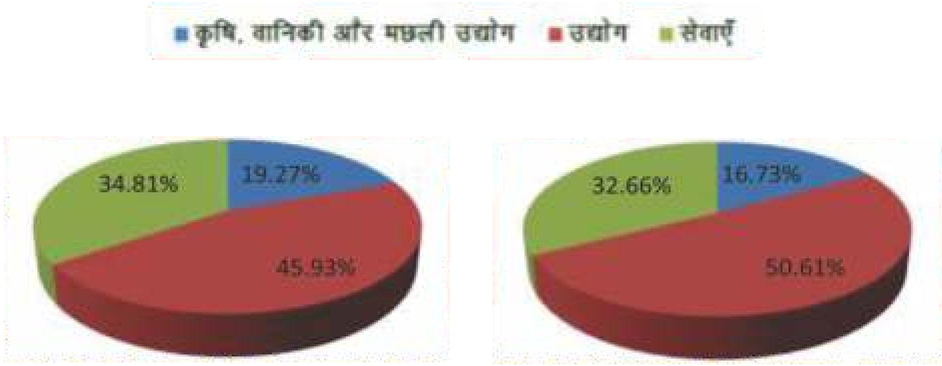

2016-17 2021-22 (A)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान (2021–22), प्रचलित भाव पर

3.2 अग्रिम अनुमान – वर्ष 2021–22 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान उपलब्ध प्रवृत्तियों एवं सूचकाँकों पर आधारित है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2021–22 का अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में प्रचलित भाव पर रु. 4,00,06,080 लाख अनुमानित है जो की गत वर्ष 2020–21 से 13.60 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। क्षेत्रवार अनुमान निम्नांकित तालिका में दिये गये हैं।

तालिका 3.4 छत्तीसगढ़ : क्षेत्रवार अनुमान : प्रचलित भाव पर (लाख रु.में)

समूह	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
कृषि, वानिकी, पशुधन और मछली उद्योग	5429526	5197657	6346941	6945715	7465158	8131656
उद्योग	9985131	11399677	13477002	13619684	13598543	15947304
सेवाएँ	8739937	9329384	10845257	11518800	11853778	13191967
सकल राज्य घरेलू उत्पाद मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	24154594	25926718	30169200	32084199	32917479	37270927
उत्पाद शुल्क (जोड़)–.सब्सिडी	2125581	2299911	2600061	2372888	2298591	2735153
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	26280175	28226629	32769261	34457087	35216070	40006080

तालिका 3.5 प्रचलित भाव पर प्रतिशत् वृद्धि दर

उद्योग समूह	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
कृषि, वानिकी, पशुधन और मछली उद्योग (अ)	-4.27	22.11	9.43	7.48	8.93
उद्योग (ब)	14.17	18.22	1.06	-0.16	17.27
सेवाएँ (स)	6.74	10.89	11.34	2.91	11.29
उत्पाद शुल्क (जोड़)–.सब्सिडी	7.34	16.36	6.35	2.60	13.23
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य में)	7.41	16.09	5.15	2.20	13.60

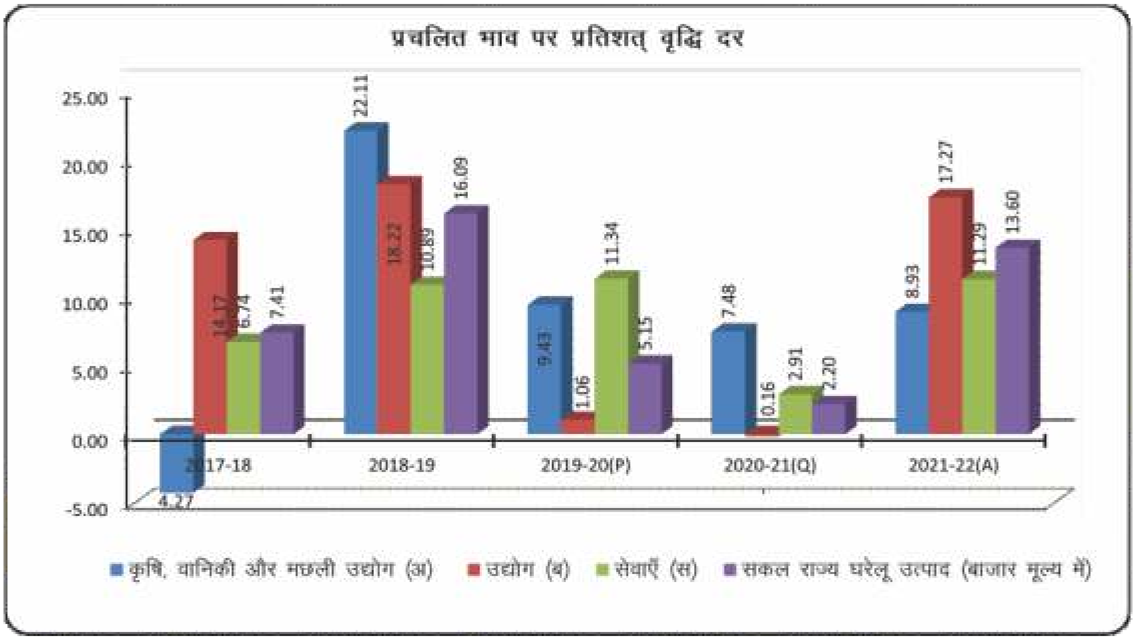

तालिका 3.6 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा– प्रचलित भाव पर						
उद्योग समूह	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
कृषि, वानिकी, पशुधन और मछली उद्योग	22.48	20.05	21.04	21.65	22.68	21.82
उद्योग	41.34	43.97	44.67	42.45	41.31	42.79
सेवाएँ	36.18	35.98	34.29	35.90	36.01	35.39

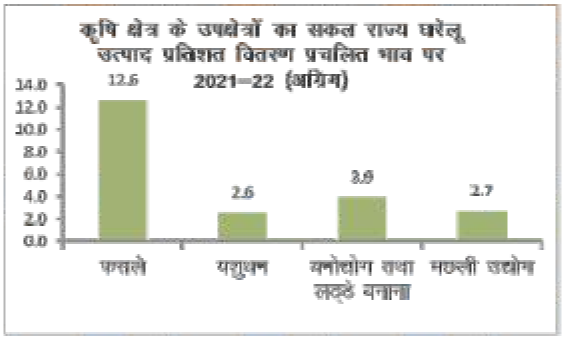

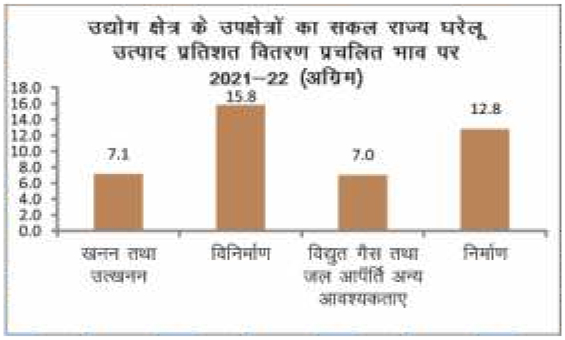

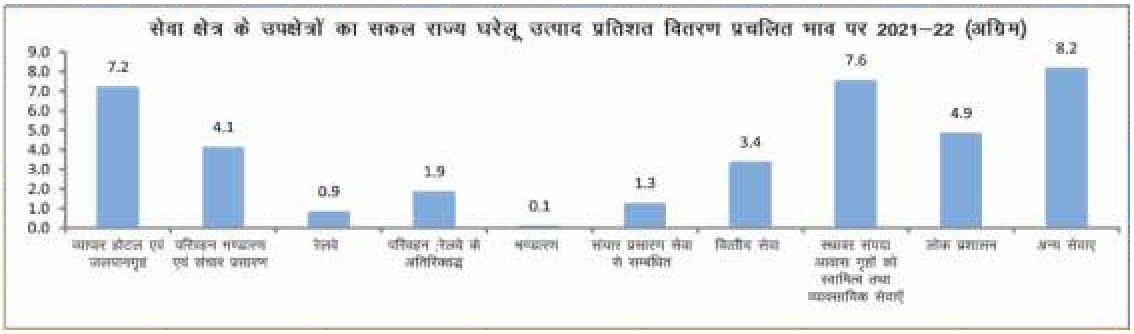

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2020—21 (त्वरित)

3.3 स्थिर भाव — सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2020—21 के लिए स्थिर मूल्यों (2011—12) पर त्वरित अनुमान बाजार मूल्य पर रु. 2, 49, 68, 320 लाख है। जो कि वर्ष 2019—20 के अनुमानों -1.37 प्रतिशत कुल अर्थव्यवस्था में कमी आंकलित है।

3.3.1 कृषि क्षेत्र— स्थिर भाव पर वर्ष 2020—21 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि 5.48 प्रतिशत पूर्व वर्ष 2019—20 की तुलना में परिलक्षित हुई है, इस क्षेत्र के अंतर्गत फसलों में 7.76, मत्स्य क्षेत्र में 7.34 रही जबकि वानिकी एवं पशुधन क्षेत्र में कमशः 0.96 एवं -1.98 प्रतिशत की वृद्धि / कमी अनुमानित है।

3.3.2 उद्योग क्षेत्र— उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2020—21 में -3.89 प्रतिशत कमी अनुमानित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत, गैस एवं जल प्रदाय क्षेत्र में -1.76 प्रतिशत कमी, विनिर्माण क्षेत्र में 0.05 प्रतिशत वृद्धि, निर्माण गतिविधियों में -8.28 प्रतिशत कमी ऑकलित है, जबकि खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में –8. 96 प्रतिशत कमी दर्ज की गयी।

3.3.3 सेवा क्षेत्र— सेवा क्षेत्र के अधिकांश अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रदाय किये जाते हैं। अतः इस उप क्षेत्र के प्रारंभिक अनुमानों के लिये प्रवृत्तियों एवं अन्य परिणामों के आधार पर अनुमान तैयार किये जाते है। सेवा क्षेत्र वर्ष 2020—21 के दौरान -0.61 प्रतिशत कमी आंकलित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अधिकतम हिस्सेदारी 7.08 प्रतिशत स्थावर सम्पदा इत्यादि क्षेत्र का हैं, जिसमें कि -0.53 प्रतिशत कमी हुई। द्वितीय स्थान अन्य सेवाऐं क्षेत्र का रहा जिसका हिस्सा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.96 प्रतिशत रहा, जिसमें कि 2.50 प्रतिशत वृद्धि हुई। परिवहन, भण्डार एवं संचार क्षेत्र में कमी -2.59 प्रतिशत हुई।

3.4 प्रचलित भाव — सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2020—21 बाजार मूल्य प्रचलित भावों पर रु. 3, 52, 16, 070 लाख है, जो की पिछले वर्ष 2019—20 की तुलना में 2.20 प्रतिशत अधिक है।

3.4.1 कृषि क्षेत्र— प्रचलित भाव पर वर्ष 2020—21 के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 7.48 प्रतिशत पूर्व वर्ष 2019—20 की तुलना में वृद्धि परिलक्षित हुई हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत फसलों में 9.79 प्रतिशत, मत्स्य क्षेत्र में 11.43 प्रतिशत, वानिकी एवं पशुधन क्षेत्र में कमशः 1.04 एवं 3.42 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

3.4.2 उद्योग क्षेत्र— प्रचलित भाव पर उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2020—21 में -0.16 प्रतिशत कमी अनुमानित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत, गैस एवं जल प्रदाय क्षेत्र में -2.44 प्रतिशत कमी, विनिर्माण क्षेत्र में 2.31 प्रतिशत वृद्धि, निर्माण गतिविधियों में -6.59 प्रतिशत कमी ऑकलित है, जबकि खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में 9.36 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी।

3.4.3 सेवा क्षेत्र– सेवा क्षेत्र के अधिकांश अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रदाय किये जाते है। अतः इस उप क्षेत्र के प्रारंभिक अनुमानों के लिये प्रवृत्तियों एवं अन्य परिणामों के आधार पर अनुमान तैयार किये जाते है। सेवा क्षेत्र वर्ष 2020–21 के दौरान 2.91 प्रतिशत वृद्धि आंकलित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य उपक्षेत्र यथा– स्थावर सम्पदा इत्यादि क्षेत्र में 1.22 प्रतिशत वृद्धि, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह क्षेत्र में -0.39 प्रतिशत कमी एवं परिवहन, भण्डार एवं संचार क्षेत्र में -1.70 प्रतिशत कमी हुई।

3.5 निवल राज्य घरेलू उत्पाद–वर्ष 2020–21 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों (बाजार मूल्य) पर अनुमानों के अनुसार रू. 3,15,01,713 लाख अनुमानित है, जो कि वर्ष 2019–20 के अनुमान की तुलना में 1.81 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। स्थिर भावों में वर्ष 2020–21 बाजार मूल्य पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान रू. 2,20,42,483 लाख आंकलित है, जो कि वर्ष 2019–20 की तुलना में -1.77 प्रतिशत कमी दर्शाता है।

3.6 प्रति व्यक्ति आय– प्रति व्यक्ति आय, निवल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रोजेक्टेड जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। वर्ष 2021–22 में प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रचलित भावों पर) बाजार मूल्य पर रू. 1,18,401 अनुमानित है, जबकि वर्ष 2020–21 में प्रति व्यक्ति आय रू. 1,05,778 है। वर्ष 2021–22 में प्रति व्यक्ति आय में 11.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता हैं। वर्ष 2014–15 से 2021–22 की प्रति व्यक्ति आय निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका 3.7 प्रति व्यक्ति आय रुपये में

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
प्रति व्यक्ति आय (रु.)	72936	72991	83285	88627	102227	105570	105778	118401

तालिका 3.8 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद– प्रचलित भाव पर

(लाख रुपये में)

क्र.	उद्योग समूह	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (प्र.)	2020-21 (त्व.)	2021-22 (अ.)
1.1	फसलें	3372989	2940525	3609901	3918768	4302323	4713734
1.2	पशुपालन	434543	571052	750524	821307	849419	954804
1.3	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	1140125	1065607	1270717	1388399	1402799	1453815
1.4	मछली उद्योग	481869	620473	715799	817241	910617	1009303
1.5	खनन तथा उत्खनन	2014982	2232979	2418579	2114334	2312145	2661939
A	**योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**7444508**	**7430636**	**8765520**	**9060049**	**9777303**	**10793595**
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	**5429526**	**5197657**	**6346941**	**6945715**	**7465158**	**8131656**
2	विनिर्माण	3102774	3724512	4805472	4922893	5036512	5897521
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	1828800	2046015	2201265	2443350	2383716	2615887
4	निर्माण	3038575	3396171	4051686	4139107	3866176	4771957
B	**योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**7970149**	**9166698**	**11058423**	**11505350**	**11286398**	**13285365**
	उद्योग (B+1.5)	**9985131**	**11399677**	**13477002**	**13619684**	**13598543**	**15947304**
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	1949021	1855892	2166275	2371066	2361862	2695516
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	1019232	1081491	1288132	1398298	1374477	1546058
6.1	रेलवे	189941	205817	260360	291664	245643	320304
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	474535	525300	618566	632476	639798	702750
6.3	भण्डारण	18142	20693	40085	41312	43189	45512
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	336614	329681	369121	432846	445847	477492
7	वित्तीय सेवा	745959	859451	951243	1050910	1140687	1261798
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	2667389	2815613	2589911	2685632	2718328	2822052
9	लोक प्रशासन	1018403	1204495	1303942	1463518	1607479	1812256
10	अन्य सेवाएँ	1339933	1512442	2045754	2549376	2650945	3054287
C	**योग (सेवा क्षेत्र)**	**8739937**	**9329384**	**10345257**	**11518800**	**11853778**	**13191967**
11	**योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)**	**24154594**	**25926718**	**30169200**	**32084199**	**32917479**	**37270927**
12	उत्पादकर–उत्पाद अनुदान	2125581	2299911	2600061	2372888	2298591	2735153
13	**स.रा.घ.उ. (बाजार मूल्य पर)**	**26280175**	**28226629**	**32769261**	**34457087**	**35216070**	**40006080**
14	जनसंख्या (हजार में)	27933	28384	28842	29308	29781	30261
15	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (रु.में)	94083	99446	113616	117569	118250	132203

प्र.=प्रावधिक अनुमान, त्व.=त्वरित अनुमान, अ.=अग्रिम अनुमान

तालिका 3.9 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद–स्थिर भावों (2011–12) पर

(लाख रुपये में)

क्र.	उद्योग समूह	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (प्रा.)	2020-21 (त्व.)	2021-22 (अ.)
1.1	फसलें	2454184	1994483	2279945	2309033	2488163	2586429
1.2	पशुपालन	284250	313268	380986	416141	407918	417187
1.3	वनोद्योग तथा लटठे बनाना	658802	605499	673573	684827	691405	702293
1.4	मछली उद्योग	352891	428200	457659	503807	540782	582335
1.5	खनन तथा उत्खनन	2200011	2349865	2536999	2487340	2264353	2654459
A	योग (प्राथमिक क्षेत्र)	5950138	5691315	6329162	6401148	6392621	6942703
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	3750127	3341450	3792163	3913808	4128268	4288244
2	विनिर्माण	3168509	3504001	4456271	4532028	4534504	5224132
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	1696875	1902591	2046201	2338184	2297097	2504090
4	निर्माण	1874831	2015930	2324970	2335161	2141906	2590360
B	योग (द्वितीयक क्षेत्र)	6740215	7422522	8827442	9205373	8973507	10318582
	उद्योग (B+1.5)	8940226	9772387	11364441	11692713	11237860	12973041
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	1538875	1417566	1558394	1613958	1489288	1636317
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	892092	923225	1051101	1136042	1106660	1204541
6.1	रेलवे	146141	155598	184637	215540	180479	233062
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	437572	471786	541359	549402	549583	583314
6.3	भण्डारण	15634	17291	31915	32505	32459	32891
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	292745	278550	293190	338595	344139	355274
7	वित्तीय सेवा	692048	742683	762724	803878	839859	871619
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	1917931	1890641	1607509	1641946	1633313	1674454
9	लोक प्रशासन	766450	867720	909228	997247	1037417	1138422
10	अन्य सेवाएँ	968087	1054742	1280841	1567416	1606609	1846504
C	योग (सेवा क्षेत्र)	6775483	6896577	7169797	7760487	7713146	8371857
11	योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	19465836	20010414	22326401	23367008	23079274	25633142
12	उत्पादकर–उत्पाद अनुदान	1904642	2003155	2170335	1948184	1889046	2216494
13	स.रा.घ.उ. (बाजार मूल्य पर)	21370478	22013569	24496736	25315192	24968320	27849636
14	जनसंख्या (हजार में)	27933	28384	28842	29308	29781	30261
15	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (रु.में)	76506	77556	84934	86376	83840	92031

प्रा.=प्रावधिक अनुमान, त्व.=त्वरित अनुमान, अ.=अग्रिम अनुमान

तालिका 3.10 छत्तीसगढ़ का निवल राज्य घरेलू उत्पाद– प्रचलित भाव पर

(लाख रुपये में)

क्र.	उद्योग समूह	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (प्रा.)	2020-21 (त्व.)	2021-22 (अ.)
1.1	फसलें	3092124	2639711	3287111	3567516	3912973	4259545
1.2	पशुपालन	426641	562031	740293	810854	839518	944351
1.3	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	1130393	1055472	1259076	1374822	1389222	1439598
1.4	मछली उद्योग	442591	575182	666077	764842	855541	943158
1.5	खनन तथा उत्खनन	1692842	1888107	2084381	1804193	2001343	2328014
A	**योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**6784591**	**6720503**	**8086938**	**8322227**	**8998597**	**9914666**
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	**5091749**	**4832396**	**5952557**	**6518034**	**6997254**	**7586652**
2	विनिर्माण	2401694	3187833	4221725	4339146	4384228	5174044
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	1218102	1441859	1532742	1721209	1635355	1820704
4	निर्माण	2852628	3178626	3796372	3832701	3504243	4353986
B	**योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**6472424**	**7808318**	**9550839**	**9893056**	**9523826**	**11348734**
	उद्योग (B+1.5)	**8165266**	**9696425**	**11635220**	**11697249**	**11525169**	**13676748**
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	1826408	1703803	1990884	2196349	2195868	2495707
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	823061	838439	996047	1080097	1055367	1195693
6.1	रेलवे	153117	162332	207451	233328	200893	273044
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	401982	429850	510634	520000	516310	560160
6.3	भण्डारण	15240	17401	36471	37587	39296	41408
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	252722	228856	241491	289182	298868	321081
7	वित्तीय सेवा	694096	840895	929915	1027848	1116254	1235371
8	स्थावर संपदा आवासगृहों के स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाऐं	2423725	2543901	2358025	2426463	2470011	2549719
9	लोक प्रशासन	842732	971096	1080559	1212705	1327851	1468345
10	अन्य सेवाऐं	1271395	1429106	1941114	2408904	2515348	2885995
C	**योग (सेवा क्षेत्र)**	**7881417**	**8327240**	**9296544**	**10352366**	**10680699**	**11830830**
11	योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	**21138432**	**22856061**	**26884321**	**28567649**	**29203122**	**33094230**
12	उत्पादकर–उत्पाद अनुदान	2125581	2299911	2600061	2372888	2298591	2735153
13	**स.रा.घ.उ. (बाजार मूल्य पर)**	**23264013**	**25155972**	**29484382**	**30940537**	**31501713**	**35829383**
14	जनसंख्या (हजार में)	27933	28384	28842	29308	29781	30261
15	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (रु.में)	83285	88627	102227	105570	105778	118401

तालिका 3.11 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि– प्रचलित भाव पर							
क्र.	उद्योग समूह	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (प्रा.)	2020-21 (त्व.)	2021-22 (अ.)
1.1	फसलें	28.97	-12.82	22.76	8.56	9.79	9.56
1.2	पशुपालन	6.69	31.41	31.43	9.43	3.42	12.41
1.3	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	37.80	-6.54	19.25	9.26	1.04	3.64
1.4	मछली उद्योग	12.78	28.76	15.36	14.17	11.43	10.84
1.5	खनन तथा उत्खनन	0.04	10.82	8.31	-12.58	9.36	15.13
A	**योग (प्राथमिक क्षेत्र)**	**18.33**	**-0.19**	**17.96**	**3.36**	**7.92**	**10.39**
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	**26.94**	**-4.27**	**22.11**	**9.43**	**7.48**	**8.93**
2	विनिर्माण	-4.07	20.04	29.02	2.44	2.31	17.10
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	21.37	11.88	7.59	11.00	-2.44	9.74
4	निर्माण	21.36	11.77	19.30	2.16	-6.59	23.43
B	**योग (द्वितीयक क्षेत्र)**	**10.01**	**15.01**	**20.64**	**4.04**	**-1.90**	**17.71**
	उद्योग (B+1.5)	**7.84**	**14.17**	**18.22**	**1.06**	**-0.16**	**17.27**
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	36.21	-4.78	16.72	9.45	-0.39	14.13
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	4.27	6.11	19.11	8.55	-1.70	12.48
6.1	रेलवे	5.90	8.36	26.50	12.02	-15.78	30.39
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	10.31	10.70	17.75	2.25	1.16	9.84
6.3	भण्डारण	0.84	14.06	93.71	3.06	4.54	5.38
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	-3.81	-2.06	11.96	17.26	3.00	7.10
7	वित्तीय सेवा	-10.56	15.21	10.68	10.48	8.54	10.62
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	6.42	5.56	-8.02	3.70	1.22	3.82
9	लोक प्रशासन	10.16	18.27	8.26	12.24	9.84	12.74
10	अन्य सेवाएँ	15.38	12.87	35.26	24.62	3.98	15.22
C	**योग (सेवा क्षेत्र)**	**11.55**	**6.74**	**10.89**	**11.34**	**2.91**	**11.29**
11	योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	**13.02**	**7.34**	**16.36**	**6.35**	**2.60**	**13.23**
12	उत्पादकर–उत्पाद अनुदान	85.63	8.20	13.05	-8.74	-3.13	18.99
13	**स.रा.घ.उ. (बाजार मूल्य पर)**	**16.72**	**7.41**	**16.09**	**5.15**	**2.20**	**13.60**
14	जनसंख्या (हजार में)	27933	28384	28842	29308	29781	30261
15	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (रु.में)	14.87	5.70	14.25	3.48	0.58	11.80

तालिका 3.12 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि– स्थिर भावों (2011–12) पर

क्र.	उद्योग समूह	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (प्रा.)	2020-21 (त्व.)	2021-22 (अ.)
1.1	फसलें	24.01	-18.73	14.31	1.28	7.76	3.95
1.2	पशुपालन	12.28	10.21	21.62	9.23	-1.98	2.27
1.3	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	22.12	-8.09	11.24	1.67	0.96	1.57
1.4	मछली उद्योग	10.11	21.34	6.88	10.08	7.34	7.68
1.5	खनन तथा उत्खनन	9.53	6.81	7.96	-1.96	-8.96	17.23
A	योग (प्राथमिक क्षेत्र)	16.65	-4.35	11.21	1.14	-0.13	8.60
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	21.28	-10.90	13.49	3.21	5.48	3.88
2	विनिर्माण	-6.88	10.59	27.18	1.70	0.05	15.21
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	17.27	12.12	7.55	14.27	-1.76	9.01
4	निर्माण	14.23	7.53	15.33	0.44	-8.28	20.94
B	योग (द्वितीयक क्षेत्र)	3.84	10.12	18.93	4.28	-2.52	14.99
	उद्योग (B+1.5)	5.19	9.31	16.29	2.89	-3.89	15.44
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	26.63	-7.88	9.93	3.57	-7.72	9.87
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	-0.23	3.49	13.85	8.08	-2.59	8.84
6.1	रेलवे	-4.22	6.47	18.66	16.74	-16.27	29.14
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	7.27	7.82	14.75	1.49	0.03	6.14
6.3	भण्डारण	-2.44	10.60	84.58	1.85	-0.14	1.33
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	-7.85	-4.85	5.26	15.49	1.64	3.24
7	वित्तीय सेवा	-10.42	7.32	2.70	5.40	4.48	3.78
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	0.29	-1.42	-14.98	2.14	-0.53	2.52
9	लोक प्रशासन	1.75	13.21	4.78	9.68	4.03	9.74
10	अन्य सेवाएँ	10.56	8.95	21.44	22.37	2.50	14.93
C	योग (सेवा क्षेत्र)	5.48	1.79	3.96	8.24	-0.61	8.54
11	योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	8.06	2.80	11.57	4.66	-1.23	11.07
12	उत्पादकर–उत्पाद अनुदान	82.46	5.17	8.35	-10.24	-3.04	17.33
13	स.रा.घ.उ. (बाजार मूल्य पर)	12.13	3.01	11.28	3.34	-1.37	11.54
14	जनसंख्या (हजार में)	27933	28384	28842	29308	29781	30261
15	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (रु.में)	10.35	1.37	9.51	1.70	-2.94	9.77

तालिका 3.13 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण– प्रचलित भाव पर

क्र.	उद्योग समूह	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (प्रा.)	2020-21 (त्व.)	2021-22 (अ.)
1.1	फसलें	13.96	11.34	11.97	12.21	13.07	12.65
1.2	पशुपालन	1.80	2.20	2.49	2.56	2.58	2.56
1.3	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	4.72	4.11	4.21	4.33	4.26	3.90
1.4	मछली उद्योग	1.99	2.39	2.37	2.55	2.77	2.71
1.5	खनन तथा उत्खनन	8.34	8.61	8.02	6.59	7.02	7.14
A	योग (प्राथमिक क्षेत्र)	30.82	28.66	29.05	28.24	29.70	28.96
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	22.48	20.05	21.04	21.65	22.68	21.82
2	विनिर्माण	12.85	14.37	15.93	15.34	15.30	15.82
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	7.57	7.89	7.30	7.62	7.24	7.02
4	निर्माण	12.58	13.10	13.43	12.90	11.75	12.80
B	योग (द्वितीयक क्षेत्र)	33.00	35.36	36.65	35.86	34.29	35.65
	उद्योग (B+1.5)	41.34	43.97	44.67	42.45	41.31	42.79
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	8.07	7.16	7.18	7.39	7.18	7.23
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	4.22	4.17	4.27	4.36	4.18	4.15
6.1	रेलवे	0.79	0.79	0.86	0.91	0.75	0.86
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	1.96	2.03	2.05	1.97	1.94	1.89
6.3	भण्डारण	0.08	0.08	0.13	0.13	0.13	0.12
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	1.39	1.27	1.22	1.35	1.35	1.28
7	वित्तीय सेवा	3.09	3.31	3.15	3.28	3.47	3.39
8	स्थावर संपदा आवासगृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	11.04	10.86	8.58	8.37	8.26	7.57
9	लोक प्रशासन	4.22	4.65	4.32	4.56	4.88	4.86
10	अन्य सेवाएँ	5.55	5.83	6.78	7.95	8.05	8.19
C	योग (सेवा क्षेत्र)	36.18	35.98	34.29	35.90	36.01	35.39
11	योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	100	100	100	100	100	100

तालिका 3.14 छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण– स्थिर भावों (2011–12) पर							
क्र.	उद्योग समूह	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (प्रा.)	2020-21 (त्व.)	2021-22 (अ.)
1.1	फसलें	12.61	9.97	10.21	9.88	10.78	10.09
1.2	पशुपालन	1.46	1.57	1.71	1.78	1.77	1.63
1.3	वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना	3.38	3.03	3.02	2.93	3.00	2.74
1.4	मछली उद्योग	1.81	2.14	2.05	2.16	2.34	2.27
1.5	खनन तथा उत्खनन	11.30	11.74	11.36	10.64	9.81	10.36
A	योग (प्राथमिक क्षेत्र)	30.57	28.44	28.35	27.39	27.70	27.08
	कृषि (1.1+1.2+1.3+1.4)	19.27	16.70	16.99	16.75	17.89	16.73
2	विनिर्माण	16.28	17.51	19.96	19.39	19.65	20.38
3	विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति अन्य उपयोगिता	8.72	9.51	9.16	10.01	9.95	9.77
4	निर्माण	9.63	10.07	10.41	9.99	9.28	10.11
B	योग (द्वितीयक क्षेत्र)	34.63	37.09	39.54	39.39	38.88	40.25
	उद्योग (B+1.5)	45.93	48.84	50.90	50.04	48.69	50.61
5	व्यापार, होटल एवं जलपानगृह	7.91	7.08	6.98	6.91	6.45	6.38
6	परिवहन, संग्रहण एवं संचार	4.58	4.61	4.71	4.86	4.80	4.70
6.1	रेलवे	0.75	0.78	0.83	0.92	0.78	0.91
6.2	परिवहन (रेलवे के अतिरिक्त)	2.25	2.36	2.42	2.35	2.38	2.28
6.3	भण्डारण	0.08	0.09	0.14	0.14	0.14	0.13
6.4	संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित	1.50	1.39	1.31	1.45	1.49	1.39
7	वित्तीय सेवा	3.56	3.71	3.42	3.44	3.64	3.40
8	स्थावर संपदा आवासगृहों को स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएँ	9.85	9.45	7.20	7.03	7.08	6.53
9	लोक प्रशासन	3.94	4.34	4.07	4.27	4.50	4.44
10	अन्य सेवाएँ	4.97	5.27	5.74	6.71	6.96	7.20
C	योग (सेवा क्षेत्र)	34.81	34.46	32.11	33.21	33.42	32.66
11	योग स.रा.घ.मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	100	100	100	100	100	100

मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

04

मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

मुख्य बिन्दु

- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में उचित मूल्य की दुकाने क्रमशः 1,535 तथा 11,709 संचालित हैं।
- वर्तमान में 68.92 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं।
- वर्ष 2021–22 में धान (सामान्य) एवं धान (ग्रेड–ए) के समर्थन मूल्य कमशः 1,940 एवं 1,960 केन्द्र सरकार द्वारा घोषित।
- खरीफ वर्ष 2020–21 में 20.53 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 92,02,392.24 टन धान की खरीदी की गई थी।
- वर्ष 2020–21 में किसानों से 2,916.85 टन मक्का की खरीदी की गई तथा 539.61 लाख रूपये का भुगतान किया गया है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2021–22 नवंबर तक 21,30,149 टन चावल, 45,196 टन शक्कर, 64,042 टन नमक एवं 40,930 टन चना का उठाव हुआ।

4.1 मूल्यः— आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन का समाज के प्रत्येक वर्ग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। विक्रेता के दृष्टिकोण से, एक प्रभावी कीमत वह मूल्य है जो उस अधिकतम के बहुत निकट है, जितना ग्राहक भुगतान करने के लिए तैयार हैं। आर्थिक संदर्भ में, यह वही मूल्य है जो उपभोक्ता के अधिकांश अधिशेष को निर्माता को अंतरित करता है।अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय के समूह में शामिल प्रतिनिधि वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन का अनुमान लगाने हेतु मूल्य सूचकांक एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आर्थिक योजना की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। जहां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा विक्रेता के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत आधार पर उत्पन्न वास्तविक मुद्रा स्फीति को दर्शाता है। वहीं थोक मूल्य सूचकांक थोक मूल्यों में परिवर्तन को दर्शाने वाला प्राथमिक मापक है।

4.1.1 भारत में मूल्य स्थितिः— केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदशों के ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2012) जारी किया जाता है। छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवम्बर 2020 में 161.0, 156.2 एवं 159.1 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए था जो नवम्बर 2021 में 166.0, 164.9 एवं 165.6 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए हो गया। नवम्बर 2020 के लिए भारत की सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 160.7, 156.9 एवं 158.9 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए था जो नवम्बर 2021 में 167.6, 165.6 एवं 166.7 क्रमशः ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए हो गया।

तालिका 4.1 उपभोकता मूल्य सूचकाँक

भारत /राज्य	नवम्बर –2020			नवम्बर –2021		
	ग्रामीण	नगरीय	संयुक्त	ग्रामीण	नगरीय	संयुक्त
भारत	160.7	156.9	158.9	167.6	165.6	166.7
छ.ग.	161.0	156.2	159.1	166.0	164.9	165.6

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निमार्ण–सीएसओ (आधार वर्ष 2012) – भारत

परिशिष्ट 4.1

माह	खाद्य एवं पेय			मदक द्रव्य			कपड़े एवं जूते			भवन नि.		ईंधन एवं प्रकाश			विविध			सामान्य सूची		
	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी .	ग्रा.	श.	सभी.
जनवरी 2019	137.2	138.0	137.5	162.8	164.9	163.4	149.9	141.4	146.5	148.5	148.5	145.3	127.1	138.4	142.2	132.4	137.4	141.0	138.6	139.9
फरवरी 2019	137.5	137.3	137.4	162.9	164.7	163.4	150.0	141.1	146.5	147.7	147.7	146.3	128.6	139.6	141.7	131.8	136.9	141.1	138.0	139.7
मार्च 2019	137.3	139.6	138.1	162.9	165.3	163.5	150.2	141.6	146.8	149.0	149.0	146.5	128.8	139.8	142.4	132.8	137.7	141.2	139.5	140.4
अप्रैल 2019	138.0	141.7	139.4	162.9	165.7	163.6	150.2	142.0	146.9	149.7	149.7	146.6	129.1	140.0	142.6	133.1	138.0	141.7	140.5	141.1
मई 2019	139.2	143.8	140.9	163.3	166.2	164.1	150.7	142.2	147.3	150.1	150.1	146.9	129.4	140.3	142.9	133.3	138.2	142.4	141.5	142.0
जून 2019	139.2	143.8	140.9	163.3	166.2	164.1	150.7	142.2	147.3	150.1	150.1	146.9	129.4	140.3	142.9	133.3	138.2	142.4	141.5	142.0
जुलाई 2019	143.0	147.7	144.7	164.5	167.2	165.2	151.0	143.5	148.0	150.6	150.6	146.6	127.0	139.2	144.1	134.5	139.4	144.9	143.3	144.2
अगस्त 2019	144.0	149.1	145.9	165.1	167.9	165.8	151.1	143.0	147.9	151.6	151.6	146.4	125.5	138.5	144.9	135.3	140.2	145.6	144.2	144.9
सितंबर 2019	145.5	149.5	147.0	165.7	168.6	166.5	151.0	143.3	147.9	152.2	152.2	146.9	126.6	139.2	145.4	135.7	140.7	146.7	144.7	145.8
अक्टूबर 2019	148.3	151.9	149.6	166.3	169.3	167.3	151.0	143.9	148.2	153.0	153.0	147.7	128.9	140.6	145.7	136.0	141.0	148.3	146.0	147.2
नवंबर 2019	150.6	153.6	151.8	167.2	169.9	167.9	151.5	144.2	148.6	148.6	153.5	148.4	132.2	142.3	146.1	136.3	141.3	149.9	147.0	148.6
दिसंबर 2019																				
जनवरी 2020																				
फरवरी 2020																				
मार्च 2020	152.8	156.1	154.0	171.1	179.1	173.2	153.1	150.4	152.0	155.6	155.6	148.4	137.1	144.1	148.4	142.5	145.5	151.9	150.9	151.4
अप्रैल 2020	151.4	154.8	152.7	171.2	183.4	174.4	153.2	150.8	152.3	155.6	155.6	146.4	136.2	142.5	149.2	143.0	146.2	151.2	150.6	150.9
मई 2020																				
जून 2020	163.3	151.9	149.6	166.3	169.3	167.1	151.0	143.9	148.2	153.0	153.0	147.7	128.9	140.6	145.7	136.0	141.0	148.3	146.0	147.2
जुलाई 2020	156.1	161.3	158.0	158.0	182.9	188.7	184.4	154.6	148.1	152.0	156.5	156.3	146.4	157.2	142.9	153.7	146.0	150.0	155.7	161.6
अगस्त 2020	159.6	164.4	161.4	182.7	188.7	184.3	155.0	148.3	152.3	156.5	156.5	146.8	137.1	143.1	154.3	146.2	150.4	157.5	1155.2	156.4
सितंबर 2020	148.3	151.9	149.6	166.3	169.3	167.1	151.0	143.9	148.2	153.0	153.0	147.7	128.9	140.6	145.7	136.0	141.0	148.3	146.0	147.2
अक्टूबर 2020	164.5	167.0	165.4	183.6	190.2	185.4	156.8	149.6	153.6	158.4	158.4	148.7	137.4	144.6	155.2	146.9	151.2	160.7	156.9	158.9
नवंबर 2020																				
दिसंबर 2020	155.7	160.8	157.6	185.8	192.7	187.6	157.5	151.0	154.9	158.9	158.9	152.9	145.7	150.2	156.7	148.5	152.7	156.8	155.8	156.3
जनवरी 2021	154.7	160.8	157.9	186.5	193.3	188.3	158.4	151.8	155.8	159.8	159.8	154.4	149.1	152.4	157.2	149.3	153.4	156.7	156.5	156.6
फरवरी 2021																				
मार्च 2021																				
अप्रैल 2021	158.7	164.2	160.7	189.6	198.2	191.9	164.5	154.1	160.4	161.6	161.6	161.7	155.5	159.4	161.1	152.3	156.8	161.1	159.5	160.4
मई 2021	160.5	166.2	162.6	189.1	195.3	190.8	164.6	154.9	160.8	160.5	160.5	162.1	156.2	159.9	161.5	153.6	157.7	162.1	160.4	161.3
जून 2021	161.7	167.9	164.0	189.7	195.5	191.2	165.3	155.5	161.4	161.5	161.5	162.5	157.7	160.7	162.8	155.0	159.0	163.2	161.8	162.5
जुलाई 2021	161.9	167.6	164.0	190.2	196.0	191.7	166.5	156.4	162.4	162.4	162.4	163.1	158.5	161.4	163.3	155.7	159.6	163.6	162.2	162.9
अगस्त 2021	162.1	167.3	164.0	190.5	196.5	192.1	167.1	157.4	163.3	162.1	162.1	163.7	160.8	162.6	163.8	156.0	160.0	164.0	162.3	163.2
सितंबर 2021	165.5	171.5	167.7	191.1	197.0	192.7	168.3	158.3	164.3	163.6	163.6	165.5	162.1	164.2	164.7	157.0	161.0	166.3	164.6	165.5
अक्टूबर 2021	167.5	173.5	169.7	191.4	197.1	192.9	169.8	159.7	165.8	164.2	164.2	165.3	161.7	168.9	165.2	157.3	161.4	167.6	165.6	166.7
नवंबर 2021																				

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निमार्ण–सीएसओ (आधार वर्ष 2012) –छत्तीसगढ़ — **परिशिष्ट 4.2**

माह	खाद्य एवं पेय			मदक द्रव्य			कपड़े एवं जूते			भवन नि.		ईंधन एवं प्रकाश			विविध			सामान्य सूची		
	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी	ग्रा.	श.	सभी .	ग्रा.	श.	सभी.
जनवरी 2019	129.1	128.3	128.9	148.9	145.5	148.0	1471	163.0	152.3	152.6	175.6	175.6	148.6	167.8	142.3	129.6	136.8	139.1	137.6	138.5
फरवरी 2019	130.7	128.3	130.0	149.4	147.7	147.6	146.2	163.3	151.8	152.4	152.4	172.5	151.0	166.3	141.8	129.1	136.3	139.5	137.6	138.8
मार्च 2019	127.9	129.9	128.5	148.2	145.3	147.4	146.5	162.9	151.9	153.5	153.5	176.5	149.8	168.8	142.2	130.0	137.0	138.5	138.5	138.5
अप्रैल 2019	128.6	134.7	130.4	149.6	145.6	147.8	147.0	163.7	152.5	153.2	153.2	173.7	150.0	166.8	142.3	130.1	137.1	139.6	140.3	139.3
मई 2019	130.8	138.2	133.0	150.0	147.0	149.2	147.6	164.2	153.1	153.4	153.4	174.4	147.7	166.7	142.5	130.6	137.4	140.1	141.7	140.7
जून 2019	135.5	141.2	137.2	152.3	148.9	151.4	148.2	164.4	153.5	152.9	152.9	171.8	147.6	164.8	142.5	130.6	137.4	142.5	142.7	142.6
जुलाई 2019	136.3	144.1	138.6	154.1	149.4	152.8	147.8	164.3	153.2	153.6	153.6	169.8	14637	163.1	142.2	131.5	137.6	142.6	144.1	143.2
अगस्त 2019	134.8	144.4	137.6	155.2	150.0	153.7	147.8	164.5	153.3	153.7	153.7	168.8	148.2	161.4	142.6	132.2	138.1	141.9	144.2	142.8
सितंबर 2019	135.7	143.2	137.9	156.3	150.2	154.6	147.3	164.2	152.9	154.4	154.4	171.9	146.1	164.4	143.4	132.8	138.8	142.8	144.3	143.4
अक्टूबर 2019	139.4	146.1	141.4	158.1	150.1	155.9	147.9	165.6	153.7	154.2	154.2	173.8	147.7	166.2	143.6	133.1	139.1	145.2	145.5	145.3
नवंबर 2019	141.0	148.7	143.3	160.8	150.1	157.8	148.2	166.0	154.1	154.2	154.2	172.9	148.3	165.8	143.6	133.0	139.0	146.1	146.5	146.3
दिसंबर 2019																				
जनवरी 2020																				
फरवरी 2020																				
मार्च 2020																				
अप्रैल 2020																				
मई 2020																				
जून 2020																				
जुलाई 2020																				
अगस्त 2020																				
सितंबर 2020																				
अक्टूबर 2020	157.5	164.2	159.5	198.1	171.5	190.7	160.7	172.6	164.6	154.8	154.8	175.6	154.1	169.4	153.6	140.7	148.1	160.0	155.7	158.3
नवंबर 2020	158.8	164.2	160.4	198.1	170.0	190.3	162.3	172.6	165.7	155.3	156.3	176.0	152.4	169.2	164.1	142.3	149.0	161.0	156.1	159.1
दिसंबर 2020																				
जनवरी 2021																				
फरवरी 2021																				
मार्च 2021																				
अप्रैल 2021																				
मई 2021																				
जून 2021																				
जुलाई 2021																				
अगस्त 2021																				
सितंबर 2021																				
अक्टूबर 2021																				
नवंबर 2021	158.6	170.6	162.2	199.4	180.3	194.1	174.2	179.2	175.8	158.0	158.0	201.2	178.6	194.7	160.2	155.0	158.0	166.0	164.9	165.6
दिसंबर 2021																				

मुद्रास्फीति भारत एवं छत्तीसगढ़– सीपीआई के अनु. (सीएसओ) संयुक्त															परिशिष्ट 4.3
वर्ष	माह	खाद्य एवं पेय		मदक द्रव्य		कपड़े एवं जूते		भवन नि. (श.)		ईंधन एवं प्रकाश		विविध		सामान्य सूची	
		भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.	भारत	छ.ग.
2019	जनवरी	1.3		5.6		3		5.2		2.2		6		2.05	
2019	फरवरी	-0.1		5.5		2.7		5.1		1.2		6		2.57	
2019	मार्च	0.7		4.6		2.6		4.9		2.4		5.7		2.86	
2019	अप्रैल	1.4		4.3		2		4.8		2.6		5.1		2.92	
2019	मई	2		3.9		1.8		4.8		2.5		4.6		3.05	
2019	जून	2.4		4.1		1.5		4.8		2.3		4.4		3.18	
2019	जुलाई	2.3		4.8		1.6		4.9		-0.4		4.7		3.15	
2019	अगस्त	2.9		5.1		1.2		4.8		-1.6		4.8		3.21	
2019	सितंबर	4.6		4.6		1		4.7		-2		4.5		3.92	
2019	अक्टूबर	6.9		3.9		1.6		-100		-2		3.4		4.69	
2019	नवंबर	8.7		3.3		1.2		4.4		-2.1		3.7		5.54	
2019	दिसंबर														
2020	जनवरी	11.79		3.62		1.91		4.20		3.66		4.75		7.59	
2020	फरवरी	9.45		4.10		2.05		4.24		6.36		4.51		6.58	
2020	मार्च														
2020	अप्रैल														
2020	मई														
2020	जून	7.29		9.70		3.53		3.55		2.69		5.70		6.09	
2020	जुलाई	8.71		12.35		2.91		3.25		2.80		6.95		6.93	
2020	अगस्त	8.29		11.22		2.77		3.10		3.10		6.99		6.69	
2020	सितंबर	9.73		10.81		3.04		2.83		2.87		6.89		7.34	
2020	अक्टूबर	10.16		10.65		3.17		3.27		2.28		6.88		7.61	
2020	नवंबर	8.76		10.36		3.30		3.19		1.90		6.94		6.93	
2020	दिसंबर	3.87		10.74		3.49		3.21		2.99		6.60		4.59	
2021	जनवरी	2.67		10.87		3.82		3.25		3.87		6.49		4.06	
2021	फरवरी	4.25		10.70		4.21		3.23		3.53		6.82		5.03	
2021	मार्च	5.24		9.81		4.41		3.50		4.50		6.88		5.52	
2021	अप्रैल	2.66		9.81		3.49		3.73		7.91		6.19		4.29	
2021	मई	5.24		10.03		5.32		3.86		11.58		7.52		6.30	
2021	जून	5.58		3.98		6.21		3.75		12.68		7.28		6.26	
2021	जुलाई	4.46		4.71		6.46		3.86		12.38		6.71		5.59	
2021	अगस्त	3.80		3.96		9.84		3.90		12.95		6.40		5.30	
2021	सितंबर	3.80		3.96		6.84		3.90		12.95		6.40		5.30	
2021	अक्टूबर	1.82		4.27		7.53		3.54		14.35		6.83		4.48	
2021	नवंबर	1.82		4.27		7.35		3.54		14.35		6.83		4.48	
2021	दिसंबर	2.66		4.05		7.94		3.66		13.35		6.75		4.91	

परिशिष्ट 4.4

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य संचकांक
कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिक

माह	सीपीआई– एल	सीपीआई– आरएल
जनवरी 2019	915	923
फरवरी 2019	917	925
मार्च 2019	924	932
अप्रैल 2019	932	939
मई 2019	940	948
जून 2019	950	957
जुलाई 2019	958	965
अगस्त 2019	965	978
सितंबर 2019	976	983
अक्टूबर 2019	987	993
नवंबर 2019	1000	1006
दिसंबर 2019	1014	1019
जनवरी 2020	1016	1021
फरवरी 2020	1010	1016
मार्च 2020	1007	1013
अप्रैल 2020	1014	1019
मई 2020	1019	1025
जून 2020	1018	1024
जुलाई 2020	1021	1028
अगस्त 2020	1026	1033
सितंबर 2020	1037	1043
अक्टूबर 2020	1052	1057
नवंबर 2020	1060	1065
दिसंबर 2020	1047	1053
जनवरी 2021	1038	1045
फरवरी 2021	1037	1044
मार्च 2021	1035	1043
अप्रैल 2021	1041	1049
मई 2021	1049	1057
जून 2021	1057	1065
जुलाई 2021	1061	1070
अगस्त 2021	1066	1074
सितंबर 2021	1067	1076
अक्टूबर 2021	1081	1090
नवंबर 2021	1092	1101
दिसंबर 2021		

परिशिष्ट 4.5

औद्योगिक श्रमिक की बिन्दु से बिन्दुवार मुद्रास्फीति दर (आधार वर्ष 2001=100), अखिल भारत

वर्ष	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नवं.	दिस.	औसत
2012	5.32	7.57	8.65	10.22	10.16	10.05	9.84	10.31	9.14	9.60	9.55	11.17	9.30
2013	11.62	12.06	11.44	10.24	10.68	11.06	10.85	10.75	10.70	11.06	11.47	9.13	10.92
2014	7.24	6.73	6.70	7.08	7.02	6.49	7.23	6.75	6.30	4.98	4.12	5.86	6.38
2015	7.17	6.30	6.28	5.79	5.74	6.10	4.37	4.35	5.14	6.32	6.72	6.32	5.88
2016	5.91	5.53	5.51	5.86	6.59	6.13	6.46	5.3	4.14	3.35	2.59	2.23	4.99
2017	1.86	2.62	2.61	2.21	1.09	1.08	1.79	2.52	2.89	3.24	3.97	4.00	2.49
2018	5.11	4.74	4.36	3.97	3.96	3.96	3.93	5.61	5.61	5.23	4.86	5.24	4.72
2019	6.60	6.67	7.67	8.33	8.65	8.59	5.98	6.31	6.98	7.62	8.61	9.63	7.63
2020	7.49	6.84	5.50	5.45	5.10	5.06	5.33	5.63	-	-	-	-	5.8

औद्योगिक श्रमिक की बिन्दु से बिन्दुवार मुद्रास्फीति दर (आधार वर्ष 2012=100), अखिल भारत

वर्ष	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नवं.	दिस.	औसत
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	5.62	5.91	5.27	3.67	5.11
2021	3.15	4.48	5.64	5.14	5.24	5.57	5.27	4.79	4.41	4.5	4.84		4.82

छत्तीसगढ़: सीपीआई (औद्योगिक श्रमिक) आधार वर्ष 2001=100, केन्द्र भिलाई (छत्तीसगढ़)

वर्ष	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नवं.	दिस.	औसत
2011	194	189	192	193	196	198	216	218	221	221	220	219	206.4
2012	228	228	229	235	237	239	246	249	250	250	250	250	240.9
2013	251	251	251	257	261	269	272	274	272	275	276	269	264.8
2014	267	268	268	270	274	277	284	282	284	284	285	284	277.3
2015	279	277	278	283	287	288	296	298	302	302	301	302	291.1
2016	293	292	297	301	306	310	313	313	312	313	313	308	302.9
2017	307	303	304	304	305	310	311	312	318	316	315	NA	309.5
2018	314	312	311	312	318	318	322	322	324	324	324	NA	318.27
2019	323	323	323	325	330	332	332	331	335	340	346	NA	330.90
2020	342	337	335	334	333	336	343	347					338.37

छत्तीसगढ़: सीपीआई (औद्योगिक श्रमिक) आधार वर्ष 2012=100, केन्द्र भिलाई (छत्तीसगढ़)

वर्ष	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नवं.	दिस.	औसत
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	113	114	112	112	112.75
2021	112	112	113	115	116	118	118	118	118	120	119		116.27

औद्योगिक श्रमिक की बिन्दु से बिन्दुवार मुद्रास्फीति दर की विकास दर (आधार वर्ष 2001=100) भिलाई (छत्तीसगढ़)

वर्ष	जन.	फर.	मार्च	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नवं.	दिस.	औसत
2011	194	189	192	193	196	198	216	218	221	221	220	219	206.4
2012	228	228	229	235	237	239	246	249	250	250	250	250	240.9
2013	251	251	251	257	261	269	272	274	272	275	276	269	264.8
2014	267	268	268	270	274	277	284	282	284	284	285	284	277.3
2015	279	277	278	283	287	288	296	298	302	302	301	302	291.1
2016	293	292	297	301	306	310	313	313	312	313	313	308	302.9
2017	307	303	304	304	305	310	311	312	318	316	315	NA	309.5
2018	314	312	311	312	318	318	322	322	324	324	324	NA	318.27
2019	323	323	323	325	330	332	332	331	335	340	346	NA	330.90
2020	342	337	335	334	333	336	343	347	112	113			

परिशिष्ट 4.6

थोक विक्रय मूल्य (आधार वर्ष 2011–12)

Month	सभी वस्तुएं	I प्रारंभिक वस्तुएं	II ईंधन एवं ऊर्जा	III उत्पादित वस्तुएं
	100.0	22.6	13.2	64.2
जनवरी 2019	119.2	134.5	99.3	117.9
फरवरी 2019	119.5	134.2	101.0	118.1
मार्च 2019	120.0	134.7	103.3	118.3
अप्रैल 2019	120.9	139.2	102.8	118.3
मई 2019	121.2	139.5	103.4	118.4
जून 2019	121.5	141.4	102.1	118.4
जुलाई 2019	121.2	142.1	100.6	118.1
अगस्त 2019	121.4	143.8	100.7	117.8
सितंबर 2019	121.3	143.0	100.2	117.9
अक्टूबर 2019	122.2	146.0	102.1	117.9
नवंबर 2019	122.3	147.3	101.3	117.8
दिसंबर 2019	122.8	148.8	101.3	118
जनवरी 2020	122.9	147.2	102.7	118.5
फरवरी 2020	122.2	143.1	103.9	118.7
मार्च 2020	121.1	139.5	100.7	118.7
अप्रैल 2020	-	138.2	92.4	-
मई 2020	117.5	137.3	80.3	118.2
जून 2020	119.3	140.9	85.6	118.6
जुलाई 2020	121.0	145.1	90.7	118.7
अगस्त 2020	122.0	146.7	92.0	119.4
सितंबर 2020	122.9	150.3	91.0	119.8
अक्टूबर 2020	123.8	129.7	91.1	120.3
नवंबर 2020	124.2	151.2	91.3	121.3
दिसंबर 2020	124.5	146.5	94.2	123.0
जनवरी 2021	125.9	143.9	99.7	124.9
फरवरी 2021	127.3	145.4	104.2	125.7
मार्च 2021	129.8	146.2	109.7	127.3
अप्रैल 2021	131.7	151.8	108.6	129.4
मई 2021	132.7	150.5	110.5	131
जून 2021	133.7	151.8	113.7	131.5
जुलाई 2021	134.5	153.4	114.3	132.0
अगस्त 2021	135.9	155.8	116.0	133.0
सितंबर 2021	136.0	154.9	114.7	133.8
अक्टूबर 2021	139.1	159.7	124.7	134.9
नवंबर 2021				
दिसंबर 2021				

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन से राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं जनसाधारण, विशेषतः समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रदाय किया जाता है। राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन, नमक एवं चना आदि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध करायी जाती है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन नागरिक आपूर्ति निगम के 138 पीडीएस प्रदाय केन्द्र एवं 12,451 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रतिमाह लगभग 67.11 लाख राशन कार्डधारियों को पात्रतानुसार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

4.2 उचित मूल्य दुकान :– राज्य में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवम्बर, 2021 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1,535 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11,709 कुल 13,244 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। इनमें से सहकारी समितियों द्वारा 4,579 दुकान, ग्राम पंचायत द्वारा 4,131 दुकान, महिला स्व–सहायता समूह द्वारा 4,408 दुकान, वन सुरक्षा समितियों द्वारा 112 तथा नगरीय निकाय द्वारा 14 उचित मूल्य दुकान संचालित की जा रही है। उचित मूल्य दुकानों की एजेंसीवार, जिलेवार जानकारी तालिका 4.1 दर्शित है।

4.3 छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 : – प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रतानुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 राज्य में लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य की 78 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् लगभग 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर 3 रूपये प्रति किलो है, जबकि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून में अन्त्योदय एवं प्राथमिकता वाले 58.66 लाख परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो की दर से तथा सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवार वाले 9.74 लाख परिवारों को 10 रूपए प्रति किलो की दर से चावल प्रदाय किया जा रहा है।

तालिका क्र.4.2 योजनांतर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर				
क्र	परिवार का प्रकार	खाद्य पदार्थ	मासिक पात्रता	उपभोक्ता दर
1	अन्त्योदय परिवार	चावल	35 कि.ग्राम प्रतिमाह	रू.1 प्रति किग्रा
		चना	2 किग्रा प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में	रू.5 प्रति किग्रा
		रिफाईन्ड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किग्रा प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार	निःशुल्क
2	प्राथमिकता परिवार	चावल	01 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 10 किग्रा प्रति माह	रू.1 प्रति किग्रा
			02 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 20 किग्रा प्रतिमाह	
			03 से 05 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 35 किग्रा प्रतिमाह	
			05 से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड में प्रति सदस्य 07 किग्रा प्रति माह	
		चना	2 किग्रा प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में	रू.5 प्रति किग्रा
		रिफाईन्ड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किग्रा प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किग्रा प्रति परिवार	निःशुल्क
3	एकल निराश्रित	चावल	10 किग्रा प्रतिमाह	निःशुल्क
4	निःशक्तजन	चावल	10 किग्रा प्रतिमाह	निः शुल्क
5	सामान्य परिवार	चावल	01 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 10 किग्रा प्रतिमाह	रू. 1 प्रति कि.ग्रा.
			02 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 20 किग्रा प्रतिमाह	
			03 से 05 सदस्य वाले राशनकार्ड के लिए 35 किग्रा प्रतिमाह	

<u>टीपः—</u>

- चने की पात्रता राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों एवं माडा क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अन्त्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारी परिवारों को है।
- उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रति राशनकार्ड 17 रू. प्रति किग्रा की दर से 1 किग्रा शक्कर की पात्रता है।
- बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को प्रतिमाह 02 किलो गुड़ 17 रू. प्रति किलो ग्राम की दर से प्रदाय किया जा रहा है।
- अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवार वाले राशनकार्डधारियों को केरोसिन की पात्रता है।

4.4 सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Universal PDS) :— राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सार्वभौम पीडीएस का शुभारंभ 02 अक्टूबर, 2019 से किया गया है। राज्य शासन द्वारा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्राथमिकता राशनकार्डो के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ–साथ सामान्य परिवारों के लिए भी सामान्य परिवार वाले राशनकार्ड जारी करते हुए खाद्यान्न पात्रता सुनिश्चित की गई है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत परिवारों (आयकरदाता एवं गैर आयकरदाता)

को भी खाद्यान्न की पात्रता होगी। वर्तमान में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनकार्ड जारी किया जा रहा है। सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के 98 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

4.5 राशनकार्ड :– राज्य में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत (नवंबर 2021 की स्थिति में) कुल 68.92 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं। इनमें से 14,17,934 अंत्योदय राशनकार्ड, 44,49,388 प्राथमिकता राशनकार्ड, 38,617 एकल निराश्रित राशनकार्ड, 11,268 निःशक्तजन राशनकार्ड तथा 9,75,410 सामान्य श्रेणी के राशनकार्ड प्रचलित हैं। इन राशनकार्डो में निर्धारित पात्रतानुसार प्रतिमाह राशन सामग्री प्रदाय की जा रही है। राशनकार्डों की योजनवार, जिलेवार जानकारी **तालिका 4.6** में दर्शित है।

4.6 राशन सामग्री का आवंटन :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021 में अप्रैल से नवंबर, 2021 तक खाद्यान्न आबंटन एवं उठाव की जानकारी निम्नानुसार है :–

तलिका क्रमांक 4.3 सामग्रियों का वर्षवार उठाव (मात्रा टन में)

क्र	सामग्री	वर्ष							
		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22 (नवम्बर)	
		आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव
1	चावल	2059058	2033280	2351136	2289683	3093418	3021148	2194337	2130149
2	शक्कर	68697	65719	68310	65086	68108	67137	46378	45196
3	नमक	97321	93679	57062	54495	96351	94205	65671	64042
4	चना	58048	54052	37018	35320	40510	40054	41659	40930

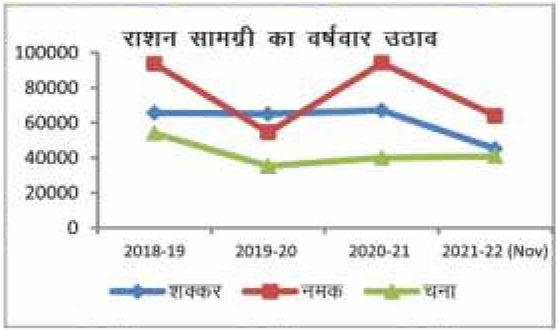

4.7 कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य – न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। समर्थन मूल्य घोषित करने के समय उत्पादन मूल्य के साथ–साथ समग्र मांग एवं पूर्ति, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर उपजीय समता एवं अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति के संभावित प्रभाव एवं उत्पादन के साधनों यथा–भूमि एवं जल का युक्तिपूर्ण उपयोग को भी CACP द्वारा ध्यान में रखा जाता है।

CACP एक विशेषज्ञ निकाय है जिसकी अनुशंसाओं को भारत शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में जैसे –किसी उपज का अधिक उत्पादन एवं किसी अन्य उपज के कम उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए अन्य उपजों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप शासन द्वारा बोनस/प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है। वर्ष 2014–15 से 2021–22 तक खरीफ एवं रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का विवरण तालिका क्र. 4.4 में दर्शित हैं।

तालिका क्र. 4.4 समर्थन मूल्य रूपये प्रति क्विंटल

फसल/ किस्म	विपणन वर्ष							
	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	21–22
धान सामान्य	1360	1410	1470	1550	1750	1815	1868	1940
धान ग्रेड–ए	1400	1450	1510	1590	1770	1835	1888	1960
गेंहू	1400	1450	1525	1625	–	–	–	2015
ज्वार	1530	1570	1625	1700	2430	2550	2640	2738
बाजरा	1250	1275	1330	1425	1950	2000	2150	2250
मक्का	1310	1325	1365	1425	1700	1760	1850	1870
रागी	1550	1650	1725	1900	2897	1760	3295	3377
अरहर	4350	4625(रू. 200 बोनस सहित)	4625	5440(रू. 200 बोनस सहित)	5675	5800	6000	6300
उड़द	4350	4625(रू. 200 बोनस सहित)	4575	5400(रू. 200 बोनस सहित)	5600	5700	6000	6300
मूंगफली	40000	4030	4120	4500	4890	5090	5275	5550
मूंग	4600	4850(रू. 200 बोनस सहित)	4800	5575(रू. 200 बोनस सहित)	6975	7050	7196	7275
सोयाबीन	2560	2600	2675	3050(रू. 200 बोनस सहित)	3399	3710	3880	–
सूर्यमुखी	–	3800	3850	4100(रू. 200 बोनस सहित)	5388	5650	5885	5441

छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए भारत शासन द्वारा घोषित मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाता है। राज्य में सहकारी समितियों के माध्यम से पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा मक्का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जा रही है।

खरीफ वर्ष 2020–21 में 20.53 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 92,02,392.24 टन धान की खरीदी की गई थी। किसानों को 17,240.59 करोड़ रूपये धान का समर्थन मूल्य भुगतान किया गया है। इस वर्ष किसानों से 2,916.85 टन मक्का की खरीदी की गई तथा 539.61 लाख रूपये का भुगतान किया गया है।

खरीफ वर्ष 2021–22 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की तिथि 01 दिसम्बर, 2021 से दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक तथा मक्का उपार्जन 01 दिसम्बर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 तक है। इस खरीफ

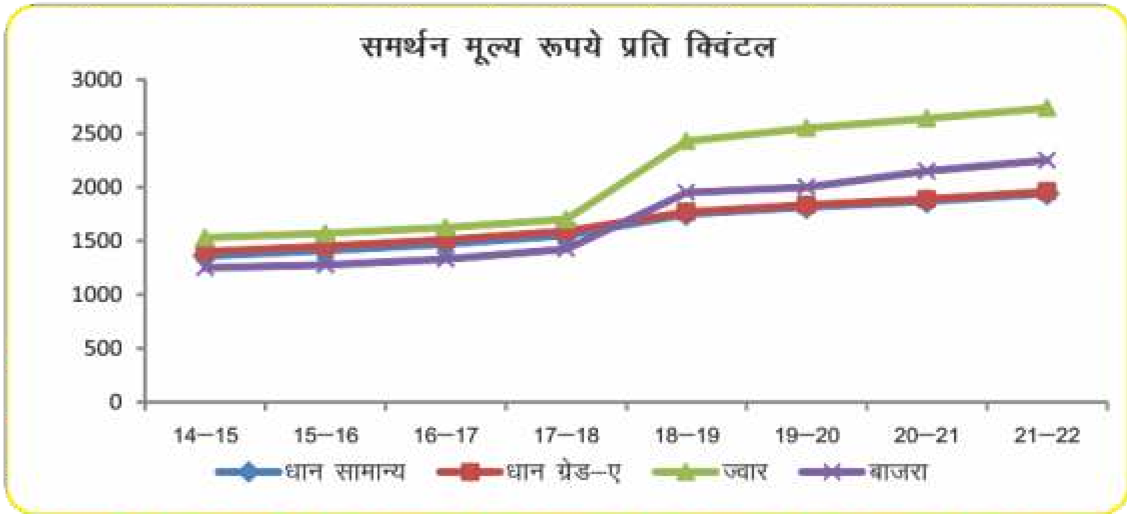

वर्ष में भारत शासन द्वारा धान का समर्थन मूल्य कॉमन धान हेतु 1,940 रूपये प्रति क्विंटल, ग्रेड—ए धान हेतु 1,960 रूपये प्रति क्विंटल तथा मक्का हेतु 1,870 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

4.8 धान खरीदी का कम्प्यूटरीकरणः— खाद्य विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2007—08 में धान खरीदी की समस्त व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत किया गया तथा प्रत्येक वर्ष धान खरीदी के अनुभव एवं आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु इसमें नियमित सुधार किया जा रहा है।

खरीफ वर्ष 2021—22 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल पर किया जा रहा है।

4.9 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता :— राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के आबंटन एवं उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय तथा हितग्राहियों को राशन सामग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

- **पीडीएस—ऑनलाईन व्यवस्था :—** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त क्रियाकलाप का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु सभी जिला खाद्य कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से राज्य मुख्यालय से जोड़ा गया है। राशन सामग्री के आबंटन हेतु राज्य की समस्त 13,244 उचित मूल्य दुकानों का डेटाबेस तैयार किया गया एवं उनसे संलग्न राशनकार्डो के आधार पर जनवरी, 2008 से कम्प्यूटर के माध्यम से खाद्य संचालनालय द्वारा दुकानवार आबंटन जारी किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में 13,244 उचित मूल्य दुकान एंड्रायड आधारित टेबलेट के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत किया गया

है। उचित मूल्य दुकान स्तर तक कम्प्यूटरीकरण से राशनकार्डधारियों को राशन सामग्री वितरण की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध है। इस व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी हुई है।

- **चावल उत्सव :–** राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए माह फरवरी, 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। चावल उत्सव के लिए जिन गांवों में उचित मूल्य दुकान संचालित है तथा जहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 06 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन होता है, तथा शेष उचित मूल्य दुकानें जिन गांवों में संचालित हैं, वहां प्रत्येक माह की 07 तारीख को चावल उत्सव के आयोजन का प्रावधान है। इन उत्सव के दिन निर्धारित तिथि पर राशनकार्डधारी द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा जनवरी, 2008 से कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसका दूरभाष क्र. 1967 एवं 1800–233–3663 (टोल फ्री) है। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

- **जनभागीदारी वेबसाईटः–** जनभागीदारी वेबसाईट (https:// khadya.cg.nic.in/citizen/ citizenhome. aspx) राज्य शासन का एक नवीन प्रयोग है। कोई भी नागरिक इस वेबसाईट में अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। पंजीयन कराने के बाद नागरिकों को ई–मेल के माध्यम से खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी। इस पंजीयन के बाद नागरिकों द्वाराएस.एम.एस. के माध्यम से राशन दुकान की जानकारी हेतु पंजीयन किया जा सकता है।

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार सहित नेशनल ई–गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई–इंडिया अवार्ड, सी.एस.आई. ई–गवर्नेंस अवार्ड, सी.एस. आई निहिलेंट ई–गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हुए है।

तालिका 4.5 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों की एजेंसीवार संचालन की जानकारी

क्रं	जिला	एजेंसी का प्रकार					योग	शहरी उ.मू. दु. की संख्या	ग्रामीण उ.मू. दु. की संख्या
		सहकारी समिति	ग्राम पंचायत	महिला स्व–सहायता समूह	वन सुरक्षा समिति	नगरीय निकाय			
1	बस्तर	115	231	131	5	0	482	48	434
2	बीजापुर	36	106	46	0	0	188	13	175
3	दंतेवाड़ा	74	52	25	0	0	151	24	127
4	कांकेर	109	227	140	10	0	486	29	457
5	कोण्डागॉव	53	230	91	18	0	392	15	377
6	नारायणपुर	19	79	13	1	0	112	8	104
7	सुकमा	45	100	19	2	0	166	12	154
8	बिलासपुर	244	215	210	2	0	671	163	508
9	गौरेला पेंड्रा मरवाही	29	33	134	3	0	199	15	184
10	जॉजगीर–चॉपा	210	115	380	0	0	705	54	651
11	कोरबा	110	170	191	6	0	477	62	415
12	मुंगेली	67	127	201	1	0	396	24	372
13	रायगढ़	84	398	389	7	0	878	96	782
14	बालोद	151	163	131	20	0	465	31	434
15	बेमेतरा	173	60	224	0	0	457	28	429
16	दुर्ग	297	74	263	0	1	635	331	304
17	कवर्धा	193	82	219	2	1	497	29	468
18	राजनॉदगॉव	300	154	431	4	0	889	81	808
19	बलौदा बाजार	394	87	189	0	0	670	31	639
20	धमतरी	268	76	73	0	0	417	45	372
21	गरियाबंद	286	41	24	0	0	351	14	337
22	महासमुंद	478	48	60	4	0	590	38	552
23	रायपुर	447	100	39	0	0	586	174	412
24	बलरामपुर	44	245	174	11	0	474	6	468
25	जशपुर	8	427	32	0	9	476	15	461
26	कोरिया	56	166	182	6	1	411	59	352
27	सरगुजा	182	102	219	6	1	510	67	443
28	सूरजपुर	107	223	178	4	1	513	23	490
	योग	**4579**	**4131**	**4408**	**112**	**14**	**13244**	**1535**	**11709**

तालिका 4.6 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों की जानकारी							
क्रं	जिला	अंत्योदय राशनकार्ड	प्राथमिकता राशनकार्ड	एकल निराश्रित राशनकार्ड	निःशक्तजन राशनकार्ड	सामान्य राशनकार्ड	योग
1	बस्तर	46754	132648	624	52	21663	201741
2	बीजापुर	23598	39437	9	41	3959	67044
3	दंतेवाड़ा	28839	41517	83	363	6328	77130
4	कांकेर	34957	116204	356	222	26309	178048
5	कोण्डागाँव	33154	91521	458	16	11220	136369
6	नारायणपुर	16905	13737	70	32	3999	34743
7	सुकमा	30199	42044	89	17	2328	74677
8	बिलासपुर	89056	312899	3762	687	73481	479885
9	गौरेला पेंड्रा	28159	73762	318	95	5926	108260
10	जॉजगीर–चॉपा	83986	328311	4166	1090	56084	473637
11	कोरबा	53717	201028	2086	188	39503	296522
12	मुंगेली	50471	142674	1263	248	12075	206731
13	रायगढ़	96434	260518	3075	217	61354	421598
14	बालोद	29402	132591	869	838	32304	196004
15	बेमेतरा	40109	149432	3318	296	28387	221542
16	दुर्ग	70687	224278	2142	2563	137746	437416
17	कवर्धा	63163	153656	926	82	22467	240294
18	राजनांदगाँव	71271	272095	809	379	48230	392784
19	बलौदा बाजार	54323	244558	2519	707	46024	348131
20	धमतरी	43892	123526	774	203	32629	201024
21	गरियाबंद	45841	115716	1219	417	15175	178368
22	महासमुंद	50482	218871	2625	1084	42700	315762
23	रायपुर	62388	348435	3070	997	128766	543656
24	बलरामपुर	55679	116564	779	43	21160	194225
25	जशपुर	54595	138672	801	96	24642	218806
26	कोरिया	40666	103166	464	80	28904	173280
27	सरगुजा	64156	164708	931	117	23721	253633
28	सूरजपुर	55051	146820	1012	98	18326	221307
	योग	**1417934**	**4449388**	**38617**	**11268**	**975410**	**6892617**

लोक वित्त

05

लोक वित्त

मुख्य बिन्दु

- बजट का उद्देश्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ती के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके।
- वित्तीय वर्ष 2021—22 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 16.07 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष 2021—22 के कुल कर राजस्व में 17.11 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष 2021—22 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान 61.05 प्रतिशत अनुमानित है।
- गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों का है। वर्ष 2021—22 के कुल गैर कर राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 70.06 प्रतिशत अनुमानित है।
- वर्ष 2021—22 में राजस्व प्राप्ति रू. 79,325.42 करोड़ एवं राजस्व व्यय रू. 83,027.55 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार राजस्व घाटा रू.—3,702.13 करोड़ दर्शाता है।

लोक वित्त

5.1 वार्षिक बजट वर्ष 2021–2022:– वार्षिक बजट का उददेश्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है, जिसमें सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिये संसाधन उपलब्ध हो सके। बजट मात्र आय एवं व्यय का पत्रक ही नहीं होता वरन यह शासकीय नीतियों का महत्वपूर्ण घोषणा पत्र होता है। बजट वर्ष 2021–22 इस दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया कि राज्य की विकास आवश्यकताओं एवं अतिरिक्त कर भार के बीच उचित संतुलन बना रहे। वर्ष 2019–20 में राजस्व घाटा रू. (–)9,608.61 करोड़ के बावजूद वित्तीय घाटा रू. (–) 17,969.55 है, जो वर्ष 2020–21 में रू.(–) 22,838.36 करोड़ से कम होकर 2021–22 में रू. (–) 17,461.03 करोड़ अनुमानित है। बजट सारांश सारणी 5.1 में दर्शाया गया हैं।

सारणी 5.1 बजट (राशि करोड़ में)

स.क्र.	मद	2019-20 (लेखा)	2020-21 (पु.अ.)	2021-22 (ब.अ.)
1	राजस्व प्राप्ति	63868.70	68343.61	79325.42
2	राजस्व व्यय	73477.31	80647.36	83027.55
3	राजस्व घाटा	-9608.61	-12303.75	-3702.13
4	पूंजीगत प्राप्तियॉं	16810.53	22277.89	17820.01
5	पूंजीगत व्यय	8566.39	10680.51	13839.35
6	ऋण एवं अग्रिम	56.16	154.10	239.55
7	कुल प्राप्तियॉं	80679.23	90621.50	97145.43
8	कुल व्यय	82099.86	91481.97	97106.45
9	वर्ष के शुद्ध लेन देन	-1415.71	-860.47	38.98
10	राजकोषीय (वित्तीय) घाटा	-17969.55	-22838.36	-17461.03

स्रोत:– वित्त सचिव का स्मृति पत्र ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; ब.अ. = बजट अनुमान

5.2 राजस्व प्राप्तियॉं:–मार्च 2021 में प्रस्तुत बजट अनुमान अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल राजस्व प्राप्तियॉं रू. 79,325.42 करोड़ अनुमानित है। जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 16.07 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कर राजस्व रू. 48,425.42 करोड़ अनुमानित है, जबकि वर्ष 2020–21 में पुनरीक्षित अनुमान रू. 41,348.61 करोड़ अनुमानित रहा, अर्थात कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 17.11 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इसी प्रकार गैर–कर राजस्व में 14.47 % वृद्धि अनुमानित

सारणी 5.2 राजस्व प्राप्तियॉं (राशि करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	गैर कर राजस्व	कुल राजस्व प्राप्तियॉं
2019-20 (लेखा)	42323.69	21545.01	63868.70
2020-21 (पु.अ.)	41348.61	26995.00	68343.61
2021-22(ब.अ.)	48425.42	30900.00	79325.42

स्रोत:– वित्त सचिव का स्मृति पत्र ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; ब.अ. = बजट अनुमान

है। गैर कर राजस्व वर्ष 2020–21 में पुनरीक्षित अनुमान रू. 26,995.00 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2021–22 में रू. 30,900.00 करोड़ अनुमानित है। विवरण सारणी 5.2 में है।

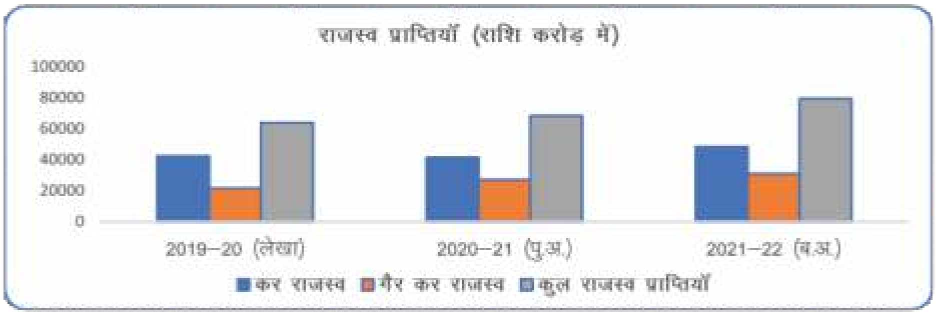

5.3 कर राजस्वः– वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल कर राजस्व में 17.11 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। कर राजस्व में प्रमुख योगदान राज्य का स्वयं का कर राजस्व है। केन्द्रीय करों के कर राजस्व में 20.62 प्रतिशत वृद्धि होना अनुमानित है, जबकि राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 14.19 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कर राजस्व में राज्य के स्वयं के करों का अंश 53.17 प्रतिशत अनुमानित है, एवं कुल राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 61.05 प्रतिशत अनुमानित है। सारणी 5.3 में वर्ष 2019–20 से वर्ष 2021–22 तक का कर राजस्व विवरण दर्शाया गया है।

सारणी 5.3 कर राजस्व (राशि करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का कर राजस्व	केंद्रीय करों में राज्य का अंश	योग	कुल कर में स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत	कुल कर में केन्द्रीय करों का प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
						स्वयं का कर	केन्द्रीय कर	स्वयं का कर	केन्द्रीय कर
2019-20 (लेखा)	22117.85	20205.84	42323.69	52.26	47.74	-	-	-	-
2020-21 (पु.अ.)	22550.00	18798.61	41348.61	54.54	45.46	1.95	-6.96	432.15	-1407.23
2021-22(ब.अ.)	25750.00	22675.42	48425.42	53.17	46.83	14.19	20.62	3200.00	3876.81

स्रोतः– वित्त सचिव का स्मृति पत्र ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; ब.अ. = बजट अनुमान

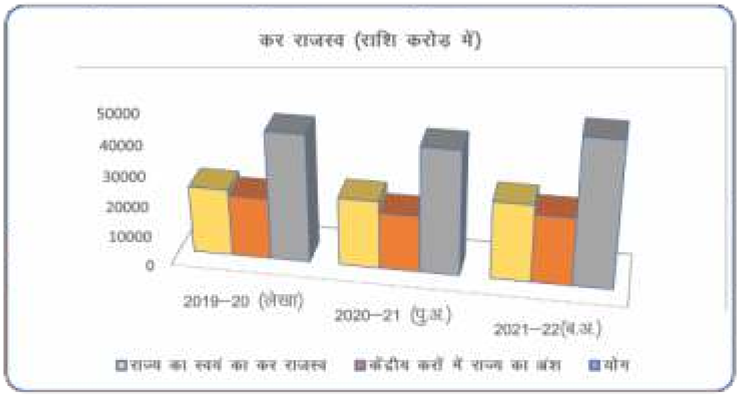

5.4 गैर–कर राजस्वः–गैर–कर राजस्व में प्रमुख योगदान केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों का है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में गैर–कर राजस्व रू. 30,900 करोड़ अनुमानित है। पिछले दो वर्षों में गैर–कर राजस्व की प्रवृत्ति एवं वर्ष 2021–22 बजट अनुमान को सारणी 5.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.4 गैर कर राजस्व (राशि करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय सहायता अनुदान	राज्य का गैर कर राजस्व	कुल गैर कर राजस्व	कुल गैर कर राजस्व में केंद्रीय सहायता का प्रतिशत	कुल गैर कर राजस्व में राज्य के गैर कर राजस्व का प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
						केंद्रीय सहायता	राज्य का गैर कर राजस्व	केंद्रीय सहायता	राज्य का गैर कर राजस्व
2019-20 (लेखा)	13611.24	7933.77	21545.01	63.18	36.82	-	-	-	-
2020-21 (पु.अ.)	18500.00	8495.00	26995.00	68.53	31.47	35.92	7.07	4888.76	561.23
2021-22 (ब.अ.)	21650.00	9250.00	30900.00	70.06	29.94	17.03	8.89	3150.00	755.00

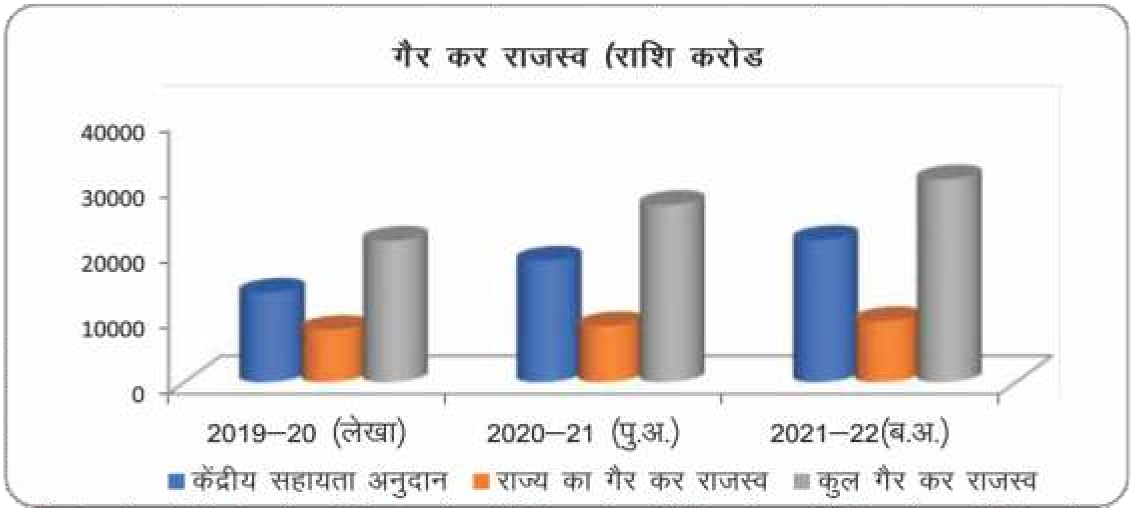

5.5 राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्ययः–वर्ष 2020–21 पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से अधिक रखा गया, जो राजस्व घाटा को दर्शाता है। राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय का पिछलें दो वर्षो का एवं वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान विवरण सारणी 5.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.5 राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय (राशि करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय	आधिक्य (+) या घाटा (-)	राजस्व प्राप्तियों से व्यय का प्रतिशत	वर्षवार प्रतिशत वृद्धि		पूर्व वर्ष से अंतर	
					राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय
2019-20 (लेखा)	63868.70	73477.31	-9608.61	115.04	-	-	-	-
2020-21 (पु.अ.)	68343.61	80647.36	-12303.75	118.00	7.01	9.76	4474.91	7170.05
2021-22 (ब.अ.)	79325.42	83027.55	-3702.13	104.67	16.07	2.95	10981.81	2380.19

स्रोतः– वित्त सचिव का स्मृति पत्र ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; ब.अ. = बजट अनुमान

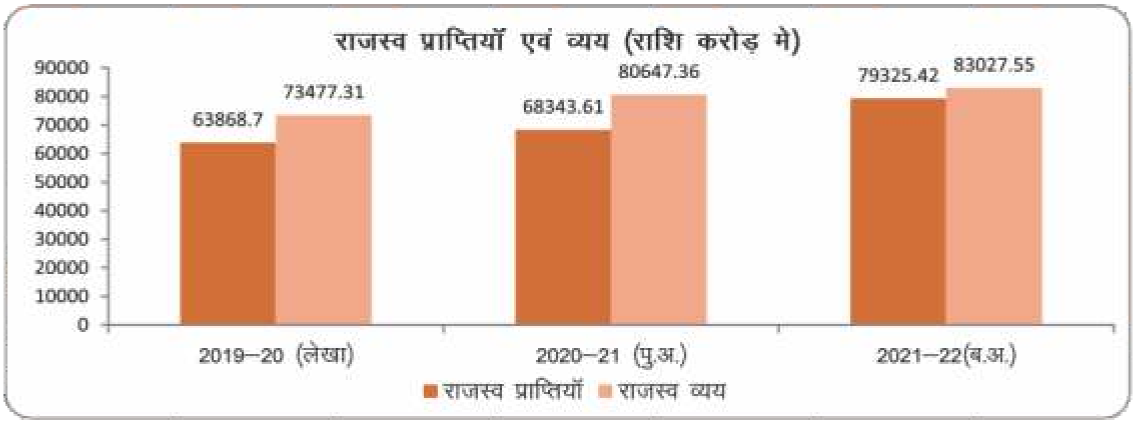

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं ब्याज की अदायगी, बाध्यता होने के साथ–साथ राजस्व व्यय के प्रमुख घटक है। राजस्व व्यय का विवरण सारणी 5.6 में दर्शाया गया हैं।

सारणी 5.6 राजस्व व्यय (राशि करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	पेंशन	वेतन एवं भत्ते	मजदूरी	अन्य	कुल राजस्व व्यय
2019-20 (लेखा)	4970.34	6611.11	20585.72	764.96	40545.18	**73477.31**
2020-21 (पु.अ.)	6241.07	6677.80	23418.55	1020.31	43289.63	**80647.36**
2021-22 (ब.अ.)	6470.83	6580.76	25121.65	1018.57	43835.74	**83027.55**

स्रोत– वित्त सचिव का स्मृति पत्र ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; ब.अ. = बजट अनुमान

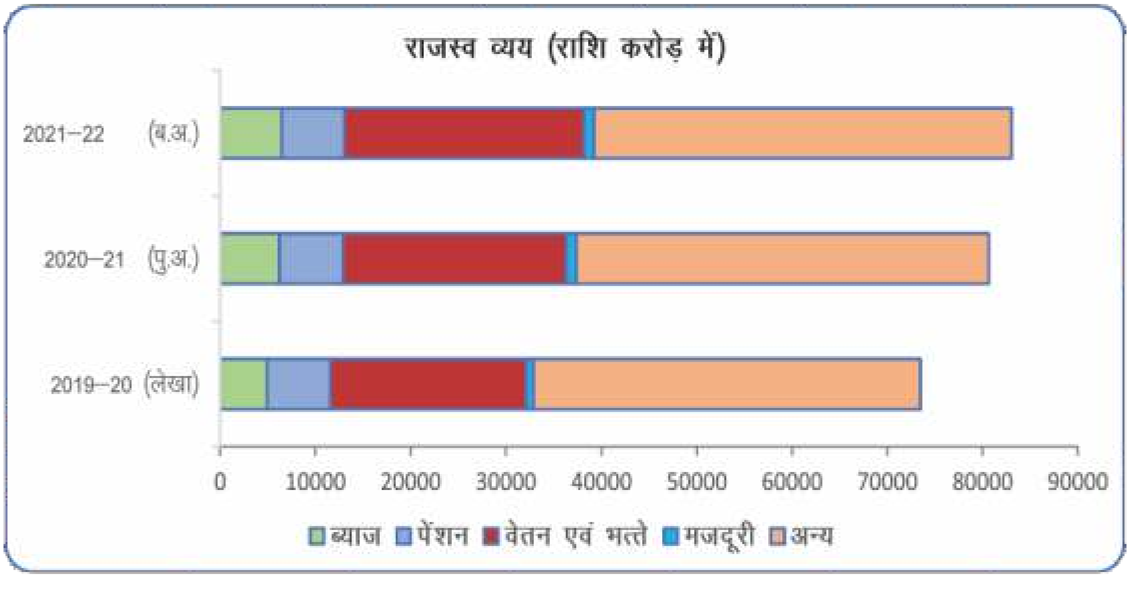

5.7 राजस्व प्राप्तियाँ:–वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल व्यय के 81.68 प्रतिशत भाग की पूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना अनुमानित है, यह भाग 2020–21 के पुनरीक्षित अनुमान में 74.71 प्रतिशत है। राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत विवरण सारणी 5.7 में दर्शाया गया है।

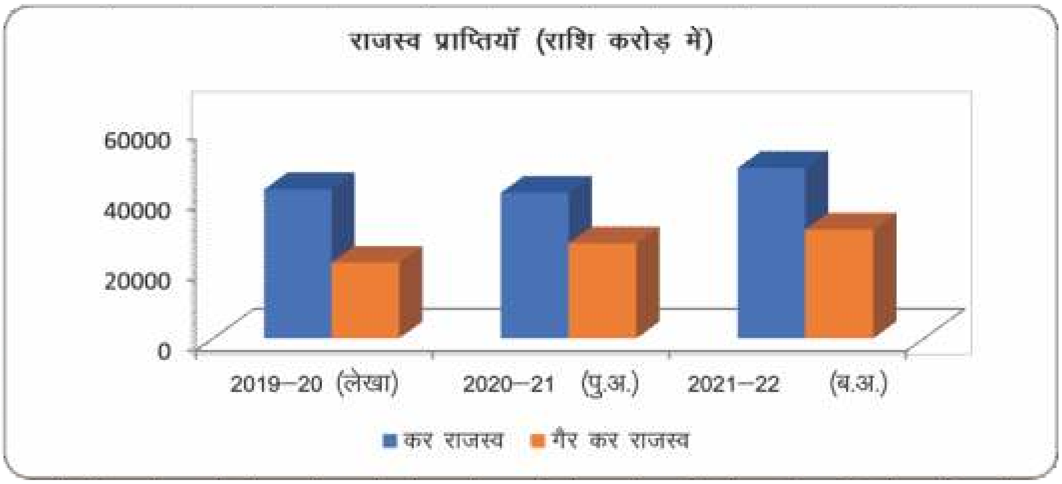

सारणी 5.7 राजस्व प्राप्तियाँ (राशि करोड़ में)

स.क.	मद	2019-20 (लेखा)	2020-21 (पु.अ.)	2021-22 (ब.अ.)
(1)	**कर राजस्व**	**42323.69**	**41348.61**	**48425.42**
	(i) आय एवं व्यय पर कर	12288.57	10892.71	13303.02
	(ii) सम्पत्ति एवं पूंजीगत लेन देनों पर कर	2186.43	2299.74	2499.71
	(iii) वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	27848.69	28156.16	32622.69
(2)	**गैर कर राजस्व**	21545.01	26995.00	30900.00
	(i) राज्य का गैर कर राजस्व	7933.77	8495.00	9250.00
	(ii) केंद्र से सहायता अनुदान	13611.24	18500.00	21650.00
कुल (1+2)		**63868.70**	**68343.61**	**79328.42**

स्रोतः– छत्तीसगढ़ आय–व्ययक ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; ब.अ. = बजट अनुमान

5.8 राज्य की वित्तीय स्थिति–राज्य की वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय संसाधनों की वृद्धि का विवरण सारणी 5.8 में दर्शाया गया है:–

सारणी 5.8 राज्य की वित्तीय स्थिति				
क्र.	मद	2019-20 (लेखा)	2020-21 (पु.अ.)	2021-22(ब.अ.)
I	**राजस्व प्राप्तियां**	**63868.70**	**68343.61**	**79325.42**
क.	राज्य का राजस्व	30051.62	31045.00	35000.00
(1)	कर राजस्व	22117.85	22550.00	25750.00
(2)	कर भिन्न राजस्व	7933.77	8495.00	9250.00
ख.	केन्द्र से प्राप्तियां	**33817.08**	**37298.61**	**44325.42**
(3)	केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	20205.84	18798.61	22675.42
(4)	सहायक अनुदान	13611.24	18500.00	21650.00
II	**पूंजीगत प्राप्तियां**	**16810.53**	**22277.89**	**17820.01**
(5)	उधार एवं अग्रिम की वसूली	256.91	300.00	320.00
(6)	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	4.70	0.00	0.00
(7)	शुद्ध लोक ऋण	10892.50	17227.89	13400.01
(8)	लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियां	5656.42	4750.00	4100.00
III	**कुल प्राप्तियां (I+II)**	**80679.23**	**90621.50**	**97145.43**
IV	**कुल व्यय**	**82099.86**	**91481.97**	**97106.45**
(9)	राजस्व व्यय	73477.31	80647.36	83027.55
(10)	पंजीगत व्यय	8566.39	10680.51	13839.35
(11)	ऋण एवं अग्रिम	56.16	154.10	239.55
V	**पुनर्प्राप्तियाँ एवं ऋण अदायगी**	**10161.48**	**7360.39**	**8106.28**
VI	**कुल विनियोग**	**92261.34**	**98842.36**	**105212.73**
VII	**ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)**	**4970.34**	**6241.07**	**6470.83**
VIII	**राजस्व आधिक्य/घाटा**	**-9608.61**	**-12303.75**	**-3702.13**
IX	**राजकोषीय (वित्तीय) घाटा**	**-17969.55**	**-22838.36**	**-17461.03**
X	**प्राथमिक घाटा**	**-12999.21**	**-16597.29**	**-10990.20**

स्त्रोत: वित्त सचिव का स्मृति पत्र– पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान, ब.अ. = बजट अनुमान

सारणी क्रमांक 5.9 राज्य के राजकोषीय सूचक				
क्र.	राजकोषीय सूचक	2019-20 (लेखा)	2020-21 (पु.अ.)	2021-22 (ब.अ.)
I	**प्राप्तियां**			
(i)	राजस्व प्राप्तियां/कुल प्राप्तियां (%)	79.16	75.42	81.66
(ii)	पूजीगत प्राप्तियां कुल प्राप्तियां (%)	20.84	24.58	18.34
(iii)	राज्य के स्वयं का राजस्व प्राप्तियां/राजस्व प्राप्तियां (%)	47.05	45.42	44.12
(iv)	केन्द्र से प्राप्तियां/राजस्व प्राप्तियां (%)	52.95	54.58	55.88
(v)	राज्य के स्वयं का कर राजस्व/राज्य के स्वयं का राजस्व (%)	73.60	72.64	73.57
(vi)	राज्य के स्वयं का गैर कर राजस्व/राज्य के स्वयं का राजस्व (%)	26.40	27.36	26.43
(vii)	केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा/केन्द्र से प्राप्तियां (%))	59.75	50.40	51.16
(viii)	सहायक अनुदान/केन्द्र से प्राप्तियां (%))	40.25	49.60	48.84
II	**व्यय**			
(i)	राजस्व व्यय/कुल व्यय %	89.50	88.16	85.50
(ii)	पूँजीगत व्यय/कुल व्यय %	10.43	11.67	14.25
(iii)	ऋण और अग्रिम/कुल व्यय %	0.07	0.17	0.25
III	**व्यय/प्राप्तियां**			
(i)	राजस्व व्यय/राजस्व प्राप्तियां %	115.04	118.00	104.67
(ii)	कुल व्यय/कुल प्राप्तियां %	101.76	100.95	99.96
(iii)	ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियां %	7.78	9.13	8.16

स्त्रोत: वित्त सचिव का स्मृति पत्र ; पु.अ.= पुनरीक्षित अनुमान ; ब.अ. = बजट अनुमान

5.9 विभिन्न करों से राजस्व प्राप्तियाँ:— विभिन्न करों से राजस्व प्राप्तियों का विवरण सारणी क. 5.10 में दर्शाया गया है।

सारणी क. 5.10 विभिन्न करों से राजस्व प्राप्तियाँ

क.	विवरण	अप्रैल 19 से सितंबर 19	अप्रैल 19 से मार्च 20	अप्रैल 20 से सितंबर 20	अप्रैल 20 से मार्च 21	अप्रैल 21 से सितंबर 21	वृद्धि/कमी (%) मार्च 20 से मार्च 21	वृद्धि/कमी (%) सितंबर 20 से सितंबर 21
1	वैट (प्रान्तीय कर)	1672.74	3899.56	1472.25	4203.50	2244.10	7.79	52.43
2	केन्द्रीय विक्रय कर	15.59	31.27	5.91	31.82	6.79	1.76	14.89
3	प्रवेश कर	10.44	40.20	11.07	79.26	15.07	97.16	36.13
4	स्थानीय संग्रहण कर	0.15	0.62	0.05	0.14	0.10	-77.42	100.00
5	SGST	2712.95	5548.27	2256.82	5444.13	3161.99	-1.88	40.11
6	IGST Settlement	1291.78	2349.37	779.05	2621.09	1176.67	11.57	51.04
7	Compensation	1738.00	3081.43	1876.56	3212.15	633.82	4.24	-66.22

संस्थागत वित्त एवं विनियोजन

06

संस्थागत वित्त एवं विनियोजन

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2021–22(अग्रिम) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) के अग्रिम अनुमान में बैंकिंग क्षेत्र का योगदान 8,71,619 लाख रूपये अनुमानित।
- राज्य में बैंकों की संख्या जून 2021 में 47, शाखाओं की संख्या 3,136 एवं एटीएम की संख्या 3,320 है। जिनमें कुल जमा 1,92, 324.30 करोड़ रूपये है।
- प्राथमिकता क्षेत्र में आबंटित ऋण में जून 2020 की तुलना में जून 2021 में 6.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- महिलाओं को आबंटित ऋण में जून 2020 की तुलना में जून 2021 में 16.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- प्रधानमंत्री जन–धन योजना 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई थी। 05/01/2022 की स्थिति में राज्य में 44,32,71,252 खाते हैं।
- ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) अंतर्गत नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2020–21 के दौरान कुल रु. 1,432.00 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की गई।
- वर्तमान में प्रदेश में कुल 2,058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियॉं कार्यरत हैं।
- प्रदेश में स्थित चार सहकारी शक्कर कारखानों द्वारा पेराई वर्ष 2020–21 में कृषकों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में गन्ना खरीदकर शक्कर का उत्पादन 78,227 क्विंटल किया गया है।

6.1 वित्तीय क्षेत्र एवं आर्थिक विकास

विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार प्रगतिशील देशों के अनुभव यह बताते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था सामाजिक एवं आर्थिक विकास में वित्तीय एकीकरण (Financial Integratation) की प्रक्रिया के माध्यम में न केवल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अपितु पूँजी जुटाने (Capital Mobilization) में भी सहायक होती है जहाँ एक ओर वित्तीय संस्थायें अर्थव्यवस्था में तरलता एवं गतिशीलता को बनाये रखने हेतु वित्तीय मध्यस्थता के माध्यम से बचत व निवेश को प्रोत्साहन तथा संस्थाओं व व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का कार्य करती हैं वहीं दूसरी तरफ विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में उत्पादक रूप से वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुये राज्य तथा राष्ट्र के आर्थिक वृद्धि एवं विकास में अपना योगदान देती हैं।

मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों (MSMEs) की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे उत्पादन गतिशीलता को बाजार की माँग के अनुरूप बनाये रखने तथा वित्तीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग से जोखिम उठाकर निवेश पर आय सुनिश्चित करने वाले उद्यमियों को बैंक व वित्तीय संस्थायें बहुत सहायक होती हैं। ठीक इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में जहां लघु, एवं सीमांत कृषक उत्पादन के लिये आवश्यक निविष्टियों (Input) जैसे– सिंचाई, बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाओं की खरीदी इत्यादि कृषि – सम्बंधित कार्यों हेतु न्यूनतम–ब्याज दर पर ऋण की अपेक्षा रखते हैं, उनको पूरा करने में भी बैंकों की प्रमुख भूमिका होती है।

6.1.1 राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा निरंतर बढ़ कर रहा है, जो तालिका 6.1 में दर्शाया गया है:–

तालिका 6.1 बैंकिंग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
योगदान (लाख रु.)	772556	692048	742683	762724	803878	839859	871619
वृद्धि (प्रतिशत)	13.24	-10.42	7.32	2.70	5.40	4.48	3.78
योगदान (प्रतिशत)	4.29	3.56	3.71	3.42	3.44	3.64	3.40

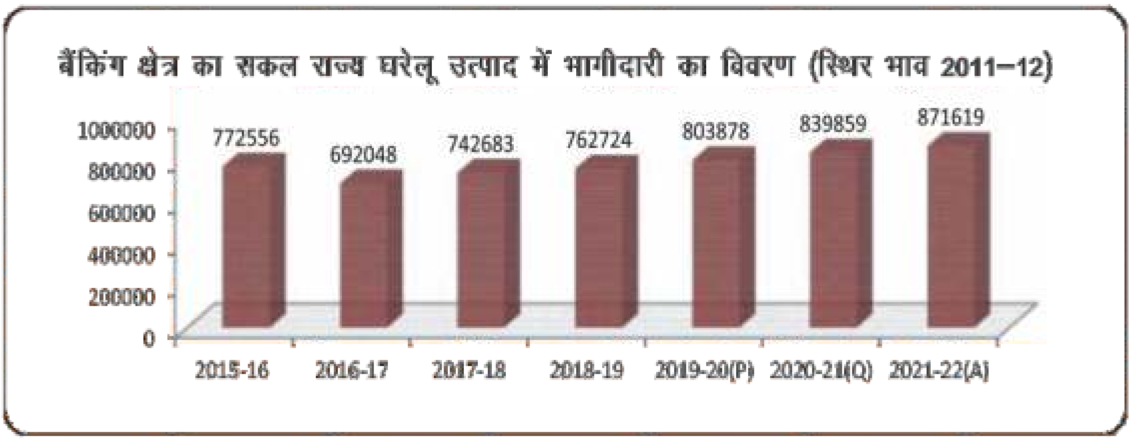

6.1.2 छत्तीसगढ़ राज्य में बैंकिंग गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। बैंकिंग गतिविधियों को गति देने में दिशा देने हेतु राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से समीक्षा करती हैं। जो कि तालिका क्रमांक 6.2 से स्पष्ट होता है। जून 2021 की स्थिति में 3,136 बैंक शाखाएं हैं।

- जून 2021 की स्थिति में बैंक जमा राशि 1,92,324.30करोड़ है, जो कि जून 2020 की तुलना में 8.73 प्रतिशत अधिक है।
- जून 2021 की स्थिति में क्रेडिट (अग्रिम) 1,23,082.66 था जो कि जून 2020 की तुलना में 9.02 प्रतिशत अधिक है।
- क्रेडिट (अग्रिम) के स्वरूप के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम की राशि जून 2020 की स्थिति में रू. 51,156.99करोड़ से बढ़कर जून 2021में रू. 54,449.75 करोड़ हो गई है, अर्थात् कुल 6.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- इस संदर्भ अवधि में कृषि क्षेत्र में क्रेडिट (अग्रिम) में 12.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

6.1.3 साख जमा गतिविधियां :–

तालिका 6.2 राज्य में बैंकिंग कार्यों की प्रगति (राशि करोड़ में)

क्र.	विवरण	जून 2020	जून 2021	प्रतिशत वृद्धि (जून 20–जून21)
1	बैंकों की संख्या	-	47	-
2	शाखाओं की संख्या	-	3136	-
3	ATM की संख्या	-	3320	-
4	कुल जमा	176881.44	192324.30	8.73
5	कुल अग्रिम	112900.30	123082.66	9.02
6	साख–जमा अनुपात प्रतिशत	63.83	64.00	
7	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	51156.99	54449.75	6.44
8	कुल अग्रिम में से प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	45.31	44.24	
9	कृषि में अग्रिम	15823.81	17855.52	12.84
10	कुल अग्रिम में से कृषि क्षेत्र में अग्रिम प्रतिशत	14.02	14.51	
11	लघु उद्योगों में अग्रिम	25536.59	26246.15	2.78
12	अन्य कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम	11992.53	11864.40	-1.07
13	कुल अग्रिम में से अन्य कमजोर वर्ग का प्रतिशत	10.62	9.64	
14	महिलाओं को अग्रिम	11759.52 1	13694.37	16.45

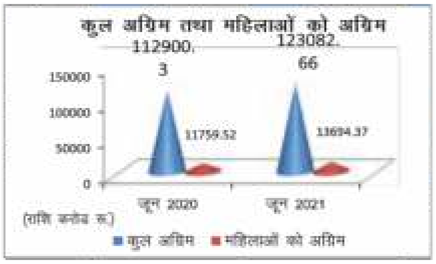

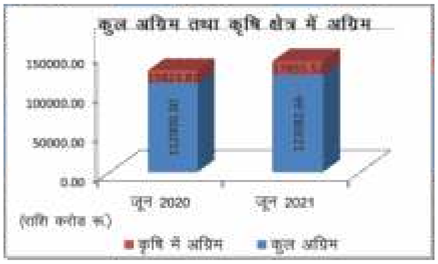

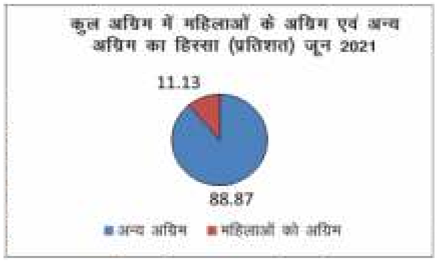

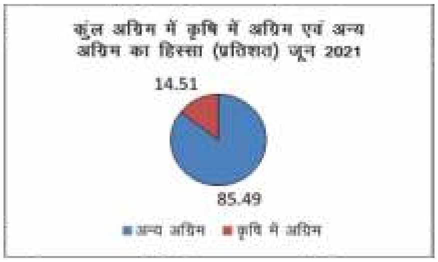

तालिका 6.3 प्रतिवेदक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति (राशि करोड़ रूपयों में)

वर्षान्त (अंतिम शुक्रवार की स्थिति)	प्रतिवेदक बैंक शाखायें	जमा राशि	ऋण राशि	ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1999–2000	1045	6116	2379	38.91
2000–2001	1042	7458	2966	39.77
2001–2002	1036	9605	4219	43.93
2002–2003	1039	11443	4474	39.1
2003–2004	1319	15454	9101	58.89
2004–2005*	1331	17605	11269	64.01
2005–2006*	1334	22053	12684	57.52
2006–2007*	1356	26014	15420	58.27
2007–2008*	1416	31618	19094	60.39
2008–2009*	1500	39437	23043	57.99
2009–2010*	1590	49379	27943	56.59
2010–2011*	1705	59032	33022	55.94
2011–2012	1912	70742	40135	56.73
2012–2013	2084	87339	49094	56.21
2013–2014	2334	92772	58631	63.2
2014–2015	2454	105023	67691	64.45
2015–2016	2635	107441	73079	68.02
2016–2017	2703	124013	82244	66.32
2017–2018	2753	138843.75	92957.25	66.95
2018–2019	2811	150957.58	99686.99	66.04
2019–2020	3090	167692.72	110208.32	65.72
2020–2021	3148	190581.97	119765.27	62.84
2021–2022 जून 2021	3136	192324.30	123082.66	64.00

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैठक प्रकाशन,

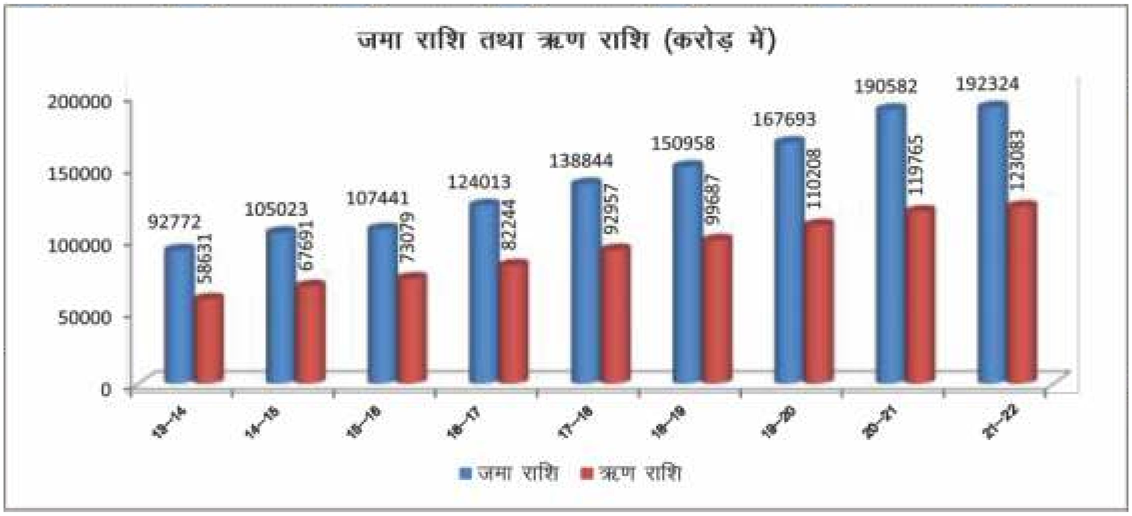

6.2 वित्तीय समावेश पर अवलोकन और प्रगति

6.2.1 वित्तीय समावेश अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करने हेतु सामाजिक तथा आर्थिक विकास के साथ–साथ लेन–देन की गतिविधियों में सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों के संवेग में वृद्धि तथा विस्तार होती है, साथ ही मध्यम, लघु एवं छोटे उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलती है जिससे रोजगार के नये अवसर का सृजन होता है।

वित्तीय समावेश केन्द्र, अमेरिका (Center for Financial Inclusion) की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय समायेशन निम्नलिखित बिन्दुओं को समावेशित करता है।

- वित्तीय सेवाओं जैसे ऋण, बचत, बीमा, और भुगतान इत्यादि का अभियोग।
- गुणवत्तापूर्ण सुविधाजनक, सस्ती, उपयुक्त व ग्राहक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली सेवा।
- ग्राहकों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में सूचित करते हुये उनके वित्तीय क्षमता का विकास करना।
- सभी के वित्तीय सेवाओं के उपयोग करने हेतु समान अवसर।
- विविध एवं प्रतिस्पर्धी बाजार के माध्यम से सेवा प्रदाताओं की श्रृंखला।
- स्पष्ट वित्तीय नियामक ढांचा।

अतः विगत दशकों के दौरान वित्तीय समावेशन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहा है, जिसका क्रियान्वयन बैंकों के राष्ट्रीयकरण, बैंकों की शाखा विस्तार, लीड बैंक योजना, व्यापार संवाद दाता मॉडल, मोबाइल बैंकिंग का विस्तार, आधार बैंकिंग खाते, ई–KYCs इत्यादि विभिन्न पहलों के द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय, समावेशन का उद्देश्य देश की बडी आबादी, जो कि अब तक स्थिर विकास की संभावनाओं में पिछडी हुई है, उनके लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। इसके अतिरिक्त यह विशेष रूप से गरीबों के लिए वित्तपोषण उपलब्धता हेतु एक अधिक समावेशी विकास की दिशा में एक प्रयास है।

6.2.2 प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई) :–प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई) औपचारिक रूप से 28 अगस्त, 2014 को आरंभ की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक ऋण, बीमा और पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना की गई है। लाभार्थियों को 1.00 लाख रुपए की रुपे डेबिट कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा रू. 30000 का जीवन बीमा कवर उन लोगों को प्राप्त होगा जो 15–08–2014 से 26–01–2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खोल चुके हैं व योजना कि अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे।

पीएमजेडीवाई (PMJDY) पहले वित्तीय समायेशन कार्यक्रम (स्वाभिमान) से अलग है, चूँकि अन्य बातों के साथ देश भर में सभी परिवारों (ग्रामीण एवं शहरी) तक बैंकिंग सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना चाहता है। जबकि पहला वित्तीय समावेश कार्यक्रम 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों को शामिल करने पर केन्द्रित था, पीएमजेडीवाई (PMJDY) के अंतर्गत सरलीकृत केवाईसी (KYC) हेतु दिशा निर्देश दिया गया है।

यह स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा खाता धारक पीएमजेडीवाई के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक नया खाता नहीं खोल सकते। वे मौजूदा खाते में जारी रुपे डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट सीमा में दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

तालिका 6.4 प्रधानमंत्री जन–धन योजना प्रगति

स्थिति	प्रधानमंत्री जन–धन योजना खाते	सक्रिय खाते	सक्रिय खातों का प्रतिशत	आधार लिंक खाते	आधार लिंक खातों का प्रतिशत
31/03/2015	6776888	2682375	40	1214103	18
31/03/2016	9741764	5637620	58	3019947	31
31/03/2017	12295359	8219486	67	8135008	66
31/03/2018	12994262	10226353	79	9875639	76
29/05/2019	14093072	11687790	83	10971752	78
22/01/2022	443271252				

6.2.3 रूपे कार्ड:–रूपे कार्ड एक नई भुगतान योजना एनपीसीआई द्वारा नियोजित कि गयी है। यह एक घरेलू, स्वतंत्र बहुपक्षीय कार्ड भुगतान प्रणाली है, जो सभी भारतीय बैंकों और भारत में वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति प्रदान करता है। रूपे कार्ड 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। रुपे कार्ड भारत में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता बढाने के लिए एक नेटवर्क बनाने का प्रतीक है, जो की भारतीय बैंकों को काफी कम और सस्ती लागत पर कार्ड भुगतान सुविधा देता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कार्ड पर निर्भरता कम होती है। यह चीन जैसे बड़े उभरते देश जिनकी स्वयं के घरेलू कार्ड भुगतान प्रणाली है के जैसा है। भारत सरकार ने बैंकों को सभी KCC और DBT लाभार्थियों को डेबिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है इसके साथ हर नये खाता धारक को एक डेबिट कार्ड जारी किया जाना है। इस प्रकार एक

तालिका 6.5 रूपे कार्ड विवरण (05.01.2022)

प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते संख्या	रूपे कार्ड जारी खाते
44.33 crore	10,225,238

कम लागत विकल्प के रूप में रूपे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मददगार होगा। रूपे कार्ड एटीएम बिक्री टर्मिनलों के केंद्र और ऑनलाइन खरीद पर काम करता है, और न केवल दुनिया में किसी भी अन्य कार्ड योजना के बराबर है, बल्कि यह ग्राहकों को भुगतान विकल्प में लचीलापन प्रदान करता है। विवरण तालिका क्र. 6.5 में दर्शित है।

6.2.4 मुद्रा (Micro Units Development Refinance Agency) योजना :—छोटे गैर कॉर्पोरेट (NCSBS) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, किंतु इन छोटे कुटीर उद्योगों को बैंक नियमो को पूरा नहीं कर पाने के कारण बैंकों से आर्थिक मदद आसानी से नहीं मिलती। ये काफी हद तक स्ववित्त पोषित हैं अथवा निजी नेटवर्क या साहूकारों पर निर्भर हैं। इसलिए मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को घोषित की गई हैं। यह न केवल इन उद्यमियों के जीवनस्तर में सुधार लायेगा वरन नये रोजगार सृजन करेगा एवं देश की उच्च विकास दर को प्राप्त करने में योगदान देगा। मुद्रा बैंक योजना के तहत छोटे उद्योगों एवम दुकानदारों को ऋण की सुविधा तीन चरणों में दी गई है :—

- **शिशु ऋण योजना:** कुटीर उद्योग की शुरुआत के समय मुद्रा बैंक के तहत पचास हजार के ऋण का प्रावधान है।
- **किशोर ऋण योजना:** इसमें ऋण की राशि पचास हजार से पांच लाख तक की जा सकती है।
- **तरुण ऋण योजना** : इसमें पाँच से दस लाख तक का ऋण लिया जा सकता हैं।

तालिका 6.6 मुद्रा योजना प्रगति 30.06.2021 (राशि करोड़ में)

वर्ष	शिशु		किशोर		तरुण		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2021—22 लक्ष्य	381113	2425.00	108889	693.00	54445	347.00	544447	3465.00
2021—22 प्राप्तियाँ	17686	27.42	5748	123.49	1749	149.93	25183	300.84

6.2.5 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और एलपीजी (DBTL) के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण:

DBT योजना का उद्देश्य, विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत पैसे सीधे और बिना किसी देरी के लाभार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित करना है। बैंक डीबीटी/डीबीटीएल के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस कार्य के चार महत्वपूर्ण चरण है

(1) सभी लाभार्थियों के बैंक खातों का खुलना।

(2) आधार नंबर और एनपीसीआई मैपर पर अपलोड करने के साथ बैंक खातों की सीडिंग।

(3) राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस का उपयोग कर धन हस्तांतरण, आधार कार्ड भुगतान ब्रिज सिस्टम (NACH-APBS)।

(4) पैसे निकालने के लिए बैंकिंग ढांचे का सुदृढ़ीकरण।

6.3 विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं :–सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से भारत सरकार द्वारा तीन महत्वपूर्ण योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी. वाय.), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाय.) एवं अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाय.) का शुभारंभ किया गया है। उक्त योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य में अत्यंत प्रगति हुई है विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 6.7 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

क्र.	योजना का नाम	31–03–2020	30–06–2021
		संख्या	संख्या
1	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	1268530	2110294
2	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	4639011	7210295
3	अटल पेंशन योजना	281465	455602

6.3.1 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना :– यह एक भारत सरकार द्वारा समर्थित एवं तैयार की गई जीवन बीमा योजना है जिसका लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है। इसमें न्यूनतम वार्षिक किस्त 330 रू है, जिसमें मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रूपये की राशि प्राप्त होती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना एक–वर्ष की नवीकरणीय योजना है जो दुर्घटना से हुई मृत्यु सह विकलांगता के लिए प्रस्तावित की गई है जिसमें 12 रू के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रूपए की राशि प्राप्त होती है. बीमित व्यक्ति को आंशिक स्थायी विकलांगता पर एक लाख रू प्राप्त होगा।

6.3.2 सुकन्या समृद्धि खाता :– यह योजना शासन की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है। यह 22 जनवरी 2015 को लागू की गई है। इस योजना में निवेश करने पर 9.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से लाभ प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु यह दर बढ़कर 9.2 प्रतिशत कर दी गई है। इस योजना में प्रस्तावित ब्याज दर परिवर्तित की जा सकती है और प्रतिवर्ष संयोजित की जाएगी।

6.3.3 अटल पेंशन योजना :–यह योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिमाह कम अंशदान पर पेंशन का लाभ देने हेतु प्रस्तावित की गई है। वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं निश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए रू. 1000 से रू. 5000 व्यय कर इस योजना को चुन सकते हैं। अंशदायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या नामित व्यक्ति पेंशन एवं संचित राशि का दावा कर सकता है, किन्तु यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूह के लिए है जो करदाताओं की श्रेणी में नहीं हैं। यह योजना समाज के लोगों जैसे– सुरक्षा गार्डवाहन चालक या घरेलू कार्य में सहायता देने वालो के लिए लागू की गई है।

6.3.4 पेंशन योजना :– यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जो पेंशन निधि नियामक एवं विकास अधिकरण (PFRDA) द्वारा नियमित की जाती है, जिसे सेवानिवृत्ति के पश्चात की आवश्यकताओं के उदेदश्य से लागू किया गया है। इस योजना का धारा 80 CCD के अंतर्गत 1.5 लाख रू तक जैसा U/S 80C में प्रावधानित है, का कर लाभ प्राप्त होता है।

6.4 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

6.4.1 ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) :– इस निधि के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2020-21 के दौरान कुल रु. 1,432.00 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की गई इसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए रु. 237.21 करोड़, लघु सिंचाई परियोजना के लिए रु. 119.23 करोड़, 40,000 सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पम्पसेटों के लिए रु. 854.11 करोड़ एवं COVID-19 प्रबंधन और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु रू. 138.36 करोड़ स्वीकृत किए गए।

वर्ष 2020–21 के दौरान चालू परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए रु. 921.98 करोड़ की राशि विलरित की गयी। वर्ष 2020–21 के दौरान, आरआईडीएफ के अंतर्गत अब तक रु. 370 करोड़ की राशि विलरित की गयी।

छत्तीसगढ़ राज्य मे आरआईडीएफ के अंतर्गत अब तक संचयी रूप से 31 मार्च 2021 तक रू. 11.373 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई एवं इसी मद में संचयी रूप से रू. 7,938.79 करोड़ की राशि विलरित की गई।

6.4.2 पुनर्वित्त सहायता :– वर्ष 2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक) की समाप्ति तक नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि उत्पादन ऋण हेतु रु. 2,764 करोड़ एवं निवेश ऋण हेतु रू. 836.70 करोड़ की सहायता दी गई। इसी प्रकार वर्ष 2021–22 (दिसंबर 2021 तक) के दौरान नाबार्ड द्वारा कृषि उत्पादन ऋण और निवेश ऋण हेतु क्रमशः रु. 3,225 करोड़ एवं रु. 283 करोड़ की सहायता दी गई।

6.4.3 मार्कफेड को सहायता :– नाबार्ड द्वारा राज्य में खरीफ विपणन मौसम 2020–21 के दौरान धान की अधिप्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ मार्कफेड को रु. 5,000 करोड़ का ऋण दिया गया। खरीफ विपणन मौसम 2021–22 हेतु धान की अधिप्राप्ति के लिए रु. 7,000 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की गई है।

6.4.4 नाबार्ड आधारभूत विकास सहायता (एनआईडीए) :– नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना – 2018–19 के अंतर्गत 3 लाख ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ रुरल हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को रू. 792.44 करोड़ का ऋण वितरण किया गया।

6.4.5 खाद्य प्रसंस्करण निधि :– खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एमओएफपीआई भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नामित खाद्य पार्क और उसमें खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए किफायती ऋण प्रदान करता है। इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में आगे बढ़ने के लिए 2015–2016 में भारत सरकार द्वारा नामित खाद्य पार्क मेसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क तिल्दा जिला रायपुर को रू. 40.34 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया है जिसके विरूद्ध अब तक रु. 38.32 करोड़ की राशि वितरण की गई है। इस मेगा फूड पार्क का 03 जून 2021 को उद्घाटन किया जा चुका है।

6.4.6 सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता :– यह एक अल्पकालिक बहुउद्देश्यीय ऋण उत्पाद है जो डीसीसीबी और एसटीसीबी को सीधे निर्दिष्ट गतिविधियों के तहत उनके उधार व्यवसाय

का विस्तार करने के लिए वित्तपोषण करता है। नाबार्ड द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान रायपुर जिला सहकारी बैंक को रु. 400 करोड़ की प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता वितरित की गई थी।

6.4.7 दीर्घकालीन सिंचाई निधि (एलटीआईएफ):– एलटीआईएफ के तहत छत्तीसगढ़ में तीन परियोजनाओं (मनियारि, केलो और खारुन) की पहचान की गई है। दिसंबर 2021 के अंत तक, नाबार्ड ने रु. 166 करोड़ केंद्रीय सहायता राशि एवं रु. 82.05 करोड़ स्टेट शेयर राशि स्वीकृत की है, जिसमें से केंद्रीय सहायता राशि के रूप में रु. 56 करोड़ वितरित किए गए हैं।

6.5 विशेष विकासात्मक पहल

6.5.1 स्वयं सहायता समूह– बैंक लिंकेज कार्यक्रम :– नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020–21 के अंत तक 4,03,000 समूहों का गठन किया गया है। वर्ष 2020–21 के दौरान 29,780 स्वयं सहायता समूह को ऋण से सहबद्ध किया गया है। वर्ष 2020–21 के अंत तक 8,675 स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और 3,273 बैंक लिंकेज हेतु 58 स्वयं सहायता समूह संवर्धन संस्थान (एस.एस.पी.आई) स्वीकृत की और उन्हें कुल रुपए 866.54 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई। वर्ष 2020–21 के दौरान स्वयं सहायता समूह के संवर्धन और स्वयं सहायता समूहों के संस्थानों के क्षमता निर्माण हेतु रू. 31.34 लाख की राशि वितरित्त की गई।

6.5.2 संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.) :– नाबार्ड ने काश्तकारों, बटाईदारों, मौखिक पट्टेदारों और सीमांत किसानों के समूहों के संवर्धन और वित्त–पोषण के लिए यह योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ राज्य में 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 2.81 लाख संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.) गठित किए गए हैं, और उन्हें रु. 3,45,392 लाख का ऋण वितरित किया गया है। इसके अंतर्गत नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ में 3,144 संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.) के संवर्धन और ऋण सहबद्धता के लिए 38.96 लाख की अनुदान सहायता राशि क्रियान्वयन संस्थानों को स्वीकृत की गयी।

6.5.3 स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए "ई–शक्ति" :– नाबार्ड ने 15 मार्च 2015 को स्वयं सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए ई–शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के अभिलेखों की पारदर्शिता, समय पर अद्यतनीकरण और समुचित रख–रखाव किया जाएगा, जिससे समूह का समुचित पोषण और सुदृढ़ीकरण होगा, अनियमितताएँ दूर होंगी और समूह के सदस्यों को और खाता–बहियों का उचित रख–रखाव करने में सहायता होगी। स्वयं सहायता समूहों को ऋण की स्थिति को अपग्रेड करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने में डिजिटाइजेशन से सहायता मिलेगी और समूह अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण की मात्रा में वृद्धि कर पाएंगे। समूहों के वर्गीकरण से बैंकों को ऋण संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। 31 दिसम्बर 2021 को राज्य के 6 जिलों– राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, रायगढ़ और दंतेवाड़ा में यह कार्यक्रम चल रहा था। इससे बैंकों को स्वयं सहायता समूह को ऋण देने में आसानी होती है। इस क्रम में वित्तीय समावेशन व भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा जैसे– प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के

सदस्यों को लाया जा रहा है। इन जिलों में स्वयं सहायता समूह के 2,25,597 सदस्यों के बचत खाते खोले गए, 27,078 सदस्यों को सक्षम पेंशन की सुविधा दी गई और 1,83,351 सदस्यों का बीमा कराया गया है। इन जिलों में 43,853 सहायता समूहों को डिजिटाइज किया जा चुका है और 40% समूहों को ऋण दिया जा चुका है।

6.5.4 आदिवासी विकास निधि के तहत वाड़ी विकास :– नाबार्ड द्वारा स्थापित आदिवासी विकास निधि से दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में कई सफल आजीविका परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के आदिवासी परिवारों को टिकाऊ आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 21 जिलों में कुल 85 वाड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें मार्च 2021 तक रू. 220.72 करोड़ अनुदान तथा इसके अंतर्गत राज्य के 56,163 आदिवासी परिवारों को समन्वित किया गया है।

6.5.5 वॉटरशेड विकास :– ग्रामीण क्षेत्रों में जल समस्या के निवारण के लिए नाबार्ड की इस वॉटरशेड विकास योजना के अंतर्गत राज्य के 19 जिलों में संचयी रूप में 67 वॉटरशेड परियोजनाओं हेतु स्वीकृत कुल राशि रु. 53 करोड़ है, तथा इसके अंतर्गत 83,284 हेक्ट. भूमि का उपचार किया गया है और 26,640 परिवारों को शामिल किया गया है। वर्ष 2021–22 में 27 दिसंबर 21 तक रू. 47.32 करोड़ राशि जारी की जा चुकी है।

6.5.6 जलवायु परिवर्तन :– राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड एकमात्र राष्ट्रीय क्रियान्वयन संस्था है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय व जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रस्तावित परियोजना 'छत्तीसगढ़ में महानदी के जलग्रहण क्षेत्र के साथ–साथ डूबान भूमि में जलवायु अनुकूलन को नाबार्ड के प्रयासों से मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य महानदी के जलग्रहण क्षेत्र के साथ–साथ डूबान भूमि के तीन जिलों – धमतरी, महासमुंद और बलौदा बाजार में जलवायु अनुकूलन हेतु एकीकृत कार्यनीति को बढ़ावा देने सहित जलवायु अनुकूलन हेतु परियोजना क्षेत्र के निवासियों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि और क्षेत्र की परिस्थितिकी को यथासंभव पुनर्बहाल करने हेतु उपाय अपनाना है। इस परियोजना का वित्तीय परिव्यय रु. 21 करोड़ है, जिसमें से रु. 3.80 करोड़ की राशि स्टेट सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज (वन विभाग) को जारी की गई है।

6.5.7 कृषक क्लब और कृषक उत्पादक संगठन :– नवंबर 2021 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में 700 कृषक क्लब कार्यरत हैं। इसके साथ ही नाबार्ड में स्थापित 'प्रोड्यूस' निधि के अंतर्गत 57 कृषक उत्पादक संगठन संवर्धित किए गए हैं। नाबार्ड के विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से कृषक क्लबों और कृषक उत्पादक संगठनों की क्षमता में वृद्धि हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत् 10,000 किसान उत्पादक संगठन का गठन और संवर्धन के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 14 विभिन्न जिलों में 23 कृषक उत्पादक संगठन के गठन हेतु स्वीकृति दी गई है एवं उनका कार्यान्वयन शुरू हो गया है।

6.5.8 विपणन क्षमता उपक्रम :– बिलासपुर में आयोजित व्यापार मेले में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण शिल्पकारों, कृषक उत्पादक संगठनों, गैर कृषक उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए 15 स्टॉल्स को प्रायोजित किया। विपणन क्षमता वृद्धि के लिए ग्रामीण हाट और ग्रामीण मार्ट की क्रमशः 06 और 02 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया।

सहकारिता

सहकारिता वास्तव में लोकतांत्रिक साधन का ऐसा प्रारूप है जो पारस्परिक सहायता पर आधारित बैंकिग संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं को संगठित कर उनका संस्थागत विकास करता है, प्रदेश के किसानों, कारीगरों, बुनकरों, मछुआरों, दुग्ध उत्पादकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की सहकारी संस्थाओं के लिए विभाग की मुख्य भूमिका एक मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने का है, ताकि उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति हो सके।

सहकारिता विभाग का मुख्य आधार सहकारी संस्थाएं है, जो इन संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में लोकोपयोगी कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। सहकारी संस्थाएं द्वारा प्रदेश के कृषकों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। सहकारी संस्थाएं कृषि उत्पादन, उत्तम खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवाई वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीद, उपभोक्ता, आवास, मत्स्य, डेयरी, बुनकर, खनिज, वनोपज, बीज उत्पादन, शिक्षा प्रशिक्षण तथा औद्योगिक इकाईयों के निर्माण एवं संचालन के लिए संकल्पित है। ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता के द्वारा भवन निर्माण (आवास गृह) का भी अभिनव प्रयास किया जा रहा है।

6.6 अल्पकालीन साख संरचना :– सहकारी बैंको द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। रासायनिक खाद, कीटनाशक औषधि, कृषि यंत्र, उन्नत बीज वितरण, कृषि उपज विपणन एवं शासन की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन समितियों द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जा रही है। प्रदेश में अल्पकालीन साख संरचना का त्रिस्तरीय ढॉचा कार्यरत है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क. 6.8 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक)

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	कार्यक्षेत्र	शाखाएँ	कुल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या
रायपुर	धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायपुर	69	550
दुर्ग	बालोद, बेमेतरा, दुर्ग	60	311
बिलासपुर	बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर–चांपा, कोरबा	54	430
अंबिकापुर	अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया	22	153
जगदलपुर	जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव, सुकमा	44	258
राजनांदगांव	राजनांदगांव, कबीरधाम	41	222

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायगढ़ के परिसमापन में होने के कारण रायगढ़ एवं जशपुर जिले में अपेक्स बैंक की रायगढ़ शाखा के माध्यम से 134 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को साख उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 2,058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों कार्यरत हैं।

6.6.1 अल्पकालीन कृषि साख संरचना के माध्यम से कृषकों को ऋण वितरण :– राज्य शासन द्वारा कृषकों के आर्थिक हितो के संवर्धन हेतु कृषि ऋणों के ब्याज दर में लगातार कमी की गई है। वर्षवार कृषकों को दिये गये कृषि ऋण पर प्रचलित ब्याज दर निम्नानुसार है :–

क.	वर्ष	प्रभावशाली ब्याज दर
1.	2004–05 से 2005–06 तक	9 %
2.	2006–07	7 %
3.	2007–08	6 %
4.	2008–09 से 2011–12 तक	3 %
5.	2012–13 से 2013–14 तक	1%
6.	2014–15 से 2020–21 तक	0 %

(क) ऋण व्यवसाय – प्रदेश में 2,058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों संचालित हैं, इन समितियों में 29.05 लाख कृषक सदस्य हैं। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को कृषि एवं उससे सम्बद्ध कार्य हेतु रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो निम्नानुसार है –

1. **अल्पकालीन कृषि ऋण** – कृषकों को अल्पकालीन कृषि प्रयोजन हेतु दिये जाने वाला ऋण ब्याज मुक्त (0% ब्याज दर) होता है। ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 5.00 लाख है तथा फसल ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात 60:40 है।
2. **गौ–पालन हेतु ऋण** – रूपये 2.00 लाख तक का ऋण 1% ब्याज दर एवं रूपये 2.00 लाख से अधिक एवं रूपये 3.00 लाख तक के ऋण 3% ब्याज दर पर दिए जाते हैं।
3. **मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी कार्यों हेतु ऋण** – रूपये 1.00 लाख तक का ऋण 1% ब्याज दर पर एवं रूपये 1.00 लाख से अधिक एवं रूपये 3.00 लाख तक के ऋण 3% ब्याज दर पर दिए जाते हैं। उक्त प्रकार के ऋणों को रियायती दर पर किसानों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन द्वारा सहकारी समितियों को ब्याज अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण – कृषकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से दिनांक 01.04.2014 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्षवार ऋण वितरण की स्थिति निम्नानुसार है :–

तलिका 6.9 कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण				
वर्ष	ऋण वितरण का लक्ष्य (करोड़ में)	ऋण वितरण राशि (करोड़ में)	कृषक संख्या (लाख में)	पूर्ति का प्रतिशत
2020–21 (1 अप्रैल 2020 से 30 सितम्बर 2020)	4600	4495.00	12.65	97.72 %
2020–21 (1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021)	5200	5048.03	14.72	97.08 %
2021–22 (1 अप्रैल 2021 से 30 सितम्बर 2021)	5300	4747.77	12.99	89.58 %

6.6.2 छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ

(क) धान उपार्जन – राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल 2,311 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। सभी धान उपार्जन केन्द्र कम्प्यूटराईज हैं।

तालिका क. 6.10 समर्थन मूल्य में धान उपार्जन	(मात्रा टन में/राशि लाख रू. में)	
वर्ष	धान की उपार्जित मात्रा	व्यय राशि
2020–21 (1 अप्रैल 2020 से 30 सितम्बर 2020)	निरंक	निरंक
2020–21 (1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021)	9202392.24	1724058.90
2021–22 (1 अप्रैल 2021 से 30 सितम्बर 2021)	निरंक	निरंक

(ख) रसायनिक उर्वरक का वितरण :– प्रदेश में 2,058 सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को रसायनिक उर्वरक का वितरण किया जाता है। वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका क. 6.11 रसायनिक उर्वरक	(मात्रा टन में/राषि लाख रू. में)		
वर्ष	वितरण लक्ष्य	वितरण	राशि
2020–21 (1 अप्रैल 2020 से 30 सितम्बर 2020)	635000	718417	91402.25
2020–21 (1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021)	852195	857262	110660.91
2021–22 (1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021)	725000	649028	83578.27

6.6.3 प्रदेश में स्थापित सहकारी शक्कर कारखाने

(क) कारखानों के निर्माण वर्ष एवं पेराई क्षमता की जानकारी :–

तालिका क. 6.12 स्थापित सहकारी शक्कर कारखानें

क्र.	शक्कर कारखाने का नाम	उत्पादन प्रारंभ वर्ष	पेराई क्षमता (टी.सी.डी.)
1	भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ग्राम राम्हेपुर, कवर्धा	2002–03	3500
2	मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अंबिकापुर, ग्राम केरता, जिला सूरजपुर	2009–10	2500
3	दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ग्राम करकाभाट, जिला–बालोद	2009–10	1250
4	सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, पण्डरिया जिला कबीरधाम	2016–17	2500

(ख) **किसानों से गन्ना खरीदी एवं शक्कर उत्पादन :–** प्रदेश में स्थित 04 सहकारी शक्कर कारखानों द्वारा पेराई वर्ष 2020–21 (अप्रैल 2020–31 मार्च 2021 की स्थिति में) में कृषकों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में गन्ना खरीदकर शक्कर का उत्पादन किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क. 6.13 किसानों से गन्ना खरीदी एवं शक्कर उत्पादन

कारखाने का नाम	पेराई लक्ष्य	गन्ना पेराई	शक्कर उत्पादन (क्विं.)	रिकव्हरी प्रतिशत	पेराई अवधि
भोरमदेव, कवर्धा	4,50,000	255226	29036	11.2	04.12.2020–02.03.2021
दंतेश्वरी मैय्या, बालोद	50,000	32547	3383	10.40	21.12.2020–02.02.2021
मां महामाया, सूरजपुर	3,60,000	202617	19196	9.48	08.12.2020–20.03.2021
वल्लभ भाई पटेल, पंडरिया	3,50,000	211590	26612	12.58	04.12.2020–16.03.2021
कुल		**701981**	**78227**	**10.92**	

6.7 सहकारिता विभाग एवं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किये जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्य :–

1. इथेनॉल प्लांट की स्थापना–

(क) भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना कवर्धा में 40 KLPD क्षमता के ईथेनाल प्लांट PPP (Public Private Partnership) मोड पर स्थापित करने हेतु कारखाना एवं छत्तीसगढ़ डिस्लरी (NKJ बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड) के मध्य MOU निष्पादित किया जा चुका है, साथ ही भूमि पूजन का कार्य भी सम्पन्न किया जा चुका है। यथाशीघ्र प्लांट स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

(ख) मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अंबिकापुर ग्राम केरता जिला सूरजपुर में सह उत्पाद मोलासिस से इथेनॉल बनाने के लिए प्रस्तावित 20 KLPD ईथेनाल प्लॉट हेतु V.S.I. Pune से डी.पी.आर. तैयार करा लिया गया है।

2. शक्कर कारखाने में 6 मेगावॉट को–जनरेशन पावर प्लॉट माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, अंबिकापुर ग्राम केरता जिला सूरजपुर में 6 मेगावॉट मां महामाया सहकारी को–जनरेशन पावर प्लांट स्थापना हेतु राज्य शासन से 2 करोड़ 2 लाख अंशपूँजी के रूप में स्वीकृत किया गया है, स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पुनर्गठन योजना 2019 के तहत प्रदेश में 725 नवीन समितियों का गठन किया गया है। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कुल संख्या 2,058 हो गई है। समितियों में शामिल गाँवों और किसानों की संख्या कम हो गई है, जिस कारण धान खरीदी पूर्व पंजीयन, बीमा, केसीसी प्रकरणों की स्वीकृति, खाद् बीज के वितरण सहित धान खरीदी के समय जमा होने वाली भीड़, आने जाने में दूरी की कमी हो गई है। साथ ही किसानों को समय बचत की सुविधा मिल रही है।

कृषि एवं संबद्ध सेवाएं

07

कृषि एवं संबद्ध सेवाएं

मुख्य बिन्दु

- फसल क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में भागीदारी वर्ष 2021—22 (अग्रिम) 25,86,429 लाख अनुमानित है।
- फसल बीमा योजनांतर्गत 2021—22 खरीफ में 15,61,841 कृषकों का बीमा कराया गया तथा वर्ष 2020—21 में 6,36,278 कृषकों के दावों का भुगतान किया गया।
- राज्य में अब तक 2,805 कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।
- गोधन न्याय योजनांतर्गत गौठान समितियों के माध्यम से 6,63,682 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, 1,80,576 क्वि. सुपर कम्पोस्ट 626 क्वि. सुपर कम्पोस्ट प्लस किसानों को विक्रय किया जा चुका है।
- वर्ष 2021—22 में 03 हाइटेक नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र में एवं 02 हाइटेक नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियाँ एवं 118 उप—मंडियाँ कार्यरत हैं।
- प्रदेश में मार्च 2021 की स्थिति में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता 21.34 लाख हेक्टेयर हो गई है।
- वर्तमान में 08 वृहद, 37 मध्यम, 2,477 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 30 नलकूप योजना एवं 806 एनीकट / स्टापडेम निर्मित हैं।
- पशुधन क्षेत्र की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में (स्थिर भाव) में भागीदारी वर्ष 2021—22 (अग्रिम) 4,17,187 लाख रू है।
- राज्य में उपलब्ध 1.920 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र में से 1.812 लाख हेक्टेयर (94.38%) जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है।
- राज्य में समस्त स्त्रोतों से वर्ष 2020—21 में 5,77,365 मैट्रिक टन मतस्य उत्पादन किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 7.34 प्रतिशत अधिक था।

कृषि

7.1 छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82 प्रतिशत लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्त्रोतों से लगभग 36 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है जिसमें से सर्वाधिक 52 प्रतिशत क्षेत्र जलाशयों/नहरों के माध्यम से सिंचित है एवं 29 प्रतिशत क्षेत्र नलकूप से सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। प्रदेश की लगभग 55 प्रतिशत काश्त भूमि की जलधारण क्षमता कम होने के कारण, बिना सिंचाई साधन के दूसरी फसल लेना संभव नहीं है। राज्य निर्माण के समय, इस प्रदेश में आवश्यक संरचनायें तथा बीज प्रक्रिया केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र, खाद एवं गोदाम आदि का अभाव था, इसलिए राज्य में विभिन्न फसलों की उत्पादकता, अन्य विकसित राज्यों की तुलना में कम थी। राज्य गठन के पश्चात् कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा राज्य शासन के कृषकोन्मुखी योजनाओं/कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि विकास की गति में तेजी आई है एवं किसानों की आर्थिक उन्नति हेतु निरंतर प्रभावी प्रयास किये जा रहे है।

परिणाम स्वरूप प्रदेश को सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन की श्रेणी में राष्ट्रीय "कृषि कर्मण" प्रथम पुरस्कार राशि रू. 5.00 करोड़ से फरवरी, 2020 में सम्मानित किया गया।

7.1.1 सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार :

कृषि विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में समस्त सिंचाई स्त्रोत से 36% सिंचाई क्षमता है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु शाकम्भरी योजना प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित लघु सिंचाई नलकूप योजना में देय अनुदान राशि में वृद्धि की

तालिका 7.1 प्रमुख फसल उत्पादन (000 मे. टन)

क्र.	फसल	2019 पूर्ति	2020 पूर्ति	वृध्दि / कमी %
खरीफ				
1	धान (चांवल)	7755.32	8946.30	15
2	मक्का	664.62	576.31	-13
3	अरहर	61.43	71.66	17
4	मूंग	7.04	7.67	9
5	उड़द	49.80	56.36	13
6	मूंगफली	65.10	69.31	6
7	सोयाबीन	89.42	51.92	-42
8	तिल	12.70	13.19	4
9	रामतिल	13.14	10.46	-20
क्र.	फसल	2019–20	2020–21	वृध्दि / कमी %
रबी				
1	ग्रीष्म धान (चांवल)	665.68	854.67	28
2	मक्का	311.30	313.56	1
3	गेहूं	207.28	368.27	78
4	चना	114.99	338.33	194
5	मटर	20.38	20.06	-2
6	तिवड़ा	95.83	122.72	28
7	राई–सरसों	66.06	70.86	7
8	अलसी	13.46	14.97	11
9	गन्ना	189.68	194.92	3

स्त्रोतः– संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़

गई है। सिंचाई जल के बेहतर उपयोग एवं नगदी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर 70 प्रतिशत (33 प्रतिशत केन्द्रांश + 37 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है, अन्य किसानों को 50 प्रतिशत (27 प्रतिशत केन्द्रांश + 23 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है। सिंचित क्षेत्र के विस्तार हेतु संचालित योजनाओं की उपलब्धियाँ :–

तालिका 7.2 सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना प्रगति

क्र.	विवरण		2020–21 पूर्ति	2021–22 लक्ष्य		2021–22 पूर्ति (सितंबर 21 तक)	
				संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)	संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)
1	किसान समृद्धि योजना/लघु सिंचाई (नलकूप) योजना		1384	1388	3470	47	117.50
2	लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना		85	100	2500	74 (निर्माणाधीन)	-
3	हरित क्रांति विस्तार योजनान्तर्गत निर्मित	तालाब	2	-	-	-	-
		चेकडेम	74	-	-	-	-
4	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	चेकडेम	-	-	-	-	-
5	टारगेटिंग राईस फेलो एरिया	चेकडेम	29	9	-	-	-
6	शाकम्भरी योजना	कूप	58	75	30	-	-
		पंप	648	7647	3058	1377	550

7.1.2 लघुत्तम सिंचाई :– कृषि विभाग द्वारा लघुत्तम सिंचाई तालाब योजनांतर्गत शासकीय भूमि में शत्–प्रतिशत शासकीय व्यय पर 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के तालाब निर्मित किये जाते हैं। वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में किये गये कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :–

तालिका 7.3 लघुत्तम सिंचाई — राशि लाख में

क्र.	वर्ष	भौतिक पूर्ति	व्यय
1	2020–21	85	1165.98
2	2021–22 (सित. 2021 तक)	74 निर्माणाधीन	249.67

7.2 छत्तीसगढ़ राज्य में फसल क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान महत्वपूर्ण रहा जो निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 7.3 फसल क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान (स्थिर भाव 2011–12)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
योगदान (लाख रु.)	1978955	2454184	1994483	2279945	2309033	2488163	2586429
वृद्धि (प्रतिशत)	-3.27	24.01	-18.73	14.31	1.28	7.76	3.95
योगदान (प्रतिशत)	10.99	12.61	9.97	10.21	9.88	10.78	10.09

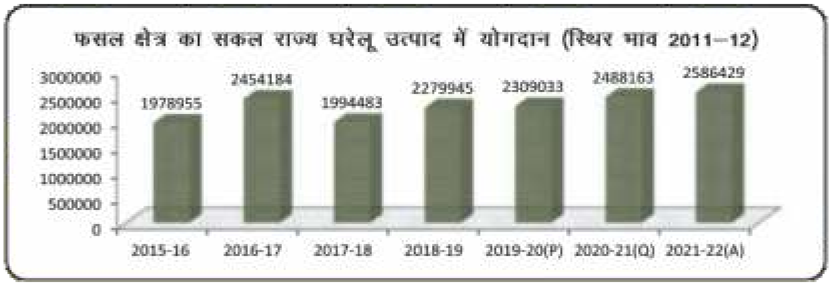

7.3 आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण :– प्रदेश में किसानों को उच्चगुणवत्तायुक्त, अधिक उत्पादन देने वाले प्रमाणित बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं। प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख आधार है। राज्य पोषित/केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण पर रू. 500 से लेकर 2,500 तक अनुदान देने का प्रावधान है।

तालिका 7.5 आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण

क्र.	विवरण	इकाई	2020–21 पूर्ति	2021–22 पूर्ति
1	**बीज उत्पादन कार्यक्रम**			
	खरीफ	हेक्टेयर	31257	32500
	रबी		19155	20150
	योग (खरीफ+रबी)		**50412**	**52650**
2	**प्रमाणित बीज उत्पादन**			
	खरीफ	क्विं.	764703	950000
	रबी		213429	250000 प्रस्तावित
	योग (खरीफ+रबी)		**978132**	**1200000**
3	**प्रमाणित बीज वितरण**			
	खरीफ	क्विं.	909345	927682
	रबी		219514	293510 प्रस्तावित
	योग (खरीफ+रबी)		**1128859**	**1221192**

7.4 उर्वरक एवं जैविकखाद वितरण :– कृषि में फसल उत्पादन एवं उर्वरक क्षमता हेतु आदान–प्रदान सामग्री के रूप में मुख्यतः रासायनिक उर्वरक एवं जैव उर्वरक की आवश्यकता होती है। विगत् वर्षों में उर्वरक एवं जैव उर्वरक वितरण की प्रगति निम्नानुसार है :–

तालिका 7.6 उर्वरक वितरण

वर्ष	उर्वरक वितरण (तत्व रूप में) (000 मे.टन)				प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत (कि.ग्रा. में)			
	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग
वर्ष 2019-20								
खरीफ पूर्ति	253339	140457	41917	435713	53	29	9	91
रबी पूर्ति	147904	69241	24657	241802	82	38	14	134
योग (खरीफ+रबी)	**401243**	**209698**	**66574**	**677515**	**60**	**39**	**13**	**112**
वर्ष 2020-21								
खरीफ पूर्ति	329105	186017	54709	569831	68	39	12	119
रबी पूर्ति	130127	67237	23329	220693	70	36	13	119
योग (खरीफ+रबी)	**459232**	**253254**	**78038**	**790524**	**70**	**39**	**12**	**121**
2021-22								
खरीफ पूर्ति (अनु.)	351077	196181	64075	611333	73	41	13	127

7.5 प्रधानमंत्री स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण योजना :–

- वर्ष 2020–21 में राज्य के 3,125 ग्रामों का चयन कर स्वायल हेल्थ कार्ड योजना का क्रियान्वयन किया गया योजनान्तर्गत 3,125 प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण लक्ष्य के विरूद्ध 3,125 प्रदर्शन व 2,038 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 में स्वायल हेल्थ मैनेजमेंट योजना का नाम परिवर्तित कर भूमि पोषण अभियान (BPA) रखा गया है। जो आगामी पांच वर्ष (2021–22 से 2025–26) तक क्रिन्यावित की जावेगी। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत 3,104 ग्रामों में 1,78,253 मृदा नमूना, 2,190 प्रदर्शन व 3,104 प्रशिक्षण आयोजन किये जाने की कार्ययोजना भारत सरकार को प्रेषित की गई है। भारत सरकार से स्वीकृति अद्यतन अपेक्षित है।

7.6 राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा :– राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014 से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन एवं वर्ष 2016 से केन्द्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित है। पूर्व में योजनाओं का क्रियान्वयन 05 जिलों में शुरू किया गया। वर्तमान में इन योजनाओं का विस्तार समस्त जिलों में करते हुए 05 जिलें गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर को पूर्ण जैविक जिला एवं शेष 22 जिलों के एक–एक विकासखंड को पूर्ण जैविक बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्श 2020–21 में जैविक खेती मिशन का 7,290 एकड़ में तथा परम्परागत कृषि विकास योजना का 50,000 एकड़ में फसल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। वर्ष 2021–22 में जैविक खेती मिशन का 15,000 एकड़ में तथा परंपरागत कृषि विकास योजना का 52,500 एकड़ में क्रियान्वयन कर कुल 67,500 एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

जैविक फसलें–राज्य में धान की सुगंधित किस्में–बासमती, बादशाहभोग, दुबराज, पुसा सुगंध, जवाफूल, मोतीचुर, जीराफूल, तुलसी–मंजरी, काली कमोद, लोक्टीमांछी, कालीगिलास, तिलकस्तुरी (Green Rice), मक्का एवं लघु धान्य फसलें–कोदो–कुटकी, रागी, सांवा, कोसरा आदि एवं दलहन–तिलहन फसलें–अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल की जैविक खेती की जा रही है।

- **FPO के गठन**– जिलों में FPO के गठन को प्रोत्साहित किया जाकर जैविक उत्पादों का विपणन किया जा रहा है।

- **राज्य में जैविक ब्राण्ड**–राज्य के विभिन्न जिलों में जैयिक उत्पादों का ब्रांडिंग किया जाकर विपणन किया जा रहा है।

- **चांग्रो राईस, जिला**–बलरामपुर
- **बांसाझाल राईस, महामाया,** जिला–सरगुजा
- **मैकल्स नेचर**, जिला–कबीरधाम
- **आगर जैव उत्पाद,** जिला–मुंगेली
- **आरूग जैविक,** जिला–राजनांदगांव
- **रूद्र आर्गेनिक,** जिला– धमतरी
- **पंचतत्व,** जिला –कोंडागांव
- **आदिम ब्रांड, पंचतत्व,** जिला–दंतेवाड़ा
- **बस्तर नेचुरल**, जिला–बस्तर,
- **केलो ब्रांड**, जिला–रायगढ,
- **शिवनाथ आर्गेनिक,** जिला–दुर्ग
- **रायपुर आर्गेनिक्स,** जिला– रायपुर
- **बालोद आग्रेनिक,** जिला– बालोद
- **जशपुर एग्रोफेश,** जिला–जशपुर

7.7 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :– भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण, संचयन, सिंचाई स्त्रोतों के विकास, भू–जलवर्धन तथा उपलब्ध जल के दक्षतापूर्ण उपयोग की महत्वपूर्ण योजना है। योजनांतर्गत पांच वर्षो के लिए कुल राशि रू. 54,931.71 करोड़ की परियोजना स्वीकृत है जिससे प्रदेश का 25,94,284 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा सिंचित किया जाना प्रस्तावित है। विगत वर्षो में योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत किये गये कार्यो की जानकारी निम्नानुसार है :–

- **PMKSY-PER DROP MORE CROP (MICRO IRRIGATION)** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत जल के प्रत्येक बूंद से अधिक फसल लेने के उद्देश्य से स्प्रिंकलर/ड्रिप (टपक सिंचाई) सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 7.7 प्रत्येक बूंद से अधिक फसल

वर्ष	इकाई	भौतिक लक्ष्य हे.	भौतिक पूर्ति हे.	वित्तीय लक्ष्य (राशि रू. लाख में)	व्यय राशि (रू. लाख)	सिंचित क्षेत्र हे.
2018-19	हेक्टेयर	29580	18929.67	11100.21	2294.06	18929.67
2019-20		55000	27688.28	12324.10	6072.91	27688.28
2020-21		44528	18633.53	11559.62	7766.91	18633.53
2021-22		45876	-	10000.00	1198.80	-

- **PMKSY-(Per Drop More Crop-Other Intervention & IWMP)** कम सिंचाई संसाधन वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के विभिन्न कार्यो जैसे–चेकडेम, परकोलेशन टैंक, फार्म पौण्ड/डबरी, कुंआ एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। विगत वर्षों में किये गये कार्यो की जानकारी :–

तालिका 7.8 पीएमकेएसवाय

वर्ष	इकाई	भौतिक लक्ष्य	भौतिक पूर्ति	वित्तीय लक्ष्य	व्यय राशि (लाख रू.)	सिंचित क्षेत्र
2018-19	संख्या	5656	1681	21470.90	10455.00	8904
2019-20		3216	1801	16302.76	14736.00	2941
2020-21		-	2536	-	9939.00	6446
2021-22		-	-	-	-	-

7.8 रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट (RAD) :– नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) के घटक रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट (RAD) का क्रियान्वयन वर्ष 2014–15 से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादकता वर्धक, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु के अनुकूल बनाना है। योजनांतर्गत विगत वर्षों किये गये कार्यो की जानकारी :–

तालिका 7.9 रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट

क्र.	वर्ष	भौतिक पूर्ति हे.	व्यय राशि लाख में
1	2018–19	4149.95	883.16
2	2019–20	1197.43	751.76
3	2020–21	4535.80	477.07
4	2021–22	655.00	126.16

7.9 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :— प्रदेश में कृषकों की फसलों के बीमा हेतु खरीफ वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई जिसमें क्षतिपूर्ति हेतु पात्रता के मापदण्ड निम्नानुसार है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति की पात्रता के मापदण्ड

- बुआई नहीं हो पाने की स्थिति / बुआई का फेल हो जाना।
- फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में।
- स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति की स्थिति में।
- फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में।
- फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में।

प्रदेश में कृषकों के फसलों के बीमा हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 से संचालित की गई, विगत तीन वर्षों की प्रगति निम्नानुसार है—

तालिका 7.10 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

क्र.	वर्ष	मौसम	बीमित कृषक संख्या			कुल प्रीमियम (करोड़ में)	दावा भुगतान	
			ऋणी कृषक	अऋणी कृषक	योग		कृषक संख्या	राशि (करोड़ मे)
1	2019—20	खरीफ	1508904	183805	1692709	163.61	509289	644.81
		रबी	130739	28976	159715	10.73	148618	619.53
		योग	**1639643**	**212781**	**1852424**	**174.34**	**657907**	**1264.34**
2	2020—21	खरीफ	1270327	125090	1395142	161.99	473148	611.70
		रबी	191058	49994	241052	17.69	163130	238.56
		योग	**1461385**	**175084**	**1636194**	**179.68**	**636278**	**850.26**
3	2021—22	खरीफ	1431461	130380	1561841	160.38	फसल कटाई प्रयोग उपरांत दावा गणना की जाएगी।	

7.10 कृषि यांत्रिकीकरण :— विभिन्न कृषि कार्यों के सुगमतापूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को किराये पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना / फार्म मशीनरी बैंक की योजना संचालित की जा रही है जिसके तहत कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु रू. 10.00 लाख तक वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य में अब तक 2,805 कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

तालिका 7.11 कृषि अभियांत्रिकी अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की भौतिक/वित्तीय प्रगति

क्र.	गतिविधियाँ	इकाई	वर्ष 2020–21				वर्ष 2021–22 (अक्टूबर 2021 तक)			
			भौतिक		वित्तीय (लाख में)		भौतिक		वित्तीय (लाख में)	
			लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कस्टम हायरिंग योजना									
	(क) डोजिंग कार्य	घंटे	15,000	3,895	225.00	190.41	15,000	1,753	183.00	76.76
	(ख) कल्टीवेशन कार्य	घंटे	24,000	14,664			24,000	5,774		
2	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन									
	1. ट्रेक्टर	संख्या	666	666	1,350.16	1,004.23	381	241	3,593.05	1,633.51
	2. पावर टिलर/पैडी ट्रांसप्लांटर/स्व चलित रीपर	संख्या	525	152			150	46		
	3. शक्ति चलित यंत्र	संख्या	1,882	1,246			514	168		
	4. हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्रों का वितरण	संख्या	9,154	18,198			7,457	273		
3	फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना कंपों.–4 (8961)	संख्या	397	371	2,536.00	2,444.00	246	73	1,578.00	448.00
4	कृषि यांत्रिकीकरण पर सबमिशन योजनांतर्गत ग्रामीण स्तर पर उत्पादकता वृद्धि हेतु मशीनों का प्रचार–प्रसार घटक क्र.–6	संख्या	106	88	848.00	704.00	28	7	224.00	56.00
5	"फसल प्रदर्शन" योजनांतर्गत पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से कृषकों के खेत में धान रोपाई पर अनुदान	संख्या	333	290.20	24.980	21.75	335	247.40	25.125	6.20

7.11 गोधन न्याय योजना :–

- जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन की कार्यवाही को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ते हुए तथा आम जन के सहयोग से सफल करने "सुराजी गांव योजना" के माध्यम से नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान प्रारंभ किया है। सांस्कृतिक परंपरा से परिपूर्ण इस कार्यक्रम को सरकार ने अपनाते हुए इसको एक अभियान के रूप में लिया है।

- प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 में हरेली के दिन 20.07.2020 को "गोधन न्याय योजना" का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सुराजी गांव में स्थापित गौठानों के माध्यम से गौठान समितियों द्वारा 2 रू. प्रति किलो की दर से अद्यतन 28.52 लाख क्विंटल गोबर 1.35 लाख पशुपालको से क्रय कर गौठान स्व–सहायता समूहों द्वारा 8,87,096 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट,

3,99,731 क्वि. सुपर कम्पोस्ट व 14,142 क्वि. सुपर कम्पोस्ट प्लस का उत्पादन किया जा चुका है एवं सहकारी समितियों के माध्यम से 6,63,682 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट रू. 10 प्रति किलो, 1,80,576 क्वि. सुपर कम्पोस्ट रू. 6 प्रति किलो एवं 626 क्वि. सुपर कम्पोस्ट प्लस रू. 6.50 प्रति किलो की दर से किसानों को विक्रय किया जा चुका है।

कृषि विपणन

7.12 कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियां एवं 118 उपमंडियां कार्यरत हैं। मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

तालिका 7.12 कृषि उपज मण्डियों में आवक, आय

विवरण	इकाई	2016—17	2017—18	2018—19	2019—20	2020—21	2021—22 (सितं.)
आवक	टन	9938893	9239735	10690016	11586725	12964326	1813299
आय	लाख रू.	26780.70	32535.33	17045.20	49477.19	42422.27	8732.71

7.12.1 मंडियों में आवकः— राज्य में मंडियों में वर्ष 2019—2020 में 1,15,86,725 टन की आवक हुई जबकि वर्ष 2020—21 में 1,29,64,326 टन की आवक हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 13,77,601 टन अधिक है। इसी प्रकार मंडियों में वर्ष 2020—2021 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 20,08,523 टन की आवक हुई, जबकि वर्ष 2021—22 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 18,13,299 टन की आवक हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्श 1,95,223 टन कम है।

7.12.2 मंडियों की आयः— छत्तीसगढ़ राज्य में मंडियों में वर्ष 2019—2020 में 49,477.19 लाख रूपये की आय हुई जबकि वर्ष 2020—21 में 42,422.27 लाख रूपये की आय हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 7,054.92 लाख रूपये कम है। इसी प्रकार मंडियों में वर्ष 2020—2021 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 20,920.71 लाख रूपये की आय हुई जबकि वर्ष 2021—22 (माह अप्रैल से सितम्बर तक) में 8,732.71 लाख रूपये की आय हुई है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 12,188.00 लाख रूपये कम है।

7.12.3 राष्ट्रीय कृषि बाजार :— माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा देश के चयनित 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य की 14 नियमित कृषि उपज मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने हेतु चिन्हांकित की गयी है। प्रथम चरण की मंडियों को दिनांक 19.10.2016 से राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया है तथा द्वितीय एवं तृतीय चरण की मंडियों को दिनांक 08.04.2017 से राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल से जोड़ा गया है।

प्रथम चरण :— राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरूद, नवापारा

द्वितीय चरणः— रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर राजिम, बालोद, मुंगेली, रायगढ़

उपरोक्त मंडियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल पर चिन्हांकित कृषि उपजों का ऑनलाईन क्रय—विक्रय प्रारंभ हो गया है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल की दिनांक 19.10.2016 से 15.11.2021 तक की प्रगति की जानकारी निम्नानुसार है :–

कुल ई–ट्रेड (मात्रा क्विंटल में)	कुल कीमत (करोड़ रू. में)	पंजीकृत कृषक संख्या	पंजीकृत व्यापारी संख्या	व्यापारी सहभागिता
71,99,386.97	1,443.38	1,35,174	3,101	1,166

7.12.4 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला :– प्रदेश की 11 मंडियां क्रमशः बेमेतरा, रायगढ़, रामानुजगंज (बलरामपुर), रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुन्द, दुर्ग, राजनादगांव, बिलासपुर, सक्ती एवं बालोद में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु आवश्यक संरचनायें एवं सुविधायें, विकसित की जाकर मिट्टी परीक्षण का कार्य प्रारंभ। इसके अतिरिक्त 111 मिनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।

7.12.5 एगमार्क नेट पोर्टल :– विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार द्वारा MRIN (Marketing Reserch and Information Network) योजनांतर्गत मंडी / उपमंडियों को कम्पयूटर उलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप एगमार्कनेट के पोर्टल पर माह अगस्त 2006 से छ.ग. प्रदेश की 69 कृषि उपज मंडी एवं 118 उपमंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी एगमार्कनेट के पोर्टल पर नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है।

- **एग्रीमंडी साफ्टवेयर** :– छ0ग0 राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के माध्यम से विभागीय साफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन विभागीय वेबसाईट www.agriportal.cg.nic.in में किया जा सकता है। एग्री मंडी साफ्टवेयर (मंडी–आनलाईन) में प्रदेश के कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव, मासिक जानकारी तथा अन्य जानकारियां नियमित रूप से इंद्राज की जा रही है।

7.12.6 मोबाईल एपः– मंडी एंड्राईड मोबाईल एप तैयार की गई है, जो कि वेबसाईट www.agriportal.cg.nic.in में उपलब्ध है, जिसे एंड्राईड मोबाईल में डाउनलोड कर प्रदेश के कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

7.12.7 फल–सब्जी मंडीः– प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, पंखाजूर एवं रायगढ़ फल–सब्जी के विपणन हेतु सुविधायुक्त फल–सब्जी मंडियों की स्थापना की गई है। फल–सब्जी मंडी प्रांगण में उद्यानिकी फसलों के विपणन हेतु कव्हर्ड शेड, चबूतरे, दुकानें इत्यादि उपलब्ध हैं। बिलासपुर, रायगढ़ राजनांदगांव तथा दुर्ग फल–सब्जी मंडी का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है।

7.12.8 गौ सेवा आयोग अनुदान :– गौ शालाओं तथा वृद्ध पशुओं की देखभाल हेतु गौ सेवा आयोग को मंडी बोर्ड द्वारा अपनी सकल आय का 5 प्रतिशत की दर से वर्ष 2005 से वर्ष 2015–16 तक रूपये 38.95 करोड़ एवं वर्ष 2016–17 में 10 प्रतिशत की दर से रूपये 12.50 करोड़ एवं वर्ष 2017–18 से वर्ष 2020–21 तक 20 प्रतिशत की दर से रूपये 82.70 करोड़ अनुदान दिया गया है। इस प्रकार कुल 134. 15 करोड़ अनुदान दिया गया है।

7.12.9 बीज उत्पादन एवं वितरण अनुदानः– मंडी बोर्ड द्वारा छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को बीज उत्पादन तथा वितरण अनुदान हेतु वर्ष 2014–15 से वर्ष 2020–21 तक रूपये 99.03 करोड़ प्रदाय किया गया है।

7.12.10 हाट बाजार निर्माण (206 कार्य स्वीकृत, लागत रू.10043.60 लाख):– ग्रामीण अंचल में कृषि उपज के विपणन हेतु हाट बाजारो में सुविधा विकसित करने हेतु 100 हाट बाजार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष 41 हाट बाजार प्रगतिरत हैं तथा 65 हाट बाजार अनुबंध/निविदा स्तर पर हैं, प्रगतिरत हाट बाजारों का कार्य मार्च 2022 तक पूर्ण किया जाकर लघु सीमांत कृषको को उनकी उपजों का सही मूल्य प्राप्त होने के दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है।

7.12.11 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण :– किसानों और उपभोक्ताओं के मध्य सीधा संपर्क स्थापित करने, बिचौलिया तंत्र को समाप्त करने, किसानों को उनके उत्पाद का बिना किसी कटौती के उचित मूल्य दिलाने, उपभोक्ताओं को उचित दर पर ताजी फल एवं सब्जियां प्रदाय करने और किसानों के लिए तकनीकी सूचना प्रचार–प्रसार केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 09 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण अधिसूचित किया गया है।

किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण रायपुर (पुराना एवं नया मंडी प्रांगण) दिनांक 15.11.2019 को लोकार्पण हो चुका है, जिसमें से नया मण्डी प्रांगण में क्रय–विक्रय प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण धमतरी में दिनांक 19.04.2017, राजनांदगांव में दिनांक 19.01.2020, बेमेतरा में दिनांक 28.03.2020 से क्रय–विक्रय प्रारंभ हो चुका है। किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण बैकुण्ठपुर में अधोसंरचनाएं/सुविधायें विकसित करने की कार्यवाही प्रगतिरत है। शेष 03 किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण क्रमशः बिलासपुर, बरमकेला, चिखली (रायगढ़) का लोकार्पण किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7.12.12 थोक फल–सब्जी मंडी पत्थलगांव एवं धमधा :– कृषि उपज मंडी समिति पत्थलगांव जिला जशपुर में फल–सब्जी मंडी की स्थापना हेतु राशि रू. 999.15 लाख से कुल 23 कार्यो की स्वीकृति है, जो कि प्रगतिरत है, माह मार्च 2021 में पूर्ण होना संभावित है। इसी प्रकार कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग की उपमंडी धमधा में फल–सब्जी मंडी स्थापना हेतु राशि रू. 1101.85 लाख से कुल 20 कार्यो की परियोजना स्वीकृत है, जो कि प्रगतिरत है, माह मई 2022 तक पूर्ण होना संभावित है।

7.12.13 माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा :– प्रदेश की कुल 16 मंडी/उपमंडी प्रांगणो की रिक्त भूमि को Monetize करने के लिए चिन्हाकिंत किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन द्वारा की गई घोषणा पुराने मंडी प्रांगण धमतरी मे एग्रो मार्केट/सी–मार्ट का कार्य भी सम्मिलित है। धमतरी की रिक्त भूमि के Monetize हेतु फर्म Resurgent India Limited, Gurgaon, Haryana को अनुबंधित किया गया है।

पुराने मंडी प्रांगण महासमुन्द मे कृषि आदान सह व्यवसायिक परिसर निर्माण हेतु राशि रू. 339.32 लाख की निविदा आमंत्रित की गई है, एवं किसान उपभोक्ता बाजार हेतु राशि रू. 205.81 लाख सक्षम स्तर पर स्वीकृत प्राप्त किया जाकर निविदा स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7.12.14 भण्डारण क्षमता (गोदाम) :–

- प्रदेश की मंडी/उपमंडी प्रांगणो में वर्तमान में कुल 362 नग गोदाम, जिसकी क्षमता 2,50,050 मे.टन है।

- वर्तमान में मंडी समिति से प्राप्त प्रस्तावना अनुसार विभिन्न क्षमताओं के 112 गोदाम, 1,45,500 के गोदामो का कार्य प्रगतिरत है, जो कि माह मई 2022 तक पूर्ण कर लिये जाने की संभावना है।

- मंडी बोर्ड से जिला कबीरधाम अंतर्गत लौह पुरूष वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पण्डरिया एवं जिला सूरजपुर अंतर्गत माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित अम्बिकापुर ग्राम केरता मे पृथक–पृथक 20,000 मे.टन क्षमता के गोदाम एवं 5,000 मे. टन क्षमता के मोलासिस टैंक मे प्लिथ एवं फाण्डेशन तक के कार्य हेतु कुल राशि रू. 1,099.44 लाख स्वीकृत है। उपरोक्त दोनो कार्यो हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है, एवं वर्तमान मे कार्य प्रगतिरत है।

7.12.15 मंडी अधिनियम में संशोधनः–

- **निजी क्षेत्रों में मंडी की स्थापना :–** छ.ग. कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा निजी मंडी प्रांगण/निजी उपमंडी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण का प्रावधान मंडी अधिनियम की धारा 2, 5 तथा 31 में संशोधन कर तथा नवीन धारा 32 (ख), 33 (क) तथा 34 (क) अन्तःस्थापित कर किया गया। उक्त प्रावधान दिनांक 08 मई 2015 से प्रभावशील है।

- **सीधी खरीदी :–** छ.ग. कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम की धारा 36 तथा 37 में संशोधन किया गया है, उक्त प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10 फरवरी 2006 से प्रवृत है।

- **निजी किसान उपभोक्ता बाजार :–** छ.ग. कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा निजी मंडी प्रांगण/निजी उपमंडी प्रांगण/निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण का प्रावधान मंडी अधिनियम की धारा 2, 5 तथा 31 में संशोधन कर तथा नवीन धारा 32 (ख), 33 (क) तथा 34 (क) अन्तःस्थापित कर किया गया। उक्त प्रावधान दिनांक 08 मई 2015 से प्रभावशील है।

- **संविदा खेतीः–** छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम की धारा 2 में संशोधन तथा नई धारा 37 (क) जोड़ी जाकर संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के विनियमन संबंधी प्रावधान किया गया है, उक्त प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10 फरवरी 2006 से प्रवृत है। तदानुसार आदर्श उपविधि 2009 के उपविधि में संविदा कृषि का अनुबंध और आदर्श विशिष्टियां तथा शर्ते प्रभावशील की गई है।

- **ई–ट्रेडिंग :–** छ0ग0 कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन 1973) की धारा 36 की उपधारा (3) में "इलेक्ट्रानिक निविदा बोलीं" का प्रावधान है। छ0ग0 प्रदेश की 14 कृषि उपज मंडियां ई–ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है, जहां अधिसूचित कृषि उपजों का आनलाईन क्रय–विक्रय हो रहा है। उक्त प्रावधान दिनांक 08 मई 2015 से प्रभावशील है।

- **एकल बिन्दु मंडी शुल्क :–** एकल बिन्दु मंडी शुल्क दिनांक 08 फरवरी 1990 से प्रभावशील है, और धारा 19 के अनुसार राज्य में किसी मंडी में मंडी शुल्क जमा किये जाने के पश्चात् राज्य में के एक से अधिक मंडी क्षेत्र में या उसी मंडी क्षेत्र में एक से अधिक बार पुर्नविक्रय पर मंडी फीस देय नहीं है, जो छ.ग. में अनुकूलन आदेश दिनांक से प्रभावशील है। व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता मंडी समिति में मंडी शुल्क का भुगतान कर संबंधित मंडी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर कृषि उपज का विक्रय प्रदेश में कहीं भी कर सकता है। केता व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता द्वारा अनुज्ञा पत्र संबंधित मंडी में जमा किये जाने पर मंडी शुल्क देय नहीं है।

- **एकल लायसेंस** :– छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम 2005 के द्वारा मंडी अधिनियम में नई धारा 32–क जोड़ी जाकर, एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति का प्रावधान किया गया है, उक्त प्रावधान छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10 फरवरी 2006 से प्रवृत है। छ.ग. कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2007 दिनांक 10 अप्रैल 2007 से प्रभावशील है।

  छ0ग0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 34 व्यापारियों को एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में व्यापार करने हेतु एकल लायसेंस जारी किया गया है।

- **छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2020** :– छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील हो गया है। उक्त संशोधन अनुसार छोटा व्यापारी एक दिन में 10 क्विंटल के स्थान पर 20 क्विंटल अधिसूचित कृषि उपज का स्टाक रख सकता है, इसके अतिरिक्त मंडी समितियों में भारसाधक अधिकारी के साथ–साथ सात से अनधिक व्यक्तियों की भारसाधक समिति की नियुक्ति के भी अधिकार संचालक विपणन को मंडी अधिनियम में दिये गये हैं।

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

7.13 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी :छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुश्प एवं औशधीय पौध विकास योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है। विभाग के अंतर्गत 136 उद्यान रोपणी तथा 02 सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र बाना (रायपुर) एवं राजपुर (दुर्ग) हैं।

7.13.1 राज्य पोषित योजनाएँ :–

- योजनान्तर्गत कृशक द्वारा बैंक ऋण लेने पर आम, पपीता एवं केला के रोपण पर नाबार्ड के मापदंड अनुसार 25 प्रतिशत अनुदान देय है, किन्तु जो कृषक बैंक ऋण नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें विभागीय फलोद्यान योजना के अंतर्गत केवल आम पर 25 प्रतिशत अनुदान, नाबार्ड के मापदण्डों पर दिया जाता है। वर्श 2020–21 में वित्तीय लक्ष्य राशि रू. 335.00 लाख रखा गया एवं राशि रू. 297.26 लाख व्यय हुए। वर्ष 2020–21 में 2,955 हेक्टेयर आम पौध रोपण कार्य किया गया एवं वर्ष 2021–22 में

तालिका 7.13 विभिन्न उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता

क्र	फसल का नाम	(रकबा)	उत्पादन (मे.टन)	(रकबा)	उत्पादन (मे.टन)	उत्पादकता 2020–21 (मे. टन प्रति हे.)
		2019-20		2020-21		
1	फल	258630	2548930	222955	2492055	**11.18**
2	सब्जी	525147	7158909	489271	6868126	**14.04**
3	मसाला	55376	354525	67756	449353	**6.63**
4	औषधि एवं सुगंधित फसल	8957	59172	3997	22195	**5.55**
5	पुष्प	13493	76219	13089	229868	**17.56**

योजनान्तर्गत 335.00 लाख प्रावधानित है तथा 2,576 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु आम पौध रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं माह नवम्बर 2021 तक 2,526.5 हेक्टेयर क्षेत्र में आम पौध रोपण कार्य किया गया है। इसके साथ ही बेरोजगार नवयुवकों को 10–10 दिवस का दो चरणों में टॉप वर्किंग प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है। प्रशिक्षण उपरांत इन प्रशिक्षार्थियों द्वारा आम, बेर, आंवला के देशी वृक्षों को उन्नतशील किस्मों में टाप वर्किंग कार्य द्वारा परिवर्तन किये जाने पर राशि रू. 10.00 प्रति सफल परिवर्तित वृक्ष पारिश्रमिक दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2020–21 में 1,19,629 एवं वर्ष 2021–22 में अद्यतन 72,408 पौधों को टापवर्किगं उपरान्त उन्नत किस्मों में परिवर्तित किया जा चुका है।

- **नदी कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन योजना :–** नदी कछार/तटीय क्षेत्रों में खेती करने वाले बी.पी.एल. एवं लघु सीमांत कृषकों को लाभान्वित करने की योजना है, जिसमें प्रति हितग्राही न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 0.40 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु लाभ देने का प्रावधान है। 0.40 हेक्टर क्षेत्र के लिए अनुमानित लागत राशि रू. 9,400.00 पर 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 4,700.00 अनुदान की पात्रता होगी। वर्ष 2021–22 में राशि रू. 150.00 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 1,276.60 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध माह नवम्बर 2021 तक अद्यतन 2,210 हेक्टेयर भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति की जा चुकी है।

- **राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना** यह योजना राज्य सरकार द्वारा सामान्य कृषकों को ड्रिप सिंचाई पर अनुदान देने के उद्देश्य से वर्ष 2013–14 से राज्य के संपूर्ण जिलों में लागू की गई है। योजनान्तर्गत अनुमानित लागत का लघु एवं सीमांत कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान एवं बड़े कषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। (अधिकतम रकबा 5 हेक्टर) योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में राशि रू. 700.00 लाख एवं भौतिक 777 हेक्टेयर ड्रिप प्रतिस्थापन के विरूद्ध 383.23 हेक्टेयर की पूर्ति की गई है वित्तीय प्रगति राशि रू. 71.84 लाख रही। वर्ष 2020–21 में भौतिक लक्ष्य 777.00 हेक्टेयर हेतु राशि रुपये 700.00 लाख प्रावधानित है। वर्ष 2020–21 में माह सितम्बर 2020 अंत तक अद्यतन 75.59 हेक्टेयर की पूर्ति कर ली गई है।

- **कम्यूनिटि फेंसिंग योजना :–** उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना वर्ष 2016–17 से लागू की गई है। वर्ष 2020–21 में राशि रू. 520.00 लाख तथा 954.39 हेक्टेयर कम्यूनिटि फेंसिंग के लक्ष्य के विरूद्ध 891.85 हेक्टेयर कार्य राशि रू. 494.152 लाख व्यय कर सम्पादित किया गया। वर्ष 2021–22 में राशि रू. 520.00 लाख वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्य 954.34 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जिसके विरूद्ध माह नवम्बर 2021 तक 429.90 हेक्टेयर की पूर्ति की जा चुकी है।

- **सब्जी फसलों के विविधीकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम**– उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना वर्ष 2017–18 से लागू की गई है। योजना अन्तर्गत मिर्च, टमाटर, अरबी एवं फुलगोभी के प्रदर्शन 0.10 हेक्टेयर हेतु शत–प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रावधानित है। वर्ष 2020–21 में वित्तीय लक्ष्य राशि रू. 36.737 लाख एवं भौतिक 1263 प्रदर्शन का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध भौतिक लक्ष्य की 1,193 पूर्ति की गई तथा राशि रू. 31.531 लाख व्यय हुए। वर्ष 2021–22 में वित्तीय लक्ष्य 37.992 लाख एवं भौतिक लक्ष्य 1,184 प्रदर्शन निर्धारित किया गया है।

7.13.2 एकीकृत बागवानी मिशन योजनाः– एकीकृत बागवानी मिशन योजना उद्यानिकी के सर्वांगीण विकास हेतु फल, पुष्प, सब्जी, जड़े तथा कंद वाली फसलों, मसालें, सुगंधित पौधों, काजू, आम आदि तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु संचालित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 हेतु राशि रू. 17,818.58 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा राशि रू. 17,334.77 लाख व्यय हुए। वर्ष 2021–22 के लिए राशि रू. 14,112.64 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है। मुख्य घटकों के अंतर्गत विवरण निम्नानुसार है।

7.13.2.1 रोपण अधोसंरचना एवं विकास :–

- **हाइटेक नर्सरी :–** 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हाइटेक रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 100.00 लाख प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्रों में हाइटेक रोपणी की स्थापना पर शत–प्रतिशत अनुदान एवं निजी क्षेत्र हेतु राशि रू. 40.00 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2020–21 में 05 हाइटेक रोपणी (सार्वजनिक क्षेत्र) एवं 01 हाईटेक नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। वर्ष 2021–22 में 03 हाइटेक नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र में एवं 02 हाइटेक नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

- **लघु नर्सरी :–** 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लघु रोपणी की स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 15.00 लाख प्रति यूनिट है। सार्वजनिक क्षेत्र में लघु रोपणी की स्थापना पर शत–प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र हेतु राशि रू. 7.50 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2020–21 में 25 लघु रोपणी की स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र) एवं 03 लघु नर्सरी की स्थापना (निजी क्षेत्र) की गई है तथा वर्ष 2021–22 में 04 लघु नर्सरी की स्थापना (निजी क्षेत्र) का लक्ष्य रखा गया है।

- **अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर :–** अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर स्थापना हेतु इकाई लागत रु. 10.00 लाख प्रति इकाई है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना पर शत–प्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2020–21 में 09 अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र) की गई है तथा वर्ष 2021–22 में 06 अपग्रेडिंग नर्सरी इनफ्रास्ट्रक्चर सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

- **सब्जी एवं मसाला बीजों का उत्पादन :–** ओपन पालिनेटेड क्रॉप अन्तर्गत सब्जी एवं मसाला बीजों के उत्पादन हेतु इकाई लागत रुपये 0.35 लाख प्रति हेक्टेयर है। स्थापना पर शत–प्रतिशत एवं निजी क्षेत्र हेतु 0.1225 लाख अनुदान देय है। वर्ष 2020–21 में 19 हेक्टेयर सार्वजनिक क्षेत्र एवं 24 हेक्टेयर निजी क्षेत्र अन्तर्गत पूर्ण किया गया तथा वर्ष 2021–22 में सार्वजनिक क्षेत्र में 25 हेक्टेयर एवं निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है।

- **7.13.2.2 फलोद्यान विकास :–** योजनान्तर्गत आम, लीची, नींबू, केला, पपीता एवं अन्य फलोद्यान वर्ष 2020–21 में 2,909 हेक्टेयर में स्थापित किये गये तथा वर्ष 2021–22 में 3,740 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरूद्व माह अक्टूबर 2021 तक 2,265 हेक्टेयर में क्षेत्र विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- **7.13.2.3 .सब्जी क्षेत्र विस्तार :–** योजनान्तर्गत आम, लीची, नींबू, केला, पपीता एवं अन्य फलोद्यान वर्ष 2020–21 में 6,153 हेक्टेयर में स्थापित किये गये तथा वर्ष 2021–22 में 6,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरूद्व माह अक्टूबर 2021 तक 3,107 हेक्टेयर में क्षेत्र विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- **7.13.2.4 पुष्प विकास योजना :–** पुष्प क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत वर्ष 2020–21 में 1,210 हेक्टेयर क्षेत्र में पुष्प क्षेत्र विस्तार का कार्य किया गया। वर्ष 2021–22 में 1,560 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्व माह अक्टूबर 2021 तक 875.10 हेक्टेयर में क्षेत्रविस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- **7.13.2.5 मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसल :–** योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में मसाला में 2,776 हेक्टेयर तथा औषधीय एवं सुगंधित फसल में 40 हेक्टेयर क्षेत्र विस्तार कार्य किया गया। वर्ष 2021–22 में मसाला में 3,300 हेक्टेयर एवं औषधीय एवं सुगंधित फसल में 100 हेक्टेयर का लक्ष्य के विरूद्व माह अक्टूबर 2021 तक मसाला में 1,231.92 हेक्टेयर तथा औषधीय एवं सुगंधित फसल में 0 हेक्टेयर क्षेत्र विस्तार कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- **7.13.2.6 काजू क्षेत्र विस्तार :–** योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में 657 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार कार्य किया गया। वर्ष 2021–22 में 600 हेक्टेयर लक्ष्य के विरूद्व माह अक्टूबर 2021 तक 556.15 हेक्टेयर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- **7.13.2.7 सामुदायिक जल संसाधन स्त्रोतों का विकास :–** सामुदायिक सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में 26 टैंक का निर्माण एवं 134 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

7.14 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं, इस योजना का उद्देश्य कम पानी से अधिक–से–अधिक क्षेत्र में सिंचाई करना हैं। इस योजना में लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के लिए केन्द्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार का 30 प्रतिशत हिस्से से कुल 55 प्रतिशत तथा बड़े कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान देय होगा। शेष राशि की व्यवस्था हितग्राही स्वयं के साधन से अथवा बैंक ऋण से करता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में 3,505 हितग्राहियों को 3,757.09 हेक्टेयर में ड्रिप तथा 3,365 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर प्रतिस्थापित कर 1,439 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2021–22 में 5,000 हेक्टेयर में ड्रिप तथा 7,326 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर प्रतिस्थापन का लक्ष्य रखा गया है, माह नवम्बर 2021 अंत तक 0.41 हेक्टेयर में ड्रिप तथा 174.75 हेक्टेयर में स्प्रिंकलर की पूर्ति कर ली गई है।

7.15 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, उद्यानिकी (कृषि) के समन्वित विकास हेतु योजना संचालित है। वर्ष 2020–21 में योजना क्रियान्वयवन हेतु राशि रू. 1,733.17 लाख के विरूद्व राशि रू. 1,429.58 लाख व्यय हुए। वर्ष 2020–21 में योजना अन्तर्गत फलोद्यान कार्यक्रम 157.48 हेक्टेयर, सब्जी क्षेत्र विस्तार 266 हेक्टेयर, मसाला फसल प्रदर्शन 208.42 हेक्टेयर, पुष्प 33.95 हेक्टेयर, सब्जी मिनीकीट संख्या 4,500 सब्जी पौध प्रदर्शन संख्या 384.70, 10 शेडनेट हाउस ट्यूबलर स्ट्रक्चर निर्माण। वर्ष 2021–22 में वार्षिक कार्ययोजना राशि रू. 4,751.63 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

7.16 नेशनल मिशन ऑन आइलसीड एवं आइलपाम योजना :– यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, तथा आईलसीड एवं आईलपाम तथा आलीव्ह को बढ़ावा देने हेतु संचालित है। वर्ष 2020–21 हेतु राशि रू. 381.83 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 2020–21 में 158.67 हेक्टेयर क्षेत्र में आइलपाम, 65 हेक्टेयर क्षेत्र में आलीव्ह एवं 165 हेक्टेयर क्षेत्र में महुआ रोपण का कार्य कराया गया जिस हेतु राशि

रू. 201.10 लाख व्यय हुए। वर्ष 2021–22 में राशि रू. 340.24 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, तथा 500 हेक्टेयर क्षेत्र में आइलपाम, 60 हेक्टेयर क्षेत्र में आलीव्ह एवं 300 हेक्टेयर क्षेत्र में महुआ रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

7.17 प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (मौसम आधारित) :– प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए प्रारम्भ हुई है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम कराएगी। वर्ष 2020–21 में 15,747.42 हेक्टेयर प्रक्षेत्र में लगे उद्यानिकी फसलों का बीमा किया गया तथा बीमा कंपनी को राज्यांश राशि रू. 3,642.27 लाख भुगतान किया गया है। वर्ष 2021–22 में राज्य बजट में राज्यांश राशि रू. 3,100.00 लाख प्रावधानित है।

7.18 एनएमएसए नेशनल मिशन ऑन एग्रो फारेस्ट्री :– यह केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं कृषि एवं वानिकी की तकनीकों का मिश्रण करके विविधतापूर्ण, लाभप्रद, स्वस्थ एवं टिकाऊ भूमि उपयोग सुनिश्चित किये जाने हेतु योजना संचालित है। वर्ष 2020–21 हेतु राशि रू. 166.66 लाख एवं 2019–20 के शेष राशि 166.71 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा वर्ष 2020–21 में योजनांतर्गत 04 छोटी नर्सरी, 02 बड़ी नर्सरी एवं 01 हाईटेक नर्सरी, 709 हेक्टेयर परिधीय/बाउण्ड्री वानिकी पौध रोपण तथा 49 हेक्टेयर सघन वानिकी पौध ब्लाक वृक्षारोपण का कार्य सम्पादित किया गया तथा राशि रू. 289.729 लाख व्यय हुए। योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में राशि रू. 241.50 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

7.19 एनएमएसए अन्तर्गत पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन :– यह केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं। योजना का उद्‌देश्य कृषकों के अतिरिक्त आय हेतु गैर–वन सरकारी एवं निजी भूमि में बांस का क्षेत्र विस्तार कर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना एवं कृषकों के प्रक्षेत्र में उत्पादित बांस के बेहतर मूल्य हेतु मूल्य संवर्धन के कार्य तथा उत्पादित बांस को लम्बे समय तक सुरक्षित रखने हेतु प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है साथ ही बांस के विभिन्न मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने हेतु कारीगरों को नवीन तकनीक का प्रशिक्षण एवं बांस के बाय प्रोडक्ट बनाने वाले कारीगरों को नवीन मशीन उपकरण हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। वर्ष 2020–21 हेतु राशि रू. 633.34 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ तथा योजनांतर्गत 1,137.50 हेक्टेयर बांस रोपण क्षेत्र विस्तार कार्य सम्पादित किया गया एवं राशि रू. 503.84 लाख व्यय हुए। वर्ष 2021–22 में राशि रू. 553.32 लाख की वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। स्वीकृति अपेक्षित है।

जल संसाधन

7.20.1 भौगोलिक विवरण एवं उपलब्ध जल :– छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 137.90 लाख हेक्टेयर है, राज्य में कुछ वृष्टिछाया प्रभावित खण्डों को छोड़कर अधिकतम भाग जल संसाधन से सम्पन्न हैं।

प्रदेश में विभिन्न स्त्रोतों से सतही जल की मात्रा 48,296 मि.घ.मी. है, जिसमें से 41,720 मि.घ.मी. जल उपयोग में लाया जा सकता है। केन्द्रीय भू–जल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भीय जल की मात्रा 11,630 मि.घ.मी. है। अभी तक भूगर्भीय जल का लगभग 44% उपयोग में लाया जा रहा है। प्रदेश के कुल 146 विकासखण्ड में से 110 विकासखण्ड भू–जल की दृश्टि से सुरक्षित श्रेणी तथा 27 विकासखण्ड आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में है। 09 विकासखण्ड संकटपूर्ण श्रेणी में आंकलित हैं।

7.20.2 सृजित सिंचाई क्षमता :– सिंचाई के मुख्य साधन जलाशय, व्यपवर्तन, एनीकट/स्टॉपडेम एवं नलकूप आदि है। राज्य गठन के समय प्रदेश में निर्मित 03 वृहद, 29 मध्यम एवं 1,945 लघु सिंचाई योजनाओं से कुल 13.28 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता सृजित थी, जो वर्तमान में (मार्च 2021 तक) 21.34 लाख हेक्टेयर हो गई है। इस तरह राज्य निर्माण के पश्चात कुल 8.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत 38.45 हो गया है। आगामी वर्षों में राज्य के कुल बोये गये क्षेत्र का 75 प्रतिशत अर्थात करीब 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल से सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है।

7.20.3 निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाएं :– वर्तमान में 08 वृहद, 37 मध्यम, 2,477 लघु सिंचाईयोजनाएं तथा 30 नलकूप योजना एवं 806 एनीकट/स्टॉपडेम निर्मित हैं। जबकि 04 वृहद, 01 मध्यम एवं 333 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 01 नलकूप योजना एवं 161 एनीकट/स्टॉपडेम निर्माणाधीन हैं।

7.20.3.1 वृहद निर्माणाधीन परियोजनाएं :–

- **अरपा भैंसाझार परियोजना :–** यह योजना बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा के अंतर्गत कोटा विकासखण्ड में ग्राम–भैंसाझार के समीप अरपा नदी पर स्थित है। परियोजना की वर्तमान लागत रू. 1,141.90 करोड़ है। योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना से बिलासपुर जिले के कोटा, बिल्हा एवं तखतपुर विकासखण्डों के अंतर्गत 102 ग्राम लाभान्वित होंगे। इस योजना के पूर्ण होने से लगभग 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। इससे जून 2021 तक लगभग 12,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। योजना जून 2022 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

- **राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन :–** राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना के प्रथम चरण में 2000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। योजना के द्वितीय चरण में 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई हेतु लगभग 70 कि.मी. लंबाई की मुख्य नहर के निर्माण हेतु रू. 114.45 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है।

7.20.4 प्रधानमंत्री कृषि **सिंचाई योजना** :– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रदेश की प्रमुख 03 योजनाएं यथा केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना एवं मनियारी सिंचाई परियोजना शामिल की गई हैं। केलो परियोजना, खारंग एवं मनियारी जलाशय में क्रमशः 22,810 हेक्टेयर, 8,300 हेक्टेयर तथा 11,515 हेक्टेयर क्षेत्र CADWM के कार्य प्रस्तावित हैं जिनकी लागत क्रमशः रू. 81.41 करोड़, रू. 32.97 करोड तथा रू. 45.89 करोड है।

7.20.5 सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर सूक्ष्म सिंचाई योजना :– प्रदेश की विभिन्न नदियों/नालों पर विभाग द्वारा एनीकट एवं व्यपवर्तन योजनाएं निर्मित की गई हैं। उपलब्ध जल के समुचित उपयोग किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये सूक्ष्म सिंचाई एवं सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्य योजना बनायी गई है। विभाग में निर्मित एनीकट में से वर्ष 2021–22 तक प्रस्तावित 79 सूक्ष्म एवं 53 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना कुल 132 योजनाओं में से 14 सूक्ष्म एवं 19 सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना कुल 33 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है एवं 14 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2021–22 में उक्त कार्य हेतु रु. 145.00 लाख का बजट प्रावधान है। इन 33 स्वीकृत योजनाओं (सूक्ष्म सिंचाई योजना 14 तथा सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना 19) से 10,587 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

7.21 मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना:– मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना एक बहुउद्देशीय वृहद सिंचाई परियोजना है, जो हसदेव नदी पर कोरबा जिले के बांगो ग्राम के पास निर्मित है। बांध के 42 कि.मी. नीचे कोरबा के पास बैराज का निर्माण किया गया है। वर्तमान में बांध का शत–प्रतिशत निमार्ण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना से कोरबा, जांजगीर–चांपा एवं रायगढ जिले के दायीं तट एवं बॉयी तट नहर से कुल 919 ग्राम सिंचाई सुविधा से लाभान्वित हैं। परियोजना की निर्मित सिंचाई क्षमता 2,47,400 हेक्टेयर खरीफ एवं 1,73,180 हेक्टेयर रबी कुल 4,20,580 हेक्टेयर है। परियोजना अंतर्गत कोरबा जिले की 5,969 हेक्टेयर, जांजगीर–चांपा जिले के 2,29,520 हेक्टेयर तथा रायगढ़ जिले के 11,911 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ उपलब्ध कराना निर्धारित है। योजना से वर्ष 2007 से ही पूर्ण सिंचाई क्षमता 4,20,580 हेक्टेयर निर्मित की जा चुकी है। बांगो जलाशय से औद्योगिक जल प्रदाय हेतु 313.392 मि.घ.मी. वार्षिक तथा कोरबा नगर निगम को पेयजल हेतु 14 मि.घ. मी. वार्षिक जल प्रदाय किया जाना प्रावधानित है।

वर्ष 2020–21 में बांगो परियोजना से खरीफ सिंचाई हेतु 2,47,400 हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य के विरूद्ध खरीफ प्रतिवेदन के अनुसार 2,36,083 हेक्टेयर भूमि में खरीफ सिंचाई एवं 28,652 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी, कुल 2,64,735 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई थी। वर्ष 2021–22 में खरीफ सिंचाई हेतु 2,47,400 हेक्टेयर क्षेत्र में लक्ष्य के विरूद्ध अंतरिम खरीफ प्रतिवेदन के अनुसार 2,38,084 हेक्टेयर में खरीफ सिंचाई की गई है।

7.22 केलो परियोजना:– केलो परियोजना रायगढ़ शहर से 8 कि.मी. की दूरी पर रायगढ़–अम्बिकापुर राजमार्ग पर ग्राम दनौट में केलो नदी पर प्रस्तावित है। इस बांध के निर्माण से रायगढ़ एवं

जांजगीर–चांपा जिले (रायगढ़, खरसिया, सरिया एवं चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्र) के 175 ग्रामों की 24,396 हेक्टेयर भूमि में से 22,810 हेक्टेयर खरीफ की सिंचाई सुविधा के साथ–साथ रायगढ़ शहर को पेयजल हेतु 4.44 मि.घ.मी. तथा परियोजना से औद्योगिक उपयोग हेतु 4.44 मि.घ.मी. वार्षिक जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिसे दिनांक 30.06.2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

केलो परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 22,810 हेक्टेयर है। जून 2021 तक 17,105 हेक्टेयर तथा शेष 5705 हेक्टेयर मार्च 2022 तक निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष 2021 में खरीफ सिंचाई हेतु रायगढ़ जिले में 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ट्रायल रन पर प्रस्तावित जलप्रदाय लक्ष्य के विरूद्ध 4,673 हेक्टेयर क्षेत्र में अंतरिम सिंचाई की गई। केलो परियोजना शीर्ष एवं नहर कार्यो की भौतिक प्रगति क्रमशः 99% एवं 80.50% माह सितम्बर/2021 तक प्राप्त की जा चुकी हैं। परियोजना की पुनःपुनरीक्षित लागत रू. 891.01 करोड़ के विरूद्ध सितम्बर 2021 तक कुल राशि रू. 828.55 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।

7.23 शिवरीनारायण बैराज का निर्माण :– इस संरचना अंतर्गत महानदी पर शिवरीनारायण बैराज जिसकी लागत रू. 162.43 करोड़ है का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सितंबर 2021 तक लागत के विरूद्ध राशि रू. 153.97 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। इस बैराज के निर्माण पश्चात् संग्रहित उपलब्ध जल से 690 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वयं के साधन से सिंचाई के साथ–साथ औद्योगिक संस्थानों को उपयोग हेतु जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

तालिका क.7.14 शिवरीनारायण बैराज

क्र	संस्थान के नाम	स्वीकृत जल की कुल मात्रा वार्षिक (मिघमी)	संस्थान हेतु ग्रीष्मकालीन आरक्षित जल संग्रहण (मिघमी)	आफटेक पाईंट	अभियुक्ति
शिवरीनारायण बैराज :–		**प्रस्तावित जल संग्रहण मात्रा**			37.00
औद्योगिक संस्थानों को आवंटित जल					
1	कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (1600 मे.वा.)	52.00	17.55	शिवरीनारायण बैराज	–
2	के.एस.के. महानदी पॉवर कंपनी लिमिटेड (वर्धा पॉवर) (1850 मे.वा.)	100.00	10.00	बसंतपुर बैराज	संस्थान को 34.00 मि.घ.मी. अतिरिक्त जल मानसून अवधि (जुलाई से सितंबर) तथा मानसून पश्चात् अवधि (अक्टूबर से दिसंबर) में आवंटित किया जाना प्रस्तावित है।
	योग :–	**152.00**	**27.55**		
पेयजल हेतु आवंटित जल					
3	दुण्ड्रा आवर्धन जल प्रदाय योजना	0.748	0.187	शिवरीनारायण बैराज	–
	योग :–	**0.748**	**0.187**		

7.24 साराडीह बैराजः— इस संरचना अंतर्गत महानदी पर साराडीह बैराज जिसकी पुनरीक्षित लागत रू. 640.21 करोड़ है, का निर्माण कार्य वर्तमान में लगभग 99 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। सितंबर 2021 तक लागत के विरूद्ध राशि रू. 557.44 करोड़ व्यय की जा चुकी है। इस बैराज के निर्माण पश्चात् संग्रहित उपलब्ध जल से 333 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वयं के साधन से सिंचाई के साथ–साथ औद्योगिक संस्थानों के उपयोग हेतु जल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस बैराज से निम्नानुसार औद्योगिक संस्थानों को तथा पेयजल हेतु जल प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है :—

तालिका क्र.7.15 साराडीह बरॉज

क्र.	संस्थान के नाम	स्वीकृत जल की कुल मात्रा वार्षिक (मिघमी)	संस्थान हेतु ग्रीष्मकालीन आरक्षित जल संग्रहण (मिघमी)	ऑफटेक पाईंट	अभियुक्ति
साराडीह बैराज :—	प्रस्तावित जल संग्रहण मात्रा				54.24
1	इण्ड भारत एनर्जी लिमिटेड, हैदराबाद (600 मे.वा.)	20.00	4.50	साराडीह बरॉज	—
2	वीसा पॉवर लिमिटेड, कोलकाता (1200 मे.वा.)	35.00	7.87	साराडीह बैराज	—
3	बी.ई.सी. पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई (505 मे.वा.)	14.50	3.26	साराडीह बरॉज	
4	(अ) एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर (600 मे.वा.)	12.00	4.05	साराडीह बरॉज	—
	(ब) एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर (अतिरिक्त 600 मे.वा.)			साराडीह बरॉज	
5	(अ) आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई (1200 मे.वा.)	35.00	7.88	साराडीह बैराज	—
	(ब) आर.के.एम. पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई (अतिरिक्त 200 मे.वा.)	9.83	2.21	साराडीह बैराज	
6	(अ) एन.टी.पी.सी. लारा (4000 मे.वा.के प्रथम चरण 1600 मे.वा. हेतु)	45.00	15.18	साराडीह बैराज	
	(ब) एन.टी.पी.सी. लारा (4000 मे.वा.के द्वितीय चरण 2400 मे.वा. हेतु)	68.00	3.81	साराडीह बैराज	
	योग :—	239.33	48.76		
पेयजल हेतु आवंटित जल					
1	सारंगढ़ आवर्धन जल प्रदाय योजना	2.19	0.55	साराडीह बैराज	
2	डभरा आवर्धन जल प्रदाय योजना	1.00	0.25	साराडीह बैराज	
	योग :—	3.19	0.80		

साराडीह बैराज से उक्त संस्थानों में से वर्तमान में 03 संस्थानों यथा मेसर्स एस.के.एस. पावर लि., आर.के.एम. जेन पावर लि. एवं एन.टी.पी.सी. लारा द्वारा क्रमशः 12.00 मि.घ.मी. वार्षिक, 11.20 मि.घ.मी. वार्षिक तथा 45.00 मि.घ.मी. वार्षिक, कुल 68.20 मि.घ.मी. अनुबंध करने के पश्चात् जल आहरण किया जा रहा है।

7.25 एनीकटः— वर्तमान में संरचनाधीन स्वीकृत 45 एनीकटों में से अप्रैल 2021 तक 28 एनीकट निर्मित हैं, जिसमें से लेपरा एनीकट औद्योगिक प्रयोजन हेतु निर्मित है तथा 17 एनीकट निर्माणाधीन हैं। जल संवर्धन एवं निस्तारी हेतु निर्मित एनीकटों से स्वयं के साधन से किसानों को 4,746 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

7.26 नरवा कार्यक्रम :— वर्तमान में नरवा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला सुकमा, कोण्डागांव एवं कोरबा में 224 नाला कार्य स्वीकृत हैं। जिसमें 64 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 157 कार्य प्रगति पर है एवं 03 कार्य अप्रारंभ हैं। शेष जिलों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन जल संसाधन विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराया जा रहा है।

पशुधन

छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश ग्रामीण परिवारों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। पशु संगणना 2019 के अनुसार प्रदेश में 1.59 करोड़ पशुधन तथा 1.87 करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षीधन है। देशी नस्ल के पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान एवं उन्नत नस्ल के सांडों से प्राकृतिक गर्भाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अन्य विभागीय कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

तालिका 7.12 पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
योगदान (लाख रु.)	253157	284250	313268	380986	416141	407918	417187
वृद्धि (प्रतिशत)	3.21	12.28	10.21	21.62	9.23	-1.98	2.27
योगदान (प्रतिशत)	1.41	1.46	1.57	1.71	1.78	1.77	1.63

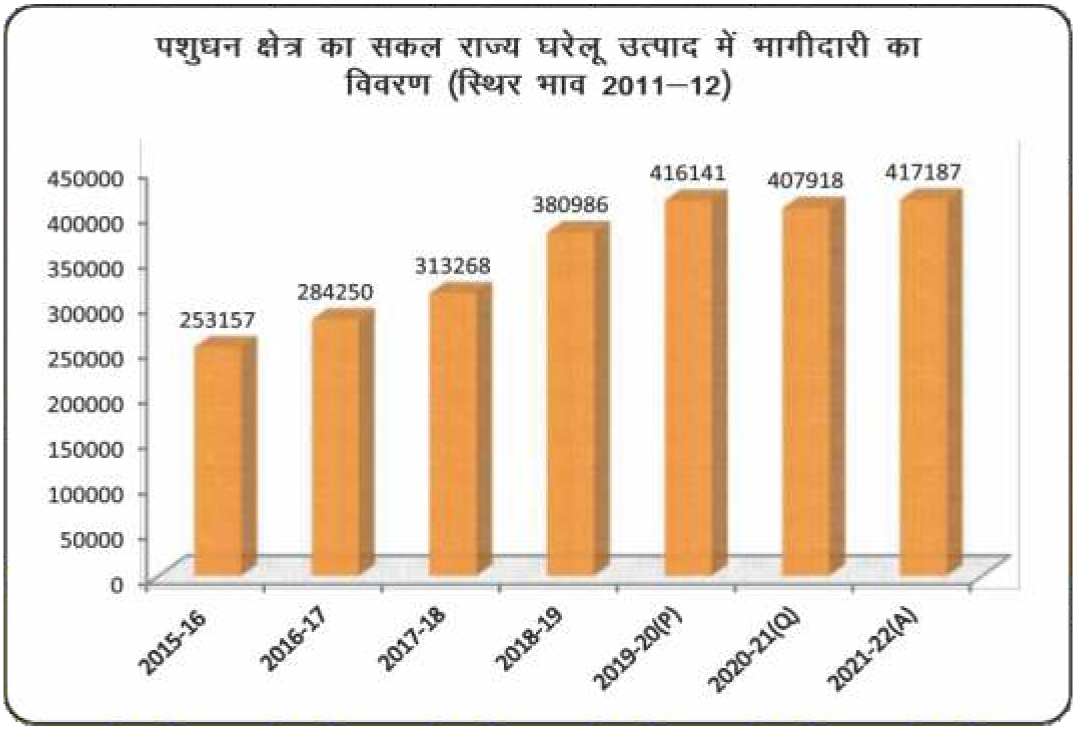

7.27.1 गौंवंशीय एवं भैसवंशीयपशु विकास :– पशु संगणना 2019 के अनुसार गौंवंशीय प्रजनन योग्य पशु 32.99 लाख एवं भैसवंशीय प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या 36.61 लाख है। राज्य में वर्ष 2021–2022 की अवधि में पशुओं में उन्नत प्रजनन सुविधा हेतु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की संख्या 22, हिमीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र की संख्या 248, पशु चिकित्सालय 341, पशु औषधालय 829, मुख्य ग्राम खण्ड 10, मुख्य ग्राम खण्ड इकाई 99 कार्यरत हैं। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष 2020–21 में 5.95 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। आलोच्य अवधि में कृत्रिम गर्भाधान से 1.95 लाख वत्सोत्पादन हुआ। तथा 19.68 लाख पशुओं का उपचार, 25.16 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 3.31 लाख पशुओं में बधियाकरण, 180.909 लाख पशुओं में टीकाकरण एवं 43.56 लाख कुक्कुट पक्षी का टीकाकरण कार्य किया गया है।

वर्ष 2021–2022 में सितम्बर 2021 तक 1.54 लाख पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई। जिससे 0.76 लाख कृत्रिम गर्भाधान से वत्सोत्पादन हुआ। 9.12 लाख पशुओं का उपचार, 12.03 लाख पशुओं को औषधि प्रदाय, 0.34 लाख पशुओं में बधियाकरण, 18.63 लाख पशुओं में टीकाकरण एवं 13.75 लाख कुक्कुट पक्षी का टीकाकरण कार्य किया गया है।

7.27.2 बकरी विकास :– प्रदेश में वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार 40.05 लाख बकरे–बकरियॉं है। प्रदेश में कार्यरत प्रक्षेत्रो के अंन्तर्गत अधिक उत्पादन वाली नस्लों का प्रजनन किया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थानीय बकरियों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के ग्रेडेड नस्ल का बकरा विभागीय व्यक्तिमूलक योजना में (विशेष घटक योजनांतर्गत) अनूसचित जाति वर्ग के एवं (आदिवासी उपयोजनांतर्गत) अनुसूचित जनजाति वर्ग के तथा सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को अनुदान पर प्रजनन योग्य बकरों का वितरण किया जाता है। वर्ष 2020–21 में योजनांतर्गत राशि रू. 76.00 लाख मे से राशि रू 75.74 लाख व्यय कर कुल 1965 बकरों का वितरण किया गया। वर्ष 2021–22 में योजनांतर्गत माह सितम्बर 2021 तक राशि रू 76.00 लाख मे से राशि रू 34.82 लाख व्यय कर 188 बकरों का वितरण किया गया।

प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु दो नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना ग्राम सरोरा जिला रायपुर तथा रामपुर (ठाठापुर) जिला कबीरधाम में की गई है।

7.27.3 सूकर विकास :– वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार राज्य में 5.27 लाख सूकर हैं। सूकर नस्ल सुधार हेतु चयनित सूकर पालकों को वर्ष 2020 –21 में अनुदान पर सूकरत्रयी (2 मादा + 1 नर सूकर) वितरण हेतु राशि रू. 88.92 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 988 सूकरत्रयी के विरुध्द राशि रू. 88.81 लाख व्यय कर 986 सूकरत्रयी प्रदाय किया गया एवं अनुदान पर नर सूकर वितरण हेतु राशि रू. 3.50 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्ष्यित 100 नर सूकर के विरूध्द राशि रू 2.66 लाख व्यय कर 76 नर सूकर अनुदान पर प्रदाय कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2021–22 में अनुदान पर सूकरत्रयी योजना से राशि रू 89.00 लाख अनुदान अन्तर्गत 988 इकाई लक्ष्य के विरुध्द राशि रू 52.60 लाख व्यय कर 144 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

प्रदेश में सूकर पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु सकालो जिला अम्बिकापुर एवं परचनपाल जिला जगदलपुर में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित है। जिसमें लार्ज व्हाइटयार्कशायर, रशियन चरमुखा नस्ल के सुकरों का प्रजनन किया जा रहा है। एक नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र की स्थापना कुनकुरी जिला जशपुर में प्रगति पर है।

7.27.4 शत–प्रतिशत अनुदान पर सांडों का प्रदाय :– प्रदेश मे वर्ष 2006–07 से पशु नस्ल के उन्नयन हेतु ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत प्रगतिशील किसान/गौसेवक को शत्–प्रतिशत अनुदान पर सांडो का प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गयी हैं। वर्ष 2020–21 में शत्–प्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण हेतु कुल राशि रु. 73.95 लाख आबंटन अन्तर्गत लक्षित 1212 साड़ों का वितरण किया गया हैं। वर्ष 2021–22 में माह सितम्बर 2021 तक राशि रू. 75.25 लाख मे से राशि रू. 36.73 लाख व्यय कर 43 सांडों का वितरण किया गया है, शेष सांड़ों के वितरण कार्य प्रगति पर हैं।

तालिका 7.17

चिकित्सालय	संख्या
पशु चिकित्सालय	341
पशु औषधालय	829
चलित पशु चिकित्सा इकाई	27
पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला	16
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	22
कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र	248
एम्बुलेट्री क्लीनिक	08
मोटर सायकल यूनिट	20
मुख्य ग्राम खण्ड	10
मुख्य ग्राम खण्ड इकाई	99

7.27.5 कुक्कुट विकास :– प्रदेश मे पशु संगणना 2019 के अनुसार कुल 187.12 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी हैं। प्रदेश में 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित हैं। इन प्रक्षेत्रों पर उत्पादित रंगीन चूजों का वितरण बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजनांतर्गत आहार एवं औषधि सहित घर तक परिवहन पश्चात् सभी वर्ग के हितग्राहियों को प्रदाय किया जाता हैं। योजनांतर्गत कुक्कुट चूजों के अलावा बतख एवं बटेर चूजों का भी प्रदाय किया जाता हैं। वर्ष 2020–21 में बैकयार्ड कुक्कुट इकाई वितरण योजनांतर्गत राशि रू. 517.00 लाख आबंटन अंतर्गत राशि रू. 516.98 लाख व्यय कर कुल 19,977 हितग्राहियों को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2021–22 में माह सितम्बर 2021 तक राशि रू. 517.00 लाख आबंटन अंतर्गत राशि रू. 318.12 लाख व्यय कर 1,652 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान शेष बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों का वितरण शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों से एवं अन्य शासकीय संस्थानों से किया जा रहा है।

7.27.6 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि :– वर्ष 2020–21 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत राशि रू. 6928.87 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है, जिसके अन्तर्गत रू. 3,895.97 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ है एवं सितम्बर 2020 तक राशि रू. 3,811.16 लाख व्यय किया गया है।

वर्ष 2021–2022 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत राशि रू. 6,842.39 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है, उक्त स्वीकृत राशि का आबंटन शासन स्तर से प्रकियाधीन है।

7.27.7 प्रायवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना :– राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा अनुसार राष्ट्रीय गौवंशीय, भैसवंशीय परियोजनान्तर्गत प्रत्येक 1,200 पशुओं पर एक कृत्रिम गर्भाधान इकाई की आवश्यकतानुरूप, स्वरोजगारोन्मुखी प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें प्रशिक्षित गौ सेवकों, स्थानीय बेरोजगार को एक माह का सैद्यान्तिक एवं व्यावहारिक तथा 3 माह का क्षेत्रीय/प्रशिक्षण देकर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कराया जा रहा है।

वर्ष 2020–2021 तक कुल 2,051 प्राईवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता/मैत्री प्रशिक्षित कर पंजीयन किया गया है, जिसमें 912 कार्यरत हैं। इन्हे निःशुल्क औजार, उपकरण प्रदाय कर नियमित रूप से तरल नत्रजन एवं स्ट्रा प्रदाय की व्यवस्था नजदीकी विभागीय संस्था के माध्यम से की जा रही है तथा प्रत्येक वत्सोत्पादन पर 04 चरणों में रू. 1,200 मानदेय देने का प्रावधान है।

7.27.8 पशुधन मित्र योजना– पशुधन मित्र (गौसेवक/प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता, मैत्री) को जीविकोपार्जन एवं वार्ड में रूचि की निरन्तरता बनाने हेतु पशुओं में टीकाकरण, शिविर आयोजन में भाग लेने हेतु प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। वर्ष 2020–21 में योजनांतर्गत राशि रूपये 333.00 लाख के आबंटन से राशि रूपये 329.61 लाख का मानदेय दिया गया। इसी तरह वर्ष 2021–22 में माह सितम्बर 2021 तक राशि रूपये 330.00 लाख के आबंटन से रिक्त राशि रूपये 92.04 लाख का मानदेय पशुधन मित्रों को दिया गया।

7.27.9 ग्रामोंत्थान योजना :– राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषको की आमदनी में वृध्दि करने तथा कृषि कार्यो के लिये उन्नत नस्ल के सक्षम व ताकतवर पशुओं के विकास करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कई पशु नस्ल सुधार योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये पशु पालकों सहित गरीब चरवाहों को भी पशुधन विकास और पशुओं पर आधारित आर्थिक गतिविधियों में शामिल करने, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 से ग्रामोंत्थान योजना प्रारंभ किया गया है। योजना प्रारंभ से अब तक कुल 15,709 चरवाहों का पंजीयन किया गया है। योजना का उद्देश्य पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान हेतु आवश्यक सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिये, चरवाहों को पशुपालन विभाग की आवश्यक कड़ी के रुप में जोड़ना है। वर्ष 2020–21 में ग्रामोत्थान योजना हेतु राशि रु. 20.00 लाख राज्य आयोजना मद से प्रोत्साहन राशि रू. 15/प्रति कृत्रिम गर्भाधान एवं 15/– प्रति बधियाकरण कार्य में सहयोग हेतु चरवाहों को कुल 1,03,907 कृत्रिम गर्भाधान/बधियाकरण में राशि रू. 15.59 लाख प्रदाय किया गया है।

वर्ष 2021–22 में कुल 0.33 लाख कृत्रिम गर्भाधान/बधियाकरण कार्य का लक्ष्य के विरूद्ध रू. 5.00 लाख प्रावधानित है। सितम्बर 2021 तक 1.57 लाख खर्च किया गया है।

7.27.10 छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण :– छत्तीसगढ़ राज्य में पशु संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशीय–भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के संचालन व नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना जून, 2001 में की गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन वर्ष 2018–19 में राशि 1,920.60 लाख एवं वर्ष 2020–21 में राशि रूपये 101.25 लाख प्राप्त हुआ है

जिसका कियान्वयन वर्ष 2020–21 एवं वर्ष 2021–22 में किया जा रहा है। परियोजनान्तर्गत मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार है :–

- घर पहुंच सेवा सुनिश्चित करने हेतु 1,504 अचल कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों का चल कृत्रिम गर्भाधान ईकाईयों में परिवर्तन।
- कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु आवश्यक तरल नत्रजन प्रदाय एवं भण्डारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण अन्तर्गत 1179 B.A.-3, 590 T.A-55.,75 J-12 जिलों को एवं 1 O.M.R. केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय अंजोरा दुर्ग को प्रदाय किया गया है एवं 6,000 लीटर क्षमता के 4 तरल नत्रजन टैंकर कय किया गया है ।
- गुणवत्ता परीक्षण उपरांत हिमीकृत वीर्य प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये वीर्य संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण अन्तर्गत 04 मुर्रा एवं 03 साहिवाल HGM सांड PLDB पंजाब से एवं 02 जर्सी तथा 02 CBHF HGM सांड ULDB उत्तराखण्ड 02 CBHF HGM सांड एवं दो गीर खेड़ा, तथा 05 HF Bulls (Imported from Germany), Chennai से क्रय कर केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय अंजोरा दुर्ग लाया गया है।
- वर्ष 2019–20 में 300 प्राईवेट कृत्रिम गर्भधान कार्यकर्ताओं (मैत्री) को प्रशिक्षण व सामग्री प्रदाय एवं ए.आई. क्षेत्र विस्तार तथा रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदाय किया जा रहा है।
- वर्ष 2020–21 हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनांतर्गत 2,599.35 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसमें से राशि रू 101.25 लाख भारत सरकार द्वारा 125 मैत्री प्रशिक्षण हेतु बंटन प्राप्त हुआ है। कोविड 19 संकमण के कारण मैत्री प्रशिक्षण का कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनांतर्गत ग्राम झालम जिला बेमेतरा में संस्थागत गोकुल ग्राम की स्थापना हेतु वर्ष 2020–21 में राशि रू. 657.00 लाख छ.ग. राज्य गौ सेवा आयोग को प्रदाय किया गया है तथा ग्राम नगोई जिला बिलासपुर में सांड माता प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु राशि रू. 454.60 लाख संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें बिलासपुर को प्रदाय किया गया हैं, जिससे घटकवार सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है।
- मानव संसाधन विकास हेतु विभागीय व गैर विभागीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को राज्य व राज्य के बाहर प्रशिक्षण के फलस्वरूप प्रतिवर्ष संकर/उन्नत नस्ल की दुधारू गायों की संख्या में वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो रही है।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक एफ. एम. डी. एवं ब्रुसेलासिस रोग के नियंत्रण तथा वर्ष 2030 तक इन रोगों का देश से उन्मुलन करने के लक्ष्य के साथ केन्द्रीय योजना नेशनल

एनीमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम (NADCP) फॉर एफ.एम.डी. सी.पी. एवं ब्रुसेलासिस सी.पी. का शुभारंभ वर्ष 2019–20 में किया गया। NADCP योजना के राज्य में कियान्वयन हेतु छ.ग. राज्य पशुधन विकास अभिकरण को कियान्वयन ऐजेंसी नियुक्त किया गया तथा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 में 1,939.32 लाख एवं वर्ष 2020–21 में 785.21 लाख आबंटन प्रदान किया गया जिसके अंतर्गत 73,75,500 इयर टैग 7,710 इयर टैग एप्लीकेटर 1,12,969,000 पशु स्वास्थ्य पत्र, 24,80,352 पशुओं के टैगिंग कर पारिश्रमिक, 1,60,32,300 सीरिज एवं निडिल, 9 मॉडयूलर कोल्ड रूम, 39, आईसलाइन्ड रेफ्रिजरेटर, 529 रेफ्रिजरेटर 315 लीटर, 1,269 वैक्सीन कैरियर एवं 37,24,941 पशुओं के टीकाकरण हेतु पारिश्रमिक जिलों को प्रदाय किया गया है।

वर्ष 2020–21 हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अन्तर्गत 4,418.63 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

7.27.11 पशुरोग नियंत्रण परियोजना (एस्काड):– केन्द्र प्रवर्तित योजना लाइवस्टाक हेल्थ एण्ड डिसिज कण्ट्रोल अन्तर्गत एस्काड संचालित है जिसके अंतर्गत प्रमुख रोगों के प्रतिबंधात्मक टीकाकरण, पशुउपचार शिविर, प्रशिक्षण, कार्यशाला का आयोजन, पशु पालकों/किसानो के मध्य पशु पालन से संबंधित प्रचार–प्रसार कार्य, अनुसंधान एवं प्रयोगशालाओं का उन्नयन/सुदृढ़िकरण,किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में राशि रू. 654.26 लाख व्यय कर 138.02 लाख पशुओं में टीकाकरण किया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में राशि रू. 1,190.51 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत हुई है।

7.27.12 राष्ट्रीय ब्रुसलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (NCPB):– योजनांतर्गत 4–8 माह उम्र के मादा वत्स (बछिया/पडिया) को ब्रुसोलोसिस रोग से बचाने हेतु रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण कार्य किया जाता है।

7.27.13 मुंहपका खुरपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP-FMD):– छत्तीसगढ़ राज्य में एफ.एम. डी. रोग की रोकथाम हेतु NADCP अंतर्गत वर्ष 2019–20 में एफ.एम.डी. मुक्त भारत अभियान की शुरूआत की गई, जिसके तहत एफ.एम.डी. रोग की रोकथाम हेतु प्रत्येक 6 माह के अंतराल में गौंवंशीय, भैंसवशीय पशुओं मे सघन टीकाकरण कार्य किया जाता है। योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में 59.25 लाख प्रतिबन्धात्मक टीकाकरण कार्य किया गया है।

7.27.14 पी.पी.आर नियंत्रण कार्यक्रम (PPR,CP):– बकरियों में पी.पी.आर नियंत्रण कार्यकम अन्तर्गत प्रदेश के बकरियों को पी.पी.आर रोग के विरूद्ध टीकाकरण किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में 1,83,125 भेंड़ एवं बकरियों में टीकाकरण किया गया।

7.27.15 नेशनल लाइवस्टाक मिशन योजना (एन.एल.एम.) :– वर्ष 2020–21 में योजना अन्तर्गत पशुपालकों को व्यवसायिक बकरी पालन हेतु बकरी इकाईयों का वितरण, बकरियों के लिए कृमीनाशक दवापान एवं मिनरल मिक्चर का वितरण, 02 दिवसीय पशु मेला आयोजन, चारा बीज वितरण, पावर

ड्रिवन चॉफ कटर वितरण एवं चारागाह विकास कार्य स्वीकृत किये गए। वर्षान्त में योजना अन्तर्गत बंटित कुल राशि रू. 30.45 करोड़ में से राशि रू. 29.60 करोड़ (97.2%) का व्यय किया गया। योजना में कुल 1,600 बकरी इकाई वितरीत किया गया, 200 बकरी कल्स्टर अन्तर्गत लगभग 4.00 लाख बकरियों हेतु कृमीनाशक दवापान एवं मिनरल मिक्चर का वितरण किया गया, 108 दो दिवसीय पशु मेला आयोजन, 6,345 क्विंटल चारा बीज वितरण, 1,500 पावर ड्रिवन चॉफ कटर वितरण एवं 500 हेक्टेयर भूमि पर चारागाह विकास कार्य किया गया।

वर्ष 2021–22 में भारत सरकार द्वारा योजना के स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा है, जिसकी कार्यवाही प्रकियाधीन है।

7.27.16 सुराजी गांव योजना– नरवा, गरूबा, घुरबा एवं बाड़ी (NGGB) :– प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के अन्तर्गत नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी योजना का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों जैसे – पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, पशुधन विकास, उद्यानिकी, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी आदि के समन्वय से किया गया। समस्त जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत स्तर पर गोचर भूमि आरक्षित कर गौठान एवं चारागाह का वृह्द निर्माण सतत् रूप से किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गौवंशीय–भैंसवंशीय पशुधन को गौठानो के माध्यम से एक स्थान पर छाया, शुद्ध पेयजल, सूखा एवं हरा चारा उपलब्ध कराना है, जिससे खुले में घूम रहे पशुओं से किसानो की फसलों को हो रहे नुकसान से बचाया जा सके साथ ही पशुओं को मूलभूत सुविधा के साथ–साथ स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी उपलब्ध कराया जा सके।

गौठानो में सी.पी.टी. एवं तार फेंसिंग कर आरक्षित भूमि को घेरा कर पशुओं के लिए स्थान सुरक्षित किया गया है, जहां डे–केयर सेन्टर के रूप में ग्राम के पशुओं को चरवाहा के माध्यम से प्रातः कालीन गौठानो में लाया जाना है तथा संध्या होने पर पुनः पशु मालिक के घर वापस किया जाना है।

योजनांतर्गत विभागीय अमलो द्वारा गौठान में आने वाले पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे प्राथमिक उपचार, समयबद्ध प्रतिरोधात्मक टीकाकरण के साथ–साथ कृत्रिम गर्भाधान, प्राकृतिक गर्भाधान हेतु सांड वितरण, बधियाकरण, कृमिनाशक दवापान, कीटनाशक छिड़काव आदि सुविधायें उपलब्ध कराना है।

वर्तमान में योजनांतर्गत 10,418 गौठानों को स्वीकृति प्रदाय की गयी है जिसमें से 7,356 गौठानों का पूर्ण निर्माण किया गया है। वर्ष 2020–21 में इन गौठानो में आने वाले पशुओं में 36,198 कृत्रिम गर्भाधान कार्य, 24.06 लाख टीकाकरण 3,58,941 पशुओं का उपचार एवं 47,176 पशुओं में बधियाकरण कार्य संपादित किया गया है। शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना अन्तर्गत गौठान ग्राम के स्व–सहायता समूहो द्वारा गौठान में एकत्रित गोबर को रू. 2 प्रतिकिलो के दर पर विकय कर आय अर्जित किया जा रहा है।

7.27.17 पशु उत्पाद उपलब्धता :– वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य के जिलों में केन्द्रीय एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण कार्यकम अंतर्गत कुल 2,574 ग्राम/वार्ड का प्राथमिक सर्वेक्षण एवं 810 चयनित

ग्रामों/वार्डों में विस्तृत सर्वेक्षण कार्य पशु उत्पाद दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस के उत्पादन विषयक अनुमान लगाने हेतु सम्पादित किया गया। सर्वेक्षण अनुसार राज्य में 1,747 (हजार टन) दुग्धोत्पादन, 18,554 (लाख) अण्डा उत्पादन एवं 46.761 (हजार टन) मांस उत्पादन अनुमानित पाया गया। वर्ष 2020–21 के एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 154 ग्राम दूध की उपलब्धता, प्रतिव्यक्ति वार्षिक 60 अण्डे तथा प्रतिव्यक्ति वार्षिक मांस की उपलब्धता 1.505 कि0ग्रा0 होना पाया गया है।

7.27.18 डेयरी उद्यमिता विकास योजना:– राज्य में डेयरी उद्यमिता की अपार संभावनाओं को देखते हुए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के दृष्टिगत आपूर्ति सुनिश्चित करने डेयरी इकाई की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिसके तहत 2 दुधारू पशुओं की इकाई लागत राशि रूपये 1.40 लाख पर सामान्य प्रवर्ग के हितग्राहियों को 50% तथा अ.जा./अ.ज.जा. प्रवर्ग के हितग्राहियों को 66.6 % की दर से अनुदान प्रावधानित है। योजनांतर्गत हितग्राही द्वारा इकाई को बैंक ऋण के माध्यम से (बैंक लिंकेज) या स्वयं की पूंजी (स्ववित्तीय) से कियान्वित किया जा सकेगा।

राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में राशि रू. 1,639.90 लाख आवंटन मे से अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक 193 डेयरी इकाई स्थापना हेतु राशि रू. 924.80 लाख का अनुदान तथा अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक कुल 527 डेयरी इकाई स्थापना हेतु राशि रू. 1,517.66 लाख का अनुदान प्रदाय किया गया है। वर्ष 2021–22 मे माह सितंम्बर 2021 तक अनुदान 394 हितग्राहियों को राशि रू. 1,407.90 लाख आबंटन मे से राशि रू. राशि रू. 563.16 लाख का अनुदान प्रदाय किया गया है।

7.27.19 उन्नत मादा वत्सपालन योजना :– इस योजना का लाभ सभी वर्ग के हितग्राहियों को दिया जाता है, ताकि उन्नत नस्ल के वत्सपालन की अभिरूचि उत्पन्न हो। वर्तमान में सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिये रू. 15,000/– एवं अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिये रू. 18,000/– उन्नत नस्ल की बछिया हेतु 4 से 24 माह तक की आयु के लिये पशु आहार बाबत अनुदान का प्रावधान है। वर्ष 2020–21 मे योजना अन्तर्गत राशि रू. 252.00 लाख आबंटन मे से राशि रू. 239.00 लाख व्यय कर 1,405 हितग्राहियों को योजना अन्तर्गत लाभान्वित किया गया ।

वर्ष 2021–22 मे माह सितम्बर 2021 तक राशि रू. 252.00 लाख आबंटन मे से राशि रू. 53.44 लाख व्यय कर 156 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

मत्स्य विकास

छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन विकास काफी प्रगति पर है। राज्य में उपलब्ध जल संसाधन की दृष्टि से मछली पालन एक विशिष्ट स्थान रखता है, राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायु स्थितियां भी मछली पालन हेतु उपयुक्त है। मछली पालन अधिक आय कम लागत और कम समय में सहायक धन्धें के रूप में ग्रामीण अंचलों में अत्यन्त लोकप्रिय है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है मछली पालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। साथ ही मछली जैसे पौष्टिक खाद्य का उत्पादन बढ़ाकर कुपोषण को दूर किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा इस व्यवसाय से जुड़े मछुआरों के हित में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिये गये है तथा उनका लाभ भी अधिक उत्पादन के रूप में परिलक्षित होने लगा है।

तालिका 7.14 मछली उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
योगदान (लाख रु.)	320482	352891	428200	457659	503807	540782	582335
वृद्धि (प्रतिशत)	8.91	10.11	21.34	6.88	10.08	7.34	7.68
योगदान (प्रतिशत)	1.78	1.81	2.14	2.05	2.16	2.34	2.27

7.28 छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नानुसार मत्स्य विकास किया जा चुका है :– संसाधन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.920 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है जिसमें से 1.812 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 94.38 प्रतिशत है।

(अ) <u>राज्य आयोजना</u> :–

- **मत्स्य बीज उत्पादन :–** राज्य में वर्ष 2019–20 में समस्त स्त्रोतों से 27,386.86 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ था। इसी प्रकार वर्ष 2020–21 में 28,805.29 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन हुआ जो गतवर्ष की तुलना में 5.18 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2021–22 में 26,986.14 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई का उत्पादन सितंबर 2021 की स्थिति में हुआ है।

- **मत्स्योत्पादन :–** राज्य में समस्त स्त्रोतों से वर्ष 2019–20 में 5,37,890 मे. टन का मत्स्य उत्पादन किया गया था, वर्ष 2020–21 में 5,77,365 मे. टन किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 7.34 प्रतिशत अधिक था। आलोच्य वर्ष 2021–22 में माह सितम्बर तक 3,20,126 मे. टन मत्स्योत्पादन किया गया है।

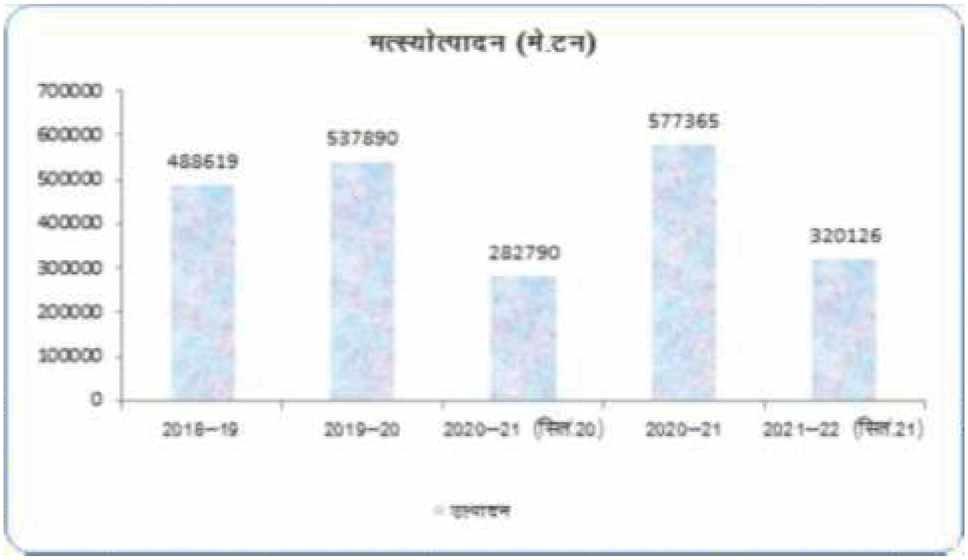

- **मछुआ सहकारिता :–**राज्य में वर्ष 2020–21 तक समितियों की संख्या 1,645 है। इन समितियों की सदस्य संख्या 55,685 है। उक्त समितियों को 10 वर्ष की अवधि के लिये तालाब/सिंचाई जलाशय पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है।

- **शिक्षण–प्रशिक्षण:–**शिक्षण–प्रशिक्षण योजनान्तर्गत विभाग द्वारा सभी श्रेणी के मछुआरों को राज्य में मत्स्य पालन के साथ मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु मछली पालन की तकनीकी पद्धति एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में मछुआरों को प्रशिक्षण केन्द्र तक आने जाने का किराया एवं प्रशिक्षण

वृत्ति 750/–, जाल बुनने हेतु धागा के लिए रूपये 400/–, तथा अन्य व्यय हेतु 100/– इसी प्रकार प्रति प्रशिक्षणार्थी पर कुल व्यय रू. 1250/– का प्रावधान है। वर्ष 2020–21 में इस कार्यक्रम के तहत 6,770 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया।

- **मछवारों को नवीनतम तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु तीन दिवसीय उन्नयन प्रशिक्षणः**–सभी वर्ग के मछुवारों को तकनीकी ज्ञान में वृद्धि के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके तहत रू. 1,000 प्रति प्रशिक्षणार्थी व्यय का प्रावधान है। (शिष्यवृत्ति एवं क्षेत्रीय भ्रमण हेतु राशि रू. 450/– तथा आने जाने पर व्यय हेतु राशि रू. 550/– व्यय प्रावधानित है।)

- **मछुओं का अध्ययन भ्रमण :**–सभी वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनायी जा रही मछली पालन की तकनीक से परिचित करानें के उद्देश्य से राज्य के बाहर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाता है उक्त प्रशिक्षण के दौरान आने जाने का किराया तथा रू. 100/– प्रति दिवस प्रति मछुआ के मान से प्रशिक्षण वृत्ति दिया जाता है। हितग्राही के अध्ययन भ्रमण हेतु अधिकतम रू. 2,500/– प्रति हितग्राही व्यय किये जाने का प्रावधान है।

- **मत्स्य पालन प्रसार :**– मत्स्य पालन प्रसार योजनान्तर्गत मछुआरों को झींगा मत्स्य पालन हेतु अनुसूचित जाति–जनजाति के कृषकों को झींगा बीज क्रय करने तथा खाद्य एवं खाद्य पदार्थ हेतु 3 वर्षो में अधिकतम रूपये 15,000/– का प्रावधान है। योजना अंतर्गत वर्ष 2020–21 में 657 इकाईयां स्थापित की गई है, उक्त इकाईयों में 3.090 लाख झींगा बीज संचयन कर 3180.00 कि. ग्रा. का उत्पादन प्राप्त किया गया है।

- **मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन** – राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं जाति के हितग्राहियों को मौसमी तालाब में स्पान संवर्धन कर मत्स्य बीज उत्पादन योजनान्तर्गत प्रति इकाई रू. 30,000/–की आर्थिक सहायता वर्ष 2020–21 में 363 हितग्राही लाभान्वित हुए।

- **नाव जाल अथवा जाल क्रय की सुविधा** – राज्य में अनुसूचित जनजातियों के हितग्राहियों को मत्स्याखेट उपकरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्यों से वर्ष 2020–21 में 2,444 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

- **फिंगरलिंग क्रय कर संचयन** – वर्ष 2020–21 में 4,387 हितग्राही लाभान्वित हुए।

- **मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना :**–सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6,000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2020–21 में 903 हिग्राहियों को सहायता दी गई।

- **मत्स्य प्रजनक बैंक की स्थापना हेतु मत्स्य पालकों को मत्स्य प्रजनकों की आपूर्ति कर आर्थिक सहायता :–**राज्य के मत्स्य बीज उत्पादको को मत्स्य प्रजनन काल के दौरान उन्नत स्वस्थ मत्स्य प्रजनक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मत्स्य पालको को मत्स्य प्रजनक बैंक की स्थापना कर मत्स्य प्रजनक आपूर्ति कर प्रोत्साहन के तौर पर विक्रय राशि का 30 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम रू. 45/–प्रति किलो ग्राम दिये जाने का प्रावधान है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण तालाबों में शत–प्रतिशत अनुदान पर मत्स्य बीज संचयन योजना के तहत प्रतिवर्ष रू. 7850/– (लाख में) व्यय किया जाकर क्षेत्र के 302 ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज संचयन कर ग्रामीणों को सुपाच्य भोजन प्राप्ति हेतु सहायता।

- **रोजगार सृजन :–**मत्स्य कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2020–21 में 318.00 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। वर्ष 2021–22 में माह सितम्बर 2021 तक 28.75 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया।

- **मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा :–** मछली पालन व्यवसाय से जुड़े मत्स्य जीवियों को मत्स्य पालन अथवा मत्स्याखेट के समय दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित की गई है। हितग्राही मत्स्य कृषक 18–70 वर्ष आयु वर्ग के ही इस योजना में सम्मिलित किये जाते हैं। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा 50–50 प्रतिशत के अनुपात में व्यय भार वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत दुर्घटना स्थिति में बीमित हितग्राहियों को अस्थायी अपंगता पर रू. 1,00,000/– तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु होने पर उस परिवार के नामित व्यक्ति को रू. 2,00,000/– की आर्थिक सहायता दी जावेगी। वर्ष 2020–21 में 2,21,300 मछुआरों का बीमा कराया गया इसमें राज्य दूसरे स्थान पर रहा। वर्ष 2021–22 में 2,21,300 मछुआरों के बीमा कराए जाने के लक्ष्य हेतु राशि रू. 17.14 लाख का प्रावधान किया गया है।

(ब) केन्द्र क्षेत्र योजनाऐं :–

- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–**यह योजना वर्ष 2007–08 से राज्य में लागू है। योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के माध्यम से हितग्राहियों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है।

- **स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण :–**सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक अनु. जन.जाति महिला कृषकों को प्राथमिकता निर्धारित है। 1 हेक्टेयर जलक्षेत्र निर्माण ईकाई लागत रूपये 8.50 लाख पर अधिकत्तम रूपये 5.10 लाख की सहायता शासन द्वारा दी जाती है।

- **मत्स्याखेट हेतु नाव जाल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता :–** सभी वर्ग के मत्स्य पालक समूह जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/जलाशय पट्टे पर आबंटित किए गए हैं। ऐसे मत्स्य पालक समूह को नाव जाल क्रय हेतु रू. 25 हजार की सहायता तथा मछुआ सहकारी समिति को नाव/जाल क्रय हेतु रू. 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2020–21

में 75 हितग्राहियों को नाव जाल प्रदाय किया गया। वर्ष 2021–22 में माह सितंबर 21 तक 10 हितग्राहियों को नाव जाल प्रदाय किया गया।

- **मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धनः–** मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कराकर कृषक की आय बढ़ाने एवं अतिरिक्त संवर्धन क्षेत्र विकसित करने के लिए रू. 0.30 लाख की सहायता (कृषक अंश 0.10 लाख) दी जाती है। वर्ष 2020–21 में 140 तलाबों में मत्स्य बीज संवर्धन किया गया। वर्ष 2021–22 में माह सितंबर 21 तक 150 मौसमी तालाबों के लक्ष्य के विरूद्ध 126 तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन किया गया।

- **तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यक्रमः–** तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्राई के स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिए रू. 0.03 लाख की सहायता दी जाती है।

- **जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचयन :–** जलाशयों में अंगुलिका को संचयन हेतु 50:50 (शासन एवं हितग्राही) के अंश में शासकीय अनुदान दिया जाता है।

- **जलाशयों में केज कल्चरः–** राज्य के बड़े एवं मध्यम जलाशयों में बैटरी के 48 फ्लोटिंग केज स्थापित कर उनमें तीव्र गति से बढ़ने वाली मत्स्य (पंगेसियस, तिलापिया) का पालन किया जाता है। वर्ष 2020–21 तक 188 केज स्थापित की गई हैं।

- **तालाबों में मत्स्य उत्पादकता वृद्धि हेतु प्रदर्शन इकाई की स्थापना :–** तालाबों की मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रदर्शन इकाई स्थापना हेतु रूपये 1.48 लाख (रूपये 1.11 लाख शासकीय सहायता एवं रूपये 0.37 लाख हितग्राही अंश) दी जाती है। वर्ष 2020–21 तक 150 प्रदर्शन इकाई की स्थापना की गई है। वर्ष 2021–22 में माह सितंबर 21 तक 10 प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना की गई।

- **राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड :–** भारत शासन द्वारा गठित राष्ट्रीय मात्स्यिकीय विकास बोर्ड द्वारा शत्–प्रतिशत अनुदान पर मछुआरों के हितार्थ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2008–09 में इस योजना अंतर्गत मछुआरों को लाभान्वित किया जा रहा है।

- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना :–** मत्स्य पालन क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। भारत शासन द्वारा मात्स्यिकी क्षेत्र की क्षमता को सकार करने की दिशा के तहत् प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020–21 से लागू की गई है। योजना के तहत् विभिन्न घटकों की रूप रेखा तैयार की गई है। ताकि अंतरर्देशीय मत्स्य पालन एवं मत्स्य पालन के पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के व्यापक क्षेत्रों में किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। उक्त योजना राज्य में भी लागू की गई हैं। वर्ष 2020–21 से वर्ष 2024–25 तक कुल 05 वर्षो के लिए राज्य में क्रियान्वित किया जाना है। योजना क्रियान्वयन के लिए 60 प्रतिशत् अंशदान भारत शासन द्वारा तथा 40 प्रतिशत् अंशदान राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है।

वर्ष 2020–21 में भारत शासन द्वारा राज्य के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में रू. 12,981.00 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। जिसमें भारत शासन द्वारा रू. 3,755.00 लाख तथा रू. 2,543.36 लाख राज्य शासन द्वारा अंशदान आर्थिक सहायता के रूप में वहन किया जाएगा।

इस योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में 2841.27 लाख रूपए बजट प्रावधान में से 2836.77 लाख रू. व्यय किए गए। वर्ष 2021–22 में माह सितंबर 21 तक 2592.62 लाख रूपए बजट प्रावधान में से 1470.11 लाख रू. व्यय किए गए।

नरवा – गरवा – घुरवा – बाड़ी :– वर्ष 2019 से राज्य में कृषि एवं उस पर आधारित व्यवसाय जैसे कि मछलीपालन, पशु पालन आदि को परंपरागत तरीके से करने हेतु यह कार्यक्रम चलाया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण कृशि, पशु पालन, जल संसाधनों का उपयोग एवं उनके उत्पाद तथा अवशिश्ट पदार्थ का उपयोग स्थानीय स्तर पर कृषि एवं उस पर आधारित कार्यों में किया जाता है।

कार्यक्रम अंतर्गत चयनित ग्रामों में गौठानों की स्थापना की गई है। इन गौठानों के परिवृत्त में स्थित तालाबों में मत्स्य बीज संचय कर मत्स्य पालन किया जाना है। गौठान के ताजे गोबर का उपयोग तालाबों में प्राकृतिक मत्स्य आहार विकसित करने के लिए किया जाता है। वर्श 2020–21 में कुल 12,006 तालाब, जलक्षेत्र 16,666.17 हैक्टेयर चिन्हांकित कर कुल 546.65 लाख फिंगरलिंग का संचयन किया जा चुका है तथा वर्श 2021–22 में कुल 9,283 तालाब, जलक्षेत्र 9,916.15 हैक्टेयर चिन्हाकित कर कुल 527.83 लाख फिंगरलिंग का संचयन करने की कार्यवाही की जा रही है।

अनुलग्न–7.1

भूमि उपयोग

(हेक्टेयर में)

क्र.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	13789836	13788302	13788302	14044904
2	वनों के अर्न्तगत क्षेत्रफल	1856227	1846828	1849876	1858011
3	**कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है**				
	अ. गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	744717	739026	750203	751095
	ब. ऊसर व गैर–मुस्तकिल भूमि	286740	288118	287265	287529
	उपयोग –3	1031457	1027144	1037468	1038624
4	**पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृष्य भूमि**				
	अ. स्थायी तथा दीगर चरागाह	883033	887314	893044	895107
	ब. विविध झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये हुये क्षेत्र में शामिल नहीं हैं ।	1361	2316	2745	2828
	स. कृषि योग्य बंजर भूमि	364946	365376	366459	360664
	उपयोग –4	1249340	1255006	1262248	1258599
5	**पड़ती भूमि**				
	अ. पड़त भूमि चालू पड़ती के अतिरिक्त	252014	257028	255610	254817
	ब. चालू पड़ती भूमि	289829	264175	290907	300685
	उपयोग –5	541843	521203	546517	555502
6	कुल अकृष्य भूमि पड़ती शामिल कर **उपयोग –4+5**	1791183	1776209	1808765	1814101
7	**शुध्द बोया गया क्षेत्रफल**	4653495	4681090	4635340	4622725
8	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	886744	943232	1099262	1089769
9	सकल बोया गया क्षेत्रफल	5540239	5624322	5734602	5712494

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ़

अनुलग्न–7.2

छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल तथा उसका वर्गीकरण कृषि वर्षान्त 30 जून, 2021

(हिक्टेयर में)

क्रमांक	जिला	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	वन	कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है		अन्य कृषि भूमि पड़ती को छोड़कर			पड़ती		फसल का निरा क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	सम्पूर्ण फसलों का कुल क्षेत्रफल
					ब–गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	कृषि के योग्य बंजर भूमि	मुस्तकिल व दीगर चारागाह	अन्य झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये गये क्षेत्रफल में शामिल नहीं है	चालू पड़ती	पुरानी पड़ती(2 से 5 साल तक)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रायपुर	291437	1600	335	49125	21282	35858	65	4364	13021	164458	33008	197466
2	बलौदाबाजार	467697	24610	5686	32678	12646	32868	7	5738	9558	235474	23790	259264
3	गरियाबंद	585494	89448	3056	22568	5222	28041	18	5887	3717	131507	27223	158730
4	महासमुन्द	486301	31107	6144	37560	5365	32328	22	9622	8373	258792	40761	299553
5	धमतरी	408093	84803	1482	29935	2703	96136	3	2129	2242	142641	74081	216722
6	दुर्ग	231999	0	4881	36233	11013	19317	95	6217	7519	147724	62440	210164
7	बालोद	352700	26002	4649	33294	8383	20095	49	3814	8295	179393	60229	239622
8	बेमेतरा	285481	0	7	24868	4446	23362	20	3498	3810	225361	170233	395594
9	राजनांदगांव	802262	96896	17166	51725	16064	63876	274	20981	18397	368130	175029	543159
10	कबीरधाम	444705	23619	9966	16626	2458	29006	67	5567	4153	187411	121015	308426
11	बस्तर	606337	86527	19880	26439	36886	25835	1364	15534	11333	163359	6996	170355
12	कोण्डागांव	641727	182437	16332	12821	13247	13337	298	4595	3939	139921	8345	148266
13	नारायणपुर	692268	18302	1654	3146	8167	3705	13	6485	4663	25551	297	25848
14	कांकेर	643268	96844	19180	31855	20616	66141	43	24967	17207	165096	20445	185541
15	दन्तेवाड़ा	341059	33438	27466	12084	29038	4284	0	16710	14872	88573	473	89046
16	सुकमा	580405	141391	11894	15758	58532	24353	60	11736	10905	94972	1098	96070
17	बीजापुर	653762	313578	6493	18778	41736	8919	0	5153	5312	76024	74	76098
18	बिलासपुर	342335	38479	3422	25829	12076	40791	42	7130	6453	174858	24376	199234
19	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	230514	72044	5500	4795	3478	7587	12	4339	2836	64902	4721	69623
20	मुंगेली	279036	1936	229	10168	356	17649	15	2803	1806	128782	91608	220390
21	जांजगीर	446674	9916	2305	32808	11877	37880	124	6575	5233	261635	29027	290662
22	कोरबा	714544	186683	30934	26449	18323	25632	137	10729	10114	122429	3064	125493
23	रायगढ़	682974	59526	14341	59106	7454	66306	0	23188	20799	254479	27495	281974
24	सरगुजा	602180	113949	6112	26708	0	46742	0	18918	11675	152300	21667	173967
25	बलरामपुर	601634	73675	1637	29624	0	86658	100	16008	13885	158120	23978	182098
26	सूरजपुर	498626	15305	1197	29760	0	53091	0	16967	9888	153312	17663	170975
27	कोरिया	597770	47619	13438	24501	0	33135	0	19588	13298	94841	9299	104140
28	जशपुर	645741	56827	52604	25221	10134	42103	0	25280	17614	242680	11334	254014
	योग	14844904	1858811	287529	781095	360664	898407	2828	380688	254817	4622728	1089766	5712494

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ

अनुलग्न–7.3

जिलेवार फसलों का कुल तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

क्र.	जिला	कुल क्षेत्रफल			बोया गया क्षेत्रफल		
		2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
1	कोरिया	106500	106923	104140	96853	96978	94841
2	सरगुजा	175836	174913	173967	155004	152753	152300
3	बलरामपुर	183054	178824	182098	151944	153653	158120
4	सूरजपुर	172681	172008	170975	153605	152883	153312
5	जशपुर	257051	254947	254014	245292	242132	242680
6	रायगढ़	290431	291207	281974	264392	261537	254479
7	कोरबा	130158	122204	125493	126242	118214	122429
8	जांजगीर–चांपा	273348	271829	290662	257232	257639	261635
9	बिलासपुर	253821	198494	199234	225397	173575	174858
10	मुंगेली	207797	225043	220390	128810	128750	128782
11	कबीरधाम (कवर्धा)	279040	305453	308426	187499	189182	187411
12	राजनांदगांव	517075	548783	543159	375436	370509	368130
13	दुर्ग	189114	207114	210164	149431	146600	147724
14	बेमेतरा	361093	396522	395594	225216	225678	225361
15	बालोद	237601	245678	239622	178673	176591	179393
16	रायपुर	194673	202209	197466	162183	162283	164458
17	बलौदा बाजार	262849	254862	259264	232580	232176	235474
18	गरियाबंद	161202	155872	158730	139969	134110	131507
19	महासमुंद	313131	308621	299553	268240	264143	258792
20	धमतरी	213316	214584	216722	144639	142095	142641
21	उत्तर बस्तर (कांकेर)	225209	223137	205541	210461	201195	185096
22	बस्तर	173916	168518	170355	167357	161308	163359
23	कोंडागांव	145847	147852	148266	138180	139907	139921
24	नारायणपुर	32392	30824	25848	32090	30416	25551
25	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	98428	90809	89046	97471	90221	88573
26	सुकमा	102391	99626	96070	101567	96974	94972
27	बीजापुर	66368	70154	76098	66327	70096	76024
28	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	–	67592	69623	–	63742	64902
	छत्तीसगढ़	**5624322**	**5734602**	**5712494**	**245292**	**4635340**	**4622725**

अनुलग्न–7.4

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र								
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	3982.2	3987.7	4035.7	3959.7	4052.60	3976.63	4140.97	4192.23	4339.26
1.2	गेहूँ	102.2	105.0	103.2	105.8	102.1	102.2	99.97	116.27	167.50
1.3	ज्वार	6.2	5.2	5.0	5.4	4.0	3.73	3.08	1.97	1.27
1.4	मक्का	116.8	123.4	125.1	126.4	120.5	119.6	118.2	130.4	147.2
1.5	कोदो–कुटकी	111.1	102.0	91.6	82.8	76.3	68.83	62.81	46.44	41.33
1.6	जौ	2.8	2.7	2.5	1.1	2.1	1.88	1.70	1.79	1.14
51.7	छोटे अनाज	34.5	33.0	30.4	38.1	35.5	29.03	21.05	21.14	15.68
2.0	**दालें**									
2.1	चना	260.2	267.9	289.7	280.9	290.7	335.03	330.93	419.93	314.85
2.2	तुअर	52.9	51.9	52.8	65.1	63.5	63.25	62.78	35.77	39.89
2.3	उड़द	102	98.7	96.9	97	94.4	88.34	82.39	76.06	76.95
2.4	मूग–मोठ	15.4	15.5	15.2	14.9	15.2	11.96	10.73	6.44	5.02
2.5	कुल्थी	48.7	47.6	45.9	44.3	43.7	41.6	38.6	26.3	21.6
2.6	लाख (तिवड़ा)	347.6	331.8	315.2	273.8	263.2	241.2	177.7	188.6	171.6
3.0	गन्ना	17.5	23	23.9	30.1	31.4	34.8	43.3	31.2	32.2
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	28.7	29.4	29.2	29	26.7	25.41	23.65	22.10	22.76
4.2	रामतिल	66.5	66.2	63.6	64.3	60.8	56.32	55.56	36.32	29.30
4.3	तिल	19.7	19.7	17.0	19.5	18.4	17.26	16.57	14.95	14.83
4.4	सोयाबीन	103.2	101.5	107.8	82.2	96.2	91.56	81.56	75.11	64.50
4.5	अलसी	35.3	32.2	31.2	25.1	21.6	17.76	16.11	13.00	9.88
4.6	राई सरसों	49.2	47	47.5	46.3	40.5	41.42	38.85	35.03	31.84

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

अनुलग्न–7.5

प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार मे टन में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों का उत्पादन								
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	11772.6	10654.1	11966.6	7731.5	13189.9	8623.5	9762.8	12854.06	13874.53
1.2	गेहूँ	143.2	140.8	153.3	142.33	151.08	141.64	446.13	135.89	259.51
1.3	ज्वार	4.5	3.3	4.2	4.36	5.44	4.7	2.81	2.54	1.68
1.4	मक्का	225.1	254.1	235.1	237.74	309.32	306.94	303.60	406.82	522.76
1.5	कोदो–कुटकी	23.7	21.0	20.7	11.93	23.05	14.87	22.23	14.49	20.17
1.6	जौ	1.3	2.4	2.7	0.67	1.88	1.96	1.36	1.09	0.79
1.7	छोटे अनाज	9.7	8.3	8.9	7.87	4.97	5.74	5.76	5.01	4.37
2.0	**दालें**									
2.1	चना	304.9	221.6	311.2	218.8	338.32	331.67	680.03	105.82	258.80
2.2	तुअर	31	29.4	35.1	30.6	39.01	25.74	30.13	22.47	23.90
2.3	उड़द	31.4	30.0	30.1	28.91	30.57	28.52	26.98	24.84	28.77
2.4	मूँगमोठ	4.2	4.0	4.2	6.56	6.44	4.92	4.85	2.44	2.32
2.5	कुल्थी	14.3	14.1	14.3	15.09	16.37	15.76	14.86	10.25	8.80
2.6	लाख (तिवड़ा)	159.9	174.0	297.9	192.1	222.63	129.79	124.23	60.91	121.63
3.0	**गन्ना**	37.3	23.8	76.1	46.9	109.58	64.21	93.38	69.90	74.23
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूँगफली	40.5	42.3	40.8	37.25	46.93	32.112	78.05	33.68	34.41
4.2	रामतिल	11.7	11.6	11.3	10.24	11.39	10.69	10.7	6.89	5.94
4.3	तिल	5.7	4.8	8.0	6.82	7.55	5.19	5.67	6.01	5.99
4.4	सोयाबीन	126.1	111.9	50.1	40.12	76.13	30.31	52.20	83.00	47.34
4.5	अलसी	13.4	11.9	11.2	9.45	10.10	4.57	4.37	4.81	3.79
4.6	राई सरसों	23.9	27.0	24.6	25.96	18.43	18.35	18.96	15.69	16.46

स्त्रोत–आयुक्त भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़

अनुलग्न – 7.6

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

(किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर)

वर्ष	धान	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना	तुअर	सोयाबीन	कपास	गन्ना
1999-2000	2006	1205	844	1548	642	1086	832	249	3000
2000-2001	1482	1022	665	1346	515	429	547	106	2601
2001-2002	2103	1024	965	745	714	374	810	121	2514
2002-2003	1025	1106	740	1305	644	433	550	142	2484
2003-2004	2297	1066	1001	1370	964	603	882	336	2582
2004-2005	1848	889	667	1430	542	510	1017	284	2472
2005-2006	2051	876	682	1078	710	441	895	158	2310
2006-2007	2138	1044	873	1225	843	426	998	287	2546
2007-2008	2177	1098	1019	1562	872	522	1155	232	2485
2008-2009	1797	1027	1188	1404	801	583	977	298	2387
2009-2010	1769	1090	1214	1429	872	522	930	अनुपलब्ध	2405
2010-2011	2529	1174	1432	1817	957	439	1174	283	2448
2011-2012	2523	1278	768	654	995	432	753	240	2696
2012-2013	2955	1401	726	1927	1138	597	1242	141	1622
2013-2014	2672	1341	635	2059	765	557	1038	143	996
2014-2015	2965	1486	840	1879	1061	635	487	-	2615
2015-2016	1953	1345	805	1881	779	470	488	326	2440
2016-2017	2212	1448	1355	2566	1164	615	791	316	4236
2017-18	2169	1332	1339	2566	990	407	331	323	4906
2018-19	2358	1548	990	2568	1044	480	640	249	4477
2019-20	3066	1169	1403	3119	252	628	1105	310	5371
2020-21	3197	1549	1501	3552	822	599	734	350	5209

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं संदोबस्त, छत्तीसगढ़

* भू–अभिलेख द्वारा चावल का उत्पादन दिया गया है जिसको धान में (=Rice*3/2) परिवर्तित किया गया है।

अनुलग्न – 7.7

सिंचाई स्त्रोत अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

क्र	वर्ष	नहरें	तालाब	कुएँ	नलकूप सहित अन्य साधन	योग
1	1999-2000	802137	60085	40236	175981	1078439
2	2000-2001	677930	54663	39308	212261	984162
3	2001-2002	834737	54944	38955	222645	1151281
4	2002-2003	735061	55447	38871	243431	1072810
5	2003-2004	768759	49707	35611	236410	1090487
6	2004-2005	829987	58032	38952	281099	1208070
7	2005-2006	876039	52611	34724	284916	1248290
8	2006-2007	887577	52089	34853	307766	1282285
9	2007-2008	913825	55770	30666	333704	1333965
10	2008-2009	887059	51206	28275	372673	1339213
11	2009-2010	869701	50398	26790	375903	1322792
12	2010-2011	895112	45605	26092	388442	1355251
13	2011-2012	873089	53669	19686	468084	1414528
14	2012-2013	876670	49226	20413	502728	1449037
15	2013-2014	960033	52079	22296	716660	1751068
16	2014-15	903801	42622	20180	501107	1467710
17	2015-16	889345	42923	20607	523040	1475937
18	2016-17	900895	41322	21081	522465	1485763
19	2017-18	870304	39570	18553	573974	1502401
20	2018-19	898000	29876	15807	621159	1564842
21	2019-20	878588	28061	15960	620404	1543033
22	2020-21	910869	26074	14050	647961	1598954

स्त्रोत:– आयुक्त भू–अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

अनुलग्न–7.8

छत्तीसगढ़ राज्य में जिलेवार सिंचित क्षेत्रफल कृषि वर्षांत 30 जून 2021

क्र.	जिला	योग समस्त साधनों से सिंचित क्षेत्रफल		फसलों के निरा क्षेत्रफल से सिंचित निरा क्षेत्रफल का प्रतिशत	क्षेत्रफल जिसमें वर्ष में एक बार सिंचाई की गई हो	सम्पूर्ण फसलों के क्षेत्रफल से सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत
		कुल	निरा			
1	रायपुर	153397	135945	83%	17452	78%
2	बलौदाबाजार	134439	115971	49%	18468	52%
3	गरियाबंद	69968	46713	36%	23255	44%
4	महासमुन्द	122411	86299	33%	36112	41%
5	धमतरी	163934	103359	72%	60575	76%
6	दुर्ग	151367	106897	72%	44470	72%
7	बालोद	134268	96564	54%	37704	56%
8	बेमेतरा	218714	110378	49%	108336	55%
9	राजनांदगांव	175389	109482	30%	65907	32%
10	कबीरधाम	154186	95942	51%	58244	50%
11	बस्तर	9572	9572	6%	0	6%
12	कोंडागांव	9040	9040	6%	0	6%
13	नारायणपुर	247	247	1%	0	1%
14	कांकेर	41627	26984	15%	14643	20%
15	दन्तेवाड़ा	189	189	0%	0	0%
16	सुकमा	649	644	1%	5	1%
17	बीजापुर	3490	3490	5%	0	5%
18	बिलासपुर	111393	91100	52%	20293	56%
19	मुंगेली	7341	4782	4%	2559	3%
20	जांजगीर	97815	78314	61%	19501	44%
21	कोरबा	244312	244312	93%	0	84%
22	सरगुजा	8010	8010	7%	0	6%
23	बलरामपुर	59826	52262	21%	7564	21%
24	सूरजपुर	17805	16717	11%	1088	10%
25	कोरिया	15207	13665	9%	1542	8%
26	रायगढ़	18062	14977	10%	3085	11%
27	जशपुर	6630	5888	6%	742	6%
28	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	11456	11211	5%	245	5%
	योग राज्य	**2140744**	**1598954**	**35%**	**541790**	**37%**

स्त्रोत : आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, छत्तीसगढ

वानिकी

08

वानिकी

मुख्य बिन्दु

- राज्य में आरक्षित वन 25,782.17 वर्ग कि.मी. (43.13 प्रतिशत), संरक्षित वन 24,036.10 वर्ग कि.मी. (40.22 प्रतिशत) व अवर्गीकृत वन 9,954.13 वर्ग कि.मी. (16.65 प्रतिशत) वन क्षेत्र है तथा कुल 59,772.40 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र है।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2020–21 (Q) में 6,91,405 लाख रू. तथा 2021–22 (अग्रिम) 7,02,293 लाख रू. है।
- सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत हिस्सा 2020–21(Q) में 3.00 प्रतिशत व 2021–22 (अग्रिम) में 2.74 प्रतिशत है।
- खदानी रोपण योजनांतर्गत वर्षा ऋतु 2021 में 6.77 लाख पौधों का रोपण किया गया।
- वर्ष 2020–21 में 462.23 लाख रू. मूल्य के 9.73 लाख मानक बोरा तथा वर्ष 2021–22 में 768.24 लाख रू. मूल्य के 13.06 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का उत्पादन हुआ है।

वन

8.1 छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1 प्रतिशत है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है। राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है।

तालिका 8.1 वन एक दृष्टि में

वन वर्गीकरण	वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)	प्रतिशत
अ. वैधानिक स्थिति		
आरक्षित	25782.17	43.13
संरक्षित	24036.10	40.22
अवर्गीकृत	9954.13	16.65
योग	**59772.40**	**100.00**

8.2 पारंपरिक राष्ट्रीय लेखा के मामले में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण परिलक्षित होता है जो तालिका 8.1 में दर्शाया गया है:–

तालिका 8.1 वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
योगदान (लाख रु.)	539469	658802	605499	673573	684827	691405	702293
वृद्धि (प्रतिशत)	0.61	22.12	-8.09	11.24	1.67	0.96	1.57
योगदान (प्रतिशत)	2.99	3.38	3.03	3.02	2.93	3.00	2.74

छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार 17° 46′ से 24°06′ उत्तर अक्षांश तथा 80°15′ से 84°51′ पूर्वी देशांतर के मध्य है। राज्य में 4 प्रमुख नदी प्रणालियों क्रमशः महानदी, गोदावरी, नर्मदा और बैनगंगा का जलग्रहण क्षेत्र शामिल है। महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, ईब राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। राज्य की जलवायु मुख्यतः सह आर्द्र तथा औसत वार्षिक वर्षा 1,200 से 1,500 मि.मी. है।

राज्य के वनों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, यथा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपातीय वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपातीय वन। राज्य की दो प्रमुख वृक्ष प्रजातियां साल (शोरिया रोबस्टा) तथा सागौन (टेक्टोना ग्रान्डिस) हैं। इसके अतिरिक्त शीर्ष वितान में बीजा (प्टेरोकार्पस मार्सूपियम), साजा (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा), धावड़ा (एनागाईसिस लैटिफोलिया), महुआ (मधुका इंडिका), तेन्दू (डायोस्पाईरस मेलैनौजाईलान) प्रजातियाँ हैं। मध्य वितान में आंवला (एम्बिलिका ऑफिसिनेलिश), कर्रा (क्लीस्टेन्थस कोलाइनस) तथा बांस (डेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस) आदि महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। भूतल भाग में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हैं जो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो हैं ही, साथ ही वे वन–वासियों के आजीविका का प्रमुख साधन भी हैं।

जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेकन जैव क्षेत्र में शामिल हैं, तथा मध्य भारत की प्रतिनिधि वन्य प्राणी जैसे शेर (पेन्थरा टिगरीस), तेन्दुआ (पेन्थरा पार्डस), गौर (बॉस गौरस), सांभर (सेरवस यूनिकोलर), चीतल (एक्सेस एक्सेस), नील गाय (बोसेलाफस ट्रेगोकेमेलस) एवं जंगली सुअर (सस स्क्रोफा) से परिपूर्ण है। दुर्लभ वन्य प्राणी जैसे वन भैंसा (बूबैलस बूबैलिस) तथा पहाड़ी मैना (ग्रैकुला इंडिका) इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर हैं जिन्हें क्रमशः राज्य पशु एवं राज्य पक्षी घोषित किया गया है। साल वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है।

यह राज्य, कोयला, लोहा, बॉक्साईट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टीन इत्यादि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, जो मुख्यतः वन क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं।

राज्य के लगभग 50 प्रतिशत गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं, जहां के निवासी मुख्यतः आदिवासी हैं एवं आर्थिक रुप से पिछड़े हैं जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में गैर आदिवासी, भूमिहीन एंव आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय भी वनों पर आश्रित हैं। वानिकी कार्यों से प्रतिवर्ष लगभग 07 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है। वनों से ग्रामीणों को लगभग 2,000 करोड़ रुपये का लघु वनोपज एवं अन्य निस्तार सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के संवहनीय एवं सर्वांगीण विकास परिदृश्य में वनों का विशिष्ट स्थान है।

8.3 विभाग की प्रमुख योजनाएं / कार्यक्रम –

राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 34 वनमंडलों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत है। राज्य के समस्त वनमंडल के वनक्षेत्रों का डिजीटाईजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है –

- **पर्यावरण वानिकी**– शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पौधा रोपण, पथ वृक्षारोपण, पर्यावरण पार्क / पिकनिक स्पॉट का निर्माण एवं उनके रखरखाव का कार्य किया जाता है।

- **बिगड़े वनों का सुधार** – प्रदेश के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है तथा इन्हे बिगड़े वनों की श्रेणी में रखा गया है। इन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु बिगड़े वनों के सुधार का कार्य प्रति वर्ष लिया जाता है। इसके अंतर्गत जिन क्षेत्रों मे पर्याप्त जड़ भंडार होता है वहां ठूंठ कटाई का कार्य कराया जाकर कापिस शूटस से नये पौधों का निर्माण किया जाता है। कम जड़ भंडार वाले एवं रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाता है।

- **बांस वनों का पुनरोद्धार** – इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के बसोड़ों, पानबरेजा परिवारों एवं बांस का काम करने वाले हस्तशिल्प कारीगरों को अधिक मात्राा में अच्छा बांस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार एवं बांस रोपण कराया जाता है। बिगड़े बांस वनों में गुथे हुए बांस के भिर्रों की सफाई कराकर मिट्टी चढ़ाई का कार्य किया जाता है, जिससे अच्छे करले प्राप्त होते हैं एवं बांस वनों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।

- **पौधा प्रदाय योजना** – जन सामान्य में वृक्षारोपण के प्रति अभिरूचि उत्पन्न कर उनकी आर्थिक उन्नति करने तथा वनेत्तर क्षेत्रों में हरियाली के प्रसार करने हेतु रियायती दर पर पौधे योजना अंतर्गत उपलब्ध कराए जाते है।

- **नदी तट वृक्षारोपण योजना** – छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदियों के तट पर होने वाले भू–क्षरण की रोकथाम कर पारिस्थितिकीय स्थायित्व प्रदान करना।

- **पथ वृक्षारोपण** – राज्य शासन द्वारा सामान्य क्षेत्रा के राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्गों, जिला मुख्य मार्गों तथा ग्रामीण मार्गों के किनारे वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया है जिसके अंतर्गत पथ वृक्षारोपण एवं रखरखाव कार्य किया जाता है।

तालिका 8.3 वर्ष 2020–21 एवं वर्ष 2021–22 में प्रमुख योजना अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि का विवरण (राशि लाख में)

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वर्ष 2020–21 की उपलब्धि (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)		वर्ष 2021–22 की उपलब्धि (अप्रैल 2021से सितंबर 2021)	
		भौतिक	आर्थिक	भौतिक	आर्थिक
1	पर्यावरण वानिकी	01 लाख पौध रोपण एवं 21 पर्यावरण पार्क/पिकनिक स्पॉट का संचालन	56548	01 लाख पौध रोपण एवं 22 पर्यावरण पार्क/पिकनिक स्पॉट का संचालन	37564
2	बिगड़े वनों का सुधार	34330 हे. में तैयारी, एवं सी.बी.ओ. कार्य 43953 हे. में रोपण, 105660 हे. में रखरखाव	1352451	36000 हे. में तैयारी एवं सी.बी.ओ. कार्य, 40000 हे. रोपण, 159660 हे. में रखरखाव	181765
3	भू एवं जल संरक्षण कार्य	30079 हे. में उपचार कार्य, 17100 हे. रखरखाव	108787	52500 हे. में उपचार कार्य, 84000 हे. रखरखाव	111212
4	नदी तट वृक्षारोपण योजना	74 हे. में तैयारी, 457 हे. रोपण कार्य 1507 हे.पुराने रोपण का रखरखाव	66559	1000 हे. रोपण, 1000 हे. में तैयारी कार्य 1500 हे.पुराने रोपण का रखरखाव	8366
5	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित	177 हे. में तैयारी, 370 हे. रोपण, 2143 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	45796	1215 हे. में तैयारी, 1210 हे. रोपण, 4800 हे. में रखरखाव	10700
6	बांस वनों का पुनरोद्धार	14868 हे. में तैयारी तथा बांस भिर्रा सफाई, 28972 हे. में रोपण, 57294 हे. में पुराने आर.डी.बी.एफ. एवं रोपण क्षेत्रा का रखरखाव	357201	27800 हे. में तैयारी, 25000 हे. में रोपण, 69619 हे. पुराने आर.डी.बी. एफ. एवं रोपण क्षेत्रा का रखरखाव	58242
7	पथ वृक्षारोपण	57 कि.मी. में तैयारी, 88 कि.मी. में रोपण तथा 206 कि.मी. रखरखाव कार्य	70847	83 कि.मी. तैयारी, 83 कि.मी. रोपण तथा 145 कि.मी. रखरखाव कार्य	26375
8	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	30 हे. में तैयारी, 398 हे. में रोपण, 181 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	9849	495 हे. में तैयारी, 495 हे. में रोपण तथा 1100 हे. में पुराने रोपण का रखरखाव	12002
9	वन मार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण	वनमार्गो में 56 रपटा/पुलिया निर्माण	29930	वनमार्गो में 90 रपटा/पुलिया निर्माण	15117
	कुल योग :–		**2097968**		**461343**

- **नोट :– वर्ष 2021–22 के समस्त कार्य प्रगति पर है।**

8.4 छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगमः– छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई, 2001 में रायपुर क्षेत्र की 4 परियोजना मण्डल को लेकर अस्तित्व में आया। वर्तमान में 9 परियोजना मण्डल हैं जिसमें औद्योगिक परियोजना मंडल, कोरबा, रायगढ़ एवं जगदलपुर शामिल हैं।

8.5.1 **सौगोन, बांस एवं नीलगिरी रोपण :** वर्ष 2001 से 2021 तक कुल 96,744 हेक्टेयर क्षेत्र में सागौन, बांस एवं नीलगिरी के रोपण किये गये। वर्ष 2021 में 1982 हेक्टेयर क्षेत्र में 35,37,750 सागौन पौधों का रोपण किया गया है।

8.4.1 खदानी रोपणः– वर्ष 1990 से 2021 तक औद्योगिक क्षेत्रों में 280.24 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वर्षा ऋतु वर्ष 2021 में 6.77 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

8.4.2 सड़क किनारे वृक्षारोपणः– माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पर्यावरण सुधार की दृष्टि से निगम विगत 12 वर्षों के दौरान 1071.504 कि.मी. लंबाई में पथ एवं 2800.60 हेक्टेयर में ब्लॉक वृक्षारोपण किया गया है, जिसका वर्षवार विवरण तालिका 8.4 में दर्शित है:–

तालिका 8.4 सड़क किनारे वृक्षारोपण

क.	मद	उपलब्धि							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	रोपित मार्ग								
	लंबाई (कि.मी.)	20.00	97.20	220.00	56.30	28.04	-	-	45.30
	ब्लाक वृक्षारोपण (हे0)	-	993.00	993.00	465.00	821.68	321.600	-	135.40
2	रोपित पौधों की संख्या	40000	317512	1401110	561855	814676	440800	115280	187375

8.4.3 वर्षा ऋतु 2022 में किये जाने वाले वृक्षारोपणों हेतु परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में उपलब्ध पौधों का विवरण –

वन विकास निगम के परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में निम्नानुसार पौधे वर्ष 2021 वर्षा ऋतु में रोपण हेतु तैयार किए गए हैं :–

तालिका 8.5 वर्षा ऋतु वर्ष 2021 के रोपण का विवरण

परियोजना मण्डल का नाम	गत वर्ष के शेष		
	सागौन	मिश्रित	योग
बारनवापारा–रायपुर	18,00,000	-	18,00,000
पानाबरस–राजनांदगांव	15,00,000	-	15,00,000
अंतागढ़–भानुप्रतापपुर	12,00,000	-	12,00,000
कवर्धा–कबीरधाम	6,00,000	-	6,00,000
कोटा–बिलासपुर	6,00,000	27,100	6,27,100
सरगुजा–अम्बिकापुर	7,20,000	1,10,000	8,30,000
औ.वृ.मं. कोरबा	0	5,30,000	5,30,000
योग :	**64,20,000**	**6,67,100**	**70,87,100**

तालिका क. 8.6 विगत तीन वर्षों में निगम की आय एवं व्यय (राशि करोड़ रू. में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व	कुल व्यय	लाभ	कर पश्चात लाभ
2016-17	38.86	27.13	11.73	8.75
2017-18	45.60	27.71	17.89	16. 02
2018-19	56.40	30.48	25.92	23.33
2019-20	61.27	26.48	34.79	33.67

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड

8.5 बोर्ड का उद्देश्य –

- वनौषधि के विकास हेतु शोध और अनुसंधान कराना।
- केन्द्रीय औषधि पादप बोर्ड या राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित तथा राज्य के विभिन्न विभागों/संगठनों द्वारा कियान्वित की जा रही औषधि पौधों के विकास की योजनाओं का अनुश्रवण करना।
- औषधि वनस्पतियों के संरक्षण, संवर्धन एवं विनाश विहीन विदोहन हेतु नीति तथा योजनाएं बनाना एवं क्रियान्वयन, उपार्जन, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की योजना बनाना।
- औषधि पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण।
- औषधि वनस्पतियों का प्रसंस्करण (कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योगों की स्थापना) तथा वनौषधियों के निर्माण तथा उत्पादों के निर्यात एवं विपणन की योजना बनाना।
- औषधि पौधों की मांग एवं आपूर्ति का आकलन कराना तथा औषधि पौधों के कृषिकरण को प्रोत्साहित करना।
- प्रदेश की वनौषधि जैव–विविधता को सुरक्षित रखने हेतु औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं औषधीय पौधों के उपयोग तथा जनजातीय एवं स्थानीय स्वास्थ्य परम्परागत ज्ञान को जन सामान्य में जागरूकता के लिए प्रचार–प्रसार करना।
- औषधि पौधों के विकास के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।
- जनजातीय एवं स्थानीय परंपरागत उपचारकर्ताओं की पहचान करना, क्षमता विकास हेतु कार्य, सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण का आयोजन कर आदिवासी एवं स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं का अभिलेखीकरण। उपचार केन्द्र की स्थापना/संचालन।
- जनजातीय एवं स्थानीय परंपरागत उपचारकर्ताओं तथा समुदाय के औषधि पौधों के ज्ञान एवं उपयोग को पेटेंट कराने एवं पेटेंट उपरांत उत्पादन एवं व्यवसायीकरण हेतु प्रयास।
- जनजातीय और स्थानीय मानव, पशुओं एवं पादपों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी परंपरा और प्रथाओं के ज्ञान का अभिलेखन कर, उनके बौद्धिक संपदा को लिपिबद्ध का कार्य।
- जनजातीय एवं स्थानीय परंपरागत उपचारकर्ताओं के उत्थान हेतु नीति एवं योजनायें बनाना।
- औषधीय पौधों के वैज्ञानिक उपयोग के आधार पर जनजातीय एवं स्थानीय परंपराओं के द्वारा राज्य में सार्वभौमिक स्वास्थ्य (Universal health) को प्राप्ति के लिए प्रयास।

- राज्य में सर्वेक्षण द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य एवं आहार परंपराओं जिसमें स्थानीय समुदाय एवं पारिस्थितिकीय विशिष्ट घरेलु उपचार, आहार विधियों एवं इनके मौसमी उपयोगिता के आधार पर एटलस तैयार करना।
- जनजातीय एवं स्थानीय स्वास्थ्य परंपरागत ज्ञान, औषधीय पौधों से संबंधित अन्य अनुषांगिक कार्य।

छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड में प्रचलित योजनाओं की अद्यतन जानकारी–

8.6 राज्य मद अंतर्गत प्रचलित कार्य–

- **होम हर्बल गार्डन योजना** – प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार हेतु औषधीय पौधों का वितरण घर–घर में होम हर्बल गार्डन बनाये जाने हेतु निःशुल्क पौधा वितरण योजना, जिसमें नर्सरी में पौधा तैयार कर जन सामान्य को वितरण किया जाता है। इस योजना अंतर्गत सामान्य रोग हेतु उपयोग किये जाने वाले औषधीय पौधे जो विशैले ना हो, जिनका प्राथमिक उपचार हेतु आसानी से घरों में उपयोग किया जा सके व घरों में लगाया जा सके।

  वर्तमान कोविड–19 महामारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाये जाने वाले औषधीय पौधे जैसे – अडूसा, तुलसी, गिलोय, स्टीविया, एलोवेरा, अश्वगंधा आदि पौधों का वितरण निम्नानुसार है –

तालिका क. 8.7 कोविड–19 महामारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाये जाने वाले औषधीय पौधों का वितरण

क्र.	वनमंडल का नाम	पौधों की संख्या
01.	बिलासपुर, मरवाही, कटघोरा, कोरबा, राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग, मुंगेली, खैरागढ़, रायपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, सुकमा, सूरजपुर, रायगढ़, धमतरी, दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़, कांकेर, गरियाबंद, बस्तर, बेमेतरा	3835000

- **स्कूल/इंस्टीट्यूशनल हर्बल गार्डन** – औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता लाने हेतु भावी पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए स्कूल हर्बल गार्डन का निर्माण किए जाने पर स्कूली बच्चों में औषधीय पौधों की जानकारी उन्हें प्राप्त होगी साथ ही औषधीय पौधों की पहचान उनके द्वारा की जा सकेगी, जिससे स्वतः ही बच्चों द्वारा औषधीय पौधों का संरक्षण किया जा सकेगा।

तालिका क. 8.8 स्कूल/इंस्टीट्यूशनल हर्बल गार्डन

क्र.	जिला का नाम	कार्य स्थल का नाम
1.	गरियाबंद	Institute of Technology & Sciences Gariaband, Devbhog Road, Gariyaband (C.G.)
2.	10 स्कूल हर्बल गार्डन	रायपुर जिले के विभिन्न स्कूलों में

- **मॉडल नर्सरी की स्थापना –**
  - उच्च गुणवत्ता युक्त औषधीय पौधे तैयार करना।
  - बढ़ती बाजार मांग एवं अधिक मूल्य वाले औषधीय पौधे का चयन।
  - कम लागत एवं देखभाल वाले औषधीय पौधों का चयन।
  - स्थानीय कृषक एवं समूह को आर्थिक लाभ पहुंचाना।
  - वनक्षेत्रों में अत्यधिक बाजार मांग के औषधीय पौधों की संख्या का बढ़ाना।

तालिका क. 8.9 मॉडल नर्सरी

क.	नर्सरी स्थल का पता	स्वीकृत प्रजाति का नाम	स्वीकृत प्रजाति की संख्या
1	ग्राम–ऐगालपाली	सर्पगंधा, ब्राह्मी, बड़ा अनंतमूल	11 लाख
2	ग्राम–कोलबा	सतावर	11 लाख
3	ग्राम–भुरकोनी	ब्राह्मी, बच	11 लाख
4	ग्राम–देवरी	बच	11 लाख
5	ग्राम–सेवती	स्टीविया	11 लाख
6	ग्राम–डोंगरगांव	एलोविरा, ब्राह्मी, बच	11 लाख
7	ग्राम–तोषकबोरा	सतावर	11 लाख
8	ग्राम–डोंगाझार	सतावर	11 लाख
9	ग्राम – मोहदा	ब्राह्मी	11 लाख

- **वन क्षेत्र में औषधीय रोपण कार्य** – औषधीय पौधों की वर्तमान मांग एवं वन क्षेत्रों में औषधीय पौधों की कमी होने के कारण वर्तमान समय में अधिक मांग वाले औषधीय पौधों का रोपण किया गया है, जो मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोग किये जाते हैं।

तालिका क. 8.10 वन क्षेत्र में औषधीय रोपण कार्य

क्र.	वनमंडल	कार्य का नाम	कुल
01.	कांकेर, दक्षिण कोण्डागांव, धरमजयगढ़, केशकाल, कवर्धा, दंतेवाड़ा, बस्तर, महासमुंद, जशपुर, धमतरी, सुकमा, नारायणपुर	सतावर पौधा रोपण (1050000), हड़जोड़ पौधा रोपण (150000), गुंजा पौधा रोपण (50000), कुलंजन पौधा रोपण (50000), गिलोय पौधा रोपण (150000)	1450000

- **औषधीय पौधों का कृषिकरण** – औषधीय पौधो का विभिन्न क्षेत्रों में मांग को देखते हुए अश्वगंधा एवं तुलसी के बीज क्रय कर कृषकों को वितरित कर कृषकों के द्वारा कृषिकरण कार्य किया गया है। विवरण निम्नानुसार है –

तालिका क. 8.11 औषधीय पौधों का कृषिकरण

क्र.	फसल का नाम	ग्राम की संख्या	बीज/पौधे का वितरण (कि.ग्रा. में)	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	अश्वगंधा	05	बीज 538 कि.ग्रा.	96
2.	तुलसी	06	बीज 45 कि.ग्रा.	45
3.	लेमनग्रास	–	–	150
	कुल		बीज 583 कि.ग्रा.	291

- **रायपुर वनमंडल में परंपरागत वैद्यों के परामर्श केन्द्र की स्थापना करना** – छत्तीसगढ़ राज्य जैव–विविधता से संपन्न हर्बल राज्य है, इसके सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में प्राचीन काल से परंपरागत वैद्यों द्वारा साध्य/असाध्य रोगों का (नाड़ी परीक्षण, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गी इत्यादि) का उपचार किया जाता रहा है। वर्तमान समय में लोगों में जागरूकता के अभाव के कारण परंपरागत ज्ञान आधारित उपचार पद्धति विलुप्त होती जा रही है। पारंपरिक उपचार पद्धति को संरक्षण एवं संवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा पारंपरिक ज्ञान आधारित वैद्य परामर्श केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।
- **हाइड्रोफोनिक की स्थापना** – छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड कार्यालय परिसर में हाइड्रोफोनिक की स्थापना कर पौधों को विकसित किया जा रहा है।
- **डेमोस्ट्रेशन प्लाट की स्थापना** – कृषिकरण तकनीक एवं एरोमैटिक प्लांट्स से तेल निकालने के विधि का प्रशिक्षण हेतु डिस्टीलेशन प्लांट की स्थापना राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदाय किए गए भूमि में किया गया है।
- **वृत्तवार वैद्यों का सुझाव हेतु आयोजन** – रायपुर एवं दुर्ग वनवृत्त अंतर्गत परंपरागत वैद्यों (रायपुर वनवृत्त – 20 वैद्य एवं दुर्ग वनवृत्त – 60 वैद्य) को बोर्ड कार्यालय में आमंत्रित कर बोर्ड हेतु सुझाव प्राप्त किए गए हैं।
- **आयुष क्वॉथ वितरण कार्य** – कबीरधाम जिले में 4500 नग आयुष क्वॉथ एवं सरगुजा जिले में 2500 नग आयुष क्वॉथ का वितरण कर आमजनों के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि की गई है।
- **क्षमता विकास** – क्षमता विकास अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- **Nannari (Decalepis hamiltonii)** – छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा Nannari औषधीय प्रजाति का प्रथम बार उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन सफल रहने पर वृहद स्तर पर इसका कृषिकरण कर उत्पादन किया जाएगा।

8.7 कैम्पा योजनांतर्गत प्रचलित कार्य–

- कैम्पा परियोजना अंतर्गत 07 वनमंडल (केशकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़, बलरामपुर, सरगुजा) में 1,400 हेक्टेयर क्षेत्रफल एम.पी.सी.ए. स्थापित की गई।
- कैम्पा परियोजना अंतर्गत केशकाल वनमंडल में कुल 733 हेक्टेयर है।
- स्थानीय वैद्य, ग्रामीणों के क्षमता विकास हेतु ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ प्रशिक्षण एवं विनाश विहीन विदोहन प्रशिक्षण दिये गये हैं, जिसमें 250 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए।

- कोरबा वनमंडल अंतर्गत एम.पी.सी.ए. पहाडजमली में लोक जैव विविधता पंजी (People Biodiversity Register) डॉक्यूमेंटेशन कार्य किया गया है।
- 07 एम.पी.सी.ए. क्षेत्र के वानस्पतिक सर्वेक्षण टी.एफ.आर.आई., जबलपुर द्वारा कराया गया है।

8.8 राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के वित्तीय सहयोग से संचालित कार्य–

- **राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनांतर्गत औषधीय पौधों का कृषिकरण** – औषधीय पौधो की विभिन्न क्षेत्रों में मांग को देखते हुए विभिन्न औषधीय प्रजातियों का कृषिकरण किया गया है, विवरण निम्नानुसार हैं –

तालिका क. 8.12 राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनांतर्गत औषधीय पौधों का कृषिकरण

क्र.	फसल का नाम	ग्राम की संख्या	पौधों का वितरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	स्टीविया	05	450000	13.00
2.	सर्पगंधा	03	210000	10.50
3.	एलोवेरा	03	220000	9.73
4.	वच	05	205000	10.00
5.	सतावर	04	200000	15.00
	कुल	**20**	**1285000**	**58.23**

- **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड अंतर्गत कार्य** – UNDP परियोजना अंतर्गत स्थापित 07 एम.पी.सी.ए. क्षेत्रों में (बस्तर, धमतरी, खैरागढ़, मरवाही, जशपुर, सरगुजा, दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल) JFMCs द्वारा वनोपज का संग्रहण कर प्राथमिक प्रसंस्करण व मार्केटिंग हेतु NMPB के परियोजना "Sustainable Collection, Value Addition, Warehousing and Marketing of Selected RET and high traded Medicinal Plants Species covering 21 JFMCs 07 Forest Division of Chhattisgarh के लिए NMPB से राशि रू. 315.00 लाख मंजूर की गई तथा राशि रू. 126.00 लाख प्राप्त हुआ है, जिसमें गोडाउन एवं ड्राईंग शेड निर्माण कार्य है, प्रथम चरण में खैरागढ़ (राशि रू. 30.00 लाख), सूरजपुर (राशि रू. 30.00 लाख) वनमंडल में निर्माण कार्य हेतु राशि रू. 60 लाख का कार्य स्वीकृति प्रदान की गई है।

8.9 प्रचार–प्रसार एवं मार्केटिंग –

प्रचार–प्रसार – विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों से आएं आमजनों के मध्य छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों का विक्रय/प्रचार–प्रसार करने के उद्‌देश्य से:

- 01 हर्बल उत्पाद विक्रय केन्द्र का संचालन रायपुर रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है। जहां से लगभग 120 प्रकार के हर्बल उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है।
- 01 हर्बल उत्पाद विक्रय केन्द्र का संचालन स्वामी विवेकानंद अंतराष्ट्रीय विमानतल, रायपुर पर किया जा रहा है। लगभग 120 प्रकार के हर्बल उत्पादों का विक्रय किया जाता है।

8.10 लघु वनोपज सहकारी संघ– लघु वनोपज सहकारी संघ राज्य, में वनांचलों के निवासियों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत वनोत्पादों को, उचित मूल्य पर क्रय करता है। जिससे वनों में निवास करने वाले आदिवासियों को जीविकोपार्जन का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार प्राप्त होता है जबकि पूर्व में स्थानीय व्यापारियों के द्वारा एकदम कम मूल्य पर अथवा केवल नमक के बदले वनोपजों की खरीदी की जाती रही है। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2014–15 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई है। संघ द्वारा भारत शासन के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनांतर्गत हर्रा एवं सालबीज का संग्रहण वर्ष 2014–15 से, महुआ बीज, इमली, चिरौंजी गुठली, कुसुमी लाख एवं रंगीनी लाख 2015–165 से, कालमेघ, बहेड़ा, नागरमोथा, कुल्लू गोंद, पुवाड़, बेलगुदा, शहद, फूल झाडू वर्ष 2018–19 से, महुआ फूल (सूखा), जामुन बीज (सूखा), कौंच, धवई फूल (सूखा), करंज बीज, वायबडिंग, आंवला बीज रहित वर्ष 2019–20 से एवं भेलवा, इमली बीज, फूल इमली (इमली बीज रहित), बहेड़, कचरिया, गिलोय, नीम बीज, हर्रा कचरिया, वन जीरा, वन तुलसी (बीज) वर्ष 2020–21 से लघु वनोपज का कय किया जा रहा है साथ ही अन्य प्रमुख एवं गौण वनोपजों का सफलतापूर्वक संग्रहण किया जा रहा है। जिनका विवरण संबंधित तालिका में देखा जा सकता है। (एक मानक बोरा –50 हजार तेंदूपत्ता)

तालिका 8.13 छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की मात्रा एवं मूल्य की जानकारी

क्र.	वन उपज का नाम	इकाई	उत्पादन (लाख)	मूल्य (लाख रू.)	उत्पादन (लाख)	मूल्य (लाख रू.)
			2020-21		2021-22	
1	तेन्दू पत्ता	मानक बोरा	9.73	462.23	13.06	768.24
2	धावड़ा गोंद	क्विंटल	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3	कुल्लू गोंद	क्विंटल	1.49	0.90	निरंक	निरंक

तालिका 8.14 छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की मात्रा एवं मूल्य की जानकारी

क्र.	वन उपज का नाम	इकाई	संग्रहण	मूल्य (लाख रू. में)	संग्रहण	मूल्य (लाख रू. में)
			2020-21		2021-22	
1	हर्रा	क्विंटल में	24262.179	366.70	536.680	8.05
2	साल बीज	क्विंटल में	362474.295	7249.48	158355.060	3085.61
3	महुआ बीज	क्विंटल में	386.370	11.53	5.400	0.16
4	इमली (बीज सहित)	क्विंटल में	125713.580	4299.95	118744.292	4144.05
5	चिरौंजी गुठली	क्विंटल में	528.470	64.13	268.600	32.06
6	कुसमी लाख	क्विंटल में	28.055	8.15	0.360	0.11
7	रंगीनी लाख	क्विंटल में	741.360	161.78	20.020	4.40
8	कुल्लू गोंद	क्विंटल में	4.64	0.65		

तालिका 8.14 छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की मात्रा एवं मूल्य की जानकारी						
क्र.	वन उपज का नाम	इकाई	संग्रहण	मूल्य (लाख रू. में)	संग्रहण	मूल्य (लाख रू. में)
			2020-21		2021-22	
9	कालमेघ	क्विंटल में	7594.660	265.24	122.840	4.30
10	बहेड़ा	क्विंटल में	48693.904	824.23	9871.450	167.81
11	नागरमोथा	क्विंटल में	1954.295	55.91	92.480	2.77
12	पुवाड़	क्विंटल में	1630.086	23.91	6.480	0.10
13	बेलगुदा	क्विंटल में	522.909	15.00	652.696	18.44
14	शहद	क्विंटल में	630.387	138.77	220.880	49.70
15	फूल झाडू	क्विंटल में	1240.160	59.94	626.350	14.52
16	महुआ फूल (सूखा)	क्विंटल में	23669.899	701.74	208.490	6.13
17	जामुन बीज (सूखा)	क्विंटल में	210.810	8.66	146.840	6.21
18	धवई फूल (सूखा)	क्विंटल में	2205.176	7.62	1007.845	37.29
19	करंज बीज	क्विंटल में	372.820	8.00	61.080	1.34
20	आंवला (बीज रहित)	क्विंटल में	21.505	1.08	0.350	0.015
21	भेलवा	क्विंटल में	2547.037	22.84	62.520	0.56
22	इमली बीज	क्विंटल में	1048.060	12.67	581.556	6.40
23	फूल इमली (इमली बीज सहित)	क्विंटल में	2941.060	180.74	4546.082	309.75
24	बहेड़ कचरिया	क्विंटल में	1032.705	21.03	48.400	0.97
25	गिलोय	क्विंटल में	11860.020	474.40	252.520	10.10
26	नीम बीज	क्विंटल में	158.840	4.29	28.520	0.77
27	हर्रा कचरिया	क्विंटल में	354.774	9.08	8.370	0.21
28	वन जीरा	क्विंटल में	24.610	1.87		
29	वन तुलसी (बीज)	क्विंटल में	123.670	1.98	1.910	0.030
30	माहुल पत्ता	क्विंटल में	1956.720	29.57	88.360	1.323
31	रीठा फल (सूखा)	क्विंटल में	0.700	0.00980	-	-
32	काजू गुठली	क्विंटल में	5987.030	584.12	636.585	53.25
33	सतावर (सूखा)	क्विंटल में	177.730	21.25	0.750	0.08
34	कुसुम बीज	क्विंटल में	168.170	3.86	1.040	0.02
35	शिकाकाई	क्विंटल में	3.320	0.166	-	-
36	अन्य उपज	क्विंटल में	6839.480	155.85	445.48	10.53

खनिज

09

खनिज

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2021–22 (अग्रिम) में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में खनिज क्षेत्र का योगदान 26,544 करोड़ अनुमानित।
- वर्ष 2020–21 में खनिजों से राजस्व आय 5,517.01 करोड़ रू रही।
- वर्ष 2020–21 में राज्य के खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का 17.69 प्रतिशत रहा।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्य खनिज से 4,676.08 करोड़ आय हुई, वहीं गौण खनिजों से इसी अवधि में 260.95 करोड़ आय हुई है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 (माह फरवरी तक) में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः कोयला उत्पादन में 21.09%, लौह अयस्क में 17.61%, चूनापत्थर में 11.70%, बॉक्साइट में 03.57% तथा टिन अयस्क में 100% रहा।
- कुल राजस्व आय में 95 प्रतिशत हिस्सा मुख्य खनिज का एवं 5 प्रतिशत गौण खनिज का हिस्सा है।
- राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु 28 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया।

9.1 छत्तीसगढ़ की धरती औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है। इन खनिजों की गुणवत्ता तथा इनके भण्डार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 (माह फरवरी तक) में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः कोयला उत्पादन में 21.09%, लौह अयस्क में 17.61%, चूनापत्थर में 11.70%, बॉक्साइट में 03.57% तथा टिन अयस्क में 100% रहा। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 27 प्रतिशत राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है।

कोयले के अधिक उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। इसी तरह यह राज्य विद्युत गहन खनिज प्रशंस्करण एवं पुनः अग्र–एकीकृत उद्योग यथाः लौह एवं इस्पात, एल्यूमिनियम एवं सीमेंट उद्योग इत्यादि का केंद्र भी बन रहा है।

तालिका 9.1 राजस्व आय **(करोड़)**

वर्ष	खनिज राजस्व
2014–15	3572.68
2015–16	3709.57
2016–17	4141.47
2017–18	4911.41
2018–19	6110.25
2019–20	6195.73
2020–21	5517.01

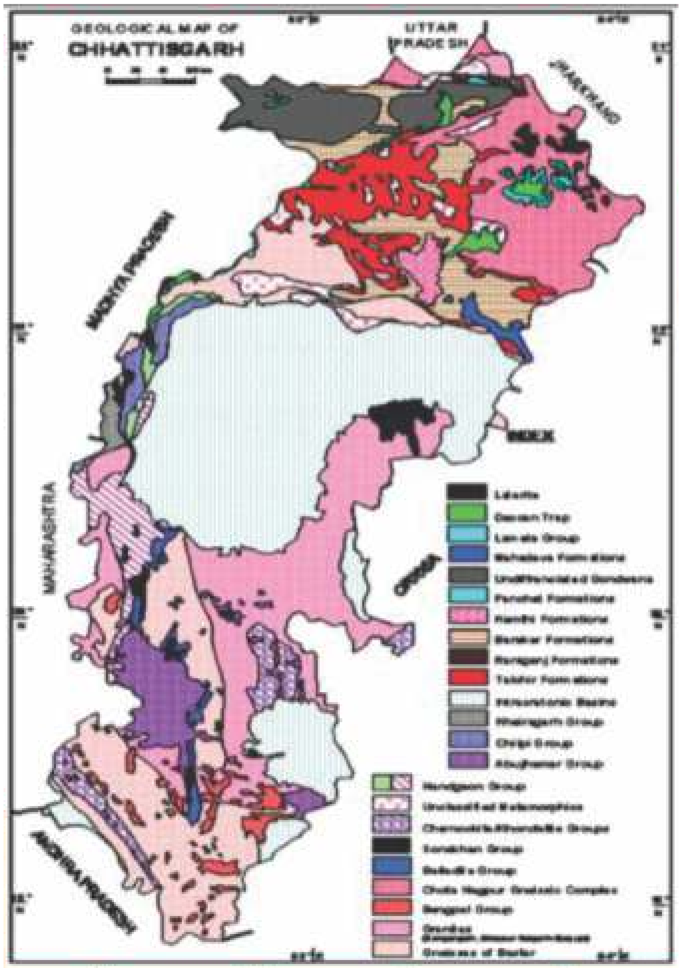

तालिका 9.2 खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)							
विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
योगदान (लाख रु.)	2008586	2200011	2349865	2536999	2487340	2264353	2654459
वृद्धि (प्रतिशत)	-4.79	9.53	6.81	7.96	-1.96	-8.96	17.23
योगदान (प्रतिशत)	11.15	11.30	11.74	11.36	10.64	9.81	10.36

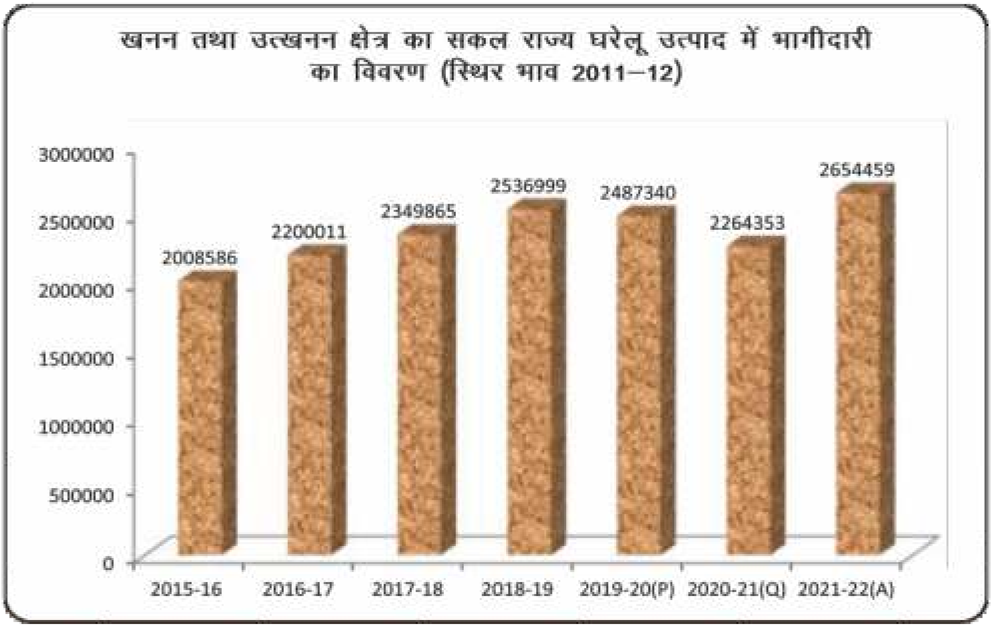

9.2 वर्तमान में प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कोयला, चूनापत्थर, लौह अयस्क, बाक्साइट, टिन अयस्क, हीरा एवं स्वर्ण हैं। इन खनिजों के अतिरिक्त एलेक्जेंड्राइट, कार्नरूपेन, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, क्ले, फ्लोराइट, बेरिल, एण्डालूसाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट, टाल्क, सोपस्टोन, लेपीडोलाइट, गार्नेट, रनर मोल्डिंग सेंड, ग्रेफाइट, मोल्डिंग सेंड, एम्बीलीगोनाइट आदि है। प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों ग्रेनाइट, फ्लैगस्टोन (फर्शीपत्थर) मार्बल आदि आकारीय पत्थर प्रचुर मात्रा में हैं।

तालिका 9.3– मुख्य खनिज के उत्पादन छत्तीसगढ़ एवं अखिल भारत, वर्ष 2020–21 (अप्रैल 20 से फरवरी 21)						
मुख्य खनिज	छत्तीसगढ़		भारत		योगदान का प्रतिशत	
	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य (लाख)	उत्पादन	मूल्य
कोयला (000 टन)	130770	-	619971	-	21.09	-
लौह अयस्क (000 टन)	32019	110362.13	181806	420649	17.61	26.24
चूना पत्थर (000 टन)	36184	8361	309270	73158	11.70	11.43
बॉक्साइट (000 टन)	644814	673.61	18057749	20247	3.57	3.33
टिन (कि.ग्रा.)	13673	7552	13673	7552	100.00	100.00
अन्य मुख्य खनिज	18950671	9320	656230281	696016	2.89	1.3
स्त्रोत–भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन						

9.3 खनिज उत्पादन का मूल्यः– छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य 2012–13 में अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 7.9 प्रतिशत रहा, जो कि 2013–14 में बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गया परंतु वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में यह घटकर 8.2 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016–17 में छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 9.6 प्रतिशत रहा तथा वर्ष 2017–18 में यह 15.66 प्रतिशत है। वर्ष 2020–21 में राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का 17.69 प्रतिशत रहा इसका वर्षवार विवरण तालिका 9.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.4 कुल खनिज उत्पादन का मूल्य (करोड़ में)

वर्ष	छत्तीसगढ़	भारत	योगदान का %
2012–13	18401	233321	7.9
2013–14	19566	225660	8.7
2014–15	19416	236554	8.2
2015–16	19213	234171	8.2
2016–17	22743	237730	9.6
2017–18	9184	58638	15.66
2018–19	11076	73257	15.12
2019–20	10001	69901	14.31
2020–21	11941	67514	17.69

स्त्रोत–भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन

9.4 खनिज अन्वेषण कार्यः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में 207 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का भौमिकी सर्वेक्षण, भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु 1,523 मीटर ड्रिलिंग की गई है। खनिजों की गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु 2,768 खनिज नमूनों को विश्लेषित कर 15,813 मूलकों की उपस्थिति ज्ञात की गई।

तालिका 9.5 वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

क्र.	कार्य का प्रकार	इकाई	2019–20		2020–21 (सितं–20)	
			लक्ष्य	उपलब्धियॉ	लक्ष्य	उपलब्धियॉ
1	सर्वेक्षण/मानचित्रण	वर्ग कि.मी.	307.18	207	1104.74	20.28
2	ड्रिलिंग	मीटर	5690	1523	3050	346.90
3	नमूनों का विश्लेषण	मूलक संख्या	40000	15813	40000	10269

9.5 खनिज उत्पादनः–

9.5.1 मुख्य खनिजों का उत्पादनः– जैसा कि पूर्व से विदित है कि राज्य में मुख्य खनिज क्रमशः कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, टिन तथा बॉक्साईट हैं। राज्य टिन का एक मात्र उत्पादक है। विगत वर्षों का मुख्य खनिज का उत्पादन का विवरण तालिका 9.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.6 प्रमुख, मुख्य खनिज के उत्पादन का वर्षवार विवरण (हजार टन)

मुख्य खनिज	15–16	16–17	17–18	18–19	19-20	20-21*
कोयला	130605	139722	142514	161893	157064	157477
लौह अयस्क	26718	31068	34856	34945	34724	37707
चूना पत्थर	27667	31919	35154	42411	42699	35577
बॉक्साईट	1991	1954	1901	1532	1566	720
टिन (कि.ग्रा.)	13541	12120	16757	21211	15546	13673

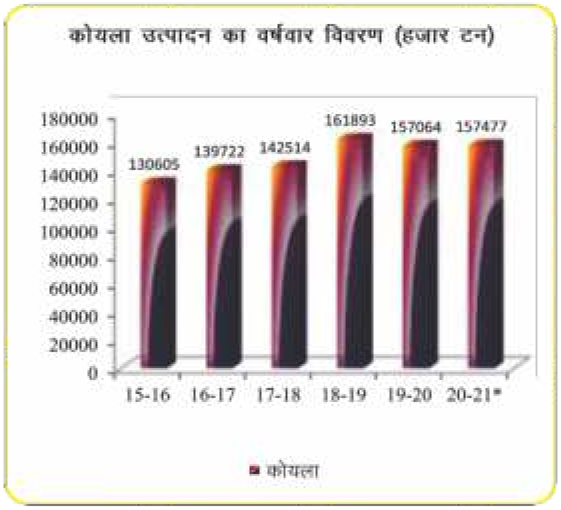

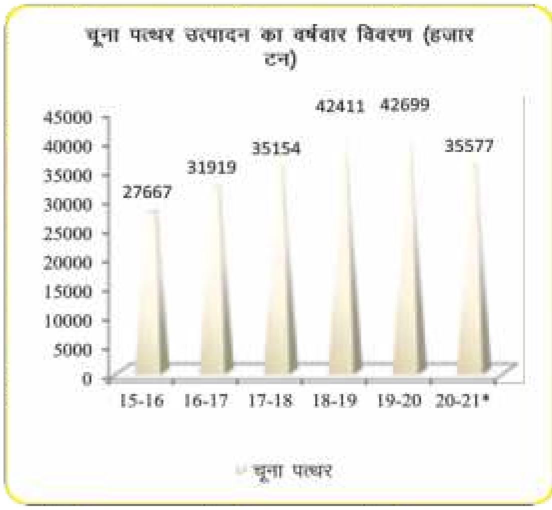

9.5.2 गौण खनिजों का उत्पादनः– वर्ष 2020–21 में राज्य में रू. 1,03,707.41 लाख मूल्य के गौण खनिजों का उत्पादन हुआ जिसका विवरण तालिका 9.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.7 गौण खनिज के उत्पादन एवं मूल्य का विवरण (मात्रा टन में एवं मूल्य लाख रू. में)

खनिज का प्रकार	2017–18 उत्पादन		2018–19 उत्पादन		2019–20 उत्पादन		2020-21 उत्पादन	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
पत्थर	4339209	15187.24	4301776	13765.68	3066816	9813.81	3598556	11695.31
मिट्टी	780588	1405.06	1710734	3763.61	1066559	3089.91	192769	578.31
मुरूम	7134384	12841.89	5509403	12120.69	4598737	10117.22	3617266	8319.71
फर्शीपत्थर	175504	351.01	214757	633.53	168757	497.83	7966596	18323.17
ग्रेनाईट (घ.मी.)	1609	40.18	888	26.61	1051	31.52	789	24.45
चूना पत्थर	11813753	27171.63	11050829	42545.68	8252930	31773.79	11171679	44128.12
डोलोमाईट	3120026	11700.10	4383177	17313.55	3738411	14766.72	5040087	20160.35
क्वार्टजा			52167	224.31	49067	210.99	34757	356.26
क्वार्टजाइट			30429	311.89	97650	1000.91	27667	121.73

9.6 राजस्व आय :– छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय में खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्य खनिज से 4,676.08 करोड़ आय हुई, वहीं गौण खनिजों से इसी अवधि में 260.95 करोड़ आय हुई है। विगत पाँच वर्षों में प्राप्त राजस्व की जानकारी तालिका क. 9.8 पर दर्शित है:–

तालिका 9.8 मुख्य एवं गौण खनिजों से राजस्व आय (राशि लाख रू. में)

मुख्य खनिज	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कोयला	195654.85	236289.79	271350.59	233687.11	235586.09
लौह अयस्क	82994.13	129085.81	183769.52	182849.59	197062.43
चूनापत्थर	25237.90	31307.81	34433.27	32897.10	33648.05
बाक्साइट	3284.49	4717.27	2948.71	2686.93	1295.38
टिन अयस्क	7.81	15.83	13.82	10.15	9.38
रनर मोल्डिंग सेण्ड	1.16	0.53	1.24	1.74	3.12
मोल्डिंग सेण्ड	7.20	2.76	1.81	1.04	0.13
गोल्ड	0.23	0	0	0	0
विविध आय	1.05	0	76.13	304.00	3.77
योग	**307188.82**	**401419.80**	**492595.09**	**452437.66**	**467608.35**
प्रतिशत वृद्धि		30.68	22.71	-8.15	3.35
गौण खनिज					
चूनापत्थर	7777.86	9451.00	8840.66	6602.34	8937.34
डोलोमाइट	2054.66	2340.02	3944.86	3364.57	4536.08
क्वार्टज एवं क्वार्टजाइट	49.96	71.63	89.55	180.87	73.56
पत्थर	2513.42	2905.10	3635.00	2591.46	3057.71
फायरक्ले	1.91	4.25	11.25	3.45	11.26
फर्शीपत्थर	202.07	117.50	167.51	131.63	150.36
मिट्टी	104.40	106.16	581.65	362.63	1229.87
मुरूम	586.34	813.32	1570.18	1310.64	2271.07
रेत	0.53	5.11	2.69	37.57	0
ग्रेनाइट	19.18	24.14	17.74	21.01	15.77
क्वार्टजाइट/सिलिका	0.51	0.11	19.27	0.60	1.47
सोपस्टोन	0.24	0.36	0	0.07	0
व्हाईट क्ले	0	0.20	0.66	1.19	0.60
चाईना क्ले	0	0.23	0	0	0
कोरण्डम	1.64	0.18	2.22	1.32	0
विविध आय	5194.61	5549.38	11202.90	4870.60	5810.32
योग	**18507.33**	**21388.69**	**30086.14**	**19479.95**	**26095.41**
गौण खनिज रेत से प्राप्तियां	0	0	0	452.05	1806.27
अर्थदण्ड एवं राजसात से प्राप्तियां	1144.11	1124.23	1522.03	61886.30	6836.72
विविध प्राप्तियॉं	1004.50	927.11	949.27	3286.15	15711.25
नीलामी से प्राप्त राशि					
मुख्य खनिज कोयला	86302.52	65241.32	85109.68	81268.67	29768.64
गौण खनिज	0	3.56	226.89	554.72	1969.99
अन्य मुख्य खनिज (कोयला छोड़कर)	0	1036.66	534.44	241.10	1904.83
कुल योग	**414147.28**	**491141.37**	**611023.54**	**619572.60**	**551701.46**

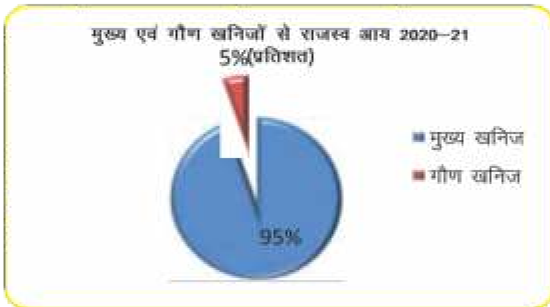

तालिका क. 9.9 छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज		
क्र0	जिले का नाम	खनिज
1	रायपुर	चूनापत्थर
2	बलौदाबाजार	चूनापत्थर, डोलोमाइट, स्वर्ण धातु
3	गरियाबंद	गार्नेट, हीरा, अलेक्जेन्ड्राइट (लौह अयस्क एवं मैगनीज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
4	दुर्ग	चूनापत्थर, मोल्डिंग सेंड, क्वार्टजाइट
5	बालोद	लौह अयस्क
6	बेमेतरा	चूनापत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट (रेड ओकर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
7	राजनांदगांव	चूनापत्थर, लौह अयस्क, फ्लोराइट, क्ले, क्वार्टज/सिलिका सेन्ड, रनर मोल्डिंग सेंड (स्वर्ण एवं सीसा सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
8	कबीरधाम	बाक्साइट, चूनापत्थर, लौह अयस्क, सोपस्टोन (ओकर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
9	धमतरी	क्ले एवं अगेट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध
10	महासमुन्द	स्वर्ण धातु, क्वार्टजाइट, लौह अयस्क, चूनापत्थर (सीसा एवं फ्लोराइट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
11	जगदलपुर	चूनापत्थर, डोलोमाइट, बाक्साइट, क्वार्टजाइट
12	नारायणपुर	लौह अयस्क
13	कांकेर	बाक्साइट (स्वर्ण एवं क्वार्टज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
14	कोण्डागांव	बाक्साइट
15	दंतेवाड़ा	लौह अयस्क, टिन अयस्क (लेपिडोलाइट, गेलेना एवं क्वार्टज सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
16	बीजापुर	कोरण्डम, बाक्साइट (गार्नेट एवं ताम्र अयस्क सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
17	सुकमा	क्वार्टज, लाइमस्टोन, टिन, कोरण्डम (गेलेना सिलिमेनाइट, बैरिल आदि सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
18	बिलासपुर	चूनापत्थर, डोलोमाइट
19	मुंगेली	चूनापत्थर, क्वार्टजाइट
20	जांजगीर	चूनापत्थर, डोलोमाइट
21	कोरबा	कोयला (माइका एवं फायर क्ले सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
22	सरगुजा	कोयला, बाक्साइट (लेड, माइका एवं चूनापत्थर सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
23	सूरजपुर	कोयला (माइका एवं फायर क्ले सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
24	बलरामपुर	कोयला, बाक्साइट (ग्रेफाइट एवं एसबेस्टस सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)
25	कोरिया	कोयला
26	रायगढ़	कोयला, डोलोमाइट, चूनापत्थर एवं क्वार्टजाइट
27	जशपुर	स्वर्ण धातु, बाक्साइट (बेरिल एवं गार्नेट सूक्ष्म मात्रा में उपलब्ध)

इसके अतिरिक्त रेत, गिट्टी, मुरूम, फर्शीपत्थर, क्ले, ग्रेनाइट, सेन्ड स्टोन आदि भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में पाए जाते है।

9.7 मुख्य खनिज ब्लॉक्स की ई–नीलामी :– नवीन खनिज अधिनियम/नियमों के तहत् मुख्य खनिज ब्लॉक्स का खनिपट्टा/ कम्पोजिट लायसेंस हेतु आबंटन ई–ऑक्शन/टेंडर के माध्यम से वर्ष 2015 से किया जा रहा है जिसके अंतर्गत अब तक 08 सीमेण्ट ग्रेड चूनापत्थर ब्लॉक खनिपट्टा हेतु एवं 01 गोल्ड ब्लॉक कंपोजिट लायसेंस के रूप में ई–ऑक्शन किये गये है। ई–ऑक्शन आधारित आबंटन से राज्य शासन को रायल्टी, डीएमएफ एवं अन्य देय कर के अतिरिक्त बतौर प्रीमियम लगभग 38 हजार करोड़ की आय संभाव्य है। वर्ष 2021–2022 में खनिज बाक्साईट, चूनापत्थर एवं आयरन ओर के 18 खनिज ब्लॉक्स का आबंटन ई–ऑक्शन के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

9.8 खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना :– खनिज विभागीय क्रियाकलापों में दक्षता एवं पारदर्शिता लाने तथा कार्य में संलग्न हितग्राहियों के Ease of Doing Business के उद्देश्य से प्रदेश में खान एवं खनिजो के समग्र प्रबंधन हेतु विभाग द्वारा एक Web Based Integrated Mines and Minerals Management System "खनिज ऑनलाईन" योजना जून, 2017 से संचालित है।

नोडल एजेंसी चिप्स के माध्यम से क्यूसीबीएस आधारित ऑनलाईन टेंडर के माध्यम से खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना के डेवलपमेंट एवं संचालन/रख–रखाव हेतु लगभग 90 करोड़ लागत की 05 वर्षीय योजना हेतु मेसर्स सिनेसिस टेक लिमिटेड का चयन किया जाकर दिनांक 16.10.2020 को एल.ओ.आई. जारी किया गया है। कंपनी द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

खनिज ऑनलाईन 2.0 परियोजना प्रदेश में खान एवं खनिजों के आईटी आधारित समग्र प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण देश में स्थापित करेगा।

9.9 छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास :– भारत सरकार, खान मंत्रालय व्दारा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(ख), 15(4) एवं 15क के तहत् राज्य सरकार व्दारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015, दिनांक 22 दिसम्बर 2015 अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार व्दारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु समस्त 28 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। यह न्यास एक गैर लाभ अर्जित करने वाली संस्था है।

न्यास के कार्यो के लिए वित्तीय व्यवस्था मुख्य खनिज एवं गौण खनिज के खनिपट्टों, पूर्वेक्षण सह खनिपट्टों से प्राप्त रायल्टी का 10 से 30 प्रतिशत राशि डीएमएफ के रूप में प्राप्त की जा रही है। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) में सितम्बर 2021 तक 7652 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है।

प्रगतिः– प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के निर्देशों के अनुरूप सितम्बर 2021 तक प्रदेश में 7,477 करोड़ रूपये की 55 हजार से अधिक कार्यो की स्वीकृति जिलों में जारी किया गया है, जिसमें 34 हजार से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके है। 5171 करोड़ रूपये व्यय हो चुके हैं।

9.9.1 प्रदेश में DMF से संपादित प्रमुख कार्य–

9.9.1.1 स्वास्थ्य सेवा–

- चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों/स्टाफ नर्स, अनुभवी/टेक्नीकल स्टाफ एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति। कुशल प्रबंधन से बेहतर इलाज,
- अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अधोसंरचना, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं का उन्नयन एवं आई.सी.यू. का उन्नयन।
- मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना का क्रियान्वयन– विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना का प्रारंभ। अधिकांश जिलों में एम्बुलेंस सेवाऐ प्रारंभ। सिकलसेल जांच एवं उपचार किया जा रहा है।
- ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना। मॉड्यूलर आपरेशन थीयेटर कोरबा।
- कोविड–19 के नियंत्रण हेतु सभी जिलों में स्वास्थ्य सुविधा हेतु अंशदान।

9.9.1.2 पेयजल–

- पेयजल हेतु सोलर पम्प की स्थापना। फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों में फ्लोराइड रिमूवल स्थापना।
- वाटर एटीएम एवं पाईप लाईन से पेयजल व्यवस्था।

9.9.1.3 शिक्षा–

- शैक्षणिक संस्थाओं का उन्नयन एवं सुदूर प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं का पुनः प्रारंभ, जैसे–जिला सुकमा में 2006 से बंद स्कूलों का डीएमएफ से पुनः संचालन।
- जिला बालोद, बिलासपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, सुरजपूर, कोरिया, कबीरधाम, रायपुर एवं अन्य जिलों में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति।
- अंशकालिन संगवारी शाला– विशेष पिछड़ी जाति के क्षेत्रों में कबीरधाम जिले में 50 एकल शिक्षक की नियुक्ति।
- बीजापुर जिले में छू–लो आसमान, जशपुर, जिले में संकल्प, नव संकल्प एवं ड्रीम–30 का संचालन, दंतेवाड़ा, जांजगीर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर, रायपुर, कोरिया, बलौदाबाजार एवं अन्य जिलों में विशेष कोचिंग का संचालन।
- स्मार्ट क्लास का संचालन। शैक्षणिक संस्थाओं/छात्रावासों में पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सुविधाएं।

- सेन्टर ऑफ एक्सलेंस के रूप में मॉडल स्कूल माडपाल विकसित किया गया है। जिला–बस्तर
- दंतेवाड़ा के 04 अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को निजी मेडिकल कॉलेज में अध्ययन हेतु सहायता।

9.9.1.4 कृषि–

- कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना जैसे– काजू प्रसंस्करण इकाई बस्तर एवं जशपुर, मक्का प्रसंस्करण ईकाई कोण्डागांव।
- खनन प्रभावित कृषकों के आजीविका उन्नयन हेतु, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत गौठानों एवं चारागाहों में सोलर पंप स्थापना।
- गोठान विकास एवं रोजगारमुखी कार्यो का सृजन एवं मल्टीएक्टीविटी सेन्टर के रूप में विकसित। सिंचाई हेतु डीजल एवं विद्युत पम्प वितरण, ड्रीप स्थापना अनुदान। डेयरी पालन हेतु अनुदान राशि।

9.9.1.5 जीविकोपार्जन एवं हितग्राही मूलक कार्य–

- ई रिक्शा, मधुमक्खी पालन, कड़कनाथ/चूजा, मछली पालन, मशरूम, झिंगा पालन, महुआ पत्ता प्रसंस्करण, बांस आधारित कार्य।
- गारमेंट फेक्ट्री संचालन से 1000 परिवार को रोजगार (दंतेवाड़ा डेनेक्स), बेकरी का संचालन स्वप्रभावित परिवारों के द्वारा, दंतेवाड़ा।
- 20 पहाड़ी कोरवा किसानों को सिचाई सुविधा उपलब्ध कराया गया।
- जिला–बस्तर एवं जशपुर में चाय एवं काफी का उत्पादन। बंजर भूमि में पपीता उत्पादन। (बस्तर)

तालिका क. 9.10 मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजनाओं में डीएमएफ का अंशदान (सितम्बर 2021 तक, राशि करोड़ रूपये में)

क	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	मुख्यमंत्री सुपोषण योजना	263.00	129.00
2	नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी	289.00	157.00
3	मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना	35.00	15.00
4	मुख्यमंत्री स्लम अस्पताल योजना	09.00	0.63
5	मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना	3.00	0.42
6	इंग्लिश मिडियम स्कूल हेतु	156.00	65.00
7	गौठान विकास	119.00	71.00

9.10 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड :– सी.एम.डी.सी. छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक उपक्रम है, जिसमें शत–प्रतिशत निवेश राज्य सरकार का है। सी.एम.डी.सी. की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कार्ययोजना के अनुसार सी.एम.डी.सी. का मुख्य कार्य खनिजों की रियायतें प्राप्त कर खनिजों का विकास, दोहन एवं विक्रय कर लाभार्जन कर व्यवसाय बढ़ाना है।

9.10.1 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजनाएं :–

9.10.2 कोल परियोजना :– भारत सरकार कोल मंत्रालय द्वारा जिला–कोरबा स्थित केरवा कोल ब्लॉक का आदेश दिनांक 21.07.2016 के माध्यम से सी.एम.डी.सी. एवं एम.पी.एस.एम.सी. के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम की कम्पनी केरवा कोल लिमिटेड (के.सी.एल.) के पक्ष में आबंटित किया गया है। केरवा कोल ब्लॉक हेतु कोल ब्लॉक डेव्हलपमेंट एवं प्रोडक्शन एग्रीमेंट (सी.बी.डी.पी.ए.) का निष्पादन दिनांक 18.08.2017 एवं 04.01.2019 (First Amendment) को किया गया है।

केरवा कोल लिमिटेड पूर्वेक्षण हेतु दिनांक 25.06.2020 को अनुबंध निष्पादन किया गया तथा समस्त वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त कर दिनांक 01.07.2020 से अन्वेषण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। दिनांक 31.03.2021 तक आउट सोर्सिंग के माध्यम से 40,753.00 मीटर वेधन का कार्य पूर्ण किया गया है। वेधन से प्राप्त कोर नमूनों को भौतिक एवं रासायनिक विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है। विश्लेषण का परिणाम प्राप्त कर दिनांक 31.12.2021 तक जियोलॉजिकल रिपोर्ट प्राप्त किया जाना सम्भावित है।

9.10.3 लौह अयस्क परियोजना :– सी.एम.डी.सी. की 02 लौह अयस्क परियोजनाए है, जिनमें से आरीड़ोंगरी लौह अयस्क परियोजना संचालित है एवं कबीरधाम लौह अयस्क परियोजना के आरक्षण का प्रस्ताव भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है। उक्त के अतिरिक्त एन.एम. डी.सी. एवं सी.एम.डी.सी. के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम की कंपनी एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी.लि. (एन.सी.एल.) के पक्ष में बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप कमांक–13, स्वीकृत है एवं बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप कमांक–04 को भारत सरकार द्वारा 05 वर्षो के लिए आरक्षित किया गया है। उक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त एन.सी.एल. द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप कमांक–01, बैलाडीला निक्षेप क्रमांक 3 एंव 8 के आरंक्षण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

आरीडोंगरी लौह अयस्क खदान का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में लगभग 1,75,000.00 मिट्रिक टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया है। खदान से उत्पादित लौह अयस्क के विकय भी प्रचलन में है।

कबीरधाम लौह अयस्क परियोजना क्षेत्र को सी.एम.डी.सी. के पक्ष में आरक्षित किये जाने के प्रस्ताव को राज्य शासन द्वारा केन्द्र शासन की ओर अग्रेशित किया गया है। उक्त प्रस्ताव केन्द्र शासन के समक्ष विचाराधीन है।

बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप कमांक–13 की समस्त वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त कर खनिपट्टा अनुबंध का निश्पादन दिनांक 10.01.2017 को पूर्ण कर लिया गया है, इसके विकास एवं दोहन हेतु संयुक्त उपक्रम कम्पनी एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी. (एन.सी.एल.) के माध्यम से एम.डी.ओ. का चयन किया गया है। वर्तमान में परियोजना बंद है। प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है।

एन.सी.एल. के आवेदन पर संज्ञान लेते हुये भारत सरकार खान मंत्रालय द्वारा बैलाडीला लौह अयस्क डिपॉजिट कमांक–04 रकबा 646.596 हे. आरक्षित वन क्षेत्र को एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 14(ए)1 के तहत् एन.सी.एल. के पक्ष में अधिसूचना दिनांक 30.06.2019 के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि हेतु आरक्षित किया गया। तदोपरान्त छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय रायपुर का पत्र दिनांक 26.06.2021 के माध्यम से सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान में पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

जिला एवं तहसील दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) वनमंडल रिजर्व फॉरेस्ट अंतर्गत बैलाडीला डिपॉजीट नम्बर 01 के कुल रकबा 21.3 वर्ग कि.मी. क्षेत्र खनिज लौह अयस्क का पूर्वेक्षण सह–खनन संक्रियाएं हेतु एन.एम.डी.सी.–सी.एम.डी.सी.लि. (एन.सी.एल.) के पक्ष में एम.एम.डी.आर.एक्ट 1957 (यथासंशोधित) की धारा–17A(2) के तहत आरक्षित करने बाबत् दिनांक 24.11.2021 को छत्तीसगढ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, रायपुर द्वारा भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्ताव प्रेषित की गई है।

बैलाडीला डिपॉजिट क्रमांक 3 एवं 8 के कुल रकबा 18.15 वर्ग कि.मी. हेतु एन.एम.डी.सी–सी. एम.डी.सी. (एन.सी.एल.) के नाम से आरक्षण करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय रायपुर के समक्ष दिनांक 25.11.2021 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

9.10.4 बाक्साइट परियोजना :– सी0एम0डी0सी0 द्वारा जिला सरगुजा में 05 बाक्साईट खदान संचालित किया जा रहा है, जिसमें उत्पादन एवं परिवहन का कार्य जारी है। सी0एम0डी0सी0 द्वारा जिला सरगुजा में 06, कबीरधाम में 02, बलरामपुर रामानुजगंज में 01, तथा जशपुर में 01 कुल 10 बाक्साइट खदान के खनिपट्टा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमे से शासन द्वारा जिला सरगुजा के 01 क्षेत्र हेतु एल0ओ0आई0 जारी किया गया है, तथा शेष 09 क्षेत्रों हेतु शासन द्वारा एल0ओ0आई0 प्रदान करने की कार्यवाही प्रचलन में है। संचालित बाक्साईट खदानों का उत्पादन एवं परिवहन का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका 9.11 बाक्साइट परियोजना

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (मिट्रिक टन में)	परिवहन (मिट्रिक टन में)
2015–16	130984.730	130984.730
2016–17	75157.540	75157.540
2017–18	556900.790	556900.790
2018–19	180133.900	180133.900
2019–20	1,54,533.380	1,54,533.380
2020–21	52,841.130	52,841.130
2021–22 (नवंबर, 2021 तक)	63,001.210	63,001.210

9.10.5 कोरण्डम खनिज परियोजना :– कोरण्डम खनिज के लिए वर्ष 2021–22 तक कुल 03 खनिपट्टा स्वीकृत है। जिला बीजापुर के ग्राम कुचनूर में स्थित कोरण्डम खनिज के स्वीकृत खनिपट्टे पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें कार्पोरेशन को प्रतिवर्ष कम से कम रू. 5.00 लाख की शुद्ध आय निश्चित है तथा कार्पोरेशन का उक्त व्यवसाय प्रारम्भ होने पर क्षेत्र के लगभग 10 गांव के 150 परिवारों को परोक्ष रूप से एवं 500 परिवारों को अपरोक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा।

9.10.6 केसेटराईट खनिज (टिन अयस्क) परियोजना :– सी.एम.डी.सी. के पक्ष में केसेटराईट खनिज के कुल 14 खनिपट्टा स्वीकृत हैं, जिसमें से संयुक्त प्रक्षेत्र कम्पनी मेसर्स प्रेशियस मिनरल एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड जगदलपुर को 08 खनिपट्टा हस्तान्तारित किया गया है। सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों की संचालित 05 सहकारी समितियों के माध्यम से टिन खनिज का क्रय किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 (माह नवम्बर 2021 तक) सहकारी समितियों के 225 सदस्यों को लगभग राशि रू. 90,69,665.00 (नब्बे लाख उन्हत्तर हजार छः सौ पैंसठ रूपये) का भुगतान किया गया है। सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर क्षेत्र में टिन अयस्क का कय एक जन हितकारी योजना के तहत् अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के हित के लिये किया जा रहा है, इससे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लगभग 250 आदिवासी परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

9.10.7 खनिज अन्वेषण कार्य के संबंध में:– सी.एम.डी.सी. द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में खनिज बाक्साईट भण्डारों के प्रमाणीकरण हेतु 6,862.30 मीटर वेधन कार्य किया गया। खनिजों के गुणवत्ता एवं श्रेणी निर्धारण हेतु 2233.00 बाक्साईट खनिज के नमूनों का रासायनिक विश्लेषण प्रयोगशाला के माध्यम से करवाया गया। सी.एम.डी.सी. द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 (माह सितम्बर 2021 तक) में खनिज बाक्साईट भण्डारों के प्रमाणीकरण लगभग 2396.00 मीटर वेधन कार्य किया गया एवं कुल 4567.00 नमूनों के रासायनिक विश्लेशण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया। शीघ्र ही 03 बाक्साईट ब्लॉकों के जियोलॉजिकल रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा।

9.10.8 बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बी.आर.पी.एल.):– रावघाट जगदलपुर (रावघाट–कोंडागांव 68.51 कि.मी. एवं कोंडगांव–जगदलपुर 71.49 कि.मी.) रेल लाईन 140 कि.मी. के विकास हेतु एन.एम.डी. सी., सेल, इरकॉन एवं सी.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से दिनांक 05.05. 2016 को संयुक्त उपक्रम कम्पनी का गठन किया गया है। वर्तमान में रेल परियोजना से संबंधित जिलों में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रचलन में है।

9.10.9 छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड (सी.सी.एल.):– छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध कॉपर एवं सह खनिजों के अन्वेषण, खनन् तथा बेनीफिसिएशन एवं कॉपर कॉन्सन्ट्रेन्ट को विभिन्न केताओं को उपलब्ध कराने/विक्रय हेतु सी.एम.डी.सी. तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के मध्य दिनांक 30.08.2016 को जे.व्ही.ए. का निष्पादन किया जाकर, दिनांक 21.05.2018 को छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड के नाम से संयुक्त उपक्रम कम्पनी का गठन किया गया है। संयुक्त उपक्रम

कम्पनी के गठन उपरान्त जे.व्ही. कम्पनी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत कॉपर खनिज की खोज हेतु हिदर तथा बोदल 02 क्षेत्रों को जे.व्ही. कम्पनी के नाम पर आरक्षित करने हेतु दिनांक 09.07.2021 को राज्य शासन द्वारा भारत सरकार खान मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

9.10.10 डोलोमाईट खनिज परियोजनाः– छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 3–14/2021/12, दिनांक 26.11.2021 के माध्यम से ग्राम–छीतापड़रिया, तहसील जैजैपुर, जिला–जांजगीर चांपा स्थित खनिज डोलोमाईट धारित क्षेत्र कुल रकबा 407.410 हे0 को सी.एम.डी.सी. के पक्ष में आरक्षित किया गया है। उक्त क्षेत्र को सी.एम.डी.सी. के पक्ष में खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

तालिका क. 9.12 प्रमुख खनिज उत्पादन में राज्य का योगदान प्रतिशत (लौह अयस्क एवं कोयला मात्रा हजार टन)

क.	वर्ष	केन्द्र			राज्य			कुल उत्पादन मे राज्य का योगदान प्रतिशत में		
		लौह अयस्क	कोयला	बॉक्साइड (टन)	लौह अयस्क	कोयला	बॉक्साइड (टन)	लौह अयस्क	कोयला	बॉक्साइड
1	2016-17	192081	660402	24664632	31068	139722	1954233	16.17	21.16	7.92
2	2017-18	200955	678533	22312681	34546	142510	2558453	17.19	21.00	11.47
3	2018-19	206446	728718	23687721	34945	161893	1532600	16.93	22.22	6.47
4	2019-20	246081	729023	21823793	34724	157064	1566108	14.11	21.54	7.18
5	2020-21 (फरवरी 21 तक)	181806	619971	18057749	32019	130770	644814	17.61	21.09	3.57

स्त्रोत – भारतीय खान ब्यूरो प्रकाशन

उद्योग

10

उद्योग

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2021–22 (अग्रिम) में विनिर्माण क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) योगदान 52,24,132 लाख अनुमानित है।
- नई औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन/स्टार्टअप योजनाएं लागू की गई हैं।
- नया रायपुर में 48.56 हे. भूमि पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चिरिंग क्लस्टर की स्थापना प्रारंभ किया जाकर उद्योग स्थापना हेतु अब तक 8 इकाईयों को भूमि आबंटित की गई है।
- राज्य में लगभग 19,265 करघों पर लगभग 57,795 बुनकर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न हैं।
- वर्ष 2020–21 में टसर, कुकून उत्पादन में 28,263 हितग्राही लाभान्वित हुए थे तथा वर्ष 2021–22 सितंबर 21 तक 14,588 हितग्राही लाभान्वित हुए।
- वर्ष 2020–21 में पालित टसर 742.045 लाख नग उत्पादन था। वर्ष 21–22 में सितंबर 21 तक 204.602 लाख नग उत्पादन किया गया है।
- मलबरी कुकून उत्पादन वर्ष 20–21 में 58,428 कि.ग्रा. हुआ।
- वर्ष 2020–21 में रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं से 56,434 हितग्राही लाभान्वित हुए। वर्ष 21–22 में सितंबर 21 तक 20,330 हितग्राही लाभान्वित हुए।

10.1 देश के आर्थिक विकास में औद्योगीकरण का योगदान महत्वपूर्ण है। उद्योग विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पादित करते हैं। छ.ग राज्य मे स्थाई एवं सुशासन होने के अतिरिक्त गुणवत्तायुक्त निर्बाध विद्युत, अपार खनिज संपदा, शांत श्रम माहौल तथा आधारभूत औद्योगिक ढांचें की उपलब्धता होने के कारण यह निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन रहा है। छ.ग. जैसे कृषि आधारित राज्य में कृषि को बढ़ावा देते हुए बेरोजगारी की समस्या को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के विकास से इन क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

विनिर्माण क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सा, वृद्धि एवं भागीदारी तालिका 10.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 10.1 विनिर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011–12)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
योगदान (लाख रु.)	3402519	3168509	3504001	4456271	4532028	4534504	5224132
वृद्धि (प्रतिशत)	2.69	-6.88	10.59	27.18	1.70	0.05	15.21
योगदान (प्रतिशत)	18.89	16.28	17.51	19.96	19.39	19.65	20.38

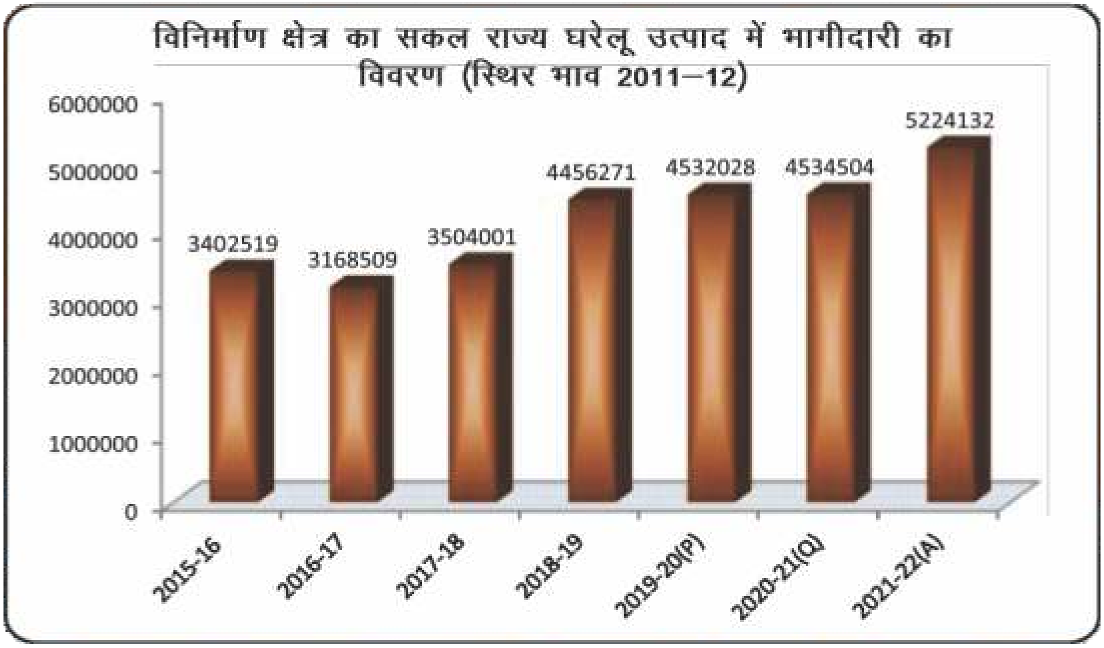

विभाग का कार्य प्रदेश के चहुमुखी विकास में औद्योगिकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से, राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हुए, औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना है, ताकि राज्य में पूंजी निवेश अधिकाधिक हो, रोजगार के अवसर बढ़े, राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त हो व राज्य औद्योगिक दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी हो।

10.2 औद्योगिक नीति 2019–24 में संशोधन उपरांत पात्र उद्योगों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन :–

तालिका क. 10.2 औद्योगिक नीति 2019–24

क्र.	योजना का नाम	योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट व रियायतों का विवरण
1	ब्याज अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद)	ऋण पर ब्याज का 25 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक, अधिकतम सीमा रू. 10 लाख वार्षिक से 55 लाख वार्षिक, अवधि 5 वर्ष से 11 वर्ष तक।
2	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम)	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक, अधिकतम सीमा रू. 35 लाख से रू. 120 लाख तक।
3	नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम एवं वृहद)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक,
4	विद्युत शुल्क छूट– पात्र नवीन/विद्यमान उद्योग के विस्तार/शवलीकरण हेतु (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा, अल्ट्रा मेगा (कोर सेक्टर को छोड़कर))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 4 वर्ष से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट।
	विद्युत शुल्क छूट– कोर सेक्टर के पात्र नवीन इकाईयों हेतु (मध्यम, वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 6 वर्ष – 10 वर्ष तक पूर्ण छूट।
5	स्टाम्प शुल्क से छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	1. भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे एवं भूमि लीज के विलेखों पर पूर्ण छूट 2. ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर 03 वर्ष तक। 3. औद्योगिक क्षेत्र/प्रयोजन हेतु आरक्षित भू–खण्डों/औद्योगिक प्रयोजन तथा भूमि बैंक हेतु अधिग्रहित भूमि/क्रय की गई भूमि के प्रभावित भू–स्वामियों द्वारा भू–अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा से प्राप्त होने वाली राशि की सीमा तक भू–अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्राप्ति के 02 वर्ष के भीतर कृषि भूमि क्रय करने पर 4. भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु क्रय/पट्टे पर 5. औद्योगिक क्षेत्र/भू–खण्ड/प्रयोजन, भूमि बैंक हेतु सीएसआईडीसी द्वारा क्रय/लीज पर 6. बंद/ बीमार औद्योगिक इकाई के क्रय पर 6. फिल्म उद्योगों 7. लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेन साइलो।
6	मंडी शुल्क से छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योग)	सर्वप्रथम कच्चामाल क्रय करने के दिनांक से 5 वर्ष तक पूर्ण छूट, अधिकतम राशि रू. 2 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक, छूट की कुल अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं।
7	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग)	स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू. 2.50 लाख।
8	भू–उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट (सूक्ष्म एवं लघु उद्योग)	अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भू–पुनर्निर्धारण कर में 50 प्रतिशत छूट।
9	औद्योगिक क्षेत्र से बाहर भू–आबंटन सेवा शुल्क में रियायत	(क) निजी भूमि के अर्जन हेतु भू–अर्जन मूल्य की 5 प्रतिशत राशि, (ख) निजी/शासकीय भूमि के आबंटन पर 10 प्रतिशत राशि।

10	अनुसूचित जनजाति/ जाति वर्ग को औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आवंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/ रियायत (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग)	1. औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापना हेतु भू–प्रव्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू–भाटक की दर रू. 1 प्रति एकड़ वार्षिक। 2. औद्योगिक दृष्टि से विकसित एवं विकासशील क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े एवं अति पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 50 प्रतिशत तक भू–खण्डों का आरक्षण।
11	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 5 लाख प्रत्येक प्रमाणीकरण हेतु।
12	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 10 लाख।
13	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	व्यय पर किये गये भुगतान का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 10 लाख।
14	मार्जिन मनी अनुदान (अनुसूचित जाति/ जनजाति, महिला, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, तृतीय लिंग, निःशक्तजन के उद्यमी)	रू. 5 करोड़ के पूंजीगत लागत तक के नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 50 लाख।
15	औद्योगिक पुरस्कार योजना	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रू. 1.51 लाख, 1.00 लाख एवं 51 हजार एवं प्रशस्ति पत्र, (5 श्रेणियों में– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग, स्टार्टअप इकाईयों)
16	दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	स्थायी नौकरी प्रदान करने पर शुद्ध वेतन/पारिश्रमिक की 40 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, 5 वर्ष की अवधि तक अधिकतम रू. 5 लाख वार्षिक।
17	इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम)	कार्बन केडिट की प्राप्ति एवं कार्बन फुटप्रिंट की कमी से संबंधित प्रत्येक तकनीकी पर मशीनरी लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 25 लाख।
18	परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु)	निर्माण स्थान से निर्यात स्थान तक वास्तविक भाड़ा के बराबर सहायता, अधिकतम सीमा रू. 20 लाख प्रतिवर्ष, 05 वर्ष तक।
19	औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में भू–आवंटन पर भू– प्रीमियम में छूट/रियायत (सूक्ष्म, लघु, मध्यम)	भू–प्रव्याजि में 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक छूट।

10.3 औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट–अप पैकेज की योजनाएँ–

(छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित एवं भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पंजीकृत एवं वैद्य प्रमाण पत्र धारित करने वाली स्टार्टअप इकाईयों को।)

1 ब्याज अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद) – सावधि ऋण पर भुगतान किये गये ब्याज का 35 प्रतिशत से 70 प्रतिशत की दर से वार्षिक अधिकतम सीमा रू. 20 लाख से रू. 55 लाख तक, अनुदान अवधि 06 वर्ष से 11 वर्ष तक।

2 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान (सूक्ष्म उद्योग)– स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक तथा वार्षिक अधिकतम सीमा रू. 15 लाख से 24 लाख तक।

3 नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम स्टार्टअप) – वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 09 वर्ष – 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 प्रतिशत से 100 प्रतिशत।

4 विद्युत शुल्क छूट– वाणिज्यिक उत्पादन/कार्य प्रारंभ करने के दिनांक से 06 वर्ष से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट।

5 भूमि के क्रय/लीज पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट।

6 सावधि ऋण पर तीन वर्ष तक स्टाम्प शुल्क से छूट।

7 (1) परियोजना प्रतिवेदन अनुदान – मान्य स्थायी पूंजी निवेश का एक प्रतिशत, अधिकतम रूपये 2.50 लाख,

(2) गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान– व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 5.00 लाख।

(3) तकनीकी पेटेंट अनुदान– व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10.00 लाख ।

(4) प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान– व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 10.00 लाख ।

(5) औद्योगिक पुरस्कार योजना– स्टार्टअप इकाईयों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों की राशि रू. 1.51 लाख, 1.00 लाख एवं 51 हजार एवं प्रशस्ति पत्र।

(6) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय योजना में भाग लेने हेतु अनुदान– 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जावेगी, अधिकतम सीमा एक बार में देश में रू. 15 हजार एवं देश के बाहर रू. 30 हजार तथा रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष की सीमा तक।

8 औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भूमि आबंटन पर भू–प्रब्याजी में 50 प्रतिशत छूट।

9 प्रारंभिक वर्षों में श्रम कानूनों में स्व–प्रमाणन व्यवस्था।

10 औद्योगिक नीति 2019–24 के अनुदान एवं छूट के अतिरिक्त निम्नांकित अनुदान एवं छूट भी दी जायेगी :–

10.1 किराया अनुदान– वैध स्टार्ट–अप इकाईयों को 03 वर्षों तक, किराये के भवन में स्टार्ट अप एकक/इकाई स्थापित करने की दशा में, भुगतान किये गये मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम रू. 8000/– की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान।

10.2 इन्क्यूबेशन हेतु किराया अनुदान– वैध स्टार्ट–अप इकाईयों को 03 वर्षों तक, इन्क्यूबेटर द्वारा दी गई सीट का किराया भुगतान किये जाने पर मासिक किराये का 40 प्रतिशत अथवा 8 रू. प्रति वर्गफुट, जो भी न्यूनतम हो, प्रति माह अधिकतम रू. 8000/– की प्रतिपूर्ति प्रत्येक तिमाही में अनुदान।

11 स्टार्टअप को प्रोत्साहन हेतु इन्क्यूबेटर्स की स्थापना हेतु अनुदान–

11.1 न्यूनतम 5000 वर्गफुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्यूबेटर्स की स्थापना जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में किये जाने पर किये गये व्यय का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50 लाख।

11.2 न्यूनतम 5000 वर्गफुट क्षेत्र में स्थापित इन्क्यूबेटर्स की स्थापना अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) में किये जाने पर किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50 लाख।

11.3 इन्क्यूबेटर्स की स्थापना पश्चात् संचालन हेतु अधिकतम 03 वर्ष जिला रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर एवं 05 वर्ष अन्य जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर को छोड़कर) के लिए अधिकतम राशि रू. 03 लाख प्रतिवर्ष।

12 राज्य के अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, भारतीय सैना से सेवानिवृत्त, राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्तों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूटी दी जायेगी।

10.4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉउंसिलः– सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात् क्रेताओं द्वारा समय पर भुगतान न करने अथवा भुगतान संबंधित विवादों के निराकरण हेतु राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल गठित है। काउंसिल के अध्यक्ष उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग तथा 4 अन्य वित्त एवं आर्थिक क्रियाकलापों के विशेषज्ञ होते हैं।

10.5 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना :– युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता, कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार (उद्यम, सेवा, व्यवसाय) प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गयी है। उनके स्वरोजगार स्थापना में बैंकों की ऋण प्रदायगी में राज्य शासन की गारंटी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गारंटी शुल्क, सेवा शुल्क का भुगतान किया जाता है तथा मार्जिन मनी अनुदान (अधिकतम 1.50 लाख रू.) व औद्योगिक नीति के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी दिये जाते हैं।

ऋण की सीमा–

विनिर्माण उद्यम –	परियोजना लागत अधिकतम रू.	25.00 लाख
सेवा उद्योग –	परियोजना लागल अधिकलम रू.	10.00 लाख
व्यवसाय –	परियोजना लागल अधिकलम रू.	02.00 लाख

10.6 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :–

उद्देश्य	–	देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन।
परियोजना लागत	–	विनिर्माण – अधिकतम रू. 25.00 लाख सेवा एवं व्यवसाय – अधिकतम रू. 10.00 लाख
लाभार्थी का अंशदान	–	सामान्य वर्ग – 10 % अजा / अजजा / अपिवर्ग व अन्य – 5 %
अनुदान की दर	–	सामान्य वर्ग – शहरी 15 %, ग्रामीण 25 % अजा / अजजा / अपिवर्ग व अन्य– शहरी 25 %, ग्रामीण 35 %
पात्रता	–	आयु 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण, स्वसहायता समूह / सोसायटी भी पात्र

10.7 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना–

(सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंको के माध्यम से ऋण वितरण)

1. "शिशु" – रू. 50,000 तक
2. "किशोर" – रू. 50,000 से अधिक एवं रू. 5 लाख तक,
3. "तरूण" – रू. 5 लाख से अधिक एवं रू. 10 लाख तक।

10.8 "स्टैण्ड अप इंडिया" योजना –

(अ) पात्रता– (1) अनुसूचित जाति, (2) अनुसूचित जनजाति, (3) महिला उद्यमी

(ब) लक्ष्य– प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी।

(स) ऋण सीमा– रू. 10 लाख से 1 करोड़ रू.।

10.9 छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति–

1. छत्तीसगढ़ उन राज्यों में सम्मिलित हुआ, जिनकी पृथक से एस.ई.जेड. पॉलिसी है।
2. राज्य में निर्यात उत्पादन को बढ़ावा
3. नये एस.ई.जेड. (विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र) – राजनांदगांव– सोलर पेनल (आंशिक परियोजना प्रारंभ)

10.10 छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी :– राज्य में लॉजिस्टिक सुविधाओं के लाभ हेतु लॉजिस्टिक पॉलिसी 2018 जारी की गयी है, जिसकी कार्यावधि 05 वर्ष होगी व यह अवधि 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2023 तक समाप्त होगी। जिसमें लॉजिस्टिक सुविधाओं हेतु एक आकर्षक पैकेज है, व राज्य के प्रत्येक जिले में एक लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की योजना है तथा लॉजिस्टिक सेवाओं का विस्तार करना है, व इस नीति के तहत लॉजिस्टिक पार्क को उद्योग का दर्जा दिया गया है। लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु ई.ओ.आई. दिये जाने हेतु विज्ञापन दिया जा चुका है।

10.10.1 उद्देश्य–

- राज्य को लॉजिस्टिक सेवा के क्षेत्र में विकसित करना तथा राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना।
- लॉजिस्टिक अधोसंरचना का आधुनिकीकृत एवं मशीनीकृत प्रकिया का उपयोग।
- रोजगार के नये अवसरों का सृजन ।
- निजी निवेश को प्रोत्साहन करना ।
- देश के प्रतिष्ठित व्यवसायिक समूहों को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित करना।
- व्यापार एवं वाणिज्य की लागत में कमी कर उपभोक्ता सामग्री के मूल्यों को कम करना। राज्य में उपलब्ध मानव संसाधनों का कुशलता से दोहन।

10.10.2 लॉजिस्टिक पार्क को दी जाने वाली अनुदान, छूट व रियायतें :–

तालिका 10.3 लॉजिस्टिक पार्क को दी जाने वाली अनुदान, छूट व रियायत

योजना का नाम	20–40 एकड़ इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क	40 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क
स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू.10.00 करोड़ से रू.12.50 करोड़	पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत से का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 12.50 करोड़ से रू. 15.00 करोड़
ब्याज अनुदान (केवल सावधि ऋण पर)	6–7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रु. 60 लाख से रु. 100 लाख वार्षिक ।	
विद्युत शुल्क छूट	लॉजिस्टिक पार्क में वाणिज्यिक गतिविधियों प्रारंभ करने के दिनांक से 08 से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	
भू–प्रीमियम में छूट/ रियायत	भू–प्रव्याजि में 20 से 25 प्रतिशत छूट	

10.10.3.स्टाम्प शुल्क से छूट– स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगी

(अ) लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन में दी गयी अधिकतम भूमि की मात्रा तक /लीज के प्रकरणों में न्यूनतम 30 वर्ष की लीज पर–

(ब) ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक

10.10.4 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान– राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्को को आई.एस.ओ.– 9000, आई.एस.ओ.–14000, आई.एस.ओ. 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणी, आई.एस.ओ. 9001:2008, आई.एस.ओ. 16091:2002 एवं जेड प्रमाणीकरण या अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 60 प्रतिशत राशि, अधिकतम रू. 1.50 लाख, की प्रतिपूर्ति प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर की जाएगी।

10.10.5 तकनीकी पेटेन्ट अनुदान – राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्को को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु किये गये व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रू. 6 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

10.10.6 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान – राज्य में स्थापित्त नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्को को इस योजना के अन्तर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 60 प्रतिशत अधिकतम रू. 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

10.10.7 विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान – राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्को को भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत् निःशक्तों को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर उनके शुद्ध वेतन/पारिश्रमिक की 25 प्रतिशत अनुदान की राशि की प्रतिपूर्ति तब तक की जावेगी जब तक उन्हें स्थायी नौकरी में रखा जाता है।

10.10.8 ई.पी.एफ. अनुदान की प्रतिपूर्ति – डेव्हलपर द्वारा किये गये कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान पर 05 वर्षो तक प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1.00 लाख रू. प्रतिवर्ष होगी। प्रतिपूर्ति निम्नानुसार दिया जायेगा:–

अ. महिला रोजगार – 100 प्रतिशत

ब. पुरूष रोजगार – 75 प्रतिशत

10.10.9 वाहन पंजीयन शुल्क में छूट – लॉजिस्टिक्स अधोसंरचना के लिए परियोजना प्रतिवेदन में दिये गये माल परिवहन वाहनों की संख्या पर (अधिकतम 50 वाहन), जिनकी क्षमता 09 मे.टन से कम न हो, के पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत दी जायेगी।

10.10.10 स्वरोजगार योजनाऐं :–

तालिका 10.4 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम–(राशि लाख में)

क0	वर्ष	लक्ष्य		स्वीकृत		वितरित	
		भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)	संख्या	राशि (मार्जिन मनी)	संख्या	राशि (मार्जिन मनी)
1-	2018-19	1014	2535.65	1348	2811.62	1693	3527.37
2-	2019-20 (सितं. 19)	1112	3337.37	311	737.25	359	719.05
3-	2019-20 (मार्च 2020)	1112	3337.37	1421	2882.52	1572	3126.23
4-	2020-21 (सितं. 2020)	1140	3421.01	507	1107.53	377	813.12
5-	2020-21 (मार्च 2021)	1140	3421.01	1821	3917.18	1526	3217.64
6-	2021-22 (सितं. 2021)	1375	4105.80	510	1178.28	363	889.51

तालिका 10.5 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना– (राशि लाख में)							
क0	वर्ष	लक्ष्य		स्वीकृत		वितरित	
		भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)	भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)	भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)
1-	2018-19	580	300.00	812	1816.84	431	140.93
2-	2019-20 (सितं. 19)	600	301.00	147	56.65	40	11.40
3-	2019-20 (मार्च 2020)	600	401.00	679	243.78	488	169.09
4-	2020-21 (सितं. 2020)	610	306.00	396	168.16	17	7.19
5-	2020-21 (मार्च 2021)	600	301.00	722	246.56	576	197.95
6-	2021-22 (सितं. 2021)	600	301.00	96	35.09	12	4.03

तालिका 10.6 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (राशि करोड़ में)										
वर्ष	लक्ष्य		शिशु		किशोर		तरूण		योग	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
2020-21 (मार्च 2021)	518521	3300.00	656017	1846.79	138303	1940.28	24505	1685.09	818825	5472.16
2021-22 (सितं. 2021)	544447	3465.00	208928	569.30	43260	484.40	5194	352.14	257382	1405.84

तालिका 10.7 स्टैण्ड–अप योजना (राशि करोड़ में)						
क.	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत प्रकरण संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित प्रकरण संख्या	वितरित राशि
1	2020-21 (मार्च 2021)	4866	214	52.31	41	6.99
2	2021-22 (सितं. 2021)	4866	58	16.49	9	2.11

10.10.11 Ease of Doing Business (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस) – उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईपी), भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा **EoDB** के तहत कराए जा रहे सुधारों के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2019 में देश के टॉप एचिवर्स राज्यों में रहा।

10.10.12 Business Reform Action Plan- 2019 - वर्ष 2020 में Ease of Doing Business के तहत 305 बिन्दुओं की सूची जारी की गई है जो कि राज्य के 23 **विभागों** एवं संस्थाओं से संबंधित है।

10.10.13 Ease of Doing Business के अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा लागू किये गये प्रमुख सुधार एवं अन्य विभागों से कराए गए प्रमुख सुधार निम्नानुसार हैं–

1.	उद्योग विभाग एवं सी.एस.आई.डी.सी लिमिटेड	1. उद्योग विभाग द्वारा Single Window System के माध्यम से विभिन्न विभागों की 43 सेवाओं को Online प्रदाय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 30 अन्य सेवाओं को भी Single Window System से संयोजित किया जा रहा है। 2. Single Window System के माध्यम से इन सभी 43 सेवाओं हेतु आवेदन, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन राशि का भुगतान Online करना, आवेदन की स्थिति ज्ञात करना एवं स्वीकृत प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति/पंजीयन आदि Online डाउनलोड करने की सुविधा प्रदाय की गई है। 3. "उद्यम आकांक्षा" Online, निःशुल्क, बिना किसी संलग्नक के एवं स्वप्रमाणन के आधार पर तुरंत जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 55,000 से अधिक उद्यम आकांक्षा जारी किये जा चुके हैं। 4. उद्योग स्थापना एवं संचालन करने हेतु आवश्यक समस्त अनुज्ञप्तियां/अनुमति/प्रमाण–पत्र आदि की जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। कोई भी निवेशक अपने योजना के अनुसार लगने वाले अनुज्ञप्तियां/अनुमति/प्रमाण–पत्र आदि की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है। 5. उद्योग से संबंधित सभी शंकाओ के समाधान करने हेतु विशेष टोल फ्री नंबर– 1800-233-3943 विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध कराया गया है तथा समस्याओं के निराकरण हेतु Grievance redressal प्रणाली विकसित की गई है। 6. CSIDC द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आबंटन पूर्णतः ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है। 7. प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों हेतु उपलब्ध भूमि GIS पद्धति के माध्यम से देखने की सुविधा प्रदान कि गई है जिसका उपयोग करके कोई भी निवेशक पर्यावरण की दृष्टि से लाल, नारंगी, हरी या सफेद श्रेणी के उद्योगों हेतु उपलब्ध भूमि, आस–पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं जैसे की सड़क, नाले, नहर, विद्युत आपूर्ति आदि की जानकारी GIS पर आधारित नक्शे में देख सकते हैं। 8. औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक क्षेत्रों में जल कनेक्शन के लिये आवेदन की भी ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 9. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतें औद्योगिक इकाईयों को ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से दी जा रही है। 10. सरकारी खरीद में पारदर्शिता व स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु ई–मानक पोर्टल प्रारंभ किया गया है। 11. सूचना की सुलभता एवं पारदर्शिता हेतु विभाग की एकल खिड़की प्रणाली में पब्लिक डोमेन में प्रकरणों के निराकरण की स्थिति प्रदर्शित की जा रही है। जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।
2.	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय	1. वाष्पयंत्र के पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 2. बॉयलर नवीनीकरण के लिये सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। कुल 315 बॉयलरों का नवीनीकरण सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से किया जा चुका है। 3. बॉयलर उत्पादनकर्ता के पंजीयन तथा नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 4. बॉयलर निरीक्षण हेतु केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली विकसित की गई है।

3.	नगरीय प्रशासन विभाग	1. भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु AutoCAD पर आधारित ऑनलाईन आवेदन की प्रणाली लागू की गई है। कुल 43112 आवेदन इस प्रणाली के माध्यम से निराकृत किये गये हैं। 2. छत्तीसगढ़ के भवन निर्माण अनुज्ञा की ऑनलाईन प्रणाली को DPIIT द्वारा Best Practice का दर्जा दिया गया है। 3. भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण की प्रणाली GPS पर आधारित है। यह प्रणाली लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है। 4. भवन निर्माण अनुज्ञा की सिंगल विन्डो प्रणाली के माध्यम से अन्य विभागों की NOC जैसे– विमानन प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग आदि हेतु आवेदन की व्यवस्था लागू की गई है। 5. संपत्ति पंजीयन व संपत्ति कर की ऑनलाईन व्यवस्था की गई है। 6. ट्रेड लायसेंस प्रदाय की ऑनलाईन व्यवस्था निर्मित की जा रही है।
4.	नगर तथा ग्राम निवेश विभाग	1. भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु भवनों को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। 2. भवन निर्माण के पूरा होने के चरणों के दौरान लागू प्रमाणन के लिये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था लागू की गई है। 3. भूमि उपयोग परिवर्तन, निर्माण अनुमति, यूनिफार्म बिल्डिंग कोड की ऑनलाईन व्यवस्था निर्मित की जा रही है।
5.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	1. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति तथा परिसंकटमय अपशिष्ट नियमों के अंतर्गत अनुज्ञा के आवेदन की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है। 2. सफेद श्रेणी के उद्योगो को उद्योग स्थापना एवं संचालन सम्मति लेने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है। 3. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत स्थापना समिति एवं संचालन समिति को स्व प्रमाणन के आधार पर नवीनीकरण की व्यवस्था लागू की गई है। 4. प्रथम स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति की वैधता 5 वर्ष कर दी गई है। 5. नारंगी श्रेणी को नियतकालिक निरीक्षण के लिये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान की गई है। 6. सफेद एवं हरा श्रेणी के उद्योगो को निरीक्षण से मुक्त कर दिया गया है। 7. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया, निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है।

6.	श्रम विभाग	1. समस्त श्रम कानूनों के तहत एकीकृत विवरणी दाखिल की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है। 2. फैक्ट्री लायसेन्स एवं उसकी नवीनीकरण की वैधता अधिकतम 10 वर्ष की गई है। 3. उद्योगों को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है एवं निम्न जोखिम के उद्योगों को निरीक्षण से मुक्त कर दिया गया है। 4. मध्यम जोखिम वाले उद्योगों के लिये विभागीय निरीक्षण की अनिवार्यता से मुक्त करते हुये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान की गई है। 5. समस्त श्रम कानूनों के तहत संयुक्त निरीक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। 6. विभिन्न श्रम कानूनों के तहत निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया, निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है। 7. दुकानों एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत गुमास्ता लायसेंस हेतु निरीक्षण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
7.	ऊर्जा विभाग	1. उद्योग के लिये विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की संख्या घटाकर केवल 2 कर दी गई है। 2. विभाग की वेबसाईट के माध्यम से नवीन विद्युत कनेक्शन के लिये भुगतान की जाने वाली राशि की गणना करने की सुविधा प्रारंभ की गयी है। 3. विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने की समय–सीमा 7 दिवस (जहाँ राइट–ऑफ वे लेने की आवश्यकता नही है) तथा 15 दिवस (जहाँ राइट–ऑफ वे लेने की आवश्यकता है) निर्धारित की गई है।
8.	पंजीयन विभाग	1. भूमि/सम्पत्ति पंजीयन हेतु आवश्यक डीड/करार के नमूने विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये हैं। 2. भूमि/सम्पत्ति पंजीयन हेतु ई–स्टॉम्प की सुविधा प्रदाय की गई है। 3. पंजीयन, राजस्व तथा शहरी विकास प्राधिकरण के मध्य एकीकरण कर सम्पत्ति के संबंध में तीनो विभागों से संबंधित जानकारी एक ही वेबसाईट के माध्यम से सर्च करने हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की जा रही है। 4. सम्पत्ति पंजीयन हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 5. विगत तीन वर्षों के समस्त भूमि पंजीयन के दस्तावेज डिजिटल करवाये जाकर उनकी स्कैन प्रति ऑनलाईन उपलब्ध कराई गई है। विगत दस वर्षों के दस्तावेज डिजिटल करने की कार्यवाही की जा रही है। 6. सम्पत्ति पंजीयन हेतु पैन/आधार नंबर के द्वारा सत्यापन की सुविधा लागू की गई है। 7. नामांतरण की सुविधा को पंजीयन से एकीकृत कर नामांतरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है। 8. पंजीयन हेतु सम्पत्ति के मूल्यांकन के अनुसार लागू पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क की गणना वेबसाईट के माध्यम से की जा सकती है।
9.	वाणिज्यिक कर विभाग	1. जी.एस.टी के अंतर्गत करदाता द्वारा दाखिल किये जाने वाले ई–फाईलिंग के संबंध में सहयोग हेतु हेल्पलाईन नंबर तथा प्रत्येक जिले में सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। 2. स्टेट जी .एस.टी के अंतर्गत Advance Ruling हेतु Appellate का गठन तथा आवेदन के संबंध में समस्त जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है।

10.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	1. उद्योग स्थापना हेतु वृक्ष कटाई के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है। 2. वृक्ष कटाई के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड करने की समय सीमा घटाकर 48 घंटे की गई एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, आवेदक को भी ऑनलाईन देखने की सुविधा प्रदाय की गई है। 3. वृक्ष की प्रजातियों के आधार पर उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम की श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। 4. भूमि संबंधी विवादों की न्यायिक डेटाबेस (राजस्व) के साथ भूमि रिकार्ड डेटाबेस को एकीकृत किया गया है जिसके माध्यम से किसी भूमि पर चल रही विवाद की स्थिति स्वतः ऑनलाईन अपडेट होने की सुविधा लागू की गई है। 5. व्यपवर्तन प्रकरणों के निराकरण को सरलीकृत करते हुए कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन व अन्य) हेतु सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिसूचित किया गया है।
11.	विधि विभाग	1. वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई के लिये छत्तीसगढ़ राज्य में देश का प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना की गई है। 2. वाणिज्यिक न्यायालय अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। 3. ई–फाईलिंग एवं ई–सम्मन की सुविधा भी वाणिज्यिक न्यायालय में प्रदाय की गई है एवं न्यायिक फैसले डिजिटल साईन के माध्यम से जारी किये जा रहे हैं जो कि वाणिज्यिक न्यायालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं। 4. ई–फाईलिंग हेतु कोर्ट फीस तथा प्रोसेस फीस का भुगतान ऑनलाईन करने की सुविधा लागू की गई है।
12.	वन विभाग	1. काष्ठ परिवहन की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गयी है। 2. काष्ठ परिवहन की अनुमति की वैधता के ऑनलाईन सत्यापन की सुविधा प्रारंभ की गयी है। 3. शासकीय काष्ठगार हेतु काष्ठ परिवहन के अनुज्ञा पत्र की कुल 2632 आवेदन का निराकरण ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से किया जा चुका है। 4. पंजीकृत व्यापारी/विनिर्माता हेतु काष्ठ परिवहन के अनुज्ञा पत्र की कुल 2313 आवेदन का निराकरण ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से किया जा चुका है।
13.	नापतौल विभाग	1. नापतौल विभाग के अंतर्गत पंजीयन हेतु ऑनलाईन प्रणाली प्रारंभ की गयी है। 2. पंजीयन प्रमाण–पत्र की वैधता के ऑनलाईन सत्यापन की सुविधा प्रारंभ की गयी है। 3. निरीक्षण प्रतिवेदन 48 घंटे के भीतर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।
14.	लोक निर्माण विभाग	सड़क काटने की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है। कुल 26 आवेदन ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किये गये हैं।
15.	खाद्य एवं औषधि विभाग	औषधि निर्माण एवं विक्रय की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गयी है।

16.	वित्त विभाग (कोष एवं लेखा)	राज्य में लगने वाले समस्त करों की जानकारी एवं उनके ऑनलाईन भुगतान, ऑनलाईन रिटर्न फाइल करने की सुविधा हेतु पोर्टल विकसित किया गया है, जिसकी सहायता से आवदकों/ करदाताओं को सारी जान कारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी।
17.	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय	1. मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के अंतर्गत समस्त पंजीयन के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 2. चार्जिंग अनुमति हेतु मुख्य विद्युत निरीक्षक की ऑनलाईन प्रणाली को सीएसपीडीसीएल की वेबसाईट से संयोजित किया गया है।
18.	रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ	साझेदारी फर्म्स एवं संस्थाओं के पंजीयन के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। कुल 13,062 आवेदनों का निराकरण ऑनलाईन किया जा चुका है।
19.	आबकारी विभाग	FL-2, FL-3, FL-3(A), FL-4, FL-4(A), FL-5 तथा FL-5(A) लायसेंस के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है।
20.	केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली	1. औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न विभागों द्वारा संपादित किए जाने वाले निरीक्षण में पारदर्शिता एवं जानकारी साझा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है जिसमें बॉयलर, श्रम विभाग एवं पर्यावरण विभाग को शामिल किया गया है। 2. उपरोक्त विभागों द्वारा संपादित किए जाने वाले निरीक्षण की तिथि, निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम आदि की जानकारी श्रम विभाग के केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध है। 3. सभी निरीक्षण प्रतिवेदन 24 घंटे के भीतर केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर अपलोड करने की अनिवार्यता की गई है। 4. निरीक्षण के बिन्दु, निरीक्षण प्रक्रिया आदि की जानकारी केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। 5. आकस्मिक निरीक्षण हेतु विभागाध्यक्ष से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य किया जा रहा है।
21	गृह विभाग	1. फायर लायसेंस एवं सिनेमा हॉल लायसेंस ऑनलाईन प्रदाय हेतु ई–डिस्ट्रिक के माध्यम से प्रणाली निर्मित की गई है। 2. फायर लायसेंस एवं सिनेमा हॉल लायसेंस को उद्योग विभाग के सिंगल विंडो प्रणाली से जोड़ा जा रहा है।
22	संस्कृति विभाग	1. मूवी शुटिंग लायसेंस प्रदाय हेतु ऑनलाईन प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें नगरीय प्रशासन, जिला प्रशासन तथा संस्कृति विभाग संयुक्त रूप से एकल प्रणाली द्वारा निर्णय प्रदान करेंगे। 2. राज्य द्वारा संरक्षित मोनुमेन्ट स्थल के अंतर्गत मूवी शूटिंग हेतु लायसेंस की ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है।
23	परिवहन विभाग	1. ट्रैव्हल्स एजेंसी के पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की जा रही है।

10.10.14 निरीक्षण सुधार :–

- औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न विभागों द्वारा संपादित किए जाने वाले निरीक्षण में पारदर्शिता एवं जानकारी साझा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है जिसमें बॉयलर, श्रम विभाग एवं पर्यावरण विभाग को शामिल किया गया है।
- उपरोक्त विभागों द्वारा संपादित किए जाने वाले निरीक्षण की तिथि, निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम आदि की जानकारी श्रम विभाग के केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध है।
- सभी निरीक्षण प्रतिवेदन 24 घंटे के भीतर केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर अपलोड करने की अनिवार्यता की गयी।
- निरीक्षण के बिन्दु, निरीक्षण प्रक्रिया आदि की जानकारी केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।
- आकस्मिक निरीक्षण हेतु विभागाध्यक्ष से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य किया जा रहा है।

10.11 राज्य में रेल्वे लाइनों का विकास

राज्य के गठन के पूर्व राज्य में लगभग 1,186 कि.मी. का रेल्वे नेटवर्क था। राज्य में रेल अधोसंरचनाओं, का विकास करने के लिये राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम कम्पनियां बनाई, जिसके माध्यम से नई रेल लाईनों का विकास किया जा रहा है।

1 वर्तमान में राज्य में निम्नांकित रेल्वे कॉरीडोर एवं रेल लाईन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है–

- **ईस्ट रेल कॉरीडोर** – ईस्ट रेल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 03.11.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 12.03.2013 को छत्तीसगढ़ शासन, एस.ई.सी.एल. व इरकॉन के इक्विटी पार्टनरशिप से ज्वाईंट वेन्चर कम्पनी का गठन किया जा चुका है व दिनांक 18.01. 2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन कम्पनी के साथ किया जा चुका है। यह परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। ईस्ट रेल कारीडोर (Phase-1) खरसिया से धर्मजयगढ़ के मध्य तथा ईस्ट रेल कारीडोर (Phase-2) धर्मजयगढ़ से कोरबा के मध्य बनाया जा रहा है।

  परियोजना की स्थापना हेतु भू–अधिग्रहण की कार्यवाही के पश्चात् निर्माण कार्य सतत् प्रगति पर है।

  ईस्ट रेल कॉरीडोर (Phase-1) का क्षेत्र खरसिया–धरमजयगढ़–घरघोड़ा–डोंगा महूआ, (131 कि.मी) है व इस कॉरीडोर में 08 स्टेशनें (गुरदा, छाल, घरघोड़ा, कोरीचेपर, कुरूनकेला, धरमजयगढ़ रोड, डोलेसरा एवं पैलमा) स्थापित होंगे। इसकी परियोजना लागत रूपये 3,055.

15 करोड़ है। इस चरण का कार्य सितंबर 2022 तक पूर्ण होने की संभावना थी। इसके प्रथम चरण में खरसिया से कोरीछापर लगभग 45 कि.मी. तक रेल बिछाई जाकर ट्रायल के रूप में मालगाड़ी का परिचालन किया जा रहा है। कोरीछापर से धर्मजयगढ़ के लिए भी रैलवे से मालगाड़ी चलाने की अनुमति मिल चुकी है।

ईस्ट रेल कॉरीडोर (Phase-2) धरमजयगढ़ से कोरबा के मध्य 62.5 किमी लंबाई में रूपये 1,686 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसके मार्च 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है।

- **ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडोर–** ईस्ट–वेस्ट रैल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 03.11.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 25.03.2013 को छत्तीसगढ़ शासन, एस.ई.सी.एल. व इरकॉन के इक्विटी पार्टनरशिप से ज्वाईंट वेन्चर कम्पनी का गठन किया जा चुका है व दिनांक 05.04.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन के साथ किया जा चुका है। इसकी परियोजना लागत रूपये 4,970 करोड़ है।

  परियोजना की स्थापना हेतु भू–अधिग्रहण की कार्यवाही के संपूर्ण 135 कि.मी. में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

  ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडोर का क्षेत्र गेवरा–पेण्ड्रा रोड, उरगा–कुसमुण्डा (138 कि.मी) है व इस कॉरीडोर में 09 स्टेशन (सुरकछार, कटघोरा, बिन्झारा, पुटुवा, मटिनि, सेन्डुगढ़, पुटी पखाना, भण्डी, धनगवां) स्थापित होंगे।

  उक्त दोनों कॉरीडोर के बन जाने से सुदूर आदिवासी अंचलों में यात्री परिवहन में आसानी के साथ–साथ माल परिवहन भी प्रारंभ करना संभव होगा।

- **दल्ली राजहरा–रावघाट रेललाईन परियोजना –** इस परियोजना में रेल्वे लाईन की लम्बाई 95 कि.मी. है। इसमें से प्रथम 60 कि.मी. तक रेललाईन का निर्माण किया जाकर दल्ली राजहरा–अंतागढ़ तक यात्री गाड़ी का परिचालन किया जा रहा है।

  इस रेललाईन परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत रूपये 1,622.02 करोड़ है। इस रेललाईन के शेष हिस्से में निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है ।

- **रावघाट–जगदलपुर परियोजना –** इसकी परियोजना लागत रू. 2,538.60 करोड़ है व परियोजना में एन.एम.डी.सी., स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि0, इरकॉन एवं छत्तीसगढ़ शासन की भागीदारी है। परियोजना की स्थापना हेतु स्पेशल पर्पज व्हीकल कम्पनी – बस्तर रेल्वे प्रा. लि. गठित हो चुकी है।

  रावघाट–जगदलपुर परियोजना की लम्बाई 140 कि.मी है। परियोजना की स्थापना हेतु ट्रेक एलाईनमेंट, लोकेशन सर्वे व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रेल्वे लाईन हेतु भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में है। डी.पी.आर. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

- **चिरमिरी– नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना –** इसकी परियोजना लागत रू. 241 करोड़ है व परियोजना में भारतीय रेलवे एवं छत्तीसगढ़ शासन की 50:50 की भागीदारी है। परियोजना का क्रियान्वयन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किया जाना है।

  चिरमिरी–नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना की लम्बाई 17 कि.मी है। इस रेल लिंक की स्थापना से मनेन्द्रगढ़ के निवासियों को रेल आवागमन हेतु अतिरिक्त मार्ग प्राप्त होगा, जिससे मुख्य मार्ग की यात्री ट्रेनो की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस लाईन के निर्माण हेतु दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे द्वारा सर्वे की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण होना अपेक्षित है।

2. राज्य में रेल्वे नेटवर्क के विकास हेतु दिनांक 09 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ शासन व भारत सरकार, रेल मंत्रालय के मध्य एक एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है व एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु छ. ग. शासन व रेल मंत्रालय की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी **''छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमिटेड''** गठित की गयी है। जिसमें राज्य शासन की भागीदारी 51 प्रतिशत है एवं भारत सरकार का सहभागिता 49 प्रतिशत है। एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त उपक्रम अनुबंध दिनांक 04.08.2016 को निष्पादित किया गया है।

संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा प्रथम चरण में निम्नांकित चार रेल्वे परियोजनाएँ की स्थापना हेतु अध्ययन किया गया है, जो एस.पी.व्ही. के माध्यम से क्रियान्वित हो सकेगी।

i. डोंगरगढ़–खैरागढ़–कवर्धा–मुंगेली–कोटा–कटघोरा, 295 कि.मी., रेल मंत्रालय से डी.पी.आर. अनुमोदित, परियोजना लागत रू. 5,950 करोड़, नवीन एसपीव्ही हेतु सीआरसीएल, महाजेन्को एवं एसीबी आईईएल के मध्य सहमति, एसपीव्ही छत्तीसगढ़–कटघोरा–डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड गठित। रेल मार्ग हेतु सर्वे किया जाकर भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन।

ii. खरसिया–बलौदाबाजार–नया रायपुर–परमालकसा (दुर्ग) 268 कि.मी. रेल मंत्रालय से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त, संभावित परियोजना लागत रू. 5,705 करोड, नवीन एसपीव्ही हेतु संभावित उपयोगकर्ताओं से विचार–विमर्श जारी।

iii. अम्बिकापुर – बरवाडीह 182 कि.मी. सर्वेक्षण प्रारंभ।

iv. कटघोरा से सूरजपुर के बीच परसा से मतीन तक – 65 कि.मी. सर्वेक्षण प्रारंभ।

10.12 उद्योग विभाग के अंतर्गत स्थापित निगम/बोर्ड

''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत एक ही निगम ''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड'' गठित है। इस निगम की अधिकृत पूंजी रूपये 10 करोड़ एवं प्रदत्त पूंजी रूपये 1.60 करोड़ है।

भारत शासन द्वारा वर्ष 2000 में किये गये राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत स्थापित निगमों यथा–(1) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास

निगम, रायपुर (2) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (3) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम (4) मध्यप्रदेश वित्त निगम (5) म.प्र.निर्यात्त निगम (6) म.प्र. औद्योगिक विकास निगम (7) मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन (8) मध्यप्रदेश टेक्सटाईल कार्पोरेशन को इसमें समाहित किया गया है।

राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निगम के द्वारा विभिन्न गतिविधियां निष्पादित की जाती हैं – यथा औद्योगिक संवर्धन, प्रचार–प्रसार, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना, लघु उद्योगों के विपणन में सहायक की भूमिका, कच्चामाल आपूर्ति, शासकीय उद्योगों का संचालन, राज्य की राजधानी में राज्योत्सव का आयोजन एवं नई दिल्ली के भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य के मंडप का निर्माण एवं संचालन एवं शासन द्वारा समय समय पर निर्देशित अनुसार अन्य कार्य।

10.15.1 स्थापित औद्योगिक क्षेत्र

(अ) निगम के नियंत्रणाधीन स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क. 10.8 स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों का विवरण

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टेयर में)
	औद्योगिक क्षेत्र (200 हेक्टेयर से अधिक)		
1	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	395.563	251.483
2	औद्योगिक विकास केन्द्र सिलतरा, रायपुर	1184.40	872.812
3	औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी, बिलासपुर	338.42	217.49
4	औद्योगिक विकास केंद्र बोरई, दुर्ग	450.810	192.462
5	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी, बिलासपुर	244.86	157.56
	योगः–	**2614.053**	**1691.807**
	औद्योगिक क्षेत्र (100 से 200 हेक्टेयर तक)		
6	औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, रायपुर	164.300	103.48
7	इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज भिलाई	141.613	59.15
8	औद्योगिक क्षेत्र मेटलपार्क, रायपुर	101.790	35.82
	योगः–	**407.703**	**198.448**
	औद्योगिक क्षेत्र (50 से 100 हेक्टेयर तक)		
9	महरूम कला, जिला राजनांदगांव	66.858	–
10	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर	55.84	39.48
11	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) बिरकोनी, जिला महासमुंद	96.42	41.82
12	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) नयनपुर–गिरवरगंज,	51.237	24.061

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टेयर में)
13	फुडपार्क बगौद, जिला धमतरी	68.74	23.45
14	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) लखनपुरी, जिला कांकेर	53.30	25.86
	योगः–	**392.39**	**154.671**
	औद्योगिक क्षेत्र (50 हेक्टेयर तक)		
15	औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा, रायपुर	37.18	30.95
16	औद्योगिक क्षेत्र आमासिवनी, रायपुर	11.83	10.04
17	अंजनी, पेण्ड्रारोड	19.42	10.89
18	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) हरिनछपरा जिला कबीरधाम	20.93	11.09
19	औद्योगिक क्षेत्र तेन्दुआ, रायपुर	20.991	7.27
20	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(आईआईडीसी)टेकनार, जिला दन्तेवाड़ा	19.27	9.016
21	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(आईआईडीसी)कॉपन, जिला जांजगीर चांपा	43.06	15.325
22	औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी तिल्दा, रायपुर	32.32	15.29
23	औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर खुर्द, जिला सरगुजा	12.25	4.73
24	इलेक्ट्रानिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर नवा रायपुर	45.75	22.83
25	औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द, जिला राजनांदगांव	37.12	13.87
26	औद्योगिक क्षेत्र अवरेठी, भाटापारा	8.615	5.479
27	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी (ब्लॉक'ए,बी एवं सी) बिलासपुर	24.96	17.91
	योगः–	**333.696**	**174.69**

(ब) एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (IIDC):– भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म, लघु उद्योगों की स्थापना हेतु एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्रों की स्थापना की जाती है। नवीनयोजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 6 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, शेष राशि का अंशदान राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। राज्य में इनकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी सी.एस.आई.डी.सी. है।

भारत शासन के सहयोग से निम्न नये एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका 10.9 एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र						
क्रं.	औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)	केन्द्रीय अनुदान (रु.करोड़ में)	राज्य शासन का अंश (रु.करोड़ में)
1.	खमरिया	मुंगेली	60	21.15	6.00	15.15
2.	परसगढ़ी	कोरिया	32	12.20	6.00	6.20
3.	सियारपाली / महुआपाली	रायगढ़	39	14.50	6.00	8.50

तालिका 10.10 एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र अंतर्गत प्रस्तावित आई.आई.डी.सी.				
क्रं.	प्रस्तावित औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)
1.	अभनपुर	रायपुर	39.88	11.61
2.	जी–जामगांव	धमतरी	24.71	7.67

(स) स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क

- **मेटल पार्क– जिला रायपुर :–** विशिष्ट उद्योगों पर आधारित औद्योगिक पार्कों की स्थापना के अंतर्गत रायपुर में रावांभाटा में फेरस तथा नान फेरस डाऊनस्ट्रीम अप्रदूषणकारी सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने की दृष्टि से रायपुर शहर से 12 कि.मी. की दूरी पर ग्राम रावांभाटा में स्थापित मेटल पार्क की स्थापना पूर्ण हो चुकी है ।

- **इंजीनियरिंग पार्क– जिला दुर्ग :–** विशिष्ट उत्पाद आधारित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के अंतर्गत इंजीनियरिंग उत्पाद संबंधी समूह उद्योगों के विकास हेतु भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई से लगे हुए ग्राम हथखोज में कुल 122.618 हेक्टेयर भूमि पर निगम द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर विकास हेतु इंजीनियरिंग पार्क विकसित किया गया है।

- **इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर – जिला रायपुर :–** नया रायपुर में 48.56 हे. भूमि पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चिरिंग क्लस्टर की स्थापना प्रारंभ किया जाकर उद्योग स्थापना हेतु अब तक 8 इकाईयों को भूमि आबंटित की गई है तथा 06 इकाईयों को भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रकियाधीन है। 3 इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है।

- **फूड पार्क– जिला धमतरी :–** ग्राम बगौद जिला–धमतरी में कुल 68.68 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्क की स्थापना की गई है। अनुमानित परियोजना लागत रू. 45.00 करोड़ है। अधोसंरचना निर्माण कार्य प्रगति पर है। 36 इकाईयों को भूमि का आबंटन किया जा चुका है। 03 इकाईयों के द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा तीन इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

10.15.2 स्थापनाधीन/प्रस्तावित विशिष्ट औद्योगिक पार्क

- **नवीन फूड पार्ककी स्थापना** – राज्य में नॉन–कोर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 200 फूड पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस हेतु विभिन्न जिलों के 146 विकासखण्डों में से 110 विकासखण्डों में भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है। शेष विकासखण्डों में भूमि चिन्हांकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निगम को 13 जिलों के 22 विकासखण्डों के 27 ग्रामों की कुल 328.507 हेक्टेयर भूमि का आधिपत्य प्राप्त हो चुका है जिनमें सर्वे एवं डिमार्केशन की कार्यवाही प्रचलन में है। सर्वे एवं डिमार्केशन पश्चात् तीन जिलों यथा सुकमा, बस्तर एवं उत्तर बस्तर कांकेर में फूड पार्क हेतु अधोसंरचना विकास कार्य की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है ।

- **जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क– जिला रायपुर** – रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप आधार पर जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित है, जिसकी प्रारंभिक परियोजना लागत रु. 350 करोड़ है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु परियोजना सलाहकार की नियुक्ति की जा चुकी है तथा Architectural Consultant की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **प्लास्टिक पार्क** – भारत सरकार प्लास्टिक पार्क योजना अंतर्गत ग्राम सरोरा, जिला–रायपुर में 46 एकड़ भूमि पर प्लास्टिक पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। इस पार्क की प्रारंभिक परियोजना लागत रु. 44.00 करोड़ है तथा इस हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

10.15.3 परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई – सीएसआईडीसी के अधीन परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 3,500 लघु उद्योग इकाईयों को उनके उत्पाद परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रयोगशाला हेतु एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त की गई है एवं अब इसके परीक्षण राष्ट्रीयस्तर पर मान्य हैं।

10.15.4 लघु उद्योगो को विपणन सुविधा :– राज्य के लघु उद्योगो के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य में लागू "छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम–2002 (यथा संशोधित)"में संशोधन किये गये है। जिसके फलस्वरूप समस्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम, मंडल, जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय भी भण्डार क्रय नियमों की परिधि में रहेंगे। भण्डार क्रय नियम के परिशिष्ट–1 की आरक्षित सूची मे कुल 73 कैंटेगरी (203 वस्तुएं) सूचीबद्व हैं।

राज्य के लघु उद्योग इकाईयों को प्रोत्साहन के दृष्टिगत भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार दर निर्धारण के समय मध्यम, वृहद एवं राज्य के बाहर स्थित इकाइयों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाईयों को 10 प्रतिशत की मूल्य अधिमान्यता का लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार क्रय अधिमान्यता स्थानीय लघु उद्योगों इकाईयों को राज्य के बाहर स्थित इकाईयों की तुलना में 5 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत) क्रय अधिमान्यता का लाभ स्थानीय लघु उद्योगो इकाईयों को प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित बी.आई.एस. प्रमाण–पत्र धारी लघु उद्योगों को अन्य उद्योगों के विरूद्ध 10 प्रतिशत क्रय अधिमान्यता भी प्रदान की गई है।

भण्डार क्रय नियम–3 के तहत् परिशिष्ट–1 की सूची में आरक्षित वस्तुओं के दर निर्धारण एवं दर अनुबंध हेतु शासन द्वारा निविदा प्रक्रियॉ में पारदर्शिता करने के उददेश्य से क्रियान्वित ई–प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत निर्माता इकाई या निर्माता इकाई के अधिकृत प्रदायकर्ता इकाई (दोनो में से कोई एक) के लिए ई–निविदा प्रकाशित की जाती है। छत्तीसगढ़ शासन के ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम के अंतर्गत आमंत्रित ई–निविदा में प्रचलित दर निर्धारण प्रक्रियॉं अनुसार छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम में निहित प्रावधान के तहत् आरक्षित सामग्रियों की दरें निर्धारित कर पात्र निविदाकर्ता इकाईयों के पक्ष में दर अनुबंधित निष्पादित किया जाता है।

10.15.5 ई–मानक पोर्टल से शासकीय खरीदी :– भण्डार क्रय नियम के परिशिष्ट–1 सूची में उल्लेखित वस्तुओं की निर्धारित दर एवं दर अनुबंध में अनुबंधित प्रदायकर्ता इकाईयों का प्रकाशन राज्य में शासकीय खरीदी के लिए 1 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किए गए ई–मानक (e-Mane-C e-Marketing Network of Chhattisgarh) से किया जा रहा है। ई–मानक पोर्टल की वेब–साईट http://ceps.cg.gov.in है।

10.15.6 कौशल उन्नयन गतिविधियां

10.15.6.1 अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर :– रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव में अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर स्थापित किये गये हैं। इससे राज्य के युवाओं को अपेरल क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्त हो रहा है।

बस्तर संभाग में युवाओं हेतु कौशल विकास/प्रशिक्षण

- बस्तर संभाग के जिला सुकमा में अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर की स्थापित है।
- इस प्रशिक्षण केन्द्र में 240 युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा ।
- प्रशिक्षण केन्द्र में वस्त्र उद्योग से संबंधित विभिन्न ट्रेड जैसे अपेरल मैन्युफेक्चरिंग टेक्नालाजी, प्रोडक्शन सुपरविज़न, अपेरल पैटर्न मेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, कटिंग, टेलरिंग, सिलाई मशीन आपरेटर आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

10.15.6.2 एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, बोरई, दुर्ग :– भारत सरकार, एम.एस.एम.ई. मंत्रालय द्वारा "टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम" के अंतर्गत लगभग रु. 112 करोड़ की लागत से बोरई, जिला–दुर्ग में टूल रुम की स्थापना की गई। इस संस्थान में एम.एस.एम.ई. उद्योगों को परीक्षण सुविधा एवं युवाओं को कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है।

10.15.6.3 सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट) :– प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु सीपेट (सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी) को स्थापित किया गया है। यहां दीर्घकालीन एवं डिप्लोमा तथा पीजी डिप्लोमा कोर्स संचालित हैं।

10.15.7 स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन :– भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की संशोधित औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना (एम.आई.आई.यू.एस.) परियोजना का राज्य में क्रियान्वयन।

12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा संशोधित आई.आई.यू.एस. योजना लागू है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन के लिये अनुदान प्रदान किया जाता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है।

औद्योगिक अधोसंरचना के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित संशोधित एकीकृत अधोसंरचना उन्नयन योजना (एम.आई.आई.यू.एस.) के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र उरला जिला रायपुर एवं सिरगिट्टी जिला बिलासपुर के लिये अधोसंरचना यथा सड़क, बिजली, जलप्रदाय के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु पृथक–पृथक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर भारत सरकार को अग्रेषित किया गया था। भारत सरकार से दोनों परियोजनाओं हेतु स्वीकृति उपरांत कार्य पूर्ण हो चुका है।

10.15.8 **बायो एथेनाल इकाईयों की स्थापना :–** राज्य में बायो एथेनाल प्लांट की स्थापना हेतु 18 निवेशकों के साथ राशि रू. 3,325.17 करोड़ के निवेश से एमओयू निष्पादित किए गए हैं।

निगम की वर्ष 2020–21 में व्यावसायिक गतिविधियाँ

10.15.9 लघु उद्योगों को परीक्षण जांच की सुविधा :–

टैस्टिंग लैब भिलाई में केमिकल, मेटलर्जीकल सेम्पल परीक्षित	–	2915
सिविल व इलेक्ट्रिक सेम्पलों का परीक्षण आय	–	रू12.99 लाख

10.15.10 फर्नीचर व शीट मेटल उद्योगों का संचालन

अ–फर्नीचर वर्क्स, अभनपुर	उत्पादन	रू. 189.00 लाख
	विक्रय	रू. 145.00 लाख
ब–कृषि उपकरण कारखाना, भिलाई	उत्पादन	रू. 278.32 लाख
	विक्रय	रु. 282.59 लाख

10.15.11 ऑनलाईन भुगतान सुविधा :– सीएसआईडीसी द्वारा भू–आबंटी इकाईयों से भू–आबंटन से संबंधित राशियों (प्रीमियम, लीज़रेंट, मेंटनेंस आदि) की वसूली हेतु ऑनलाईन सुविधा सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है।

10.15.12 भू–आबंटन पत्रों को ऑनलाईन प्राप्त करना :– दिनांक 7 मार्च 2015 से लागू नवीन छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के परिपालन में उद्यमी को मांगपत्र, आशयपत्र, आबंटन आदेश, भू–प्रब्याजि में छूट, आशय पत्र में समयावधि विस्तार, संशोधन मांगपत्र आदि की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन की जा रही है।

10.15.13 जल–आपूर्ति संयोजन हेतु ऑनलाईन आवदेन पत्र सुविधा :– इकाईयों को जल–आपूर्ति के लिये ऑनलाईन आबंटन सुविधा प्रारंभ की गई है।

10.15.14 औद्योगिक क्षेत्रों का जी.आई.एस. मैप :– राज्य में औद्योगिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक क्षेत्रों का जी.आई.एस. मैप तैयार कराया जाकर आनलाईन किया गया है। साथ ही लैण्ड बैंक की उपलब्ध भूमि का भी जी.आई.एस. मैप अद्यतन कराया जा रहा है।

10.15.15 अन्य अधोसंरचना

- **सिलतरा शापिंग काम्पलेक्स, रायपुर :–** राज्य के रायपुर जिले के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में नवीन शापिंग काम्लेक्स की स्थापना की गई है। इस भवन में भूतल तथा प्रथम तल पर कुल 121 कक्ष (व्यवसायिक दुकान–108 / कार्यालय–12 / रेस्टॉरेंट–1) निर्मित हैं। रिक्त कक्षों के आबंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।
- **व्यवसायिक परिसर तिफरा, बिलासपुर :–** राज्य के बिलासपुर जिले में तिफरा व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया गया है। इस भवन के भूतल एवं प्रथम तल में कुल 16 कक्ष (दुकान–11 / कार्यालय–4 / बैंक एटीएम–1) निर्मित किये गये तथा आबंटन किया गया है।
- **व्यवसायिक परिसर बिरकोनी महासमुंद :–** राज्य के महासमुंद जिले में एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र के अंतर्गत 10 दुकानों का निर्माण किया गया है। रिक्त दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।
- **वाणिज्यिक परिसर डंगनिया, रायपुर :–** राज्य के रायपुर शहर में निगम के आधिपत्य की भूमि पर पांच तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है। जिसमें सी.एस.आर. के अंतर्गत एटीडीसी को निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया गया है। साथ ही रेल कारीडोर परियोजना हेतु गठित छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमि. एवं छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमि. को स्थान किराये पर उपलब्ध कराया गया है। शेष स्थान / दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिये विज्ञापन जारी किया गया है।
- **उद्योग भवन, रायपुर :–** राज्य के रायपुर जिले में जी + 3 तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है, जिसके भूतल पर उद्योग संचालनालय एवं प्रथम तल पर सीएसआईडीसी मुख्यालय स्थापित है। परिसर के द्वितीय तल पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल एवं तृतीय तल पर एमएसटीसी लि. एवं ई.सी.जी.सी. लि. मासिक किराये पर आबंटित है। इसके अतिरिक्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर को कार्यालय हेतु भी आबंटित किया गया है।
- **व्यवसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, कबीरधाम :–** राज्य के कबीरधाम जिले में हरिनछपरा औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया गया जिसमें भूतल पर 6 दुकाने एवं प्रथम तल पर 1 प्रशासकीय भवन कुल 7 भवनों के आबंटन / किराये पर देने विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

- **व्यवसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर :—** राज्य के बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में एसाईड प्रोजेक्ट के अंतर्गत दो गोडाउन निर्माण किया गया है। निर्यातक उद्योग अथवा अन्य इकाईयों को नियम एवं शर्तों के अधीन किराये पर गोडाउन आबंटित करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

- **औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर :—** राज्य के औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर में वेयर हाऊस पर्पस के आरक्षित 8,000 वर्गफीट भूमि के आबंटन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

10.15.16 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, नई राजधानी, रायपुर :— छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत से एक दशक की अवधि में व्यापार एवं उद्योग की दिशा में तीव्र गति से हुए विकास एवं राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश तथा आयात–निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनी, कान्फ्रेन्स, सेमिनार इत्यादि के लिये एक सर्व सुविधायुक्त ट्रेड सेंटर जिसमें आयात–निर्यात से संबंधित गतिविधियों के लिये एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेंटर का प्रावधान भी हो, के निर्माण की आवश्यकता को दृष्टिगत् रखते हुए राज्य शासन द्वारा नई राजधानी क्षेत्र के ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। उक्त परियोजना का निर्माण कार्य नोडल एजेन्सी छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा नया रायपुर में नया रायपुर डेव्हलपमेंट एजेंसी से पट्टे पर प्राप्त कुल 100 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। कुल पुनरीक्षित परियोजना लागत रू. 192.14 करोड़ है।

वर्तमान में उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत कुछ आंतरिक सड़कों के साथ–साथ प्रदर्शनी परिसर, कल्चरल प्रोग्राम ग्राऊण्ड, पाथवेज एवं बाऊण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 700 सीटर आडिटोरियम सहित Export Facilitation cum Convention Centre तथा Cultural Programme Stage का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

10.15.17 अन्य मुख्य कार्यकलाप :— विभाग के उपक्रम सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास हेतु देश–विदेश के औद्योगिक समूहों/उद्योगपतियों की राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु रूचि जागृत करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयार की गई वेबसाइट को और अधिक व्यवस्थित किया गया है। इसमें राज्य के वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक अधोसंरचना, नीतियां तथा स्थापित विकास केन्द्रों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस वेबसाइट का पता www.csidc.in है।

10.16 उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण :— इस सर्वेक्षण में कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत समस्त फैक्ट्री, बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों को शामिल किया जाता है। विगत उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (2011–12 से 2018–19) का मदवार विवरण नीचे दर्शित तालिका 10.11 में दिया गया है। इस तालिका से स्पष्ट होता है, कि वर्ष 2018–19 में कुल उत्पादन में 36.41 प्रतिशत, कुल आदाय में 38.35 प्रतिशत एवं सकल वैल्यू एडेड में 25.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2018–19 के आधार पर प्रति इकाई निष्पादन का विस्तृत विवरण तालिका 10.12 में दर्शित है।

तालिका 10.11 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र की चयनित विशेषताओं का अनुमान (लाख रू.)									
क्र.	विशेषताएं	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016-17	2017-18	2018-19 (P)	प्रतिशत वृद्धि
1	कारखानों की संख्या	2441	2534	2809	3037	3009	3352	3576	6.68
2	स्थायी पूंजी	6030773	6408052	7793471	8601196	12513740	11276704	11523679	2.19
3	कार्यशील पूंजी	4994654	5035782	7022346	5052668	997278	374077	1252319	234.78
4	पूंजी निवेश	7916990	8091611	9709592	10157306	14293149	13233410	14011199	5.88
5	बकाया ऋण	3930857	3318023	3642340	5127954	6621648	5350086	4714709	-11.88
6	कुल उत्पादन	10352834	10599069	11977648	9731760	10866631	12560528	17133370	36.41
7	कच्चे माल का उपयोग	6183728	5976498	6873188	5408681	5977077	7543325	10572419	40.16
8	ईंधन खपत	879555	890129	1116519	1078913	1144217	1345576	1763128	31.03
9	कुल आदाय	8514861	8153091	9751457	8332273	9159242	10604081	14671040	38.35
10	सकल वेल्यू एडेड	1837972	2157709	2226191	1399487	1707652	1956447	2462331	25.86
11	शुद्ध वेल्यू एडेड	1521724	2125353	1815125	939603	1138267	1449542	1874773	29.34
12	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	1072289	1232281	1407004	1253597	1291546	866708	990668	14.30
13	सकल पूंजी निर्माण	1169576	1300026	1339751	1093147	1432718	1143164	1539915	34.71
14	लाभ	669450	1261218	805046	-38707	-101798	58863	253818	331.20

Source- csoisw.gov.in

तालिका 10.12 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र की प्रति इकाई निष्पादन									
क्र.	सूचक	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016-17	2017-18	2018-19 (P)	% वृद्धि
1	स्थायी पूंजी	2471	2529	2774	2832	4025	3364	3223	-4.19
2	कार्यशील पूंजी	2046	1987	2500	1664	321	112	350	212.50
3	पूंजी निवेश	3243	3193	3457	3345	4597	3948	3918	-0.76
4	बकाया ऋण	1610	1309	1297	1688	2130	1596	1318	-17.42
5	कुल उत्पादन	4241	4183	4264	3204	3495	3747	4791	27.86
6	कच्चे माल का उपयोग	2533	2359	2447	1781	1923	2250	2956	31.38
7	ईंधन खपत	360	351	397	355	368	401	493	22.94
8	कुल आदाय	3488	3217	3472	2744	2946	3164	4103	29.68
9	सकल वेल्यू एडेड	753	852	793	461	549	584	689	17.98
10	शुद्ध वेल्यू एडेड	623	839	646	309	366	432	524	21.30
11	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	439	486	501	413	415	259	277	6.95
12	सकल पूंजी निर्माण	479	513	477	360	461	341	431	26.39
13	लाभ	274	498	287	-13	-33	18	71	294.44

Source- csoisw.gov.in

10.16.1 छत्तीसगढ़ राज्य में महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान:—उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2017—18 से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तीन उद्योग है— खाद्य उत्पादों का विनिर्माण, गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्माण तथा मूल धात्विक उत्पादन है जिसका **सकल घरेलू उत्पाद में 5.68 प्रतिशत, 10.31 प्रतिशत एवं 65.05** प्रतिशत क्रमशः योगदान रहा। जिसका विवरण सारणी 10.13 में दर्शाया गया है—

तालिका 10.13 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान (लाख रू.) वर्ष 2017—18

क्र.	महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान (लाख रू.)					उद्योगों का प्रतिशत योगदान		
	विशेषताएं	All	10	23	24	10	23	24
1	कारखानों की संख्या	3352	1450	314	607	43.26	9.37	18.11
2	स्थायी पूंजी	11276704	159987	1389463	6247116	1.42	12.32	55.40
3	कार्यशील पूंजी	374077	181224	128476	1375344	48.45	34.34	367.66
4	पूंजी निवेश	13233410	395075	1607270	7397930	2.99	12.15	55.90
5	बकाया ऋण	5350086	185350	498821	3660975	3.46	9.32	68.43
6	कुल उत्पादन	12560528	1317876	924375	8120479	10.49	7.36	64.65
7	कच्चे माल का उपयोग	7543325	851931	318535	5201526	11.29	4.22	68.96
8	ईंधन खपत	1345576	40469	275238	959067	3.01	20.46	71.28
9	कुल आदाय	10604081	1206678	722611	6847724	11.38	6.81	64.58
10	**सकल वेल्यू एडेड**	1956447	111198	201764	1272755	5.68	10.31	65.05
11	शुद्ध वेल्यू एडेड	1449542	90048	107646	998768	6.21	7.43	68.90
12	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	866708	19180	132008	541638	2.21	15.23	62.49
13	सकल पूंजी निर्माण	1143164	86494	191637	653388	7.57	16.76	57.16
14	**लाभ**	58863	25868	11489	121664	43.95	19.52	206.69

स्त्रोत — उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 17—18 10 (NIC'08)= खाद्य उत्पादों का विनिर्माण, 23 (NIC'08)= गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्माण(सीमेंट सहित), 24 (NIC '08) = मूल धात्विक उत्पादों का विनिर्माण

Source- csoisw.gov.in

10.16.2 अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य की तुलना:— अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य के कारखाना क्षेत्र के ऑकड़ों का वर्ष 2017—18 एवं 2018—19 का तुलनात्मक विवरण तालिका क. 10.14 में दर्शित है।

तालिका 10.14 अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य का कारखाना क्षेत्र का तुलनात्मक विवरण (लाख रू.)

विशेषताएं	2017—18			2018—19 (P)		
	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ.ग. का प्रतिशत भाग	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ.ग. का प्रतिशत भाग
कारखानों की संख्या	237684	3352	1.41	242395	3576	1.48
स्थायी पूंजी	329341000	11276704	3.42	346677252	11523679	3.32
कार्यशील पूंजी	64411890	374077	0.58	80872883	1252319	1.55
पूँजी निवेश	446846553	13233410	2.96	477799539	14011199	2.93
बकाया ऋण	133880064	5350086	4.00	130593011	4714709	3.61
कुल उत्पादन	808167115	12560528	1.55	928336190	17133370	1.85
कच्चे माल का उपयोग	512505377	7543325	1.47	610740645	10572419	1.73

तालिका 10.14 अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य का कारखाना क्षेत्र का तुलनात्मक विवरण (लाख रू.)						
विशेषताएं	2017–18			2018–19 (P)		
	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ.ग. का प्रतिशत भाग	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ.ग. का प्रतिशत भाग
ईंधन खपत	34979770	1345576	3.85	40924015	1763128	4.31
कुल आदाय	660681736	10604081	1.61	774804505	14671040	1.89
सकल वेल्यू एडेड	147485379	1956447	1.33	153531684	2462331	1.60
सकल स्थायी पूंजी निर्माण	33105797	866708	2.62	34472276	990668	2.87
सकल पूंजी निर्माण	43311325	1143164	2.64	48716458	1539915	3.16
लाभ	58469673	58863	0.10	55375124	253818	0.46
श्रमिक संख्या	12224402	147310	1.21	12795269	170823	1.34
काम में लगे कुल व्यक्ति	15614598	185805	1.19	16277019	213167	1.31

Source- csoisw.gov.in

10.17 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (IIP) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दर मापी जाती है। विश्व के लगभग सभी देशों में इस सूचकांक का आकलन किया जाता है। इसके अलावा भारत के प्रमुख राज्य में भी राज्य स्तरीय औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक तैयार किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में इस सूचकांक के तैयार नहीं होने के कारण भारत के सूचकांक को मानते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय संपूर्ण भारत के लिए मासिक IIP संकलन कर जारी करता है।

तालिका 10.15 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक							
क्षेत्र	भार (Weight)	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक		औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अप्रैल से नवम्बर		प्रतिशत वृद्धि	
		नव. 20	अक्टू. 21	2020–21	2021–22	अक्टू.21	अप्रैल से नवंबर
सामान्य सूचकांक	100	126.7	133.7	105.8	127.0	5.5	20.0
खनन	14-37	106.6	109.7	87.1	104.9	2.9	20.4
विनिर्माण	77-63	128.5	134.7	104.2	126.3	4.8	21.2
विद्युत	7-99	144.8	167.3	155.7	173.4	15.5	11.4
स्त्रोत– mospi.gov.in							

ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग)

10.18 प्रदेश में टसर कृमिपालन का कार्य परंपरागत है। संचालित योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन विशेष कर अनुसूचित जाति जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ राज्य को दो प्रकार की रेशम प्रजातियों टसर एवं मलबरी ककून का उत्पादन होता है।

10.18.1 पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना :– इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में उपलब्ध साजा–अर्जुन के टसर खाद्य पौधों पर टसर कीट पाले जाते हैं। इस योजना को अपनाने के लिये हितग्राहियों को किसी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कृषक जिनकी स्वयं की भूमि पर पर्याप्त मात्रा में टसर खाद्य पौधे उपलब्ध हैं, इस योजना को अपना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विभाग द्वारा टसर स्वस्थ्य डिम्ब समूह रियायती दर पर 2.00 प्रति स्व.समूह (अंडे) की दर से प्रति कृषक को 100 स्वस्थ्य डिम्ब समूह उपलब्ध कराया जाता है। जिससे वर्ष में तीन फसल कृषकों द्वारा उत्पादित की जा सकती हैं। प्रत्येक फसल में 8,000 से 10,000 टसर कोसा का उत्पादन कर 500 रू से 3,000 रू. प्रति हजार मूल्य कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, उक्त योजना प्रदेश के 28 जिलों में संचालित 427 टसर कोसा बीज केन्द्रों एवं नवीन (राजस्व/वन भूमि) विस्तार केन्द्र तथा चिन्हांकित वन क्षेत्रों में योजना कियान्वित की जा रही है।

वर्ष 2020–21 में कुल 959.63 लाख नग पालित कोसा का उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध माह मार्च–2021 तक 742.045 लाख नग कोसा का उत्पादन हुआ साथ ही 31,407 हितग्राही/श्रमिको को लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरूद्ध माह मार्च–2021 तक कुल 28,263 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हुये हैं।

वर्ष 2021–22 में कुल 960 लाख नग पालित कोसा का उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध माह सितम्बर–2021 तक कुल 204.602 लाख नग कोसा का उत्पादन हो चुका है साथ ही 31,385 हितग्राही/श्रमिकों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरूद्ध, सितम्बर–2021 तक कुल 14,588 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हो चुके हैं।

तालिका 10.16 विगत वर्षों की पालित प्रजाति के टसर ककून उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	21–22 (सित 21)
1	पालित टसर	लाख नग में	769.367	874.002	851.543	948.302	982.40	742.045	204.602
2	लाभान्वित हितग्राही /श्रमिक	संख्या में	34587	33639	34117	33095	31593	28263	14588

10.18.2 नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना :— वर्ष 2020–21 में नैसर्गिक ककून का प्रस्तावित लक्ष्य 1,750.21 लाख नग कोसा का लक्ष्य प्रस्तावित है जिससे 58,311 हितग्राही/संग्रहक लाभान्वित करने का लक्ष्य है। माह मार्च–2021 तक अनुमानित कुल 907.76 लाख कोसा का संग्रहण हुआ जिससे 25,408 अनुमानित हितग्राही लाभान्वित हुए। वर्ष 2021–22 में कुल 1,700 लाख नग नैसर्गिक कोसा का उत्पादन लक्ष्य प्रस्तावित है, तथा 58,639 हितग्राही लाभान्वित करना प्रस्तावित है। माह सितम्बर 2021 तक कुल 120.588 लाख नग कोसा का उत्पादन हो चुका है जिससे कुल 4,162 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हो रहे हैं।

तालिका 10.17 विगत वर्षों में नैसर्गिक ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22 (सितं.21)
1	लगाये गये केम्प	संख्या	168	224	590	120	139	46	23
2	नैसर्गिक ककून उत्पादन	लाख नग	693.818	1110.157	1975.802	990.817	1624.34	907.76	120.588
3	लभान्वित हितग्राही	संख्या	29042	44099	46386	32765	53268	25408	4162

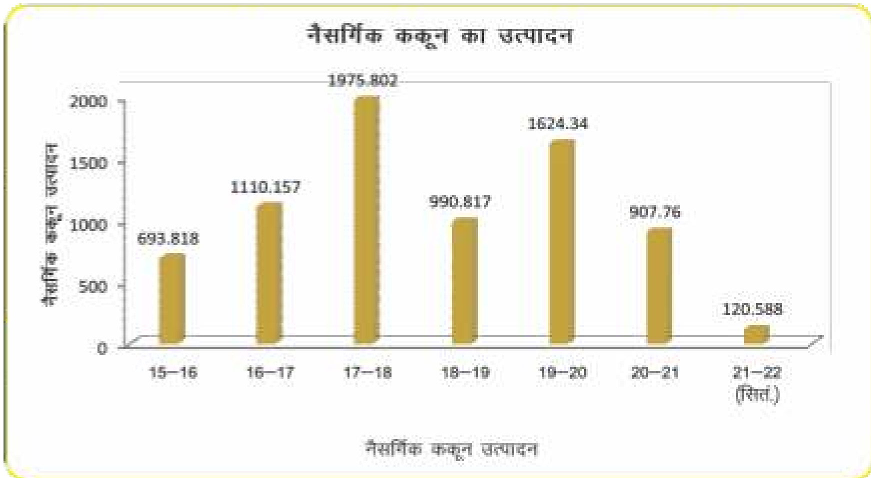

10.18.3 टसर धागा करण योजना :– प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्ष 2020–21 में सांख्यिकी आधार पर 493.94 मि.टन टसर रा सिल्क एवं स्पन सिल्क उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध माह मार्च – 2021 तक कुल 292.859 मि0ट0 रा सिल्क का उत्पादन हुआ। वर्ष 2021–22 में सांख्यिकी आधार पर 484.159 मि.टन टसर रा सिल्क एवं स्पन सिल्क उत्पादन प्रस्तावित है, माह सितम्बर–2021 तक कुल 54.808 मि.ट. रा सिल्क का उत्पादन सांख्यिकी आधारित है।

तालिका 10.18 विगत वर्षों में रा–सिल्क एवं स्पन सिल्क का उत्पादन विवरण

क्र.	विवरण	इकाई	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21–22 (सित.21)
1	टसर रॉ एवं स्पन धागा उत्पादन सांख्यिकी आधारित	मि.टन में	254.168	353.13	522.892	340.406	472.228	292.859	54.808

10.18.4 मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना :– प्रदेश में 66 रेशम केन्द्र, 18 ककून बैंक 04 यार्न बैंक संचालित हैं।

वर्ष 2020–21 में 72,600 किलोग्राम लक्ष्य प्रस्तावित है, जिससे कुल 3,200 हितग्राही/श्रमिको को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है माह मार्च–2021 तक कुल 58,428 किलोग्राम कोसा का उत्पादन हुआ जिससे 2,763 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हुए। वर्ष 2021–22 में 70,000 किलोग्राम लक्ष्य प्रस्तावित है जिससे कुल 2,965 हितग्राही/श्रमिकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है, माह सितम्बर – 2021 तक कुल 18,173 किलोग्राम कोसा का उत्पादन हुआ जिससे 1,580 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हुये हैं।

तालिका 10.19 विगत वर्षों में पालित मलबरी, ककून का उत्पादन

क्र.	विवरण	इकाई	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	21–22 (सित.21)
1	मलबरी ककून उत्पादन	कि0ग्रा0 में	68918	60501	68639	68914	57275	58428	18173
2	लाभान्वित हितग्राही/श्रमिक	संख्या	3242	2675	2936	3137	2469	2763	1580

रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2020–21 में 92,678 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित लक्ष्य के विरूद्ध माह मार्च – 2021 तक कुल 56,434 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हुए। वर्ष 2021 –22 में 92,989 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित का लक्ष्य रखा गया है माह सितम्बर–2021 तक कुल 20,330 हितग्राही/श्रमिको को लाभान्वित किया गया है।

ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

10.19 ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हाथकरघा उद्योग का रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यह उद्योग हाथकरघा बुनाई के परंपरागत धरोहर को अक्षुण्य बनाए रखने के साथ ही बुनकर समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 19,265 करघों पर लगभग 57,795 बुनकर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न हैं। राज्य के जांजगीर –चांपा एवं रायगढ़ जिला कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं, तथा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुन्द, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर एवं जगदलपुर सूतीवस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। राज्य के कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हैं।

तालिका 10.20 हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियां रोजगार

क्र.	विवरण	वर्ष वार प्रगति				
		2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1	बुनकर समितियां	230	245	256	265	292
2	कार्यशील करघे	16699	17747	18598	19265	19265
3	बुनाई रोजगार	50091	53241	55774	57795	57795

10.19.1 नेशनल हैण्डलूम एक्सपो एवं हाथकरघा प्रदर्शनी:– प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों के विपणन को प्रोत्साहित्त करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन के सहयोग से हाथकरघा संघ द्वारा वर्ष 2018–19 में रायपुर में नेशनल हैण्डलूम एक्सपो किया गया एवं स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो भोपाल (मध्यप्रदेश) में आयोजित किया गया। वर्ष 2019–20 में जिला स्तरीय प्रदर्शनी काय आयोजन राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बिलासपुर, कांकेर, कोण्डागांव, गोंदिया, अमरावती (महाराष्ट्र), उज्जैन (मध्यप्रदेश) में किया गया। वर्ष 2020–21 में पूरे देश में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की फैलाव की दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन होने के कारण एवं भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी समय–समय पर गाईड–लाइन को दृष्टिगत रखते हुए प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया गया है।

तालिका 10.21 नेशनल हेण्डलूम एक्सपो एवं हाथकरघा

वर्ष	प्रदर्शन हेतु आबंटन राशि			हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री
	राज्य	केन्द्र	योग	
2014–15	61.00	112.00	173.00	976.00
2015–16	61.00	128.00	189.00	987.50
2016–17	62.00	46.00	108.00	311.00
2017–18	65.00	30.00	95.00	480.00
2018–19	65.00	34.00	99.00	369.00
2019–20	62.00	0	62.00	188.63
2020–21	0	0	0	0 (कोविड–19)

10.19.2 शासकीय विभागों में हाथकरघा वस्त्र प्रदाय :– छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ द्वारा प्रदेश के बुनकर सहकारी समितियों के माध्यम से शासकीय वस्त्र प्रदाय योजनान्तर्गत वस्त्र उत्पादन कार्यक्रम संचालित है। इस योजनान्तर्गत शासकीय विभागों में लगने वाले वस्त्रों की आपूर्ति, प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों से उत्पादन कराकर की जा रही है। इस योजना से राज्य के बुनकरों को नियमित रोजगार सुलभ हुआ है।

तालिका 10.22 शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना से नियमित रोजगार						
क्र.	विवरण	वर्षवार प्रगति				
		2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1	आपूर्ति	147.00	159.72	193.84	181.97	184.64
2	धागा प्रदाय	60.00	64.30	70.00	49.66	40.43
3	बुनाई पारिश्रमिक	49.99	51.18	75.16	47.62	30.32

10.20 छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों की इकाई स्थापना कराना है तथा उन्नत तकनीक के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत कातने वाली महिलाओं को रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना है। बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से कियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

10.20.1 मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :– छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित परिवार मूलक योजना को संशोधित कर मुख्यमंत्री रोजगार एवं सृजन कार्यक्रम नवीन योजना की स्वीकृति दी गई है। यह राज्य शासन की योजना है। इस योजनांतर्गत परियोजना लागत राशि सेवा क्षेत्र हेतु रू. 1.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र हेतु रू. 3.00 लाख तथा अनुदान राशि की सीमा 35 प्रतिशत है, जिसमें लाभार्थी द्वारा स्वयं अंशदान विनियोजन 5 प्रतिशत है। इस योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना करा कर स्वरोजगार से लगाने हेतु लाभान्वित किया जाता है ।

तालिका 10.23 परिवार मूलक योजना की प्रगति (राशि लाख)						
वर्ष	लक्ष्य			पूर्ति		
	भौतिक	वित्तीय	रोजगार	भौतिक	वित्तीय	रोजगार
2017–18	489	512.50	2934	799	512.50	4794
2018–19 (सित.)	583	612.50	3498	209	117.54	1254
2018–19	583	612.50	3498	643	397.89	3858
2019–20 (सित.)	624	655.50	3744	440	283.42	2640
2019–20	624	655.50	3744	686	426.00	4116
2020–21 (सित.)	661	694.83	3966	206	112.50	1236
2020–21	661	694.83	3966	465	486.38	2790
2021–22 (सित.)	728	764.30	4368	39	27.81	234

10.20.2 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :– इस योजनांतर्गत रू. 25.00 लाख तक के परियोजना लागत की ग्रामोद्योग इकाईयां स्थापित करने पर सामान्य पुरूष वर्ग को 25 प्रतिशत तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. व महिलाओं को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। सामान्य वर्ग के पुरूष हितग्राही को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा अन्य को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान विनियोजित करना होता है।

तालिका 10.24 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख)

वर्ष	लक्ष्य			पूर्ति		
	भौतिक	वित्तीय	रोजगार	भौतिक	वित्तीय	रोजगार
2017–18	422	845.00	3376	498	1024.04	3984
2018–19 (सितं.)	761	1901.73	6088	381	775.41	3048
2018–19	761	1901.73	6088	906	1982.00	7248
2019–20 (सितं.)	833	2499.00	6664	387	886.05	3096
2019–20	833	2499.00	6664	932	2094.04	7456
2020–21 (सितं.)	887	2661.00	7096	218	478.75	1744
2020–21	887	2661.00	7096	1020	2196.36	8160
2021–22 (सितं)	1068	3193.40	8544	215	490.87	1720

10.20.3 कारीगर प्रशिक्षण :– इस योजनांर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत युवक – युवतियों को ग्रामोद्योग स्थापना संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर उसे सफलता पूर्वक संचालित कर सकें।

तालिका 10.25 कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख रू. में)

वर्ष	लक्ष्य		पूर्ति	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
2017–18	201	48.43	201	48.60
2018–19 (सितं.)	203	48.53	203	19.43
2018–19	203	48.53	203	31.59
2019–20 (सितं.)	234	52.005	234	20.82
2019–20	234	52.005	234	29.50
2020–21 (सितं.)	257	55.17	-	-
2020–21	274	39.45	274	29.42
2021–22 (सितं)	379	60.69	-	-

10.20.4 खादी उत्पादन :–खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित 8 उत्पादन केन्द्र संचालित हैं, जहां ग्रामीण महिलाओं को अम्बर चरखा से सूत कताई का कार्य नियमित रूप से दिया जा रहा है एवं बुनकरों द्वारा खादी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है।

तालिका 10.26 खादी उत्पादन कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख रू. में)				
वर्ष	लक्ष्य		पूर्ति	
	वित्तीय	रोजगार	वित्तीय	रोजगार
2017–18	350.00	507	350.01	507
2018–19 (सितं.)	385.36	517	159.44	517
2018–19	350.00	520	320.59	520
2019–20 (सितं.)	425.00	584	317.58	584
2019–20	425.00	584	431.48	585
2020–21 (सितं)	500.00	579	183.38	579
2020–21 (मार्च)	500.00	579	308.03	585
2021–22 (सितं)	550.00	589	191.84	576

10.20.5 पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केन्द्र (बांस कला केन्द्र) :– बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जगदलपुर में पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केन्द्र (बांसकला केन्द्र), संचालित है। इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुयें तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार–प्रसार किया जाता है, इस केन्द्र पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है।

तालिका 10.27 बांस कला/शिल्प कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख रू. में)					
वर्ष	विवरण	लक्ष्य		पूर्ति	
		वित्तीय	रोजगार	वित्तीय	रोजगार
2017–18	उत्पादन	26.08	42	29.63	42
	विक्रय	30.60	42	30.64	विभागीय
2018–19 (सितं.)	उत्पादन	28.68	42	16.61	42
	विक्रय	33.66	विभागीय	12.54	विभागीय
2018–19	उत्पादन	28.68	42	36.93	42
	विक्रय	33.66	विभागीय	34.59	विभागीय
2019–20 (सितं.)	उत्पादन	32.00	42	29.35	42
	विक्रय	37.00	विभागीय	24.80	विभागीय
2019–20	उत्पादन	32.00	42	38.02	46
	विक्रय	37.00	विभागीय	37.60	विभागीय
2020–21 (सितं.)	उत्पादन	32.00	42	5.32	42
	विक्रय	37.00	विभागीय	3. 04	विभागीय
2020–21(मार्च)	उत्पादन	32.00	42	5.32	42
	विक्रय	37.00	विभागीय	23.71	विभागीय
2021–22(सितं.)	उत्पादन	35.20	42	8.11	42
	विक्रय	40.70	विभागीय	5.46	विभागीय

10.20.6 विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार :– इसके अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में स्थित खादी ग्रामोद्योग भंडारों के माध्यम से खादी उत्पादन केन्द्रों, बांस कला केन्द्र एवं बोर्ड के माध्यम से लाभान्वित ग्रामोद्योग इकाईयों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का विक्रय किया जा रहा है।

तालिका 10.28 विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार की प्रगति (राशि लाख रू. में)					
वर्ष	विवरण	लक्ष्य		पूर्ति	
		वित्तीय	रोजगार	वित्तीय	रोजगार
2017–18	विक्रय	600.00	विभागीय	610.20	विभागीय
2018–19 (सितं.)	विक्रय	659.98	विभागीय	106.58	विभागीय
2018–19	विक्रय	659.98	विभागीय	265.91	विभागीय
2019–20 (सितं.)	विक्रय	725.00	विभागीय	816.88	विभागीय
2019–20	विक्रय	725.00	विभागीय	888.87	विभागीय
2020–21 (सितं.)	विक्रय	500.00	विभागीय	89.29	विभागीय
2020–21 (मार्च)	विक्रय	500.00	विभागीय	781.01	विभागीय
2021–22 (सितं)	विक्रय	550.00	विभागीय	66.19	विभागीय

विद्युत एवं आधारभूत संरचना

11

विद्युत एवं आधारभूत संरचना

मुख्य बिन्दु

- विद्युत क्षेत्र (गैस एवं पानी आपूर्ति सहित) की वर्ष 2021–22(A) में भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 25,04,090 लाख रूपए है।
- राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता (नवंबर 2000) में 1,360 मेगावाट से बढ़कर 2,984.70 (अक्टूबर 2021 तक) मेगावाट हो गई है। इस प्रकार 21 वर्षों में स्थापित क्षमता में 119% की अभिवृद्धि हुई है।
- वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्चदाब की कुल लाईनें 5,205.46 सर्किट कि.मी. थीं, जो कि वर्ष 2020–21 में बढ़कर 13,142 सर्किट कि.मी. हो गईं।
- वर्ष 2020–21 में वितरण हानि का प्रतिशत 16.84 रहा। जो कि वर्ष 2019–20 की अपेक्षा 0.03 प्रतिशत ज्यादा रहा।
- वर्ष 2020–21 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 59 लाख 03 हजार है, जो वर्ष 2019–20 की तुलना में 1.95 प्रतिशत अधिक है।
- हॉफ बिजली बिल स्कीम अंतर्गत वर्ष 2020–21 में अगस्त 2021 तक राज्य के लगभग 40.22 लाख उपभोक्ताओं को रू. 405.89 करोड़ की छूट दी जा चुकी है।
- वर्ष 2020–21 में राज्य के उपभोक्ताओं द्वारा कुल 23,361.34 मिलियन यूनिट विद्युत की खपत की गई जो वर्ष 2019–20 की खपत से 2.49 प्रतिशत अधिक है।
- वर्श 2020–21 में उपभोक्ताओं से विद्युत खपत एवं अन्य चार्ज के विरूद्ध कुल रू. 13,294.53 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया।
- वर्ष 2021–22 में माह 09 / 2021 तक 1,220 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया।
- ''जवाहर सेतु योजना'' अंतर्गत पुलों का निर्माण कर पहुंचविहीन गांवों तक आवागमन हेतु कनेक्टीविटी की योजना है।
- परिवहन क्षेत्र (रेल के अलावा) की वर्ष 2021–22 (अग्रिम) भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 5,83,314 लाख रू. अनुमानित है।

विद्युत

11.1 आर्थिक विकास में विद्युत की उपलब्धता की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ–साथ व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर को भी बेहतर करता है। सम्पत्ति निर्माण एवं विद्युत उपयोग में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। राज्य में अनुकूल परिस्थितियों, संसाधनों की प्रचुरता आदि के कारण विद्युत क्षेत्र में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हो रही है। जो नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए ऑकड़ों से स्पष्ट होता है।

तालिका 11.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विद्युत, गैस एवं पानी आपूर्ति का योगदान (स्थिर भाव 2011–12)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
योगदान (लाख रु.)	1446947	1696875	1902591	2046201	2338184	2297097	2504090
वृद्धि (प्रतिशत)	25.76	17.27	12.12	7.55	14.27	-1.76	9.01
योगदान (प्रतिशत)	8.03	8.72	9.51	9.16	10.01	9.95	9.77

11.1.1 राज्य निर्माण के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2000 से अभी तक विद्युत उत्पादन का केन्द्र बनने में लंबा सफर तय किया है। राज्य, देश में तापीय कोयले के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।

11.1.2 राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता राज्य गठन के समय (नवंबर 2000) में 1,360 मेगावाट थी, जो 21 वर्षों में बढ़कर (अक्टूबर 2021 तक) 2,984.70 मेगावाट हो गई है। इस प्रकार स्थापित क्षमता में 119% की अभिवृद्धि हुई है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली (CEA) की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के निजी क्षेत्रों के विद्युत गृहों द्वारा माह अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 तक कुल 1,09,670 मिलियन युनिट विद्युत का उत्पादन किया गया।

11.2 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्या.:— विगत् वित्त वर्ष 2020—21 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों व लक्ष्य के विरूद्ध अर्जित उपलब्धियों, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति आदि के साथ आगामी वित्त वर्ष 2021—22 हेतु निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों, कार्यक्रमों की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :—

(i) **उत्पादन संकाय :—**

(1) **विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन :—** राज्य गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1,360 मेगावाट थी, जो विगत 21 वर्षों में बढ़कर 3,224.70 मेगावाट हो गई थी। कोरबा पूर्व तापविद्युत गृह की सभी इकाईयों को डीकमिशनिंग करने के पश्चात् वर्तमान में स्टेट सेक्टर की उत्पादन क्षमता 2,984.70 मेगावाट हो गई है, इसमें 2,840 मेगावाट ताप विद्युत, 138.70 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य (सह—उत्पा.) की स्थापित क्षमता है।

वित्त वर्ष 2020—21 के दौरान 18,857.681 मिलियन यूनिट (तापीय 18389.35 जलीय 462.532 एवं अन्य सह—उत्पादन 5.811 मिलियन यूनिट) विद्युत का उत्पादन किया गया।

तालिका क. 11.2 वर्षवार उत्पादन क्षमता, उत्पादन तथा खपत

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	2424.40	2424.70	2924.70	3424.70	3424.70	3224.70	3224.70	2984.70
उत्पादन (मिलियन यूनिट)	12863.54	15931.29	15603.92	18097.43	21084.17	21552.40	18489.09	18857.68
खपत (मिलियन यूनिट)	14789.25	17101.40	18600.63	19162.00	20303.23	22284.19	22793.08	23360.96

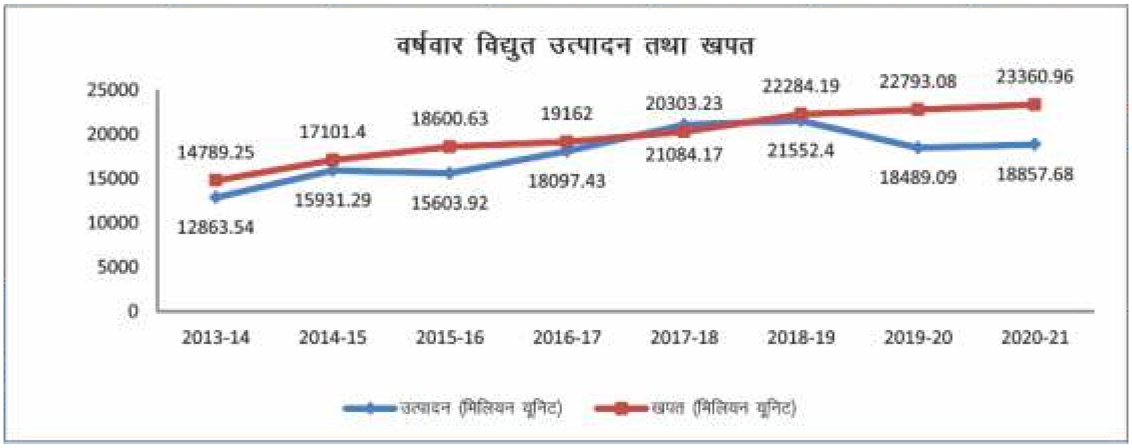

तालिका 11.3 विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन			
क्रं.	विद्युत परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	परिचालन वर्ष
I	**ताप विद्युत गृह**		
1	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व	2 X 250 =500	2007
2	हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम	...	1983 - 1986
3	कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र	1 X 500=500	2013
4	अटल बिहारी बाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा जांजगीर–चांपा	2 X 500=1000	2016
	कुल ताप विद्युत क्षमता (मेगावाट)	**2840**	
II	**जल विद्युत गृह –**		
1	मिनीमाता हसदेव–बांगो जल विद्युत गृह	3 X 40= 120	1994,1995
2	जल विद्युत गृह गंगरेल	4 X 2.5= 10	2004
3	जल विद्युत गृह सिकासार	2 X 3.5= 7	2006
4	लघु जल विद्युत गृह (कोरबा पश्चिम)	2 X 0.85=1.70	2003, 2009
	कुल जल विद्युत क्षमता (मेगावाट)	**138.70**	
III	**अन्य**		
1	भोरमदेव सह–उत्पादन, कवीरधाम	1 X 6 = 6	2006
	योग	**2984.70 MW**	

उपरोक्त बिजली के उत्पादन एवं प्लांट लोड फेक्टर का विवरण तालिका 11.4 में दर्शाया गया है (25 मेगावाट से कम राज्य के विद्युत संयंत्र शामिल नहीं हैं) :–

तालिका 11.4 छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उत्पादन एवं पारदर्शिता						
क्षेत्र	चालिका शक्ति	उत्पादन (MU)			पी.एल.एफ. प्रतिशत	
		अप्रैल 20 से सितंबर 20	अप्रैल 21 से सितंबर 21	अंतर प्रति. (%)	अप्रैल 20 से सितंबर 20	अप्रैल 21 से सितंबर 21
राज्यीय	तापीय	11070.11	9967.305	-11.06	69.98	68.33
	जल विद्युत	362.355	338.349	-7.10		

तालिका 11.5 खपत उपलब्धियॉं		
विविध	वर्ष	उपलब्धियां
संयंत्र विद्युत खपत	2019–20	7.83 प्रतिशत
संयंत्र विद्युत खपत	2020–21	7.86 प्रतिशत
प्लांट लोड फैक्टर	2019–20	67.32 प्रतिशत
प्लांट लोड फैक्टर	2020–21	69.49 प्रतिशत
विशिष्ट तेल खपत	2019–20	0.522 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई
विशिष्ट तेल खपत	2020–21	0.583 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई
विशिष्ट कोल खपत	2019–20	0.720 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई
विशिष्ट कोल खपत	2020–21	0.736 कि.ग्रा. प्रति विद्युत इकाई

11.2.1 विद्युत उत्पादन संयंत्रों की विशिष्ट उपलब्धियाँ वर्ष 2019–20 :–

- वित्तीय वर्ष 2020–21 में वार्षिक विद्युत उत्पादन कुल 18,857.68 मिलियन यूनिट (तापीय 18,389.35 मिलियन यूनिट PLF 69.49% जलीय 462.532 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह–उत्पादन 5.811 मिलियन यूनिट) हुआ।

- चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में 31 अक्टूबर 2021 तक छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. के विभिन्न संयंत्रो द्वारा कुल 9,967.31 मिलियन यूनिट (तापीय 9,967.31 मिलियन यूनिट PLF 68.33% जलीय 338.349 मिलियन यूनिट एवं अन्य सह–उत्पादन 0.1333 मिलियन यूनिट) विद्युत उत्पादन किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 में (1X500 मेगावाट) कोरबा पश्चिम विस्तार ताप विद्युत गृह द्वारा सर्वकालिक अधिकतम उत्पादन 4,065.531 मिलियन यूनिट व संयंत्र उपयोगिता गुणांक 92.82% किया गया। (पिछला कीर्तिमान 4,009.976 मिलियन यूनिट व संयंत्र उपयोगिता गुणांक 91.55% वर्ष 2018–19 में था)

- (2X250 मेगावाट) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व इकाई क्रमांक 01 ने दिनांक 14.03.2020 से 01.09.2020 (171 दिन 6:20 मिनट) तक निरंतर इकाई चलाने का कीर्तिमान प्राप्त किया है जो कि इस इकाई का सर्वकालिक अधिकतम है।

- छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के जल विद्युत गृहों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में 462.532 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया जो कि छ.ग. राज्य गठन के बाद का सर्वकालिक अधिकतम उत्पादन रहा है। पिछला कीर्तिमान वित्तीय वर्ष 2001–02 में 403.25 मिलियन यूनिट का था।

- (3X40 मेगावाट) मिनीमाता हसदेव–बांगो जल विद्युत गृह, माचाडोली बांगो द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में 419.18 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया जो कि छ.ग. राज्य गठन के बाद का सर्वकालिक अधिकतम उत्पादन रहा है। पिछला कीर्तिमान वित्तीय वर्ष 2001–02 में 403.25 मिलियन यूनिट का था।

- (3X40 मेगावाट) मिनीमाता हसदेव–बांगो जल विद्युत गृह द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह– अक्टूबर 21 में स्थापना काल से सर्वकालिक अधिकतम विद्युत उत्पादन 90.10 मिलियन यूनिट (CUF 100.92%) के साथ किया गया है, जो एक कीर्तिमान है।

- छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह– अक्टूबर 21 में सर्वकालिक अधिकतम DSM charge शुल्क राशि ₹ 12.217 करोड़ अर्जित किया गया।

- छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमि. के अपने केप्टिव कोल **माइन्स गारे–पलमा III** "राबर्टसन साइडिंग" से 23 अक्टूबर 2021 से कोयला मंत्रालय की अनुमति से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व के लिए कोल की सप्लाई प्रारम्भ की गई।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमि. के अपने केप्टिव कोल **माइन्स गारे–पलमा III** से 15 नवम्बर 2021 से नयी **"घरघोडा साइडिंग"** से कोयले की सप्लाई दोनो संयंत्रो (अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह,मड़वा एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व) के लिए प्रारम्भ की गई।

11.2.2 राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि :–

- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली (CEA) की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट सेक्टर के 33 विद्युत गृहों का औसत PLF वित्तीय वर्ष 2020–21 में 50.26% रहा, वहीं छ.स्टे.पा.जन.कं. लिमिटेड 69. 49% PLF के साथ स्टेट सेक्टर में तृतीय स्थान पर रहा ।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 अक्टूबर 2021 तक की स्थिति में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली (CEA) की रिपोर्ट के अनुसार स्टेट सेक्टर के विद्युत गृहों का औसत पीएलएफ 50.57 प्रतिशत रहा एवं राष्ट्रीय ताप विद्युत गृहों का औसत पीएलएफ. 57.84 प्रतिशत रहा जबकि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड 68.33 प्रतिशत पीएलएफ के साथ स्टेट सेक्टर में चतुर्थ स्थान पर रहा।

- छ.स्टे.पा.ज.कं.लिमि. को मेसर्स. मिशन एनर्जी फाउन्डेशन महाराष्ट्र द्वारा "Best Water Management–in Ash handling" 2021 में winner एवार्ड प्राप्त हुआ।

- (1x500 मेगावॉट) कोरबा पश्चिम विस्तार को मेसर्स. मिशन एनर्जी फाउन्डेशन महाराष्ट्र द्वारा "Power Plant Performer<500MW–Coal" in Thermal Power 2021 category में एवार्ड प्राप्त हुआ।

- (2X250 मेगावॉट) डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह को मेसर्स. Council of Enviro Excellence, Mumbai द्वारा "Excellence in Energy Efficiency" in the category IPP Coal 250 – 500 MW category में Runner-up एवार्ड प्राप्त हुआ।

11.2.3 ऑक्जिलरी खपत – ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में ऑक्जिलरी में प्रयुक्त होने वाली विद्युत, ऑक्जिलरी खपत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 7.86 प्रतिशत रही ।

11.2.4 प्रदत्त विद्युत :– वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान ताप, जल एवं अन्य सह–उत्पादन विद्युत गृहों द्वारा ऑक्जिलरी खपत पश्चात उत्पादित विद्युत प्रणाली में कुल 17,408.982 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदत्त (यूनिट सेन्ट आउट) की गई इसमें ताप विद्युत उत्पादन द्वारा 16,943.30 मिलियन यूनिट, जल विद्युत उत्पादन द्वारा 461.133 मिलियन यूनिट तथा अन्य (सह–उत्पादन) द्वारा 4.549 मिलियन यूनिट प्रदत्त विद्युत रही।

11.2.5 ईंधन खपत एवं विशिष्ट ईंधन खपत (2020—21) :— वित्त वर्ष 2020—21 के दौरान ताप विद्युत गृहों की ईंधन खपत का विवरण सारणी अनुसार है।

तालिका 11.6 विद्युत संयंत्र में ईंधन खपत

विद्युत गृह का नाम	विशिष्ट ईंधन खपत	
	विशिष्ट कोयला खपत (किलोग्राम प्रति यूनिट)	विशिष्ट तेल खपत (मिलीलीटर प्रति यूनिट)
1. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व	0.691	0.332
2. हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम		
विद्युत गृह—1	0.755	1.117
विद्युत गृह—2	0.757	0.559
3. कोरबा पश्चिम संकुल	0.756	0.833
4. कोरबा पश्चिम विस्तार (इकाई क्र—5)	0.685	0.342
5. अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा, जांजगीर—चांपा	0.746	0.601
6. CSPGCL (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी)	0.736	0.583

11.3 पारेषण की उपलब्धि :— छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वित वर्ष 2020—21 के दौरान पारेषण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

11.3.1 उपकेन्द्र निर्माण :— वर्ष 2020—21 के अंत में उच्चदाब उपकेन्द्रों की कुल संख्या 121 तथा इनकी संयुक्त क्षमता 19,409 एम0 व्ही0 ए0 हो गई, जो वर्ष 2000 में क्रमशः 27 एवं 3,795 एम.व्ही.ए. थी।

तालिका 11.7 वर्षवार कंपनी द्वारा उपकेन्द्र की वोल्टेज वार जानकारी

क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रो की संख्या		
		वर्ष 2020—21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	वर्ष 2020—21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	वर्ष 2021—22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)
1	400/220 के0व्ही0 उपकेन्द्र	4	4	4
2	220/132 के0व्ही0 उपकेन्द्र	25	25	25
3	132/33 के0व्ही0 उपकेन्द्र	92	94	94
	योग	**121**	**123**	**123**

11.3.2. विद्युत लाईनों का निर्माण:— वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्चदाब की कुल लाईनें 5,205.46 सर्किट कि0मी0 थीं, जो कि 20 वर्षो में बढ़कर वर्ष 2020—21 में 13,142 सर्किट कि.मी. हो गई हैं।

तालिका 11.8 राज्य में वर्षवार विद्युत लाईनों का विवरण

क.	वोल्टेज अनुपात	अति उच्चदाब लाईनें (सर्किट कि.मी.)			
		31 मार्च 2020 की स्थिति में	वर्ष 2020—21 में वृद्धि	31 मार्च 2021 की स्थिति में	सितम्बर 2021 की स्थिति में
1	400 के वी लाईनें	1918	0	1918	1918
2	220 के वी लाईनें	4032	0	4032	4032
3	132 के वी लाईनें	6802	390	7192	7395
	योग	**12752**	**390**	**13142**	**13345**

11.4 वितरण कंपनी की उपलब्धि :– छ.रा.वि.वित.कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 (सितं 2021) के दौरान उप–पारेषण तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

11.4.1. उपकेन्द्र निर्माण :– छ.रा.वि.मंडल (वर्तमान में छ.रा.वि.वित.कंपनी मर्या.) के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब उपकेन्द्रों तथा वितरण उपकेन्द्रों की कुल संख्या मात्र 29,940 थी। इनकी संयुक्त क्षमता 2,984 एम.व्ही.ए थी। 21 वर्षो में उपकेन्द्रों की संख्या बढ़कर वर्ष 2020–21 के अंत में कुल 1,93,152 हो गये हैं तथा इनकी संयुक्त क्षमता 19,556 एम.व्ही.ए हो गई है, जो कि 21 वर्षो के कार्यकाल में उपकेन्द्र निर्माण में 545 प्रतिशत तथा उनकी क्षमता में 555 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में संयुक्त क्षमता 19,589 एम.व्ही.ए. एवं संख्या 1,96,591 हो गई है।

तालिका क. 11.9 उपकेन्द्र स्थापना की वोल्टेज अनुपात जानकारी

क्र.	वोल्टेज अनुपात	उपकेन्द्रो की संख्या		
		वर्ष 2020–21 में सितं. 2020 तक	वर्ष 2020–21 में मार्च 2021 तक	वर्ष 2021–22 में सितं. 2021 तक
1	33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र	1315	1321	1328
2	11/0.4 के.व्ही उपकेन्द्र (वितरण ट्रांसफार्मर)	184448	191831	195263
	योग :–	**174433**	**193152**	**196591**

11.4.2 विद्युत लाईनों का निर्माण :–

छ.रा.वि. मण्डल (वर्तमान में छ.रा.वि.वित.कंपनी मर्या.) गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल विद्युत लाईनों की लंबाई 98,858 कि.मी. थी, जो 21 वर्षो में बढ़कर वर्ष 2020–21 तक 3,52,788 कि.मी. एवं 30.09.2021 की स्थिति में 3,56,292 कि.मी. हो गई है।

वितरण कंपनी द्वारा विचाराधीन वर्ष 2020–21 के दौरान उच्चदाब तथा निम्नदाब की कुल 13,908 कि.मी. की नई विद्युत लाईनों का निर्माण किया गया जिससे वर्ष 2020–21 के अंत तक विद्युत लाइन की लंबाई कुल 3,52,788 कि.मी. हो गई थीं। इस प्रकार वर्षावधि में विद्युत लाईनों की लंबाई में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कंपनी गठन से 21 वर्षो की कार्यावधि में 257 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका क. 11.10 विद्युत लाईनों का निर्माण

क्र.	वोल्टेज (के.व्ही.)	वर्ष 2020–21 में सितं. 2020 तक	वर्ष 2020–21 में मार्च 2021 तक	वर्ष 2021–22 में सितं. 2021 तक
I	उच्चदाब लाईनें			
1	33 के.व्ही. लाईने	22925	23305	23372
2	11 के.व्ही. लाईने	116974	122422	123168
	कुल उच्चदाब लाईने	**139899**	**145727**	**146540**
II	निम्नदाब लाईने			
3	400–230 वोल्ट्स	199668	207061	209752
	महायोग	**339567**	**352788**	**356292**

11.4.3. वितरण हानि:– वर्ष 2020–21 में वितरण हानि का प्रतिशत 16.84 रहा। जो कि वर्ष 2019–20 के अपेक्षा 0.03 प्रतिशत ज्यादा रहा। वर्ष 2020–21 तक विगत 11 वर्षों तक निरंतर वितरण हानि में कमी परिलक्षित होती रही है। वर्ष 2021–22 में वितरण हानि 15 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्यवाही जारी है। वितरण हानि का विवरण निम्नानुसार है :–

तालिका क. 11.11 वर्षवार वितरण हानि

क.	वर्ष	विद्युत उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	खपत (मिलियन यूनिट में)	वितरण हानि (मिलियन यूनिट में)	वितरण हानि प्रतिशत में
1	2009-10	16512.28	11311.39	5200.89	31.50
2	2010-11	17435.98	12137.84	5898.14	30.39
3	2011-12	18325.03	13173.00	5152.03	28.11
4	2012-13	19124.00	14200.41	4923.59	25.74
5	2013-14	19553.25	14789.25	4764.00	24.36
6	2014-15	21966.91	17101.40	4866.00	22.15
7	2015-16	23702.45	18600.63	5101.82	21.53
8	2016-17	23530.00	19162.00	4368.00	18.56
9	2017-18	24787.00	20303.23	4483.68	18.08
10	2018-19	26716.90	22284.19	4434.71	16.60
11	2019-20	27892.57	23175.79	4716.78	16.91
12	2020-21	28092.95	23360.96	4792.00	16.84
13	2021-22 (08/2021)	13173.46	10885.21	2288.25	17.37

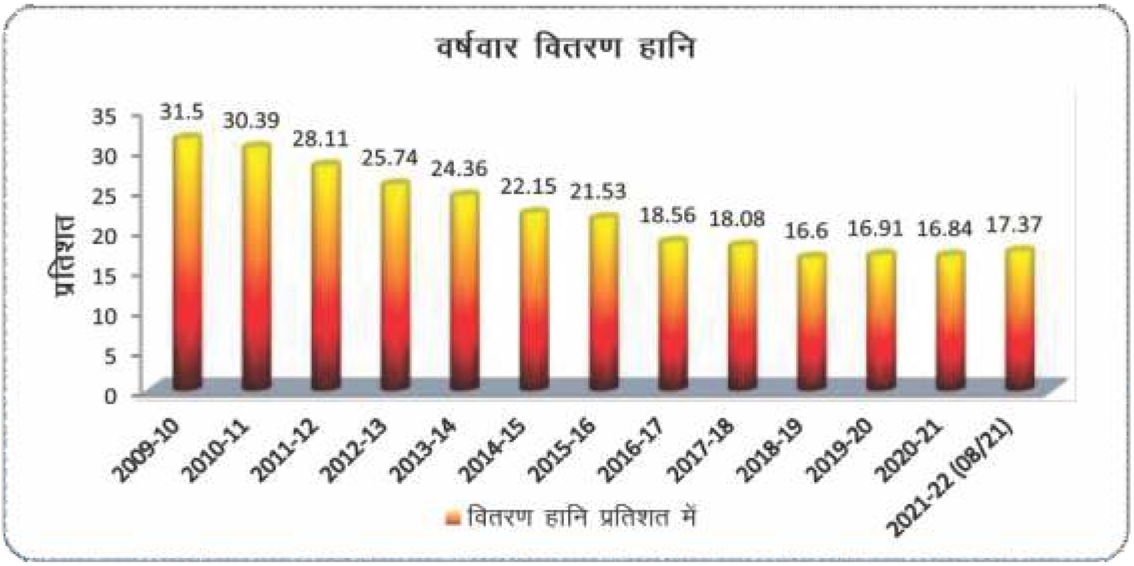

11.4.4.सामान्य विकास कार्य :–

छ.रा.वि.वित.कंपनी द्वारा उप–पारेषण तथा वितरण हेतु सामान्य विकास योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित विकास कार्य किए गए :–

तालिका क्र 11.12 सामान्य विकास कार्य उपलब्धि

क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि (2020–21) दिनांक 30.09.2020 की स्थिति में	उपलब्धि (2021–22) 31–03–2021 की स्थिति	उपलब्धि (2021–22) दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में
1	33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	0	2	3
2	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	12	85	10
3	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी	138	1033	343
4	नये विद्युत कनेक्शन के लिए निम्नदाब लाईन	कि.मी	239+27 (कनवर्सन)	1895+43 (कनवर्सन)	1153+8 (कनवर्सन)
5	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	590	3364	1783
6	वितरण ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि	संख्या	79	434	122
7	वर्षावधि में प्रदाय किये गये कनेक्शन (कुल)	संख्या	**48936**	**134577**	**59887**
i)	सिंगल फेस	संख्या	35782	96943	33716
ii)	थ्री फेस	संख्या	13126	37467	26112
8	उच्चदाब कनेक्शन	संख्या	28	167	59

11.5 मुख्यमंत्री ऊर्जा प्रवाह योजना (एस.टी.एन) :– प्रदेश की विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु इस योजना के अंतर्गत 204 नये उपकेन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है। योजना में 211 नये 33/11 के.व्ही. विद्युत सब–स्टेशन की स्थापना के साथ–साथ इस हेतु आवश्यक विद्युत लाईनों के विस्तार एवं विद्यमान 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि के कार्य सम्मिलित है। योजना अंतर्गत स्वीकृत 33/11 केव्ही के 211 उपकेन्द्रों में से दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में 205 नये 33/11 के.व्ही. विद्युत सब–स्टेशन 130 नग अति.पावर ट्रांसफारर्मर एवं 152 नग 33/11 केव्ही उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष 04 उपकेन्द्रों में वन बाधा है एवं 02 उपकेन्द्रों के कार्य प्रगति पर हैं। वर्ष के दौरान दिनांक 30.09.2021 तक रुपये 18.78 करोड़ व्यय किया गया है।

तालिका क्र 11.13 मुख्यमंत्री ऊर्जा प्रवाह योजना (एस.टी.एन)

विवरण	इकाई	उपलब्धि (2020–21) दिनांक 30.09.2020 की स्थिति में	उपलब्धि (2021–22) 31–03–2021 की स्थिति	उपलब्धि (2021–22) 30.09.2021 की स्थिति
व्यय	करोड़ में	19.46	89.43	18.78
33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	1	5	3
33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र में अति. पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना	संख्या	1	11	4
स्थापित 33/11 के.व्ही.उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि	संख्या	0	5	9

अधोसंरचना की भूमिका को देखते हुए राज्य शासन व्दारा **मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना प्रारंभ की गई है** जिसके अंतर्गत प्रदेश के आवश्यकतानुरूप प्रदेश की विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ बनान एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने हेतु 112 नये उपकेन्द्रों का निर्माण हेतु 817 करोड़ रुपये (03 वर्ष हेतु) के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2021–22 हेतु रू. 277 करोड़ लागत से 33/11 के.व्ही के 27 नये उपकेन्द्र, पावर ट्रांसफार्मर के क्षमता आवर्धन 109 नग, 147 किमी. 33 के.व्ही. लाइन एवं 351 किमी. 11 के.व्ही. लाइन स्वीकृत है।

11.6 पंपों का ऊर्जीकरण :– राज्य गठन के पूर्व राज्य में मात्र 73,369 कृषि पंप विद्यमान थे, जबकि राज्य गठन के पश्चात 18 वर्षों की अवधि में दिनॉक 30–09–2021 की स्थिति में 4,01,698 अतिरिक्त कृषि पंप कनेक्शनों का उर्जीकरण किया जा चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में कुल 4,75,067 कृषि पंप उर्जीकृत हो गए हैं। वर्ष 2021–22 में सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण हेतु राज्य शासन के बजट में रू. 150 करोड़ के अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक बजट में रु 153 करोड़ इस प्रकार कुल 303 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2021–22 में दिनांक 30.09.2021 तक रुपये 81.75 करोड़ व्यय किया गया है।

11.7 कृषक जीवन ज्योति योजना :– राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कृषक जीवन ज्योति योजना 02 अक्टूबर 2009 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को 3 अश्वशक्ति तक कृषि पम्प के बिजली बिल में 6,000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 3 से 5 अश्वशक्ति के कृषि पम्प के बिजली बिल में 7,500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। उपरोक्त छूट अस्थाई कृषि पम्पों पर भी दी जाती है। नवम्बर 2013 से कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को फ्लेट रेट दर पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प भी दिया गया है। फ्लेट रेट का विकल्प चुनने वाले कृषकों को उनके द्वारा की गई विद्युत खपत की कोई सीमा न रखते हुए, मात्र 100/ प्रतिमाह प्रति अश्व शक्ति की दर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से फ्लेट रेट की सुविधा राज्य के समस्त किसानों के सभी सिचांई पम्पों पर बिना पम्प की क्षमता के सीमा के उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अन्तर्गत किसानों को 5 अश्व शक्ति तक द्वितीय पम्प के लिए रू. 200/– अश्व शक्ति प्रतिमाह, 5 अश्व शक्ति से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पम्प के लिए रू. 200/– अश्व शक्ति प्रतिमाह, 5 अश्व शक्ति एवं 5 अश्व शक्ति से अधिक तृतीय एवं अन्य पंप के लिए रू. 300/– अश्व शक्ति प्रतिमाह की दर से बिल भुगतान हेतु सुविधा प्रदान की गई है। वर्ष 2021–22 हेतु रू. 2,500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में योजना के अंतर्गत लगभग 5.81 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

11.8 बी.पी.एल. (एकलबत्ती) कनेक्शन :– गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को बी.पी.एल. (एकलबत्ती) कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की प्रारंभिक 30 यूनिट की खपत पर कोई शुल्क नहीं है। इन बी.पी.एल. कनेक्शन धारियों के 30 यूनिट खपत के विद्युत देयक

राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है। योजना का विस्तार करते हुए अगस्त 2018 से कमजोर आय वर्ग को रू. 100 /– मासिक की दर से फ्लेट रेट पर बिजली उपलब्ध करायी जा रही है। दिनांक 31.08.2021 की स्थिति में तक कुल बीपीएल कनेक्शन की संख्या 17.79 लाख से अधिक जिन्हें वितरण कंपनी द्वारा रियायती दर पर विद्युत प्रदाय किया जाता है। इन बी0पी0एल0 कनेक्शनधारियों के 30 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि का प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा किया जाता है। वर्ष 2021–22 हेतु राज्य शासन के बजट में रू. 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

11.9 मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना :– मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत्त विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युत लाइनो का विस्तार, विद्यमान अव्ययस्थित विद्युत लाईनों को पहुंच मार्गों के अनुरूप व्यवस्थित्त करना एवं वितरण ट्रांसफार्मरों को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित /उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करना, तंग गलियों एवं व्यस्तम मार्गों में सुरक्षा की दृष्टि से ओवर हेड अथवा अंडर ग्राउंड केबलों का इस्तेमाल किया जाना, अधिक लाईन लास वाले क्षेत्रों में ए.बी. केबल लगाया जाना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी परिवार को निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन उपलब्ध कराना आदि शामिल है। वर्ष 2021–22 हेतु राज्य शासन के बजट में योजनांतर्गत रू. 100 करोड़ , (जिसमें से रू. 85 करोड़ नगर निगम रायपुर के अंतर्गत केबल कार्य एवं रू.15 करोड़ प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कार्य) का प्रावधान किया गया है। वर्श के दौरान दिनांक 30.09.2021 तक रुपये 10.45 करोड़ व्यय किया गया है।

11.10 मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना :– इस योजना के अंतर्गत एसे अविद्युतीकृत ग्राम एवं मजरे/टोले/बसाहटों का विद्युतीकरण किया जाना है जो राज्य में चल रही किसी अन्य योजना तथा राजीवगांधी ग्रामीण विद्यतीकरण, एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीनदयाल उपाघ्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल नहीं है, इसके अतिरिक्त इन ग्रामों/मजरे–टोले/बसाहटों के बी.पी.एल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी प्रदान भी किया जा रहा है। यदि बसाहटों में कुछ अतिरिक्त लाईन विस्तार की आवश्यकता पड़ती है तो यह कार्य भी इस योजना के अंतर्गत किया जा सकता है। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत रू. 45 करोड़ के अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक बजट में रु 58 करोड़, के साथ कुल 103 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। वर्ष के दौरान दिनांक 30.09.2021 तक रुपये 7.35 करोड़ व्यय किया गया है।

11.11 एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S.) :– भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S.) प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, सोलर पैनल की स्थापना, वितरण ट्रान्सफार्मर/11 के. व्ही. फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, वितरण सेक्टर में आई टी. उपयोग को उपयोगी बनाने के कार्य किये जाने हैं। दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में स्वीकृत सभी 32 नग 33/11 के.व्ही उपकेन्द्रों के कार्यपूर्ण किये जा चुके हैं।

तालिका क्र. 11.14 एकीकृत विद्युत विकास योजना					
क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक	उपलब्धि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक	उपलब्धि अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 तक
1	व्यय	रू. करोड़ में	46.85	114.98	19.87
2	33/11 के.व्ही. नये उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	0	0	0
3	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	10.3	26.47	6.96
4	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	33.7	132.40	37.18
	वितरण हानि कम करने हेतु एल.टी. केबल योजना				
1	व्यय	रू. करोड़ में	36.31	98.42	30.06
2	निम्नदाब लाईन	कि.मी.	1079.49	4188.86	1145.32

11.11.1 एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S., IT) :– भारत सरकार ने पांच हजार से अधिक आबादी वाले छत्तीसगढ़ राज्य के 182 शहरों में सूचना प्रौद्योगिकी निगरानी प्रणाली के विस्तार हेतु रूपये 77.71 करोड़ लागत की आई.पी.डी.एस.(सूचना प्रोद्यौगिकी) योजना स्वीकृत की गई है। आई.पी.डी.एस. (सूचना प्रोद्यौगिकी) के कियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा आर.ई.सी.पी.डी.सी.एल. नई दिल्ली को प्रोजेक्ट मैनेजमेंन्ट एजेन्सी (पी.एम.ए.) के लिये नियुक्त किया गया है। उक्त योजना के अंतर्गत लगभग 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्य दिसंबर 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

11.12 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (D.D.U.G.J.Y.) :- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के आधारभूत ढ़ांचे और आवासीय विद्युतीकरण योजना को बारहवीं पंचवर्षीय योजना मे जारी रखने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्याति योजना की मंजूरी भारत सरकार के कार्यालय के माध्यम से सूचित की गई है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गैर कृषि पम्प उपभोक्ताओं को 24 घण्टे अबाधित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय करने हेतु फीडर पृथककरण का कार्य, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्युत भार एवं भविष्य में हो रही भार वृद्धि को देखते हुए वितरण प्रणाली का सुदृणीकरण किया जाना आवश्यक है ताकि वितरण हानि को नियंत्रित रखते हुए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, निर्बाध एवं उचित दरों पर विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किये जा सके। योजना में अविद्युतीकृत ग्राम/मजरा–टोला के कार्य भी शामिल हैं। इस हेतु भारत सरकार व्दारा रू. 1,247.74 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। दिनांक 30.09.2021 की स्थिति में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सम्मिलित सभी 80 नग नये 33/11 केव्ही. के उपकेन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

तालिका क. 11.15 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना					
क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 की स्थिति में	उपलब्धि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक की स्थिति में	उपलब्धि अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 की स्थिति में
1	व्यय	रू. करोड़ में	67.99	48.69	46.99
2	33/11 के.व्ही. नये उपकेन्द्र निर्माण	संख्या	0	0	0
3	33/11 के.व्ही. नये उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि	संख्या	0	0	0
4	33 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	50.79	8.45	0.79
5	11 के.व्ही. लाईन निर्माण	कि.मी.	156.92	10.57	79.72
6	नये वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	1912	195	501
7	निम्नदाब लाईन	कि.मी.	496.98	309.33	210.41

11.13 घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत (हाफ बिजली बिल स्कीम) :– राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओ को 01 मार्च 2019 से प्रतिमाह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत की दरों के आधार पर आंकलित बिल की राशि को आधा करने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत राज्य के समस्त बी.पी.एल. एवं अन्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। इस हेतु राज्य शासन के बजट में वर्ष 2021–22 में रू. 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को उसके 400 यूनिट तक के खपत पर प्रभावशील दरों के अनुसार बिल की राशि में आधी राशि की छूट के उपरांत बिल जारी किया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में रू. 848.79 करोड़ की छूट 39.63 लाख उपभोक्ताओं को दी गई है। वर्ष 2020–21 में अगस्त 2021 तक राज्य के लगभग 40.22 लाख उपभोक्ताओं को रू. 405.89 करोड़ की छूट योजना के अंतर्गत दी जा चुकी है।

11.14 विद्युत उपभोक्ता :– वर्ष 2020–21 के अंत में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 59 लाख 03 हजार है जो वर्ष 2019–20 की तुलना में 1.95 प्रतिशत अधिक है। कुल उपभोक्ताओं की संख्या में से वर्ष 2020–21 के अंत में बी.पी.एल. के 0.44 प्रतिशत, घरेलू के 51.50 प्रतिशत, गैर घरेलू के 6.06 प्रतिशत, औद्योगिक श्रेणी के 0.61 प्रतिशत एवं कृषि हितग्राही उपभोक्ताओं का 9.91 प्रतिशत है।

11.15 विद्युत उपभोग का स्वरूप :– वर्ष 2020–21 में राज्य के समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं द्वारा कुल 23361.34 मिलियन यूनिट विद्युत की खपत की गई जो कि विगत वर्ष 2019–20 की खपत से 2.49 प्रतिशत अधिक है।

राज्य में विक्रय की गई बिजली में से 27.59 प्रतिशत घरेलू, 6.07 प्रतिशत गैर घरेलू, 34.77 प्रतिशत औद्योगिक, 25.26 प्रतिशत कृषि एवं 2.39 प्रतिशत सार्वजनिक उपभोग (जलकर एवं सड़कबत्ती) के मद में रहा। कुल खपत में से वर्ष 2020–21 में हितग्राही बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की खपत 6.05 प्रतिशत एवं हितग्राही कृषि पम्प उपभोक्ताओं की खपत 25.26 प्रतिशत आंकी गई जो कि वर्ष 2019–20 में क्रमशः 8.78 एवं 22.31 प्रतिशत थी।

तालिका 11.16 राज्य में कुल विद्युत विकय का विवरण						
वर्ष	विवरण	घरेलू	गैर–घरेलू	औद्योगिक	कृषि	सार्वजनिक
2015–16	कुल विकय (प्रतिशत)	26.26	12.34	37.65	21.82	1.93
	ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग	18.69	7.08	33.98	37.92	2.23
2016–17	कुल विकय (प्रतिशत)	25.77	7.56	42.22	22.39	2.06
	ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग	18.89	4.60	36.28	38.42	1.81
2017–18	कुल विकय (प्रतिशत)	24.60	7.15	42.00	23.88	2.45
2018–19	कुल विक्रय (प्रतिशत)	23.48	6.67	45.11	22.69	2.05
2019–20	कुल विक्रय (प्रतिशत)	24.59	6.85	44.21	22.31	2.00
2020–21	कुल विक्रय (प्रतिशत)	27.59	6.07	34.77	25.26	2.39

राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में श्रेणीवार उपभोक्ताओं के विद्युत दर समान है, अतः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत उपभोग की गणना पृथक–पृथक नहीं की गई है।

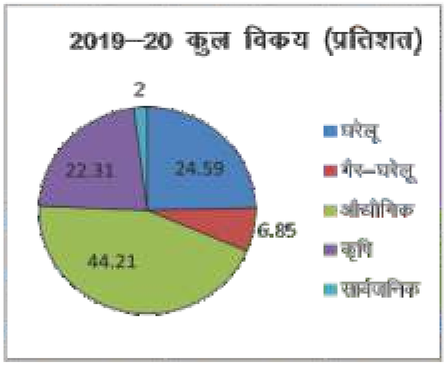

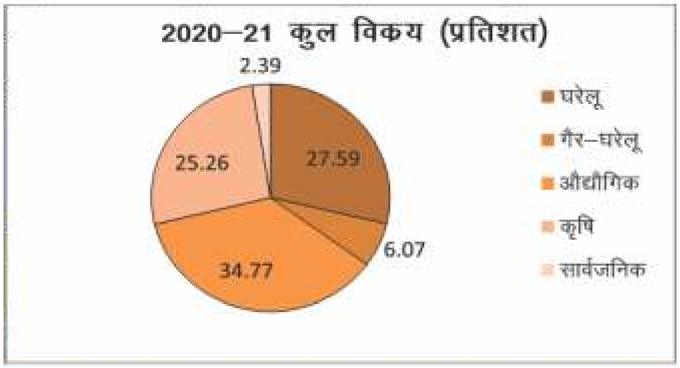

11.16 राजस्व संग्रहण :– वर्ष 2020–21 में समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं से विद्युत खपत एवं अन्य चार्ज के विरूद्ध कुल रू. 13,294.53 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया जो कि वर्श 2019–20 में रू. 13,491.59 करोड़ था।

11.17 बकाया राशि :– वर्ष 2020–21 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया राशि कुल रूपये 3,921.93 करोड़ है, जिसमें 2,130.13 करोड़ निम्नदाब उपभोक्ताओं के तथा 1,791.80 करोड़ रूपये उच्च्दाब उपभोक्ता पर बकाया है। जबकि वर्ष 2019–20 के अंत में विद्युत उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया राशि कुल रूपये 3,042.10 करोड़ थी, जिसमें 1,469.03 करोड़ निम्नदाब उपभोक्ताओं के तथा 1,573.07 करोड़ रूपये उच्च्दाब उपभोक्ताओं पर बकाया थी।

कुल राशि में से राज्य शासन के विभिन्न विभागों पर रू. 215.17 करोड़ एवं राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमो (स्थानीय निकाय) पर रूपये 886.42 करोड़ एवं रूपये 1,218.74 करोड़ राशि रेल्वे के विरूद्ध बकाया है। जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है। रेल्वे के विरूद्ध बकाया राशि विवादित है।

तालिका क. 11.17 बकाया राशि								(करोड़ में)
वर्ष	बकाया राशि				कुल	दाब अनुसार उपभोक्ता का प्रकार बकाया राशि		कुल
	राज्य	सार्वजनिक	रेल्वे	अन्य		निम्न दाब	उच्च दाब	
2012–13	7.23	42.00	2106.34	433.09	2588.66	323.33	2265.33	2588.66
2013–14	27.00	45.00	2360.96	474.73	2907.69	323.13	2584.54	2907.69
2014–15	18.00	5.34	2610.23	631.68	3265.25	323.67	2941.58	3265.25
2015–16	1.56	16.03	2777.55	633.06	3428.20	391.25	3036.95	3428.20
2016–17	37.00	123.24	2968.92	460.67	3976.68	620.91	3355.77	3976.68
2017–18	35.72	118.61	3203.23	903.49	4261.05	753.94	3507.11	4261.05
2018–19	96.79	237.44	3405.27	1105.16	4844.66	1050.51	3794.15	4844.66
2019–20	129.15	471.87	1131.29	1309.79	3042.10	1469.04	1573.12	3042.16
2020–21	215.17	886.42	1218.74	1601.60	3921.98	2130.13	1791.80	3921.93

11.18 परिवहन एवं संचार

देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए परिवहन एवं संचार एक महत्वपूर्ण अवयव है। यह व्यक्तियों को गतिशील बनाता है, जिससे वे अपने जीवनयापन हेतु रोजी–रोटी की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन सुविधाऐं प्राप्त कर सकें। बाजार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हेतु सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में रेल एवं वायु परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन प्रमुख रूप से शामिल है। संचार माध्यमों में डाक, कुरियर, टेलीफोन (मोबाइल सहित) तथा ब्राडबेंड (इंटरनेट सहित) सेवाएं आदि प्रमुख हैं।

11.20.1 परिवहन क्षेत्र का योगदान तालिका में निम्नानुसार प्रदर्शित है:–

तालिका 11.18 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में परिहन (रेल के अलावा) क्षेत्र का योगदान (स्थिर भाव 2011–12)							
विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(P)	2020-21(Q)	2021-22(A)
योगदान (लाख रु.)	407899	437572	471786	541359	549402	549583	583314
वृद्धि (प्रतिशत)	9.31	7.27	7.82	14.75	1.49	0.03	6.14
योगदान (प्रतिशत)	2.26	2.25	2.36	2.42	2.35	2.38	2.28

11.19 भूतल परिवहन :—

11.19.1 सड़के एवं पुल

लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात सड़कों के उन्नतिकरण एवं पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसी कड़ी में वर्ष 2020—21 में 2,295 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन जिसमें गिट्टीकरण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य किये गये। 02 रेल्वे ओव्हर/04 अंडर ब्रिज, 47 वृहद पुल एवं 33 मध्यम पुल का निर्माण पूर्ण किया गया है और 06 रेल्वे ओव्हर ब्रिज/04 अण्डर ब्रिज एवं 137 नग वृहद पुल प्रगति पर रहे। वर्ष 2020—21 में कुल राशि रू. 6,453.23 करोड़ आबंटन के विरूद्ध रू 3,523.25 करोड़ व्यय किया गया।

वर्ष 2021—22 में माह 09/2021 तक 1,220 कि.मी. सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन किया गया। 19 वृहद पुल, 76 मध्यम पुल पूर्ण तथा 09 रेल्वे ओव्हर/अण्डर ब्रिज का निर्माण एवं 141 वृहद पुल कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2021—22 में रू. 6,362.88 करोड़ आबंटन के विरूद्ध माह 09/2021 तक रू. 1,904.45 करोड़ का व्यय किया गया है।

11.19.2 छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत एशियन डेव्हलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) की सहायता से तृतीय लोन अंतर्गत 25 मार्ग (लम्बाई 869 कि.मी.) हेतु रू. 3,535 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त है। इनमें से 24 कार्य प्रगति पर तथा 1 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रारंभ नहीं हुआ है।

11.19.3 "जवाहर सेतु योजना" अंतर्गत पुलों का निर्माण कर पहुंचविहीन गांवों तक आवागमन हेतु कनेक्टीविटी की योजना है। इसके लिए बजट वर्ष 2019—20 में 100 पुल एवं वर्ष 2020—21 में 94 पुल कार्य शामिल किये गये है। वर्तमान में 90 पुल कार्य रू. 667 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त है। इनमें से 4 पुल कार्य पूर्ण, 58 पुल कार्य प्रगति पर तथा शेष कार्य निविदा स्तर पर है।

11.19.4 सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल. द्वारा रू. 5,225 करोड़ के महत्वपूर्ण सड़कों एवं पुलों के निर्माण एवं उन्नयन की योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत अभी तक 490 कार्यों हेतु रू. 5,270.93 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। इसके अंतर्गत अभी तक 473 कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई है, जिसमें 83 कार्य की निविदा स्वीकृत तथा शेष कार्य हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

11.19.5 एल.डब्ल्यू.ई. (आर.आर.पी.–1) योजना अंतर्गत 51 सड़क (1,992 कि.मी.) एवं 03 सेतु हेतु कुल लागत रू. 3,170 करोड़ स्वीकृत हैं, इनमें से अब तक कुल 37 कार्य (35 सड़क, 03 सेतु) पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 16 कार्य प्रगतिरत हैं। अभी तक कुल 1,636 कि.मी. सड़क कार्य पूर्ण एवं राशि रू. 2,171 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। दिसम्बर 2018 से अब तक 06 कार्य एवं 158 कि.मी. की लंबाई पूर्ण एवं राशि रू. 162 करोड़ का व्यय किया गया है।

11.19.6 RCPLWE योजना (आर.आर.पी.–2) अंतर्गत अभी तक दो चरणों में 291 सड़क (2478 कि.मी) एवं 25 पुल हेतु कुल राशि रू. 1,637.08 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनमें से 64 सड़क एवं 06 पुल निर्माण पूर्ण किये गये हैं। 1,094 कि.मी. लंबाई में सड़क कार्य पूर्ण एवं राशि रू. 658 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

11.19.7 RCPLWE योजना (आर.आर.पी.–2) फेस–3 में 120 कार्य (104 सड़क, 16 पुल) की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई है। इनमें से 86 कार्यों के डी.पी.आर. एस.टी.ए. एन.आई.टी. रायपुर द्वारा अनुमोदित कराकर ओमास में अपलोड करा दिया गया है। शेष 34 कार्यों में से 19 कार्य पी.एम.जी.एस.वाई./अन्य योजना में स्वीकृत है, 04 कार्य दोहरीकरण एवं 11 कार्य अतिसंवेदनशील क्षेत्र में होने के कारण विलोपित किये जाने हेतु प्रस्तावित हैं।

11.19.8 सी.आर.एफ. योजना अंतर्गत कुल 96 कार्य (77 सड़क, 19 पुल) लंबाई 1,825 कि.मी. एवं लागत रू. 2,214.20 करोड़ स्वीकृत हैं। इनमें से अब तक कुल 82 कार्य (70 सड़क, 12 पुल) पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 13 कार्य (6 सड़क, 7 पुल) प्रगतिरत हैं एवं 1 कार्य विलोपित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित। योजनांतर्गत अब तक कुल 1,764 करोड़ व्यय किया जा चुका है। दिसम्बर 2018 से जून 2021 तक 17 कार्य पूर्ण एवं 679 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

योजना का उद्देश्य समस्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों को बारहमासी पहुंच मार्ग से जोड़कर लोक कल्याण एवं जनसुविधा के लिए सुगम बनाया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में "मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना" के अंतर्गत कुल 2,303 मार्गों की लम्बाई 383.29 कि.मी. लागत राशि रुपये 271.94 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत 472 कार्य पूर्ण, 1577 कार्य प्रगति पर, 254 कार्य निविदा स्तर पर है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना के अंतर्गत कुल 1,725 मार्गों की लम्बाई 294.16 कि.मी. लागत राशि रुपये 207.38 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत 1,725 कार्यों की निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भवन कार्यो के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय प्रशासन, पुलिस राजस्व तथा अन्य विभागों के लिये आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्ष 2020–21 में 205 भवन कार्य पूर्ण किये गये थे तथा 373 भवन कार्य प्रगति पर थे। इन कार्यों हेतु वर्ष 2020–21 में रू. 1,102.91 करोड़ के आंबटन के विरूद्ध रू. 436.32 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। इस वर्ष इन कार्यों पर माह 09/2021 तक रू. 882.44 करोड़ प्रावधान के विरूद्ध रू. 144.61 करोड़ व्यय किया गया है। इस वर्ष अब तक 98 भवन कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 342 कार्य प्रगति पर हैं।

सड़कों की लम्बाई 03/2020 की स्थिति में

• राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई	–	3526 कि.मी.
• राज्य मार्ग की लम्बाई	–	4137 कि.मी.
• मुख्य जिला मार्ग की लम्बाई	–	11581 कि.मी.
• ग्रामीण मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग की लम्बाई	–	14146 कि.मी.
योग	–	**33390 कि.मी.**

11.20 वाहन :–वर्ष 2020–21माह सितंबर 20 तक 1,26,064 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तथा वर्षान्त (31 मार्च 21) तक 4,09,296 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। वर्ष 2021–22 में माह अगस्त 21 तक 1,17,360 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

ग्रामीण विकास एवं रोजगार

12

ग्रामीण विकास एवं रोजगार

मुख्य बिन्दु

- मनरेगा–वित्तीय वर्ष 2020–21 में 30.60 लाख परिवारों को रोजगार, 1,840. 93 लाख मानव दिवस सृजित जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 50 है। वर्ष 2020–21 में 6,11,991 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार।
- मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2021–22 में सितम्बर तक 22.46 लाख परिवारों को रोजगार, 737.82 लाख मानव दिवस सृजित, महिलाओं का प्रतिशत 50 है। वर्ष 2021–22 में सितम्बर तक 32,405 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार।
- वर्ष 2021–22 (सितंबर) में उपलब्ध राशि 2,679.20 करोड़ रू. से 2,270.06 करोड़ रू. व्यय।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) :– वर्ष 2020–21 में सामुदायिक निवेश निधि से 4,342 स्व–सहायता समूहों को रू. 2,605.18 लाख, वर्ष 2021–22 में सितम्बर तक 14,447 समूहों को रू. 8,669.20 लाख ऋण प्रदाय।
- चक्रिय निधि से 2020–21 में 19,163 स्व–सहायता समूहों को रू. 2,874.45 लाख, 2021–22 में सितम्बर तक 24,129 समूहों को रू. 3,619.35 लाख प्रदाय।
- बैंक क्रेडिट लिंकेज अंतर्गत वर्ष 2020–21 में 66,539 स्व–सहायता समूहों को रू. 63,362.00 लाख तथा वर्ष 2021–22 में सितम्बर तक 19,764 समूहों को रू. 15,339.00 लाख ऋण प्रदाय।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में 282 सड़कें लंबाई 4,228.46 कि.मी. एवं 75 वृहद पुल पूर्ण।
- मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना–योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में 261 गौरवपथ, लंबाई 94 कि.मी.पूर्ण।

ग्रामीण विकास

छत्तीसगढ़ में त्रि–स्तरीय पंचायत राजव्यवस्था वर्ष 2000 में राज्य स्थापना के साथ लागू हुई। संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्यों (11वीं अनुसूची) का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 255.45 लाख है। जहां 76.76% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, इस प्रकार राज्य में ग्रामीण विकास का विश्लेषण अति आवश्यक है।

12.1 वर्तमान में प्रदेश में 28 जिला पंचायतें, 146 जनपद पंचायतें तथा जनगणना 2011 के अनुसार 10,971 ग्राम पंचायतें तथा 20,126 ग्राम हैं एवं पंचायत विभाग 2019–20 के अनुसार 11,664 ग्राम पंचायतें तथा 20,255 ग्राम स्थापित हैं किन्तु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नवीन नगरीय क्षेत्र की स्थापनोपरांत कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 11,651 तथा ग्रामों की संख्या 20,234 है। प्रदेश के कुल 28 जिलों में से 14 जिले पूर्णरूपेण एवं 6 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 85 जनपद पंचायतें एवं 5,050 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। पंचायतराज संस्थाओं के कार्यक्रमों हेतु उनके स्वयं के संसाधन तथा राज्य एवं केन्द्र से प्राप्तियां शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में गाँव की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है।

तालिका – 12.1 ग्रामीण छत्तीसगढ़ की स्थिति

मद	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
छ.ग: कुल जनसंख्या (लाख)	74.57	91.54	116.37	140.40	176.15	208.33	255.45
छ.ग: पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (%)	9.42	22.72	27.12	20.39	25.73	18.27	22.61
छ.ग: ग्रामीण जनसंख्या (%)	70.93	83.91	104.29	119.52	145.5	166.47	196.08
छ.ग: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि		18.30	24.29	14.60	21.74	14.41	17.79
छ.ग: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (%)		12.98	20.38	15.23	25.98	20.97	29.61
छ.ग: कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जन संख्या के अनुपात में (%)	95.12	91.66	89.62	85.31	82.60	79.91	76.76
भारत: कुल जनसंख्या (लाख)	3611	4392	5482	6833	8464	10287	12109
भारत: पिछले एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि (%)	13.31	21.64	24.8	28.66	23.87	21.54	17.7
भारत : ग्रामीण जनसंख्या (लाख)	2987	3603	4391	5238	6288	7426	8338
भारत: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि		20.62	21.87	19.29	20.05	18.10	12.28
भारत: पिछले एक दशक में कुल ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि (लाख)		616	788	847	1050	1138	912
भारत: कुल ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में (%)	82.72	82.04	80.10	76.66	74.29	72.19	68.86

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है की छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 5 दशको में समग्र राज्य की वृद्धि की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर में कमी पायी गयी है। जहां वर्ष 1951 में कुल जन संख्या का ग्रामीण भाग 95 प्रतिशत था वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह 77 प्रतिशत तक हो गया है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में ग्रामीण जनसंख्या केवल 70.93 लाख थी जो अब 2011 जनगणना के अनुसार 196.08 लाख है।

तालिका 12..2 छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सूचकांक						
सूचकांक	2019-21			2019		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
अशोधित जन्म दर				22.2	23.6	17.6
कुल प्रजनन क्षमता दर	1.8	1.9	1.4			
शिशु मृत्यु दर	44.3	48.7	26.2	40	41	34
5 साल के नीचे मृत्यु दर	50.4	55.8	28.9			
अशोधित मृत्यु दर				7.3	7.7	6.2
Source:- NFHS 2019-21				**Source:- SRS 2019**		

12.2 ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा, पानी तथा साफ–सफाई, पशु चिकित्सा सेवाओं सहित सहकारिता आवश्यक हैं, विशेष रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में इस प्रकार ग्रामीण विकास, विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए एक एकीकृत अवधारणा है, जिसकी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुखता रही है। किसी भी अर्थतंत्र की प्रगति के लिए ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण माना जाता है, भारत में ग्रामीण विकास की गति चिंता का विषय है। भारत ग्रामीण विकास में अभी भी बहुत पीछे है।

निम्न तालिकाओ में छत्तीसगढ़ के सामाजिक संकेतांकों की दृष्टि से तुलनात्मक उपलब्धियों को दर्शाया गया है।

तालिका 12.3 जीवित जन्म 2008–20 संस्थागत प्रसव (सरकारी / गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत													
मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
कुल	35.2	40.3	47.4	54.1	63.3	66.5	71.8	57.9	50.7	59.2	73.8	80.5	88.0
ग्रामीण	30.7	35.9	43.0	50.3	60.5	64.0	68.2	47.6	40.0	52.3	37.7	40.5	85.7
नगरीय	65.6	68.9	76.9	79.2	81.7	83.3	85.2	73.9	72.2	73.4	36.1	40.0	90.4
Source : Annual Vital Statistics Report													

तालिका 12.4 मृत्यु 2008–20 संस्थागत (सरकारी / गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत													
मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
कुल	25.1	25.7	25.8	26.2	26.5	32.1	35.9	29.1	30.5	36.8	40.8	39.9	26.2
ग्रामीण	20.9	21.5	21.7	22.2	22.7	28.8	31.5	20.9	22.6	25.3	21.0	13.9	9.9
नगरीय	50.1	50.3	50.6	50.9	51.3	53.7	56.8	46.3	49.5	56.0	19.9	21.0	51.2
Source : Annual Vital Statistics Report													

राज्य में ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं यथा ग्रामीण विकास के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आजीविका मिशन (NRLM) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन योजना आदि कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास

योजना एवं विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है।

12.3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :– देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 दिनांक– 07 सितम्बर, 2005 को जारी की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) अंतर्गत राज्य में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। छत्तीसगढ़ में 02 फरवरी 2006 से प्रथम चरण में 11 जिले (बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा), द्वितीय चरण में दिनांक 01 अप्रैल 2007 से 04 जिले (रायपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा एवं महासमुंद) तथा तृतीय चरण में दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से राज्य के समस्त जिलों में योजना प्रभावशील है।

12.3.1 उद्देश्य :–

- अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना एवं स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।
- किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है उनके द्वारा आवेदन किये जाने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराये जाने की गारंटी लागू है।
- योजनांतर्गत महिलाओं को कार्य करने में प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिये अधिनियम के तहत ऐसी महिलाएं, जो जॉबकार्ड धारक हैं और रोजगार हेतु आवेदन करती है; उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वाले में कम से कम एक तिहाई महिला लाभान्वित हो।
- ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत दिव्यांगजन (निःशक्तजन) रोजगार के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें योग्यता एवं क्षमता अनुसार काम दिया जाता है।
- काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का एक चौथाई होता है एवं 30 दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। इस हेतु राज्य द्वारा **"छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम–2013"** बनाया गया है।
- राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013–14 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदाय किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाले व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

- वन अधिकार पट्टा धारक परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिये महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस कार्य का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है।
- योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक / डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है।
- योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 हेतु रू0 193/– प्रति दिवस मजदूरी दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
- योजनांतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का 60:40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है।
- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत कुछ कार्यों के लिये मशीनों का उपयोग कुछ शर्तों के अधीन दिया गया है :– भूमि का उत्पादकता बढ़ाने हेतु–कुआँ खोदने के लिये पंप सेट, कम्प्रेसर हैमर, लिफ्ट डिवाईस, सड़क निर्माण के लिये–पावर रोलर, ट्रेलर माउन्टेड वाटर ब्रोसर, स्टैटिक स्मूथ विल्ड रोलर आफ 8–20 टन वेट, मैक्निकल मिक्सर, मैक्निकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण के लिये–मिक्सर और मैक्निकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन–मशीन फार सी एस ई बी का ब्रिक्स / ब्लाकमेकिंग मशीन, मेकेनिकल ऑगर प्रावधान किया गया है।

12.3.2 पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व :–

- भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में पृथक से **"सामाजिक अंकेक्षण इकाई"** का गठन किया गया है।
- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु **"छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गांरटी शिकायत निवारण नियम, 2012"** बनाया गया है।
- शिकायतों के तत्काल निपटारे के लिये राज्य एवं जिला स्तर पर हेल्प लाईन टोल फ्री नम्बर की व्यवस्था की गई है।
- योजनांतर्गत प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु राज्य द्वारा www.mgnrega.cg.gov.in में ऑनलाईन व्यवस्था की गई है।
- पारदर्शिता तथा Realtime MIS अद्यतन करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यों हेतु पूरे राज्य में e-Muster Roll का प्रयोग किया जा रहा है।

- महात्मा गांधी नरेगा की धारा 27 के तहत् योजना क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण (निपटारे) के लिए जिला स्तर पर योजनांतर्गत 17 लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है, राज्य के सभी 28 जिलों का 17 प्रादेशिक क्षेत्र बनाया गया है।

- जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरूद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर त्रिसदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण गठन किया गया है।

12.3.3 गुणवत्ता पूर्ण स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण :–

- योजनांतर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्माणाधीन कार्यों की सतत् निगरानी की व्यवस्था की गयी है। राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर से अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाते हैं।

- योजनांतर्गत गुणवत्ता पूर्ण स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंताओं के सतत् पर्यवेक्षण के साथ ही राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों के द्वारा भी आबंटित जिलों में निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

- **BFT (Barefoot Technician) प्रणाली:–** निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायकों के सहयोग के लिए बेयरफुट तकनीशियन को 90 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाकर ग्राम पंचायतों में कार्य लिया जा रहा है। इनका कार्य कामों का चिन्हाकन, ले–आउट करना, किये गये कार्यों का माप करना एवं माप पुस्तिका में दर्ज करने में तकनीकी सहायक को सहायता करना है।

- **GIS (Geogrophic Information System) प्रणाली :–** भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा हेतु NRSC (National Remote Sensing Center) के माध्यम से केंद्रीय कृत GIS प्रणाली Geo-MGNREGA को क्रियान्वयन किया जा रहा हैं। इस प्रणाली से योजना के अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों को मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से Geo-tagged (letitude & longitude) फोटोग्राफ भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

- **जनमनरेगा :–** भारत सरकार द्वारा आमजनों के लिये महात्मा गांधी नरेगा की मूलभूत जानकारी तथा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों के Geo-tagged के माध्यम से फोटो प्राप्त कर उपलब्ध कराये गये है। जिसे आमजन जनमनरेगा एप पर देख सकते है।

- **Mobile Monitoring System (MMS):-** भारत सरकार के द्वारा मनरेगा कार्यो के कार्यस्थल से मस्टररोल उपस्थिति लेने हेतु मोबाईल एप्लीकेशन उपलबध कराया गया।

12.3.4 भुगतान प्रक्रिया :–

- मजदूरी भुगतान समय पर करने के उद्देश्य से PFMS/e-FMS प्रणाली प्रारंभ की गई है। योजना के समस्त भुगतान PFMS/e-FMS से श्रमिकों के बैंक/पोस्ट के खाते में किये जा रहे हैं। नवम्बर, 2016 से NeFMS के माध्यम से मजदूरों को मजदूरी भारत सरकार द्वारा सीधे अंतरित की जा रही है।
- **SECURE SOFTWARE :-** भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किये जाने वाले निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार करने, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृती आनलाईन प्रदान करने हेतु "SECURE SOFTWARE" (software for estimate calculation using rural rate for employment) का राज्य के सभी 27 जिलों में वर्ष 2018–19 से प्रारंभ किया जा चुका है। जो MIS से लिंक है।

12.3.5 विलंबित मजदूरी भुगतान के लिये मुआवजा :– महात्मा गांधी नरेगा की धारा 3(3) के अनुसार, श्रमिक साप्ताहिक आधार पर मजदूरी के भुगतान के हकदार होते हैं मस्टर रोल के बंद होने की तारीख के पंद्रह दिन के अंदर भुगतान पाने के हकदार है। यदि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 29 के अनुसार मजदूरी प्राप्तकर्ता मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद के विलंब के लिये भुगतान न की गई मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से विलंब मुआवजे के भुगतान के लिये हकदार होता है।

12.3.6 मातृत्व अवकाश भत्ता :– राज्य शासन द्वारा योजनांतर्गत कार्यरत ऐसे महिला श्रमिकों को जो विगत 12 माह में 50 दिवस मजदूरी कार्य किया है उनको मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में एक माह का मजदूरी राशि का भुगतान किया जा रहा है। उक्त राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

12.3.7 कार्य स्थल पर उपलब्ध सुविधाएं:– कार्यस्थल पर पेयजल, छाया हेतु शेड, प्राथमिक उपचार सुविधा तथा मजदूरों के 5 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पर शिशुघर (Creche) की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है।

12.3.8 प्रगति :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत वर्ष 2019–20 अप्रैल से मार्च 20 वर्ष 2020–21 में माह अप्रैल से सितम्बर एवं अप्रैल से मार्च 2021 तक की प्रगति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह सितम्बर 2021 तक की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :–

तालिका क. 12.5 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की वर्षवार प्रगति						
क्र.	मद	2018—19	2019—20	2020—21		2021—22
		अप्रैल से मार्च	अप्रैल से मार्च	अप्रैल से सितं.	अप्रैल से मार्च	अप्रैल से सितं.
1	पंजीकृत परिवार (लाख में)	37.34	38.08	39.81	40.94	40.60
2	रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवार की संख्या (लाख में)	24.32	24.41	26.30	30.60	22.46
3	उपलब्ध राशि (करोड़ में)	3202.30	3041.88	2862.71	4537.79	2679.20
4	व्यय राशि (करोड़ में)	3106.22	2860.05	2653.69	4419.35	2270.06
5	सृजित मानव दिवस (लाख में)	1369.48	1356.17	977.54	1840.93	737.82
6	**महिलाओं का प्रतिशत**	50%	51%	50%	50%	50%
7	स्वीकृत कार्य संख्या (स्पील ओवर सहित)	8.77	7.02	4.31	5.25	3.48
8	100 दिवस पूर्ण परिवारों की संख्या	418270	4,13,885	93,464	6,11,991	32,405

12.4 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" (NRLM) :— स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर इसे समाप्त करते हुए दिनांक 01.04.2013 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है।योजनांतर्गत वित्त पोषण केन्द्र तथा राज्य के मध्य 60:40 के अनुपात में किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। समुदाय आधारित्त समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना इस योजना में शामिल है एवं मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना इत्यादि कार्य किया जाना है।

12.5 सामुदायिक निवेश कोष (Community Investment Fund) :— राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सामुदायिक निवेश कोष का प्रावधान स्व—सहायता समूहों के जीविकोपार्जन संबंधी गतिविधि को बढ़वा देने के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में किया गया है, जिसके अंतर्गत स्व सहायत्ता समूहों को सूक्ष्म ऋण योजना के आधार पर 60—75 हजार रूपए तक की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। जिसकी वापसी महिला स्व—सहायता समूह द्वारा ग्राम संगठन के माध्यम से संकुल स्तरीय संगठन को किया जाता है।

सामुदायिक निवेश निधि की राशि संकुल स्तरीय संगठन (Cluster Level Federation-CLF) के लिये अनुदान है, परन्तु ग्राम संगठन, स्व सहायता समूह एवं उनके सदस्यों के लिये ऋण के रूप में दिया जाता है। जहां पर संकुल स्तरीय संगठन का गठन हो चुका है, वहां पर सामुदायिक निवेश निधि सीएलएफ के माध्यम से दिया जाता है, परन्तु जिस विकासखण्ड में संकुल स्तरीय संगठन का गठन नहीं हुआ है, वहां पर सामुदायिक नियेश निधि की राशि सीधे महिला स्व—सहायता समूहों को जनपद के माध्यम से दिया जा रहा है।

तालिका क. 12.6 सामुदायिक निवेश कोष					
क	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
			स्व–सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2020–21 (अप्रैल से सितम्बर तक)	3,000	2,566	1,539.60	86%
2	2020–21 (अप्रैल से मार्च तक)	3,000	4,342	2,605.18	145%
3	2021–22 (अप्रैल से सितम्बर तक)	25,321	14,447	8,669.20	57%

12.6 चक्रिय निधि (Revolving Fund) :- चक्रिय निधि की परिकल्पना स्व–सहायता समूह में आंतरिक उधार की प्रक्रिया को गति देने, कोष के आकार में वृद्धि करने एवं समूहों के विकास हेतु एक तंत्र के रूप में की गई है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वैसे स्व– सहायता समूह जो तीन माह से पंचसूत्र (नियमित साप्ताहिक बैठक,नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आंतरिक लेन–देन, नियमित ऋण वापसी तथा नियमित साप्ताहिक लेखा संधारण) का पालन कर रहे हों, उन्हें 15,000/– रूपये की राशि चक्रिय निधि के रूप में प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

12.7 बैंक लिंकेज :– महिला स्व– सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधि से जोड़ना मिशन का मुख्य उद्देश्य है। महिला स्व–सहायता समूहों को रिपीट ऋण के माध्यम से निरंतर बैंको से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालित महिला स्व–सहायता समूह 3% के ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, ताकि स्व–सहायता समूह के सदस्य अपनी आजीविका संबंधी गतिविधि को बढ़ावा दे सके। प्रदेश में वर्तमान में कुल 1,89,495 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अनुपालित स्व–सहायता समूह हैं।

तालिका क्र. 12.7 चक्रिय निधि					
क.	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
			स्व–सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2020–21 (अप्रैल से सितम्बर)	12,500	9,148	1372.20	73%
2	2020–21 (अप्रैल से मार्च)	12,500	19,163	2874.45	153%
3	2021–22 (अप्रैल से सितम्बर)	50,583	24,129	3619.35	48%

12.8 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY) :– पूर्व में संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कौशल उन्नयन विशेष परियोजना को परिवर्तित करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत कौशल विकास हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) लागू की गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत एक परियोजनावधि अधिकतम 3 वर्ष की होगी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत राज्य के सभी जिले शामिल हैं। कौशल उन्नयन अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को विभिन्न व्यवसाय अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाकर कम से कम 70 % प्रशिक्षित युवाओं को औपचारिक संस्थाओं (Formal Sector) में जिला, राज्य तथा राज्य से बाहर नियोजित किया जा रहा है। वर्तमान में योजनांतर्गत कुल 97 परियोजनाएं लागत राशि रू. 798 करोड़ एवं 74,976 युवाओं को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत हैं।

तालिका क्र. 12.8 स्व–सहायता समूहों का बैंक क्रेडिट लिंकेज

क	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (कुल स्व–सहायता समूह)	उपलब्धि		लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
			स्व–सहायता समूह	राशि (लाख में)	
1	2020–21 (अप्रैल से सितम्बर)	22755	18421	12250.14	81%
2	2020–21 (अप्रैल से मार्च)	45480	66539	63362.00	146%
3	2021–22 (अप्रैल से सितम्बर)	83000	19764	15339.00	24%

12.9 रोशनी कार्यक्रम (नक्सल प्रभावित जिला हेतु विशेष परियोजना) :– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत कौशल विकास हेतु प्रदेश के कुल 08 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य व नक्सल प्रभावित जिले क्रमशः बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव तथा बलरामपुर शामिल किया गया है। इन जिलों में प्रदेश की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा चयनित एजेंसियों द्वारा 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल उन्नयन अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा। लगभग 15,000 युवाओं को आगामी 3 वर्षों में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। रोशनी परियोजना अंतर्गत 40% महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना प्रावधानित है। प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन भी किया जावेगा। इन प्रशिक्षित युवाओं का नियोजन जिला, राज्य तथा राज्य से बाहर भी किया जा सकता है। वर्तमान में योजनांतर्गत कुल 28 परियोजना राशि रू. 127 करोड़ एवं 13,623 युवाओं को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत हैं।

तालिका 12.9 R-SETI (Rural Self Employment Training Institute)

क्र.	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (युवाओं की संख्या)	उपलब्धि (प्रशिक्षित युवा)	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि
1	2020–21 (अप्रैल से सितम्बर)	6340	283	4%
2	2020–21 (अप्रैल से मार्च)	12680	7003	55%
3	2021–22 (अप्रैल से सितम्बर)	6060	3492	57%

12.10 R-SETI (Rural Self Employment Training Institute) :- ग्रामीण बी.पी.एल हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से लीड बैंकों के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर–सेटी) की स्थापना की गई है। वर्तमान में प्रदेश के अविभाजित 18 जिलों में आर–सेटी केन्द्र स्थापित हैं, जिसमें 11 भारतीय स्टेट बैंक, 05 देना बैंक तथा 02 सेन्ट्रल बैंक द्वारा संचालित है, इन सभी केन्द्रों में संबंधित बैंकों द्वारा आर–सेटी संचालकों की पदस्थापना की गई है। भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण व आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक केन्द्र के लिये रू. एक करोड़ की केन्द्रीय सहायता दी गई है। राज्य के समस्त अविभाजित 18 जिलों में संबंधित जिले के लीड बैंक को प्रशिक्षण भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आबंटित की गई है। अब तक 17 आर–सेटी भवन पूर्ण किये गये हैं एवं रायपुर आरसेटी का भवन निर्माण प्रगति पर है तथा इन्हीं केन्द्रों में प्रशिक्षण का कार्य संचालित हो रहे हैं। प्रशिक्षण हेतु समस्त राशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम

तालिका क. 12.10 वर्षवार भौतिक प्रगति				
स. क.	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष मे आवास निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध भौतिक प्रगति	
			पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास
1	2016–17	2,32,903	2,26,360	6,543
2	2017–18	2,06,372	2,00,898	5,474
3	2018–19	3,48,960	3,25,162	23,798
4	2019–20	1,51,100	68,905	82,195
5	2020–21	1,57,815	–	–
	योग	10,97,150	8,21,325	1,18,010

वर्ग–1 हेतु रू. 42.40/–, प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग–2 हेतु रू. 36.50/– एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग–3 हेतु रू. 30.20/– प्रति घण्टा प्रति हितग्राही की दर से व्यय का प्रावधान है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 200 घण्टे निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 12,120 लक्ष्य (बीपीएल हितग्राही) के विरूद्ध 3,492 स्वरोजगारियों का प्रशिक्षण (माह सितम्बर 2021 तक) पूर्ण कर लिया गया है। अब तक कुल 1,03,275 स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।

12.11 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :– "प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण एक केंद्र पोषित परियोजना है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2022 तक सभी के लिये आवास के उद्धेश्य से ग्रामीण क्षेत्रो के बेघर एवं कच्चे मकानो मे रह रहे गरीब परिवारो को स्वय का पक्का एवं आपदा रोधक मकान उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से 01 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण का कियान्वयन किया जा रहा है।"

पीएमएवाई–जी की मुख्य विशेषताएं –

- आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर (आईएवाई के अंतर्गत) से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया है। जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है।
- मैदानी क्षेत्रों में पूर्व से इकाई सहायता को 70,000 रू. से बढ़ाकर 1.20 लाख रू. और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों एवं आईएपी जिलों में 75,000 से बढ़ाकर 1.30 लाख रू. प्रावधानित किया गया है।
- केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच इकाई (आवास) सहायता लागत का वहन मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के आधार पर किया जाता है।
- **सामान्य क्षेत्र** के हितग्राही को आवास निर्माण हेतु कुल राशि रू. 1.47 लाख (इकाई लागत रू. 1.20/– लाख, महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 90 दिन की मजदूरी तथा शौचालय सहित) IAP जिलों में कुल राशि रू. 1.58 लाख (इकाई लागत रू. 1.30/– लाख, महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 95 दिन की मजदूरी तथा शौचालय सहित) अनुदान दिया जा रहा है।

- ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का निर्धारण और चयन मकानों की कमी और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आंकड़ों में दर्शाए गए अन्य सामाजिक अपवर्जन मानदण्डों के आधार पर ही किया जाता है।
- लाभार्थियों के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सभी तरह का भुगतान किया जाता है, जिसमें वे खाते भी शामिल हैं जिनमें उनकी सहमति से आधार संख्या की संबद्धता किये जा चुके है।
- पीएमएवाई–जी के संबंध में लाभार्थियों को समय–समय पर आवश्यक जानकारी हितग्राही उन्मुखीकरण के माध्यम से प्रदाय की जा रही है।
- स्थानीय सामग्रियों, डिजाइनों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करते हुए लाभार्थियों द्वारा अच्छे आवास का निर्माण किया जा रहा है।

पात्र लाभार्थियों के प्राथमिकता क्रम का निर्धारण – पीएमएवाई (जी) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के दायरे के प्राथमिकता क्रम का निर्धारण सामाजिक–आर्थिक पैरामीटरों के आधार पर किया गया है :–

- स्वतः शामिल परिवार (100 प्रतिशत)
- शून्य कमरे वाले परिवार 5326 (100 प्रतिशत)
- सभी 7 वंचन सूचकांक में शामिल–1438 (100 प्रतिशत)
- सांसद आदर्श ग्राम और रूरबन के चयनित ग्रामों में सभी पात्र हितग्राहियों को चिन्हांकित करना।
- कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरे वाले परिवार निःशक्त सदस्य वाले और किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार 22,773 (100 प्रतिशत)
- कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरे वाले परिवार भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दिहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते है (60 प्रतिशत)
- कच्ची दीवारों/कच्ची छत एक कमरे वाले परिवार महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरूष सदस्य नहीं है (40 प्रतिशत)
- पात्र लाभार्थियों के प्राथमिकता के निर्धारण के पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत/काउंसिल या संबंधित राज्य/सं.शा. क्षेत्र पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्व–शासन की सबसे निम्नतम इकाई के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य और अल्पसंख्यक वर्गों की अलग–अलग प्राथमिकता सूचियां पात्र लाभार्थियों की उपलब्धता के आधार पर तैयार किया जाता है। तत्पश्चात ये सूचियां ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाती है।

योजनातंर्गत हितग्राहीयों का चयन समाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर ग्रामसभा के अनुमोदन द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार के आवास साफ्ट पोर्टल से प्राप्त 25 लाख परिवारो की सूची व ग्रामसभा सत्यापन कर अपीलीय समिति के अनुमोदन उपरांत कुल 18,77,159 पात्र परिवारों का स्थायी प्रतीक्षा सूची का निर्धारण किया गया है।

प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा आबंटित लक्ष्य के विरूद्ध स्थायी प्रतीक्षा सूची से हितग्राहियों का चयन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्षवार लक्ष्य से लाभांवित करने के उपरांत स्थायी प्रतीक्षा सूची की स्थिति निम्नानुसार है :–

वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक योजनातंर्गत कुल 10,97,150 का लक्ष्य प्रदाय किया गया, जिसके पश्चात् स्थायी प्रतीक्षा सूची में 7,80,009 पात्र हितग्राही शेष थे। क्योकि योजना वर्ष 2022 तक लक्षित है।

छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 हेतु कुल लक्ष्य 10,97,150 के विरुद्ध 8,21,325 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 1,18,010 आवास निर्माणाधीन हैं, जिन्हें हितग्राहियों द्वारा स्वयं प्रेरित होकर बनाया जा रहा है।

तालिका क्र. 12.11 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (राशि करोड़ रू. में, लंबाई कि.मी. में)

क.	वर्ष	पूर्ण सड़कों की संख्या	पूर्ण लम्बाई	पूर्ण वृहद पुल की संख्या	व्यय राशि
1	2019–20 (अप्रैल से सितम्बर)	153	126.59	24	577.86
2	2019–20 (अप्रैल से मार्च)	425	1743.79	48	971.98
3	2020–21 (अप्रैल से सितम्बर)	93	131.11	20	362.89
4	2020–21 (अप्रैल से मार्च)	282	4228.46	75	1546.46
5	2021–22 (अप्रैल से सितम्बर)	133	305.32	4	600.20

12.12 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :– गांव की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति की कल्पना अच्छी सड़कों के बिना संभव नहीं है। इसलिये आवश्यक है कि प्रत्येक गांव को बारामासी सड़कों से जोड़ा जावे। अतः भारत सरकार द्वारा 25.12.2000 को ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि ''सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र एवं आई.ए.पी. जिलों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है''। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 09 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 07 जिलों के 29 विकासखण्डों का चयन करते हुए इन विकासखण्डों में 100 से 249 जनसंख्या वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने हेतु स्वीकृति है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सिर्फ अन्य जिला सड़कों एवं ग्राम सड़कों को सम्मिलित किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र की सड़कों को इस कार्यक्रम की परिधि से बाहर रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बसाहट को कम से कम एक बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है।

योजना के प्रारंभ से अब तक 8,539 सड़कें, लंबाई 42,524 किमी. एवं 375 वृहद पुल कुल राशि रु. 16,128 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई। माह–सितम्बर 2021 तक 7,631 सड़कें, 38,038 किमी. लंबाई एवं 323 वृहद पुल पूर्ण कर रु. 13,273 करोड़ का व्यय किया गया है।

तालिका क्र. 12.12 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना (राशि करोड़ रू. में, लंबाई कि.मी. में)

क्र.	वर्ष	पूर्ण सड़कों की संख्या	पूर्ण लम्बाई	व्यय राशि
1	2020-21 (अप्रैल से सितम्बर)	10	27.58	24.41
2	2020-21 (अप्रैल से मार्च)	98	387.49	170.80
3	2021-22 (अप्रैल से सितम्बर)	59	133.01	45.70

12.13 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना :– 23 अप्रैल 2011 से शत–प्रतिशत राज्य पोषित योजना अंतर्गत ऐसी बसाहटें जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों में नहीं हैं, को डामरीकृत/पक्के मार्गो से जोड़ने का प्रावधान है। वर्तमान में इस योजना अंतर्गत प्रदेश के सामान्य जिलों के सामान्य विकासखण्डों के 250 या उससे अधिक जनसंख्या (2011 जनगणना के आधार पर) की बिना जुड़ी बसाहटों को बारहमासी डामरीकृत सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ते हुए सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाना है।

योजना अंतर्गत अद्यतन निर्माण योग्य 1,771 सड़कें, लंबाई 5,361.90 कि.मी.,राशि रू. 2,726.40 करोड़ स्वीकृत है। माह–सितम्बर 2021 तक 1,591 सड़कें, लंबाई 4,580.94 कि.मी., लंबाई पूर्ण कर रू. 2,098.56 करोड़ व्यय किया गया है।

तालिका क्र. 12.13 मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना (राशि करोड़ रू.में, लंबाई कि.मी. में)

क.	वर्ष	पूर्ण गौरवपथ की संख्या	पूर्ण लम्बाई	व्यय राशि
(अ)	2020-21 (अप्रैल से सितम्बर तक)	146	49.91	14.66
	2020-21 (अप्रैल से मार्च तक)	261	94.00	50.30
(ब)	2021-22 (अप्रैल से सितम्बर तक)	13	6.70	6.27

12.14 मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना :– वर्ष 2012–13 से लागू। सीमेंट कांक्रीट सड़क एवं नाली का निर्माण (शहरो में गौरव पथ के तर्ज पर), कम से कम 200 मीटर एवं अधिकतम 500 मीटर लंबाई, 6. 00 मी. चौड़ाई की सड़क, बीच में 4.00 मी. चौड़ाई में कांक्रीट मार्ग निर्माण, 0.50 मी. चौड़ाई में दोनों तरफ कांक्रीट पेविंग/खरंजा तथा शेष चौड़ाई में दोनों तरफ 0.50 मी. चौड़ाई में "V" आकार की नाली का निर्माण किया जाता है।

मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना अंतर्गत एक तरफ नाली निर्माण आवश्यक है। यदि अपरिहार्य कारणों से एक तरफ भी नाली निर्माण हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध न हो ऐसी स्थिति में गौरव पथ का निर्माण प्रारंभ नहीं कर कार्य निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित करने के निर्देश हैं।

इस योजना अंतर्गत अब तक 7,070 कार्य, लंबाई 2,032.58 कि.मी., लागत रू. 1,240.20 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, अद्यतन कुल 7,061 ग्राम गौरवपथ, लंबाई 2,089.00 कि.मी. पूर्ण कर

राशि रू. 1,034.80 करोड़ व्यय किया गया है। वर्ष 2021–22 में इस योजना में पुराने कार्य हेतु राशि रू. 15.00 करोड़ एवं नये कार्य हेतु राशि रू. 66.00 करोड़, कुल राशि रू. 81.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। माह सितंबर 2021 तक 6.27 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

12.15 सांसद आदर्श ग्राम योजना :– 11 अक्टूबर, 2014 से पूरे देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की गई।

12.15.1 प्रथम चरण :– प्रथम चरण के दौरान छत्तीसगढ के 11 लोकसभा तथा 5 राज्यसभा सांसदों द्वारा 16 ग्रामों का चयन किया गया, जिसकी जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। चयनित ग्रामों की VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। जिसमें कुल 1,670 कार्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्ण कार्यो की संख्या 1,560 है। प्रगतिरत कार्यो की संख्या 13 एवं 97 कार्य अप्रारंभ हैं।

12.15.2 द्वितीय चरण :– द्वितीय चरण में माननीय सांसदों द्वारा 16 ग्रामों का चयन किया गया, जिसकी जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। चयनित ग्रामों की VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया, जिसमें कुल 1,027 कार्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्ण कार्यो की संख्या 846 है। प्रगतिरत कार्यो की संख्या 18 एवं 163 कार्य अप्रारंभ हैं।

12.15.3 तृतीय चरण :– तृतीय चरण में माननीय सांसदों द्वारा 12 ग्रामों का चयन किया गया, जिसकी जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। चयनित ग्रामों की VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिसमें कुल 581 कार्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्ण कार्यो की संख्या 422 है। प्रगतिरत कार्यो की संख्या 25 एवं 134 कार्य अप्रारंभ हैं।

12.15.4चतुर्थ चरण :– चतुर्थ चरण में माननीय सांसदों द्वारा 16 ग्रामों का चयन किया गया, जिसमें से 14 ग्रामों की जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। चयनित 14 ग्रामों में से 11 ग्रामों का VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। जिसमें कुल 316 कार्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्ण कार्यो की संख्या 143 है। प्रगतिरत कार्यो की संख्या 18 एवं 155 कार्य अप्रारंभ है, शेष ग्रामों का VDP निर्माण प्रकियारत है।

12.15.5पंचम चरण :– पंचम चरण में माननीय सांसदों द्वारा 13 ग्रामों का चयन किया गया, जिसमें से 4 ग्रामों की जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। चयनित ग्रामों में से 1 ग्राम का VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिसमें कुल 69 कार्यो को शामिल किया गया है, शेष ग्रामों का VDP निर्माण प्रकियारत है।

12.15.6षष्टम चरण :– षष्टम चरण में माननीय सांसदों द्वारा 12 ग्रामों का चयन किया गया, जिसमें से 4 ग्रामों की जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। चयनित ग्रामों में से 2 ग्रामों का VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। जिसमें कुल 85 कार्यो को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्ण कार्यो की संख्या 3 है। प्रगतिरत कार्यो की संख्या 7 एवं 75 कार्य अप्रारंभ है, शेष ग्रामों का VDP निर्माण प्रक्रियारत है।

12.15.7सप्तम चरण :– सप्तम चरण में माननीय सांसदों द्वारा 10 ग्रामों का चयन किया गया, जिसमें से 5 –ग्रामों की जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, शेष ग्रामों का VDP निर्माण प्रक्रियारत है।

12.15.8अष्टम चरण :– अष्टम चरण में माननीय सांसदों द्वारा 10 ग्रामों का चयन किया गया, जिसमें से 3– ग्रामों की जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, शेष ग्रामों का VDP निर्माण प्रक्रियारत है।

12.16 विधायक आदर्श ग्राम योजना :– माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 29 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तर्ज पर विधायकों से भी एक–एक ग्राम पंचायत को विकसित करने का सुझाव दिया गया। जिसके तारतम्य में 01 अप्रैल 2015 से छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई है।

12.16.1 प्रथम चरण– प्रथम चरण के दौरान छत्तीसगढ के 90 विधायकों द्वारा एक–एक ग्राम का चयन किया गया। जिसकी जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। चयनित ग्रामों की VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। जिसमें कुल 8,630 कार्यो को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्ण कार्यो की संख्या 3,018 है। प्रगतिरत कार्यो की संख्या 316 एवं 5,296 कार्य अप्रारंभ हैं।

12.16.2 द्वितीय चरण– द्वितीय चरण के दौरान माननीय विधायकों द्वारा 81 ग्रामों का चयन किया गया जिसकी जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। चयनित ग्रामों की VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। जिसमें कुल 2,125 कार्य को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्ण कार्यो की संख्या 966 है। प्रगतिरत कार्यो की संख्या 67 एवं 1,091 कार्य अप्रारंभ है।

12.16.3 तृतीय चरण – तृतीय चरण के दौरान माननीय विधायकों द्वारा 68 ग्रामों का चयन किया गया जिसकी जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। चयनित ग्रामों की VDP वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिसमें कुल 1,660 कार्य को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्ण कार्यो की संख्या 160 है। प्रगतिरत्त कार्यो की संख्या 31 एवं 1,468 कार्य अप्रारंभ है।

12.17 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :– 02 अक्टूबर, 2014 से स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में स्वच्छता के माध्यम से सुधार लाना है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के क्रम में पूरे राष्ट्र को 02 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौचमुक्त किया जाना था। प्रचार–प्रसार के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा और साफ–सफाई की आदतों को बढ़ावा देना है। सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त तकनीक को बढ़ावा देना है। सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त तकनीकी को बढ़ावा देना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट को उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

प्रदेश को खुले में शौचमुक्त किए जाने के क्रम में वर्ष 2012 में हुए आधारभूत सर्वेक्षणों के अनुसार प्रदेश में कुल 26,76,670 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण लक्षित था। वर्ष 2012 के

सर्वेक्षणों में छूटे एवं बढ़े हुए परिवारों को सम्मिलित करते हुए प्रदेश में कुल 32,39,197 व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण हुआ। प्रदेश के समस्त 10,971 ग्राम पंचायतों में से 10,728 ग्राम पंचायतें (LWE क्षेत्रों की 246 ग्राम पंचायतों को छोड़कर) 04 जनवरी, 2018 को खुले में शौच मुक्त हुए।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस 2 :– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लक्ष्यानुरूप 02 अक्टूबर, 2019 को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र खुले में शौचमुक्त घोषित हुआ। 01 अप्रैल, 2020 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के फेस–2 की शुरूआत हुई जिसका क्रियान्वयन 31 मार्च, 2025 तक किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस–2 के घटक निम्नानुसार हैं :–

वित्तीय वर्ष 2020–21 में उपलब्ध राशि रू. 740.11 करोड़ के विरूद्ध 454.35 करोड़ का व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 2021–22 (माह सितंबर, 2020 की स्थिति) में उपलब्ध राशि रू. 290.78 लाख रू. के विरूद्ध 50.10 करोड़ रूपयों की राशि का व्यय हुआ।

तालिका क. 12.14 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) भौतिक प्रगति

क्र.	मद	वर्ष 2020–21		वर्ष 2021–22 (अक्टूबर, 2021)	
		लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय	87383	10561	154418	28929
2	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन	3522	49	4853	509
3	सामुदायिक शौचालय	7018	2125	6031	2775

1. **12.18 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना** :– श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की शुरूआत छत्तीसगढ़ राज्य से दिनांक 21.02.2016 को की गई। मिशन की परिकल्पना अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किये बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जन–जीवन के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए गांवों के क्लस्टर को ''रूर्बन गांव'' के रूप में विकसित करना है।

2. **लक्ष्यः–** मिशन अंतर्गत देशभर में कुल 300 रूर्बन क्लस्टर का सृजन किया जाना है। उक्त लक्ष्य में से छत्तीसगढ़ राज्य से तीन चरणों में कुल 19 क्लस्टर का चयन किया गया है, जिसमें 12 जनजातीय क्लस्टर तथा 07 गैर–जनजातीय क्लस्टर शामिल हैं।

3. **भौतिक उपलब्धि :–** योजनांतर्गत चयनित समस्त 19 में से 18 क्लस्टर के विस्तृत कार्ययोजना (डी.पी.आर.) को राज्य स्तरीय सशक्त समिति एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। डीपीआर में सम्मिलित कुल 7,725 कार्यों में से अक्टूबर 2021 तक 5,216 (67.52%) कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, जिसमें से CGF अंतर्गत कुल 4,715 कार्यों में से 3,093 (65.60%) व अभिसरण अंतर्गत कुल 3,010 कार्यों में 2,123 (70.53%) कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

4. **वित्तीय उपलब्धि :–**योजनांतर्गत आवश्यक पूरक वित्त पोषण (सीजीएफ) मद में राज्य को कुल राशि रूपए 285 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जबकि कुल स्वीकृत सी.जी.एफ. राशि रू. 375.00 करोड़ है,

जिसके विरुद्ध राशि रूपए 235.00 करोड़ (62.66%) का व्यय किया जा चुका है एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं (अभिसरण मद) से लक्षित राशि रू. 1,066.34 करोड़ के विरुद्ध राशि रूपए 712.57 करोड़ (66.82%) का व्यय किया जा चुका है।

5. **स्थानिक नियोजनः–**मिशन अंतर्गत क्लस्टर के सुव्यवस्थित सृजन हेतु स्थानिक नियोजन प्रक्रिया को विशेष प्राथमिकता दिया जा रहा है। राज्य के 18 क्लस्टर का क्षेत्र सीमांकन अधिसूचना प्रकाशन का कार्य पूर्ण। अभी तक 08 रूर्बन क्लस्टरों (भंवरपुर जिला महासमुन्द, मुरमुंदा जिला राजनांदगाय, मड़पाल जिला बस्तर, रघुनाथपुर जिला सरगुजा, हरदीबाजार जिला कोरबा, कुंडा जिला कबीरधाम, रामपुर जिला धमतरी एवं बड़ेकापसी जिला कांकेर) का स्ट्रक्चरल प्लान तैयार कर लिया गया है तथा शीघ्र ही सभी 18 क्लस्टर के स्ट्रक्चरल प्लान तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6. **एम.आई.एस.प्रगतिः–**चयनित सभी 18 क्लस्टर के विस्तृत कार्ययोजना को एमआईएस पोर्टल पर एन्ट्री पूर्ण करने वाला देश का पहला राज्य है। वर्तमान में समस्त क्लस्टर में रुर्बन सॉफ्ट पोर्टल पर FTO के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। मिशन अंतर्गत जीओ टैंगिंग का पायलट करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है तथा अभी तक कुल 5,089 (91.00%) कार्यों की जीओ टैंगिंग पूर्ण कर ली गई है।

7. **राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि** –भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय जारी पत्र क्रमांक K-11033/10/2018-Rurban-Part2 दिनांक 08.01.2021 अनुसार छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है।

8. भारत सरकार द्वारा देश के 75 शीर्ष रूर्बन क्लस्टर में छत्तीसगढ़ राज्य के 13 क्लस्टरों को शामिल किया गया है।

प्राप्त पुरूस्कारों का विवरण :–

क्र.	वित्तीय वर्ष	प्राप्ति दिनांक	पुरूस्कार का विवरण
1	2016–17	08 दिसम्बर 2017	"पूर्वीय राज्यों में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफार्मिंग स्टेट"
2	2017–18	11 सितम्बर 2018	"देश में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफार्मिंग स्टेट"
3	2018–19	19 दिसम्बर 2019	1) "देश में मिशन के क्रियान्वयन हेतु बेस्ट परफार्मिंग स्टेट" 2) "पहला FTO जारी करने वाला क्लस्टर की श्रेणी" में भी प्रथम पुरस्कार

12.19 रोजगार सेवा –

12.19.1 युवा क्षमता विकास योजना :– प्रदेश में युवाओं की क्षमता के विकास तथा युवा वर्ग को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने हेतु यह आवश्यक है कि राज्य के युवाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण एवं भर्ती प्रकियाओं एवं ऋण अदायगियों में ऐसी कुछ सुविधा प्राप्त हो जिससे वह अपने विकास के राह में आने वाली बाधाओं को सहजता से पारकर अपनी क्षमता का विकास कर सकें। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत कर राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं की क्षमता में वृद्धि करने के लिए "युवा क्षमता विकास योजना" प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत निम्नानुसार प्रावधान है–

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के हितग्राहियों को प्रचलित ब्याज दर में प्रथम वर्ष के लिए 6 प्रतिशत की छूट।

(ख) व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं के शुल्क में रू. 100 प्रति परीक्षार्थी की दर से छूट।

(ग) शासकीय आई.टी.आई. में अध्यनरत छात्रों के शिक्षण शुल्क (अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को छोड़कर शेष छात्रों द्वारा देय रू. 1,000/– प्रतिवर्ष) तथा परीक्षा शुल्क (रू. 100 प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की छूट।

(घ) स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा आयोजित डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नात्कोत्तर परीक्षाओं (बैक पेपर्स को छोड़कर) के परीक्षा शुल्क (लगभग रू. 800 प्रति सेमेस्टर) में 50 प्रतिशत की छूट।

योजान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 4.60 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

12.19.2 रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प का आयोजन :– प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ शासन की सर्वदा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। शासकीय नौकरियों की अपनी सीमा है, जो समस्त बेरोजगारों के लिए पूर्ण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में निजी क्षेत्र ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। रोजगार के 92 प्रतिशत अवसर निजी क्षेत्र में ही उपलब्ध है, क्योंकि राज्य स्थापना के उपरांत बड़ी संख्या में औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठानों की स्थापना इस प्रदेश में हुई है, जहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति में स्थानीय युवाओं के लिए विशेष प्रावधान भी किये हैं।

निजी क्षेत्रों मे रोजगार के उपलब्ध अवसरों का लाभ स्थानीय युवाओं को प्रदान करने के शासन की मंशा को कार्यरूप में परिणित करने, प्रदेश के जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रिक्तियों को स्थानीय युवाओं हेतु उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभिनव कार्यक्रम को रोजगार मेला/प्लेसमेंट केम्प के नाम से सम्पूर्ण प्रदेश में जाना जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 1.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

12.19.3 भारतीय सैन्य बलों में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण :– छत्तीसगढ़ शासन के दूरदर्शी नीति के फलस्वरूप भारतीय सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों हेतु भर्ती रैली का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के युवाओं की भागीदारी भारतीय सैन्य बलों में बढ़ाने के उद्देश्य से एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। शासन द्वारा रोजगार विभाग को आवश्यक बजट उपलब्ध करवाकर भारतीय सैन्य बलों की भर्ती रैली के सफल आयोजन एवं उन रैलियों में राज्य के युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रचार प्रसार एवं भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था रोजगार विभाग के माध्यम से की जाती है। इसका सुपरिणाम राज्य के युवाओं के चयन में निरंतर वृद्वि के रूप में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 64 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

''**रोजगार पक्ष**'' की विभागीय योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 12.15 रोजगार पक्ष'' की विभागीय योजनाओं का विवरण (राशि लाखों में)

क.	योजना का नाम	वर्ष 2020–21 (अप्रैल से सितं.)				वर्ष 2020–21 (अप्रैल से मार्च)				वर्ष 2021–21 (अप्रैल से सितं.)			
		उपलब्धि				उपलब्धि				उपलब्धि			
		भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय			भौतिक	वित्तीय		
			प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत		प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत		प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	युवा क्षमता विकास योजना	0	200.00	0	0	4166	200.00	20.83	20.83	0	400.00	0	0
2	रोजगार मेला	813	51.00	3.79	7.43	1808	51.00	32.13	63.00	411	100.00	2.57	2.57
3	सेना भर्ती	0	44.00	0.57	1.30	0	44.00	14.40	32.73	0	64.00	0.22	0.34

नगरीय विकास

13

नगरीय विकास

मुख्य बिन्दु

- ग्रामों से नगरो की ओर जनसंख्या का आना अर्थव्यस्था में विकास की कुंजी तथा शहरों की संख्या में वृद्धि सम्पन्नता को बढ़ाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, दूरसंचार इसके मूल तत्व हैं। वर्ष 1951 में जहाँ शहरीकरण 4.88 प्रतिशत (3.64 लाख) था, यह वर्ष 2011 में बढ़कर 23.24 प्रतिशत (59.37 लाख) हो गया है।

- शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं हेतु संचालित योजनाएं –सरोवर धरोहर योजना, ज्ञानस्थली योजना, उन्मुक्त खेल मैदान योजना, पुष्प वाटिका उद्यान योजना, राजीव गॉधी स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुक्तिधाम निर्माण योजना, हाट–बाजार समृद्धि योजना, सॉस्कृतिक भवन योजना, भागीरथी नलजल योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, मिशन क्लीन सिटी इत्यादि।

- गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर खरीदी हेतु समस्त 166 नगरीय निकायों में 377 गोधन खरीदी केंद्र स्वीकृत किये गए हैं।

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्य को लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

- स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पाटन, जशपुरनगर, धमतरी, अंबिकापुर एवं भिलाईनगर ने अपने–अपने जनसंख्या श्रेणी में देश के स्वच्छतम शहर होने का गौरव प्राप्त किया है।

नगरीय विकास

विश्व तीव्रगति से शहरीकृत होता जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता अधिकाधिक नगरीय सभ्यता बनती जा रही है। मानव सभ्यता की प्रवृत्ति ग्रामों से शहरों की ओर जाने की है। अर्थव्यवस्था के पैमाने के अनुसार उच्च जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व लेन–देन का व्यय कम करता है तथा सेवाओं को सस्ता बनाता है। बड़े शहरों में आनुपातिक रूप से प्रवर्तन, उत्कर्ष, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक होता है।

तालिका 13.1 छत्तीसगढ़ में शहरीकरण की गति

मद	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
कुल जनसंख्या (लाख)	74.57	91.54	116.37	140.1	176.15	208.34	255.45
दशकीय जनसंख्या कुल वृद्धि दर	9.42	22.77	27.12	20.39	25.73	18.27	22.61
शहरी जनसंख्या (लाख)	3.64	7.63	12.08	20.58	30.65	41.86	59.37
दशकीय शहरी जनसंख्या वृद्धि दर		109.52	58.37	70.39	48.9	36.58	41.84
कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	4.88	8.33	10.38	14.69	17.4	20.09	23.24
भारत की कुल जनसंख्या	3,611	4,392	5,482	6,833	8,464	10,287	12,109
भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर	13.31	21.64	24.8	24.66	23.87	21.54	17.7
भारत की शहरी जनसंख्या (लाख)	624	789	1,091	1,595	2,176	2,861	3,771
भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	17.28	17.96	19.9	23.34	25.71	27.81	31.14

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या न केवल छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या की वृद्धि से अधिक बढ़ रही है, बल्कि यह समस्त देश के शहरी जनसंख्या वृद्धि से अधिक गति से बढ़ रही है। जहां वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या का नगरीय भाग 5 प्रतिशत से भी कम था वहीं वर्ष 2011 की जनगणनानुसार इसमें 23 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से वर्ष 1951 में शहरी जनसंख्या केवल 3.64 लाख थी जो अब बढ़कर 2011 जनगणना के अनुसार 59.37 लाख हो गई है। यह वास्तव में शहरीकरण के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति है। तथापि यह ध्यान देने योग्य है कि शहरीकरण का स्तर (23.24 प्रतिशत 2011 जनगणना के अनुसार) देश के स्तर (31.23 प्रतिशत 2011 जनगणना अनुसार) से काफी कम है। यह मुख्यतः शहरीकरण के देर से आरंभ होने, राज्य में कम औद्योगीकरण एवं गरीबी का स्तर उच्च होने इत्यादि के कारण हैं। गरीब अर्थव्यवस्था से अमीर अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या के जाने की गति पर निर्भर करता है। राज्य में रायपुर–भिलाई पेटी में सबसे तीव्र शहरीकरण देखा जा सकता है।

मूल निवास इकाइयों की श्रेणी एवं गुणवत्ता अर्थव्यवस्था की सफलता निर्धारित करती है। बड़ी उत्पादन इकाइयों को बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे सहायक गतिविधियाँ बढ़

जाती है, जिससे पुनः अधिक जनबल की आवश्यकता पड़ती है। किसी विशेष स्थान पर बहुत बड़ी जनसंख्या होने से भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, आवास, यातायात, सड़कें, दूरसंचार, जलप्रदाय, स्वच्छता इत्यादि की अधिक मांग बढ़ती है।

सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्य क्रमांक 11 के अंतर्गत भी शहर और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित लचनशील और चिरस्थायी बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत वर्ष 2030 तक प्राप्त किये जाने हेतु निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं–

1. पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती आवास और आधारभूत सेवाओं तक सभी के लिए पहुँच सुनिश्चित करना और मलिन बस्तियों का उन्नयन करना।
2. सड़क सुरक्षा में सुधार करते हुए, विशेषकर कमजोर स्थिति वाले लोगों, महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध व्यक्तियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने के साथ सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करके, सभी के लिए सुरक्षित, सस्ती, सुलभ और चिरस्थाई परिवहन व्यवस्था तक पहुँच प्रदान करना।
3. सभी देशों में समावेशी और चिरस्थाई शहरीकरण और सहभागी, एकीकृत और चिरस्थाई मानव बस्ती योजना और प्रबंधन के लिए क्षमता का संवर्धन करना।
4. विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए प्रयासों का सुदृढ़ीकरण करना।
5. हवा की गुणवत्ता और नगर निगम और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने सहित शहरों का प्रति व्यक्ति प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव कम करना।
6. विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरित और सार्वजनिक स्थलों तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना।

छत्तीसगढ़ के नगरीय सामाजिक संकेतांकों की दृष्टि से तुलनात्मक उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र से बेहतर कार्य निष्पादन को भी दर्शाता है।

तालिका 13.2 छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सूचकांक

सूचकांक	2019-21			2019		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
अशोधित जन्म दर				22.2	23.6	17.6
कुल प्रजनन क्षमता दर	1.8	1.9	1.4			
शिशु मृत्यु दर	44.3	48.7	26.2	40	41	34
5 साल के नीचे मृत्यु दर	50.4	55.8	28.9			
अशोधित मृत्यु दर				7.3	7.7	6.2
Source:- NFHS 2019-21				Source:- SRS 2019		

तालिका 13.3 जीवित जन्म 2008—19 संस्थागत प्रसव (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत													
मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
कुल	35.2	40.3	47.4	54.1	63.3	66.5	71.8	57.9	50.7	59.2	73.8	80.5	88.0
ग्रामीण	30.7	35.9	43.0	50.3	60.5	64.0	68.2	47.6	40.0	52.3	37.7	40.5	85.7
नगरीय	65.6	68.9	76.9	79.2	81.7	83.3	85.2	73.9	72.2	73.4	36.1	40.0	90.4
Source : Annual Vital Statistics Report													

तालिका 13.4 मृत्यु 2008—19 संस्थागत (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल) का प्रतिशत													
मद	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
कुल	25.1	25.7	25.8	26.2	26.5	32.1	35.9	29.1	30.5	36.8	40.8	39.9	26.2
ग्रामीण	20.9	21.5	21.7	22.2	22.7	28.8	31.5	20.9	22.6	25.3	21.0	13.9	9.9
नगरीय	50.1	50.3	50.6	50.9	51.3	53.7	56.8	46.3	49.5	56.0	19.9	21.0	51.2
Source : Annual Vital Statistics Report													

13.1 नगरीय निकाय :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'थ' के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र तथा संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए क्रमशः नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के गठन की व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या निम्नानुसार है:—

संविधान के अनुच्छेद 243 'ब' के अधीन नगरीय निकायों को अनुसूची—XII में दर्शित दायित्वों का निर्वहन किया जाना है। नगरीय व्यवस्था के प्रबंधन एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु अनुच्छेद 243 'द' के अधीन प्रत्येक नगरीय निकाय हेतु जनता द्वारा चुनी गई नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की व्यवस्था है।

क्र.	निकाय	संख्या
1	नगर पालिक निगम	14
2	नगर पालिका परिषद्	43
3	नगर पंचायत	112
	कुल	169

13.2 सामान्य या प्रमुख विशेषताएँ :—

13.2.1 वित्तीय प्रशासन :—

संविधान के अनुच्छेद 243 'भ' में करारोपण द्वारा राजस्व वसूली का अधिकार नगरीय निकायों को प्राप्त है। इस संवैधानिक व्यवस्था को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 132 एवं 127 में क्रमशः स्थापित किया गया है। निकायों को शासन द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान तथा यात्रीकर विशेष अनुदान का भुगतान मासिक तौर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त निकाय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नांकित कर अधिरोपित किए जाते हैं:—

1. संपत्ति कर 2. समेकित कर 3. जलकर 4. निर्यात कर

नगरीय क्षेत्रों में संपत्तिकर के निर्धारण एवं वसूली की प्रक्रिया में अनुभव की गई कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा संपत्तिकर के स्व–निर्धारण की प्रक्रिया नगरीय क्षेत्रों में लागू की गई है। इसके अंतर्गत संबंधित निकायों द्वारा क्षेत्रवार अधिसूचित वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर करदाता स्वयं उसके द्वारा धारित संपत्ति पर देय संपत्ति कर का आंकलन तथा तद्नुसार स्व–निर्धारित राशि निकाय के कोष में जमा करता है।

शासन द्वारा संपत्तिकर के स्वनिर्धारण प्रक्रिया लागू करने के साथ ही सफाई कर, प्रकाश कर एवं अग्निकर के बदले वार्षिक भाड़ा मूल्य के आधार पर समेकित कर नगरीय क्षेत्रों में लागू किया गया है।

13.2..2 छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निधि :– प्रदेश में नगरीय निकायों के योजनाबद्ध विकास हेतु छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम , 2003 बनाया गया है। जिसके अध्यक्ष विभाग के माननीय मंत्रीजी हैं।

नगर विकास निधि के अंतर्गत दो खातों, न्यागमन खाता एवं अधोसंरचना खाते का संधारण किया जाता है। न्यागमन खाते के अंतर्गत नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति, यात्रीकर, मुद्रांक शुल्क, बार लायसेन्स एवं अन्य क्षतिपूर्ति के अनुदान को शामिल किया जाता है, जिसे नगरीय निकाय द्वारा स्वविवेक से खर्च किया जाता है।

अधोसंरचना खाते के अंतर्गत नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति के बाद शेष अतिरिक्त राशि, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा, सड़क मरम्मत अनुरक्षण जैसे मद को शामिल कर निधि का निर्माण किया जाता है एवं इस राशि से निम्नानुसार कार्यों को संपादित किया जाता है :–

- सड़कों से संबंधित कार्य, जिसमें उनके मरम्मत कार्य भी सम्मिलित है।
- पेयजल योजना के लिए आवश्यक रकम में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला अनुदान भी शामिल है।
- किसी विशेष योजना, जो राज्य शासन द्वारा लागू की गई है।
- कूड़ा–कचरा अपशिष्ठ का प्रबंधन।
- नगरीय स्थानीय निकायों में मूलभूत सुविधाओं का विकास।

13.3 विभाग द्वारा संचालित प्रमुख राज्य प्रवर्तित योजनाएँ :–

13.3.1 नवीन सरोवर धरोहर योजना :– शहरी क्षेत्रों में स्थित तालाबों के पुनरोद्धार सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरण सुधार की एकीकृत योजना। जलाशयों के संपूर्ण विकास हेतु आवश्यकतानुसार चरण बद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करना। जलाशयों में दूषित जल के प्रवेश को रोकना तथा अतिक्रमण मुक्त कराना। परिसर में वृहद वृक्षारोपण संरक्षण ऐरियेशन से जल की सफाई पाथवे विद्युतीकरण सहित एवं

महिला घाट का अनिवार्य प्रावधान। तालाब में मत्स्य पालन मूर्तियां एवं अन्य सामग्री का विसर्जन पूर्णतः प्रतिबंध। प्रथम चरण में रू. 3.00 लाख, द्वितीय चरण में रू. 22.50 लाख एवं तृतीय चरण में रू. 12.00 लाख, प्रति हेक्टेयर का प्रावधान। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 101 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 2,614.688 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अद्यतन 05 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 13.70 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.2 ज्ञानस्थली योजना :– शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के जीर्णोद्धार तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण की योजना। प्राथमिक शाला के लिए 8.75 लाख रूपए, माध्यमिक शालाओं के लिए 13.70 लाख, उच्चत्तर माध्यमिक शालाओं के लिए 15.25 लाख तथा महाविद्यालय के लिए 18.24 लाख रूपये का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 23 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 211.66 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अद्यतन 22 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 243.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.3 उन्मुक्त खेल मैदान योजना :– शहरी क्षेत्रों में स्थित खेल मैदानों के संरक्षण एवं नवीन खेल मैदान बनाने की योजना। प्रति हेक्टेयर 40.50 लाख रूपये का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 09 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 444.46 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अद्यतन राशि रू. 2163.36 लाख व्यय, 177 परियोजनाएं पूर्ण।

13.3.4 पुष्प वाटिका उद्यान योजना :– शहरी क्षेत्रों में रिक्त स्थानों एवं कॉलोनियों के बीच स्थित स्थानों को विकसित कर उद्यान बनाने की योजना। प्रति हेक्टेयर रू. 37.00 लाख का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 33 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 1054.64 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अद्यतन 04 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 96.72 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.5 राजीव गॉधी स्वालंबन योजनाः– असंगठित रूप से गुमटी–ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों की आर्थिक उत्थान की योजना। प्रति गुमटी रू. 0.30 लाख का प्रावधान। नगरीय निकाय को शत–प्रतिशत अनुदान। योजनांतर्गत वर्ष 2017–18 में 19 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 5.70 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब–तक 3,714 गुमटियों हेतु राशि रू. 642.30 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.6 मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना :– नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने की योजना। बड़ी दुकानों के लिए रू. 1.18 लाख तथा रू. 0.98 लाख की लागत से छोटी दुकान एवं रू. 6,500 की लागत से चबूतरों का निर्माण। नगरीय निकायों को 50 प्रतिशत ऋण एवं 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान। दुकान एवं चबूतरे नगरीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों को निर्धारित न्यूनतम अमानत राशि एवं मासिक किराये पर आबंटन। वर्ष 2018–19 में 250 परियोजनाओं हेतु रू. राशि 106.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत अब–तक 12,762 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 2,894.98 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.7 मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना :– विभाग द्वारा नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढीकरण हेतु तथा एक स्थान पर नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ नगर के सुव्यवस्थित विकास तथा रोजगार के संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से कमर्शियल कॉम्पलेक्स के विकास एवं निर्माण हेतु **मुख्यमंत्री पालिका बाजार** योजना प्रारंभ की गई है। इससे नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा वे आय अर्जित कर, आर्थिक रूप से सक्षम बनने की दिशा में अग्रसर होंगे।

13.3.8 पौनी पसारी योजना – प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों एवं स्व–सहायता समूह की महिलाओं को कौशल उन्नयन उपरान्त सघन शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु किफायती दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यह योजना छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपरा के अंतर्गत " पौनी–पसारी" व्यवसाय को नवजीवन प्रदान करने में सहायक होगी। योजनांतर्गत प्रति नग 30.00 लाख की पात्रता निर्धारित है। नगरीय निकायों को शत प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2021–22 में 01 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 26.35 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन 261 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 7,283.07 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.10 प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना :– सड़क मार्ग आवागमन का महत्वपूर्ण साधन है। अतः आवागमन को सरल बनाने हेतु राज्य शासन द्वारा प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना लागू की गयी है। इस योजना में अनुभवों को देखते हुए अब शेष स्थानों पर बस स्टैण्ड व सुव्यवस्थित बाजार की उपलब्धता हेतु प्रतीक्षा बस स्टैण्ड सह व्यवसायिक परिसर (प्रतीक्षा बस स्टैण्ड योजना–द्वितीय चरण) बनाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना अंतर्गत नगर निगमों में राशि रूपये 50.00 लाख, नगर पालिकाओं में राशि रूपये 33.00 लाख एवं नगर पंचायतों में राशि रूपये 17.00 लाख का परिसर निर्माण किया जाता हैं। अब तक 146 परियोजनाओं हेतु राशि रूपये 3,553.80 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

13.3.11 मुक्तिधाम निर्माण योजना :– शहरी क्षेत्र के सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए सुव्यवस्थित मुक्तिधाम योजना। नगरीय निकायों को प्रथम चरण शवदाह शेड, प्रतिक्षालय, चौकीदार कक्ष, एवं स्टोरेज हेतु रू. 10.00 लाख, पॉथवे पेयजल तथा पाईप लाईन फेंसिग प्रवेश द्वार विकास कार्य (उद्यान एवं नलकूल) विद्युतीकरण टॉयलेट ब्लाक द्वितीय चरण हेतु रू.15.00 लाख प्रति हेक्टेयर का प्रावधान। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 38 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 645.869 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अद्यतन 03 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 52.70 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.12 हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना :– असंगठित रूप से गुमटी, ठेले एवं फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक वस्तुओं के सुलभ तरीके से विक्रय हेतु योजना। नगर निगमों को रू. 100.00 लाख, नगर पालिका परिषद् को रू. 70.00 लाख तथा नगर पंचायत को रू. 40.00 लाख का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 03 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 74.15 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन रू. 5186.74 लाख व्यय, 108 परियोजनाएं पूर्ण।

13.3.13 सांस्कृतिक भवन निर्माण योजना :– नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक, मांगलिक एवं अन्य सामाजिक कार्यों हेतु एक सुलभ सुसज्जित भवन उपलब्ध कराने की योजना। नगर पालिक निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा में रू. 100.00 लाख तथा शेष नगर पालिक निगमों में रू. 75.00 लाख, 50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले तथा जिला मुख्यालय के नगर पालिकाओं में रू. 50.00 लाख, शेष नगर पालिकाओं में रू. 35.00 लाख शेष नगर पंचायतों में रू. 25.00 लाख का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 14 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 277.48 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.14 रेग पिकर्स कल्याण योजना :– नगरीय क्षेत्रों मे एक ऐसा तबका जो कि रेग पिकर्स के नाम से जाना जाता है, उनका व्यवसाय कचरे से पेपर्स, पॉलीथिन, लोहा, कॉच एवं अन्य पुर्नचक्रित करने योग्य अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित कर उनका विक्रय कर जीविकोपार्जन करना है, प्रगति की राह में समाज के अन्य वर्गों से अपेक्षाकृत पिछड़े हुए है, अतएव उनके उत्थान के लिए सूडा द्वारा राज्य प्रवर्तित योजना तैयार की गई है। रेग पिकर्स के चिन्हाकंन हेतु वार्डवार सर्वेक्षण किए जाते है एवं पात्र हितग्राही को रू. 3,700.00 के मान से राशि अवमुक्त की जायेगी। रेग पिकर्स को फोटो युक्त परिचय पत्र निकाय द्वारा प्रदान किया जावेगा। वर्तमान में इनको निकाय की डोर टू डोर कलेक्शन योजना में प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अद्यतन 8,612 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 318. 644 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

13.3.15 भागीरथी नल–जल योजना :– राज्य के लगभग 5.00 लाख परिवार विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में स्थित तंग बस्तियों में निवासरत है। पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित गरीब परिवारों को निःशुल्क नल संयोजन प्रदान किये जाने हेतु भागीरथी नल जल योजना लागू की गई है। प्रति आवासीय इकाई में नल संयोजन हेतु रू. 3,000.00 का प्रावधान। नगरीय निकायों को शत–प्रतिशत अनुदान। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 2,860 परियोजनाओं हेतु राशि रू. 83.28 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। 150 नगरीय निकायों को 2,63,391 नल संयोजन के लिए राशि रू. 7,897.68 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। अद्यतन रू. 4,758.833 लाख व्यय, 1,75,503 नल संयोजन का कार्य पूर्ण।

13.3.16 मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना :– शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नए कलेवर में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है। प्रथम चरण में सभी 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एंबुलेंस के जरिए डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस योजना में आम नागरिकों को मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा मेडिकल कैंप के माध्यम से फ्री (मुफ्त) में परामर्श, उपचार, दवाइयां एवं दैनंदिन होने वाले टेस्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लीनिक भी इसी योजना की कड़ी है। इसमें संपूर्ण महिला स्टाफ के साथ एमएमयू गरीबी बस्तियों की महिलाओं के इलाज हेतु उनकी बस्तियों में जा रही है। प्रदेश के 14 नगर निगमों के लगभग 900 स्लम क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों हेतु अब तक कुल 2,326 शिविर आयोजित, 1,25,473 मरीजों को इलाज मिला।

विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं:–

13.4 स्मार्ट सिटी मिशन :– भारत सरकार द्वारा देश में कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने हेतु मिशन स्मार्ट सिटी प्रारंभ किया गया है, जिसमें प्रदेश के 03 शहरों रायपुर, बिलासपुर एवं नवा रायपुर को सम्मिलित किया गया है।

- मिशन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहरों के विकास के लिए स्मार्ट सिटी प्लान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त प्लान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु पेयजल, विद्युत की 24 घण्टे उपलब्धता तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु बिजली की खपत में कमी लाने हेतु एलईडी लाईट, अण्डरग्राउण्ड विद्युत वितरण प्रणाली, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का विकास, अत्याधुनिक पार्कों एवं ग्रीन स्पेसेस तथा बाजारों के विकास का कार्य प्रस्तावित है।

- **रायपुर** स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रू. 3,139.00 करोड़ का प्लान स्वीकृत है, जिसमें से लगभग रू. 682.60 करोड़ के 130 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, इसी प्रकार राशि रू. 201.60 करोड़ के 105 कार्य प्रगति पर हैं, राशि रू. 698.90 करोड़ की निविदाएं जारी, एवं राशि रू. 493.30 करोड़ की डीपीआर तैयारी पर है।

- शहर में प्रदूषण रहित यातायात प्रणाली के विकास एवं संचालन हेतु ई–रिक्शा, सायकल शेयरिंग, ट्रैफिक पुलिस एवं प्रशासन को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किये जाने के साथ साथ शहरी नागरिकों को दी जाने वाली सार्वजानिक सुविधाओं की समस्त जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने हेतु इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम एवं कंट्रोल सेंटर – "दक्ष" स्थापित किया गया है। बहुप्रतीक्षित जयाहर बाजार पुनर्विकास (रिडेव्हल्पमेंट) का कार्य पूर्ण कर लोकार्पित किया गया है।

- **बिलासपुर** स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रू. 4,053.00 करोड़ का प्लान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। स्मार्ट सिटी के कार्यों हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट (पीएमसी) का चयन किया जा चुका है। लगभग रू. 111.50 करोड़ के 17 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, राशि रू. 1271.20 करोड के 31 कार्य प्रगति पर हैं, इसी प्रकार राशि रू. 122.70 करोड़ के कुल 10 निविदा जारी तथा 35 कार्य डीपीआर अनुमोदन हेतु राशि रू. 2,846.80 करोड़ तथा 05 कार्य हेतु राशि रू. 137.40 करोड़ का डीपीआर तैयार किया गया है।

- **अटल नगर (नया रायपुर)** स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहर के विकास के लिए राशि रू. 1,711.00 करोड़ का प्लान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। अटल नगर में कण्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेंटर का संचालन प्रारंभ किया गया है। अभी तक राशि रू. 96.37 करोड़ के कुल 03 कार्य पूर्ण तथा राशि रू. 302.91 करोड के 14 कार्य प्रगति पर हैं, कुल 03 कार्य हेतु राशि रू. 64.81 करोड़ की निविदा जारी व कुल 20 कार्य के डीपीआर अनुमोदन हेतु 436.20 करोड़ एवं 05 कार्य की डीपीआर तैयारी हेतु राशि रू. 76.57 करोड की परियोजनाएं प्लानिंग स्तर पर हैं।

- **13.5 स्वच्छ भारत मिशन :—** दिनांक 02.10.2017 को प्रदेश के समस्त 168 नगरीय निकायों के कुल 3217 वार्डों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र थर्ड पार्टी निरीक्षण कराने के उपरान्त विधिवत खुले में शौचमुक्त घोषित किया गया है। यह प्रमाणन प्रत्येक छः माह में किया जाता है, जिसमें शहरी छत्तीसगढ़ को लगातार ओडीएफ घोषित किया गया है।

निजी शौचालय अंतर्गत लक्ष्य 3,25,050 शौचालय के विरूद्व 3,24,009 शौचालय का निर्माण पूर्ण एवं 36 का कार्य पूर्णता पर है तथा 1,005 प्रगतिरत् | सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय अंतर्गत लक्ष्य 17,796 सीट में से 17,286 सीटों का निर्माण पूर्ण एवं 510 का कार्य प्रगति पर है।

13.6 मिशन क्लीन सिटी :— भारत सरकार द्वारा लागू स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में वैज्ञानिक रीति से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, प्रदेश के नगर निगम अंबिकापुर द्वारा विकसित ठोस पुर्नचक्रीकरण योग्य कचरे के पृथकीकरण की अवधारणा पर आधारित मॉडल पर 166 नगरीय निकायों में मिशन क्लीन सिटी योजना लागू की गई हैं। उक्त योजनांतर्गत प्रतिदिन लगभग 950 टन उत्सर्जित अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से निपटान किया जा रहा है। योजना में स्थानीय स्वसहायता समूहों द्वारा, डोर टू डोर कलेक्शन, एसएलआरएम सेन्टर का संचालन—संधारण, आर्गेनिक कचरे की कम्पोस्टिंग की जा रही है। अंतिम शेष अपशिष्ट के लिए लैण्डफिल निर्माण किया गया है। एसएलआरएम सेन्टर्स तथा कम्पोस्टिंग शेड, आवश्यक वाहन, उपकरण तथा आनुषांगिक सामग्री क्रय हेतु शत—प्रतिशत वित्तीय सहायता नगरीय निकायों को प्रदान की गई है। उक्त योजना के क्रियान्वयन से नगरीय निकायों में स्वच्छता का वातावरण निर्मित हुआ है तथा महिला स्वसहायता समूहों की लगभग 9,000 महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नवीन अवसर सृजित हुए है। नगर निगम बिलासपुर एवं रायपुर में कचरे से आर.डी.एफ. तैयार करने हेतु संयंत्र स्थापना का कार्य पूर्ण कर कचरे का प्रसंस्करण किया जा रहा है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 — वर्ष 2016 से प्रारंभ हुए स्वच्छ सर्वेक्षण ने भारत में शहरों के बीच स्वच्छता के प्रति एक स्वस्थ्य प्रतिपर्धा की षुरूआत की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में छत्तीसगढ़ ने तीसरा स्थान और 2019 में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ राज्य के 8 शहर 3 स्टॉर शहरों श्रेणी में शामिल हुए थे एवं अंबिकापुर ने देश में 5 स्टॉर शहर का दर्जा प्राप्त कर छत्तीसगढ़ राज्य को गौरवान्वित किया। इस वर्ष छत्तीसगढ़ ने प्रदेश में स्वच्छता के स्तर को और उंचाईयों पर पहुंचाने के लिए राज्य की प्राचीन परंपरा नरवा गरूवा घुरवा बारी को पुर्नजीवित करते हुए **राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रथम स्थान दिलाया है।** स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ राज्य के शहरों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पाटन, जशपुरनगर, धमतरी, अंबिकापुर एवं भिलाईनगर ने अपने—अपने जनसंख्या श्रेणी में देश के स्वच्छतम शहर होने का गौरव प्राप्त किया है। पाटन नगर पंचायत को 25,000 से कम जनसंख्या श्रेणी में देश का स्वच्छतम शहर घोषित किया गया है। इसके साथ ही अकलतरा, भिलाईचरोदा, बीरगांव, चांपा, चिरमिरी, कवर्धा, नरहरपुर, पिपरिया एवं सारागांव नगरीय निकायों को भी देश स्तर पर सम्मानित किया गया है।

गोधन न्याय योजना अंतर्गत योजना के तहत एसएलआरएम सेंटर का उन्नयन करते हुए 377 गोधन न्याय सह गोबर खरीदी केंद्र का विकास नगरीय निकायों में किया जा रहा है, साथ ही इन केंद्रों के निकट ही नवीन गौठान बनाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में गोबर विक्रेता के रूप में हितग्राहियों का पंजीयन किया गया है तथा गोबर क्रय की राशि प्रत्येक 15 दिनों में सीधे हितग्राहियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है।

स्वच्छ भारत मिशन की तरह नरवा गरूवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ में लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करता है। जिसमें नरवा के तहत सभी जल स्त्रोतों को स्वच्छ रखना, गरवा के तहत प्रदेश के मवेशियों को सुरक्षा, घुरवा के तहत घर में ही कंपोस्ट खाद बनाना एवं बारी/गार्डन में इस खाद का उपयोग करना है। इस पद्धति को अपनाकर छत्तीसगढ़ अपनी परंपरा से जुड़कर स्वच्छता की नई राह पर निकल पड़ा है।

सुविधा–24 योजना :– स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यथा संभव समस्त परिवारों को निजी शौचालय उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, किन्तु तालाब की पार, अथवा निकाय की योजना से प्रभावित होने पर अपवाद–स्वरूप अंतिम विकल्प के रूप में सामुदायिक, सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु योजना "सुविधा–24" लागू की गई है। योजना अंतर्गत प्रति सीट औसत लागत रू. 1,40,000 है, जिसमें भारत सरकार का अंशदान रू. 39,200, राज्यांश की राशि रू.13,067.00 एवं शेष राशि अतिरिक्त राज्यांश के रूप में राज्य शासन से अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

योजना के अंतर्गत जर्जर/अनुपयोगी सामुदायिक शौचालयों को तोड़कर नवीन शौचालयों के निर्माण तथा सभी वर्गों के महिलाओं, पुरूषों, बच्चों तथा विकलांगों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार आवश्यक प्रावधान किया गया है। महिला शौचालय में सेनेटरी नेपकिन इनसिनेरेटर तथा रात्रि में शौचालय बन्द होने पर चौबीस घण्टे एक महिला एवं एक पुरूष सीट प्रारंभ रखने की विशेष व्यवस्था की गई है। नगरीय निकायों में एकरूपता के प्रयोजन से विभिन्न सीटों की संख्या के शौचालयों के मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन उपलब्ध कराये गए है। अद्यतन कुल 17,796 सीट में से 17,286 सीटो का निर्माण पूर्ण एवं 510 का कार्य प्रगति पर है।

स्वच्छता श्रृंगार योजना :– प्रदेश के नगरीय निकायों में सामुदायिक शौचालयों के संचालन एवं संधारण हेतु स्वच्छता **श्रृंगार योजना** लागू की गई। योजनांतर्गत शौचालयों के संचालन एवं रखरखाव (लघु टूटफूट) के लिए निकायों को शत्–प्रतिशत मासिक अनुदान– सामुदायिक शौचालय (20 सीटर) रू. 15,000, सामुदायिक शौचालय 20 सीटर से अधिक रू. 18,000 तथा सामुदायिक शौचालय (जिसमें केयर टेकर न हो) हेतु राशि रू. 1,200 प्रतिसीट प्रतिमाह किंतु अधिकतम रू. 15,000 उपलब्ध कराई जाती है।

योजनांतर्गत शौचालयों में उपलब्ध कराने हेतु अनिवार्य सुविधाएं– सामुदायिक शौचालय में शौचालय, मूत्रालय तथा स्नानागार इत्यादि समस्त सुविधाएं निःशुल्क, केयर टेकर, प्रतिदिन न्यूनतम 02 एवं आवश्यकतानुसार सफाई, साबुन, साबुनदानी, एयर फ्रेशनर, फ्लोर वाईपर, आईना, नीले/हरे

डस्टबीन, पेपर, नेपकीन, फिनाईल, झाड़ू, ब्रश, प्रकाश हेतु एलईडी लाईट, सभी दरवाजों की कुण्डी आदि की व्यवस्था साथ ही सेनिटरी पैड वेडिंग मशीन (पे–एण्ड यूज के आधार पर), अनिवार्यतः उर्जा दक्ष विद्युत उपकरण (एलईडी लाईट) का उपयोग, नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली (आईसीटी फिड़बैक सिस्टम), नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली, निदान 1100, स्वच्छता ऐप के माध्यम से दर्ज की जाने वाली शौचालयों से संबंधित शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है।

13.7 मिशन अमृत (अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन) — अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) में जनगणना 2011 के अनुसार 01 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के 09 नगरीय निकाय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ एवं कोरबा सम्मिलित है। मिशन के प्रमुख घटक जल प्रदाय, सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट तथा उद्यान विकास है। मिशन अवधि (वर्ष 2015–2020) हेतु राशि रू. 2,236.00 करोड़ की कार्य योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसमें राशि रू. 1,804.00 करोड़ की लागत से जल प्रदाय परियोजनाएं, राशि रू. 399.00 करोड़ से सेप्टेज मैनेजमेंट तथा राशि रू. 33.00 करोड़ से उद्यान विकास कार्य प्रस्तावित है। मिशन अंतर्गत अद्यतन राशि रू. 1,628.00 करोड़ उपलब्ध करायी गई है। मिशन के अंतर्गत अद्यतन निम्नानुसार परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

तालिका 13.5 मिशन अमृत योजना (राशि करोड़ में)

घटक	शहर का नाम									योग
	भिलाई	कोरबा	अंबिकापुर	राजनांदगांव	बिलासपुर	जगदलपुर	रायपुर	दुर्ग	रायगढ़	
जल प्रदाय योजना	221.61	211.66	101.67	208.40	296.52	99.48	378.74	154.53	131.79	1804.40
सेप्टेज मैनेजमेंट	0.19	0.90	0.43	12.46	1.30	55.91	268.58	0.21	58.64	398.62
उद्यान विकास	10 नग	8 नग	8 नग	9 नग	11 नग	11 नग	9 नग	6 नग	4 नग	76 नग
	3.05	3.29	3.21	4.65	5.60	2.75	5.68	2.56	1.96	32.75

जल प्रदाय परियोजना कोरबा का कार्य लगभग 98% पूर्ण हुआ है एवं भिलाई का कार्य लगभग 90% पूर्ण हुआ है। जल प्रदाय परियोजना राजनांदगांव, अंबिकापुर, रायपुर एवं बिलासपुर की प्रगति लगभग 70% है। जल प्रदाय परियोजना जगदलपुर, दुर्ग एवं रायगढ़ की प्रगति लगभग 50% है। सीवरेज/सेप्टेज घटक अंतर्गत रायपुर शहर में प्रवाहित होने वाले गंदे नालों के उपचार हेतु 03 नग एसटीपी (कुल क्षमता 200 एमएलडी) स्थापित करने हेतु राशि रू. 235.00 करोड़ स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना की प्रगति लगभग 45% है। इसी प्रकार रायगढ़ में 02 नग एसटीपी (कुल क्षमता 32 एमएलडी) तथा जगदलपुर में 25 एमएलडी क्षमता का 01 एसटीपी स्थापित करने हेतु राशि रू. 112.00 करोड़ स्वीकृत किए गए है, जिसकी भौतिक प्रगति लगभग 17% है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिफार्म के लक्ष्य की प्राप्ति करने पर विभाग को कुल राशि रू. 70.00 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है (वर्ष 2015–16 में 13 करोड़, वर्ष 2016–17 हेतु 25 करोड़, वर्ष 2017–18 हेतु 14 करोड़ एवं वर्ष 2018–19 में 18 करोड़)। मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में समस्त योजनाएं पूर्ण होना संभावित है।

13.9 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – छत्तीसगढ़ संक्षिप्त जानकारी :–

शहरी आवासहीन गरीब परिवार एवं अल्प आय वर्ग (3.00 लाख रू. से कम) के हितग्राहियों (पति, पत्नि एवं अविवाहित संतान) जिनका देश में कही भी पक्का आवास नहीं है एवं दिनाक 31.08. 2015 से पूर्व निकाय क्षेत्रांतर्गत निवासरत हैं, ऐसे पात्र हितग्राहियों को पक्का आवास प्रदान किया जाना है।

13.9.1 योजना के घटक :–

- मोर जमीन मोर मकान (BLC) :– मिशन के घटक अन्तर्गत हितग्राहियों द्वारा स्वयं की उपलब्ध भूमि पर आवास निर्माण/विस्तार किया जाना है। इस घटक अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में अधिकतम 30 वर्ग मीटर, कारपेट एरिया में, व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु 04 किस्तों में राशि रू. 2.29 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

- मोर मकान मोर चिन्हारी (AHP) :– अस्थायी गंदी बस्ती एवं अव्यवहार्य (Untenable) स्थायी झुग्गी बस्ती के हितग्राहियों के व्यवस्थापन हेतु, नगरीय निकाय के माध्यम से आवास निर्माण कर झुग्गी बस्तियों में निवासरत झुग्गीवासियों को, शासन द्वारा बहुमंजिला ईमारतों में मूलभूत सुविधाओं के साथ 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल के फ्लैट्स निर्मित किये जाते हैं, जिसमें शासन द्वारा कुल राशि रू. 4.00 लाख अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। हितग्राहियों को राशि रू. 75,000 में यह आवास उपलब्ध कराये जाते हैं।

- ऋण पर ब्याज सब्सिडी (CLSS) घटक :– हितग्राही को आवास निर्माण/क्रय हेतु 3.00 से 6. 50 प्रतिशत तक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान किया जाना है। नवीन आवास निर्माण या आवास क्रय करने पर बैंकों के माध्यम से सीधे ब्याज सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है।

13.9.2 वित्तीय संरचना : मिशन के विभिन्न घटकों में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत वित्तीय संचरना निम्नानुसार है –

तालिका 13.6 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) वित्तीय संरचना (राशि रू. लाख में)

क्र.	घटकवार प्रति आवास अनुमानित लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही अंश	प्रति इकाई लागत
1	व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु सब्सिडी (BLC)	1.50	0.85	0.86	3.21
2	भागीदारी से किफायती आवास निर्माण (AHP)	1.50	2.50	0.75	4.75
3	आवास निर्माण हेतु बैंक ऋण में ब्याज सब्सिडी (CLSS)	EWS, LIG MIG-I एवं MIG-II आवास निर्माण/क्रय करने हेतु ऋण पर 3.0–6.5 प्रतिशत तक ब्याज में सब्सिडी प्रदान की जाती है।			

- मिशन अंतर्गत शासन द्वारा अद्यतन निम्नानुसार घटकवार स्वीकृति प्राप्त है :–

तलिका 13.8 आवासीय परियोजनाओं का घटकवार विवरण									
घटक	स्वीकृति का विवरण		वित्तीय संरचना (राशि रू. करोड़ में)				कार्य की भौतिक प्रगति		
	परियोजना की संख्या	आवास संख्या	केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही अंश	योग	पूर्ण आवास	निर्माणाधीन	निविदा कार्यवाही / अप्रारंभ
BLC	1639	200301	3004.52	1636.56	1541.80	6182.88	82576	60184	122620
AHP	111	65079	976.19	1494.27	667.50	3165.38	8854	38739	17486
Total	**1750**	**265380**	**3980.71**	**3130.83**	**2209.3**	**9348.26**	**91430**	**98923**	**140106**

घटक	कुल लक्ष्य	स्वीकृत प्रकरण
ऋण पर ब्याज सब्सिडी	67009	22586

उपलब्धियाँ :–

- सूडा द्वारा द्रुतगति से कार्य करते हुए वर्ष 2019–20 से अद्यतन तक लगभग 72,000 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है।
- राजनांदगांव में बीएलसी घटक अन्तर्गत **"आशा चढ़ी परवान"** योजना में उत्कृष्ट कार्य हेतु हुड्को द्वारा प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया गया।

13.10 डे–एनयूएलएम – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन :– :– भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन एवं नगरीय निकायों के संयुक्त प्रयासो से शहरी गरीबों के उत्थान के लिए **''राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन''** का संचालन किया जा रहा है। यह मिशन क्षमता संवर्धन, कौशल उन्नमुखी, स्व–रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला समूहों का संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध के लिये प्रतिबद्ध है। शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं सहित आश्रय उपलब्ध कराना तथा शहरी पथ विक्रेताओं की समस्याओं का निदान कर, समुचित स्थानों पर वेन्डिग जोन विकसित किये जावे। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 28 नगरीय निकाय, वित्तीय वर्ष 2016–17 में 29 तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में 20 नगरीय निकाय तथा शेष 111 निकायों को वित्तीय वर्ष 2018–19 में शामिल किये गये है। 166 नगरीय निकायों में मिशन लागू है।

तालिका 13.9 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन घटकवार उपलब्धि (2021–22)		
क्रं.	घटक	उप घटक
1	सामाजिक गतिशीलता व संस्थागत विकास (Social Mobilization & Institution Develpment)	• स्वयं सहायता समूह का गठन – 1,153, प्रति समूह 10–15 सदस्य कुल सदस्य – 13,836 • स्वयं सहायता समूह हेतु आवर्ती निधि – 1,021 कुल राशि 102.10 लाख अनुदान • एरिया लेवल फेडरेशन का गठन – 25 • एरिया लेवल फेडरेशन हेतु आवर्ति निधि – 26, कुल राशि 13.00 लाख का अनुदान
2	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (Capacity Building & Training)	• विशेषज्ञों के नियुक्ति राज्य स्तर – 6/शहर स्तर पर – 74, सामु. संगठक– 207 , सहायक कर्मचारी – 47

क्रं.	घटक	उप घटक
3	स्व–रोजगार कार्यक्रम (Self Employment Programme)	• व्यक्तिगत ऋण प्रकरण – 1017 बैंकों से राशि 897.03 लाख का ऋण • समूह ऋण प्रकरण – 100 समूहों को बैंकों से राशि 187.67 लाख ऋण • स्वयं सहायता समूहों हेतु बैंक लिंकेज अंतर्गत ऋण – 531 समूहों को बैंकों से राशि 648.05 लाख का ऋण • ब्याज अनुदान – 119.97 लाख
4	शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (Support to Street Vendors)	• पथ विक्रेताओं के चिन्हांकन हेतु सर्वे 56 निकायों में पूर्ण • पथ विक्रेताओं के चिन्हांकन – 31573 • वेंडिंग प्लान का चिन्हांकन– 55
5	शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Shelter for Urban Homeless)	• संचालित आश्रय स्थलों की संख्या –31 • आश्रय स्थलों का निर्माणधीन – 4, • पूर्ण निर्माण असंचालित आश्रय स्थलों की संख्या– 13, निविदा प्रक्रियाधीन आश्रय स्थल –3

13.12 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन – उपलब्धि

पथ विक्रेता शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और ये पथ विक्रेता शहर में रहने वालों के लिए घर तक वस्तु और सेवा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। कोविड–19 महामारी और लगातार बढ़ते हुए लॉकडाउन से विक्रेताओं की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ये प्रायः कम पूंजी से कार्य करते है और लॉकडाउन के दौरान शायद इनकी पूंजी पूरी समाप्त हो गई है होगी, इसलिए इन पथ विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपीटल) हेतु ऋण की अति आवश्यकता है।

योजना का उद्देश्य

- 10,000 तक की कार्यशील पूंजी की सहायता।
- नियमित भुगतान को प्रोत्साहित करना।
- कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध।
- डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना।

ब्याज अनुदान/सब्सिडी

- योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान की पात्रता होगी, ब्याज अनुदान प्रत्येक तीन माह में प्रदाय की जाएगी।

ऋण गारण्टी

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CREDIT GUARANTEE FUND TRUST FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES) द्वारा ग्रेडेड गारंटीड सुरक्षा व्यवस्था अन्तर्गत गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा।

(दिनांक 12.11.2021 की स्थिति में)

क्रं.	लक्ष्य	ऑनलाईन आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन	बैंकों द्वारा वितरित आवेदन	बैंकों / वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित ऋण राशि	स्वीकृति उपरांत लंबित आवेदनों की संख्या
1	1,00,000	97,242	47,850	45,295	45.27 करोड	2,555

13.13 नरूवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाडी :– शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी अतंर्गत नगरीय निकायों में गौठान निर्माण का कार्य कराया जाना है। योजना का मुख्य उद्देश्य नगर के गौधन (पालतू/आवारा) के रख–रखाव हेतु पारम्परिक एवं प्रचलित व्यवस्था को बरकरार रखना हैं, जिससे गौवंश का सुरक्षात्मक व्यवस्थापन होकर नस्ल सुधार कार्यक्रम संचालन, जैविक खाद निर्माण, बॉयोगैस उत्पादन इत्यादि कार्य किया जा सके।

नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजनांतर्गत गौठान निर्माण हेतु 300 गौधन हेतु 3.00 एकड़ भूमि का नक्शा एवं राशि रू. 23.69 लाख का आदर्श प्राक्कलन तैयार किया गया है। जो कि गौधन की संख्या एवं भूमि की उपलब्धता के अनुसार निकाय (आयुक्त/मुख्य नगर पालिक अधिकारी) द्वारा परिवर्तन कर प्रस्ताव तैयार किया जावेगा। निकायों को गौधन की संख्या की अनुपात में राशि जारी की जावेगी। गौठान निर्माण का कार्य दो चरणो में किया जाना है।

प्रथम चरण के कार्य –

प्रथम चरण में बुनियादी कार्य फेंसिंग कार्य, अहाता निर्माण कार्य, पानी की व्यवस्था, चरवाहा कक्ष निर्माण कार्य, भंडार कक्ष निर्माण कार्य, डिस्पेंसिंग कक्ष निर्माण कार्य, पशुओं एवं चारा हेतु शेड निर्माण कार्य, बिजली आदि की व्यवस्था की जाएगी।

द्वितीय चरण के कार्य

द्वितीय चरण में बायोगैंस प्लांट निर्माण कार्य, कम्पोस्टिंग पिट निर्माण कार्य, गौमूत्र एकत्रीकरण केन्द निर्माण कार्य, चारा विकास एवं दुध संग्रहण केन्द निर्माण कार्य आदि की व्यवस्था की जाएगी।

3.1 गोधन न्याय योजना

दिनांक 20 जुलाई 2020 को मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरूआत नगर पंचायत पाटन के गोठान से की गई। राज्य शासन द्वारा परियोजना हेतु कृषि एवं जैव प्रद्योगिकी विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है। योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों से 2 रू प्रति कि.ग्रा. में गोबर क्रय कर उसे वैज्ञानिक तरीके से गोबर का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद बनाने में किया जा रहा है। उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट को को–ऑपरेटिव सोसायटी के माध्यम से 10 रू. प्रति कि.ग्रा. में विक्रय किया जा रहा है। गौधन न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालको के आय में वृद्धि एवं व्यर्थ गोबर को वर्मी खाद बनाने में उपयोग किया जाना है।

गोधन न्याय योजना के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कुल 21,647 पशुपालकों से 13,40,415.43 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है, वर्तमान में कुल 2,53,945.88 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, 21,076.47 क्विंटल गोकाष्ठ, 1,49,369.59 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट तैयार किया जा चुका है तथा इनके विक्रय से कुल राशि रू. 10,10,74,781.30 प्राप्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गोबर से कुल 39,507.20 क्विंटल कण्डे एवं दीया बनाकर राशि रू. 51,06,512.00 की आय अर्जित की गई है। शहरी क्षेत्रों में परियोजना का क्रियान्वयन हेतु स्वच्छ भारत मिशन, 14वें वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय आजीविका मिशन आदि कार्यक्रम का अभिसरण करते हुए लगभग 9,000 स्व सहायता समूह की महिलाओं की आय में वृद्धि हेतु प्रयास किये जा रहे है। गोबर खरीदी हेतु समस्त 166 नगरीय निकायों में 377 गोधन खरीदी केंद्र स्वीकृत किये गए हैं।

शिक्षा

14

शिक्षा

मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2020–21 में दिसंबर तक मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत 28.66 लाख विद्यार्थी लाभान्वित।
- वर्ष 2020–21 में सरस्वती सायकल योजना के तहत् 1.63 लाख छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- वर्ष 2020–21 में निःशुल्क गणवेश योजना अंतर्गत 22.08 लाख छात्र छात्राएं लाभान्वित।
- सत्र 2020–21 के लिए यू डाइस के आधार पर राज्य में सकल नामांकन दर प्राथमिक विद्यालयों में 96.31 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 92.81 है।
- वर्ष 2021–22 में 186 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 34996 सीट स्वीकृत हैं।
- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत प्रशिक्षित एवं प्रमाणित युवाओं में से 2,55,456 युवाओं को नियोजित किया गया है।
- वर्ष 2020–21 में शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 2,59,451 छात्र–छात्राएं अध्ययनरत थे।
- सत्र 2021–22 में 24 नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें 08 नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय भी शामिल हैं।

शिक्षा

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मानव संसाधन के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास तथा सामाजिक रूप से पिछड़े विकलांग, वृद्ध एवं बच्चों के स्तर में विकास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना प्रमुख है।

स्कूल शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था का कार्य राज्य स्तर पर लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जा रहा है। संभाग स्तर पर 05 संभागीय कार्यालय सहित जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की संख्या 29 है, यह कार्यालय 28 राजस्व जिलों में स्थित है। वर्तमान वर्ष में जांजगीर जिला को विभक्त कर नया शिक्षा जिला सक्ती का निर्माण किया गया है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय 146 है, जिनमें से 85 कार्यालय आदिम जाति विकासखण्डों मे एवं 61 सामुदायिक विकासखण्डों में हैं। इनके माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों एवं कियाकलापों का संचालन किया जाता है।

विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार हैं :

1. प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा व्यवस्था (आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को छोड़कर)।
2. प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था।
3. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का कियान्वयन।
4. अशासकीय शैक्षणिक संस्थान को अनुदान एवं उन पर नियंत्रण ।
5. छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों का निर्धारण/सामयिक पुनरीक्षण ।
6. शिक्षकों की भरती, प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण की व्यवस्था ।
7. शिक्षक प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार।
8. शिक्षा में नवाचार एवं अनुसंधान ।
9. पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण तथा वितरण की व्यवस्था ।
10. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यकम।
11. शालाओं में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की व्यवस्था ।
12. परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था ।

13. निःशक्त छात्रों की शिक्षा व्यवस्था ।
14. समग्र शिक्षा अभियान का संचालन ।
15. वयस्क असाक्षर (विशेषकर 15 से 35 वर्ष) के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना ।
16. नवसाक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा का प्रबंध।
17. सबके लिए शिक्षा व्यवस्था।
18. मदरसा शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का आधुनिकीकरण।
19. संस्कृत शिक्षा का विकास।
20. शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्रदाय करना ।

14.1 स्कूल शिक्षा विभाग:-

14.1.1 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम :– यह एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है शासकीय विद्यालयों, अनुदान एवं स्थानीय निकायों एवं बाल श्रमिक विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को कार्यक्रम अन्तर्गत् पका हुआ गरम पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। इससे विद्यालयों में शाला त्याग दर में कमी आई है, एवं छात्रों में कुपोषण दूर हुआ है। योजना के तहत वर्षवार प्राप्त उपलब्धियां लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि तालिका 14.1 में दर्शित है।

तालिका 14.1 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

क्र.	वर्ष	आबंटन (करोड)	व्यय (करोड)	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
1	2017–18	564.24	498.96	31.28 लाख छात्र
2	2018–19	599.22	413.76	30.51 लाख छात्र
3	2019–20	615.16	336.74	29.13 लाख छात्र
4	2020–21 (दिसं. 2020)	644.51	401.22	28.66 लाख छात्र

14.1.2 बालिका प्रोत्साहन योजना (केन्द्र प्रवर्तित योजना) :–

- केन्द्र प्रवर्तित योजना राज्य में प्रभावशील।
- योजनान्तर्गत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बी.पी.एल. परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की समस्त छात्राएं योजना की हितग्राही।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3000 / – रूपये छात्रवृत्ति की पात्रता।
- छात्रवृत्ति की राशि सीधे लाभान्वित छात्राओं के पासबुक में जमा करने का प्रावधान।

14.1.3 राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित योजना)

- केन्द्र प्रवर्तित योजना राज्य में प्रभावशील।
- परीक्षाएं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित।
- कक्षा 8वीं में मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट एवं आरक्षण की पात्रता।
- गैर अनुदान प्राप्त शाला के विद्यार्थी परीक्षा में भाग नही ले सकते।
- सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत् एवं अन्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत् अंक होने पर ही परीक्षा में बैठने की पात्रता।
- परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक न हो।

14.1.4 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रदाय :– प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान शालाओं के समस्त बालक.बालिकाओं को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शाला जाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना। कक्षा 1 से 10 तक सभी छात्र/छात्राएं पात्र हैं। योजना के तहत वर्षवार उपलब्धियां.लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि तालिका 14.2 में दर्शित है।

तालिका 14.2 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय (करोड़ रू.में)

क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित छात्र–छात्राओं की संख्या
1	2017–18	147.03	88.14	56.50 लाख
2	2018–19	186.75	84.87	57.63 लाख
3	2019–20	230.12	109.14	51.60 लाख
4	2020–21	109.18	–	

14.1.5 निःशुल्क गणवेश योजना :–संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निःशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 स्तर के समस्त छात्र–छात्राओं के लिए दो सेट निःशुल्क गणवेश दिए जाते हैं। सत्र 2012–13 में समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् समस्त बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों को स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना अन्तर्गत् प्रति बालक–बालिका का राशि रू. 271/– के मान से दो सेट गणवेश हेतु राशि प्रावधानित की गई। जिन बच्चों को राज्य शासन के बजट से गणवेश प्रदान किए जा रहे हैं, उन्हे पूर्ववत् राज्य शासन के बजट से ही गणवेश प्रदाय किए जाते रहेंगे। वर्तमान में एकरूपता हेतु राशि रूपये 540.52 पैसा प्रति गणवेश की दर निर्धारित की गई है। योजना के तहत वर्षवार उपलब्धियां तालिका 14.3 में दर्शित है।

तालिका 14.3 निःशुल्क गणवेश योजना				
क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
1	2017–18	16,880.00 लाख	14,305.00 लाख	31.60 लाख छात्र–छात्राएं
2	2018–19	20,167.00 लाख	14,460.00 लाख	32.20 लाख छात्र–छात्राएं
3	2019–20	21,315.00 लाख	15,079.00 लाख	29.01 लाख छात्र–छात्राएं
4	2020–21	76.50 लाख	–	22.08 लाख छात्र–छात्राएं

14.1.6 सरस्वती सायकल योजना :–संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कक्षा 9वीं के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं बी.पी.एल. परिवार के छात्राओं को शाला आवागमन की सुविधा प्रदान करना एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

योजना के तहत वर्षवार उपलब्धियां, लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि आदि का विवरण तालिका 14.4 में दर्शित है।

तालिका 14.4 सरस्वती सायकल योजना				
क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2017–18	6100.00 लाख	5,938.55 लाख	1.83 लाख छात्राएं लाभान्वित
2	2018–19	6500.00 लाख	2,589.29 लाख	1.84 लाख छात्राएं संभावित
3	2019–20	6450.00 लाख	01.74 लाख	1.74 छात्राएं संभावित लक्ष्य
4	2020–21	6500.00 लाख	–	1.63 छात्राए संभावित

14.1.7 छात्र दुर्घटना बीमा :–स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी छात्र–छात्रायें एवं महाविद्यालयीन छात्र/छात्राएं दुर्घटना बीमा के अंतर्गत मृत्यु एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 1,00,000/– की क्षतिपूर्ति एवं आंशिक अपंगता पर 50,000/– रुपये की क्षतिपूर्ति एवं भैषजिक उपचार हेतु 25,000/– अधिकतम छात्र दुर्घटना बीमा दिया जाता है।

योजना के तहत वर्ष 2017–18 से मृत्यु पर बीमा राशि की दर रूपये 10 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की गई, वर्षवार हितग्राहियों की संख्या, प्राप्त आबंटन एवं खर्च की गयी राशि आदि का विवरण तालिका 14.5 में दर्शित है।

तालिका 14.5 छात्र दुर्घटना बीमा				
क्र.	वर्ष	आबंटन	व्यय	हितग्राहियों की संख्या
1	2017–18	368.00	340.25	341
2	2018–19	368.00	272.25	316
3	2019–20	410.00	155.00	276
4	2020–21	410.00	153.00	419

14.1.8 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :– योजना के तहत वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जनजाति की 67,304 छात्राओं को राशि रू. 336.52 लाख तथा अनुसूचित जाति की 30,135 छात्राओं को राशि रू. 150.68 लाख का भुगतान किया गया। वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जनजाति की 58,705 छात्राओं को राशि रू. 293.53 लाख तथा अनुसूचित जाति की 25,507 छात्राओं को राशि रू. 127.54 लाख का भुगतान किया गया।

14.1.9 अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना :– योजना के तहत वर्ष 2019–20 में 7,282 विद्यार्थियों को राशि रू. 219.71 लाख का भुगतान किया गया था। वर्ष 2020–21 में 6,503 विद्यार्थियों को राशि रू. 196. 24 लाख का भुगतान किया गया है।

14.1.10 मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :– योजना के तहत वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति के 300 विद्यार्थियों को राशि रू. 45.00 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के 700 विद्यार्थियों को राशि रू. 105. 00 लाख का भुगतान किया गया था। वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति के 288 विद्यार्थियों को राशि रू. 43.20 लाख तथा अनुसूचित जनजाति के 672 विद्यार्थियों को राशि रू. 100.80 लाख का भुगतान किया गया है।

14.1.11 राज्य छात्रवृत्ति योजना (प्री–मेट्रिक एवं पोस्ट मेट्रिक):– वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग के 19,85,597 विद्यार्थियों को राशि रू. 127.57 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था इसी प्रकार वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग के 19,37,501 विद्यार्थियों को राशि रू. 123.86 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है।

14.2 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर वर्तमान में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्र. 23 सन् 1965) द्वारा शासित एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है। मण्डल का कार्य संचालन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, विनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार होता है। छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल का गठन 20 जुलाई 2001 को हुआ है।

14.2.1 मण्डल के मुख्य कार्य :–

1. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक/शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि प्रमाण पत्र परीक्षा एवं डी.एड. की परीक्षाओं का संचालन। परीक्षाफल घोषित कर अंकसूचियां जारी करना।
2. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु शासन को सलाह देना।
3. पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण कार्य
4. छत्तीसगढ़ में स्थित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की मान्यता
5. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के स्तर को उच्च करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना।
6. विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के उत्साहवर्धन एवं प्रेरणा के लिये प्रयास करना।
7. अन्य गतिविधियां

14.2.2 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षाएं मुख्य हैं। वर्ष 2014–2020 तक परीक्षा संबंधी संख्यात्मक जानकारी इस प्रकार है–

तालिका 14.6 हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा संबंधी संख्यात्मक						
वर्ष	हाई स्कूल			हायर सेकेण्डरी		
	प्रविष्ट	उत्तीर्ण	प्रतिशत	प्रविष्ट	उत्तीर्ण	प्रतिशत
2014	427446	229917	54.00	268891	195115	72.86
2015	426675	227595	53.34	290777	211460	72.72
2016	433218	236073	54.00	277114	202646	73.43
2017	401641	242918	60.51	271994	207133	76.36
2018	381737	258573	68.04	270043	207111	77.00
2019	388120	261177	68.20	262492	203893	76.43
2020	384761	283157	73.62	275736	216526	78.59

तालिका 14.7 परीक्षा वर्ष 2020 तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं की जानकारी				
क्र.	परीक्षा का नाम	मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या		
		शासकीय	अशासकीय	कुल संस्था
1	हाईस्कूल	4727	206	7033
2	हायर सेकण्डरी	2743	1402	4145

तालिका 14.8 परीक्षा वर्ष 2021 के परीक्षा केन्द्रों की जानकारी		
क.	परीक्षा का नाम	केन्द्र संख्या
1	हाईस्कूल	2305
2	हायर सेकण्डरी (10+2)	2214
3	हायर सेकण्डरी व्यावसायिक	68

तालिका 14.9 नवीन विद्यालयों की स्थापना														
क.	स्तर	नवीन प्रारंभ की गई विद्यालयों की संख्या												
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	योग
1	प्राथमिक शाला	1	319	193	8	45	0	0	4	0	0	0		579
2	माध्यमिक	404	85	140	30	35	0	0	15	1	0	0		735
3	हाईस्कूल	9	218	1033	0	70	10	35	184	140	145	18		2138
4	हायर सेकेण्डरी	31	95	119	217	150	9	12	98	116	127	22	-	1142
	योग	445	717	1485	255	300	19	47	301	257	272	40		4594

स्त्रोत : यूडाइस डाटा 2019–20

तालिका 14.10 शैक्षणिक संस्थान एवं नामांकन वर्ष 2020–21					
क्रमांक	संस्था का नाम	शैक्षणिक संस्थाएं	संस्थावार नामांकन		
			छात्र	छात्राएं	योग
1	प्राथमिक	32,715	13,56,104	12,95,380	26,51,484
2	माध्यमिक	16,393	7,49,495	7,31,886	14,81,381
3	हाई स्कूल	2,726	4,61,221	4,82,587	9,43,808
4	हायर सेकेण्डरी	4,469	2,78,980	3,21,550	6,00,530
	कुल योग	**56,303**	**28,45,800**	**28,31,403**	**56,77,203**

स्रोत : यूडाइस डाटा 2019–20

तालिका 14.11 शिक्षक संख्या वर्ष 2020–21							
क्रमांक	संस्था का नाम	संस्थावार शिक्षक संख्या			प्रशिक्षित	प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत	शिक्षक छात्र अनुपात
		पुरुष	महिला	योग			
1	प्राथमिक	65,901	71,302	1,37,203	1,16,921	85	19
2	माध्यमिक	36,551	25,097	61,648	56,050	91	24
3	हाई स्कूल	13,262	12,235	25,497	21,642	85	37
4	हायर सेकेण्डरी	23,824	18,416	42,240	37,326	88	14
	कुल योग	**1,39,538**	**1,27,050**	**2,66,588**	**2,31,939**	**87**	**21**

स्रोत : यूडाइस डाटा 2019–20

14.3 समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ

- समग्र शिक्षा, भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक प्रशिक्षण को सम्मिलित करती हुयी विद्यालयीन शिक्षा की एकीकृत केन्द्र प्रवर्तित योजना है। वर्तमान में इसमें भारत शासन का अंशदान 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का योगदान 40 प्रतिशत है।
- इसके अंतर्गत मानदण्ड अनुसार 03 कि.मी. पर पूर्व माध्यमिक शाला, 05 कि.मी. पर माध्यमिक शाला एवं 07 कि.मी. पर उच्चतर माध्यमिक शाला उन्नयित कर संचालित की जा रही है।
- आवश्यकतानुसार उन्नयित शालाओं का भवन, पोर्टा केबिन, आवासीय विद्यालय एवं कन्या छात्रावास, पूर्व से संचालित शालाओं में कक्ष, पेयजल सुविधा, बालक / बालिका टॉयलेट सुविधा एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का ध्यान रख कर निर्माण कार्य किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त उन्नयित विद्यालयों हेतु शिक्षक वेतन , शिक्षक प्रशिक्षण, आर टी ई अंतर्गत प्रदान की जा रही समस्त सुविधाएं, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को स्कार्ट एलाउंस, ट्रांसपोर्ट एलाउंस, ब्रेल बुक एवं छात्रवृत्ति तथा सहायक सामग्री आदि उपलब्ध कराई जाती हैं।
- भारत शासन द्वारा सत्र 2013–14 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अतर्गत **कन्या छात्रावास, आई ई डी एस एस {समावेशी शिक्षा}, व्यवसायिक शिक्षा एवं आई सी टी**

योजनाओ को शामिल किया गया है। राज्य में सत्र 2014–15 सें ये सभी योजनाऐं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित है।

14.4 शैक्षणिक सूचकांक :– सत्र 2020–21 के लिए राज्य के विद्यालयीन शिक्षा से संबंधित समस्त मुख्य सूचकांक यू–डाईस 2020–21 के आधार पर निम्नानुसार है:–

तालिका क. 14.12 सकल नामांकन दर (Gross Enrolment Ratio)

स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर	96.31	96.30	96.31
उच्च प्राथमिक स्तर	92.52	93.11	92.81
माध्यमिक स्तर	83.19	89.39	86.24
उच्चतर माध्यमिक स्तर	52.30	63.12	57.62

तालिका क. 14.13 शुद्ध नामांकन दर (Net Enrolment Ratio)

स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर	90.29	90.56	90.42
उच्च प्राथमिक स्तर	75.27	76.00	75.63
माध्यमिक स्तर	55.57	60.29	57.89
उच्चतर माध्यमिक स्तर	34.38	42.24	38.25

तालिका क. 14.14 समायोजित शुद्ध नामांकन दर (Adjusted Net Enrolment Ratio)

स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर	92.55	92.90	92.72
उच्च प्राथमिक स्तर	79.14	80.07	79.60
माध्यमिक स्तर	59.37	64.83	62.06
उच्चतर माध्यमिक स्तर	54.87	63.97	59.35

तालिका क. 14.15 ठहराव दर (Retentaion Rate)

स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर	92.39	93.22	92.79
उच्च प्राथमिक स्तर	98.30	99.41	98.85
प्रारंभिक स्तर	86.72	88.99	87.83
माध्यमिक स्तर	71.61	79.08	75.26
उच्चतर माध्यमिक स्तर	40.49	49.00	44.66

तालिका क. 14.16 छात्र शिक्षक अनुपात (PTR)

स्तर	योग
प्राथमिक स्तर	22
उच्च प्राथमिक स्तर	23
माध्यमिक स्तर	21
उच्चतर माध्यमिक स्तर	29

तालिका क. 14.17 शाला त्यागी दर (DOR)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक स्तर 1 से 5	0.88	0.59	0.74
उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8	4.79	3.27	4.03
प्रारंभिक स्तर 1 से 8	2.84	1.93	2.38
माध्यमिक स्तर 9 से 10	16.38	11.68	13.13
उच्चतर माध्यमिक स्तर 9 से 12	11.18	8.10	9.64

तालिका क. 14.18 अंतरण दर (Transition Rate)			
स्तर	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक से उच्च प्राथमिक	95.54	96.71	96.11
उच्च प्राथमिक से हाई स्कूल	87.22	90.74	88.97
हाई स्कूल से हायर सेकेन्डरी स्कूल	71.91	76.21	74.17

तालिका क. 14.19 बालिकाओं का प्रतिशत एवं बालिका समानता सूचकांक		
स्तर	बालिकाओं का प्रतिशत	बालिका समानता सूचकांक
प्राथमिक स्तर	48.79	0.95
उच्च प्राथमिक स्तर	49.37	0.97
माध्यमिक स्तर	51.01	1.04
उच्चतर माध्यमिक स्तर	53.89	1.17

तालिका 14.20 प्रबंधनवार शालाओं की संख्या						
क.	प्रबंधन	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	हाई स्कूल	हायर सेकेन्डरी	योग
1	स्कूल शिक्षा विभाग	30572	13173	1927	2719	48391
2	आदिम जाति विभाग	2	24	3	35	64
3	अनुदान प्राप्त शाला	209	111	11	99	430
4	अशासकीय शालाएँ	1780	3011	783	1557	7131
5	अन्य	0	2	0	3	5
6	माडल स्कूल	0	0	0	73	73
7	समाज कल्याण विभाग	9	3	2	2	16
8	केन्द्रीय विद्यालय	1	8	0	27	36
9	नवोदय विद्यालय	0	0	5	23	28
10	सैनिक स्कूल	0	0	0	1	1
11	रेल्वे स्कूल	0	0	1	3	4
12	तिब्बतन स्कूल	1	0	0	0	1
13	मान्यता प्राप्त मदरसा	171	110	0	1	282
14	गैर मान्यता प्राप्त मदरसा	21	11	0	0	32
	योग	32766	16453	2732	4543	56494

स्रोत : यूडाइस डाटा 2020–21

14.5 तकनीकी शिक्षा

प्रदेश में तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, पॉलीटेक्निक संस्थाओं, फॉर्मेसी संस्थाओं, मैनेजमेंट संस्थाओं, एम.सी.ए. संस्थाओं एवं आर्किटेक्चर संस्थाओं में दी जाती है। उक्त संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा कास्ट्यूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन, डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा मॉर्डन आफिस मैनेजमेंट, डिप्लोमा फॉर्मेसी, डिप्लोमा आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम, स्नातक स्तर पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फॉर्मेसी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.टेक., एम. फॉर्मेसी, एम.सी.ए. एवं एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है।

वर्तमान में राज्य में 03 शासकीय, 01 सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, रायपुर, 01 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, 01 विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज, अंबिकापुर, 02 स्वशासी–स्ववित्तीय एवं 25 निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय कुल प्रवेश क्षमता 11,291 के साथ संचालित है।

राज्य में 32 शासकीय, 01 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई एवं 14 निजी पॉलीटेक्निक संस्था स्थापित है, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 8,296 है। सभी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सेमेस्टर पद्धति से अध्यापन व परीक्षा की व्यवस्था लागू है। राज्य में 01 विश्वविद्यालयीन फॉर्मेसी संस्था एवं 33 निजी संस्थाओं में बी.फार्मेसी पाठ्यक्रम, कुल 3,192 प्रवेश क्षमता, 01 विश्वविद्यालयीन फॉर्मेसी संस्था एवं 24 निजी संस्थाओं में एम.फार्मेसी पाठ्यक्रम, कुल 314 प्रवेश क्षमता, 01 शासकीय एवं 43 निजी संस्थाओं में डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम कुल 2,741 प्रवेश क्षमता के साथ संचालित हैं। राज्य में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयीन संस्थाओं एवं निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में 1,360 प्रवेश क्षमता के साथ एम.टेक. पाठ्यक्रम संचालित है साथ ही 01 विश्वविद्यालयीन संस्था एवं 12 निजी संस्थाओं में 1,155 प्रवेश क्षमता के साथ एम.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है। 02 विश्वविद्यालयीन संस्थाओं एवं 05 निजी संस्थानों में 407 प्रवेश क्षमता के साथ एम.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित है। राज्य में 10 प्रवेश क्षमता के साथ 01 निजी आर्किटेक्चर संस्था भी संचालित है।

राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों में स्नातक स्तर के 24 पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर स्तर पर 37 तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर के 19 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित हैं। राज्य के शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक संस्थान छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से सम्बद्ध हैं तथा इनमें संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। फॉर्मेसी संस्थाओं को फॉर्मेसी कॉउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली तथा आर्किटेक्चर संस्थाओं को कॉउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।

14.6 त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमः- राज्य में कुल 47 पॉलीटेक्निक संस्थाएं संचालित है। जिनमें 04 शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, 28 शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक, 01 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई एवं 14 निजी सहशिक्षा पॉलीटेक्निक शामिल हैं। इन संस्थाओं में निम्नानुसार 19 त्रिवर्षीय एवं 01 द्विवर्षीय पत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालित हैं।

14.7 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

14.7.1 योग्यता एवं योग्यता सह–साधन छात्रवृत्तियाँ :– शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिये योग्यता छात्रवृत्ति और योग्यता सह–साधन छात्रवृत्ति रू. 1,000 प्रति माह तथा पॉलीटेक्निक संस्थाओं में रू. 600 प्रतिमाह दिये जाने की व्यवस्था है। राज्य के बाहर अध्ययनरत छत्तीसगढ़ राज्य के छात्र–छात्राओं को रू. 2,000 प्रतिमाह की दर से योग्यता छात्रवृत्ति दी जाती है।

14.7.2 बी.पी.एल. छात्रवृत्ति:– छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, जिनके पालक बी.पी.एल. कार्डधारी हैं, उनके लिए यह छात्रवृत्ति सत्र 2007–2008 से लागू की गई है।

इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रत्येक बी.पी.एल. विद्यार्थी को राशि रु. 1,000 प्रतिमाह एवं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अध्ययनरत प्रत्येक बी.पी.एल. विद्यार्थी को राशि रु. 500 प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है।

14.7.3 ट्यूशन फी व्हेवर स्कीम (टी.एफ.डब्लू.):– यह योजना एआईसीटीई/पीसीआई/सीओए के दिशा निर्देशानुसार लागू की जाती है। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को मेरिट के आधार पर शिक्षण शुल्क में छूट देकर प्रोत्साहन किया जाना है। यह योजना स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.सी.ए. में भी यह योजना लागू है।

शासकीय संस्थाओं में जहाँ विगत अकादमिक वर्ष में संबंधित कोर्स में स्वीकृत सीटों पर कम से कम 50 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हुआ हो, उन संस्थाओं में अतिरिक्त प्रवेश न होने पर भी 5 प्रतिशत सीटों पर TFW देय होगा। मेरिट के आधार पर इन सीटों पर प्रवेशित छात्र–छात्राओं को प्रवेशित संस्था की निर्धारित शिक्षण शुल्क देय नहीं होगा। छात्र–छात्राओं के पालक/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14.7.4 छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क में छूट :– छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित स्नातकोत्तर, स्नातक एवं डिप्लोमा स्तर के पाठ्यकमों में प्रवेशित छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान की जा रही है।

14.7.5 मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना :– तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यकमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के शिक्षार्थियों से बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर के भार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा मोरेटोरियम अवधि के उपरांत ली जाने वाली ब्याज राशि में अनुदान देने की योजना वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रारंभ की गई है।

तालिका 14.21 उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना (राशि करोड़ में)			
क.	सत्र	लाभांवित विद्यार्थियों की संख्या	ऋण ब्याज अनुदान की कुल राशि
01	2016–17	773	1.84 करोड़
02	2017–18	1540	2.76 करोड़
03	2018–19	2094	3.96 करोड़
04	2019–20	2060	4.02 करोड़

14.8 सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट)

14.8.1 सिपेट का उद्देश्यः– विभिन्न शैक्षणिक, तकनीकी एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से देश में प्लास्टिक प्रसंस्करण तथा सहायक उद्योगों हेतु तकनीकी कौशल प्राप्त श्रमशक्ति का निर्माण, प्लास्टिक उद्योगों के क्षेत्र में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देना, गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी परामर्श सहित मोल्ड्स, डाई और प्लास्टिक उत्पादों के डिजाईन तथा प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध एवं विकास को गति देना है।

14.8.2 महत्वपूर्ण लक्ष्य :– इसके अलावा सिपेट रायपुर का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के दीर्घकालीन एवं लघुकालीन पाठ्यक्रम चलाया जाना है। जिसके अंतर्गत ए.आई.सी.टी.ई. (AICTE) नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त दीर्घकालिक पाठ्यक्रम जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग एण्ड टेस्टिंग (PGD-PPT), डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी (DPT), डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी (DPMT), जिन पाठ्यक्रमों की अवधि 2 वर्ष से 03 वर्ष तक की हैं। इसके अंतर्गत 328 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा सत्र 2017–18 से बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग (B.E. in Plastics Engineering) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त 04 वर्षीय पाठ्क्रम का संचालन प्रारंभ हुआ है जिसमें कुल 131 प्रशिक्षणार्थी नामांकित हैं साथ ही जून 2021 में बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग (B.E. in Plastics Engineering) की प्रथम शाखा के 30 छात्र–छात्राएं उत्तीर्ण हुए एवं उत्तीर्ण छात्रों को देश के विभिन्न नामित कंपनियों ने रोजगार दिया गया, जिसकी अधिकतम वार्षिक आय लगभग रू. 6.00 लाख है।

14.9 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें :– वर्तमान एवं भविष्य की जनशक्ति की आवश्यकताओं एवं मांग को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार मुहैया कराना तथा प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित करने तथा छत्तीसगढ़ राज्य में कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिये छ.ग. शासन कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालनालय प्रशिक्षण द्वारा भारत सरकार, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, महानिदेशालय, प्रशिक्षण, के राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.व्ही.टी.) नई दिल्ली के मापदण्ड के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 186 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।

तालिका 14.22 वर्षवार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि		
वर्ष	संस्थाओं की संख्या	खोले गये नवीन संस्था
2014–15	146	17
2015–16	163	17
2016–17	172	09
2017–18	178	06
2018–19	178	0
2019–20	181	03
2020–21	184	03
2021–22	186	02

तालिका 14.23 विगत वर्षों में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वीकृत सीटों की स्थिति	
वर्ष	स्वीकृत सीट
2015-16	18184
2016-17	19360
2017-18	25589
2018-19	28177
2019-20	33660
2020-21	34036
2021-22	34996

14.10 राज्य में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थिति :

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें

जिले	28
संस्थायें	186
अनुसूचित जनजाति विशेष संस्थायें	09
महिलाओं के लिये विशेष	09
संचालित व्यवसाय	49
इंजीनियरिंग व्यवसाय	34
नॉन–इंजीनियरिंग व्यवसाय	15
कुल प्रशिक्षण क्षमता (सीट्स)	34996

निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

जिले	21
संस्थायें	109
संचालित व्यवसाय	19
इंजीनियरिंग व्यवसाय	13
नॉन–इंजीनियरिंग व्यवसाय	06
कुल प्रशिक्षण क्षमता (सीट्स)	19464

क्र.	जिला	शासकीय औ.प्र.संस्थाओं की स्थिति		
		संस्थायें	स्वीकृत सीट्स	रिमार्क
1	बालोद	8	1540	
2	बेमेतरा	6	676	
3	बलरामपुर	7	648	
4	बस्तर	9	1648	
5	बीजापुर	4	448	
6	बिलासपुर	9	2936	
7	बलौदाबाजार–भाटापारा	7	1692	
8	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	4	496	
9	धमतरी	9	1736	
10	दुर्ग	8	3016	
11	कबीरधाम	4	412	
12	जशपुर	8	888	
13	जॉजगीर–चॉपा	12	1748	
14	गरियाबंद	5	704	
15	कोरिया	6	962	
16	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	3	688	
17	कोरबा	6	1448	
18	कोण्डागांव	7	896	
19	नाराणपुर	2	360	
20	मुंगेली	3	360	
21	महासमुन्द	5	976	
22	रायपुर	10	2808	
23	रायगढ़	10	1940	
24	राजनांदगांव	11	1584	
25	उत्तर बस्तर (कांकेर)	8	1360	
26	सरगुजा	8	1436	
27	सूरजपुर	7	1184	
28	सुकमा	3	416	
	योग	186	34996	

14.11 राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी संरचना :- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा "छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013" के तहत अपने युवा साथियों को अपना कौशल विकास करने के लिए कानूनी अधिकार दिया है। छत्तीसगढ़, देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने ऐसा कानून बनाया है, जिसमें 14 से 45 वर्ष की आयु सीमा के हमारे युवा साथी अपनी रूचि के अनुसार हुनर प्राप्त करने के लिए कलेक्टर को आवेदन देकर संबंधित कोर्स में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। युवाओं को कौशल विकास के लिए अपने शहर या अपने गांव की जरूरतों के अनुसार तथा रूचि के अनुसार हुनर प्राप्त करने के लिए कानून में वर्तमान में 36 सेक्टर के 706 कोर्स उपलब्ध है।

14.11.1 राज्य एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का कार्य एवं उत्तरदायित्व :–

प्रदेश में कौशल विकास के गुणवत्तायुक्त क्रियान्वयन समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए समिति द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार हैं :–

- प्रत्येक जिले में लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के दिशा–निर्देश अनुरूप आम लोगों को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करना।
- कौशल प्रशिक्षण से संबंधित समस्त शासकीय विभागों को कौशल विकास क्षेत्र में उन्नयन हेतु प्रेरणा देना।
- विभागीय कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत संचालित कौशल प्रशिक्षण हेतु लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित करने एवं नियोजन का अवसर प्रदान के लिए महत्वपूर्ण कार्य दायित्व का निर्वहन।
- आजीविका कॉलेज द्वारा पढ़े–लिखे अत्यन्त गरीब एवं जरूरतमंद युवक/युवतियों तथा बेरोजगारों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आजीविका कॉलेज में कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु मापदंड के अनुरूप क्षेत्रीय निवासियों की ओर ध्यान आकर्षित करना।
- आजीविका कॉलेज उद्यमिता विकास केन्द्र स्थापित करना।
- प्रशिक्षित युवाओं को नियोजित एवं स्वरोजगार प्रदाय करने हेतु उद्योगों एवं निजी संस्थानों के नियोजनकर्त्ताओं से टाई–अप की व्यवस्था करना।
- कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभागों से मध्यस्थता का कार्य।
- स्कूल drop-out बेरोजगारों को वर्तमान बाजारों की आवश्यकताओं के अनुरूप अल्प–अवधि के रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदाय करना।

- बेरोजगार युवक/युवतियों को वर्तमान जीवनशैली में जीने के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध प्राप्त करने हेतु योग्य बनाना।

14.11.2 मुख्यमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना – स्वयं का रोजगार स्थापित करने ऋण योजना :– छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को उनकी अभिरूची एवं योग्यता के आधार पर कौशल विकास के क्षेत्र अंतर्गत लघु अवधि के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण पश्चात् युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्म–निर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कौशल स्व–रोजगार योजना अंतर्गत बैंक के माध्यम से ऋण आधारित शासकीय अनुदान राशि प्रदान करने हेतु वर्ष 2018–2023 तक की अवधि के लिए मुख्यमंत्री कौशल स्व–रोजगार योजना संचालित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना अंतर्गत प्रशिक्षित हितग्राहियों को उद्योग/सेवा/व्यवसाय के रूप में स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए राशि रू 83 लाख का बजट में प्रावधान किया गया है।

14.11.3 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, केन्द्र प्रवर्तित –राज्य प्रबंधित (PMKVY-CSSM) :– प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (केन्द्र प्रवर्तित–राज्य प्रबंधित) का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जिले के लाईवलीहुड कॉलेज को पंजीकृत कर किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 14,254 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, प्रशिक्षित युवाओं में से कुल 3,723 युवाओं को नियोजन प्राप्त हो चुका है।

14.11.4 मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना:– मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एक कन्वर्जेन्स योजना है। विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कौशल विकास हेतु पात्र युवाओं को एक ही मंच पर एकरूपता के साथ (यथा कोर्स, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाण–पत्र इत्यादि) कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (NSQF) आधारित विभिन्न स्तरों के **706** कोर्सेस कौशल प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध हैं। वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मद में शासन द्वारा राशि रू. 83.85 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत अब तक **कुल** 4,67,565 युवाओं को विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित एवं प्रमाणीकरण किया गया है। प्रशिक्षित एवं प्रमाणित युवाओं में से 2,55,456 युवाओं को नियोजित किया गया है।

तालिका 14.24 मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत वर्षवार प्रशिक्षण एवं नियोजन				
वर्ष	प्रशिक्षण	नियोजन		
	प्रशिक्षित	रोजगार	स्वरोजगार	कुल नियोजित
2013–14	13564	1066	2361	3427
2014–15	39628	6481	8383	14864
2015–16	74564	15033	24097	39130
2016–17	103792	26582	30300	56882
2017–18	144180	39220	49557	88777
2018–19	77021	22988	21413	44401
2019–20	14110	4282	3457	7739
2020–21	कोविड 19 की परिस्थितिवश प्रशिक्षण का संचालन स्थगित है।			
2021–22	706	204	32	236
कुल	**467565**	**115856**	**139600**	**255456**

14.11.5 राष्ट्रीय शिक्षु प्रोन्नति योजना (NAPS) योजना :– भारत सरकार के शिक्षुता अधिनियम 1961 अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना में आंशिक संशोधन करते हुए शिक्षुओं को और अधिक प्रोत्साहित करते हुए कुशल कामगार तैयार करने हेतु वर्ष 2016 से राष्ट्रीय शिक्षु प्रोन्नति योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme) योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं/केन्द्रों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने (उत्तीर्ण) वाले प्रशिक्षणार्थियों को उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में उत्पादन/ वास्तविक कार्य के साथ संलग्न कर संबंधित क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के क्रियान्वयन हेतु वेब पोर्टल www.apprenticeship.gov.in का निर्माण किया गया है, तथा अनुश्रवण हेतु राज्य में विभिन्न स्तर पर पदेन शिक्षुता सलाहकार नियुक्त किया गया है। पोर्टल के माध्यम से उद्योगों एवं शिक्षुओं का पंजीयन कर ऑनलाईन अनुबंध कराया जाता है। शिक्षुओं को योजनान्तर्गत प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति का 25 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। साथ ही बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाईडर(बीटीपी) के रूप में पंजीकृत उद्योगों को प्रति शिक्षु राशि रूपये 7,500/– केन्द्र सरकार द्वारा प्रदाय किया जाता है।

तालिका क. 14.25 राष्ट्रीय शिक्षु प्रोन्नति योजना अंतर्गत शिक्षु नियोजन				
क्र.	क्षेत्र/प्रतिष्ठान	पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या	स्वीकृत स्थान	नियोजित प्रशिक्षु
1	निजी प्रतिष्ठान	657	1426	819
2	सार्वजनिक प्रतिष्ठान	16	8934	5528
	योग –	**673**	**10360**	**6347**

उच्च शिक्षा

छ.ग. राज्य की विकास यात्रा में उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय रही है। राज्य गठन के बाद जिस तेजी से उद्योगों का संख्या बढ़ी है, यदि मानव संसाधन में सुधार पर ध्यान न दिया जाये तो निश्चित ही इसका लाभ अंचल के लोगों को नहीं मिल सकेगा। यह तभी संभव होता है जब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिणामात्मक एवं गुणात्मक विस्तार एवं सुधार किया जाता। अपने गठन के समय से ही छ.ग. राज्य उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में सतत् प्रयत्नशील है एवं उच्च शिक्षा विभाग राज्य के प्रत्येक युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं राज्य की उच्च शिक्षा को नया स्वरूप प्रदान करने की दिशा में विभाग अग्रसर है।

1. राज्य गठन के समय 03 विश्वविद्यालय, 116 शासकीय महाविद्यालय एवं 74 अशासकीय महाविद्यालय थे। वर्तमान में छ.ग. राज्य में 09 राजकीय विश्वविद्यालय, 01 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 14 निजी विश्वविद्यालय, 277 शासकीय महाविद्यालय, 12 शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 256 अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं।

2. उक्तानुसार संचालित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना से उच्च शिक्षा को गति प्राप्त हो रही है और प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। राज्य के निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की स्थापना की गयी है।

3. राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2020–21 में लगभग लगभग 2,59,451 छात्र–छात्राएं अध्ययनरत थे। जिसमें स्नातक स्तर पर 2,24,064 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 35,387 विद्यार्थीगण अध्ययनरत हैं। उक्त छात्र संख्या में 28,771 सामान्य वर्ग, 40,974 अनु. जाति, 59,756 अनु.ज.जा. तथा 1,29,950 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राएं शामिल हैं।

4. सत्र 2021–22 में 24 नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें 08 नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय भी शामिल हैं। उक्त 24 नवीन शासकीय महाविद्यालयों हेतु कुल 792 शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों का सृजन भी किया गया है।

5. सत्र 2021–22 में स्थापित 05 शासकीय आदर्श महाविद्यालयों (रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर एवं जगदलपुर) हेतु कुल 165 शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों का सृजन भी किया गया है।

6. वर्ष 2020–21 में कुल 22 नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति शासन द्वारा प्रदान की गई है। वर्ष 2021–22 में आज दिनांक तक 09 नवीन अशासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है।

7. प्रदेश में संचालित कुल 12 अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को शासन द्वारा शत–प्रतिशत अनुदान प्रदत्त किया गया है।

8. सत्र 2020–21 में प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात (G.E.R.) 18.6 है।

9. **"राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद(NAAC)" द्वारा मूल्यांकनः**– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमन 2012 के प्रावधानानुसार राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों का नैक द्वारा प्रत्यायन कराया जाना अनिवार्य है। 170 शासकीय महाविद्यालयों को नैक से मूल्यांकन की पात्रता है। मार्च 2022 तक 100 महाविद्यालयों का I.I.Q.A एवं SSR जमा करवा नैक से मूल्यांकन करवा लिया जाएगा।

10. **राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS):**– केन्द्र शासन द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के अंतर्गत छ. ग. राज्य हेतु कुल 95,800 छात्र संख्या का आवंटन किया गया है। उक्त आबंटित छात्र संख्या हेतु वर्ष 2020–21 में राशि 3,41,27,750/–रू. का आबंटन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है। जिसमें संपूर्ण राशि व्यय की जा चुकी है। वर्ष 2021–22 हेतु राशि 3,41,15,293/–रू. का आबंटन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है।

11. **बी.पी.एल. बुक बैंक योजना :**– यह योजना राज्य शासन द्वारा वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई थी। इस योजनांतर्गत बी.पी.एल छात्र–छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिवर्ष पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें महाविद्यालय द्वारा क्रय कर प्रदान की जाती हैं। शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए राशि 50,00,000/–रू. का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि 45,75,074/–रू. व्यय किया गया। शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए राशि 50,00,000/–रू. का प्रावधान किया गया।

12. **अ.जा. एवं अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिये मुफ्त स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान करना :**– इस योजना के अंतर्गत अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान की जाती है। जिमसें स्नातक स्तर पर रू. 50/– प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी एवं रू. 600/– प्रति दो विद्यार्थी पुस्तकें तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रू. 50/– प्रति विद्यार्थी स्टेशनरी एवं रू. 800/– प्रति दो विद्यार्थी पुस्तकें देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 में मांग संख्या–41 में 83,00,000/–रू. का प्रावधान था, जिसके विरूद्ध 75,83,403/–रू. व्यय किया गया एवं मांग संख्या–64 में 1,10,00,000/–रू. का प्रावधान था जिसके विरूद्ध 80,68,836/– लाख रू. व्यय किया गया। वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–41 अनु.जनजाति में 85,00,000/–रू. का प्रावधान एवं मांग संख्या–64 अनुसूचित जाति में 1,10,00,000/–रू. का प्रावधान किया गया है।

13. **बी.पी.एल. छात्रवृत्ति** :– उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा अंतर्गत जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के छात्रों हेतु बी.पी.एल. छात्रवृत्ति सत्र 2005–06 से प्रदान की जा रही हैं जिसमें स्नातक स्तर के छात्रों को 300/–रू. प्रतिमाह की दर से 10 के लिए कुल 3,000/–रू. एवं स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को 500/–रू. प्रतिमाह की दर से 10 के लिए कुल 5,000/–रू. प्रति छात्र की दर से प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020–21 में छात्रों को राशि 6,00,00,000/–रू. की छात्रवृति प्रदान की गई। वर्ष 2021–22 हेतु राशि रू 6,00,00,000/–. का प्रावधान किया गया है।

तालिका क. 14.26 छात्र संख्या वर्षवार एवं संवर्गवार

संवर्ग	वर्ष 2020–21		
	छात्र	छात्रा	योग
सामान्य वर्ग	10073	18698	28771
अनु.जाति	17606	23368	40974
अनु.जनजाति	23132	36624	59756
अन्य पि.वर्ग	51473	78477	129950
कुल	102284	157167	259451

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

15

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

मुख्य बिन्दु

- संस्थागत प्रसव की दर वर्ष 2015–16 (NFHS 4) में 70.2 प्रतिशत थी, जो 2020–21 (NFHS 5) में बढ़कर 85.7 प्रतिशत हो गई।
- छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2001 में प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 77 थी, जो वर्ष 2019 की स्थिति में घटकर 40 हो गई है।
- राज्य में कुल 27 जिला क्षय नियंत्रण केंद्र, 155 टीबी यूनिट तथा 785 सूक्ष्मदर्शी जांच केंद्र (डीएमसी) द्वारा टीबी का उपचार एवं निदान की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम का मूल उद्‌देश्य दृष्टिहीनता को घटाकर 0.3 प्रतिशत करना है।
- डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत नवंबर 2021 तक रू. 846. 00 करोड़ की राशि के 11.37 लाख से अधिक क्लेम किए जा चुके हैं।
- प्रदेश में वर्तमान में 45,956 आंगनवाड़ी एवं 5,630 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं।
- वर्तमान में किशोरी बालिका योजनांतर्गत लगभग 12 हजार 218 किशोरी बालिकाओं को रेडी–टू –ईट फूड का प्रदाय किया जा रहा है।
- सितंबर 2021 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 19,676 ग्रामों के 74,982 बसाहटों में 3,04,303 हैंडपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार "स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल रोगों अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति से ही नहीं वरन् संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण से है"। इस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपचारात्मक के साथ साथ निवारक होना भी एक आवश्यक है। अनुपूरक घटक जैसे जल, स्वच्छता एवं पोषण आदि स्वास्थ्य की समग्र देखभाल के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत उन समस्त प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है जिससे मानव की जीवन प्रत्याशा, शारीरिक शक्ति व योग्यता तथा कार्यक्षमता आदि की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं आवास की दशाएं मानव विकास को प्रभावित कर अंततः आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। कुपोषण, निम्न जीवन स्तर, बीमारियों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी मानव की दक्षता में कमी लाता है। अतः यह आवश्यक है कि देश में लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं को उच्च स्तर पर बनाये रखने के लिये इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में व्यय तथा विनियोग किया जाए, ताकि देश की मानव शक्ति कार्यकुशल एवं दक्ष बनी रहे।

सितंबर 2015 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स) की अवधि पूरी होने पर इन लक्ष्यों को और विस्तार देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में अगले 15 वर्षों यानी 2030 तक के लिए एक नया वैश्विक एजेंडा– सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) तय किया गया, जिनमें विश्व की बेहतरी के लिए 17 सतत विकास लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया। इनमें लक्ष्य–3 सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने हेतु है।

15.1 मातृ स्वास्थ्य :– राष्ट्र के समग्र विकास और कल्याण में मातृत्व स्वास्थ्य का निर्णायक महत्व है। गर्भावस्था एवं प्रसव पूर्व एवं पश्चात् महिलाओं का पर्यवेक्षण देखभाल और सलाह, उपयुक्त औषधि तथा इलाज कुशल स्वास्थ्य कर्मियों एवं संस्थागत प्रसव के कारण मातृत्व मृत्यु दर में कमी परिलक्षित हुई। केन्द्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं के क्रियान्वयन ने राज्य में मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

मातृ मृत्यु दर 2001–03 में 1 लाख प्रति जीवित जन्मों पर भारत में 301 तथा राज्य में 379 थी। जो घटकर भारत व छत्तीसगढ़ में क्रमशः 113 व 159 (SRS Report 2016–18) हो गयी। SDG में 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। विगत वर्षों में प्रदेश में गर्भवती माताओं का प्रसव अस्पतालों में कराने के प्रति विश्वास बढ़ा है। शासकीय अस्पतालों में NFHS–4 वर्ष 20015–16 में 55.9 प्रतिशत प्रसव होता था जो NFHS–5 वर्ष 2019–21 में बढ़कर 70.0 प्रतिशत हो गया है। NFHS–4 वर्ष 2015–16 में संस्थागत प्रसव 70.2 प्रतिशत प्रसव होता था जो NFHS–5 वर्ष 2020–21 में बढ़कर 85.7 प्रतिशत हो गया है।

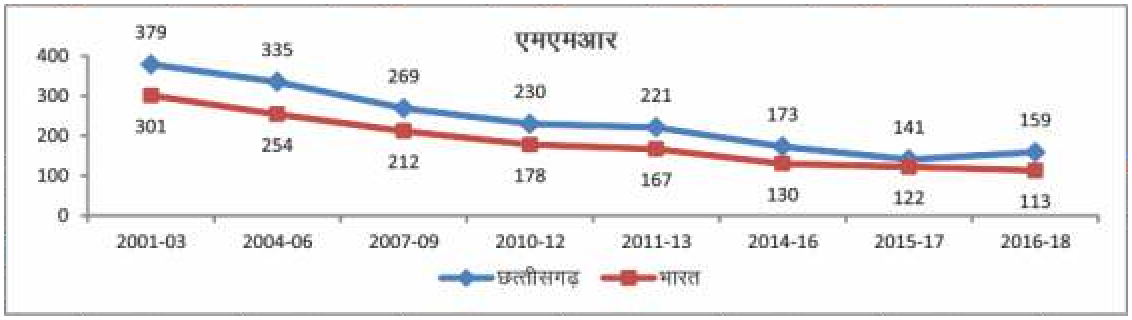

Source: Special Bulletin on Maternal Mortality in India, SRS, RGI

सूचकांक	NFHS-3(2005-06)	NFHS-4 (2015-16)	NFHS-5 (2020-21)
प्रथम तिमाही में ए.एन.सी. जांच (%)	46.0	70.8	65.1
कम से कम 4 ए.एन.सी. जांच (%)	28.3	59.1	60.1
संस्थागत प्रसव (%)	14.3	70.2	85.7

प्रथम संदर्भन ईकाईयों (First Referral Units & FRU) का क्रियान्वयन : राज्य में 57 प्रथम संदर्भन ईकाई का चिन्हांकन किया गया है। वर्तमान में 36 प्रथम संदर्भन ईकाई कियाशील हैं।

प्रथम संदर्भन इकाईयों के मापदंड

- प्रत्येक 5 लाख जनसंख्या में एक FRU
- विशेषज्ञ/विशेष दक्षता प्राप्त चिकित्सक की उपलब्धता।
- Blood Transfusion की उपलब्धता।
- आपात प्रसूति प्रबंधन के साथ सिजेरियन प्रसव की सुविधा।
- DHFRU में प्रतिमाह 50 से अधिक प्रसव एवं CHCFRU में प्रतिमाह 20 से अधिक प्रसव

15.2 जननी सुरक्षा योजना:– जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व एवं संस्थागत प्रसव में वृद्धि करने की अभिनव योजना है। इसके अंतर्गत संस्थागत प्रसव/घर प्रसव होने पर प्रसूता को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

तालिका 15.2 जननी शिशु सुरक्षा योजना	
पात्रता	प्रोत्साहन राशि
➢ शासकीय अस्पतालों में संस्थागत प्रसव होने पर सभी गर्भवती महिला के लिये:–	
ग्रामीण क्षेत्र की महिला	a)राशि 1400 रूपये।
शहरी क्षेत्र की महिला	b)राशि 1000 रूपये।
➢ JSY अंतर्गत मान्यता प्राप्त समस्त निजी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव होने पर केवल BPL गर्भवती महिला के लिये:–	
ग्रामीण क्षेत्र की महिला	a)राशि 1400 रूपये।
शहरी क्षेत्र की महिला	b)राशि 1000 रूपये।
➢ घर में प्रसव होने पर केवल BPL (ग्रामीण एवं शहरी) गर्भवती महिला के लिये:–	राशि 600 रूपये।
1) BPL प्रमाण पत्र	

वर्ष 2021–22 माह सितम्बर तक 1.33 लाख हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया है।

15.3 जन्म सहयोगी कार्यक्रम (Birth Companion Programme):– गंभीर प्रसव प्रकरणों में कमी, मातृ–शिशु मृत्यु में कमी लाने तथा बेहतर डॉक्टर पेशेंट संबंध के लिये प्रसव, प्रसवोत्तर अवधि के दौरान बेहतर मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखने हेतु राज्य शासन द्वारा जन्म सहयोगी कार्यक्रम (Birth Companian Programme) का क्रियान्वयन 26 जनवरी 2016 से छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में माह सितम्बर तक 1.13 लाख हितग्राही लभान्वित हो चुके हैं।

15.4 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान:– गर्भवती महिलाओं की गुणवत्ता पूर्वक प्रसव पूर्व जांच एवं जटिल प्रकरणों की समय से पहचान व उपचार हो इसे पूर्ण करने के लिये भारत सरकार द्वारा **"प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' (PMSMA)"** का प्रारंभ राज्य में 09 मई 2016 से किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को राज्य के समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं (MC/DH/CH/CHC एवं चिन्हांकित PHC) में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) संचालित किया जा रहा है। जिसमें मेडिकल ऑफिसर / CEmONC/BEmONC (प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी)/स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निजी चिकित्सकों के द्वारा गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण प्रसव पूर्व जांच की जा रही है। 09 मई 2016 से माह अक्टुबर 2021 तक 9.91 लाख गर्भवती महिलायें लाभान्वित हुई हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' (PMSMA) पोर्टल में 296 प्राइवेट डॉक्टर पंजीकृत हैं।

15.5 24X7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व अन्य सुविधाएं :– प्रदेश में 24 घंटे आवश्यक प्रसूति सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन किया गया है। वर्ष 2021–22 में माह सितम्बर तक उक्त 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में से 266 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रतिमाह औसतन 10 एवं 10 से ज्यादा प्रसव कराये जा रहे हैं एवं 123 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रतिमाह औसतन 07 से 09 प्रसव कराये जा रहे हैं।

15.6 शिशु स्वास्थ्य :– शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिशु एवं बाल मृत्यु दर को कम करना है। शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारकों में माता का स्वास्थ्य, प्रसव पूर्व एवं पश्चात् नवजात की देखभाल, सामान्य जीवन स्तर, बीमारी की दर, पर्यावरण का स्तर आदि है। शिशु मृत्यु दर को कम करने में छत्तीसगढ़ में प्रभावशील सुधार कार्य किये गये हैं। छत्तीसगढ़ में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के कारण राज्य स्थापित होने से अब तक शिशु मृत्यु दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2001 में प्रति एक हजार जीवित जन्म पर 77 थी, जो वर्ष 2019 की स्थिति में घटकर 40 हो गई है (SRS Report 2001, 2019)। SDG में 2030 तक शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य 15 रखा गया है।

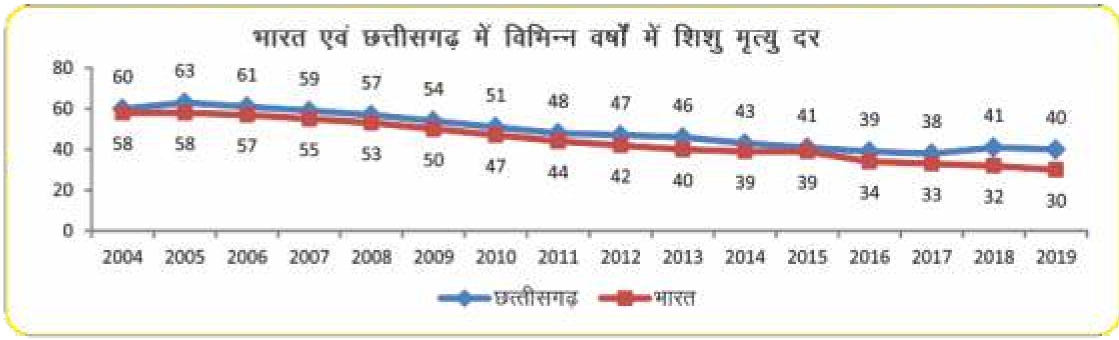

Source: SRS Reports

- **विशेश नवजात शिशु देखभाल इकाई (SNCU) :–** बीमार व कम वजन के नवजात (<1800 ग्राम) शिशुओं को विशेश देखभाल (प्रमुख सर्जरी व कृत्रिम वैंटिलेशन के अतिरिक्त समस्त देखभाल) प्रदाय करने के लिए जिला अस्पताल स्तर पर एस.एन.सी.यू. स्थापित की जाती है। वर्ष 2021–22 तक 23 एस.एन.सी.यू. क्रियाशील किए जा चुके हैं।

  एस.एन.सी.यू. के स्टाफ (डॉक्टर व स्टाफ नर्स) को मेडिकल कॉलेज रायपुर में Facility Based New Born Care पर तथा के.ई.एम. अस्पताल, मुंबई में Observership प्रशिक्षण प्रदाय किया जाता है।

- **न्यूबार्न स्टेबिलाईजेशन यूनिट (NBSU) :–** बीमार व कम वजन के नवजात (>1800 ग्राम) शिशुओं को कम समय के लिए देखभाल व स्थिरिकरण सुविधाएं प्रदान करने के लिए एन.बी.एस.यू. का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक एन.बी.एस.यू. में 03 रेडियंट वॉर्मर व 01 फोटोथैरेपी मशीन के द्वारा नवजात को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। वर्ष 2021–22 तक कुल 178 एन.बी.एस.यू. क्रियाशील किए जा चुके हैं।

- **न्यूबार्न केयर कार्नर (NBCC) :–** प्रसव के तुरंत बाद समस्त नवजात शिशुओं को आवश्यक नवजात देखभाल प्रदाय किए जाने हेतु प्रसव कक्ष के एक कोने को एन.बी.सी.सी. के रूप में चिन्हांकित किया जाता है। एन.बी.सी.सी. में एक रेडियंट वॉर्मर स्थापित कर शिशु को आवश्यक जीवनरक्षक देखभाल प्रदाय की जाती है। एन.बी.सी.सी. जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर जहां प्रसव कराया जाता है, वहां स्थापित की जाती है। वर्ष 2021–22 तक 1704 एन.बी.सी.सी. क्रियाशील हैं।

15.7 टीकाकरण :– संपूर्ण टीकाकरण की दर 48.7 प्रतिशत NFHS 3 (2005–06) से बढ़कर 79.7 प्रतिशत NFHS 5 (2020–21) तक पहुंच गयी है। वर्ष 2020–21 में 6,32,940 (लक्ष्य) में से 5,92,697 (कवरेज) अर्थात् 93.64 प्रतिशत बच्चो को टीकाकृत किया गया एवं वर्ष 2021–22 में नवम्बर माह तक 57.45 प्रतिशत बच्चों को टीकाकृत किया गया है। (जैपनीज़ इंसेफलाइटिस) के रोकथाम हेतु टीकाकरण अभियान माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2020 में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी एवं कोन्डागांव जिलों में आयोजित किया गया जिसमें 01–15 वर्ष तक के कुल 7,72,045 बच्चों का टीकाकरण किया गया।

15.8 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP) :– इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, कि समाज में छिपे सभी रोगियों को खोजकर उन्हें बहुऔषधि उपचार नियमित एवं पूर्ण दिलाकर रोग पर नियंत्रण कर लिया जाये, ताकि रोग का प्रसार रूक जाये व रोग की प्रभावी दर एक व्यक्ति अथवा कम प्रति 10,000 जनसंख्या हो जाए।

छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय प्रदेश का कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 प्रति 10,000 था, जो वर्तमान माह अक्टूबर 2021 में 1.51 प्रति दस हज़ार है। माह अक्टूबर 2021 में राज्य में कुल 4,592 रोगियों को बहुऔषधि उपचार के अंतर्गत नियमित उपचार निःशुल्क दिया जा रहा है।

तालिका 15.3 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम भौतिक प्रगति

विवरण	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक	अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 तक
खोजे गये नये रोगियों की संख्या	4790	3708
रोगमुक्त रोगियों की संख्या	7353	2801
उपचाररत् रोगियों की संख्या	3685	4592
विकृति सुधार शल्यक्रिया	26	70
रोग प्रभाव दर	1.23	1.51

तालिका 15.4 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम वित्तीय उपलब्धि

वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
2017-18	-	388.62
2018-19	874.42	485.35
2019-20	1024.63	619.79
2020-21	954.89	288.31
2021-22 (सितंबर)	1386.11	75.31

15.9 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 वेक्टर जनित बिमारियां प्रचलित हैं : मलेरिया, डेंगू, चिकुनगुनिया, जापानीज एनसेफालाइटीस, फायलेरिया एवं काला–आजार।

छत्तीसगढ़ राज्य में चार बीमारियॉः मलेरिया, डेंगू, जापानीज एनसेफालाइटीस एवं फायलेरिया पाई जाती हैं।

15.9.1 मलेरिया उन्मूलन :– राज्य के बस्तर संभाग मलेरिया हेतु अतिसंवेदनशील क्षेत्र है। मलेरिया उन्मूलन के अंतर्गत त्वरित निदान हेतु सभी मितानिन, उप स्वास्थ्य केन्द्र में रैपिड डायग्नोस्टिक किट (आर.डी. किट) उपलब्ध कराई गई है, जिससे मरीजों की तत्काल पहचान कर सम्पूर्ण उपचार दिया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालयों में अपातकालीन स्थिति में उपयोग हेतु उपलब्ध कराई गई हैं। वर्ष 2021 में माह नवम्बर तक 40.10 लाख मलेरिया संभावित मरीजों की जांच की गई, जिसमें से कुल 21.80 लाख मरीजों का आर.डी.टेस्ट से जांच की गई। कुल 26,969 मलेरिया धनात्मक प्रकरण पाये गये, जिसमें से 19,298 प्रकरण आर.डी. टेस्ट जाँच से

धनात्मक पाये गये। वेक्टर नियंत्रण गतिविधि अंतर्गत राज्य के वार्षिक परजीवी सूचकांक एक से अधिक वाले 1,497 वाले उप स्वास्थ्य केन्द्रों के 52.02 लाख जनसंख्या में कुल 33.98 लाख दीर्घकालीन कीटनाशकयुक्त मच्छरदानी का वितरण किया गया।

तालिका 15.5 वर्ष 2018 से 2020 में मलेरिया रोग की एपियोडेमिलॉजीकल स्थिति

क्र.	विवरण	(जनवरी से दिसंबर 2019)	(जनवरी से दिसंबर 2020)	(जनवरी से नवंबर 2021)
1	रक्त पट्टी एवं आर.डी.टी. परीक्षण	5815904	4162288	4010574
2	सकारात्मक	60458	36667	26969
3	प्लासमोडियम फेल्सीपेरम प्रकरण	49390	31200	22891
4	रक्तपट्टी सकारात्मक दर	1.04	0.88	0.67
5	वार्षिक परजीवी सूचकांक	1.97	1.17	0.84
6	रक्त जांच फेल्सीपेरम दर	0.85	0.77	0.57
7	प्लासमोडियम फेल्सीपेरम प्रकरणों का प्रतिशत	81.69	87.60	84.88
8	मृत्यु	31	34	34

15.9.2 फायलेरिया उन्मूलन :—

15.9.2.1 कार्यक्रम अंतर्गत् उपलब्धियां :—

- राज्य में ग्राम स्तर पर कार्यरत् 61,353 मितानिनों को फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- राज्य के 20 प्रभावित जिलों हेतु बसाहटवार कार्य योजना (Habitation wise Microplan) तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया।
- राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यकम अंतर्गत् जन समुदाय में फ्लोराइड प्रभावित बिमारियों के पहचान एवं जागरुकता लाने हेतु संबंधित बिमारियों पर आधारित पाम्पलेट/लीफलेट प्रिंटिग कर जिलों में आपूर्ति की गई।
- जिला चिकित्सालय कांकेर, कोरबा, कोण्डागांव एवं महासमुंद, में फ्लोरोसिस प्रयोगशाला की स्थापना की जा चुकी तथा आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला उपकरण क्रय किये गये हैं एवं जिला बालोद में फ्लोरोसिस प्रयोगशाला की स्थापना प्रक्रियाधीन है।
- राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत् राज्य के 07 जिलों (बलौदाबाजार, बलरामपुर, सुरजपुर, सरगुजा, रायपुर, बस्तर एवं गरियाबंद) में फ्लोरोसिस प्रयोगशाला की स्थापना छत्तीसगढ़, मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर के माध्यम से की जा चुकी है।
- फ्लोरोसिस कार्यक्रम अंतर्गत् चयनित जिलों में मरीजों के चिन्हांकन का कार्य संपादित कराया जा रहा है।

15.9.3 डेंगू नियंत्रण :– डेंगू शंकास्पद प्रकरण के एलाइजा पुष्टि हेतु राज्य में कुल 10 सेन्टीनल सर्वेलेंस चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज रायपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर तथा जिला चिकित्सालय बिलासपुर, कोरबा जांजगीर, कवर्धा एवं दुर्ग क्रियाशील हैं। 01 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक 934 डेंगू प्रकरण की पुष्टि की गई है। डेंगू के पुष्टि होने पर मरीज के घर के आस–पास मच्छर लार्वा पनपने के स्रोत जैसे कुलर, टंकी आदि का साफ–सफाई, नारियल के खोल, अनुपयोगी बर्तन आदि को नष्ट किया जा कर स्रोत नियंत्रण किया जा रहा है।

तालिका 15.6 वर्षवार डेंगू प्रकरण एवं मृत्यु

क.	वर्ष	प्रकरण	मृत्यु
1	2018	2934	12
2	2019	735	निरंक
3	2020	57	निरंक
4	2021(नवंबर)	934	निरंक

15.9.4 जापानीज एनसेफालाइटीस नियंत्रण :– जापानीज एनसेफालाइटीस के शंकास्पद प्रकरण के पुष्टि हेतु मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, सेन्टीनल सर्विलेंस चिकित्सालय के रूप में क्रियाशील है। सेन्टीनल सर्वेलेंस चिकित्सालय के आवश्यकतानुसार भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय वायोरोलॉजी संस्थान पुणे से जांच किट उपलब्ध कराया जा रहा है। जे.ई. से बचाव हेतु प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। जे.ई. मरीज की पुष्टि होने पर प्रभावित क्षेत्र में सुअर आदि पशुधन को घर से बाहर रखने हेतु सलाह दी जा रही है। पशु चिकित्सा बिभाग से समन्वय कर प्रभावित क्षेत्र के सुअर आदि पशुधन का सेम्पल जे.ई. पुष्टि हेतु उच्च संस्थान को भेजी जा रही है।

तालिका 15.7 वर्षवार जापानीज एनसेफालाइटीस

क.	वर्ष	प्रकरण	मृत्यु
1	2018	35	7
2	2019	53	5
3	2020	13	4
4	2021(नवंबर)	01	0

15.10 पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम :– राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम डॉट्स रणनीति के साथ वर्ष 1997 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के समस्त टीबी रोगियो को उच्च गुणवत्ता की जॉच एवं उपचार उपलब्ध कराकर **"टीबी मुक्त प्रदेश"** बनाना है। एनटीईपी कार्यक्रम द्वारा टीबी के मरीजों को अतिशीघ्र खोज कर ईलाज प्रारंभ किया जाता है, जिससे टीबी का फैलाव एवं टीबी से होने वाले मृत्यु को रोका जा सकता है। डॉटस पद्वति (देख–रेख में दवा खिलाना) माध्यम से टीबी का ईलाज प्रारंभ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम 15 अगस्त 2002 से 4 जिलों – रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं राजनांदगांव में प्रारंभ हुआ एवं 15 अगस्त 2004 तक समस्त जिलों में प्रारंभ किया गया।

15.10.1 मुख्य उद्देश्य–

- 90% सभी प्रकार के टीबी मरीजों के टीबी नोटिफिकेशन (खोज) प्राप्त करना।
- 90% उपचाररत नये धनात्मक टी.बी. मरीजों का सफल उपचार करना एवं 85% पुनः उपचार प्राप्त कर रहे टी.बी. मरीजों का सफल उपचार करना।

राज्य में कुल 27 जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र, 155 टीबी यूनिट तथा 785 सूक्ष्मदर्शी जाँच केंद्र (डेजिग्नेटेड माईक्रोस्कोपिक सेंटर) द्वारा टीबी का उपचार एवं निदान की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

तालिका 15.8 भौतिक प्रगति

क्र.	सूचक (Indicator)	अप्रैल 2020से मार्च 2021	अप्रैल 2021 से नवंबर 2021
1	टीबी नोटिफिकेशन	90.6 / लाख / वर्ष	100.5 / लाख / वर्ष
2	उपचार सफलता दर	84.33%	84.83%
3	टीबी मरीजों की एचआईव्ही की जाँच	96.34%	92.20%
4	संभावित ड्रग रजिस्टेंश टीबी मरीज की जाँच	17779	8323
5	जाँच में पाए गये ड्रग रजिटेंस टीबी मरीज	450	304

15.10.2 वर्ष 2020–21 में कार्यकम की मुख्य उपलब्धि :

- **PPSA -** माह अप्रैल 2021 को पेसेंट प्रोवाईडर सपोर्ट एजेंसी के कार्य करने के लिए निविदा के माध्यम से एचएलएफपीपीटी (निजि संस्था) का चयन कर एमओयू में हस्ताक्षर किया गया है। पीपीएसए मॉडल के अंतर्गत राज्य के 6 जिलों में (रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़) निजि क्षेत्र के टी.बी. मरीजों को खोज कर उनको पूर्ण ईलाज देना एवं निक्षय में इंद्राज करना है। जिससे निजि क्षेत्र के टी.बी. नोटिफिकेशन में बढ़ोतरी होगी एवं ईलाज पूर्ण रूप से प्राप्त होगा।

- **TB ECHO Hub -** एनटीईपी कार्यकम अंतर्गत एसटीडीसी रायपुर में TB ECHO Hub का लॉच 28 दिसंबर 2020 को किया गया। जिसके माध्यम से एनटीईपी कार्यकम की वर्चुअल समीक्षा बैठक / प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

- **टी.बी. खोज अभियान -** माह जनवरी-फरवरी 2021 तक उच्च जोखिम समूहो में सघन टी.बी. खोज अभियान चलाया गया जिसमें 5,78,854 लोगों का स्कीनिंग किया गया जिसमें से 7,600 का जॉच उपरांत 189 टी.बी. मरीज पाये गये। माह सितंबर–अक्टूबर 2021 को सघन टी.बी. खोज अभियान चलाया गया जिसमें 2,63,73,567 लोगों का स्कीनिंग किया गया जिसमें से 33,268 का जॉच उपरांत 2,298 टी.बी. मरीज पाये गये।

- **CBNAAT Machine -** राज्य में कुल 36 सीबीनॉट मशीन स्थापित है, जिसमें टी.बी. एवं ड्रग रेजिस्टेंट टी.बी. की जॉच किया जाता है। सीबीनॉट मशीन के द्वारा परिणाम 2 घण्टे में प्राप्त हो जाता है।

- **TrueNat Machine -** राज्य के समस्त जिलों में आदर्श ट्रूनाट लैब की स्थापना कर कोविड–19 की जॉच की जा रही है, इसके साथ ही टी.बी. एवं ड्रग रेजिस्टेंट टी.बी. की भी जॉच सुचारू रूप से कराई जा रही है।

- **Programmatic Managment of TB Preventive Therapy -** राज्य में PMTPT का शुभारंभ दिनॉक 03 दिसंबर 2021 को किया गया। जिसमें टी.बी. मरीजों के घर के सदस्यों को टी.बी. के लक्षण के संबंध में पुछलाछ करने के उपरांत यदि टी.बी. का लक्षण पाया जाता है तो उन्हे टी.बी. का ईलाज दिया जायेगा एवं लक्षण प्राप्त नही होने पर उन्हे भविष्य में टी.बी. न हो इसके लिए TB Preventive Therapy दिया जाना है।

- **क्षय पोषण योजना** – राज्य के समस्त जिलों में पंजीकृत समस्त टी.बी. एवं ड्रग रेजिस्टेंट टी.बी. मरीजों को क्षय पोषण योजना के तहत पोषण आहार हेतु राशि 500/– रू. प्रति माह पीएफएमएस के माध्यम से डीबीटी किया जा रहा है।

15.11 अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम – राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 से प्रारंभ किया गया था। प्रदेश में यह कार्यक्रम 1978 से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दृष्टिहीनता को घटाकर 0.3 प्रतिशत करना था। इसके अंतर्गत निःशुल्क मोतियाबिन्द आपरेशन, शालेय छात्रों को निःशुल्क चश्मा तथा अन्य नेत्र रोगों का उपचार किया जाता है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम राज्य के समस्त जिलों में संचालित हैं।

15.11.1 विशेष कार्यक्रम –

- ❖ दिनांक 25 अगस्त से 8 सितंबर तक प्रतिवर्ष नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है।
- ❖ प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है।
- ❖ 12 मार्च को विश्व ग्लाकोमा दिवस मनाया जाता है।

तालिका 15.9 अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम भौतिक उपलब्धि

क्र.	कार्यक्रम	अपेक्षित	2020–21		2021–22 (नवम्बर 2021)	
			उपलब्धियॉ	प्रतिशत	उपलब्धिया	प्रतिशत
1	मोतियाबिन्द आपरेशन	1,25,000	41,874	33.50	40,419	32.34
2	शालेय छात्र परीक्षण	6,00,000		निरंक	4,32,477	72.08
3	चश्मा वितरण	30,000	5509	18.33	11,764	39.21
4	प्रेसबायोपिक चश्मा	40,000	36,440	91.10	17,239	43.10
5	नेत्रदान	400	3	0.75	66	16.50

15.11.2 एम्बेसडर फॉर आई केयर :– राज्य में राजीव गॉधी शिक्षा मिशन के सहयोग से शालाओं के **47,029** शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर 'एम्बेसडर फॉर आई केयर' बनाया गया है। इनके द्वारा प्राथमिक जॉच की जाती है और दृष्टि कम होने पर नेत्र सहायक अधिकारी द्वारा चश्मा प्रदाय किया जाता है। इसमें अब तक लगभग 27 लाख छात्र लाभान्वित हो चुके हैं।

15.11.3 कॉम्प्रिहेन्सिव आई केयर :– इस कार्यक्रम अंतर्गत सितंबर माह में राज्य के समस्त जिलों के एक–एक विकासखण्ड का चयन कर उसके प्रत्येक ग्राम में घर–घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति का नेत्र परीक्षण किया जाता है, इस वर्ष कोविड–19 में नेत्र सहायक अधिकारियों की ड्यूटी लगने के कारण यह कार्यक्रम नहीं हो सका।

15.11.4 बाल नेत्र सुरक्षा सप्ताह :– राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बाल दिवस के उपलक्ष्य में **राज्य में** दिनांक 14–20 नवम्बर 2021 तक **'बाल नेत्र सुरक्षा सप्ताह'** का आयोजन किया गया जिसमें 3,522 स्कुलो के 2,57,107 छात्रों का नेत्र परीक्षण किया गया जिसमें दृष्टि दोष पाये 7,477 छात्रों को निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया एवं अन्य नेत्र रोग के 2,058 छात्रों का उपचार किया गया।

15.11.5 टेली ऑफ्थल्मिक विजन सेंटर की स्थापना :– राज्य के 146 सी.एच.सी. में टेली ऑफ्थल्मिक विजन सेंटर की स्थापना की योजना है। विजन सेंटर में नेत्र सहायक अधिकारी द्वारा मरीजों का नेत्र परीक्षण कर केन्द्रों के विशेषज्ञों से, उपचार हेतु आनलाइन परामर्श एवं रोगियों से वार्तालाप होगा। पायलट प्रोजेक्ट में 12 सीएचसी में टेली ऑफ्थल्मिक विजन सेंटर की स्थापना हो चुकी है एवं 20 केन्द्रों में प्रक्रियाधीन है। इससे दूरस्थ स्थानों के मरीजों को भी नेत्र विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ मिलेगा।

15.11.6 राष्ट्रीय राजमार्ग वाहन चालक नेत्र परीक्षण सप्ताह :– राज्य में राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यकम तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समन्वय से दिनांक 13 दिसंबर से 18 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय राजमार्ग में आने वाले स्वास्थ्य संस्था में वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण किया जाना है। दिनांक 13 दिसंबर को राज्य के 18 स्थानों पर टोल प्लाजा में भी वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण कर स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु जागरूक किया जाना है।

15.11.7 स्पेशल क्लीनिक :– सोमवार को ग्लोकोमा क्लीनिक, गुरूवार को रेटिना क्लीनिक, शनिवार को पीडियाट्रिक ऑफ्थाल्मोजी क्लीनिक का आयोजन जिला अस्पताल में किया जाता है।

15.11.8 कार्ययोजना :– राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों में घर–घर जाकर नेत्र रोग से पीड़ित मरीजों की जॉच कर बेस हॉस्पिटल एप्रोच के तहत् मोतियाबिन्द आपरेशन तथा अन्य जटिल नेत्र रोगों का उपचार किया जा रहा है, नेत्र आपरेशन शिविर नहीं लगाये जा रहे हैं।

15.11.9 नेत्र बैंक :– राज्य में 4 नेत्र बैंक हैं। नेत्रदान को बढ़ावा देने हेतु मेडिकल कालेज रायपुर एवं बिलासपुर में आई डोनेशन काउन्सलर को नियुक्त किया गया है।

15.11.10 नेत्र संग्रहण केन्द्र :– प्रत्येक जिले में नेत्र संग्रहण केन्द्र स्थापित करने की योजना है। ऐसे केन्द्र में प्रतिवर्ष 50 नेत्रों का संग्रहण किया जावेगा। राज्य में जिला चिकित्सालय दुर्ग, चन्दुलाल चन्द्राकर हास्पिटल दुर्ग, कोरबा एवं सरगुजा में नेत्र संग्रहण केन्द्र संचालित हैं। धमतरी एवं महासमुन्द में नेत्र संग्रहण केन्द्र खोले जा रहे हैं।

15.11.11 नेत्र वार्ड एवं नेत्र शल्य कक्ष का निर्माण :— भारत सरकार की सहायता से जगदलपुर, कोण्डागांव, में नेत्र आपरेशन हेतु निर्माण किया गया है। बेमेतरा में डेडीकेटेड नेत्र अस्पताल निर्माण हो चुका है तथा मुंगेली में डेडीकेटेड नेत्र अस्पताल हेतु 1.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जो कि निर्माणाधीन है।

अन्य कार्यक्रम एवं उपलब्धियां

15.12 मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना

15.12.1 उद्देश्य — राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने हेतु राज्य शासन द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुये जनवरी 2020 से मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 20 लाख रूपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है, जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज हेतु प्रदान कर रहा है जिससे स्वस्थ एवं बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके।

15.12.2 आवेदन हेतु पात्रता — प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार (छत्तीसगढ़ सरकार की अद्यतन सूची अनुसार)

15.12.3 बीमारियों हेतु सहायता:—

बीमारियों के उपचार में सहायता प्रदान किए जाने हेतु अनिवार्य शर्तें—

- बीमारी का उपचार योग्य होना।
- जीवन की प्रत्याशा अवधि में औसत न्यूनतम् 2 वर्ष के वृद्धि की संभावना होना।
- एक बीमारी के उपचार हेतु एक ही बार स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

15.13 बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम, केन्द्र प्रवर्तित योजना :— राष्ट्रीय स्तर पर ''वृद्ध व्यक्तियों के बारे में राष्ट्रीय नीति'' और ''माता—पिता और वरिष्ठ नागरिक अनुरक्षण एवं कल्याण अधिनियिम 2007'' को ध्यान में रखते हुये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

तालिका 15.10 बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम

विवरण	अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020	अप्रैल 2020 से मार्च 2021	अप्रैल 202 से सितम्बर 2021
ओपीडी	327644	1026529	710993
आईपीडी	19333	45122	37306
लैब सुविधा	169430	346217	274787
फिजियोथेरेपी सुविधा	26993	50862	36811
पीला कार्ड / फिटनेस गाइड बुकलेट	—	581618	844787
होम विजीट	—	105854	14954

मंत्रालय ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए "राष्ट्रीय वयोवृद्ध स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम" राज्य के समस्त 28 जिलों में संचालित किया गया है।

वर्ष 2020–21 में अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 तक ओपीडी 7,10,993, आईपीडी 37,306, लैब सुविधा 2,74,787, फिजियोथेरेपी सुविधा 36,811 सुविधा, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कुल 8,44,787 विशेष कार्ड (पीला कार्ड/फिटनेस गाइड बुकलेट) प्रदाय तथा वयोवृद्ध गृह भेंट– 14,954 प्रदान किया गया। 01 अक्टुबर 2021 को विषय वयोवृद्ध दिवस सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में मनाया गया, जिसमें वृद्धजनों को निःशुल्क वाकर एवं वाकिंग स्टिक प्रदाय किया गया।

15.14 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा :– प्रदेश की जनता को आकस्मिक दुर्घटनाओं में त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये 300 चिकित्सा सुविधा से सुसज्जित 108 संजीवनी एक्सप्रेस के नाम से निःशुल्क एम्बुलेंस की सेवा कंर्सोटियम ऑफ JAES संस्था द्वारा 300 एम्बुलेसों के माध्यम से प्रदाय की जा रही है, जिसमें 30 ALS (एडंवास लाइफ सपोर्ट) एम्बुलेंस भी शामिल हैं।

108 संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस की यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है तथा एम्बुलेंस का परिचालन 24 घंटे 365 दिन किया जाता है। दिनांक 1 मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक कुल 3,74,674 मरीजों को 108 एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचा कर सेवा प्रदाय की जा चुकी है।

15.15 महतारी एक्सप्रेस :– छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं का लाभ लेने हेतु "102 महतारी एक्सप्रेस" एम्बुलेंस योजना का आरंभ किया। छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 23 अगस्त 2013 को 21 एम्बुलेंस के साथ बिलासपुर जिले से इस सेवा की शुरूआत की गयी। तत्पश्चात् वर्तमान में 324 एम्बुलेंस का परिचालन 24 घंटे 365 दिन किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का प्रसव संबंधी सहायता, प्रसव पूर्व जॉच, नसबंदी एवं 1 वर्ष तक के बीमार नवजात शिशुओं हेतु निःशुल्क 102 महतारी एक्सप्रेस सेवा का लाभ टोल फ्री नंबर "102" पर कॉल कर लिया जा सकता है।

दिनांक 23 अगस्त 2013 से 30 नवंबर 2021 तक कुल 57.95 लाख हितग्राहियों को समय पर प्रसव संबंधी चिकित्सा सेवा एम्बुलेंस में देते हुए अस्पताल तक पहुंचाया गया।

15.16 चिरायु योजना (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यकम) :– चिरायु कार्यक्रम के अंतर्गत 0–6 सप्ताह की आयु के नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण डिलवरी प्वाइंट के स्टॉफ द्वारा, 06 सप्ताह से 06 वर्ष की आयु के बच्चों का आंगनबाड़ी कैन्द्रों के माध्यम से तथा 6–18 वर्ष की आयु के बच्चों का शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों के माध्यम से चिरायु दलों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं 44 बीमारियों के अंतर्गत चिन्हित बच्चों को उच्च संस्था में उपचार हेतु संदर्भित किया जाता है।

15.17 डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना :–

15.17.1 योजना का उद्देश्य – योजना का उद्देश्य राज्य के नागरिकों की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा तक पहुंच में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों की संख्या में विस्तार किया

गया है। साथ ही पूर्व की योजनाओं के अंतर्गत अलग–अलग पात्रता मापदंड एवं प्रक्रियाओं, जिनके कारण मरीजों को उपचार हेतु औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए भटकना पड़ता था, को सरल बनाकर उपचार प्राप्त करने की आसान प्रक्रिया सुनिश्चित किया गया है।

15.17.2 योजनाओं का एकीकरण – राज्य में मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) आदि योजनाओं को एकीकृत कर माह जनवरी 2020 से डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के साथ राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित है।

15.17.3 डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना – योजनांतर्गत् पंजीकृत अस्पतालों में योजना के निर्धारित पैकेज अंतर्गत् भर्ती होने की दशा में अन्त्योदय व प्राथमिकता के राशन कार्डधारी परिवारों अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत् सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना (SECC) में निर्धारित वंचित श्रेणी (Deprived category) के अनुसार लगभग 56 लाख से अधिक परिवारों को प्रतिवर्ष रू. 5 लाख तक नगद–रहित उपचार की सुविधा प्राप्त है। शेष सभी प्रकार के अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को रू. 50 हजार तक के नगद–रहित उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

15.17.4 योजनांतर्गत् उपचार हेतु पात्रता के विभिन्न आधार – मरीज/हितग्राही निम्न आधार पर निःशुल्क ई–कार्ड बनवाकर उपचार सुविधा प्राप्त कर सकते हैं:–

- नवीनीकृत राशन कार्ड के माध्यम से।
- ऐसे हितग्राही जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है किंतु वे यदि आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत् पात्र परिवारों की सूची में शामिल हैं, तो वे सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना में दर्ज एच.एच.आई.डी. नंबर या आयुष्मान भारत योजना के पी.एम. लेटर के माध्यम से।
- ऐसे परिवार/हितग्राही जो पूर्व में योजना का लाभ ले चुके हैं या फिर जिनके पास योजनांतर्गत् पूर्व में निर्मित ई–कार्ड उपलब्ध है, तो वे इस ई–कार्ड के माध्यम से।
- ऐसे परिवार/हितग्राही जिनके पास राशनकार्ड/सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना में दर्ज एच.एच. आई.डी./आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत् पी.एम. लेटर/पूर्व में निर्मित ई–कार्ड कुछ भी उपलब्ध न हो तब भी वे अपने नाम से search करा कर योजनांतर्गत् लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ध्यान दें कि, उपरोक्त चारों परिस्थितियों में हितग्राही को आधार कार्ड या अन्य व्यक्तिगत् शासकीय फोटो पहचान–पत्र ले जाना आवश्यक है।

- **अस्पतालों का नेटवर्क** – योजनांतर्गत हितग्राही मरीज के लिए पंजीकृत शासकीय या निजी अस्पताल में पात्रतानुसार नगद–रहित उपचार की सुविधा है। राज्य में योजनांतर्गत् कुल 1,466 अस्पताल पंजीकृत हैं जिनमें से शासकीय अस्पताल 979 एवं निजी अस्पताल 487 हैं।

- योजनांतर्गत दिनांक 29.11.2021 तक रू. 846.00 करोड़ की राशि के 11.37 लाख से अधिक क्लेम किए जा चुके हैं।

15.18 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

15.18.1 राज्य में एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रम :– राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नाको, नई–दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति की स्थापना वर्ष 2002 में की गयी। राज्य में एच.आई.वी. पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए सतत रूप से अनेकों कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। जिसमें क्रमशः 147 आई.सी.टी.सी. (समेकित परामर्श एवं जांच केन्द्र) केन्द्र, एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर लगभग सभी केन्द्रों मे एफ.आई.सी.टी.सी के माध्यम से एच. आई.वी. की जांच की सुविधा उपलब्ध है। 31 एस.टी.आई. (यौन रोग उपचार) केन्द्र, 05 ए.आर.टी. केन्द्र, 22 लिंक ए.आर.टी. केन्द्र, 31 ब्लड बैंक, 35 लक्षित हस्तक्षेप एवं 04 लिंक वर्कर परियोजनाएं संचालित की जा रही है।

वर्ष 2007 से अक्टूबर 2021 तक कुल 64,13,489 लोगों को एच.आई.वी. जांच की सुविधा प्रदान की गयी जिसमें कुल 37,745 लोग एच.आई.वी. संक्रमित पाए गये। एच.आई.वी पॉजिटिव का प्रतिशत 0. 59 % है।

राज्य के सभी एच.आई.वी. के साथ जी रहे लोगों को वर्ष 2006 के पश्चात ए.आर.टी. की सुविधा प्रदान करने हेतु 05 ए.आर.टी. केन्द्र क्रमशः डॉ.बी.आर.अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय मेकाहारा रायपुर, सिम्स बिलासपुर, महारानी चिकित्सालय जगदलपुर, जिला चिकित्सालय दुर्ग एवं सरगुजा में स्थापित किये गये थे। मार्च 2021 से राज्य में तीन नये ए.आर.टी. केंद्र **कोरबा, राजनांदगांव एवं रायगढ़** जिलों में प्रारम्भ किये जा चुके हैं। वर्तमान में कुल 08 ए.आर.टी.केंद्र राज्य में संचालित हैं।

कुल एच.आई.वी. संक्रमित लोगों में से **31,021** लोग ए.आर.टी. केन्द्र में पंजीकृत हुए हैं। जिनमें से आवश्यकतानुरूप **15,630** लोगों को माह अक्टूबर 2021 तक ए.आर.टी. की दवा निःशुल्क प्रदाय की जा रही है।

15.18.2 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चरण :–

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम फेस–4 (2013–2021) :

- इस चरण में नये संकमण को शून्य के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया तथा कम से कम 90% एच.आई.वी संकमित लोगों के ए.आर.टी केन्द्रों में पंजीकरण और आवश्यकता अनुरुप ए.आर.

टी. की दवा उपलब्ध कराना एवं अन्य विभागों के सम्मलित प्रयासों से समाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराना।

- चतुर्थ चरण में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई–दिल्ली भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 तक के लिये 95–95–95 का लक्ष्य दिया गया है।

तालिका 15.11 छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अर्न्तगत वर्तमान में उपलब्ध सेवाएं

केंद्र	संख्या	स्थान
एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र (ICTC)	147	छह मेडिकल कॉलेज में – 12 (रायपुर–3, बिलासपुर–2, जगदलपुर–1, राजनांदगांव–1, रायगढ़–1, अंबिकापुर–1), जिला अस्पताल – 26 सामुदायिक स्वा.केंद्र – 95 सिविल अस्पताल – 9, प्राथमिक स्वा. केंद्र – 4, शहीद अस्पताल – 1,
चलित समेकित परामर्श एवं जांच केंद्र	03	दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़
ए.आर.टी. केंद्र	08	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर, कोरबा, राजनांदगांव एवं रायगढ़
लिंक ए.आर.टी. केंद्र	21	दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बालोद, राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, बलोदा बाज़ार, मुंगेली, कोरिया, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, जशपुर, केंद्रीय जेल रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर, ICC बिलासपुर जिला अस्पताल
केयर एंड सपोर्ट सेंटर	03	रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर
ब्लड बैंक (नाको सहायतित)	31	जिला अस्पताल – 23 मेडिकल कालेज – 7, रेड कॉस, रायपुर – 1
रक्त संग्रहण हेतु मोबाईल वेन	01	मेडिकल कॉलेज रायपुर द्वारा संचालित
ब्लड ट्रांसपोर्टेशन वेन	04	रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर
शा. एस.टी.डी. क्लिनिक	31	मेडिकल कॉलेज – 6 जिला अस्पताल – 24 सिविल अस्पताल –01
एन.जी.ओ. (लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम) (शहरी क्षेत्रों में कार्यरत)	35	राज्य के 20 जिलों में संचालित (सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, बालोद, बेमेतरा एवं बलरामपुर जिलों में संचालित **नहीं** है।
लिंक वर्कर स्कीम (ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत)	04 **कुल–39** एन.जी.ओ. (लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम)	रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव
OST सेंटर	06	बिलासपुर–2, दुर्ग, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर

तालिका 15.12 वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु नई सुविधायें

ए.आर.टी.केंद्र (शासकीय)	03	* राज्य में तीन नये ए.आर.टी. केंद्र **कोरबा, राजनांदगांव एवं रायगढ़** जिलों में मार्च 2021 में खोले जा चुके हैं।
ए.आर.टी. केंद्र (गैर सरकारी)	02	राज्य में दो गैर सरकारी ए.आर.टी. केंद्र रिम्स (RIMS) एवं शंकराचार्य मेडिकल कालेज में खोले जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र (ICTC)	21	** राज्य में 14 नये एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र प्रारंभ किए जा चुके हैं और 07 नये केन्द्र प्रारंभ किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संबंधित जिलों को बजट राशि 1.46 लाख आवंटित किया जा चुका है।

तालिका 15.13 राज्य में एच.आई.वी.की अद्यतन स्थिति	
छत्तीसगढ़ राज्य में एच.आई.वी.की अद्यतन स्थितिः– (वर्ष 2007 से अक्टूबर 2021 तक)	
कुल एच.आई.वी. जांच की संख्या (वर्ष अगस्त 2007 से अक्टूबर 2021 तक)	64,13,489
कुल एच.आई.वी. पॉज़िटिव की संख्या (वर्ष अगस्त 2007 से अक्टूबर 2021 तक)	37,745
छत्तीसगढ़ राज्य में एच.आई.वी.की अद्यतन स्थितिः– (अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 तक)	
एच.आई.वी. जांच की संख्या (अप्रैल से अक्टूबर 2021 तक)	5,33,836
एच.आई.वी. पॉज़िटिव की संख्याः (अप्रैल से अक्टूबर 2021 तक)	1208
कुल ए.एन.सी. जांच (अप्रैल से अक्टूबर 2021 तक)	3,28,416
कुल ए.एन.सी. पॉज़िटिव (अप्रैल से अक्टूबर 2021 तक)	86
पॉज़िटिव महिलाओं का प्रतिशत (अप्रैल से अक्टूबर 2021 तक)	38.6 %
पॉज़िटिव पुरुषों का प्रतिशत (अप्रैल से अक्टूबर 2021 तक)	61.4 %
सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग (अप्रैल से अक्टूबर 2021 तक)	25-49
सर्वाधिक प्रभावित आयु वर्ग का प्रतिशत (25–49) (अप्रैल से अक्टूबर 2021 तक)	75%
कुल ए.एन.सी. पॉजिटिव का ए.आर.टी. में पंजीयन एवं उपचार (अप्रैल से अक्टूबर 2021 तक)	100 %
राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान का प्रतिशत (अप्रैल से अक्टूबर 2021 तक)	54 %
कुल संभावित टी.बी. मरीजों का रेफरल (अप्रैल से अक्टूबर 2021 तक)	8534 (7.4%)
छत्तीसगढ़ राज्य में एच.आई.वी.की अद्यतन स्थिति :– (वर्ष नवम्बर 2007 से अक्टूबर 2021 तक)	
HIV Care के लिये ARTC में कुल पंजीकृत मरीजों की संख्या (वर्ष नवम्बर 2007 से अक्टूबर 2021)	31,021
HIV Care के लिये अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या (वर्ष नवम्बर 2007 से अक्टूबर 2021)	15,630
जो मरीज अब उपचार नही ले रहें है, उनकी संख्या (on ART, Pre ART ,Opted Out) (वर्ष नवम्बर 2007 से अक्टूबर 2021)	8193
HIV Care के लिये ARTC में कुल पंजीकृत मरीजों की मृत्यु संख्या (वर्ष नवंबर 2007 से अक्टूबर 2021)	7198

तालिका 15.14 वर्षवार एच0आई0वी जांच एवं पाजिटिव का विवरण (कलेन्डर वर्ष)

वर्ष	एचआईवी जांच संख्या	एचआईवी पॉजिटिव संख्या	प्रतिशत दर
2007	25048	1119	4.47%
2008	51333	1508	2.94%
2009	108479	2184	2.01%
2010	147482	2287	1.55%
2011	144287	2563	1.78%
2012	208522	2910	1.40%
2013	251547	2838	1.13%
2014	283346	3146	1.11%
2015	346083	2894	0.84%
2016	494850	3041	0.61%
2017	703788	3301	0.47%
2018	867040	2829	0.33%
2019	1128476	3229	0.29%
2020	874498	2123	0.24%
2021 (Oct)	778710	1773	0.23%
Total	6413489	37745	0.59%

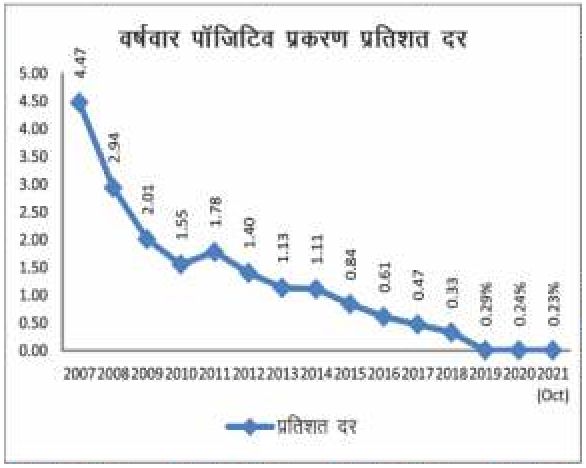

महिला एवं बाल विकास विभाग

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण दायित्व महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया है। एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के सफल संचालन एवं पर्यवेक्षण के साथ–साथ महिलाओं और बच्चों से संबंधित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी विभाग के पास है। महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम एवं योजनाएं गुणवत्ता उन्नयन, सामुदायिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, सहभागिता एवं प्रभावी पहुँच पर केन्द्रित हो रही है। विभाग, महिलाओं एवं बच्चों के विकास के मुद्दे के साथ–साथ महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। बच्चों को सुपोषण की दिशा में निरंतर अग्रसर कर बेहतर पीढ़ियों के निर्माण करने के लिए विभाग निरंतर कार्य कर रहा है।

15.19 समेकित बाल विकास सेवा योजना :– भारत सरकार द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में मानसिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण की महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के साथ 02 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ की गई।

15.19.1 समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के उद्देश्य :–

- बच्चों के उचित मानसिक (मनोवैज्ञानिक) शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना।
- 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना।
- मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रूग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना।
- उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना।

15.19.2 समेकित बाल विकास परियोजना की सेवायें :–समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को निम्नलिखित छः सेवायें प्रदान की जाती है :–

तालिका 15.15 समेकित बाल विकास परियेाजना की सेवायें:–		
क्र.	सेवा	हितग्राही
1	टीकाकरण	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, किशोरी बालिकाऐं एवं 0–6 वर्ष तक के समस्त बच्चे।
2	स्वास्थ्य जॉच	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, धात्री माताऐं, 0–6 वर्ष तक के बच्चे तथा किशोरी बालिकायें।
3	संदर्भ सेवाऐं	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के 0–6 वर्ष तक के गम्भीर कुपोषित बच्चे, विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलायें/शिशुवती माताऐं।
4	पूरक पोषाहार	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलायें, शिशुवती मातायें, 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे
5	स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की समस्त 15–45 साल की महिलायें, गर्भवती महिलायें, धात्री मातायें एवं किशोरी बालिकायें।
6	शाला पूर्व शिक्षा	आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र की, 03–06 वर्ष तक के समस्त बच्चे

आंगनबाड़ी केंद्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदण्डः–

ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं में आंगनबाडी केन्द्र :

1. 400–800 जनसंख्या पर – 1 आंगनबाड़ी केन्द्र
2. 800–1600 जनसंख्या पर – 2 आंगनबाड़ी केन्द्र
3. 1600–2400 जनसंख्या पर – 3 आंगनबाड़ी केन्द्र

ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र :

150–400 जनसंख्या पर – 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

आदिवासी क्षेत्र/पहाडी क्षेत्र/दुर्गम क्षेत्र में आंगनबाडी केन्द्र :

300–800 जनसंख्या पर – 1 आंगनबाड़ी केन्द्र

मिनी आंगनबाडी केन्द्र :

150–300 जनसंख्या पर – 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

15.20 आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण :– आईसीडीएस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए सुदूर अंचलों में स्थित बसाहटों में भी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में चरणबद्ध तरीके से स्वीकृत परियोजनाओं एवं केंद्रों की स्थिति निम्नानुसार है–

तालिका 15.16 आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण								
क.	केंद्र/परियोजना	छत्तीसगढ़ गठन के पूर्व स्वीकृत	प्रथम चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (2005–06)	द्वितीय चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (2007–08)	तृतीय चरण विस्तार अन्तर्गत स्वीकृत (2010–11) एवं 2011–12	सर्वव्या–पीकरण के तहत नवीन स्वीकृत आं.बा./मिनी आं.बा. केन्द्र	कुल स्वीकृत	वर्तमान में संचालित
1.	बाल विकास परियोजना	152	06	05	57	0	220	220
2.	आंगनबाड़ी केंद्र	20289	9148	5500	8826	2967	46660	45956
3.	मिनी आंगनबाड़ी केंद	836	0	1483	4229	532	5814	5630
	योग (2+3)	**21125**	**9148**	**6983**	**13055**	**3499**	**52474**	**51586**

15.21 वजन त्यौहार :– कुपोषण मुक्ति हेतु ठोस कार्ययोजना बनाने के लिए 05 वर्ष तक के बच्चों का डाटा बेस तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 से वजन त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार प्रदेश में 47.10 प्रतिशत बच्चे कुपोषित थे वजन त्यौहार वर्ष 2021 के अनुसार कुपोषण की दर 19.86 प्रतिशत पर आ गई है। राज्य शासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों से कुपोषण मुक्ति की दिशा में अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं।

15.22 मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना :– मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं, आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। योजना अंतर्गत वर्ष 2021–22 में अगस्त माह तक लगभग 38,865 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। कोविड–19 महामारी के कारण यह योजना प्रभावित हुई है।

15.23 शुचिता योजना :–

- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2017 को बालिका दिवस के अवसर पर शुचिता योजना का शुभारंभ किया गया।
- शुचिता योजना का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ अंचलों की स्कूलों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ एवं कम लागत की सेनेटरी नेपकिन सुगमता से उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त उपयोग में आये नेपकिन को भस्मक मशीन द्वारा सुरक्षित तरीके से नष्ट करना है।
- शुचिता योजना अंतर्गत शासकीय शालाओं में जहां कन्याऐं अध्ययनरत है, सेनेटरी नेपकिन वेंडिंग मशीन तथा इंसीनीरेटर की स्थापना, साथ–साथ 10,000 नेपकिन की निःशुल्क आपूर्ति तथा 01 वर्ष तक मशीनों के रखरखाव एवं निःशुल्क सर्विस सेंटर का प्रावधान किया गया है।
- शुचिता योजना का विस्तार करने महाविद्यालयों तथा हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भी इकाईयॉ स्थापित की जाएंगी।

15.24 किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस.ए.जी.) :– किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित सबला योजना एवं किशोरी शक्ति योजना को भारत शासन द्वारा किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस.ए.जी) से प्रतिस्थापित किया गया है। इस योजना के तहत 11 से 14 वर्ष आयु समूह की शाला त्यागी बालिकाओं को पोषण आहार एवं गैर पोषण आहार सेवाओं से लाभान्वित किया जाना है।

भारत शासन द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देशानुसार योजना अंतर्गत गैर पोषण आहार घटक का मुख्य उद्देश्य 11 से 14 वर्ष आयु समूह की शाला बाह्य बालिकाओं को शाला में प्रवेश/कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रेरित करना है। गैर पोषण आहार घटक अंतर्गत किशोरी बालिकाओं हेतु निम्नलिखित सेवाएं प्रदान किया जाना है :–

1. आयरन एवं फॉलिक एसिड अनुपूरण।
2. हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज।
3. पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा।
4. शाला बाह्य किशोरी बालिकाओं को शाला प्रवेश, ब्रिज लर्निंग/कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से मुख्य धारा में जोड़ना।
5. जीवन कौशल शिक्षा, गृह प्रबंधन इत्यादि।
6. सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच (Counselling Guidance on accessing public services) हेतु परामर्श/मार्गदर्शन।

यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित है।

15.25 संस्कार अभियान :— महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 06 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ECCE) प्रदाय हेतु **"संस्कार अभियान"** संचालित किया जा रहा है। संस्कार अभियान के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था की सभी उप अवस्थाओं अर्थात गर्भावस्था, जन्म से 03 वर्ष एवं 03 से 06 वर्ष आयु समूह को शामिल किया गया है। इस अभियान के तहत क्षमता विकास, संसाधन सामग्री का विकास, वातावरण निर्माण, अनुश्रवण तंत्र एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदाय संबंधी घटकों को शामिल किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से शाला पूर्व शिक्षा प्रदाय किये जाने हेतु बाल केन्द्रित एवं आयु आधारित पाठ्यचर्या विकसित की गई है। इस पाठ्यचर्या में बाल विकास के विविध क्षेत्रों यथा शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मक विकास, सामाजिक विकास, शाला पूर्व पढ़ने एवं लिखने की तैयारी तथा शाला पूर्व गणित का विकास शामिल है। पाठ्यचर्या के साथ 360 शाला पूर्व गतिविधि युक्त गतिविधि कोष भी तैयार किया गया है। आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु 52 सप्ताह के लिए एक सुव्यवस्थित समयसारिणी बनायी गयी है। जिसके माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को सभी आवश्यक विकास क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों का अनुभव प्राप्त होगा। एक विषयवस्तु से विविध अवधारणाएं सीखने का अवसर प्रदान करने हेतु थीम पुस्तिका तैयारी की गई है। 03 से 06 वर्ष आयु समूह के प्रत्येक बच्चे का सतत् समग्र मूल्यांकन करने हेतु आयु आधारित आकलन पत्रक भी विकसित किये गये हैं।

संस्कार अभियान अंतर्गत विभागीय अमले की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा विषय पर क्षमता निर्माण हेतु व्यापक क्षमता विकास रणनीति निर्धारित की गई है। प्रारंभिक चरण में 1,600 से अधिक जिला स्तरीय अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों, प्रशिक्षण केन्द्र के संकाय सदस्य एवं पर्यवेक्षकों को जीवंत गतिविधि आधारित प्रशिक्षण दिया गया है। जिला स्तर पर लगभग 50,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है।

15.26 पोषण अभियान :–

- पोषण अभियान का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 08 मार्च 2018 को झूंझुनू राजस्थान में किया गया।
- पोषण अभियान का लक्ष्य – 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों में विद्यमान कुपोषण के स्तर – Stunting/बौनापन में 2% प्रतिवर्ष की दर से कमी लाना हैं। कम वजन/Underweight में प्रतिवर्ष 2% की दर से कमी लाना हैं। छोटे बच्चों (06 से 59 माह) में व्याप्त एनिमिया में 3% प्रतिवर्ष की दर से कमी लाना हैं। महिलाओं एवं किशोरियों (15 से 49 वर्ष) मे व्याप्त एनिमिया में 3% प्रतिवर्ष की दर से कमी लाना। जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों में 2% प्रतिवर्ष की दर से कमी लाना।

15.26.1 पूरक पोषण आहार कार्यक्रमः–

3–6 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे :–

- आंगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य व गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ नाश्ता भी दिया जा रहा है।
- गर्म पके हुए भोजन में चांवल, रोटी, मिक्स दाल, रसेदार व सूखी सब्जी, आचार, पापड़, सलाद व गुड़ तथा नाश्ते में रेडी टू ईट फूड का हलवा, पोहा का प्रदाय किया जा रहा है।
- नाश्ता एवं गर्म पके हुए भोजन कच्ची सामग्री (चांवल छोड़कर) का प्रदाय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 17669 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा नाश्ता तथा गर्म भोजन का प्रदाय किया जा रहा है।

6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चे तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाएँ :–

- टेक होम राशन के अंतर्गत इस श्रेणी के हितग्राहियों को गेहूँ आधारित रेडी टू ईट फूड का प्रदाय किया जा रहा है। 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चों को 125 ग्राम तथा 6 माह से 3 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) प्रदाय किया जा रहा है।
- रेडी टू ईट फूड का निर्माण एवं प्रदाय का कार्य महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 1,624 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट फूड का प्रदाय किया जा रहा है।
- पूरक पोषण आहार कार्यकम के अंतर्गत वर्तमान में 6 माह से 3 वर्ष आयु के लगभग 11.55 लाख बच्चों, 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के लगभग 9.16 लाख बच्चों तथा लगभग 4.44 लाख गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को, इस प्रकार लगभग कुल 25.15 लाख हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है।

15.26.2 किशोरी बालिकाओं के लिए पूरक पोषण आहार योजना :–

- प्रदेश के समस्त जिलों में किशोरी बालिकाओं के लिए पूरक पोषण आहार योजना संचालित है। किशोरी बालिकाओं में कुपोषण चक्र को तोड़ने के लिये गुणवत्तापूर्ण पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष आयु की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को रेडी टू ईट फूड का प्रदाय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है।
- वर्तमान में किशोरी बालिका योजनांतर्गत लगभग 12 हजार 218 किशोरी बालिकाओं को रेडी–टू –ईट फूड का प्रदाय किया जा रहा है।
- किशोरी बालिका योजना अंतर्गत होने वाले व्यय का 50–50 प्रतिशत क्रमशः भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है।

15.27 महतारी जतन योजना अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से गर्म भोजन का वितरण :– महतारी जतन योजनांतर्गत राज्य की गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन के साथ–साथ टेक होम राशन अंतर्गत रेडी टू ईट फूड दिया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन में चांवल, रोटी, मिक्स दाल, रसेदार व सूखी सब्जी, आचार, पापड़, सलाद व गुड़ तथा साथ ही प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिवस हेतु) 75 ग्राम रेडी टू ईट दिया जा रहा है। इस योजना से लगभग 2.10 लाख गर्भवती महिलाएं प्रतिदिन लाभांवित हो रही हैं। इस योजना पर प्रति गर्भवती महिला के लिए 13.50/– रूपये के मान से व्यय किए जा रहे हैं, जिसमें से 8.75 रूपये राज्य निधि से व्यय किया जा रहा है।

15.27.1 कोविड–19 के लॉकडाउन अवधि में आंगनबाड़ी केन्द्र के हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार वितरण की जानकारी:– कोविड–19 के लॉकडाउन अवधि में आंगनबाड़ी केन्द्र बंद होने के कारण हितग्राहियों में कुपोषण के रोकथाम हेतु राज्य द्वारा पूरक पोषण आहार अंतर्गत 06 माह से 03 वर्ष के सामान्य एवं मध्यम कुपोषित बच्चों को 125 ग्राम प्रतिदिन के मान से प्रति सप्ताह 750 ग्राम का रेडी टू ईट का पैकेट तथा 06 माह से 03 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम प्रतिदिन के मान से प्रति सप्ताह 1,200 ग्राम का रेडी टू ईट का पैकेट तथा गर्भवती, धात्री व 11 से 14 शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को 150 ग्राम का प्रति सप्ताह 900 ग्राम रेडी टू ईट टेक होम राशन के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका द्वारा घर–घर उपलब्ध कराया गया है।

15.28 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) :– 'अल्प पोषण' माँ एवं गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। गर्भावस्था में काम नहीं कर पाने के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपायी, पर्याप्त विश्राम तथा अच्छे पोषण हेतु भारत शासन महिला एवं बाल विकास द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से पूरे देश में एक साथ लागू की गयी है।

योजनान्तर्गत 5000/– रू. की सहायता राशि तीन किश्तों में क्रमशः गर्भ का पता चलने पर पंजीयन पश्चात् 1000/– रू., 6 माह में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच उपरांत 2000/– रू. तथा बच्चे के जन्म एवं आवश्यक टीकाकरण पश्चात् 2000/– रू. की राशि सीधे ही हितग्राही को उनके खाते के माध्यम से दी जाती है। यह केवल प्रथम जीवित जन्म के लिए लागू है।

- राज्य में 28 जिलों के 220 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में 31 मार्च तक 1,15,080 हितग्राहियों को कुल राशि रूपये 54.50 करोड़ का भुगतान किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में 30 सितंबर तक 45,551 हितग्राहियों को कुल राशि रूपये 22.16 करोड़ का भुगतान किया गया है।

15.29 नोनी सुरक्षा योजना :– जनगणना वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ के बाल लिंगानुपात 1000:975 था जो जनगणना वर्ष 2011 में घटकर 1000:969 हो गया है। राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए "नोनी सुरक्षा योजना" शीर्षक से योजना दिनांक 01.04.2014 से लागू की गई है।

15.29.1 उद्देश्य :–

- प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षाणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना एवं बाल विवाह की रोकथाम करना है।
- छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 01 अप्रैल 2014 के उपरांत जन्मी अधिकतम दो बालिका योजनांतर्गत लाभ की पात्र है।
- योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12 वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा 01 लाख रूपये परिपक्वता राशि दी जायेगी।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में 31 मार्च तक की स्थिति में 8,347 हितग्राहियों को योजना अंतर्गत पंजीकृत किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में 30 सितंबर तक की स्थिति में 3,053 हितग्राहियों को योजनांतर्गत पंजीकृत किया गया है।

15.30 सखी–वन स्टॉप सेंटर :– घर के भीतर अथवा घर के बाहर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित व संकटग्रस्त महिला को आवश्यकतानुसार सुविधा/सहायता तत्काल उपलब्ध कराते हुए जरूरतमंद महिला को चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक चिकित्सा, परामर्श सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना।

- छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहाँ प्रत्येक जिले में वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत एवं संचालित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इन केन्द्रों में कुल 5,324 प्रकरण दर्ज किये गये जिसमें से 3,797 प्रकरणों का निराकरण तथा 1,829 प्रकरणों में आश्रय प्रदान किया गया है।

- वर्ष 2021—22 में सितंबर तक इन केन्द्रों में कुल 2,112 प्रकरण दर्ज किये गये जिसमें से 1,090 प्रकरणों का निराकरण तथा 804 प्रकरणों में आश्रय प्रदान किया गया है।

15.31 महिला हेल्पलाईन 181 :— महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा/घटना के मामलों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उददेश्य से 181 महिला हेल्पलाईन का राज्य में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर अथवा अन्य आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय करना। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला हेल्पलाईन 181 का संचालन वर्ष 2016 से ही प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020—21 में मार्च 2021 तक 3,650 प्रकरण दर्ज किये गये जिसके विरूद्व में 2001 प्रकरणों का निराकरण किया गया। वर्ष 2021—22 में सितंबर तक 1,284 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर 260 प्रकरणों पर कार्यवाही की जा रही है।

- टोल फ्री नंबर 181 पर किसी भी सेवा प्रदाता के लैंडलाईन या मोबाईल नं. से 181 डॉयल किया जा सकता है। इसके अलावा वेबसाईट, ईमेल, फेसबुक, टिवट्र, व्हाटसएप इत्यादि माध्यमों से राज्य के किसी भी कोने से कोई भी महिला/बालिका सहायता की मांग कर सकती है। यह निःशुल्क सेवा है।

15.32 नवाबिहान योजना :— घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 प्रावधानों के अनुरूप घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को आवश्यकता अनुसार परिवहन, चिकित्सा, आश्रय एवं पुनर्वास तथा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश में नवाबिहान योजना संचालित है। इसके अंतर्गत स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी एवं सेवा प्रदाता की नियुक्ति की गई है।

15.33 मानसिक रूप से बीमार महिलाओं के लिए एकीकृत सहायता केन्द्र :— छत्तीसगढ़ में मानसिक बीमार एवं अवसादग्रस्त महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप इस तरह की महिलाओं/किशोरी बालिकाओं को समय—समय पर आवश्यकतानुसार परामर्श, सुरक्षा, संरक्षण तथा सहयोग उपलब्ध कराया जाकर मानसिक बीमार महिलाओं का समाजीकरण किये जाने हेतु रायपुर में आश्रयगृह संचालित किया जा रहा है। आश्रय गृह का संचालन लार्ड बुद्धा एजुकेशन सोसायटी के द्वारा वर्ष 2014 से किया जा रहा है। आश्रय गृह की स्वीकृति क्षमता 50 महिलाओं की है। वित्तीय वर्ष 2020—21 में 86 महिलाओं एवं 01 बच्चे को आश्रय सुविधा प्रदान किया गया। वर्ष 2021—22 में सितंबर तक 66 महिलाओं को आश्रय प्रदान किया गया है।

15.34 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ :— भारत शासन द्वारा लिंगानुपात दर में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करने, बालिकाओं की उत्तरजीविका व उनकी सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की औसत दर से 943 से निम्न स्तर पर आने वाले पूरे देश के 100 चयनित जिलों में बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ योजना दिनांक 22 जनवरी 2015 से लागू की गई है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले का चयन किया गया। भारत शासन द्वारा योजना का 161 जिलों में विस्तार किया गया है जिसमें छत्तीसगढ में

बीजापुर जिला शामिल है। "बेटी–बचाओं, बेटी–पढ़ाओ" योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के जिला–रायगढ़ के बाद वर्तमान में जिला–बीजापुर को मल्टीसेक्ट्रॉल हस्तक्षेप (Multi-sectoral Intervention) जिले के रूप में चयनित किया गया है। योजनांतर्गत प्रति जिला 50.00 लाख का बजट प्रावधानित है।

15.35 महिला शक्ति केन्द्र :–

- भारत शासन द्वारा "महिला शक्ति केन्द्र" योजना राज्य के 11 जिलों क्रमशः कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव, बस्तर, सुकमा, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर एवं रायगढ़ में वर्ष 2017–18 से लागू की गयी है।
- "महिला शक्ति केन्द्र" अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कॉलेजों के स्वयंसेवी छात्रों को संलग्न करते हुए सामुदायिक सहभागिता को प्रमोट किये जाने की योजना है।
- यह योजना ग्रामीण महिलाओं में शासन से अपने अधिकार प्राप्त करने, महिलाओं में जागरूकता पैदा करने, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने के लिए उपयोगी होगा।

15.36 महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना :– महिलाओं के साथ लिंग विभेद/असमानता के फलस्वरूप महिलाओं के विरूद्ध हिंसा अनेक रूपों में समाज में विद्यमान है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की विभिन्न घटनाओं यथा घरेलू हिंसा, लैंगिक हिंसा, दहेज उत्पीड़न, अवैध मानव व्यापार, बाल विवाह, लिंग चयन व भ्रूण हत्या आदि की त्वरित सूचना प्राप्ति एवं उस पर शीघ्र कार्यवाही होने पर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में सहायता मिल सकती है।

- इसी परिपेक्ष्य में योजना पायलेट रूप में प्रदेश के दुर्ग एवं कोरिया जिले में वर्ष 2017–18 से लागू की गई है।
- महिला पुलिस स्वयं सेवक समाज और पुलिस के बीच जेण्डर आधारित मुद्दों पर एक सेतु के रूप में काम करेंगी और नागरिक एवं पुलिस के बीच सुविधा लिंक की तरह कार्य करेंगी।
- महिला पुलिस स्वयं सेवक पुलिस स्टेशन में पदस्थ पुलिस निरीक्षक को सीधे रिपोर्ट करेंगी।
- स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक सुझाव एवं फीडबैंक प्रदान करेंगी।
- दोनो जिलों को मिलाकर महिला पुलिस स्वंय सेविका के 9,032 मानदेय पद स्वीकृत किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 6.00 करोड़ बजट प्रावधानित है।

15.37 उज्जवला गृह योजना :– बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण तथा ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण की पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए उज्जवला योजना प्रदेश में संचालित है।

- भारत शासन द्वारा **राज्य में बिलासपुर, कोरबा तथा कोरिया में स्वैच्छिक** संगठनों को संरक्षण एवं पुनर्वास गृह (पी एण्ड आर होम) संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- इस योजना में केन्द्र शासन, राज्य शासन तथा स्वैच्छिक संगठन का अशंदान का अनुपात **60:30:10 है।**
- उज्जवला गृहों में वित्तीय वर्ष 2020–21 में 121 महिलाओं एवं 33 बच्चों को आश्रय प्रदान किया गया है। वर्ष 2021–22 में सितंबर तक 62 महिलाएं एवं 20 बच्चों को आश्रय प्रदान किया गया।

15.38 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :– योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अन्तर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को पात्रता शर्तों को पूर्ण करने पर विवाह कराया जाता है।

योजनान्तर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000 रूपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। जिसमें 19,000 रूपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में, 1,000.00 रूपये बैंक ड्राफ्ट के रूप में तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि रूपये 5,000.00 तक व्यय की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 6433 कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया गया। वर्ष 2021–22 में 19.00 करोड़ बजट प्रावधानित है।

15.39 एकीकृत बाल संरक्षण योजना :– एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का प्राथमिक लक्ष्य है बच्चों के संरक्षण के लिए समर्पित और दक्ष कर्मियों, संरचनाओं और सेवाओं के लिए सुरक्षा तंत्र की स्थापना करना। योजना को कार्यक्रम में तब्दील कर बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण की कल्पना को साकार करना जिसकी अवधारणा किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 में दी गई है, जिसके तहत उनके अधिकार सुनिश्चित किये गये है, ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता अनुसार विकास कर सके।

इस योजना का उद्देश्य है "बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना" ताकि मुश्किल परिस्थितियों में भी उनका विकास और कल्याण अच्छी तरह से सुनिश्चित किया जा सकें, इन प्रयासो से उन असुरक्षित परिस्थितियों को कम किया जा सकता है जो बच्चों को उनके परिजनों से दूर करती है और बच्चों से दुर्व्यवहार, उनकी उपेक्षा, शोषण का कारण बनती है।

- **राज्य बाल संरक्षण समिति एवं ईकाई** – सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित यह समिति राज्य में बाल संरक्षण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करती है। समिति में बाल संरक्षण/विकास/कल्याण के लिए कार्यरत सभी शासकीय विभागों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं।
- **राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण**–राज्य में दत्तक ग्रहण की प्रकिया के समुचित कियान्वयन हेतु यह अभिकरण स्थापित है। दत्तक ग्रहण की संपूर्ण प्रकिया ऑनलाईन है।

केयरिंग्स पोर्टल के माध्यम से दत्तक ग्रहण की प्रकिया संपादित की जाती है। दत्तक ग्रहण हेतु अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाता है। राज्य में दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी कार्यवाहियों का समन्वय इस अभिकरण द्वारा किया जा रहा है। राज्य में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने और दत्तक ग्रहण प्रकिया या प्रणाली की प्रचालनात्मक के साथ–साथ संभारीय मुददों को हल करने और अवरोधों को मिटाने के लिये सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में शासी निकाय की गठन किया गया है।

- **जिला बाल संरक्षण समिति**–राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समेकित बाल संरक्षण योजना के कियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिला बाल संरक्षण समिति गठित है। समिति में बाल संरक्षण/विकास/कल्याण के लिए कार्यरत सभी शासकीय विभागों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं।

- **विधि विवादित बच्चे तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संस्थागत देखरेख कार्यक्रम :–**

किशोर न्याय अधिनियम/समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत राज्य में संस्थागत देखरेख कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। देखेरख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए राज्य में शासकीय एवं अशासकीय बालगृह, खुला आश्रय गृह, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी संचालित हैं जबकि विधि विरूद्ध कार्य करने वाले बालकों के लिए राज्य में शासकीय सम्प्रेक्षण गृह, शासकीय विशेष गृह एवं शासकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित हैं।

- **बाल सम्प्रेक्षण गृह :–**
- विधि विरूद्ध कार्य करने वाले अण्डर ट्रायल बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर बाल सम्प्रेक्षण गृह में रखा जाता है।
- राज्य के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, दंतेवाड़ा, जशपुर रायगढ़ राजनांदगांव तथा महासमुंद में बालकों के लिए तथा राजनांदगांव, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर में बालिकाओं के लिए सम्प्रेक्षण गृह संचालित हैं।
- **विशेष गृह :–**
- किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दोषी पाये जाने उपरांत बच्चों को सुधारात्मक उपचार हेतु विशेष गृह में रखने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं सरंक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार विधि विरूद्ध कार्य करने वाले बच्चों को विशेष गृह में रखा जा सकता है।
- वर्तमान में दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर में बालकों के लिए तथा राजनांदगांव, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में बालिकाओं के लिए 25–25 की क्षमता का विशेष गृह संचालित है।

- **प्लेस ऑफ सेफ्टी :–**

➢ किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 19(3) के अनुसार विधि विरूद्ध कार्य करने वाले ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है एवं जिन्होंने जघन्य अपराध किया है उन्हें किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय के आदेश पर प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जा सकता है।

➢ वर्तमान में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर एवं सरगुजा में बालकों के लिए 25–25 की क्षमता का प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित हैं।

- **खुला आश्रय गृह** :– घुमन्तू, सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे जिन्हें परिवार का सहयोग नहीं मिलता अथवा संकटग्रस्त ऐसे बच्चे जो बाल श्रमिक है पर बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत नही हैं। ऐसे बच्चों को मुख्यधारा में लाने व दिन–रात आश्रय प्रदान करने हेतु खुला आश्रय गृह बालकों के लिए राज्य के दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा एवं कोरबा में तथा बालिकाओं के लिए रायपुर एवं जशपुर में स्वीकृत हैं।

- **बालगृह :–** देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चे जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए आश्रय, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है उन्हें, बालक कल्याण समिति के आदेश पर बालगृह में रखा जाता है। राज्य में 06 शासकीय एवं 37 अशासकीय बालगृह संचालित हैं।

- **विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणः–** परित्यक्त तथा समर्पित बच्चे जिन्हें दत्तक पर दिया जाना होता है, उन बच्चों के लिए कार्यवाही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा की जाती है। इनकी क्षमता 10 बच्चों की होती है। वर्तमान में राज्य में रायपुर एवं बिलासपुर (दो ईकाई), रायगढ, दंतेवाडा, महासमुंद, दुर्ग, कांकेर, कवर्धा, जशपुर, बस्तर, कोरबा, राजनांदगांव एवं अम्बिकापुर में कुल 13 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण संचालित हैं।

- **"चाइल्डलाइन"(1098) द्वारा आकस्मिक सेवा** :– चाइल्डलाइन सुरक्षा एवं देख–रेख के जरूरतमंद बच्चों के लिए 24 घंटे आकस्मिक फोन सेवा है जो उन्हें आपातकालीन सेवा एवं दीर्घावधि देख–रेख एवं पुनर्वास सेवाओं से जोड़ती है। इस सेवा का प्रयोग कोई भी संकटग्रस्त बच्चा या उसकी ओर से कोई अन्य 1098 (टोल फी नं.) पर फोन कर सकता है। वर्तमान में कुल 25 जिलों कमशः बलरामपुर, बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, सूरजपुर, जांजगीर, गरियाबंद, कोण्डागांव, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, नारायणपुर, मुंगेली एवं सरगुजा में चाइल्ड लाईन की सेवाऐं उपलब्ध है। बीजापुर, सुकमा एवं नवीन जिला गौरेला–पेंड्रा–मरवाही में चाईल्ड लाईन की सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही प्रकियाधीन है। साथ ही रायपुर एवं बिलासपुर 02 स्थानों पर रेलवे चाइल्ड लाइन संचालित है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

छत्तीसगढ़ शासन का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राज्य में भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी मापदण्डों एवं राज्य शासन के अवधारणानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था कराने एवं नगरीय क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य संपादित करता है। विभाग की संक्षिप्त एवं सारगर्भित उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :—

15.40 ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम — (2020—21)

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 19,676 ग्रामों के 74,982 बसाहटों में 2,83,282 हैंडपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
- राज्य में 4,145 नलजल प्रदाय योजनाएं एवं 2,383 स्थल जलप्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है।
- प्रदेश की 43,451 शालाओं एवं 35,314 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है।
- **जल जीवन मिशन :—** भारत सरकार एवं राज्य शासन के सहयोग से समस्त ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जाना है जिसके अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश का समतुल्य अंशदान है। यह योजना जल जीवन मिशन के नाम से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सितंबर, 2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त 45,48,080 ग्रामीण घरों में कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदंड से उत्कृष्ट गुणवत्ता का निरंतर पेयजल दीर्घ अवधि के लिए प्रदाय किया जाना है।

  मार्च 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 5,66,614 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। मार्च 2021 की स्थिति में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है:—

क्र.	विवरण	संख्या	लागत (रु. करोड़ में)	प्रस्तावित FHTC की संख्या
1	सोलर आधारित जल प्रदाय योजना	3697	1123.02	4125
2	रेट्रोफिटिंग/एकल ग्रामीण जल प्रदाय योजना	1509	1015.90	336839

- **सोलर आधारित ड्यूल ऑपरेटेड पम्प स्थापना** — राज्य में अब तक 5,008 सोलर आधारित ड्यूल ऑपरेटेड पम्प की स्थापना की गई है तथा 2,572 सोलर आधारित जल प्रदाय योजना भी संचालित की गयी है जिसमें पाइप लाइन बिछाकर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल

प्रदाय किया जा रहा है। इस प्रकार राज्य में कुल 7,580 सोलर आधारित जल प्रदाय योजना संचालित है।

- शासन द्वारा पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल परीक्षण हेतु राज्य में 27 जिला स्तरीय प्रयोगशाला, 24 उपखंड स्तरीय प्रयोगशाला तथा 18 चलित प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिससे निरंतर पेयजल का परीक्षण किया जा रहा है।

- राज्य के जलगुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु गंभीरता के साथ प्रयास किये गये हैं, जिसके अंतर्गत आर्सेनिक से प्रभावित जिला राजनांदगांव के चौकी क्षेत्र के 20 ग्रामों के लिए रु. 33.85 करोड़ की समूह जलप्रदाय योजना पूर्ण होने से 46,855 जनसंख्या लाभान्वित हो रही है। जिला बेमेतरा के विकासखंड नवागढ़, बेमेतरा एवं साजा के खारे पानी से प्रभावित 152 ग्रामों के लिए राशि रु. 201.97 करोड़ की जलप्रदाय योजना का कार्य पूर्ण कर 1,68,736 जनसंख्या को पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। इसी प्रकार जिला बस्तर के ऑयरन एवं फ्लोराइड से प्रभावित 33 ग्रामों के लिए रु. 49.68 करोड़ की कोसारटेडा समूह जलप्रदाय योजना से 29 ग्रामों में योजना का कार्य पूर्ण कर 60,000 जनसंख्या को जल प्रदाय किया जा रहा है।

- **राजीव गांधी सर्व–जल योजनाः** विभाग द्वारा संचालित वाटर फिल्टर प्लांट के माध्यम से पैकेज्ड वाटर हेतु अभिनव पहल करते हुए माननीय मंत्रीजी द्वारा पहली बार **"राजीव गांधी सर्व–जल योजना"** का शुभारंभ किया जा रहा है। दुर्ग संभाग के जिला बेमेतरा, विकासखंड बेरला के ग्राम सिंघौरी में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में उक्त योजना रू. 3.15 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 31.03.2021 को प्रदान की गई है।

- **मिनीमाता अमृत–धारा नल योजनाः** राज्य में बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दिशा में महत्वाकांक्षी योजना **"मिनीमाता अमृत–धारा नल योजना"** की घोषणा की गई। इस योजना अंतर्गत 73,584 बी.पी.एल. परिवारों को घरेलू कनेक्शन प्रदाय किए गए हैं।

- "गिरौदपुरी धाम समूह पेयजल योजना"– राज्य के तीर्थ स्थल गिरौदपुरी धाम में पेयजल व्यवस्था के महत्व को देखते हुए आस–पास के 23 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित कर "गिरौदपुरी धाम समूह पेयजल योजना" लागत रु. 56.49 करोड़ की योजना तैयार की गयी है। इस योजना से 50,000 की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

- **सुपेबेड़ा पेयजल योजना :** किडनी रोग से प्रभावित ग्राम पंचायत सुपेबेड़ा के ग्रामवासियों की मांग पर जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत राशि रू. 10.34 करोड़ की सतही स्त्रोत आधारित पेयजल योजना की स्वीकृति दी गई है जिसके अंतर्गत ग्रामवासियों को सतही स्त्रोत पर आधारित तेल नदी के जल का शोधन कर प्रभावी क्षेत्र को लाभान्वित किया जाएगा।

15.36 शहरीय जल प्रदाय कार्यक्रम –

- 124 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजनाएं पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ किया जा चुका है।
- 44 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगति पर है।

15.37 पेयजल हेतु जन समस्या निवारण व्यवस्था –

- राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा टोल फ्री नम्बर 1800–233–0008 स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से प्राप्त समस्याओं का निराकरण त्वरित किया जाता है। यह व्यवस्था सतत् जारी है।

15.38 ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम – 2021–22 (सितंबर)

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 19,676 ग्रामों के 74,982 बसाहटों में 2,53,162 हैंडपंप, शालाओ में 26,659 एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में 24,482 हैण्डपम्प इस प्रकार **कुल 3,04,303 हैण्डपम्प** स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
- राज्य में 4,334 नलजल प्रदाय योजनाएं एवं 2,342 स्थल जलप्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है।
- प्रदेश की 43,451 शालाओं एवं 35,314 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है।
- जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021–22 में सितंबर, 2021 की स्थिति में कुल 65,500 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया है। सितंबर 2021 की स्थिति में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.	विवरण	संख्या	लागत (रु. करोड़ में)	प्रस्तावित FHTC की संख्या
1	सोलर आधारित जल प्रदाय योजना	724	308.15	85,362
2	रेट्रोफिटिंग / एकल ग्रामीण जल प्रदाय योजना	4263	4073.11	12,19,672

- **सोलर आधारित ड्यूल ऑपरेटेड पम्प स्थापना –** राज्य में अब तक 5,008 सोलर आधारित ड्यूल ऑपरेटेड पम्प की स्थापना की गई है तथा 2,572 सोलर आधारित जल प्रदाय योजना भी संचालित की गयी है जिसमें पाइप लाइन बिछाकर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। इस प्रकार राज्य में कुल 7,580 सोलर आधारित जल प्रदाय योजना संचालित है।
- शासन द्वारा पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल परीक्षण हेतु राज्य में **27** जिला स्तरीय प्रयोगशाला, **24** उपखंड स्तरीय प्रयोगशाला तथा **18** चलित प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिससे निरंतर पेयजल का परीक्षण किया जा रहा है।

- **सुपेबेड़ा पेयजल योजना :** किडनी रोग से प्रभावित ग्राम पंचायत सुपेबेड़ा के ग्रामवासियों की मांग पर जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत राशि रू. 10.34 करोड़ की सतही स्त्रोत आधारित पेयजल योजना की स्वीकृति दी गई है जिसके अंतर्गत ग्रामवासियों को सतही स्त्रोत पर आधारित तेल नदी के जल का शोधन कर प्रभावी क्षेत्र को लाभान्वित किया जायेगा।

15.39 शहरीय जल प्रदाय कार्यकम –

- 124 नगरीय निकायों में जल प्रदाय योजनाएं पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ किया जा चुका है।
- 44 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगति पर है।

15.40 पेयजल हेतु जन समस्या निवारण व्यवस्था:– राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा **टोल फ्री नम्बर 1800–233–0008** स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से प्राप्त समस्याओं का निराकरण त्वरित किया जाता है। यह व्यवस्था सतत् जारी है।

सामाजिक सेवाएं

16

सामाजिक सेवाएं

मुख्य बिन्दु

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में 4,69,820 हितग्राही लाभान्वित।
- सुखद सहारा योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में 2,19,815 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में 6,62,415 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में 1,94,114 हितग्राही लाभान्वित।
- इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में 32,111 हितग्राही लाभान्वित।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में 8,060 हितग्राही लाभान्वित।
- नर्सिंग प्रशिक्षण योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में सितंबर तक अनुसूचित जाति के 288 तथा अनुसूचित जनजाति के 497 विद्यार्थी लाभान्वित।
- हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट योजनांतर्गत वर्ष 2021–22 में सितंबर तक अनुसूचित जाति के 26 तथा अनुसूचित जनजाति के 08 छात्र–छात्राएं लाभान्वित।
- जवाहर उत्कर्ष मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति के 273 तथा अनुसूचित जनजाति के 535 विद्यार्थी लाभान्वित।

समाज सेवा

16 समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशक्तजनों, निराश्रितों, विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बौने व्यक्तियों, तृतीय लिंग के व्यक्तियों, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों के पुनर्वास के साथ–साथ नशामुक्ति के संबंध में सकारात्मक वातावरण बनाने संबंधी विस्तृत कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु विभाग अन्तर्गत विभिन्न अधिनियम प्रभावशील हैं।

16.1 सामाजिक सहायता कार्यक्रम

16.1.1 सामाजिक सुरक्षा पेंशन :– राज्य शासन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के मूल निवासी को राशि रूपये 350/– प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के निम्न में से किसी एक श्रेणी का हो :–

- 6–17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे, जिसमें 6–14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत् नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी।
- 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति।
- बौने व्यक्ति।

16.1.2 सुखद सहारा योजना :– योजना का उद्देश्य विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है, जिसके तहत राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा तथा 18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिलाओं को राशि रूपये 350/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

16.1.3 मुख्यमंत्री पेंशन योजना:– योजना का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वे सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है। जिसके तहत राशि रूपये 350/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। योजना का निम्नानुसार पात्रता है–

- 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरान्त परित्यक्त महिलायें।
- छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो,

- ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सूचकांक वाले परिवारों की सूची में हो,
- नगरीय क्षेत्र के स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक–आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 की सर्वेक्षण सूची में उल्लेखित –
  - घास का छत / छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा
  - प्लास्टिक / पॉलिथीन के छप्पर में रहने वाले परिवार, अथवा
  - पत्थर की छत में रहने वाले परिवार, स्लेट की छत में रहने वाले परिवार, अथवा
  - बेघर तथा बिना कमरे वाले घर में निवासरत परिवार की सूची में हो।

16.1.4 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :– राज्य में इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयुवर्ग के वृद्धजनों को राशि रू. 350 / – प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को राशि रू. 650 / – प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रू. 150 / – राज्यांश सम्मिलित है।

16.1.5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :– यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग की विधवाओं को रूपये 350 / –प्रतिमाह पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रू. 50 / – राज्यांश सम्मिलित है।

16.1.6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना :– यह योजना फरवरी 2009 से प्रभावशील है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर एवं बहुविकलांगों को रूपये 500 / –प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। उक्त पेंशन राशियों में राशि रूपये 200 / – राज्यांश सम्मिलित है।

16.1.7 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :– योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरूष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम हो प्राकृतिक / आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को राशि रूपये 20,000 / – की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा शत्–प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है।

तालिका 16.1 सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रगति

योजना	2020–21		2021–22 सितं. की स्थिति में	
	वित्तीय उपलब्धि लाख रू.	भौतिक उपलब्धि / हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख रू.	भौतिक उपलब्धि / हितग्राही (संख्या)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	34149.32	469820	16849.26	464224
सुखद सहारा योजना	9527.15	219815	4646.70	218981
मुख्यमंत्री पेंशन योजना	17221.86	455825	10208.81	492995
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	24802.08	662415	9406.75	652723
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	8836.12	194114	3602.88	195730
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	1514.23	32111	600.03	31778
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	1681.55	8060	782.38	3838

16.2 निःशक्त कल्याण की योजनाएं

16.2.1 स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान :– निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधान अनुसार प्रदेश में निःशक्तजनों के शिक्षण–प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा आवेदन करने पर पात्रता / नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। जिसके अन्तर्गत अस्थि बाधितों हेतु रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, जगदलपुर एवं जशपुर में विशेष विद्यालय, मंद बुद्धि बच्चों के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर–चांपा, जगदलपुर, व बिलासपुर में तथा श्रवण बाधितों के लिए रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा, सरगुजा, कोरबा एवं रायगढ़ में विशेष विद्यालय स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित हैं।

16.2.2 निःशक्तजनों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः– इस योजनांतर्गत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालयीन अध्ययनरत् निःशक्त विद्यार्थियों को पात्रता एवं कक्षा अनुसार रू. 150 से 190 प्रतिमाह तक छात्रवृत्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा दृष्टि बाधित छात्रों को रू. 100 प्रतिमाह याचक भत्ता प्रदान किया जाता है।

16.2.3 कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत निःशक्तजनों को कैलीपर्स, ट्रायसिकल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, श्वेत छड़ी व ब्रेल किट आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना अन्तर्गत निःशक्तों को संसाधन सेवायें उनकी आय सीमा रू. 5,000 मासिक तक निःशुल्क तथा रू. 5,001 से रू. 8,000 मासिक तक 50% छूट के साथ संसाधन सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। अधिकतम राशि रूपये 6,900 / – तक की राशि के उपकरण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

16.2.4 सामर्थ्य विकास योजना :–प्रदेश के निःशक्त हितग्राहियों को उपयुक्त, टिकाऊ, वैज्ञानिक रूप से तैयार आधुनिक एवं मानकीकृत सहायक यंत्र एवं उपकरण प्रदाय करने की दृष्टि से "सामर्थ्य विकास योजना" आरंभ की गई है। सामर्थ्य विकास योजना अन्तर्गत निःशक्तजनों हेतु मेले / शिविर का आयोजन कर कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदाय किये जाते हैं। इस योजना में अधिकतम राशि रूपये 6,900 / – तक की राशि के उपकरण प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

16.2.5 निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना :–निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हे स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 18 से 45 वर्ष की निःशक्त महिला तथा 21 से 45 वर्ष के निःशक्त पुरूष जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो, को विवाह उपरांत जोड़े में एक व्यक्ति के निःशक्त होने पर राशि रूपये 50,000/– तथा दोनों (वर–वधू) के निःशक्त होने पर राशि रूपये 1,00,000/– की सहायता राशि दी जाती है।

16.2.6 निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं:– विभाग द्वारा निःशक्तजन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएं संचालित हैं। जिसमें निःशक्त बच्चों को निःशुल्क छात्रावास, शिक्षण–प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में 19 शासकीय संस्थाएं संचालित तथा 1 दिव्यांग महाविद्यालय संचालित है।

16.2.7 निःशक्तजनों के लिए "क्षितिज अपार संभावनाएं " अन्तर्गत एकीकृत योजना :– प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए "क्षितिज अपार संभावनाएं" नाम से 03 एकीकृत योजना प्रारंभ की गई हैं।

16.2.7.1 निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना – निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने का प्रावधान है। सामान्यतः आर्थिक अभाव एवं निःशक्तता के कारण मेधावी निःशक्त बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें संबल प्रदान करने के लिए माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त विद्यार्थियों एवं तकनीकी तथा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् नियमित निःशक्त छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

दिए जाने वाले लाभ :–

- जिले में माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 2,000/– एकमुश्त।
- जिले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (बारहवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 5,000/– एकमुश्त।
- आई. टी. आई./पोलिटेक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला , वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राशि 6,000/–रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।
- चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों को राशि 12,000/– रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।

  वित्तीय वर्ष 2020–21 में उच्च शिक्षा हेतु 74 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किया गया है।

16.2.7.2 निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना – निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निःशक्त मेधावी व्यक्तियों को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। इससे अन्य निःशक्त व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित होंगे तथा आगामी तैयारी हेतु आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

दिए जाने वाले लाभ :–

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 20,000/– एकमुश्त।
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 30,000/– एकमुश्त।
- संघ/छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर राशि रूपये 50,000/– एकमुश्त।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में 8 निःशक्त प्रतिभागियों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होने हेतु प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किया गया है।

16.2.7.3 निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रगृह योजना – निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निःशक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर, उन्हें संबल प्रदान करने एवं उनके अधिकारों का संरक्षण हेतु 5 निःशक्त विद्यार्थियों के समूह को किराये के भवन में निःशुल्क आवास सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी। योजना से राज्य के निःशक्त विद्यार्थियों का समूह देश के अन्य राज्यों में भी अध्ययन करने हेतु छात्रगृह का लाभ ले सकेंगे।

दिये जाने वाले लाभ :–

05 बच्चों के समूह को रेन्ट कन्ट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित किराए की सीमा में रहने की निःशुल्क सुविधा। भवन का अधिकतम मासिक किराया राशि विद्युत एवं अन्य व्यय सहित निम्नानुसार श्रेणी के शहरों के लिए निर्धारित किया गया है –

1- A श्रेणी के शहर हेतु 10,000/– (दस हजार) तक देय होगी।
2- B श्रेणी के शहर हेतु 7,000/– (सात हजार) तक देय होगी।
3- C श्रेणी के शहर हेतु 5,000/– (पांच हजार) तक देय होगी।

योजना अन्तर्गत 5 निःशक्त बच्चों के समूह को सुविधा प्रदान की जा रही है।

तालिका 16.2 निःशक्त कल्याण की योजनाओं की प्रगति

योजना	2020–21		2021–22 (सितंबर)	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)
स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य अनुदान	733.61	2770	121.67	2272
निःशक्तजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना	235.80	14181	4.41	504
कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय योजना	86.96	1695	21.83	321
सामर्थ्य विकास योजना	282.60	2333	71.15	529
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना	254.50	389	83.50	156
निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्थाएं	1314.84	1097	655.46	956

16.3 समाज रक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजनाएं

16.3.1 वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम :– वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना संचालित है। जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्मान हेतु प्रत्येक वर्ष "अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस" जनपद पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता हैं तथा निराश्रित वृद्धजनों के लिए प्रदेश में 30 वृद्धाश्रम संचालित है। जहाँ 744 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं।

60 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो वृद्धावस्थ के कारण गंभीर बीमारी एवं बिस्तर पर रहकर अपनी सम्पूर्ण दिनचर्या, क्रियाकलाप का निर्वहन करने हेतु बाध्य हैं उनकी समुचित देखरेख एवं चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 03 प्रशामक देखरेख गृह का संचालन किया जा रहा है।

16.3.2 तीरथ बरत योजना :– योजना को दिनांक 04 दिसम्बर 2012 से प्रभावशील किया गया है। इस योजना अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवनकाल में एक बार, प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नामनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की निःशुल्क यात्रा शासकीय सहायता से करायी जाती है। योजना अन्तर्गत निःशक्तजनों को भी तीर्थयात्रा योजना में शामिल कर उनके लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था कर यात्रा करायी जा रही है।

16.3.3 तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ कार्यकम/योजना :– उभय लिंगी (तृतीय लिंग) के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास तथा उनके कौशल उन्नयन हेतु विभाग द्वारा कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

16.3.4 वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना :– 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले वृद्ध/निराश्रित वृद्ध/वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था में होने वाली समस्या के निराकरण हेतु उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहायक उपकरण, चिकित्सीय देखभाल की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदाय योजना प्रारंभ की जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिए गए परामर्श अनुसार अधिकतम रूपये 6,900/– तक के डायबिटिक शू, नी–स्पिलिन्ट, स्पिलिन्ट् (विभिन्न प्रकार के), ब्रेसेस (विभिन्न प्रकार के), कॉलर, वाकर, बैशाखी, छड़ी, व्हील चेयर, चश्मा, श्रवण यंत्र, डेन्चर एवं अन्य उपकरण चिकित्सक के परामर्श अनुसार एक या एक से अधिक सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

तालिका 16.3 समाज रक्षा कार्यकम अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति

योजना	2020–21		2021–22 (सितंबर)	
	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)	वित्तीय उपलब्धि लाख	भौतिक उपलब्धि/हितग्राही (संख्या)
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम	309.28	21671	32.76	744
तीरथ–बरत योजना	0	0	0	0
तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए कल्याणार्थ कार्यकम/योजना	48.39	2919	2.00	2919
प्रशामक देखरेख गृह	29.92	31	6.00	31

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

16.4.1 विशिष्ट संस्थाएं :–

राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा **छात्रावास** प्रदेश में अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1,635 प्री.मैट्रिक, पिछड़ा वर्ग के 08, प्री मैट्रिक एवं अनुसूचित जनजाति के 302, पोस्ट मैट्रिक तथा पिछड़ा वर्ग के 19 संचालित हैं एवं प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 51 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1,175 आश्रम शालाएं संचालित हैं।

प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर की आश्रम शालायें संचालित की जा रही हैं। विभाग द्वारा 06 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 14 कन्या शिक्षा परिसर, 01 गुरूकुल (आदर्श) विद्यालय, 71 आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय, 09 प्रयास, 01 आस्था गुरूकुल विद्यालय एवं 19 क्रीड़ा परिसर संचालित हैं।

16.4.2 जवाहर उत्कर्ष मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय करने की योजना :–

अनुसूचित जात्ति तथा अनुसूचित जन जाति के प्रतिभायान छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने एवं नयी सोच के साथ नये कैरियर चयन का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से योजना संचालित है, योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष कक्षा 6 वीं के अनुसूचित जाति वर्ग के 70 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 130 विद्यार्थियों इस प्रकार दोनो वर्गो हेतु कुल 200 विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.4 में दर्शित है।

तालिका 16.4 जवाहर उत्कर्ष मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदाय करने की योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियों (राशि लाख में)
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	273	-
	अनुसूचित जनजाति	535	-
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	273	233.74
	अनुसूचित जनजाति	535	413.77
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	201	-
	अनुसूचित जनजाति	424	-

16.4.3 विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना :– नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो कि विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के पद रिक्त रह जाते हैं क्योंकि इस वर्ग के विद्यार्थियों की सूची विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में कम है। अतः इन वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य के विषय में अध्यापन को प्रोत्साहन करने हेतु संस्था दुर्ग एवं जगदलपुर में 500–500 सीटर विज्ञान एवं वाणिज्य विषय केन्द्र स्थापित किया गया है। इन विषयों की पूर्ति हेतु वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ

की गई है। इसके अन्तर्गत स्नातक स्तर पर गठित हेतु वाणिज्य हेतु बीएड हेतु कुल 200 सीट स्वीकृत हैं। इस योजनान्तर्गत चयनित विद्यार्थियों जिन्होने स्नातक/स्नातकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयो के साथ जारी रखी गई हो। विज्ञान के पदो एवं आयोजित की जाने वाली प्रीबीएड तथा टी.ई.टी. परीक्षा हेतु ऑपरेटर एवं अध्यापक उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोजना अन्तर्गत 500 सीटर बलिकाओ को प्रदाय हेतु दुर्ग जिला के मुख्यालय में 2013–14 मे प्रारम्भ की गई है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.5 में दर्शित है।

तालिका 16.5 विज्ञान एवं वाणिज्य प्रोत्साहन योजना

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉ (राशि लाख में)
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जनजाति	590	11.22
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जनजाति	590	44.46
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जनजाति	594	-

16.4.4 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियॉं :– कक्षा 12वीं से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शासन द्वारा संचालित की जा रही है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनु.जा. एवं अ.ज.जा.)

- आय–सीमा– रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरे दिनांक 01.07.2010 से निम्नानुसार लागू हैं :–

तालिका 16.6 पोस्ट मैट्रिक (निर्वाह भत्ता) (अनु.जा. एवं अ.ज.जा.)				
समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)			
	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	
	छात्रावासी	दिवा छात्र	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह–1– (i)डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा–एम.फिल, पीएच .डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान (एलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियाँ) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु– चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान। (ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी–इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम (iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सी .ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./ आई .सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम (v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान यथा–डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि (vi) एल.एल.एम.	1200	550	13500	7000
समूह–2– (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे– फार्मेसी (बी.फार्मा), नर्सिंग (बी.नर्सिंग), एल.एल.बी., बी.एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे– रिहायबिलिटेशन, डायगनोस्टिक इत्यादि, होटल प्रबंधन, मॉस कम्यूनिकेशन, ट्रैवल/टूरिज्म/ हॉस्पिटायलिटी प्रबंधन, आंतरिक साज–सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वि त्तीय सेवाएं जैसे– बैंकिंग, इन्श्योरेन्श इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो। (ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह–1 में शामिल न हो जैसे– एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि	820	530	9500	6500
समूह–3– स्नातक स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह–1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) जैसे– बी .ए., बी.एस.सी. ,बी.कॉम.,बी.एड इत्यादि	570	300	6000	3000
समूह –4 – सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	380	230	4000	2500

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)

- आय–सीमा– रू. 1,00,000/– तक वार्षिक
- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैं :–

तालिका 16.7 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)					
समूह	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये)				
	अध्ययन का वर्ष	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
1 – मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
2 – डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
3 – सर्टीफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कॉमर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
4 – सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
5 – कक्षा – 11 वीं		100	110	50	60
कक्षा – 12 वीं		100	110	55	70

वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है:–

तालिका 16.8 छात्रवृत्ति वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉं (राशि लाख में)
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	–	
	अनुसूचित जनजाति	–	
	पिछड़ा वर्ग	–	
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	56306	3774.83
	अनुसूचित जनजाति	66049	4136.35
	पिछड़ा वर्ग	156843	8610.23
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	ऑन–लाईन पो.मै.छा. की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
	अनुसूचित जनजाति		
	पिछड़ा वर्ग		

16.4.5 छात्रावास :– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अच्छे परिवेश की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में इन वर्गो के लिए छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक छात्रावास संचालित हैं, इन छात्रावासों में छात्र– छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, भोजन, बिजली, पानी, पलंग, बिस्तर, पुस्तकें एवं समाचार पत्र आदि उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1,633 प्री.मैट्रिक, पिछडा वर्ग के 08 प्री मैट्रिक एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के 392 पोस्ट मैट्रिक तथा पिछडा वर्ग के 19 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित हैं। प्री.मैट्रिक छात्रावास में प्रवेशित विद्यार्थियों को 10 माह 15 दिवस के लिए शिष्यवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क्र. 16.9 में दर्शित है।

तालिका 16.9 छात्रावास योजना भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाखों में)
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	—	827.64
	अनुसूचित जनजाति	—	3617.85
	पिछड़ा वर्ग	—	22.00
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	—	827.64
	अनुसूचित जनजाति	—	3617.85
	पिछड़ा वर्ग	—	22.00
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	प्रवेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	909.81
	अनुसूचित जनजाति		3657.12
	पिछड़ा वर्ग		22.00

16.4.6 आश्रम शाला योजना :- प्रदेश में वनांचल एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ शैक्षणिक सुविधा नहीं है, ऐसे स्थानों में आश्रम शाला योजना की व्यवस्था की जाती है। इन आश्रमों में कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक की कक्षाऐं चलाई जाती हैं, इन आश्रमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ आवास एवं भोजन की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 51 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1,175 आश्रम शालाएं संचालित हैं। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.10 में दर्शित है।

तालिका क. 16.10 आश्रम शाला योजना			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियों (राशि लाख में)
2020-21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	—	172.57
	अनुसूचित जनजाति	—	4193.53
2020-21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	—	172.87
	अनुसूचित जनजाति	—	4193.53
2021-22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	प्रवेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	206.53
	अनुसूचित जनजाति		4409.24

16.4.7 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों छात्रो को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना:- खाद्यान्न सुरक्षा योजना अधिनियम 2012 के अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रम के साथ-साथ शासकीय अनुदान प्राप्त छात्रावास/आश्रमों में तथा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विभाग द्वारा संचालित निजी छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान करने हेतु योजना संचालित है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.11 में दर्शित है।

तालिका क. 16.11 खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्धता की प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	—	180.00
	अनुसूचित जनजाति	—	960.00
	पिछड़ा वर्ग	—	9.00
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	—	180.00
	अनुसूचित जनजाति	—	960.00
	पिछड़ा वर्ग	—	9.00
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	प्रवेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	292.50
	अनुसूचित जनजाति		1872.00
	पिछड़ा वर्ग		14.60

16.4.8 विशेष कोचिंग केन्द्र योजना :— विशेष कोचिंग के अंतर्गत दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रो में कठिन विशयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है जिसके कारण छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी जो कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं फलस्वरूप परीक्षा परिणाम में अपेक्षित स्तर पर कमी रहती है। योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के छात्रावास / आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे – गणित/विज्ञान/वाणिज्य इत्यादि विशयों में गुणात्मक सुधार के लिए प्रयास किया जाता है। उक्त योजना का कियान्वयन माह नवंबर, दिसम्बर एवं जनवरी में किया जाता है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.12 में दर्शित है।

तालिका 16.12 विशेष कोचिंग केन्द्र योजना प्रगति (राशि लाख में)			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	–	–
	अनुसूचित जनजाति	–	–
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	–	–
	अनुसूचित जनजाति	–	–
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	प्रवेश की कार्यवाही प्रकियाधीन है	22.00
	अनुसूचित जनजाति		57.00

16.4.9 छात्र भोजन सहाय योजना :— पोस्ट मेट्रिक छात्रावासी विद्यार्थियों बढती उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005–06 से प्रारंभ की गई है, इसके अंर्तगत विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग विद्यार्थियों को भोजन सहाय हेतु प्रति छात्र प्रति माह राशि रूपये 700/– की दर से उपलब्ध कराई जाती है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.13 में दर्शित है।

तालिका 16.13 छात्र भोजन सहाय योजना प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	–	139.47
	अनुसूचित जनजाति	–	481.16
	पिछड़ा वर्ग	–	23.86
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	–	139.47
	अनुसूचित जनजाति	–	481.16
	पिछड़ा वर्ग	–	23.86
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	प्रवेश की कार्यवाही प्रकियाधीन है	151.53
	अनुसूचित जनजाति		516.46
	पिछड़ा वर्ग		29.40

16.4.10 व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाः–

16.4.10.1 नर्सिग प्रशिक्षण योजना :– यह योजना वर्ष 2009–10 से प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के 155 तथा अनुसूचित जनजाति के 245 इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों को नर्सिग पाठयकम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा दिये जाने का लक्ष्य है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.14 में दर्शित है।

तालिका 16.14 नर्सिग प्रशिक्षण योजना प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	65	45.19
	अनुसूचित जनजाति	84	55.64
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	253	139.01
	अनुसूचित जनजाति	365	206.57
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	288	107.86
	अनुसूचित जनजाति	497	180.75

16.4.10.2 हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेन्ट योजना :– राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को एअर होस्टेज, एविएशन हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेंजमेंट डिप्लोमा की प्रशिक्षण योजना वर्ष 2006–07 से आरम्भ की गई है। वर्ष 2013–14 में योजना में संशोधन किया गया जिसके तहत हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेंजमेंट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.15 में दर्शित है।

तालिका 16.15 हास्पिटलिटी एवं होटल मैनेजमेन्ट योजना प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	51	25.51
	अनुसूचित जनजाति	25	12.47
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	113	31.67
	अनुसूचित जनजाति	45	15.78
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	26	12.44
	अनुसूचित जनजाति	08	3.83

16.4.10.3 निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना :– इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वाहन चालक का प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008–09 से योजना लागू की गई है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.16 में दर्शित है।

तालिका क. 16.16 निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना की प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	24	3.60
	अनुसूचित जनजाति	48	7.20
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	0	0.09
	अनुसूचित जनजाति	0	0.81
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	0	0.00
	अनुसूचित जनजाति	0	0.00

16.4.11 रविदास चर्म शिल्प योजना :– प्रदेश में चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2008–09 में रविदास चर्मशिल्प योजना प्रारम्भ की गई है। इसके तहत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.17 में दर्शित है।

तालिका 16.17 रविदास चर्म शिल्प योजना प्रगति			
वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	86	30.00
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	240	15.61
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	56	8.40

16.4.12 आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास :– वर्ष 2015–16 से आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत निम्नालिखित योजना संचालित है :–

- आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों की पूजा एवं श्रद्धा स्थलों (देवगुडी) के निर्माण एवं मरम्मत हेतु वर्ष 2006–07 से योजना संचालित है। योजनान्तर्गत प्रति देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण हेतु राशि रू. 1,00,000 दिया जाता है।

- आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास योजनान्तर्गत आदिवासियों के सांस्कृतिक वाद्ययंत्र खरीदने हेतु अनुदान स्वरूप प्रतिदल रू. 10,000 की राशि दिये जाने का प्रावधान है।

- शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव– शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान जिला– बलौदा बाजार में किया जाता है। प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि रू. 0.25 लाख दिया जाता है। उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत चिर विस्मरणीय बनाना एवं आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

- शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार–छ0ग0 राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को राशि रू. 2 लाख से पुरस्कृत तथा प्रशस्ति पत्र प्रदाय किया जाता है।

- स्व. डॉ भंवरसिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार–छ0ग0 राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट

तालिका 16.18 आदिवासी संस्कृति का परीक्षण एवं विकास

(राशि लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	1. देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण	148	148.00
	2. आदिवासी लोककला दलो को सहायता	256	25.60
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	-	-
	4. शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	2	4.50
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	1. देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण	280	280.00
	2. आदिवासी लोककला दलो को सहायता	590	59.00
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	--	8.00
	4. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	2	4.35
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	1. देवगुड़ी मरम्मत/निर्माण	164	164.20
	2. आदिवासी लोककला दलो को सहायता	236	23.60
	3. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव	-	-
	4. शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव/डॉ भंवरसिंह पोर्ते पुरस्कार	2	4.70

कार्य करने वाले किसी 01 संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.18 में दर्शित है।

16.4.13 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :– अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियो को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा मे सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु राशि रू. 1.0 लाख प्रदान की जाती है। यह योजना वर्ष 2010–11 से प्रारंभ की गई है। इस योजना हेतु कुल राशि रू. 28.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.19 में दर्शित है।

तालिका 16.19 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना प्रगति

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि (राशि लाख में)
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जनजाति	–	–
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)		–	–
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)		–	–
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	–	–
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)		–	–
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)		1	1.00

16.4.14 राजीव युवा उत्थान योजना :– वर्ष 2003 से यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से संचालित है। इस योजना अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 100 सीटें स्वीकृत हैं, इसके माध्यम से 50 सीटें जिला–रायपुर एवं 50 सीटें जिला दुर्ग में प्रशिक्षण संचालित है। इसके अतिरिक्त बैकिंग, रेलवे, व्यापम, एस.एस.सी. आदि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर एवं कबीरधाम में 100–100 सीटें स्वीकृत हैं। ट्रायबल यूथ हास्टल द्वारका नई दिल्ली मे रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 50 सीटें स्वीकृत हैं एवं वर्ष 2018–19 मे ड्रॉपर/रिपीटर बैच के अंतर्गत 15 अन्य सीटों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.20 में दर्शित है।

तालिका क. 16.20 राजीव युवा उत्थान योजना (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉं
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	14	21.43
	अनुसूचित जनजाति	22	35.72
	पिछड़ा वर्ग	08	14.28
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	14	36.04
	अनुसूचित जनजाति	22	60.07
	पिछड़ा वर्ग	08	24.02
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	14	6.00
	अनुसूचित जनजाति	22	10.00
	पिछड़ा वर्ग	08	4.00

16.4.15 मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना :– नक्सल प्रभावित क्षेत्रो के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना वर्ष 2010 में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के 04 घटक है:–

- आस्था:– नक्सल हिंसा से प्रभावित बच्चो के लिए अध्ययन कार्य किया जाता है। वर्तमान में इस योजना के तहत नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारो के क 220 बालक एवं कन्या दंतेवाडा जिला मुख्यालय पर स्थित गुरूकुल आवासीय विद्यालय में कक्षा पहली से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, भोजन एवं आवासीय सुविधा प्राप्त कर रहे है।

- सहयोग:– इस योजना अंतर्गत 12वी उत्तीर्ण विद्यार्थियो को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान की जाती है। उक्त योजना संचालित वर्तमान में दंतेवाडा मुख्यालय योजना सम्मिलित है।

- निष्ठा:– इसके तहत पीडित परिवारों के लिए कक्षा 01 से 12वीं के विद्यार्थियों को निष्ठा जिले के निजी शालाओं में अध्ययनरत हैं। वर्ष 2020–21 से यह योजना बंद कर दी गई है।

- प्रयास:– इसके तहत नक्सल प्रभवित 16 जिले के 10 वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्रो को कक्षा 11वी 12वी तक स्कूली शिक्षा के साथ–साथ जे.ई.ई.(मेन/एडवांस) नीट/पी.ई.टी./सी.ए./सी.एस./ क्लैट/एन.टी.एस.सी. इत्यदि हेतु रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंम्बिकापुर, जगदलपुर, कांकेर, कोरबा तथा जशुपर जिले में प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे है जिसमें कुल 2,859 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

16.4.16 विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी उपयोजना:–

16.4.16.1 विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यकम :– एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियो के सर्वांगीण विकास तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देने के उददेश्य से आदिवासी उपयोजना की अवधारणा स्वीकृत की गई है। प्रदेश में 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं, 09 माडा पाकेट एवं 02 लघु अंचल तथा 18 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण/प्रकोष्ठ गठित हैं। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.21 पर दर्शित है।

तालिका 16.21 विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं स्थानीय विकास कार्यकम

(राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जनजाति	-	-
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जनजाति	27 कार्य	8432.80
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जनजाति	03 कार्य	336.26

16.4.16.2 आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार :– संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत अंधोसरंचना/व्यक्ति मूलक परिवार मूलक कार्य पूंजी मद एवं राजस्व मद के अंतर्गत स्वीकृत किये जाते हैं। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है:–

तालिका क. 16.22 आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉं
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनु. जनजाति	10 कार्य	7580.14
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनु. जनजाति	15 कार्य	11669.00
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनु. जनजाति	36 कार्य	6661.38

16.4.16.3 पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण :– पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण द्वारा उन्नत बीज एवं खाद्य प्रदाय, स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन, निःशुल्क दवाई वितरण, पशु पालन, मत्स्य पालन, बाडी विकास, कृषि उपकरण का प्रदाय, स्वरोजगार हेतु सहायता, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास, सिंचाई सुविधा से संबंधित योजनाएं ली जाती हैं। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.23 में दर्शित है।

तालिका 16.23 पण्डो एवं भुंजिया विकास (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धि
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जनजाति	-	-
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जनजाति	07 कार्य	70.00
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जनजाति	03 कार्य	40.00

16.4.16.4 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना :– केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामो के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वर्ष 2015–16 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है। उक्त योजनान्तर्गत छ0ग0 राज्य में कुल 175 ग्रामों का चयन किया गया है। चयनित ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकता यथा–आवास, पेयजल, विद्युत विस्तार, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं आर्थिक विकास इत्यादि तथा चयनित ग्रामों में आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में ग्रामवार फोर लाईन सर्वेक्षण कर डेव्हलपमेन्ट प्लान तैयार किया जाता है। 12वी पंचवर्षीय योजना के अवधि में सेक्टर चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में संतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यो का बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई योजना में केन्द्रीय 50 प्रतिशत और राज्यांश 50 प्रतिशत है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है:–

तालिका 16.24 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉं
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	194 ग्राम	3898.80
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	194 ग्राम	11495.18
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	115 ग्राम	3860.00

16.4.16.5 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) :—भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए "मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम" (संशोधित योजना का नाम–प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) को जशपुर जिले में लागू किये गये हैं। इस योजना के अंतर्गत जशपुर जिले के 05 विकास खण्ड (जशपुर, मनोरा, दुलदला, कुनकुरी एवं कासांबेल) को अल्पसंख्यक विकास खण्ड के रूप में चयनित किया गया है।

इस प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, सडक, पेयजल और आय के अनेक अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि तालिका क. 16.25 में दर्शित है:–

तालिका 16.25 मल्टी सेक्टर डेवल्पमेंट प्रोग्राम

(राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉं
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अल्प संख्यक वर्ग	05 कार्य	22.43
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अल्प संख्यक वर्ग	17 कार्य	396.55
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अल्प संख्यक वर्ग	24 कार्य	447.54

16.4.17 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं:–

- **अनुसूचित जाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता :–** सवर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति तथा अधिनियम के अधीन सुसंगत नियमों के अन्तर्गत जरूरतमंद अनुसूचित जाति तथा जनजाति के परिवारों को तुरन्त राहत देने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अत्याचार से पीडित व्यक्ति को अधिनियम धारा के तहत राहत सहायता एंव पुर्नवास दिया जाता है। अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन जिलों में अस्पृश्यता निवारण शिविरों का आयोजन किया जाता है। अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण तथा उनके प्रति अस्पृश्यता के कलंक मिटाने हेतु जिला एवं ब्लाक पर सद्भावना शिविरों का आयोजना किया जाता है। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है:–

तालिका 16.26 अनुसूचित जाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

(राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियॉं
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनुसूचित जाति	642	1140.00
	अनुसूचित जनजाति	331	445.00
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनुसूचित जाति	1408	2609.20
	अनुसूचित जनजाति	790	824.36
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनुसूचित जाति	620	1650.00
	अनुसूचित जनजाति	320	401.05

16.4.18 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं

16.4.18.1 आदिवासी विशेष पिछड़े समूह :– योजनान्तर्गत विशेष पिछडी जनजाति क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के साथ–साथ व्यक्तिमूलक /परिवारमूलक एवं रोजगार वृद्धि कारक कराये जाते हैं। वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है:–

तालिका 16.27 आदिवासी विशेष पिछड़े समूह

(राशि लाख में)

वर्ष	वर्ग	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय उपलब्धियाँ
2020–21 (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020)	अनु. जनजाति	06 कार्य	639.39
2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021)	अनु. जनजाति	19 कार्य	1595.83
2021–22 (अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021)	अनु. जनजाति	20 कार्य	1628.71

16.5 छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल

- **स्वदेश दर्शन योजना (ट्रायबल टूरिज्म सर्किट)** :– भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय से राशि रु. 96.10 करोड़ की योजना में कार्य कराया जा रहा है। भारत सरकार से 84.81 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। इस सर्किट में लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इस सर्किट में जशपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेश्वरपुर, महेशपुर, कुरदर, सरोधा दादर, गंगरेल, नथियानवागांव, कोण्डागांव, जगदलपुर, चित्रकोट एवं तीरथगढ़ शामिल हैं। अभी तक 09 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

- **प्रशाद योजना** — भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय की प्रशाद योजना के तहत राशि रु. 43.33 करोड़ की लागत से "माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ का विकास" परियोजना स्वीकृत करायी गयी है। इस परियोजना में माँ बम्लेश्वरी देवी पहाड़ी पर एवं नीचे तथा प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर विकास कार्य प्रस्तावित है। उक्त योजना में भारत सरकार से रु. 12.16 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। जिससे कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना की स्वीकृति से "डोंगरगढ़" देश के चुनिंदा महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल हो गया है। इस योजना का मुख्य आकर्षण पहाड़ी के नीचे में बनने वाला पिल्ग्रिम फेसिलिटेशन सेंटर है जिसके भवन का डिजाइन श्री यंत्र के आकार का है।

तालिका क्र. 16.28 विभिन्न कार्यान्वित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी

(राशि लाख रू. में)

क्र.	प्रस्तावित कार्य	(अप्रैल 20 से सितम्बर 20)		(अप्रैल 20 से मार्च 21)		(अप्रैल 21 से सितम्बर 21)	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	ट्रायबल टूरिज्म सर्किट का क्रियान्वयन।	प्रगति पर	7802.45	प्रगति पर	526.76	प्रगति पर	358.99
2	प्रसाद योजना	–	–	कार्य प्रारंभ	–	प्रगति पर	432.00
3	ग्राम सण्डी स्थित माता हिंगलाजिन एवं सिद्धनाथ मंदिर का पर्यटन विकास के तहत सामुदायिक भवन (महिला एवं पुरूष शौचालय सहित), प्रवेश द्वार, पेयजल हेतु प्लेटफार्म, पाइप लाइन सहित समिति द्वारा निर्मित पानी टंकी/बोर से जोड़ना/लैण्ड डेव्हलपमेंट एवं प्लांटेशन कार्य।	प्रगति पर	–	प्रगति पर	–	प्रगति पर	–
4	जोगी बाबा मेला स्थल ग्राम झांकि वि.ख. नवागढ़ में चबूतरा निर्माण एवं बाउंड्रीवाल फेसिंग कार्य।	प्रगति पर	–	कार्य पूर्ण	4.78	–	_
5	सरोधा दादर में एडवेंचर एक्टिविटी उपकरण	प्रगति पर	–	प्रगति पर	–	प्रगति पर	8.70
6	ग्राम जबर्रा में होमेस्टे कैम्पिंग उपकरण एवं सौर प्लांट की स्थापना	प्रगति पर	–	प्रगति पर	11.095	प्रगति पर	–
7	लुतरा शरीफ दरगाह में प्रवेश द्वार निर्माण कार्य विषयक।	प्रगति पर	–	प्रगति पर	4.55	प्रगति पर	–
8	1. ग्राम गाड़ागौरी वि.ख. चारामा जिला कांकेर में स्थित गढ़शीतला मंदिर में पेयजल एवं सीढ़ी निर्माण (5.00 लाख) 2. ग्राम आंवरी स्थित रानी मां में उद्यान, पगोड़ा एवं शेड निर्माण कार्य। (10.00 लाख)	प्रगति पर	3.57	कार्य पूर्ण	14.28	–	–
9	बूढ़ादेव पहाड़ी डोंगरगढ़ में शौचालय निर्माण एवं ज्योति कक्ष निर्माण। मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा।	–	–	निर्माण स्थल के संबंध में दो समुदायों में आपसी सामजस्य नही होने के कारण उक्त कार्य प्रारंभ नही हो सका है।			
10	ग्राम जेमरा चैतुरगढ़ मेला स्थल एवं महामाया मंदिर ग्राम लाफा लाफागढ़ में शेड निर्माण	प्रगति पर	–	प्रगति पर	2.00	प्रगति पर	–

16.6 नागरिक पंजीयन प्रणाली :

जन्म पंजीयन को बच्चे के पहले अधिकार के रूप में जाना जाता है। **"जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969"** के अंतर्गत, हमारे देश में घटित हर एक जन्म एवं मृत्यु की घटना का पंजीकरण अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म मृत्यु की घटना का पंजीकरण **"छत्तीसगढ़ जन्म–मृत्यु पंजीयन नियम 2001"** के अंतर्गत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ में, वर्ष 2008 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में जन्म–मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण पुलिस थानों में किया जाता था, जो जनवरी 2008 से ग्रामीण इकाइयों को हस्तांतरित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत प्राथमिक पंजीकरण इकाई है। राज्य के 28 जिलों में 11658 ग्राम पंचायत में सचिव, पंचायत के अधिकार क्षेत्र के भीतर जन्म–मृत्यु पंजीयन करते हैं।

समस्त पंजीयन इकाईयों में पंजीयन से संबंधित वैधानिक भाग सुरक्षित रखा जाता है। इसी के आधार पर प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (Duplicate) प्रदान की जाती है। सॉख्यिकी भाग जिला रजिस्ट्रार को प्रेषित किया जाता है जिसके आधार पर विश्लेषण कर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो प्रतिवर्ष राज्य सरकार एवं भारत सरकार को भेजी जाती है।

राज्य में कुल 169 शहरी इकाइयां है, जो कि तीन भागों में विभाजित है : (1) नगर निगम, (2) नगर पालिका परिषद एवं (3) नगर पंचायत। नगर निगम में आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत मुख्य नगर पालिका आधिकारी रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) है।

इसके अतिरिक्त राज्य में सभी शासकीय अस्पताल यथा – जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, अन्य शासकीय अस्पताल एवं सार्वजनिक उपक्रम के अस्पतालों में घटित जन्म–मृत्यु (संस्थागत घटनाओं) का पंजीयन इन संस्थाओं में होता है।

समस्त पंजीयन इकाइयों द्वारा जन्म–मृत्यु के ऑनलाईन पंजीयन भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के वेबपोर्टल पर किया जाता है एवं संचालनालय द्वारा उक्त डाटा को वेबपोर्टल से डाउनलोड एवं विश्लेषण कर राज्य की रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

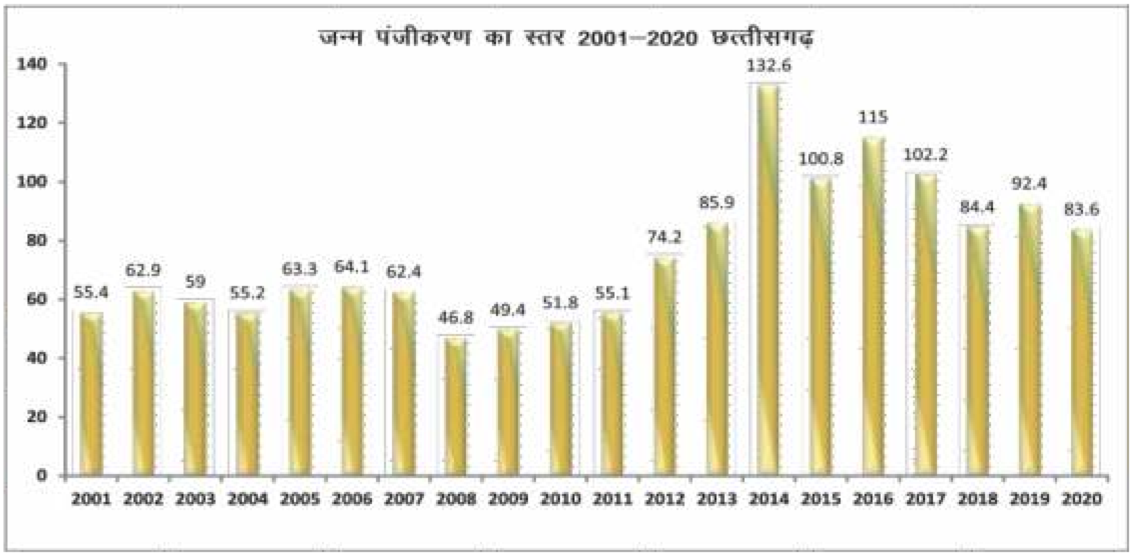

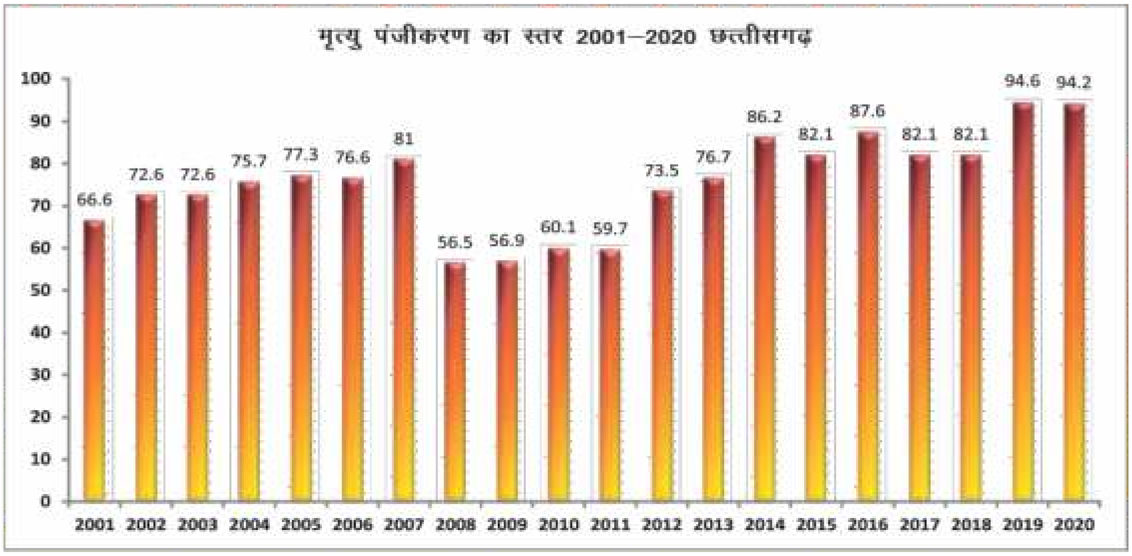

Source: Annual Vital Reports

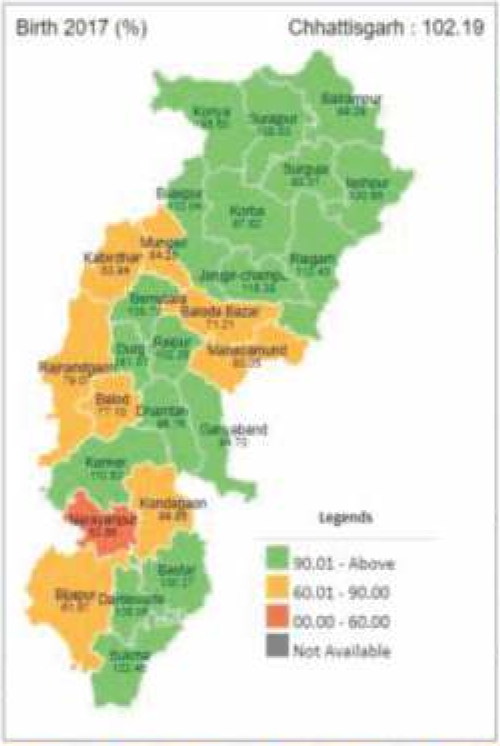
Birth 2017 (%)
Chhattisgarh : 102.19
Legends
90.01 - Above
60.01 - 90.00
00.00 - 60.00
Not Available

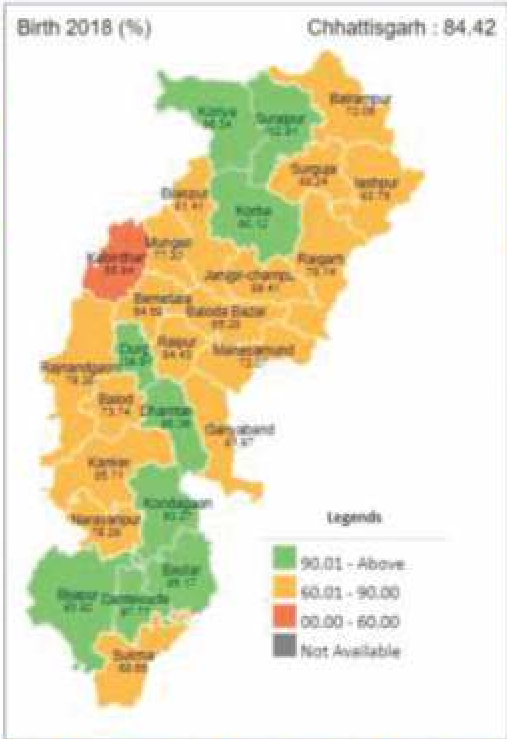
Birth 2018 (%)
Chhattisgarh : 84.42
Legends
90.01 - Above
60.01 - 90.00
00.00 - 60.00
Not Available

BIRTH 2019 (%)
CHHATTISGARH - 92.4
Legends
91 & above
61-90
00-60

BIRTH 2020 (%)
CHHATTISGARH - 83.6
Legends
91 & above
61-90
00-60

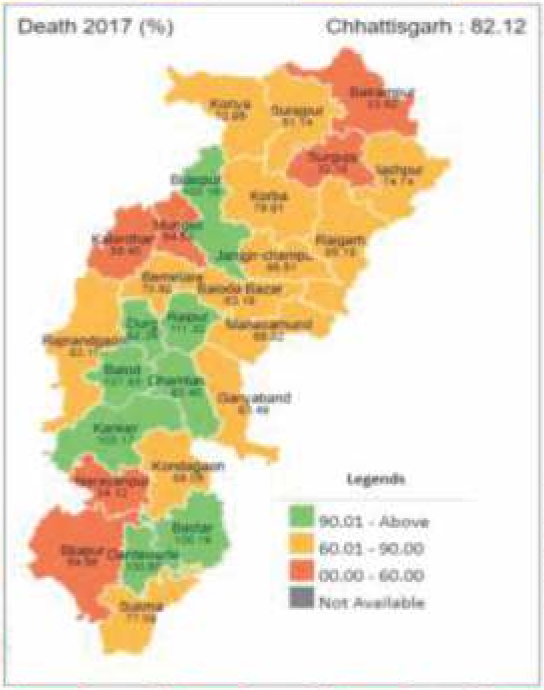
Death 2017 (%)
Chhattisgarh : 82.12
Legends
90.01 - Above
60.01 - 90.00
00.00 - 60.00
Not Available

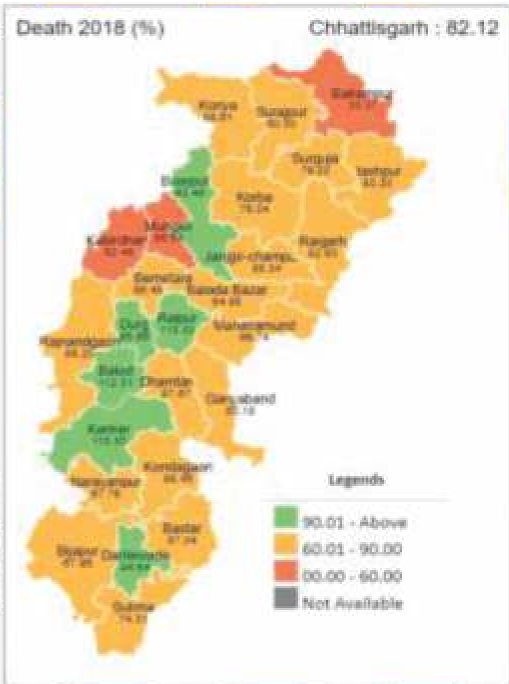
Death 2018 (%)
Chhattisgarh : 82.12
Legends
90.01 - Above
60.01 - 90.00
00.00 - 60.00
Not Available

DEATH 2019 (%)
CHHATTISGARH- 94.6
Legends
91 & above
61-90
00-60

DEATH 2020 (%)
CHHATTISGARH - 94.2
Legends
91 & above
61-90
00-60